यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank
of India
Good people to bank with

Scaling new heights in performance

ANNUAL REPORT 2012-2013

चार अभिवादन आपके नाम

शुक्रिया ग्राहकों,
बेहतर सेवाएं देने के लिए हमें प्रेरित करने हेतु

एटीएम प्रचालन में सर्वोत्तम सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के लिए **एनपीसीआई द्वारा एनएफएस ऑपरेशनल एक्सेलैन्स अवॉर्ड 2012**

वित्तीय समावेशन में सर्वोत्तम बैंक के लिए **आईबीए टेक्नोलॉजी अवॉर्ड 2012**

एटीएम पर एनईएफटी, आईएमपीएस और यूनियन ई कैश कार्यान्वयन के लिए **एसीआई एक्सेलैन्स अवॉर्ड 2012**

दृष्टिहीनों के लिए बोलते एटीएम कार्यान्वयन के लिए कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ़ इंडिया (सीएसआई) **आईटी इनोवेशन अवॉर्ड 2012, बेस्ट बैंक.**

चार और प्रतिष्ठित पुरस्कारों के साथ, यूनियन बैंक ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हमारे सारी गतिविधियों के केन्द्र में हैं - हमारे ग्राहक. ग्राहकों की निरंतर बढ़ती जरूरतों को पूरा करने हेतु हमारे उत्पाद और सेवाओं को उनकी विशिष्ट जरूरतों के अनुकूल रचा जाता है और निरंतर बेहतर से बेहतर बनाया जाता है. निश्चित रूप से, सम्मान सुखदायी हैं, लेकिन त्रुटिरहित सेवाओं के जरिए आपको आनंदित रखना हमें और भी ज्यादा संतोष देता है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

टोल फ्री : 1800 222244 | www.unionbankofindia.co.in

विषय सूची

	पृष्ठ
निदेशक मंडल	03
वर्ष 2012-13 की प्रमुख बातें	14
महत्त्वपूर्ण वित्तीय सूचक	16
सूचना	18
निदेशकों की रिपोर्ट	20
प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण	25
कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	41
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	66
तुलन-पत्र	68
लाभ एवं हानि लेखा	69
अनुसूचियां 1 से 18	70
नकदी प्रवाह विवरण	96
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	98
समेकित तुलन-पत्र	100
समेकित लाभ एवं हानि लेखा	101
समेकित अनुसूचियां 1 से 18	102
नकदी प्रवाह विवरण	120
जोखिम प्रबंधन	122
कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2012-13	134

CONTENTS

	Page
Board of Directors	03
Highlights of 2012-13	15
Key Financial Indicators	146
Notice	148
Directors' Report	150
Management Discussion and Analysis	155
Corporate Governance Report	169
Independent Auditors Report	194
Balance Sheet	196
Profit & Loss Account	197
Schedules 1 to 18	198
Cash Flow Statement	224
Independent Auditors Report	226
Consolidated Balance Sheet	228
Consolidated Profit & Loss Account	229
Consolidated Schedules 1 to 18	230
Consolidated Cash Flow Statement	247
Risk Management	249
Business Responsibility Report 2012-13	259

प्रधान कार्यालय

यूनियन बैंक भवन
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

Head Office

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

केंद्रीय कार्यालय

यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

Central Office

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

निवेशक सेवा प्रभाग

यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

Investor Services Division

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट
डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेस लि.

प्लॉट क्र. बी- 5, पार्ट बी,
क्रॉस लेन, एम. आई. डी.सी., मरोल,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 093.

Registrar & Share Transfer Agent
Datamatics Financial Services Ltd.

Plot No. B-5, Part B,
Cross Lane, MIDC, Marol,
Andheri (E), Mumbai-400 093.

लेखा परीक्षक AUDITORS

कृते जी.एस.माथुर एंड क्.
सनदी लेखाकार

For G.S. MATHUR & CO
Chartered Accountants

कृते प्राइस पैट एंड कं.
सनदी लेखाकार

For PRICE PATT & CO
Chartered Accountants

कृते सिंगरोदिया गोयल एंड कं.
सनदी लेखाकार

For SINGRODIA GOYAL & CO
Chartered Accountants

कृते जिंदल एंड कं.
सनदी लेखाकार

For JINDAL & CO
Chartered Accountants

कृते शाह गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

For SHAH GUPTA & CO
Chartered Accountants

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
सनदी लेखाकार

For V. ROHATGI & CO
Chartered Accountants

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

श्री डी.सरकार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Shri Debabrata Sarkar
Chairman &
Managing Director

श्री डी.सरकार ने 1 अप्रैल, 2012 से बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्य-भार ग्रहण किया है. आपका जन्म 3 नवम्बर, 1953 को हुआ. श्री सरकार ने कामर्स में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है और वे अर्हता प्राप्त फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हैं. इसके अतिरिक्त, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनांस के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं.

बैंक ऑफ बड़ौदा से अपना कैरियर शुरु करके, उन्होंने विभिन्न शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों, अंचलीय कार्यालयों और कारपोरेट कार्यालय में कार्य किया. आप पोर्ट लुई में बैंक के मॉरीशस परिचालन के प्रभारी रहने के साथ ही साथ मॉरीशस, सेचेल्स एवं दक्षिण अफ्रीका की आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के भी प्रभारी रहे. उन्होंने विशेषीकृत इंटीग्रेटेड ट्रेजरी शाखा, मुंबई के प्रमुख के रुप में भी कार्य किया.

श्री सरकार ने 07.12.2009 को इलाहाबाद बैंक के कार्यपालक निदेशक का कार्य ग्रहण किया. श्री सरकार के नेतृत्व में इलाहाबाद बैंक की सभी शाखाएं सीबीएस प्लैटफार्म के अंतर्गत लायी गईं. आपने इलाहाबाद बैंक में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा लाने की भी पहल की. उन्होंने ऋण समूहन विभाग को कार्य निष्पादन आधारित व्यापक प्रोत्साहन योजना बनाकर पुन: सक्रिय किया. श्री सरकार ट्रेजरी एवं कारपोरेट क्रेडिट विशेषत: ऋण नियोजन में विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं.

वे सेंट्रल सीक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड मुंबई और बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड (बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ओवरसीज बैंकिंग सब्सीडरी) के बोर्ड में निदेशक रह चुके हैं. आप बड़ौदा पायोनियर असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई के न्यासी भी रहे हैं. आप आईसीआईसीआई वेन्चर कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, बैंगलूर द्वारा प्रायोजित इंडिया एडवांटेज फंड सीरीज के सुपरवाइजरी बोर्ड के सदस्य भी थे.

श्री सरकार आल बैंक फाइनेंस लि. के निदेशक भी रहे. वर्तमान में वे यूनियन के.बी.सी. एवं स्टार यूनियन दाई ईची जीवन बीमा क. लि. के गैर कार्यपालक अध्यक्ष हैं. साथ ही वे जीआईसीआर.ई. के अध्यक्ष भी हैं. श्री सरकार इन्स्टिट्यूट आफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (आई.बी.पी.एस.) मुम्बई के नियंत्रक मंडल के सदस्य भी हैं.

आप एक अच्छे लीडर एवं प्रभावी वक्ता के तौर पर जाने जाते हैं. श्री सरकार के मार्गदर्शन में बैंक ने सार्थक वित्तीय समावेशन को लागू करने का अद्भुत कार्य करने के साथ ही साथ अपनी समुद्रपारीय उपस्थिति का भी विस्तार किया है.

Shri Debabrata Sarkar has taken over the charge as Chairman & Managing Director of the Bank since April 01, 2012. Born on November 3, 1953, Shri Sarkar holds a post graduate in Commerce and is a qualified Fellow Chartered Accountant. In addition, he is also a Certified Associate of Indian Institute of Banking and Finance.

Having started his career in Bank of Baroda, in July 1982, he worked in various capacities in Branches, Regional Office, Zonal Office and Corporate Office. He was in charge of Internal Audit department of the Bank's Mauritius operation at Port Louis to look after internal audit function of Mauritius, Seychelles and South Africa. He also worked as Head of Specialized Integrated Treasury Branch, Mumbai.

Shri Sarkar assumed the office of the Executive Director of the Allahabad Bank on December 07, 2009. Shri Sarkar was instrumental in bringing all the branches under CBS platform in Allahabad Bank. He has taken initiative in introducing Risk Based Internal Audit in Allahabad Bank. He was also associated with reactivating Loan Syndication department, making Incentive Scheme broad based focusing on performance. Shri Sarkar is known for his expertise in Treasury & Corporate Credit.

He was a Director on the Board of Central Securities Depository Ltd. Mumbai, Board of Bank of Baroda (Botswana) Ltd. (an overseas banking subsidiary of Bank of Baroda). He was a Trustee on the Baroda Pioneer Asset Management Company Ltd., Mumbai. He was also a member on Supervisory Board of India Advantage Fund Series sponsored by ICICI Venture Capital Management Company Ltd., Bangalore.

He was a Director on the board of All Bank Finance Ltd. Presently he is the Non-Executive Chairman of Union KBC Ltd and Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd and also

Director on the Board of GIC Re. He is also a member of Governing Board of the Institute of Banking Personnel Selection (IBPS), Mumbai.

Shri Sarkar is known for his dynamic leadership and a prolific speaker. Under his guidance Bank has achieved the feat of implementing meaningful financial inclusion and expanded its overseas presence.

श्री सुरेश कुमार जैन
कार्यपालक निदेशक

Shri Suresh Kumar Jain
Executive Director

श्री सुरेश कुमार जैन ने 1 सितंबर 2011 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया. वे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बी.एससी.(ऑनर्स) तथा एम.ए.(अर्थशास्त्र) के साथ गोल्ड मेडलिस्ट हैं. श्री जैन 35 वर्षों से अधिक से व्यावसायिक बैंकर हैं व उन्होंने ऋण तथा विदेशी मुद्रा विनिमय में विशेषज्ञता के साथ देश और विदेश में विभिन्न पदों पर कार्य किया. बैंक में कार्यग्रहण से पहले श्री जैन बैंक ऑफ इंडिया में महाप्रबंधक थे. श्री एस.के.जैन को लंदन एवं हांगकांग में कार्य करने से देशी तथा साथ ही विदेशी बैंकिंग का वृहद् अनुभव है. वे बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में व्यापक अनुभव के साथ एक अनुभवी बैंकर हैं.

Shri Suresh Kumar Jain has assumed charge as the Executive Director of Union Bank of India on 1st September 2011. He is Gold Medalist in College and University with B.Sc (Hons.) & M.A. (Economics). Shri Jain has been a professional Banker for over 35 years, having worked in various capacities across the country and abroad with specialization in Credit and Foreign Exchange. Prior to joining the Bank, Shri Jain was General Manager, Bank of India. Shri S. K. Jain has rich experience in both domestic as well as international banking having worked in London and Hong Kong. He is a seasoned banker with varied experience in all areas of banking.

श्री के. सुब्रम्हण्यम
कार्यपालक निदेशक

Shri K. Subrahmanyam
Executive Director

श्री के. सुब्रम्हण्यम ने दिनांक 21.01.2013 को हमारे बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यग्रहण किया है. 15 जुलाई 1955 को जन्मे श्री के. सुब्रम्हण्यम ने कामर्स में स्नातक किया है और बहरामपुर विश्वविद्यालय से "गोल्ड मेडल" प्राप्त किया है.

श्री के. सुब्रम्हण्यम ने प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में इंडियन ओवरसीज बैंक में कार्यग्रहण किया था. इंडियन ओवरसीज बैंक में आप तीन दशक से भी अधिक अवधि तक रहे. इस दौरान आप देश के बड़े राज्यों में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे. वर्ष 2006 से 2008 तक आप कोलकाता एवं विजयवाड़ा के क्षेत्र प्रमुख रह चुके हैं. उसके बाद 2008 से 2010 तक आपने बैंक के सिंगापुर ऑपरेशन के मुख्य कार्यपालक का पद संभाला. इस बैंक में आने से पहले आप एमएसएमई के महा प्रबंधक थे.

श्री के. सुब्रम्हण्यम एक अच्छे पाठक और कर्नाटक संगीत प्रेमी हैं.

Shri K. Subrahmanyam has assumed charge as Executive Director of Union Bank of India on 21st January, 2013. Born on 15th July 1955, Shri Subrahmanyam is Graduate in Commerce and a Gold Medalist from Berhampur University, Odisha.

In his Banking career, in Indian Overseas Bank, spanning over three decades, he held various positions across the country as well as overseas. His last posting was as General Manager in charge of Bank's MSME portfolio

Shri Subrahmanyam joined Indian Overseas Bank as Probationary Officer in 1975. He served as Branch Head at Bank's major branches in Hyderabad, Ahmedabad and Mumbai. He was the Regional Head of Kolkata and Vijayawada region between 2006 and 2008. He was posted overseas as Chief Executive of Bank's Singapore Operations between September 2008 and August 2010.

डा. अचिंतन भट्टाचार्या
सरकार द्वारा नामित निदेशक

Dr. Achintan Bhattacharya
Govt. Nominee Director

डा. अचिंतन भट्टाचार्या 20 जुलाई 2012 से बैंक के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं. श्री भट्टाचार्या 1979 के सिविल सेवा परीक्षा में सफल होकर केंद्रीय सिविल सेवा में आये थे. उन्होंने आपराधिक न्याय प्रणाली विषय पर थीसिस लिखकर लोक प्रशासन में एम फिल और खाद्य नीति पर पीएचडी प्राप्त की है. आप प्रेसीडेंसी कालेज, कोलकाता से अर्थशास्त्र के स्नातक और कोलकता विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के परास्नातक हैं. उन्होंने दिल्ली विश्व विद्यालय से एलएलबी की है.

उन्होंने भारत सरकार के खाद्य, रक्षा, उर्वरक और सामाजिक न्याय जैसे विभिन्न विभागों में अलग- अलग पदों पर कार्य किया है. संयुक्त सचिव पद पर पदोन्नति के पहले आप वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक थे.

यूनियन बैंक में नामांकन के पहले आप यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और पंजाब एंड सिंध बैंक में सरकार द्वारा नामित निदेशक रह चुके हैं.

आपके आर्थिक विषयों पर विभिन्न जर्नलों/मोनोग्राफ्स में काफी संख्या में शोध पत्र/व्यावसायिक लेख प्रकाशित हुए हैं.

संप्रति वे नेशनल इंश्योरेंस अकादमी, पुणे के अंतरिम निदेशक भी हैं.

Dr. Achintan Bhattacharya has been appointed as Govt. Nominee Director of the Board of the Bank w.e.f. 20th July, 2012. Shri Bhattacharya was inducted into CSS through 1979 Civil Services Exam. A Ph.d on his thesis on Food Policy , he did his M Phil. In Public Administration on thesis on Criminal Justice System. He is an Economics Graduate from Presidency College, Kolkatta and a Post Graduate of Calcutta University in Economics. He also did his LL.B from Delhi University.

He served a number of departments in the Govt. of India like Food, Defence, Fertilizers and Social Justice in various capacities. Before elevation to the post of Joint Secretary he was Director in the Department of Financial Services, Ministry of Finance.

Prior to his nomination in the Union Bank, he has been a Govt. Nominee Director in UCO Bank, State Bank of Patiala and Punjab & Sind Bank.

He has authored large number of Research Articles/Professional Articles on various economic issues published in various journals/monographs.

Presently he is also the Interim Director of National Insurance Academy, Pune

---

श्री चंदन सिन्हा
भारिबैं द्वारा नामित

Shri Chandan Sinha
RBI Nominee Director

श्री चंदन सिन्हा 08 मार्च, 2011 से भारतीय रिज़र्व बैंक के नई दिल्ली कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक हैं. अपने इस कार्यभार से पहले आप मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय स्थिरता इकाई में विशेष कार्य अधिकारी थे. आपको करेंसी ऋण और मुद्रा बाजार का समृद्ध अनुभव है. आपको भारतीय रिज़र्व बैंक के 3 बाजार उन्मुख विभागों (4 वर्षों तक वित्तीय बाजार विभाग के प्रमुख रहने के साथ-साथ) से 17 वर्षों तक संबद्ध रहने, भारतीय प्रतिभूति ट्रेडिंग कार्पोरेशन में 3 1/2 साल चीफ डीलर के पद पर रहने और डाक जीवन बीमा के निवेश प्रभाग की स्थापना के लिए मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में एक साल तक कार्य करने का अनुभव है.

श्री सिन्हा भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न प्रमुख कार्यदल/समितियों में रहे हैं और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों और कार्यशालाओं में उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व किया है. आप इलाहाबाद बैंक के निदेशक मंडल में 2005 में शामिल हुए तथा डेढ़ साल तक इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट गुवाहाटी के निदेशक रहे. आप देश विदेश में प्रशिक्षण संस्थानों में वक्ता के रूप में आमंत्रित किए जाते रहे हैं और कार्पोरेट ब्रांड मार्केट डेवलपमेंट इन इंडिया (बीआईएस पेपर्स जनवरी 2006) और इंडियन फायनांशियल ओपननेस एंड इंट्रिगेशन विथ साउथ इस्ट एशियन कंट्रीज (बीआईएस पेपर्स 42 - अक्तूबर 2008) के सहलेखक हैं.

1982 में रिज़र्व बैंक की सेवा में आने से पहले आप भारतीय स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी अधिकारी थे. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन्स कालेज से एमएससी (भौतिक शास्त्र) की परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा बैंक की सेवा में रहते हुए एमबीए (वित्त) तथा सीएआइआइबी की योग्यता भी अर्जित की है.

Shri Chandan Sinha is the Chief General Manager-in-Charge of the Department of Banking Operations and Development at the Central Office of the Reserve Bank of India (RBI) since March 13,2013. Prior to the current assignment, he was the Regional Director, Reserve Bank of India, New Delhi. He has rich experience of the currency,

debt and money markets in view of his long association of 17 years with the three market oriented departments of RBI (including as the head of the Financial Market Department for 4 years), a 3 ½ year stint with the Securities trading Corporation of India (STC) as the Chief Dealer and one year tenure as the Chief Investment officer (HAG level) for setting-up the Investment Division of the Postal Life Insurance. Shri Sinha has served on several important working group/ committees of the Reserve Bank and has also been the RBI nominee for several International seminars and workshops. He was the RBI nominee Director on the Board of Allahabad Bank in 2005 and served as the Director, Indian Institute of Bank Management, Guwahati for 1 1/2 years. He has been resource person at Training establishments both within and outside the country and has co-authored papers on Corporate Bond Market Development in India (BIS papers-Jan.2006) and on Indian Financial Openness and integration with SE Asian Countries (BIS papers 42-oct.2008).

Before joining RBI in 1982, he worked as probationary officer with the State Bank of India. He is M.Sc. (Physics) from St. Stephens College, Delhi University and acquired MBA (in Finance) as also CAIIB during the course of his career in the Bank."

श्री बी. एम. शर्मा
सनदी लेखाकार निदेशक

Shri B.M.Sharma
C.A. Director

श्री बी. एम. शर्मा बैंक के निदेशक मंडल में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 के सनदी लेखाकार श्रेणी खंड 9 (3)(जी) के अंतर्गत दिनांक 16 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना के जरिये नियुक्त किए गए हैं. श्री शर्मा अर्हताप्राप्त सनदी लेखाकार हैं, जो 28 से अधिक वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त, आप अर्हताप्राप्त सूचना प्रणाली लेखापरीक्षक भी हैं. आपने अपने दो दशकों से अधिक के अनुभव के दौरान समवर्ती लेखापरीक्षा तथा बैंकों के कई अन्य कार्यों का संचालन भी किया है तथा वित्त, बैंकिंग एवं कराधान में विशेषज्ञता प्राप्त की है. यूनियन बैंक में अपने नामांकन से पहले श्री शर्मा केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार श्रेणी के अंतर्गत विजया बैंक के निदेशक मंडल में थे.

श्री शर्मा वर्ष 2009 के दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स ऑफ इंडिया की व्यावसायिक विकास समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य थे. व्यावसायिक विकास समिति से जुड़े होने के कारण आपको सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी इक्विटी वित्तपोषण और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के क्षेत्रों में गहन अनुभव है.

Shri B.M. Sharma has been appointed on the Board of the Bank vide notification dated 16th April, 2010 under the clause 9 (3)(g), Chartered Accountant Category of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980. Shri B.M. Sharma is qualified Chartered Accountant practicing for more than 28 years. In addition he is also qualified Information System Auditor. During his span of experience of over two decades he has handled Concurrent Audit and various other assignments of banks and has gained expertise in the field of Finance, Banking & Taxation. Prior to his nomination to Union Bank Shri Sharma had been on the Board of Vijaya Bank appointed by Central Government under Chartered Accountant Category.

Shri Sharma was also a special invitee to Professional Development Committee of the Institute of Chartered Accountants of India during the year 2009. During his association with Professional Development Committee he has worked very closely in the fields of Public Sector Undertakings, Private Equity Financing and Regional Rural Banks.

श्री बी.एन.भट्टाचार्जी
अधिकारी कर्मचारी निदेशक

SHRI BAIDYA NATH BHATTACHARJEE
Officer Employee Director

बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 /1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एफ) तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) स्कीम 1970/1980 के खंड 9 के उपखंड (1) और (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से 04 मई 2011 से श्री बी.एन.भट्टाचार्जी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रुप में नामित किया है.

श्री भट्टाचार्जी एक अतिउत्साही सक्रिय ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता हैं और उन्होंने अधिकारी समुदाय के हितों के लिये अपने कैरियर और सुख-सुविधाओं का परित्याग किया है. लखनऊ विश्वविद्यालय के स्नातक श्री भट्टाचार्जी ने कानून का अध्ययन भी किया है, उन्होंने 1989 से एआईयूबीओएफ में सक्रियता से काम करना आरंभ किया था और 1991 मे आप क्रेन्द्रीय समिति के सदस्य बने. 1997 में आप ऑल इंडिया यूनियन बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के कोषाध्यक्ष चुने गये और उस समय से आप इसी पद पर बने हुए हैं. इस समय आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसियेशन, पश्चिम बंगाल व सिक्किम के उपाध्यक्ष तथा एआईबीओसी और एआईएनबीओएफ की पश्चिम बंगाल इकाईयों के उपाध्यक्ष हैं. एआईएनबीओएफ की स्थापना में आपका सक्रिय योगदान रहा है. अनुशासनिक कार्यवाहियों में आपकी विशेष रूचि है तथा आपने उपमहाप्रबंधक सहित बहुत से अधिकारियों के मामलों में सहायता की है. श्री भट्टाचार्जी की फोटोग्राफी, अंक विज्ञान, हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में बहुत रुचि है. आप सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जगत के समसामायिक मुद्दों में गहन रूचि रखते हैं. देश की बैंकिंग गतिविधियों में गहन संबद्धता और अपनी विशेष दक्षता से आप एआईयूबीओएफ की गृहपत्रिका यूनियन विज़न के उपसंपादक के दायित्व का निर्वाह भी करते हैं, तकनीकी ज्ञान से सुसज्जित श्री भट्टाचार्जी एआईयूबीओएफ की वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं.

Central Government after consultation with Reserve bank of India nominated Shri B. N. Bhattacharjee as an Officer Employee Director in exercise of the powers conferred by clause (f) of sub- section (3) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub-clause (1) & (2) of clause 9 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous provisions) scheme 1970/1980 w.e.f. May 4, 2011.

Shri Bhattacharjee is an active trade-unionist with a great passion and sacrificed his career and personal comforts for the cause of the officers' fraternity. Shri Bhattacharjee, a graduate from Lucknow University had pursued study of law. He became activist of the AIUBOF since 1989 and became Central Committee member since 1991. In 1997, he was elected as the Treasurer of the All India Union Bank Officer's Federation and is continuing in the post till date. At present he is General Secretary of Union Bank of India Officer's Association, WB & Sikkim, Vice President of the West Bengal state units of AIBOC and AINBOF. He is one of the founder activists towards formation of AINBOF. He takes keen interest in disciplinary proceedings and assisted number of cases of the officers including Deputy General Manager with flying colours. Shri Bhattacharjee takes keen interest in photography, numerology, Hindustani classical and folk music. He is a keen observer of contemporary issues on socio-political and economic developments. With his great ability and fascination in banking activities in the country, he performs the duty of the sub-editor of Union Vision, the house journal of AIUBOF. Being a tech-savvy person, he is administrator of website of the AIUBOF as well.

श्री एन. शंकर
कर्मचारी निदेशक

Shri N. Shankar
Workmen Emp. Director

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अधिग्रहण) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत सरकार द्वारा नामित निदेशक. 1979 से बैंक कर्मचारी और इस समय बैंक की मुंबई समाचार मार्ग शाखा विशेष सहायक के पद पर कार्यरत हैं. संप्रति आप बैंक की मान्यताप्राप्त यूनियन एआईयूबीईए के महासचिव हैं. आप महाराष्ट्र राज्य स्टेट बैंक एम्पलाइज फैडरेशन की कार्यकारिणी समिति तथा राष्ट्रीय संगठन एआईबीईए की केंद्रीय समिति के सदस्य भी हैं. एआईबीईए आंदोलन को आगे ले जाने के लिये बनायी विभिन्न समितियों के सदस्य हैं. आप विज्ञान के स्नातक और इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क एकाउंटेंट आफ इंडिया के सदस्य हैं.

आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एम्पालायी पीएफ ट्रस्ट के पिछले दस सालों से सदस्य हैं. यूनियन परिवार के माध्यम से विभाग के कामकाज को व्यवस्थित करने और उसमें सुधार के लिये उन्होंने काम किया है, जिससे पीएफ ऋण और सेवानिवृति देयों का शीघ्र वितरण संभव हो सका है.

आप नवी मुंबई के सहकारी समिति आंदोलन में भी शामिल रहे हैं और नवी मुंबई म्युनिसिपल कार्पोरेशन और नागरिकों द्वारा म्युनिसिपल कर आदि लागू करने के लिये बनायी गयी समिति के प्रमुख सदस्य हैं.

Government nominated Director under clause(e) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies(Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. A Bank employee since 1979 and is presently a Special Assistant in M.S. Marg branch ,Mumbai. Currently, he is the General Secretary of AIUBEA, the majority recognized Union in the Bank. He is also the working committee member of Maharashtra State Bank Employees Federation and the Central Committee Member of AIBEA the national Organization. He is also a member of many Committees at various levels that take up updating AIBEA movement. He is a Graduate in the faculty of Science and a member of the Institute of Cost and Work Accountants of India.

An employee representative of the PF trustee in the Union Bank of India employee PF Trust for the last ten years he has been instrumental in bringing about various improvements and streamlining the functioning of the department through Union Parivar resulting in speedy disbursement of PF loans and Retirement dues.

He is also involved in the Cooperative Society movement in Navi Mumbai and was the key member of the action committee formed by Navi Mumbai Municipal Corporation and Citizens to implement Municipal tax etc.

डा अतुल अग्रवाल
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

Dr. Atul Agarwal
Part Time Non-Off. Director

बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण अधिनियम) 1970 /1980 की धारा 9 की उपधारा 3(एच) और (3ए) तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) स्कीम 1970/1980 के खंड 3 के उपखंड (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने 22.09.2011 से तीन वर्षों के लिए या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए डॉ अतुल अग्रवाल को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रुप में नामित किया है.

एक सनदी लेखाकार डॉ अग्रवाल बी कॉम, एलएलबी, एफसीए, आईएसए (आईसीएआई) और कॉमर्स में पीएचडी हैं. डा. अग्रवाल 1984 से चार्टर्ड अकाउंटेंट के रुप में प्रैक्टिस कर रहे हैं तथा मेसर्स अग्रवाल एंड सक्सेना चार्टर्ड एकाउंटेंट के संस्थापक भागीदार हैं. डा अग्रवाल ने विश्व के तमाम देशों की यात्रा की है तथा उनको कार्पोरेट परामर्श, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, कारोबार रीइंजिनियरिंग तथा लेखा प्रणाली के विकास और कार्यान्वयन का समृद्ध अनुभव है.

आप बैंक ऑफ बडौदा, जमा बीमा एवं गारंटी निगम, नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड और यूपी स्टाक एक्सचेंज असोसिएशन लिमिटेड में निदेशक रहे हैं. उनके विशाल अनुभव क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर परामर्शदात्री समिति, इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटंड ऑफ इंडिया की केंद्रीय परिषद की सदस्यता, आईसीडब्ल्यूए की विभिन्न उपसमितियों की सदस्यता, एसोचैम की प्रत्यक्ष कर समिति की सदस्यता, यूपी स्टाक एक्सचेंज की चूक और विवादन समिति की सदस्यता, आईसीआई द्वारा "कार्पोरेट सुशासन" और "व्यवसायगत नैतिकता" पर अध्ययनदल की सदस्यता का समावेश है.

Dr. Atul Agarwal has been nominated by the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section 3 (h) and (3-A) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, read with sub-clause (1) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, as part-time non-official Director on the Board of Directors of Union Bank of India, for a period of three years from the date of notification of his appointment i.e. 22.09.2011 or until further orders, whichever is earlier.

Dr. Agarwal, a Chartered Accountant, is qualified as B.Com., LLB, FCA, ISA(ICAI) and PhD in Commerce. Dr. Agarwal has been a practicing Chartered Accountant since 1984 and is a founder Partner of M/s Agarwal & Saxena, Chartered Accountants. Dr. Agarwal has widely traveled all over the World with rich experience of more than two decade in the field of corporate consulting, strategic thinking, business reengineering and development and implementation of accounting systems. He has also held positions of Director in Bank of Baroda, Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation, Northern Coal Fields Ltd. and UP Stock Exchange Association Ltd. His vast arena of expertise include being Member of Regional Direct Taxes Advisory Committee, Central Council Member of The Institute of Cost & Works Accountants of India (ICWAI), Member of various sub committees of ICWAI, Member of Direct Taxes Committee of ASSOCHAM, Member of the Defaults and Arbitration Committee of UP Stock Exchange, Member of study group on ‘Professional Ethics’ and on ‘Corporate Governance’ constituted by ICAI.

श्री गोपाल कृष्ण लाठ
शेयरधारक निदेशक
Shri Gopal Krishan Lath
Shareholder Director

60 वर्षीय श्री लाठ लखनऊ से हैं. आप वाणिज्य स्नातक हैं और आपको चार्टर्ड एकाउंटेंट की प्रैक्टिस का 35 वर्ष से अधिक का अनुभव है.

बैंकिंग उद्योग की लेखापरीक्षा के अलावा, आपने कई निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों, बीमा कंपनियों, स्थानीय निकायों, केंद्रीय सहकारी समितियों, सरकारी विभागों और अनेक विश्व बैंक सहायता प्राप्त प्रोजेक्टों की विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा और अन्य कार्य संचालित किए हैं. आप निजी क्षेत्र के विभिन्न ग्राहकों को प्रत्यक्ष कर की पेशेवर सेवाएं प्रदान करते हैं और आयकर विभाग में विभिन्न अपीलेट फोरमों में उन ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करते हैं.

श्री लाठ 'स्थायी त्रिपक्षीय समिति' के सदस्य होने के साथ ही साथ श्रम और नियोजन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'न्यूनतम वेतन सलाहकारी बोर्ड' के भी सदस्य नामित किए गए हैं.

आपको उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 'उत्तर प्रदेश में निजी इंजिनियरिंग कालेजों के शुल्क के निर्धारण हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति' में भी नामित किया गया है.

Shri Lath from Lucknow aged 60 years is a commerce graduate and a practicing Chartered Accountant with more than 35 years of experience.

Apart from the audit of banking industry, he has handled various types of audit and other assignments of many private and public sector corporations, insurance companies, local bodies, central cooperative societies, government departments and several World Bank aided projects. He has been rendering professional services to various private sector clients in direct taxation and also representing them at various appellate forums in the income tax department.

Sh. Lath was a member of the “Standing Tripartite Committee” and also the member of “Minimum Wages Advisory Board” nominated by the “Ministry of Labor and Employment, Government of India”.

He was also nominated by the Government of UP in the High Powered Committee constituted for ‘fixation of fees of private engineering colleges in U.P

डॉ. रवीन्द्रराय ढोलकिया
शेयरधारक निदेशक
Dr. Ravindrarai Dholakia
Shareholder Director

60 वर्षीय डॉ. ढोलकिया अहमदाबाद से हैं. आपको अर्थशास्त्र और लोक सिस्टम में आईआईएम, अहमदाबाद के प्रोफेसर के रुप में 36 वर्ष का अनुभव है. आप कला में परास्नातक (स्वर्ण पदक प्राप्त), अर्थशास्त्र में पीएच.डी. तथा पोस्ट-डाक्ट्रेट फैलो हैं.

आप अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक हैं.

आप छठें केन्द्रीय वेतन आयोग के सदस्य थे और आपको भारत सरकार और गुजरात राज्य शासन द्वारा अनेक उच्चस्तरीय समितियों में विशेषज्ञ की हैसियत से नामित किया जा चुका है. हाल ही में, आपने नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एयर इंडिया (2013) में लागत कम करने एवं संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु गठित समिति की अध्यक्षता की है.

Dr. Dholakia from Ahmedabad aged 60 years is a Professor of Economics and Public Systems in IIM Ahmedabad and has 36 years of experience. He is Master of Arts (Gold Medalist), Ph. D. in Economics (MSU, Baroda) and Post-Doctoral Fellow (Uni. Of Toronto).

He is a Director on the Boards of Adani Enterprises Limited and State Trading Corporation of India Limited.

He was a Member of the Sixth Central Pay Commission and has worked as an expert Member on numerous High Powered Committees appointed by the Government of India and State Government of Gujarat. Recently, he chaired a Committee appointed by Ministry of Civil Aviation on Cost Saving and Resource Optimization in Air India (2013).

श्री दीपांकर चटर्जी
शेयरधारक निदेशक

Shri Dipankar Chatterji
Shareholder Director

कोलकाता निवासी 64 वर्षीय श्री चटर्जी वाणिज्य स्नातक हैं और चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में प्रैक्टिस करते हैं.

आप अन्य 3 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के निदेशक मंडल के सदस्य रहने के साथ-साथ हिन्दुस्तान नैशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लि., पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लि., टीआरएफ लिमिटेड, टेक्समैको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होल्डिंग्स लिमिटेड सहित कई अन्य कंपनियों के निदेशक मंडल के सदस्य भी हैं.

श्री चटर्जी दि कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज लिमि. के अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में देश के टॉप 10 बिजनेस स्कूलों में से एक के वाइस प्रेसिडेंट हैं. आप एक राजकीय विश्वविद्यालय की जनरल काउंसिल के भी सदस्य हैं. आप भारिबै / भारतीय बैंक संघ / विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों द्वारा गठित विभिन्न समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं.

आप आईसीएआई की केंद्रीय काउंसिल के सदस्य और आईसीएआई की लेखापरीक्षा प्रैक्टिस समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं. आप आईसीएआई की पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं.

संप्रति आप सीआईआई की नैशनल काउंसिल के सदस्य और लेखा मानकों हेतु गठित राष्ट्रीय समिति के भी अध्यक्ष हैं.

Shri Chatterji from Kolkata aged 64 years is a Commerce graduate and a practising Chartered Accountant.

He has been on the Board of three other Public Sector Banks and is also on the Boards of other companies including Hindustan National Glass & Industries Limited, West Bengal Industrial Development Corporation Limited, TRF Limited, Texmaco Infrastructure & Holdings Limited.

Sh. Chatterji is the Chairman of The Calcutta Stock Exchange Ltd and is the Vice President of one of the top 10 Business schools in the Country. He is also on the General Council of one of the State Universities of the country. He had been member on various Committees set up by RBI/IBA/various Government authorities.

He had been a Central Council member of ICAI and was the Chairman of Auditing Practices Committee of ICAI. He was also the Chairman of Eastern India Regional Council of the ICAI.

He is presently a member of National Council of CII and also Chairman of National Committee on Accounting Standards of CII.

श्री श्रीकांत मिश्र
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

Shri Shri Kant Misra
Part Time Non-Off. Director

8 मार्च 1955 को जन्मे श्री मिश्र 1978 से चार्टड एकाउंटेंट हैं. सम्प्रति आप मेसर्स एस. के. एन. एंड एसोसिएट्स के प्रोप्राइटर हैं, जिसका प्रधान कार्यालय कानपुर एवं शाखाएं दिल्ली एवं कोलकता में हैं. श्री मिश्रा वर्ष 1978 से दिसंबर 2012 तक मेसर्स चतुर्वेदी एंड कं. में भागीदार थे.

अपने 34 साल से अधिक के व्यावसायिक कैरियर में उन्होंने (विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों और जीवन बीमा कंपनियों के केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षा सहित) बलरामपुर चीनी, टाइम्स ऑफ इंडिया, शॉ वालेस, एडवांस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, विकास टेलीकॉम आदि बड़े व्यापार समूहों की आंतरिक / प्रबंधकीय लेखापरीक्षा, प्रोजेक्ट वित्तीयन, प्रबंधकीय सलाहकार, कंपनी लॉ एवं आयकर मामलों में विशेषज्ञ राय, वित्तीय ड्यू डिलिजेंस, संकल्पनाओं का मूल्यांकन एवं व्यवहार्यता रिपोर्ट और समामेलन एवं अधिग्रहण जैसे कार्य संपन्न किए हैं. उन्होंने अपने ज्ञान और योग्यताओं के विकास के लिए विश्व के कई देशों की यात्राएं की हैं. आपको रीयल इस्टेट एवं हास्पिटैलिटी प्रोजेक्टों की वित्तीय आयोजना के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है.

श्री मिश्र पिछड़ा क्षेत्र उद्योग विकास एसोसिएशन के मानद सचिव रहे हैं. आप सनातन धर्म महामंडल की कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी हैं.

Sh. S.K.Misra born on March 8, 1955, is a practicing Chartered Accountant since 1978. At present he is the proprietor of M/s S K N & Associates, having its head office in Kanpur and branches at Delhi, Lucknow and Kolkata. Mr. Misra was also a partner in M/s Chaturvedi & Co from the year 1978 till December, 2012.

During his professional career of more than 34 years, he has handled various assignments of Statutory Audit (including Central Statutory Audit of various Nationalized Banks and Life Insurance Companies), Internal/Management Audit of various big business groups like Balrampur Chini, Times of India, Shaw Wallace, Advance Group of Industries, Vikas Telecom etc., Project Financing, Management Consultancy, preparation of accounting manuals for electronic media and real estate and hospitality companies, Expert opinion in Company Law and Income Tax matters, Financial due diligence, Idea Validation & Project feasibility reports and mergers and acquisitions. He has travelled around the globe to acquire and strengthen his knowledge and capabilities. He has gained specialization in financial planning of real estate and hospitality projects.

Mr. Misra was also Honorary Secretary of Backward Area Industries Development Association. He is a member of Working Committee of Sanatan Dharam Mahamandal.

सुश्री अनुसूया शर्मा
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

Ms Anusuiya Sharma
Part Time Non-Off. Director

श्रीमती अनुसूया शर्मा को यूनियन बैंक आफ इंडिया के निदेशक बोर्ड में 6 मई 2013 से तीन साल की अवधि के लिये अंशकालिक गैरसरकारी निदेशक नियुक्त किया गया है.

स्वतंत्रता सेनानी परिवार में जन्मी सुश्री शर्मा ने हिंदी एवं समाजशास्त्र में एम.ए. के साथ ही साथ बी.एड व एल.एल.बी. की उपाधि भी प्राप्त की है. सक्रिय राजनीति पृष्ठभूमि के साथ वे ए.आई.सी.सी., पी.सी.सी., यू.पी.सी.सी., आदि की सदस्य रही हैं.

अपनी ट्रेड यूनियन की पृष्ठभूमि के साथ आप विभिन्न यूनियन समितियों/यूनियनों में सदस्य, महा सचिव एवं अध्यक्ष आदि के पद पर रही हैं.

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमीनारों में भाग लेने के साथ ही वे विभिन्न सरकारी समितियों की सदस्य भी रही हैं.

Ms. Anusuiya Sharma has been appointed as part-time Non-Official Director on the Bank's Board vide MOF Notification dated 06TH May, 2013, for a period of three years.

Ms. Sharma, born in a freedom fighter family, has done her M.A. in (Hindi) and (Sociology) besides having degrees of B.Ed. and L.L.B. She has an active Political background and has been a member of AICC, PCC, UPCC etc.

She is also having an active Trade Union background and is holding various posts like Member, General Secretary, President, etc. of various Trade Union Committee/Unions.

She has also been a member of various Government Committees besides having participated in Seminars, both National and International.

महा प्रबंधक - GENERAL MANAGER

1	श्री एस. एस. घुगरे	Shri S S Ghugre
2	श्री एस. के. संगर	Shri S K Sangar
3	श्री एस. पी. गोयल	Shri S P Goel
4	श्री टी. के. श्रीवास्तव	Shri T K Srivastava
5	श्री पी. के. बंसल	Shri P K Bansal
6	श्री डी. के. जैन	Shri D K Jain
7	श्री वी. जे. म्हात्रे	Shri V J Mhatre
8	श्री एस. आफताबुद्दीन	Shri S Aftabuddin
9	श्री ललित सिन्हा	Shri Lalit Sinha
10	श्री टी. आर.साहनी	Shri T R Sahni
11	श्री ओ. पी. दुआ	Shri O P Dua
12	श्री ए. के. ठाकुर	Shri A K Thakur
13	श्री हृषिकेश बेहरा	Shri Hrushekesh Behera
14	श्री आर. सी. लोढ़ा	Shri R C Lodha
15	श्री आर. एस. पांडे	Shri R S Pandey
16	श्री बी. पी. डिमरी	Shri B P Dimri
17	श्री आर. महेश्वरन	Shri R Maheshwaran
18	श्रीमती एम. आर. प्रभु	Smt. M R Prabhu
19	श्री अशोक कुमार गुप्ता	Shri Ashok Kumar Gupta
20	श्री पंकज शर्मा	Shri Pankaj Sharma
21	श्री ए. बी. बोपटे	Shri A B Bopte
22	श्री एम. के. मेहता	Shri M K Mehta
23	श्री देबज्योति गुप्ता	Shri Debajyoti Gupta
24	श्री आर. के. अग्रवाल	Shri R K Aggarwal
25	श्रीमती रेखा पी. नायक	Smt. Rekha P Nayak
26	श्री के. एन. रघुनाथन	Shri K N Raghunathan
27	श्री के. चंद्रशेखर	Shri K Chandrasekhar
1	श्रीमती ज्योत्सना जामखंडी	Smt. Jyotsna M Jamkhandi
2	श्री अजीत कुमार रथ	*Shri Ajith Kumar Rath

उप महा प्रबंधक - Dy. GENERAL MANAGER

1	श्री वी. एस. डोले	Shri V S Dole	45	श्री जी. आर. पडालकर	Shri G R Padalkar
2	श्री एम. वी. आरेकर	Shri M V Arekar	46	श्री आर. के. चौधरी	Shri R K Chaudhary
3	श्री के. सी. चरमन्ना	Shri K C Charmanna	47	श्री ए. के. दुग्गल	Shri A K Duggal
4	श्री एस. एन. त्रिपाठी	Shri S N Tripathy	48	श्री आर. पी. मिश्रा	Shri R P Mishra
5	श्री बी. बी. खट्टर	Shri B B Khattar	49	श्री बी. बी. मित्तल	Shri B B Mittal
6	श्री जी. आर. भोकरे	Shri G R Bhokare	50	श्री वी. के. चावला	Shri V K Chawla
7	श्री एन. एल. बरुआ	Shri N L Baruah	51	श्री एस. एच. कंथारिया	Shri S H Kantharia
8	श्री एस. पद्मनाभन	Shri S Padmanabhan	52	श्री ए. के. बुधराजा	Shri A K Budhraja
9	श्री आर. डी. ग्रोह	Shri R D Groh	53	श्री आर. के. सिन्हा	Shri R K Sinha
10	श्री ए. आर. मानवी	Shri A R Manavi	54	श्री एम. एन. टेप्पलवार	Shri M N Teppalwar
11	श्री सुनीत कुमार गुप्ता	Shri Suneet Kumar Gupta	55	श्री प्रदीप रस्तोगी	Shri Pradeep Rastogi
12	श्री के. के. तिवारी	Shri K K Tiwari	56	श्री एच. पी. एस. गुगलानी	Shri H P S Guglani
13	श्री सी. एस. पी. राव	Shri C S P Rao	57	श्री वी. के. गाबा	Shri V K Gaba
14	श्री एस. के. सिंह	Shri S K Singh	58	श्री बी. बी. जोशी	Shri B B Joshi
15	श्री रवि कुमार गुप्ता	Shri Ravi Kumar Gupta	59	श्री एल. डी. रेवतकर	Shri L D Rewatkar
16	श्री डी. एम. वेंगुर्लेकर	Shri D M Vengurlekar	60	श्री एच. एस. आर. प्रसीदा	Shri H S R Praseeda
17	श्री के. सी. गुप्ता	Shri K C Gupta	61	श्री वी. राजेन्द्रन	Shri Rajendran V
18	श्री ए. बी. धवले	Shri A B Dhavale	62	श्री एन. के. गुप्ता	Shri N K Gupta
19	श्री जे. के. नियोग	Shri J K Neog	63	श्री एस. बी. जोशी	Shri S B Joshi
20	श्री वी. के. जैन	Shri V K Jain	64	श्री पी. एस. एन. एम. शर्मा	Shri P S N M Sharma
21	श्री एस. सी. चितकारा	Shri S C Chitkara	65	श्री एच. एल. रावल	Shri H L Rawal
22	श्री एम. एम. वैद्य	Shri M M Vaidya	66	श्री वी. एच. कामथ	Shri V H Kamath
23	श्री ए. के. आचार्या	Shri A K Acharya	67	श्री एस. के. अग्रवाल	Shri S K Aggarwal
24	श्री टी. एन. घोष	Shri T N Ghosh	68	श्री पी. राजेन्द्र प्रसाद	Shri P Rajendra Prasad
25	श्री आर. कंडासामी	Shri Kandasamy R	69	श्री ए. के. दीक्षित	Shri A K Dixit
26	श्री एस. जयमोहन नायर	Shri S Jayamohan Nair	70	श्री एस. के. भाटिया	Shri S K Bhatia
27	श्री डी. वी. गुप्ता	Shri D V Gupta	71	श्री सतीश कुमार जैन	Shri Satish Kr Jain
28	श्री आर. बी. बिडवई	Shri R B Bidwai	72	श्री यू. ए. खांडेकर	Shri U A Khandekar
29	श्रीमती आभा आनंद	Smt. Abha Anand	73	श्री डी. डी. मिस्त्री	Shri D D Mistry
30	श्री तरुण कोच्छड़	Shri Tarun Kochar	74	श्रीमती हेमलता राजन	Mrs. Hemlata Rajan
31	श्री ए. के. मित्तल	Shri A K Mittal	75	श्री वी. एम. खटवटे	Shri V M Kathavate
32	श्री अनुपम साहा	Shri Anupam Saha	76	श्री ए. एस. जोआबा	Shri A S Zaoba
33	श्री सुनील गिरोत्रा	Shri Sunil Girotra	77	श्री एम. के. डोंगरे	Shri M K Dongre
34	श्री दिनेश कड़क्कल	Shri Dinesh Kadackal	78	श्री एम. के. जयदेवन	Shri M K Jayadevan
35	श्री वाई. आई. रावल	Shri Y I Raval	79	श्री गणेश वाई मिश्रा	Shri Ganesh Y Mishra
36	श्री जी. एस. रावत	Shri G S Rawat	80	श्री आई. सी. अमृत कुमार	Shri I C A Kumar
37	श्री पी. सी. पाणिग्रही	Shri P C Panigrahi	81	श्री ए. के. भट्टाचार्जी	Shri A K Bhattacharjee
38	श्री टी. सी. जॉन	Shri T C John	82	श्री संजय शर्मा	Shri Sanjay Sharma
39	श्री एस. के. गुप्ता	Shri S K Gupta	83	श्री आर. नेलियप्पन	Shri R Neliappan
40	श्री रणबीर सिंह	Shri Ranbir Singh	84	श्रीमती एल. एम. पै	Smt. L M Pai
41	श्री पी. बी. वायकर	Shri P B Waikar	1	श्रीमती मोनिका कालिया	Smt. Monika Kalia
42	श्री आर. सुब्रमनियन	Shri R Subramanian	2	श्री. पी. आर. राजगोपाल	*Shri P R Rajagopal
43	श्री जी. त्रिनाथ	Shri G Trinath	3	कैप्टन आर. राजाराम	*Capt. R Rajaram
44	श्री ए. के. जैन	Shri A K Jain	4	श्री अनिल कुरील	*Shri Anil Kuril

वर्ष 2012-13 की प्रमुख बातें

- 31 मार्च 2013 को बैंक का कुल कारोबार 17.77% की वृद्धि के साथ ₹475673 करोड़.
- 31 मार्च 2013 को बैंक की कुल जमाराशियां 18.35% की वृद्धि के साथ ₹263762 करोड़.
- 31 मार्च 2013 को बैंक के कुल अग्रिम 17.06% की वृद्धि के साथ ₹211911 करोड़.
- परिचालन लाभ ₹5254 करोड़ से बढ़कर ₹5583 करोड़.
- कोर फीस आय ₹1392 करोड़ से बढकर ₹1421 करोड़.
- शुद्ध ब्याज आय ₹6793 करोड़ से बढ़कर ₹7543 करोड़.
- शुद्ध ब्याज मार्जिन (अर्जक आस्तियों पर) 2.96%.
- 31 मार्च 2013 को बासल - II के अतर्गत पूंजी पर्याप्तता (सीआरएआर) अनुपात 9.0% की नियामक अपेक्षाओं के पेटे 11.45%. टायर - I सीआरएआर 8.23%.
- प्रति शेयर बुक वैल्यू पिछले वर्ष से 11.32% बढ़कर ₹264.37.
- प्रस्तावित लाभांश 80%.
- 31 मार्च 2013 को संपूर्ण भारत में 3511 शाखाओं एवं 4603 एटीएम का नेटवर्क.

Highlights of 2012-13

- Total Business of ₹ 475673 crore as on March 31st 2013 an increase of 17.77%.
- Total Deposits of ₹ 263762 crore as on March 31st 2013 an increase of 18.35%.
- Total Advances of ₹ 211911 crore as on March 31st 2013 an increase of 17.06%.
- Operating Profit increased from ₹ 5254 crore to ₹ 5583 crore.
- Core Fee Income increased from ₹ 1392 crore to ₹ 1421 crore.
- Net Interest Income increased from ₹ 6793 crore to ₹ 7543 crore.
- Net Interest Margin (on Earning Assets) at 2.96%.
- Capital Adequacy Ratio (CRAR) under BASEL II at 11.45%, as on March 31st 2013 against the regulatory requirement of 9.0%. Tier I CRAR at 8.23%.
- Book Value Per share of ₹ 264.37, an increase of 11.32% over the previous year.
- Proposed Dividend at 80%.
- Pan India Reach - Network of 3511 branches & 4603 ATMs as on March 31st 2013.

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

क्र. सं.	विवरण % (प्रतिशत में)	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013
1	ब्याज आय / औसत कार्यशील निधियां (ए डब्ल्यू एफ)	8.43	7.96	7.49	8.08	8.35	8.78	8.04	8.33	9.35	9.19
2	ब्याज व्यय / ए डब्ल्यू एफ	5.19	4.65	4.46	5.03	5.76	5.96	5.51	5.19	6.33	6.43
3	ब्याज स्प्रेड / ए डब्ल्यू एफ	3.24	3.31	3.03	3.05	2.59	2.82	2.53	3.14	3.02	2.76
4	गैर-ब्याज आय / ए डब्ल्यू एफ	1.55	1.23	0.63	0.75	1.20	1.09	1.19	1.03	1.09	0.93
5	परिचालन व्यय / ए डब्ल्यू एफ	2.02	2.01	1.79	1.61	1.44	1.63	1.52	2.00	1.77	1.65
6	लागत आय अनुपात	42.26	44.42	48.90	42.45	38.17	41.81	40.66	47.85	43.15	44.70
7	सकल (परि.) लाभ / ए डब्ल्यू एफ	2.77	2.52	1.87	2.19	2.34	2.28	2.21	2.18	2.34	2.04
8	शुद्ध लाभ / ए डब्ल्यू एफ	1.33	1.15	0.86	0.92	1.26	1.27	1.25	1.05	0.79	0.79
9	नेट वर्थ पर प्रतिलाभ	27.36	22.90	16.55	17.88	24.70	24.79	23.69	18.63	13.67	13.68
10	वर्षांत आस्तियों पर प्रतिलाभ	1.22	0.99	0.76	0.82	1.12	1.07	1.06	0.88	0.68	0.69
11	औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	1.32	1.10	0.84	0.92	1.26	1.27	1.25	1.05	0.79	0.79
12	अग्रिमों पर प्रतिफल	9.03	8.33	8.18	8.98	10.12	11.06	9.94	9.86	11.22	11.05
13	जमाराशियों की लागत	5.64	4.97	4.75	5.23	6.19	6.50	5.94	5.53	6.93	7.38
14	शुद्ध लाभ का लाभांश भुगतान अनुपात (कार्पोरेट लाभांश कर सहित)	25.51	25.32	30.78	24.20	17.04	17.11	15.66	23.44	28.64	25.89
15	ऋण जमा अनुपात	61.17	67.96	75.50	76.46	75.55	73.22	73.71	78.11	84.94	84.11
16	ऋण + गैर एस एल आर निवेश (अनुषंगी ईकाइयों में निवेश को छोड़कर) - जमा अनुपात	73.74	77.86	84.29	81.49	78.44	76.75	80.75	84.08	86.51	87.63
17	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल I)	12.32	12.09	11.41	12.80	12.51	13.27	12.51	12.95	11.85	11.45
	टियर -I	6.47	6.07	7.32	7.79	7.45	8.18	7.91	8.69	8.37	8.23
	टियर - II	5.85	6.02	4.09	5.01	5.06	5.09	4.60	4.26	3.48	3.22

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

क्र. सं.	विवरण	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013
1	कर्मचारी (संख्या)	25630	25645	25421	25969	25722	27510	27772	27746	30838	31798
2	शाखाएं (संख्या)	2020	2051	2082	2206	2361	2558	2805	3016	3201	3511
3	प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में)	2.86	3.46	4.36	5.09	6.20	6.94	8.53	10.43	10.70	12.15
4	प्रति कर्मचारी सकल लाभ (₹ लाख में)	5.79	6.13	5.77	7.70	10.03	11.20	13.18	15.52	17.04	17.56
5	प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ लाख में)	2.78	2.81	2.66	3.25	5.39	6.28	7.47	7.50	5.80	6.79
6	प्रति शाखा कारोबार (₹ करोड़ में)	36.35	43.35	53.29	59.94	67.52	74.61	84.49	95.93	103.11	110.05
7	प्रति शाखा सकल लाभ (₹ करोड़ में)	0.73	0.77	0.70	0.91	1.09	1.20	1.30	1.43	1.64	1.59
8	प्रति शाखा शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	0.35	0.35	0.32	0.38	0.59	0.68	0.74	0.69	0.56	0.61
9	प्रति शेयर आय (₹ में)	15.47	15.64	14.58	16.74	27.46	34.18	41.08	39.71	34.07	38.93
10	प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में)	55.71	67.18	80.77	93.60	111.19	137.87	173.38	213.17	237.48	264.37

नोट : * औसत कारोबार

परिभाषाएं :

औसत कार्यशील निधियां (ए डब्ल्यू एफ)	:	कुल आस्तियों का पाक्षिक औसत
औसत जमाराशियां	:	कुल जमाराशियों का पाक्षिक औसत
औसत अग्रिम	:	कुल अग्रिमों का पाक्षिक औसत
औसत कारोबार	:	औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग
औसत निवेश	:	कुल निवेश का पाक्षिक औसत
ब्याज आय / ए डब्ल्यू एफ	:	कुल ब्याज आय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
ब्याज खर्चे / ए डब्ल्यू एफ	:	कुल ब्याज आय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
ब्याज स्प्रेड / ए डब्ल्यू एफ	:	कुल ब्याज आय में से कुल ब्याज व्यय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
गैर-ब्याज आय / ए डब्ल्यू एफ	:	कुल गैर ब्याज आय/ एडब्ल्यूएफ
परिचालन व्यय	:	कुल ब्याज में से ब्याज व्यय घटायें
परिचालन व्यय / ए डब्ल्यू एफ	:	एडब्ल्यूएफ से परिचालन व्यय को भाग दें
आय लागत अनुपात	:	परिचालन खर्चा/ गैर ब्याज आय + ब्याज स्प्रेड
सकल लाभ / ए डब्ल्यू एफ	:	परिचालन लाभ को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
शुद्ध लाभ / ए डब्ल्यू एफ	:	शुद्ध लाभ को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
नेट वर्थ पर प्रतिलाभ	:	शुद्ध लाभ/नेट वर्थ (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि एवं अर्मूत आस्तियों को छोड़कर)
आस्तियों पर प्रतिफल	:	शुद्ध लाभ/ कुल आस्तियां
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	:	शुद्ध लाभ/एडब्ल्यूएफ
आग्रिमों पर आय	:	आग्रिमों पर अर्जित ब्याज / औसत अग्रिम
जमाराशियों की लागत	:	जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज को औसत जमाराशियों से भाग दें
लाभांश भुगतान अनुपात	:	कार्पोरेट लाभांश कर सहित लाभांश / शुद्ध लाभ (कार्पोरेट लाभांश कर सहित)
ऋण जमा अनुपात	:	कुल अग्रिम / ग्राहकों की जमाराशियां (यथा कुल जमाराशियां - अंतर बैंक जमाराशियां)
ऋण + गैर सांविधिक तरलता अनुपात निवेश (अनुषंगी ईकाइयों में निवेश को छोड़कर)		
जमाराशि अनुपात	:	कुल अग्रिम +गैर एसएलआर निवेश - अनुषंगी ईकाइयों में निवेश / ग्राहकों की जमाराशियां
प्रति कर्मचारी कारोबार	:	औसत जमाराशियां (बैंक जमाराशियों को छोड़कर) + औसत अग्रिम / कर्मचारियों की कुल संख्या
प्रति कर्मचारी सकल लाभ	:	कर्मचारियों की कुल संख्या से सकल लाभ को भाग दें
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ	:	शुद्ध लाभ / कर्मचारियों की कुल संख्या
प्रति शाखा कारोबार	:	औसत जमाराशियां (बैंक जमाराशियों को छोड़कर) + औसत अग्रिम को शाखाओं की संख्या से भाग दें
प्रति शाखा सकल लाभ	:	सकल लाभ / शाखाओं की संख्या
प्रति शाखा शुद्ध लाभ	:	निवल लाभ / शाखाओं की संख्या
प्रति शेयर आय	:	शुद्ध लाभ को इक्विटी से विभाजित कर दस से गुणा करें
प्रति शेयर बही मूल्य	:	नेट वर्थ (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि एवं अमूर्त आस्तियों को छोड़कर) को इक्विटी से विभाजित कर दस से गुणा करें.

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की 11 वीं वार्षिक साधारण सभा बुधवार, 26 जून, 2013 को शाम 3.30 बजे **रामा वाटुमल ऑडिटोरियम,** के सी कालेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020 में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी.

मद क्र. 1

दिनांक 31 मार्च 2013 के तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा, लेखों में कवर की गयी अवधि के लिए बैंक की गतिविधियों तथा कार्यकलापों पर निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करने हेतु.

मद क्र.2

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करने हेतु.

निदेशक बोर्ड के आदेश से
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

डी. सरकार

(डी सरकार)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई.
दिनांक :20 मई, 2013

नोट :

(i) **परोक्षी की नियुक्ति**

बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के हकदार शेयरधारक अपने स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु एक परोक्षी नियुक्त कर सकते हैं और आवश्यक नहीं कि ऐसा परोक्षी बैंक का शेयरधारक हो. परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए वह बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक साधारण सभा की तिथि से कम से कम **चार दिन** पूर्व अर्थात् शुक्रवार, 21 जून, 2013 की कार्य-समाप्ति अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व अवश्य प्राप्त होना चाहिए.

(ii) **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं हो सकता, जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया है, बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से **कम से कम चार दिन** पूर्व अर्थात् **शुक्रवार, 21 जून, 2013** की कार्य-समाप्ति अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा न करा दिया गया हो.

(iii) **उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र**

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ संलग्न है, शेयरधारकों / परोक्षियों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र में निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर सौंप दें. शेयरधारक के परोक्षी/ प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पर्ची पर परोक्षी या प्राधिकृत प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए.

(iv) **बुक क्लोजर**

वार्षिक साधारण बैठक के उद्देश्य एवं लाभांश की पात्रता का पता लगाने के लिए बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर शनिवार दिनांक 22 जून, 2013 से बुधवार दिनांक 26 जून, 2013 (दोनों दिन को मिलाकर) तक बंद रहेगा.

(v) **लाभांश का भुगतान**

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा यथा प्रस्तावित शेयरधारकों के लिए लाभांश का भुगतान भौतिकरूप में रखने वाले उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में दि. 26 जून, 2013 को दर्ज है तथा डिमैट शेयरों के मामलों में, दिनांक 21 जून, 2013 को कारोबार समाप्ति पर डिपॉजिटरी द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार हिताधिकारी स्वामित्व के आधार पर ही प्रस्तावित लाभांश का भुगतान किया जाएगा तथा लाभांश का भुगतान 5 जुलाई, 2013 को किया जाएगा.

(vi) **अंतरण**

अतंरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को अंतरण हेतु भेजा जाना चाहिए.

(vii) **लाभांश वारंटों में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस)/ यूनियन बैंक खाते में सीधे जमा के माध्यम से लाभांश के भुगतान के लिए बैंक खाते के ब्योरे**

बैंक, लाभांश राशि प्रत्यक्ष जमा के माध्यम से यथासंभव यूनियन बैंक खाते/ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा(एनईसीएस) सुविधा में शेयरधारकों के बैंक खातों में जमा करेगा, अतएव, शेयरधारक, जो शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रुप में रखते हैं, से अनुरोध है कि अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को अपने पते में नवीनतम परिवर्तन और बैंक आदेश के ब्योरे (नए खाते, यदि कोई, बैंक का एमआइसीआर और आइएफएससी कोड नंबर सहित) तुरंत सूचित करें ताकि प्रत्यक्ष जमा के जरिए लाभांश राशि तत्काल उनके यूनियन बैंक खाते/एनईसीएस में जमा की जा सके.डीमेट रुप में शेयर रखने वाले शेयरधारक इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स से संपर्क करें.

शेयरधारक जो अपने शेयर भौतिक रुप में रखते हैं, अपने बैंक आदेश ब्योरे बैंक के निवेशक सेवा कक्ष को या बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट को पैरा (ix)में दिए गए पते पर 21 जून 2013 तक या उससे पूर्व प्रेषित करें.

बैंक केवल, इलेक्ट्रानिक रुप में भुगतान किए जाने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध न होने की दशा में या भुगतान निदेश असफल हो जाने या बैंकर्स द्वारा निरस्त किए जाने पर ही लाभांश वारंट जारी करेगा. ऐसे मामलों में बैंक ऐसे लाभांश वारंटों पर निवेशक के बैंक खाते के ब्योरे अनिवार्यतः मुद्रित करेगा.

बैंक ब्योरे देने हेतु फार्मेट इस रिपोर्ट से संलग्न किया गया है और बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है.

(viii) अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है.

ऐसे शेयरधारकों, जिन्होंने पिछली अवधियों के अपने लाभांश वारंट, यदि कोई हैं, का नकदीकरण नहीं कराया है या लाभांश प्राप्त नहीं किया है, से अनुरोध है कि वे डुप्लीकेट लाभांश वारंट जारी करने के लिए बैंक शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें. संबंधित क्षतिपूर्ति बांड बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है.

बैंक कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण अधिनियम 1970) में धारा 10बी के अनुसार 7 वर्ष की अवधि के अप्रदत्त या अदावाकृत रहने वाली लाभांश की राशि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी के अधीन केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जानी अपेक्षित है तथा उसके उपरांत लाभांश के भुगतान के संबंध में बैंक या आईईपीएफ को किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जाएगा.

(ix) पते / बैंक ब्यौरों / बैंक खाता मैन्डेट में परिवर्तन की सूचना :

(क) जिनके पास भौतिक रुप में शेयर उपलब्ध हैं :

जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रुप में शेयर मौजूद हें, उनसे अनुरोध है कि उनके पंजीकृत पते और / या बैंक खाते में यदि कोई परिवर्तन हो तो वे इसकी सूचना बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को निम्न पते पर दें :

डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि.,
यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्लॉट क्र. बी 5
पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल
अंधेरी (पूर्व)
मुंबई - 400 093

(ख) जिनके पास डीमैट रुप में शेयर उपलब्ध हैं :

डिमैट रुप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि उनके पंजीकृत पते तथा बैंक मैनडेट / ब्यौरे में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में उसकी सूचना केवल अपने डिपॉजिटरी सहभागी(गियों) को दें.

(x) निवासी स्थिति में परिवर्तन

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के बारे में बैंक के शेयर अंतरण एजेंट डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि. को तत्काल सूचित करें.

ए. स्थायी निवास हेतु भारत वापसी पर निवासी स्थिति में परिवर्तन.

बी. भारत में संचालित बैंक खाते का पूर्ण विवरण यथा पूरा नाम, शाखा, खाते का स्वरुप, खाता संख्या तथा बैंक का पता, पिन कोड आदि यदि पहले नहीं दिया गया हो.

(xi) फोलियो का समेकन

एक से अधिक खाते में एक जैसे नाम से या नामों से उसी क्रम में संयुक्त नाम से भौतिक रुप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उन सभी शेयरों का एक ही खाते में समेकन करने हेतु अपने शेयर प्रमाणपत्र बैंक के शेयर अंतरण एजेंट डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि.को प्रेषित करें.

(xii) शेयरधारक / परोक्षीधारक / प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वार्षिक साधारण सभा में आते समय वे अपने साथ वार्षिक रिपोर्ट तथा नोटिस की प्रतियां साथ लाएं.

(xiii) शेयरधारक अपने लेखों पर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हों तो उनसे अनुरोध है कि वे बैंक को लिखें, जो वार्षिक साधारण बैठक की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले प्राप्त हो जाना चाहिए ताकि प्रबंधन वह सूचना तैयार रख सके. उत्तर केवल वार्षिक साधारण सभा में ही दिये जाएंगे.

निदेशक बोर्ड के आदेश से
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

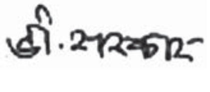

स्थान : मुंबई.
दिनांक : 20 मई, 2013

(डी. सरकार)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारक,

निदेशक मंडल को 2012-13 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लेखापरीक्षित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा, नकदी प्रवाह विवरण और प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण पर रिपोर्ट सहित आपके बैंक की 94वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष है. कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट भी वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है.

1. **परिदृश्य**

1.1 वर्ष के दौरान बैंक का कार्य निष्पादन ग्राहक केंद्रित पहलों से संचालित हुआ है. कारोबार में गुणात्मक वृद्धि, उत्पादक क्षेत्र को उधारी एवं आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आपके बैंक ने एक बार पुन: प्रमुख कारोबारी पैरामीटरों में अच्छा कार्य निष्पादन किया है. कारोबारी लक्ष्यों और मानव संसाधन प्रैक्टिस का समन्वय कर बैंक द्वारा लागू की गई मानव संसाधन रुपान्तरण पहल से बैंक की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

1.2 आपके बैंक ने घरेलू एवं वैश्विक दोनों ही अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना सही तरह से किया है. बैंक की कारोबारी रणनीतियां कारोबार के चुनिंदा क्षेत्रों जैसे कोर एवं रिटेल कारोबार, सार्थक वित्तीय समावेशन एवं सिस्टम एवं नियंत्रण को मजबूत बनाने आदि जैसी गतिविधियों के इर्द-गिर्द ही रहीं.

1.3 बैंक योजनाबद्ध प्रगति, नई तकनीकों के साथ ग्राहकों तक पहुंचने के नए तरीके विकसित करने और ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दे रहा है. आपके बैंक ने वैश्विक बाजार में अपने पैर जमाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की दूसरी ओवरसीज़ शाखा ने दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी), दुबई में काम करना आरंभ कर दिया है.

1.4 कारोबार निष्पादन की प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

तालिका - 1: विशिष्ट वित्तीय कार्यनिष्पादन

(₹ करोड़ में)

	वि. व. 2012	वि. व. 2013	वार्षिक परिवर्तन
कुल कारोबार	403900	475673	17.77%
कुल ब्याज आय	6793	7543	11.04%
परिचालन लाभ	5254	5583	6.26%
प्रावधान	3467	3425	-1.22%
शुद्ध लाभ	1787	2158	20.76%
शुद्ध ब्याज आय (एनआईएम)	3.16%	2.96%	-20आधार बिंदु
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	11.85%	11.45%	-40आधार बिंदु
प्रति कर्मचारी सकल लाभ (₹ लाख में)	17.04	17.56	3.05%
लाभांश (₹ प्रति शेयर)	8.0	8.0	कोई परिवर्तन नहीं
प्रति शेयर बही मूल्य	237.48	264.37	11.32%

2. **कारोबार**

2.1 बैंक का वैश्विक कारोबार 17.77% की वार्षिक वृद्धि के साथ 31 मार्च 2013 को ₹ 4,75,673 करोड़ रहा,

2.2 बैंक की कुल जमाराशियां 18.35% की वार्षिक वृद्धि के साथ 31 मार्च 2013 को ₹ 2,63,762 करोड़ और बैंक की कुल अग्रिम 17.06% की वार्षिक वृद्धि के साथ 31 मार्च 2013 को ₹ 2,11,911 करोड़ रहे.

2.3 बैंक का वैश्विक कारोबार 51.90% की वार्षिक वृद्धि के साथ 31 मार्च 2013 को ₹ 15,780 करोड़ पहुंच गया. इसमें जमाराशियां 31 मार्च 2012 के ₹ 1,207 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2013 को ₹ 2,763 करोड़ जबकि अग्रिम 31 मार्च 2012 के ₹ 9,181 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2013 को ₹ 13,017 करोड़ हो गया.

3. **आय :**

3.1 बैंक की कुल आय वित्तीय वर्ष 2011-12 के ₹ 23,476 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 27,677 करोड़ हो गई, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 17.89 प्रतिशत रही. वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक के अग्रिमों पर आय का प्रतिशत 11.05 रहा, जबकि निवेशों पर आय 7.38 प्रतिशत दर्ज की गई. वित्तीय वर्ष 2012-13 में बैंक की कुल निधियों से प्राप्त आय 9.19 प्रतिशत रही.

3.2 बैंक की शुद्ध ब्याज आय वर्ष 2011-12 के ₹ 6,793 करोड़ में 11.04% की वार्षिक वृद्धि के साथ वर्ष 2012-13 में ₹ 7,543 करोड़ हो गयी. शुद्ध ब्याज आय की पिछले तीन वर्षों में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 21.63% रही.

3.3 गैर ब्याज आय 2011-12 के ₹ 2,448 करोड़ में 4.24% की वार्षिक बढ़त के साथ 2012-13 में ₹ 2,552 करोड़ हो गई. राइट ऑफ खातों में पिछले वित्तीय वर्ष के ₹ 354 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 324 करोड़ की वसूली हुई. कोर फी आधारित आय वित्तीय वर्ष 2011-12 के ₹ 1,392 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 1,421 करोड़ हो गई.

तालिका - 2 : गैर ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष -12	वित्तीय वर्ष -13	वर्षिक वृद्धि
1. कोर गैर ब्याज आय	1392	1421	2.09%
2. ट्रेज़री आय	702	807	14.87%
जिसमें से,			
- निवेश की बिक्री से लाभ	441	477	8.28%
- विनिमय लाभ	261	329	25.97%
3. राइट-ऑफ खातों में वसूली	354	324	(-)8.40%
4. कुल गैर ब्याज आय (1+2+3)	2448	2552	4.24%

4. **व्यय**

4.1 बैंक के कुल व्यय वित्तीय वर्ष 2011-12 में ₹ 18,222 करोड़ थे, जो वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 21.25% की वार्षिक बढ़त के साथ ₹

22,094 करोड़ हो गए. स्थापना व्यय वर्ष 2011-12 के ₹ 2,479 करोड़ से 11.13 प्रतिशत बढ़कर कर वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 2,755 करोड़ हो गए. वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक के कर्मचारियों के लंबित वेतन समझौते के पेटे ₹ 75 करोड़ का प्रावधान किया गया.

4.2 ब्याज व्यय ₹ 14235 करोड़ में 39.07% की वृद्धि के साथ ₹ 17582 करोड़ हो गया, जिसका प्रमुख कारण वित्तीय बाजार में सख्त तरलता स्थिति रहने एवं उच्च नीतिगत दरों के कारण जमाराशियों की लागत का पिछले वर्ष के 6.93% की तुलना में 7.38% हो जाना रहा. तदनुसार, निधियों की लागत भी पिछले वर्ष के 6.33% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2012-13 में 6.43% हो गई.

तालिका - 3 : परिचालन व्यय

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष -12	वित्तीय वर्ष -13	वृद्धि %
कुल परिचालन व्यय	3987	4512	13.17%
जिसमें से:			
स्टाफ व्यय	2479	2755	11.13%
अन्य परिचालन व्यय	1508	1757	16.51%

4.3 बड़ी संख्या में नई शाखाएं खोलने, लंबित वेतन समझौते एवं पेशन देयताओं के भुगतान हेतु प्रावधानों के चलते लागत आय अनुपात पिछले वित्त वर्ष के 43.15 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर वित्तीय वर्ष 2012-13 में 44.70 प्रतिशत हो गया.

5. लाभप्रदता :

5.1 ब्याज आय में बढ़ोत्तरी एवं परिचालन व्यय में नियंत्रण के कारण बैंक का परिचालन लाभ पिछले वर्ष के ₹ 5254 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012-13 में बढ़कर ₹ 5583 करोड़ हो गया.

5.2 शुद्ध लाभ वित्तीय वर्ष 2013 में ₹ 2158 करोड़ रहा. शुद्ध लाभ में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012-13 में 20.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

5.3 शुद्ध आय मार्जिन (एनआईएम) पिछले वर्ष के 3.16 प्रतिशत के पेटे वित्तीय वर्ष 2013 में 2.96 प्रतिशत रहा. औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ वर्ष 2012-13 में पिछले वर्ष के 0.79 प्रतिशत पर ही बरकरार रहा.

चार्ट -1 : परिचालन लाभ एवं शुद्ध लाभ

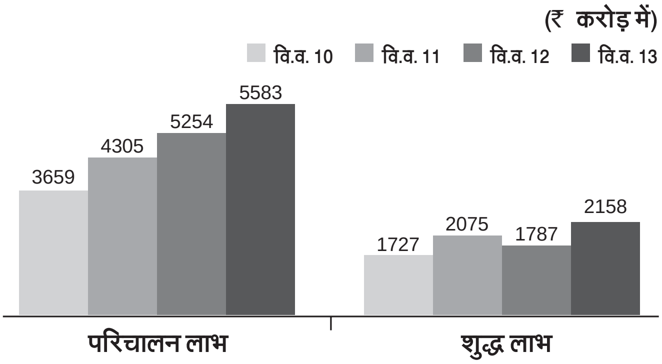

6. उत्पादकता अनुपात

6.1 वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान औसत प्रति कर्मचारी कारोबार ₹ 1215 लाख तक बढ़ गया और इसमें 13.55 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ 17.07 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान ₹ 6.79 लाख हो गया.

6.2 वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान प्रति शाखा औसत कारोबार एवं प्रति शाखा शुद्ध लाभ में क्रमश: 6.73 प्रतिशत एवं 10.08 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई.

तालिका 4: उत्पादकता अनुपात

(₹ लाख में)

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 12	वित्तीय वर्ष 13	वार्षिक वृद्धि
प्रति कर्मचारी औसत कारोबार	1070	1215	13.55%
प्रति शाखा औसत कारोबार	10311	11005	6.73%
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ	5.80	6.79	17.07%
प्रति शाखा शुद्ध लाभ	55.83	61.46	10.08%

7. लाभांश

7.1 आपके निदेशकों को वर्ष 2012-13 के दौरान 80% अर्थात् ₹ 10/- प्रति शेयर के बही मूल्य पर ₹ 8.00 प्रति शेयर लाभांश संस्तुत करते हुए हर्ष है. लाभांश को वित्तीय वर्ष 2011-12 के बराबर रखा गया है.

8. शेयरधारकों को प्रतिफल

8.1 बैंक की नेटवर्थ पिछले वर्ष के ₹ 13075 करोड़ से 20.66% बढ़कर वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान ₹ 15777 करोड़ हो गई. इस प्रकार प्रति शेयर बही मूल्य पिछले वर्ष के ₹ 237.48 से बढ़कर ₹ 264.37 हो गया. प्रति शेयर आय पिछले वर्ष के ₹ 34.07 की तुलना में ₹ 38.93 रही. इक्विटी पर प्रतिफल पिछले वर्ष के 13.67% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013 में 13.68% रहा.

9. रेटिंग एवं पूंजी संवर्धन

9.1 विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा बैंक की टीयर I तथा टीयर II पूंजी को समय से वित्तीय अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में सर्वाधिक सुरक्षित माना गया है और इन विलेखों को न्यूनतम क्रेडिट जोखिम में शामिल किया जाता है.

तालिका - 5 : बांड की रेटिंग

रेटिंग एजेंसी	शाश्वत	अपर टायर II Bonds	लोअर टायर II Bonds
क्रिसिल	AAA	AAA	AAA
इकरा	AA	-	AA+
केयर	AA+	AAA	AAA
फिच	AA(Ind)	AA(Ind)	AA+(Ind)
ब्रिकवर्क	AAA	AAA	AAA

9.2 वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने ₹ 800 करोड़ के बेजमानती रीडिमेबल कन्वर्टिबल सबार्डिनेट लोअर टीयर II बांड जारी किए.

9.3 बैंक ने भारत सरकार को ₹ 10/- के इक्विटी शेयर ₹ 230.89 के प्रति शेयर प्रीमियम पर 4,62,45,174 इक्विटी शेयर ₹ 1114 करोड़ में आबंटित किए. इस प्रकार बैंक की सरकारी शेयरधारिता 31 मार्च, 2012 के 54.35% से बढ़कर 31 मार्च, 2013 को 57.89% हो गई.

10. पूंजी पर्याप्तता अनुपात :

10.1 31 मार्च 2013 को बासल II के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 11.45% रहा, जो 9% के नियामक बेंचमार्क से काफी अधिक है. टीयर I सीएआर 8.23% एवं टीयर II 3.22% रहा.

तालिका 6 : पूंजी पर्याप्तता अनुपात

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 12	वित्तीय वर्ष 13
कुल जोखिम भारित आस्तियां	168178	203927
पूंजी निधि	19926	23341
टायर - I पूंजी	14081	16785
सी ए आर बासल -II	11.85%	11.45%
टीयर - I	8.37%	8.23%
टीयर - II	3.48%	3.22%

11. डिलीवरी चैनल

11.1 आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान भारत में 309 एवं दुबई में एक विदेशी शाखा खोली. यह बैंक द्वारा किसी एक वर्ष के दौरान खोली गई शाखाओं की सर्वाधिक संख्या है. 309 घरेलू शाखाओं में 232 (75 प्रतिशत) शाखाएं ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में खोली गईं. बैंक ने टीयर 5 एवं 6 केंद्रों पर भारिबैं के अनिवार्य 25% शाखाएं खोलने की आवश्यकता के पेटे ऐसे केंद्रों पर 33% शाखाएं खोलीं. जिसके परिणामस्वरुप, 31 मार्च 2012 के 3201 शाखाओं की तुलना में 31 मार्च 2013 को दो विदेशी शाखाओं सहित 3511 हो गई. आपके बैंक ने मिज़ोरम राज्य में पहली शाखा आइज़ोल में खोली.

11.2 31 मार्च 2012 के 3801 एटीएम की तुलना में 31 मार्च 2013 को एटीएम की संख्या 4603 हो गई अर्थात् वर्ष के दौरान 802 नए एटीएम खोले गए. शाखाओं की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान एटीएम का अनुपात सुधरकर 1.31 हो गया, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में श्रेष्ठतम में से एक है. बैंक ने मार्च 2013 के अंत तक 100 बोलने वाले एटीएम खोल लिए हैं. बैंक द्वारा आंरभ किया गया बोलने वाला एटीएम सॉल्यूशन भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा दृष्टिबाधित लोगों के लिए मानक एटीएम सॉल्यूशन के रुप में स्वीकार किया गया है.

11.3 आपका बैंक भारत में रुपे कार्ड जारी करने वाले बैंकों के प्रथम समूह में से एक है. अब बैंक के सभी एटीएम रुपे कार्ड को स्वीकार करते हैं. रुपे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लि.(एनपीसीआई) द्वारा स्थापित भारतीय घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क है. बैंक ने चुनिंदा शाखाओं में बंच नोट स्वीकार करने वाली मशीनें भी लगाई हैं.

11.4 आपका बैंक अपने प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नेशनल इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) की शुरुआत करने वाला पहला बैंक हैं. बैंक ने जनवरी 2013 से स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मेसेजिंग सिस्टम (एसएफमएस) के माध्यम से ऑन लाइन साख पत्र जारी करना एवं प्राप्त करना आरंभ कर दिया है. सभी शाखाओं को ऑन लाइन साख पत्र जारी करने एवं प्राप्त करने की सुविधा प्रदान कर दी गई है.

11.5 लेनदेनों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए बैंक ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) सिस्टम की गणन क्षमता को बढ़ा दिया है. मिडिलवेयर के माध्यम से बैंक ने विदेशी आवक प्रेषण, ट्रेज़री, एचआरएम सॉल्यूशन, स्विफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी, ऑनलाइन ट्रेडिंग आदि कार्यों को सीबीएस से जोड़ दिया है, जिससे सामान्य गति से लेनदेन किए जा सकें.

11.6 इलेक्ट्रानिक चैनेलों के माध्यम से होने वाले लेनदेन 31 मार्च, 2012 के 54.75% की तुलना में 31 मार्च, 2013 को 60.02% हो गए.

11.7 आपके बैंक ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) को सफलतापूर्वक ऑफ-यूएस- मोड में क्रियान्वित कर दिया है.

11.8 बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एवं सभी चैनलों में आने वाली शिकायतों के मूल कारणों को सुव्यवस्थित रुप से हटाने हेतु मुंबई में एक ग्राहक सेवा इकाई की स्थापना की है. इसमें सभी चैनेलों से प्राप्त शिकायतों को एकीकृत करने के लिए इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट टूल (आईसीएमटी) का प्रयोग किया जाता है.

12. पुरस्कार एवं सम्मान

12.1 आपके बैंक को वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान श्रेष्ठ एवं बहुमुखी कार्यनिष्पादन, योग्य प्रबंधन और उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं.

12.2 आपके बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी. सरकार को स्कॉच कंसल्टेंसी सर्विसेज़ द्वारा उनके वित्तीय समावेशन अवार्ड 2013 के एक भाग के रुप में "बैंकर ऑफ द ईयर" पुरस्कार से नवाज़ा गया. बैंक को भारतीय बैंक संघ से वित्तीय समावेशन के लिए 2012 का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ.

12.3 डा. डी. सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के केरल राज्य के एक अग्रणी जिले एर्णाकुलम को देश का पहला "सार्थक वित्तीय समावेशन" जिला घोषित किया गया. इस प्रोजेक्ट में, बैंक ने केवल खाता खोलने के बजाए "आवश्यकता" का पता लगाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया. समुदाय आधारित संगठनों की मदद से बैंक ने अपने ग्राहकों को बचत एवं ऋण की आवश्यकता बताई. इससे बैंक को मोबाइल बैंकिंग एवं काफी मात्रा में सक्रिय खातों की संख्या बढ़ाने में मदद मिली.

12.4 बैंक को मुंबई में आयोजित आईबीए बैंकिंग टेक्नालाजी अवार्ड में निम्नलिखित संवर्गों में चार पुरस्कार प्राप्त हुए:

12.4.1 सर्वश्रेष्ठ वित्तीय समावेशन पहल

12.4.2 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेक्नालाजी बैंक

12.4.3 बैंकिंग में मोबाइल टेक्नालाजी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग

12.4.4 बिज़नेस इंटेलीजेंस का सर्वश्रेष्ठ उपयोग

12.5 बैंक को एटीएम के माध्यम से तीन धनप्रेषण उत्पादों यथा नेफ्ट, आईएमपीएस एवं यूनियन ईकैश के कार्यान्वयन के लिए प्रतिष्ठित एसीआई एक्सेलेंस अवार्ड 2012 प्राप्त हुआ. यह एसीआई वर्ल्डवाइड इंक द्वारा दिया जाने वाला एक वैश्विक अवार्ड है, जो भुगतान प्रणाली

में प्रयुक्त साफ्टवेयरों के नवोन्मेषी प्रयोग के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किये जाते हैं.

12.6 बैंक को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया से भी प्रतिष्ठित आईटी इनोवेशन अवार्ड प्राप्त हुआ. बैंक को यह अवार्ड दृष्टिबाधितों के लिए टॉकिंग एटीएम स्थापित करने के लिए दिया गया. यह सॉल्यूशन सभी बैंक ग्राहकों को जारी सामान्य डेबिट कार्ड पर भी कार्य करता है.

12.7 बैंक को एनपीसीआई से नेशनल फाइनेंशियल स्विच में परिचालनात्मक उत्कृष्टता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र संवर्ग में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार प्राप्त हुआ है. ये पुरस्कार एनसीपीआई द्वारा एटीएम के परिचालन में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं, जिनमें विवाद प्रबंधन, नेटवर्क अपटाइम, लेनदेन निरस्त होने पर नियंत्रण, डी आर ड्रिल्स आदि शामिल हैं.

12.8 बैंक को वर्ष 2010-11 के लिए माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड प्रदान की.

12.9 बैंक की गृह पत्रिका "यूनियन धारा" को एबीसीआई वार्षिक पुरस्कार 2012 में प्रतिष्ठित "चैंपियन ऑफ द चैंपियंस ट्राफी" प्रदान की गई. यूनियन धारा को आंतरिक संवाद हेतु विशेष कॉलम (अंग्रेजी), आंतरिक पत्रिका, द्विभाषिक पत्रिका, फीचर (भाषा), फोटो फीचर एवं फोटोग्राफी जैसे विभिन्न संवर्गों के अधीन 1 स्वर्ण, 3 रजत एवं 2 कांस्य सहित 6 पुरस्कार प्राप्त हुए.

13. निदेशक

13.1 वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, आपके बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

13.1.1 श्री डी. सरकार भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा से 9 की उपधारा 3 (ए) के अधीन दिनांक 1 अप्रैल 2012 से श्री एम. वी. नायर के स्थान पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नामित किए गए, जिनका कार्यकाल दिनांक 31.03.2012 को सेवानिवृत्त होने के कारण समाप्त हुआ.

13.1.2 डा. ए. भट्टाचार्या, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा से 9 की उपधारा 3 (बी) के अधीन दिनांक 20 जुलाई 2012 से भारत सरकार द्वारा श्री राजेश खुल्लर के स्थान पर केन्द्रीय सरकार के गैर-पूर्णकालिक अधिकारी के रुप में नामित किए गए.

13.1.3 26 जून 2012 को शेयरधारकों की वार्षिक साधारण बैठक में श्री आर. एच. ढोलकिया, श्री जी. के. लाठ एवं श्री डी. चटर्जी को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा से 9 की उपधारा 3 (i) के अधीन दिनांक 27 जून 2012 से 3 वर्षों के लिए श्री एम. एस. श्रीराम, श्री एस. रवि एवं श्री ए. के. नन्दा के स्थान पर शेयरधारक निदेशक के रुप में चुना गया.

13.1.4 श्री के. सुब्रम्हण्यम को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा से 9 की उपधारा 3 (ए) के अधीन दिनांक 21 जनवरी 2013 से श्री एस. एस. मूंदड़ा के स्थान पर कार्यपालक निदेशक के रुप में निदेशक मंडल में चुना गया, जिन्हें उसी दिन से बैंक ऑफ बडौदा का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया.

13.2 31 मार्च 2013 के बाद श्री एस. के. मिश्रा एवं सुश्री ए. शर्मा को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा से 9 की उपधारा 3 (एच) के अधीन क्रमश: दिनांक 11 अप्रैल 2013 एवं 6 मई 2013 से अंशकालिक गैर-अधिकारिक निदेशक के रुप में नामित किया गया. इसके साथ ही, श्री बी.एम. शर्मा का कार्यकाल दि. 15 अप्रैल 2013 को समाप्त हो गया.

13.3 नए निदेशकों का स्वागत करते हुए बोर्ड श्री राजेश खुल्लर, श्री एस. एस. मूंदड़ा, श्री एस. एस. श्रीराम, श्री ए. के. नंदा, श्री. बी. एम. शर्मा एवं श्री एस. रवि द्वारा दी गई बहुमूल्य सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करता है.

14 निदेशकों के उत्तरदायित्व पर टिपपणी :

14.1 निदेशकों द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के वार्षिक खाते तैयार करते समय :

14.1.1 लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है एवं निर्धारित लेखा मानकों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया है.

14.1.2 लेखानीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई हैं एवं उनका अक्षरश: अनुपालन किया गया है.

14.1.3 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक की सही और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए समंचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं.

14.1.4 भारत में बैंकों पर लागू कानूनों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाबहियों के रखरखाव हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है और

14.1.5 खाते निरंतर कारोबार सिद्धांत के आधार पर बनाए गए हैं.

15. कार्पोरेट गवर्नेंस :

15.1 बैंक का निदेशक मंडल श्रेष्ठ कारपोरेट गर्वेनेंस पद्धतियों को पूरी तरह लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. कारपोरेट गवर्नेंस पर एक विस्तृत रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के अलग खंड में दी गयी है. वर्ष 2012-13 की कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पर लेखा परीक्षा की कोई अभ्युक्ति शेष नहीं है.

16. कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व :

16.1 आपका बैंक सामुदायिक और सामाजिक विकास के द्वारा कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के उद्देश्यों को पूरा करने कि प्रति वचनबद्ध है. बैंक ने अपने सीएसआर पहल के क्रियान्वयन के लिए यूनियन बैंक फाउंडेशन इस्ट की स्थापना की है, जो इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है. इस ट्रस्ट के माध्यम से बैंक विभिन्न विकासात्मक पहलों के द्वारा जन सशक्तीकरण में लगा है.

16.2 बैंक ने पूरे देश में 202 ग्राम ज्ञान केंद्रों (वीकेसी) की स्थापना की है. प्रत्येक ग्राम ज्ञान केन्द्र विभिन्न विकासकारी संस्थाओं / सरकारी विभागों के समन्वयन से गांव के संपूर्ण विकास में मददगार होता है और कृषकों को खेती की विधियां तकनीक, उर्वरकों का उचित उपयोग, कीटकनाशकों आदि में नवीनतम विकास के बारे में ज्ञान संवर्धन करता है.

16.3 बैंक देशभर में 150 गांवों के अंगीकरण के जरिये विभिन्न गतिविधियां कर रहा है और यूनियन आदर्श ग्राम योजना के नाम से एक विशेष योजनान्तर्गत इन गांवों के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहा है. बैंक अंगीकृत गांवों में पीने के पानी की आपूर्ति, स्वच्छता और प्रकाश जैसी विभिन्न विकासकारी गतिविधियां कर रहा है. उक्त आदर्श गांवों में, बैंक ने विद्यालय में कन्याओं का नामांकन बढ़ाने की पहल के रुप में 150 बालिकाओं का अंगीकरण किया है.

16.4 आपके बैंक ने देश भर में 14 आर-सेटी एवं 16 एफएलसीसी बनाएं हैं. ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर सेटी) और वित्तीय साक्षरता एवं ऋण काउंसिलिंग केन्द्र (एफ एल सी सी) जरुरतमंद लोगों को वित्तीय साक्षरता, परामर्श और प्रशिक्षण देते हैं, ताकि वे स्वावलंबी बनें. इन आर-सेटी के माध्यम से 28522 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं 18709 हितग्राहियों ने रोजगार आरंभ किया.

16.5 वर्ष 2012-13 के दौरान, आप के बैंक ने दान पर ₹ 1,23,99,700 खर्च किए, जिसमें आपदा ग्रस्त आसाम राज्य के मुख्य मंत्री राहत कोष में ₹ 25,00,000 का दान, कैंसर राहत कोष में ₹ 6,89,700, दो भोजन वितरण वाहनों की खरीद के लिए ₹ 28,00,000 और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सौर ऊर्जा लाइटों की स्थापना के लिए नेशनल चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी (एनसीडब्ल्यूएस) को ₹ 26,25,000 का दान शामिल हैं.

17. आभार :

17.1 निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिये आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल वित्तीय संस्थाओं, संपर्की बैंकों के प्रति भी उनके सहयोग और समर्थन के लिये आभारी है. बोर्ड अपने ग्राहकों, शेयरधारकों एवं अन्य स्टेकधारकों के निरंतर सहयोग के लिये आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन के लिये स्टाफ-सदस्यों की समर्पित सेवा और उनके योगदान की सराहना करता है.

निदेशक मंडल के लिये तथा की ओर से,

स्थान : मुंबई — **(डी. सरकार)**
दिनांक : 9 मई, 2013 — **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**

प्रबंधकीय परिचर्चा और विश्लेषण

1. वृहद आर्थिक व बैंकिंग परिदृश्य

1.1. वैश्विक अर्थव्यवस्था:

1.1.1. कैलेंडर वर्ष 2012 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी गिरावट के दौर से गुजरी है. सकल घरेलू उत्पाद पिछले साल के 4 प्रतिशत के स्तर से कम होकर 3.2 प्रतिशत के स्तर पर आ गया. विश्वव्यापी आर्थिक सुधार की संभावनाओं के बावजूद वर्ष 2013 में गिरावट की जोखिम बढ़ती जा रही है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य संबंधी अपने नवीनतम अध्ययन में वर्ष 2013 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि की दर थोड़ा बेहतर 3.3 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है, जो वर्ष 2014 में 4.0 प्रतिशत तक हो सकती है. उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बारे में उत्साही होने के साथ मुद्रा कोष ने विकसित अर्थव्यवस्थाओं में विकास की दिशा के बारे चेतावनी दी है. यू एस में 2013 में विकास दर 1.9 प्रतिशत रहने और 2014 में 3.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है. इसके विपरीत यूरो क्षेत्र की विकास दर 2013 में -0.3 प्रतिशत रहने और 2014 में 1.1 रहने की उम्मीद है. साइप्रस के घटना क्रम, इटली के राजनीतिक घटनाक्रम यूरो क्षेत्र की उथल-पुथल और अनिश्चितताओं, अमेरिका और जापान का उच्च वित्तीय घाटा और ऋणग्रस्तता के कारण जोखिम का वातावरण बना हुआ है.

1.1.2. यूरोप के नीति निर्माताओं की सुदृढ़ कार्रवाई की बदौलत वित्तीय हालात और विश्वास में सुधार हुआ है. यद्यपि अमेरिकी नीति निर्माता वित्तीय गिरावट को रोकने में सफल रहे हैं, लेकिन अन्य अल्पकालीन वित्तीय जोखिमों का समाधान ढूंढ़ने में उनको सफलता नहीं मिली है. जापान ने आशातीत मंदी को थामने के लिये अधिक विस्तारवादी वृहद आर्थिक नीतियों का अनुसरण किया है. प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में नीति दरों में कमी से आंतरिक मांग में वृद्धि हुई है. यूरो क्षेत्र में, अमेरिकी डालर के मूल्य और यूरो की ब्याज दर में कमी से कंपनियों को विदेशी मुद्रा ऋण में वृद्धि करना लाभप्रद लगा. प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थों में पालिसी ब्याज दर कम रहने की भविष्यवाणी की गई है कि बैंक उधारी में धीरे-धीरे वृद्धि होगी. केन्द्रीय बैंक ने 2012 की आर्थिक मंदी का सामना करने के लिये अपनी नीतिगत दरों को स्थिर रखा या उनमें थोड़ी कटौती की.

1.1.3 व्यापार और वित्त चैनलों के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्ता से बढ़ते एकीकरण से भारत की विकास संभावनाएं वैश्विक उत्पादन विषमताओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकतीं.

1.2. आंतरिक अर्थव्यवस्था :

1.2.1. विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल, बाहरी मांग में कमी और वित्तीय बाजार की उथलपुथलता ने 2012-13 में भारत के जीडीपी वृद्धि को प्रभावित किया. भारतीय रिजर्व बैंक की आशा से अधिक स्तर पर पपरलगातार मुद्रास्फीति बने रहने, वित्तीय और चालू दोनों खातों में बड़ी मात्रा में घाटा रहने और निवेश के माहौल में मंदी के कारण विकास दर प्रभावित हुई.

1.2.2. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत की वार्षिक जीडीपी विकास दर पिछले वर्ष की 6.2 प्रतिशत से कम होकर इस वित्त वर्ष में 5.0 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है. विकास दर की कमी का प्राथमिक कारण कृषि और सेवा क्षेत्र के उत्पादन में कमी तथा औद्योगिक क्षेत्र में मंदी रहना है. कृषि क्षेत्र में विकास दर में कमी का बड़ा कारण अपर्याप्त वर्षा होना था और उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में धीमेपन का कारण घरेलू नीतियों में अनिश्चितता, मौद्रिक नीति में सख्ती का असर तथा विदेशी मांग में कमी होना है. सेवा क्षेत्र की गिरावट "व्यापार, होटल, परिवहन और संचार" तथा "वित्त, बीमा, रीयल स्टेट और कारोबारी सेवाओं" में परिलक्षित हुई. संचार क्षेत्र जैसी समस्याओं ने मंदी की स्थिति को और बिगाड़ने का काम किया.

चार्ट 2: जीडीपी विकास दर में प्रत्येक सैक्टर का योगदान (%)

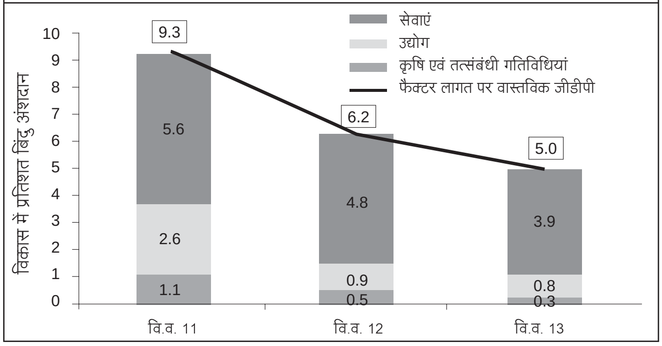

1.2.3. **विदेशी क्षेत्र:** सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से चालू खाते में घाटे का अनुपात 2012-13 की तीसरी तिमाही में 6.7 प्रतिशत की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचने के कारण व्यापार असंतुलन चर्चा का विषय बना था. लेकिन चालू खाते के घाटे की भरपाई पूंजी के प्रवाह से हो गयी और विदेशी मुद्रा कोष पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं हुआ. तेल और सोने से इतर वस्तुओं के आयात में कमी आयी लेकिन तेल और सोने के आयात ने व्यापार घाटे को बढ़ाया. इस सबके बाद भी पूंजी आगमन के कारण भुगतान संतुलन थोड़ा सकारात्मक रहा जिसमें प्रमुख योगदान विदेशी संस्थागत निवेशकों का था. वित्त वर्ष 2012-

13 में भारत का निर्यात 1.8 प्रतिशत कम होकर 301 बिलियन अमेरिकन डालर रह गया. वित्त वर्ष 2012-13 में आयात में 0.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई और यह 492 बिलियन अमेरिकी डालर रहा. वित्त वर्ष 2012-13 में व्यापार घाटा पिछले वर्ष की इसी अवधि के 183 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 191 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया.

तालिका -3 : जीडीपी में चालू खाता घाटे का अनुपात (%)

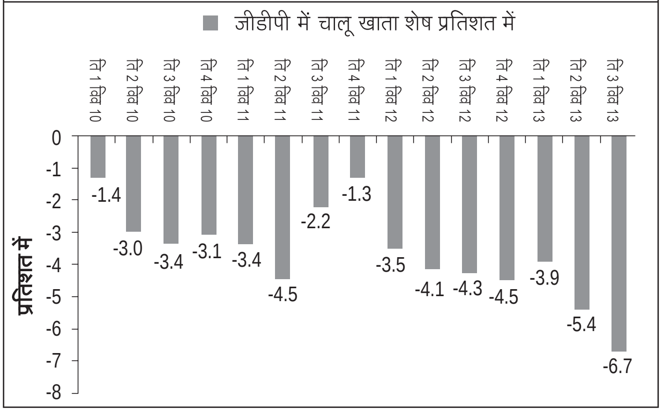

1.2.4 मुद्रा स्फीति: सामान्य स्फीति कारक दबाबों में शिथिलता के कारण आंतरिक हेडलाइन मुद्रास्फीति संतुलित रही. वर्ष 2012-13 की पहली छमाही में 7.5-8.1 के बीच रहने के बाद मार्च 2013 में हेडलाइन मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के 6.8 प्रतिशत के अनुमान के विपरीत 6.0 प्रतिशत (अनंतिम) रही. वित्त वर्ष 2012-13 की चौथी तिमाही में हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी होना उल्लेखनीय है. एक ओर जहां जिन्सों की कीमत में विश्वव्यापी गिरावट और विदेशी मुद्रा दरों में सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव से मुद्रास्फीति में कमी आयी वहीं दूसरी ओर इसका प्रभाव विकास दर में कमी और फर्मों की मूल्य तय करने की क्षमता में कमी तथा मुद्रा स्फीति कम करने के मौद्रिक नीति उपायों पर भी परिलक्षित हुआ.

तालिका -4: थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति में प्रत्येक सैक्टर की हिस्सेदारी (%)

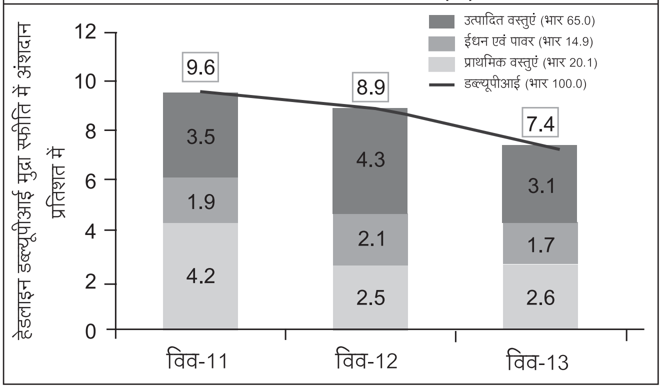

1.2.5 भारतीय रिजर्व बैंक की नीति : भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत रूपरेखा में विकास के समक्ष जोखिम का समाधान, स्फीतिकारक दबावों के पुनः उभार से बचाव करना, चालू खाते के घाटे की जोखिम से सतर्क रहना और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र को पर्याप्त ऋण प्रवाह के लिये तरलता बनाये रखना शामिल है. इसी नीति के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने रीपो दर में अप्रैल-मार्च 2012-13 में संचयी आधार पर 100 आधार अंक की कमी की तथा नकदी आरक्षित अनुपात संचयी आधार पर 75 आधार अंक कम किया.

तालिका -5: पालिसी दरों में परिवर्तन (%)

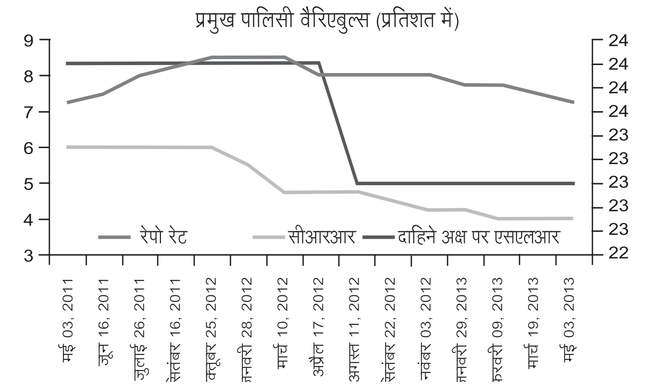

1.2.6 वित्तीय बाजार:

1.2.6.1 तरलता स्थिति: वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान वर्ष के अधिकांश समय ऋण जमा अनुपात ऊंचा बने रहने और भारतीय रिजर्व बैंक के पास सरकारी नकदी जमा रहने के कारण तरलता में कमी ही बनी रही. वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान तरलता समायोजन सुविधा के अंतर्गत औसत निवल राशि 86600 करोड़ का निवेश रहा. अर्थ तंत्र में तरलता को बेहतर बनाने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी आरक्षित अनुपात में कमी की तथा वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान खुले बाजार परिचालन के जरिये 154600 करोड़ की राशि का निवेश किया.

तालिका -6: तरलता स्थिति

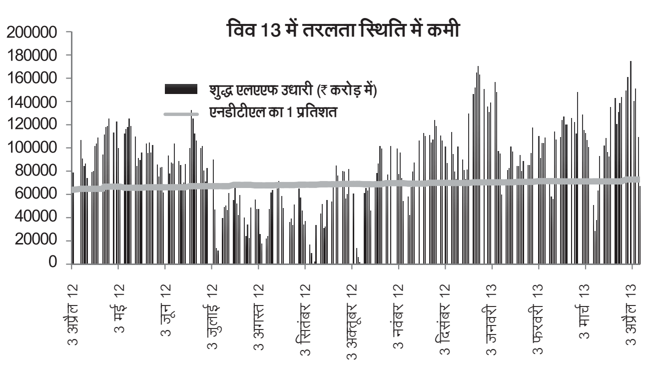

1.2.6.2 ऋण बाजार : वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से केंद्र सरकार का ` 5,58,000 करोड़ का बाजार से उधार लेने का कार्यक्रम सफलता पूर्वक संपन्न हुआ. नीतिगत दरों में कमी होने की आशा, वित्तीय स्थिति के सुधरने की संभावना, वित्तीय घाटे को कम करने के लिये सरकार द्वारा किये जाने वाले संभाावित उपायों के कारण 2012-13 की चतुर्थ तिमाही के आरंभ में जी-सेक से मिलने वाली आय में कमी आयी. खुले बाजार परिचालन की नीलामी खरीद जारी रहने से सकारात्मक भावना मजबूत हुई. 2012-13 की चतुर्थ तिमाही में पहले तो जनवरी के अंत में जब बाजार मौद्रिक नाति में ब्याज दर में कमी न होने को हिसाब में लिया और दूसरी बार मार्च में तरलता की कमी तथा राजनीतिक अनिश्चितता से पूंजी प्रवाह प्रभावित होने की आशंका से जी सेक से होने वाली आय में वृद्धि होती देखी गयी. 10 वर्षीय बैंचमार्क आय की दर जो फरवरी 2013 की समाप्ति पर 7.86 प्रतिशत थी, मार्च 2013 में बढ़कर 7.99 प्रतिशत हो गयी.

1.2.6.3 विदेशी मुद्रा बाजार: सुधार के उपाय, दो साल के लिये गार का स्थगन, डीज़ल की कीमतों का आंशिक विनियंत्रण, कुछ सेसेक्टरों के लिये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदार बनाना, कारपोरेट ऋण और जी-सैक बाजार में विदेशी संस्थागत निवेश सीमा में वृद्धि, वित्तीय एकीकरण पथ की घोषणा से भारत की अर्थव्यवस्था में वैश्विक निवेशकों का विश्वास बढ़ा. इस घटनाक्रम के परिणामस्वरूप जनवरी 2013 में रुपये के मूल्य में थोड़ी वृद्धि हुई. तेल आयातक कंपनियों के डालर की मांग के कारण रुपया पुन: दबाब में आ गया. मार्च 2013 की समाप्ति पर ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना जैसी कुछ प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में रुपये के अवमूल्यन की वार्षिक दर कम रही.

1.2.6.4 शेयर बाजार : शेयर बाजार के प्रमुख संकेतकों से पता चलता है कि पिछले दो सालों की तुलना में अर्जन की तुलना में कीमत (पीई) तथा बही मूल्य की तुलना में कीमत (पीबी) में कमी आयी है. लेकिन मार्च 2013 के आंकड़े यह बताते हैं कि शेयरों पर लाभ (रिटर्न) और पीबी अनुपात के मामले में भारत के बाजार में कीमतें अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बाजारों की तुलना में अधिक युक्तिसंगत हैं. वर्ष 2012-13 में प्रतिभूति बाजार में टर्नओवर में वृद्धि के साथ-साथ निफ्टी और सेंसेक्स में उतार-चढ़ाव में भी कमी आयी. मार्च 2013 की समाप्त पर बीएसई का सेंसेक्स पिछले वर्ष के बंद स्तर से 7.8 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ.

1.2.7 बैंकिंग उद्योग का निष्पादन:

1.2.7.1 मुद्रा आपूर्ति: वित्त वर्ष 2012-13 में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित दिशा में ही रही. वित्त वर्ष के आरंभ की 13.2 प्रतिशत की मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि दर पूरे साल प्राय: इसी स्तर पर स्थर बनी रही तथा मार्च 2013 के अंत में 13.3 प्रतिशत हो गयी. मुद्रा आपूर्ति में सुस्त वृद्धि का प्राथमिक कारण तरलता में कमी, साल में अधिकांश समय ऋण की मांग में कमी आर्थिक कार्यकलापों में सुस्ती और मुद्रा स्फीति में कमी होना है.

1.2.7.2 सकल जमाएं: पिछले वित्त वर्ष की 13.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एस.सी.बी.एस) की सकल जमाओं में 13.5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गईं. जमाओं में वृद्धि की यह स्थिरता मुख्यत: मियादी जमाओं में कमी के कारण रही.

1.2.7.3 ऋण में वृद्धि: जी.डी.पी. में कमी आने के परिणाम स्वरूप ऋण की मांग प्रतिकुल रूप से प्रभावित हुई है. ऋण गुणवत्ता में कमी एवं दूसरी ओर घरेलू ऋण आपूर्ति का बाधित होना भी इसका कारण रहा. रिजर्व बैंक द्वारा बहुत सी तरलता प्रवाहित किये जाने के बाद भी विश्व स्तर पर प्रतिकूल विचारधारा बनी है एवं घरेलू ऋण विस्तार हतोत्साहित हुआ है. साथ ही अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की खाद्येतर ऋण मांग रिजर्व बैंक की प्रदर्शक ट्रिजेक्टरी से नीचे रही है. कम व्यवसाय के बावजूद 2012-13 के दौरान अधिकांश समय जमाओं की तुलना में ऋण की वृद्धि दर अधिक रही है. खाद्येतर ऋणों में उद्योगों एवं सेवाओं को दिए गए ऋणों में कमी आई है. मार्च 2013 में उद्योगों को दिए गए ऋणों में वृद्धि 15.7 प्रतिशत रही, जो कि मार्च 2012 के 20.3 प्रतिशत से चिंताजनक रूप से कम थी. उद्योगों में ऋण मांग की कमी सभी प्रमुख उप-क्षेत्रों में देखी गयी.

2. ग्राहक केन्द्रित पहल:

2.1 आपका बैंक बैंकिंग कोडस एंड स्टैंडर्ड आफ इंडिया (बी.सी.एस.बी.आई.) द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करता है साथ ही ग्राहकों की उम्मीदों को पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है. आपका बैंक अपनी सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता रखता है और इसने एक ग्राहक सेवा मेकेनिज्म की स्थापना की है. ग्राहक सेवा को मजबूत करने के साथ ही आपके बैंक ने निम्न पहल को और सुदृढ़ किया है:

2.1.1 यूनियन एक्सपिरियंस शाखा: बैंक का यूनियन एक्सपिरियंस ब्रांड नाम से नया ग्राहक सेवा आधारित मॉडल है. इन शाखाओं में बेहतर परिवेश प्रदान किया जाता है और फ्रंट आफिस एवं बैक आफिस मॉडलों में प्रभावी परिवर्तन किए गए हैं. इन शाखाओं में स्व सहायी पासबुक, चेक जमा मशीन, कतार प्रबंधन व्यवस्था, फोन बैंकिंग जो कि सीधे काल सेन्टर से जुड़ी हुई है, आदि जैसी स्वचालित सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. इससे शाखा स्टाफ को ग्राहकों को गहराई से क्रास सेल एवं अप सेल करने का अवसर मिलता है. 31 मार्च 2013 को बैंक की 251 शाखाएं इसमें शामिल की जा चुकी हैं.

2.1.2 ग्राहक सेवा इकाई: आपके बैंक की ग्राहक सेवा इकाई (सी. सी.यू.) की शुरुआत ग्राहक सेवा उत्कृष्टता की सतत प्रक्रिया में पहल हेतु की गई थी. केन्द्रीकृत क्षमतायुक्त ग्राहक सेवा इकाई की स्थापना बैंक ने ग्राहकों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की है, चाहे वह ऑनलाइन शिकायतों का समाधान हो, सेवा में कमी की रिपोर्टिंग हो या फिर कोई विशिष्ट सेवा अनुरोध हो. समन्वित केस प्रबंधन उपकरण (आई.सी.एम.टी.) की स्थापना सारे चैनेलों की शिकायतों को समन्वित करने के लिए की गई है. सी.सी.यू. ग्राहकों के फीडबैक को संतुष्टि के स्तर तक ले जाता है.

2.1.3. बहुचैनेल अनुभव व संपूर्ण ए.टी.एम: कस्टमर एक्सपिरियंस प्रोजेक्ट में ए.टी.एम, इंटरनेट, मोबाइल एवं काल सेन्टर को सुविधा एवं आवश्यकता पूर्ति के बहुस्त्रोत के रूप में देखा जाता है. ये चैनेल स्वयं तथा अन्य चैनेलों के साथ मिलकर सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं. शाखा नेटवर्क में वृद्धि के साथ ही साथ आपका बैंक एटीएम नेटवर्क को तेजी से बढ़ा रहा है. आज शाखा की तुलना में एटीएम का अनुपात सर्वश्रेष्ठ में से एक है और एटीएम के माध्यम से बहुत सी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं. मोबाइल बैंकिंग एवं ए.टी.एम के इंटरफेस के साथ बैंक ने कई सुविधाएं प्रदान की हैं जैसे ए.टीएम के द्वारा नेफ्ट, ए.टी.एम के माध्यम से आईएमपीएस, म्युचुअल फंड में ए.टी.एम के माध्यम से निवेश, ई-केश जैसा एक उत्पाद, जिसके द्वरा फंड का हस्तांतरण ए.टी.एम से मोबाइल पर किया जाता है.

2.1.4 बोलता एटीएम: पिछले वित्त वर्ष के दौरान आपके बैंक ने दृष्टिबाधितों एवं शारीरिक विकलांगों हेतु भारत का पहला एवं सच्चे अर्थों में एक्सेसिबल एवं बोलता ए.टी.एम 6 जून 2012 को वस्त्रापुर, अहमदाबाद में शुरू किया. आपका बैंक बोलते ए.टी.एम के क्षेत्र में भारत में अग्रणी है. यूनियन बैंक के बोलते ए.टी.एम एवं कार्यप्रवाह ने बेंच मार्क स्थापित किया है. बैंक ने बोलते ए.टी.एम के उपयोग विषयक संहिता का निर्माण डेजी एवं इलेक्ट्रानिक ब्रेल फार्मेटों में भी किया है.

प्रदर्शन की समीक्षा

3. संसाधनों का प्रबंधन

3.1 वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान आपके बैंक ने चालू खाते एवं बचत खाते (कासा) एवं खुदरा मियादी जमाओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है. कम लागत जमाएं एकत्रित करने के लिए विशेष कासा अभियान चलाए गए. बैंक ने उच्च लागतवाली जमाओं की मात्रा एवं कुल जमाओं में इसके प्रतिशत दोनों में कमी की है.

3.2 31 मार्च 2013 को कुल जमा ₹ 2,63,762 करोड़ हो गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान 18.35 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई. कासा जमाराशियां 31मार्च 2013 के दिन ₹ 81635 करोड़ थीं और इसमें वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान 17.11 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई. 31 मार्च 2013 को कुल जमाराशियों में कासा जमाराशियों का प्रतिशत 30.95 था.

सारिणी -7: संसाधन संग्रहण

(₹ करोड़)

पैरामीटर	विव 2012	विव 2013	वार्षिक वृद्धि	
			राशि	%
कुल जमाराशियां	222869	263762	40893	18.35
कासा जमा राशियां	69705	81635	11930	17.11
मियादी जमाराशियां	153164	182127	28963	18.91

4. ऋण प्रबंधन:

4.1. अर्थव्यवस्था के उत्पादक संवर्गों को उधार देना आपके बैंक का फोकस था. अग्रिमों की स्थायी वृद्धि पर भी महत्व दिया गया. बैंक ने न्यून नीति दरों के लाभ विभिन्न संवर्गों को भी दिए. बैंक ने 15 अगस्त 2012 से 31 मार्च 2013 तक गृहनिर्माण और कार लोन ऋणियों के लिए प्रक्रिया शुल्क की छूट दी.

4.2 बैंक का सकल अग्रिम पिछले वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 17.06 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च 2013 को 211911 करोड़ तक बढ़ गया.

तालिका -8: अग्रिम पोर्टफोलियो

(₹ करोड़)

पैरामीटर	विव 2012	विव 2013	वार्षिक वृद्धि	
			राशि	%
सकल अग्रिम	181031	211911	30880	17.06
कृषि अग्रिम	15397	20224	4827	31.35
एमएसएमई अग्रिम	23805	34699	10894	45.76
खुदरा अग्रिम	16048	19560	3512	21.88

5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम(एमएसएमई):

5.1. बैंक का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)संविभाग वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान 45.76 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च 2013 को ₹ 34,699 करोड़ तक बढ़ गया. घरेलू अग्रिम में एमएसएमई का हिस्सा 31 मार्च 2012 के 13.86 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2013 को 17.45 प्रतिशत हो गया. एमएसएमई बैंक का केंद्रित क्षेत्र रहा, जो कार्य में लगने वाली निर्धारित अवधि (टीएटी), वहनीय लागत पर ऋण सुपुर्दगी और ग्राहक की जरुरत के उत्पाद और क्षेत्र को ऋण के अनवरत प्रवाह का वादा करता है.

5.2 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम(एमएसई) 31 मार्च 2012 के ₹ 16801 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2013 को वर्ष के दौरान 45.82

प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 24500 करोड़ हुआ. कुल एमएसएमई में एमएसई का अंश 31 मार्च 2013 को बढ़कर 70.61 प्रतिशत हो गया.

5.3 एमएसएमई अग्रिम का अंश बढ़ाने के लिए, आपके बैंक ने एमएसएमई ऋणियों के लिए ब्याज दर घटाई,समस्त शाखाओं में सूक्ष्म उद्यमों को अग्रिम प्रदान करने के लिए विशेष अभियान चलाया और देश भर में 30 स्थानों पर नई 19 समूह विशिष्ट योजनाएं शुरु की.

6. **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र:**

6.1 **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र:** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (पीएसए)31 मार्च 2012 के ₹ 41889 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 35.62 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 31 मार्च 2013 को ₹ 56809 करोड़ हो गया. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम ने समायोजित शुद्ध बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) का हिस्सा 34.72 प्रतिशत बनाया, जो 31 मार्च 2012 से 29.55 प्रतिशत अधिक है.

तालिका-9: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी (₹ करोड़)

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2012	वित्तीय वर्ष 2013	वार्षिक वृद्धि	
			संपूर्ण	%
कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण	41889	56809	14920	35.62

6.2 **कृषि:** कृषि अग्रिम वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान 31.35 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च 2012 के ₹ 15397 करोड़ से 31 मार्च 2013 को ₹ 20224 करोड़ हो गए. कृषि अग्रिम एएनबीसी की तुलना में 31 मार्च 2012 के 10.86 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2013 को 12.36 प्रतिशत रहे. विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) के अंतर्गत ₹ 13675 करोड़ के लक्ष्य के सामने ₹ 14773 करोड़ के कुल संवितरण किए गए. वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान, ₹ 2219 करोड़ से अधिक की ऋण सुविधा सहित अतिरिक्त 152220 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए.

6.3 **सामाजिक उन्नयन हेतु विशिष्ट उधारी:** महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें स्वावलंबी बनाने की दृष्टि से, आपका बैंक महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करता है. 31 मार्च 2013 को महिला हितग्राहियों की संख्या 6.13 लाख है और महिला उद्यमियों को बकाया ऋण 31 मार्च 2012 से 32.10 प्रतिशत बढ़कर ₹ 9053 करोड़ हो गए अर्थात् 31 मार्च 2013 को एएनबीसी के 5.53 प्रतिशत. उपलब्धि स्तर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आदेशित एएनबीसी के 5 प्रतिशत से अधिक है. कमजोर वर्ग को सहायता ₹ 15023 करोड़ यानि 31 मार्च 2012 के एएनबीसी के 6.26 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2013 को 9.18 प्रतिशत हो गई. अनु.जाति/जनजाति को दिए गए अग्रिम 31 मार्च 2013 को ₹ 2617 करोड़ रहे, जिनमें 103747 हितग्राही शामिल हैं.

6.4 **अल्प संख्यक समुदाय को उधारी:** अल्प संख्यक समुदाय को उपलब्ध कराई गई सहायता 31 मार्च 2013 को 271182 हितग्राहियों को शामिल करते हुए ₹ 5289 करोड़ रही, जिसने कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में इन अग्रिमों के प्रतिशत को पिछले वर्ष के 9.21 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012-13 में 9.31 प्रतिशत तक पहुंचाया.

7. **रिटेल उधारी:**

7.1 बैंक का रिटेल अग्रिम 21.88 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च 2013 को ₹ 19,560 करोड़ हो गया. घरेलू अग्रिमों में रिटेल ऋण का हिस्सा 31 मार्च 2012 के 9.34 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2013 को 9.83 प्रतिशत हो गया.

7.2 विगत वर्ष के दौरान गृहनिर्माण ऋण, कार ऋण और बंधक ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई. गृहनिर्माण ऋण, कार ऋण और बंधक ऋण में मंजूर किए गए नए ऋणों की राशि क्रमश: 47 प्रतिशत, 70 प्रतिशत और 120 प्रतिशत बढ़ी.

चार्ट-7: खुदरा ऋणों का संघटन

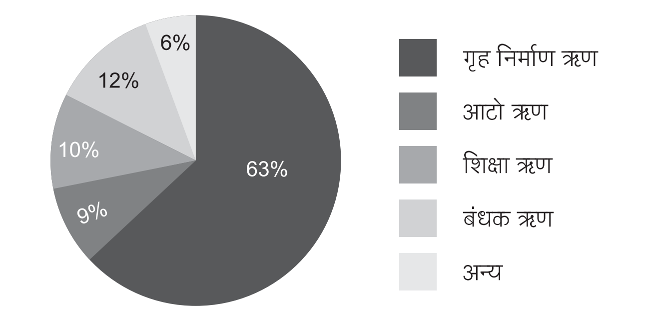

7.3 लोगों के बैंकिंग करने के तरीके सुधारने के लिए तकनीकी का लाभ उठाने के प्रयास जारी रखते हुए, आपके बैंक ने गृहनिर्माण ऋण वाहन ऋण, शिक्षा ऋण और संपत्ति के पेटे ऋण हेतु आन लाइन ऋण आवेदन सुविधा प्रारंभ की. यह सुविधा बैंक की विद्यमान ऋण प्रक्रिया प्रणाली से समन्वित की गई है, जिससे त्वरित टर्न एराउण्ड अवधि सुनिश्चत होती है. बैंक प्रमुख महानगरों और शहरों में केन्द्रीयकृत रिटेल क्रेडिट प्रसंस्करण सेट-अप कार्यान्वित कर रहा है.

8. **कार्पोरेट ऋण:**

8.1 बैंक के पास केवल लार्ज कार्पोरेट पर ध्यान केंदित करने के लिए नौ समर्पित औद्योगिक वित्त शाखाएं(आईएफबी)हैं. विशिष्ट उद्योगों के विशेषीकृत मूल्यांकन के लिए उद्योग डेस्क स्थापित किए गए हैं. बैंक के लार्ज कार्पोरेट अग्रिम 19.23 प्रतिशत की

वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च 2013 को ₹ 71121 करोड़ हो गए. इसमें बैंक के कुल अग्रिम का 36 प्रतिशत योगदान रहा.

तालिका-10: लार्ज कारपोरेट अग्रिम (आईएफबी)			
			(₹ करोड़)
	वित्तीय वर्ष 2012	वित्तीय वर्ष 2013	वार्षिक वृद्धि %
कुल अग्रिम	59649	71121	19.23

9 ट्रेजरी :

9.1 बैंक का कुल निवेश संविभाग 31 मार्च, 2012 के ₹ 62,524 करोड़ की तुलना में 31मार्च 2013 को ₹ 81,189 करोड़ रहा. इसमें पिछले वर्ष से 29.85% वृद्धि हुई. निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश, राज्य विकास ऋण और सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के लिये अनुमोदित प्रतिभूतियों एवं इक्विटी शेयर, कार्पोरेट डिबेंचर, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बॉण्ड्स, (पीएसयू बाण्ड्स), वाणिज्यिक पेपर (सीपी), जमा प्रमाणपत्र (सीडी), प्रतिभूति रसीद, म्युचुअल फंड्स, वेचर कैपीटल फंड्स, सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में निवेश का समावेश है.

9.2 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष में निवेश संविभाग पर प्रतिफल 7.38% रहा जो 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष में 6.96% था. इसके अतिरिक्त, ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर प्रतिफल 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के 7.69% रहा, जो पिछले साल 7.40% था. ट्रेज़री का प्रयास रहता है कि अतिरिक्त संसाधनों के कुशल आवंटन के जरिये तरलता के प्रबंधन के साथ निधियों पर अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाय. सांविधिक अपेक्षाओं का पालन करने के अलावा ट्रेज़री अपने (बैंक के) लिये सरकारी प्रतिभूतियों, इक्विटी शेयरों, डिबेंचरों एवं बॉण्डों में ट्रेडिंग करती है और विदेशी विनिमय बाजारों में निधियां अभिनियोजित करती है.

9.3 बैंक डेरीवेटिव में अपनी स्वामित्व ट्रेडिंग के अलावा ग्राहकों को हेजिंग (सुरक्षा) सुविधा प्रदान करता है. ये लेनदेन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के दायरे में किए जाते हैं. बैंक ने ब्याज दर और करेंसी डैरवेटिव दोनों खंडों में सक्रियता पूर्वक ट्रेड किया. ब्याज दर डेरिवेटवों में बैंक ने औवरनाइट इनडेक्स्ड स्वैप में ट्रेड किया और करेंसी डैरवेटिव खंड में करेंसी फ्यूचर और फारवर्ड में.

10. घरेलू विदेशी कारोबार व अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

10.1 आपके बैंक का "घरेलू विदेशी कारोबार व अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग" ट्रेड फाइनेंस और बैंक के विदेशी परिचालनों के विस्तार के प्रस्तावों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करता है. बैंक की डीलर्स संवर्ग - बी की 89 प्राधिकृत शाखाएं हैं. आपके बैंक का सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय केन्द्रों पर 326 अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ संपर्की संबंध है. आपके बैंक की 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार 22 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों एवं 22 विनिमय गृहों के साथ रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) है. इस समय खाड़ी क्षेत्र के अनिवासी भारतीयों के लिये यूएई एक्सचेंज के माध्यम से प्रस्तुत सातों दिन 24 घंटे ऑन लाइन प्रेषण उत्पाद यूनियन फ्लैश है, जिसके माध्यम से वे अपने यूनियन बैंक के खाते में तुरत धन प्रषित कर सकते हैं. आपके बैंक ने उत्तर प्रदेश में 165 शाखाओं में नकदी प्रेषणों की शीघ्र डिलीवरी के लिये वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर से करार किया है, जिसका चरण बद्ध तरीके से सारे देश की शाखाओं में विस्तार किया जाएगा.

10.2 आपके बैंक का निर्यात ऋण 31 मार्च, 2012 के ₹ 6614 करोड़ से बढ़कर 34.82% की वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2013 को ₹ 8,917 करोड़ हो गया. 31 मार्च 2013 को विदेशी मुद्रा का टर्नओवर ₹ 1,60,836 करोड़ हो गया है.

10.3 बैंक ने अगस्त 2012 में अपने मीडियम टर्म नोट कार्यक्रम (एमटीएन) के अंतर्गत प्रतियोगी दर पर बांड जारी करके 350 मिलियन अमेरिकी डालर जुटाये. यह कुल 2 बिलियन अमेरिकी डालर के एमटीएन का चतुर्थ चरण था. एमटीएन से प्राप्त राशि का उपयोग बैंक के विदेशी कार्यालयों की निधियों की आवश्यकता पूरी करने के लिये किया जायगा.

10.4 **ओवरसीज़ परिचालन :** आपके बैंक ने जमा स्वीकार करने, ट्रेड वित्त प्रदान करने, विदेशी वाणिज्यिक उधारी तथा ऋण सिंडीकेशन जैसे सामान्य बैंकिंग कामकाज के लिये अपनी दूसरी विदेशी शाखा 9 मार्च 2013 को दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर (डीआईएफसी), दुबई , यूएई में खोली. बैंक की एक शाखा मई 2008 से हांगकांग में कार्य कर रही है. आपका बैंक वर्ष 2013-14 में सिडनी (आस्ट्रेलिया) और एंटवर्प (बेल्जियम) में शाखाएं तथा लंदन (यूके) में सहायक कंपनी खोलने जा रहा है. आपके बैंक का शंघाई (चीन), आबूधाबी(यूएई), बीजिंग (चीन), सिडनी (आस्ट्रेलिया) और लंदन (यू के) में प्रतिनिधि कार्यालय है.

10.5 बैंक की दो विदेशी शाखाओं की जमाराशियां 31 मार्च 2013 को 114.77 प्रतिशत बढ़कर 509 मिलियन अमेरिकी डालर हो गईं. 31 मार्च 2013 को अग्रिम 32.80 प्रतिशत बढ़कर 2.40 बिलियन अमेरिकी डालर हो गये. वर्ष 2012-13 के लिए इन दो विदेशी शाखाओं का परिचालन लाभ 17 मिलियन अमेरिकी डालर रहा.

11 वित्तीय समावेशन:

11.1 बैंक के "सार्थक वित्तीय समावेशन" और "वित्तीय समावेशन योजना 2010-13" के अंश के रुप में बैंक ने कारोबारी संपर्की मॉडल के माध्यम से मूल बैंकिंग सेवाएं देकर 29497 बैंक रहित/ अल्प -बैंक गांवों तक अपनी पहुंच बढ़ाई है. कारोबारी

संपर्की मॉडल के अंतर्गत बायोमैट्रिक कार्डों से 125 लाख वित्तीय समावेशन ग्राहकों के खाते अर्जित किए हैं. बैंक ग्रामीण एवं शहरी गरीबों के बीच आर्थिक गतिविधियां बढ़ाते हुए आपातकालीन ऋण के रुप में सूक्ष्म ऋण और बहुत कम प्रीमियम पर सूक्ष्म बीमा भी उपलब्ध कराता है. वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, बैंक ने महिलाओं द्वारा गठित संयुक्त देयता समूहों के लिए सूक्ष्म ऋण उत्पाद प्रगति के अंतर्गत 32451 महिला हितग्राहियों के ₹ 83.10 करोड़ वितरित किए.

11.2 बायोमैट्रिक कार्ड तकनीकी का प्रयोग कर रहे आव्रजकों के लिए सूक्ष्म विप्रेषण सुविधा को नेफ्ट का उपयोग करने वाले अंतर बैंक संव्यवहारों के लिए उपलब्ध कराया गया है. वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹ 812 करोड़ के लगभग 24.58 लाख धनप्रेषण किए.

11.3 बैंक ने स्व सहायता समूह(एसएचजी)को वित्तीयन हेतु एनजीओ श्री क्षेत्र धर्मस्थल रुरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट(एसकेडी आरडीपी) से गठबंधन किया है. अब तक 54878 समूह गठित किए गए हैं, जिनमें से 42062 स्वसहायता समूह ₹ 260.65 करोड़ के बकाया सहित ऋण संबद्ध हैं.

11.4 डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीटीबी):

डीटीबी 1 जनवरी 2013 के प्रभाव से 43 पायलट जिलों (चरण-I) में कार्यान्वित है और 1 जुलाई, 2013(चरण-II)तक इसका विस्तार 78 जिलों तक हो जाएगा. 43 जिलों में से, बैंक का 16 राज्यों में फैले 40 जिलों में शाखा नेटवर्क है. 31 मार्च, 2013 तक, प्रायोजक के रूप में, आपके बैंक ने 19,523 खातों में ₹ 67.31 लाख की धनराशि प्रेषित की और विभिन्न शाखाओं में हमारे बैंक के 12,902 हितग्राहियों के खातों में ₹ 176.89 लाख जमा प्राप्त हुए.

11.5 वित्तीय साक्षरता: विभिन्न वित्तीय समावेशन पहलों को मिशन भाव से आगे बढ़ाने हेतु बैंक ने देश के विभिन्न हिस्सों में 202 ग्राम ज्ञान केन्द्र, 14 स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण केंद्र और 16 वित्तीय साक्षरता केंद्र खोले. ये केंद्र गैर लाभान्वित ग्राहकों को सामान्य वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जिससे वे परिसंपत्ति आबंटन के संबंध में अधिक जानकारीयुक्त निर्णय ले सकें और स्थानीय जमीदारों की कुप्रथाओं के शिकार न बनें.

11.6 स्व सहायता समूह (एसएचजी): स्व सहायता समूह के माध्यम से सूक्ष्म वित्तीयन संस्थागत ढ़ांचे को विकसित करता है, गरीबों तक ऋण की पहुंच हेतु सुधार करता है और किफायती तथा अनुशासनबद्ध ऋण चुकौती की संस्कृति की नींव डालता है. 31 मार्च 2013 को 233680 समूह गठित किए गए तथा 189548 समूहों को रु 894 करोड़ के एक्सपोजर सहित ऋण संबद्ध किया गया. आपका बैंक पिछड़े/वामपंथी अतिवादी प्रभावित जिलों यथा उत्तर प्रदेश में चंदौली एवं जौनपुर, मध्यप्रदेश में रीवा व सीधी, जहां बैंक अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, में एनजीओ / अन्य सहयोगी संगठनों के माध्यम से महिला स्व सहायता समूहों के विकास को तीव्र करने हेतु एक नई योजना बनाई है.

12 अग्रणी बैंक योजना

12.1 आपका बैंक 14 जिलों यथा, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, मऊनाथ भंजन, संत रविदास नगर(भदोही) और चंदौली, मध्यप्रदेश में रीवा, सीधी और सिंगरौली, केरल में एर्णाकुलम और इडुक्की और बिहार में खगड़िया और समस्तीपुर में अग्रणी बैंक की भूमिका का निर्वहन कर रहा है. इन अग्रणी जिलों में स्थित 516 शाखाओं में, बैंक की जमाराशियां और अग्रिम पिछले वर्ष के ₹ 20264 करोड़ और ₹ 6339 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2013 को क्रमश: ₹ 25181 करोड़ और रु 7501 करोड़ रहे. कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कृषि अग्रिम 31 मार्च 2013 को क्रमश: ₹ 4716 करोड़ और ₹ 2291 करोड़ रहा, जो अग्रणी जिलों के कुल अग्रिमों का क्रमश:62.87 प्रतिशत व 30.54 प्रतिशत है. बैंक ने प्रत्येक अग्रणी जिले में एक आर-सेटी स्थापित की है, जो ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्रों में स्व रोजगार उद्यम हेतु युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है.

13. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक(आरआरबी):

13.1 बैंक ने 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यथा, उत्तर प्रदेश में काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक(केजीएसजीबी), वाराणसी और मध्यप्रदेश में रीवा सीधी ग्रामीण बैंक(आरएसजीबी) प्रायोजित किए थे. भारत सरकार ने दिनांक 1 नवम्बर 2012 की अधिसूचना द्वारा रीवा सीधी ग्रामीण बैंक, रीवा तथा अन्य 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक एकल क्षे.ग्रा.बैंक यथा मध्यांचल ग्रामीण बैंक, जिसका प्रधान कार्यालय भारतीय स्टेट बैंक के प्रायोजन में सागर में है, में समामेलित किया जाना घोषित किया. केजीएसजीबी, वाराणसी 401 शाखाओं के नेटवर्क सहित पूर्वी उ.प्र.के 8 जिलों को कवर करता है. क्षे.ग्रा.बैंक का कारोबार मिश्र 31 मार्च, 2013 को ₹ 8086 करोड़ है. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम ₹ 1293 करोड़ पर रहा, जो उनके कुल अग्रिम संविभाग का 71% है. आपका क्षे.ग्रा.बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) को शत प्रतिशत क्रियान्वित करने वाला और अपने ग्राहकों को आरटीजीएस/ नेफ्ट सुविधा प्रदान करने वाला पहला क्षे.ग्रा.बैंक है. काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक, वाराणसी ने अपने ग्रामीण ग्राहकों को तकनीकी/वैकल्पिक डिलीवरी चैनल का लाभ देने के लिए पहला रुपे एटीएम कार्ड जारी किया. क्षे.ग्रा.बैंकों को प्रभावी ढ़ंग से अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रायोजक बैंक क्षे. ग्रा.बैंक के स्टाफ को अपने प्रशिक्षण केन्द्रों और बाह्य प्रशिक्षण

संस्थओं के जरिए प्रशिक्षित करता है. काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक, वाराणसी ने अपना स्वयं का प्रशिक्षण केन्द्र भी आजमगढ़, उ.प्र. में स्थापित किया है.

14. आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन:

14.1 कुल अग्रिमों के अनुपात के रुप में कुल गैर-निष्पादित आस्तियां (जीएनपीए) 31 मार्च 2012 के 3.01 प्रतिशत से मामूली रुप सें घट कर 31 मार्च 2013 को 2.98 प्रतिशत पर आ गई. निवल अग्रिम अनुपात से निवल एनपीए भी तुलनात्मक अवधि के दौरान 1.70 प्रतिशत से घटकर 1.61 प्रतिशत पर आ गया. प्रावधान कवरेज अनुपात 31 मार्च 2012 के 62.22 प्रतिशत से 3 प्रतिशत पाइंट बढ़कर 31 मार्च 2013 को 65.21 प्रतिशत हो गया.

14.2 बैंकिंग सेक्टर घरेलू अर्थव्यवस्था में मंदी और बाहरी मांग में धीमापन आने से आस्ति गुणवत्ता में 2012-13 के दौरान गिरावट का साक्षी बना. हालांकि, आपके बैंक का कुल एनपीए 31 मार्च 2012 के ₹ 5450 करोड़ से जून 2012 में ₹ 6541 करोड़ तक बढ़ने के बावजूद इसे वास्तविक और कुल अग्रिम में इसके अनुपात को कम करने में सफल रहा. 31 मार्च 2013 को कुल एनपीए ₹ 6314 करोड़ पर रहा. एनपीए में वृद्धि कपड़ा, निर्माण, लोहा व स्टील और रसायन व रासायनिक उत्पादों आदि में क्षेत्रों में आई गिरावट के कारण रही.

तालिका-11: एनपीए की गतिविधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2012	वित्तीय वर्ष 2013
सकल एनपीए (आरंभिक)	3623	5450
जोड़ें	3760	3975
घटाएं:	1933	3111
(I)अपग्रेडेशन	255	733
(II)वसूली	740	1250
(III)राइट ऑफ	938	1128
कुल एपीए (अंतिम)	5450	6314
शुद्ध एनपीए		
-आरंभिक	1803	3025
-अंतिम	3025	3353

14.3 नकदी वसूली और अपग्रेडेशन पिछले वर्ष के ₹ 995 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2013 को 99 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹1983 करोड़ हो गया. आरंभिक एनपीए स्तर में नकदी वसूली और अपग्रेडेशन का प्रतिशत पिछले वित्तीय वर्ष के 27.46 प्रतिशत की तुलना में 31मार्च, 2013 को बेहतर वसूली प्रयास दर्शाते हुए 36.39 प्रतिशत हुआ. बैंक ने राइट-आफ खातों और न लगाए गए ब्याज में पिछले साल के ₹ 471 करोड़ की तुलना में आलोच्य वर्ष के दौरान ₹ 486 करोड़ की वसूली की.

14.4 क्षेत्रीय एनपीए प्रतिशत का वर्गीकरण निम्नानुसार है:

तालिका-12: क्षेत्रवार अग्रिमों में एनपीए प्रतिशत की स्थिति (%)

	वित्तीय वर्ष 2012	वित्तीय वर्ष 2013
क्षेत्र		
कृषि	9.58	7.33
उद्योग	2.92	3.22
रिटेल	4.02	2.88
सेवाएं	3.52	1.80

14.5 आपके बैंक ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, (सरफेसी) 2002 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान ₹ 1593 करोड़ के देयों में शामिल 3635 चूककर्ता ऋणियों को नोटिस जारी किए. एकबारगी निपटान (ओटीएस) 611 मामलों में अनुमोदित किया गया, परिणाम स्वरुप ₹132 करोड़ की वसूली हुई. इसके अतिरिक्त, 1082 मामलों में ₹ 588 करोड़ की परिसंपत्तियां जब्त की गईं और बैंक ने संपत्तियों के विक्रय द्वारा ₹196 करोड़ की राशि वसूल की.1 अक्टूबर 2012 से ₹10 लाख से कम के बकाया वाले एनपीए हेतु विशेष ओटीएस प्रारंभ किया, इसके फलस्वरुप 46000 से अधिक खातों में ₹ 238 करोड़ की वसूली हुई.

14.6. उच्च मूल्य के एनपीए पर ध्यान देने के लिए बैंक के पास 10 आस्ति वसूली शाखाएं(एआरबी)हैं. इन आस्ति वसूली शाखाओं ने वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान ₹ 155 करोड़ वसूले. एनपीए श्रेणी के बड़े ऋण खातों की नियंत्रक कार्यालयों द्वारा विभिन्न स्तरों पर नियमित अंतराल पर समीक्षा की गई. बैंक की एनपीए स्थिति की भी बोर्ड द्वारा तिमाही अंतराल पर समीक्षा की गई. न केवल वसूली बढ़ाने के लिए बल्कि एनपीए रोकने के लिए भी आसान वसूली क्षमता विकसित की जा रही है. स्वस्थ आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने तथा एनपीए पर नियंत्रण रखने के लिए वर्ष के दौरान बेंगलूर और चेन्नै अंचल दोनों में वसूली संपर्क केंद्र की सेवाओं का प्रसार किया गया.

15. खातों का पुर्नगठन:

15.1 इकाई की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए, पुर्नगठन उन लेनदारों की लिये एक सहायक का काम करता है, जो अस्थायी रूप से उन विप्पतियों को लेकर परेशान हैं, जो उनके बस में नही है. यह विपत्ति अर्थव्यवस्था या किसी एक क्षेत्र में सामान्य गिरावट की वजह से हो सकती है. दिनांक 31 मार्च 2013 को पुर्नगठित खातों में बकाया राशि ₹ 11626 करोड़ थी, जो बैंक के घरेलू अग्रिम का 5.85% है. दिनांक 31 मार्च 2013 को पुर्नगठित खातों के अंतर्गत बकाया अनर्जक आस्तियां रु 1820 करोड़ रहीं, जो कुल ₹ 16965 करोड़ के पुनर्गठित खातों में बकाया राशि का 10.72% है.

16. संव्यवहार बैंकिंग

16.1 वैकल्पिक चैनल: कुल संव्यवहार की तुलना में इलैक्ट्रानिक संव्यवहार 31 मार्च 2012 के 54.75% के मुकाबले 31 मार्च 2013 को बढ़कर 60.02 % रहे. इलैक्ट्रानिक लेनदेनों में वृद्धि के साथ-साथ आपके बैंक ने वैकल्पिक चैनलों से होने वाली आय में भी लगातार वृद्धि हासिल की है.

तालिका-8: ई- लेनदेन

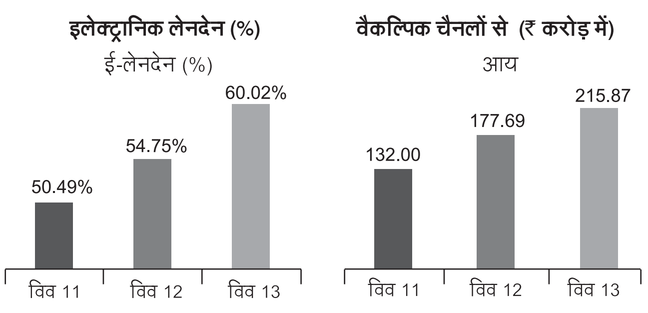

16.2 एटीएम व कार्ड:

आपके बैंक के 31 मार्च 2013 को पूरे देश में 4603 एटीएम हैं, जो कि 31 मार्च 2012 के मुकाबले 802 अधिक हैं. वित्तीय वर्ष 2013 में कुल जारी किये गए कार्डों की संख्या 10 मिलियन को पार कर गई. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013 में 2.4 मिलियन से अधिक डेबिट कार्ड जारी किये हैं. जून 2012 में बैंक ने अंपग व दृष्टिहीन लोगों के लिये अपनी तरह का पहला बोलता एटीएम प्रारंभ किया. वर्तमान में देश के विभिन्न जगहों पर बैंक ने 100 से अधिक बोलते एटीएम स्थापित किये हैं. वित्तीय वर्ष 2013 में बैंक ने एटीएम द्वारा धनप्रेषण के कई उत्पाद जैसे नेफ्ट, आईएमपीएस, यूनियन ई-कैश आदि शुरू किये.

16.3 बैंक ने भारत का पहला रुपये प्रीपेड कार्ड जारी किया. आधार आधारित रुपे प्रीपेड कार्ड संव्यवहार के लिये यूनिक आइडेंटीफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) द्वारा जारी बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण करने में समर्थ है. बैंक ने अपने विद्यमान वीज़ा कार्ड धारकों के लिये प्लैटिनम कार्ड जारी किया और डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड धारकों के लिये लोयल्टी (निष्ठा) कार्यक्रम लागू किया. ग्राहक अपने संव्यवहारों में क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड का उपयोग बिक्री केंद्र व इ-कॉमर्स केंद्रों में करके रिवार्ड प्वाइंट जीतने का सुअवसर प्राप्त कर सकते हैं.

16.4 बैंक पंजाब सरकार के खाद्यान्न आपूर्ति हेतु भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा तैयार किए गए भुगतान इकोसिस्टम में जारीकर्ता बैंक के रूप में शामिल हुआ और भुगतान संग्रह के लिए रुपये आधारित कार्ड जारी किया.

तालिका-9: कार्डों की संख्या एवं लेनदेन

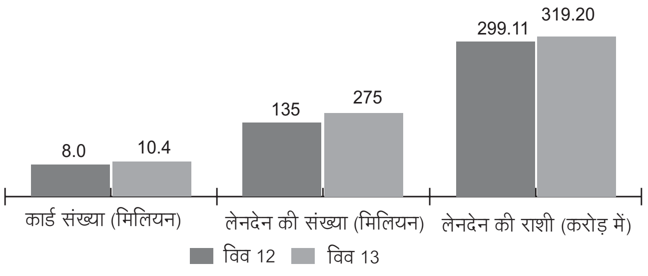

16.5 इंटरनेट व मोबाइल बैंकिंग

आपके बैंक ने अपने इलैक्ट्रानिक चैनल में नए विशेषताएं जोडी है जैसे इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग. इन इलैक्ट्रानिक चैनल की सुरक्षा बढ़ाना गत वर्ष का मुख्य मुद्दा रहा. आपका बैंक यूएसएसडी प्लेटफार्म पर मोबाइल बैंकिंग को लागू करने वाले कुछ अग्रणी बैंकों में से एक है. आईएमपीएस सेवा, जो रीयल टाइम में ग्राहकों को मोबाइल द्वारा अंतर बैंक फंड ट्रासंफर की सुविधा उपलब्ध कराती है, को अब सभी तीन चैनेलों एटीएम, मोबाइल बैंकिंग एंव इंटरनेट बैंकिंग में उपलब्ध करा दिया गया है. पिछले वित्तीय वर्ष में बैंक ने कैशलेस (नकद रहित) कैम्पस योजना, पुणे के केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शुरू की. बैंक ने फीस जमा करने के लिये महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पोर्टल में पेमेन्ट गेटवे समाधान भी लागू किया.

तालिका-10: वैकल्पिक चैनलों के युवा उपयोगकर्ता

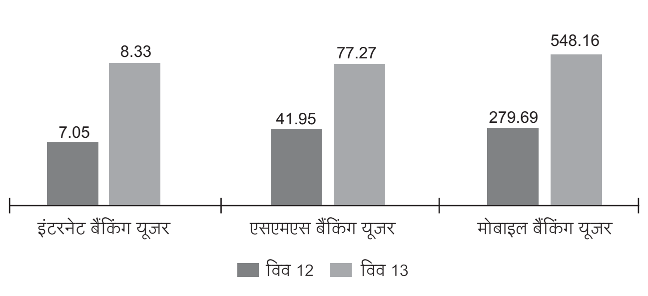

16.6 करेंसी चेस्ट : आपके बैंक ने 487 शाखाओं, जिनकी औसत नकद प्राप्तियां, रू 50 लाख से अधिक हैं, को नोट छांटने की मशीनें उपलब्ध कराईं. वर्तमान में बैंक के 64 करेंसी चेस्ट है व सेलम, तमिलनाडु में एक नए करेंसी चेस्ट खोलने की प्रक्रिया चल रही है.

16.7 नकदी प्रबंधन सेवा (सीएमएस): सीएमएस प्रभाग ने भिन्न सीएमएस उत्पाद के अंतर्गत 180 नए कनेक्शन जोड़े और बैंक के लिए रू. 30.17(गैर ब्याज आय रू 10.71 करोड और रू 19.46 करोड़ की ब्याज आय)करोड़ की कुल आय अर्जित की. वित्तीय वर्ष 2012-13 में बैंक का कुल टर्नओवर रू 50074

रहा. भुगतान सेवाओं के लिये बैंक ने एक अलग पेमेंट (भुगतान) हब की शुरुआत की. पेमेंट हब पहले से ही अखिल भारतीय स्तर पर केन्द्रीय विद्यालय व नवोदय विद्यालयों के बल्क वेतन भुगतान को देखता है. कई सरकारी/अर्ध-सरकारी व निजी संस्थाओं के ऑनलाइन अंतरण और आरटीजीएस/नेफ्ट पेमेंट हब द्वारा नियमित रूप से किये जा रहे है. वेब-सीएमएस अब कार्य करने लगा है. ग्राहक यूनियन बैंक की वेबसाइट के माध्यम से सीएमएस सॉफ्टवेयर पर अपने खाते व संव्यवहार को देख सकते हैं.

16.8 **व्यापार बैंकिंग:** आपके बैंक की सभी शाखाएं अस्बा (एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट) समर्थ हैं. बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अस्बा द्वारा सरकारी निर्गम में आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई है, साथ ही आवेदक व उसकी जानकारी को पंजीकृत करने की सुविधा दी है. बैंक ने व्यापार बैंकिंग व बैंकर टू इशू गतिविधियों का स्थायी पंजीकरण प्राप्त किया है और कोरपोरेट ग्राहक / सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के भुगतान व जमा कार्यों को क्रियात्मक ढंग से करता है.

17. सूचना प्रौद्योगिकी :

17.1 ग्राहकों की बदलती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु और संपूर्ण ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने हेतु बैंक ने सक्रियता से नयी तकनीक और प्रणाली को अंगीकार किया है. कोर बैंकिंग सॉल्यूशन और अन्य सहायक प्रणाली के माध्यम से प्रौद्योगिकी में कई पहल की गयी हैं जैसे, वित्तीय समावेशन गेटवे, लेंडिंग आटोमेशन सोल्यूशन (LAS) में ऑनलाइन आवेदन करना, वैकल्पिक डिलीवरी चैनल में आईएमपीएस, एंटरप्राइज एप्लिकेशन इंटिग्रेशन(EAI) मिडिलवेयर, प्रबंधन रिपोर्ट एवं डैशबोर्ड के लिए बिज़नेस इंटेलीजेंस टूल, दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली, यूनिफाईड कम्यूनिकेशन, डिजिटल मीडिया साईनेज, कड़ी सुरक्षा और नेटवर्क एप्लिकेशन आदि.

17.2 बैंक ने भारिबैं, भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों द्वारा आंरभ की गई भुगतान प्रणाली को समय से कार्यान्वित किया है और ग्राहकों की दैनिक जरुरतों को पूरा करने के लिए इस सेवा का पूरा उपयोग किया है. इन भुगतान प्रणालियों में आरटीजीएस / नेफ्ट / ईसीएस / एनईसीएस / एईपीएस / भुगतान गेटवे, एनपीसीआई भुगतान गेटवे, कर संग्रह के लिए राज्य सरकारों के भुगतान गेटवे, ऑनलाइन कर भुगतान के लिए प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर (उत्पाद कर एवं सेवा कर) भुगतान गेटवे इंटीग्रेशन, उत्पाद एवं सीमा शुल्क भुगतान इंटीग्रेशन आदि.

17.3 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहल निम्न हैं :

17.3.1 लेनदेन की बढ़ती हुई मात्रा को ध्यान में रखते हुए सीबीएस प्रणाली की गणना क्षमता में वृद्धि करना.

17.3.2 लेनदेन में सहजता के लिये मिडिलवेयर एप्लिकेशन के माध्यम से कोर बैंकिंग सोल्यूशन में विदेशी आवक प्रेषण, ट्रेजरी, एचआरएम सोल्यूशन, ईसीएस, ई-रेमिट, स्विफ्ट, आरटीजीएस, नेफ्ट, ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन आदि जैसे कई एप्लीकेशन जोड़ना.

17.3.3 आपके बैंक ने मोबाइल बैंकिंग में एक और पहल के द्वारा हिताधिकारी बैंक के आईएफएससी कोड एवं खाता नंबर के प्रयोग से रीयल टाइम में अंतर बैंक फंड ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध कराई है. अब हमारे मोबाइल बैंकिंग ग्राहक अपने मोबाइल हैंडसेट में हिताधिकारी बैंक के आईएफएसी कोड एवं खाता संख्या अंकित कर 24x7 घंटे रकम प्रेषित कर सकते हैं.

17.3.4. बैंक ने आईपीवी6 (इंटरनेट प्रोटोकाल वर्ज़न 6), जो इंटरनेट प्रोटोकाल (आईपी) का नवीनतम वर्ज़न है, नामक एक नया फीचर नेट बैंकिंग के लिए इंटरनेट बैंकिंग में जोड़ा है और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आईएमपीएस द्वारा निधि अंतरित करने के लिए सुरक्षा फीचरों में सुधार किया है.

17.3.5. करों के ऑनलाइन संग्रह के लिए कई राज्य सरकारों एवं एमसीए (कंपनी कार्य मंत्रालय) के भुगतान गेटवे के साथ इंटीग्रेशन किया गया है.

17.3.6 आपके बैंक ने इस वर्ष के दौरान वित्तीय समावेशन गेटवे का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है. यह सिस्टम बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) को हैंड हेल्ड मशीनों / माइक्रो एटीएम के माध्यम से वित्तीय समावेशन ग्राहकों द्वारा किए जाने वाले लेनदेनों की प्रासेसिंग के लिए बैंक के विभिन्न वित्तीय समावेशन वेंडरों के सिस्टम और केन्द्रीकृत बायो-मैट्रिक ऑथेन्टिकेशन सिस्टम से जोड़ता है.

17.3.7. सरकार द्वारा की गई पहल "डायरेक्ट बेनेफिट ट्रासंफर" के एक भाग के रुप में आपके बैंक ने बैंक के सीबीएस एप्लीकेशन में आवश्यक फीचर्स उपलब्ध कराकर आधार नंबर को बैंक के खाता नंबर के साथ जोड़ने में अग्रणी भूमिका निभाई है.

17.3.8 प्रभावी सूचना सुरक्षा गवर्नेंस लागू करने के लिए आपका बैंक सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली(आईएसओ 27001) का प्रयोग कर रहा है. हमने आईएसओ 27001 का क्रियान्वयन डाटा सेंटर एवं डीआर साइट में किया है.

18. जोखिम प्रबंधन :

18.1 जोखिम प्रबंधन की ओर आपके बैंक का सक्रिय रवैया है. इसके जोखिम दर्शन में अपनी जोखिम क्षमता और नियामक फ्रेमवर्क के अंदर स्वस्थ पोर्टफोलियो बनाना और उसका रखरखाव करना शामिल है. जोखिम प्रबंधन ढांचा विशेष रुप से तैयार किया गया है, जिससे प्रमुख जोखिम क्षेत्रों का पता

लगाकर उनका अनुश्रवण और प्रभावी तरीके से प्रबंध किया जा सके एवं जोखिम और प्रतिलाभ के बीच उचित तालमेल रखते हुए शेयर धारकों की संपत्ति में वृद्धि हो सके. बैंक लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि जोखिम प्रबंधन और कारोबार के संयोजन से अधिकतम लाभ प्राप्त हो और उपलब्ध पूंजी अधिक प्रभावी तरीके से इस्तेमाल की जा सके.

18.2 बैंक की जोखिम प्रबंधन संरचना में कार्पोरेट और क्षेत्र दोनों स्तर पर स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढांचे, जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन उपकरण और जोखिम अनुश्रवण और प्रबंधन प्रणाली का समावेश है. क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन अधिकारी तैनात कर आपका बैंक संपूर्ण संगठन में जोखिम संस्कृति लाने में अग्रणी है. बैंक के विभिन्न कार्यों और क्षेत्रीय कार्यालयों के जोखिम की प्रोफाइलिंग तिमाही आधार पर की जाती है. बैंक के पास स्पष्ट रुप से परिभाषित जोखिम नीति है और स्वतंत्र जोखिम कार्य यह सुनिश्चित करते हैं कि बैंक अपनी जोखिम क्षमता ढांचे के अंतर्गत कार्य करता है.

18.3 मुख्यत: जोखिम, पैरामीटरों के निर्धारण और एक समन्वित जोखिम प्रबंधन व नियंत्रण प्रणाली की स्थापना करना, बैंक के निदेशक मंडल की प्रथम जिम्मेदारी है. बैंक का बोर्ड जोखिम प्रबंधन नीतियों को अनुमोदित करता है और बैंक की जोखिम वहन करने की क्षमता के साथ ही साथ जोखिम प्रबंधन हेतु उपलब्ध कौशल को ध्यान में रखते हुए सीमाएं निर्धारित करता है. निदेशक मंडल की सहायता के लिए एक उपसमिति है, जिसे जोखिम प्रबंधन और एएलएम पर बोर्ड की पर्यवेक्षी समिति के नाम से जाना जाता है. इस समिति को ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता समिति (एल्को) और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) से सहायता मिलती है. ये समितियां अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में गठित कार्यपालकों की समितियां हैं.

18.4 ऋण जोखिम :

18.4.1 ऋण जोखिम व्यवस्था में नीति और कार्यप्रणाली शामिल है, जिसमें जोखिम का पता लगाना, जोखिम मापन, जोखिम का दर्जा/समूहन तकनीक, रिपोर्टिंग और जोखिम नियंत्रण/शमन करने की तकनीक, दस्तावेजीकरण, कानूनी मामले और आस्ति गुणवत्ता को बचाने के लिए समस्यावाले ऋणों का प्रबंधन और क्रमबद्ध विकास और आस्तियों पर लक्ष्यानुरुप जोखिम समायोजन प्रतिलाभ सुनिश्चित करना शामिल होता है.

18.4.2 ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के साथ आनुशंगिक प्रबंधन नीति में ऋण गतिविधियों से संबंधित ऋण जोखिमों को शामिल किया गया है. ऋण जोखिम के प्रबंधन में ऋण अनुमोदन प्राधिकारी, प्रूडेन्शियल सीमा, जोखिम रेटिंग प्रणाली, जोखिम आधारित प्राइसिंग, पोर्टफोलियो प्रबंधन आदि विभिन्न घटक हैं.

18.4.3 संपार्श्विक प्रबंधन नीति और ऋण जोखिम प्रबंधन नीति मिलकर, उधारी से संबंधित ऋण जोखिम पर नियंत्रण करती हैं. ऋण अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी, विवेकपूर्ण निवेश सीमा, जोखिम रेटिंग प्रणाली, जोखिम आधारित कीमत निर्धारण, पोर्टफोलियो प्रबंधन ऋण जोखिम प्रबंधन के विविध उपकरण हैं. बैंक ने ऋण मंजूरी के लिए कमेटी एप्रोच को अपनाया है और क्षेत्रीय कार्यालय एवं उससे उच्च कार्यालयों में ऋण अनुमोदन समितियों का गठन किया है. बैंक ने ₹ 2.00 लाख से अधिक की ऋण सीमा वाले खातों के लिए ऋण रेटिंग माडल और रिटेल लेंडिंग योजनाओं के लिए स्कोरिंग माडल विकसित किया है और इस प्रकार, बैंक का संपूर्ण ऋण संविभाग आंतरिक क्रेडिट रेटिंग के अध्यधीन होता है. बैंक के पास 10 वर्षों के क्रेडिट रेटिंग माइग्रेशन एवं चूक संभाव्यता के आंकड़े उपलब्ध हैं. यह उधारकर्ता, समूह, क्षेत्र, भौगोलिक, रिटेल योजनाओं, उद्योग आदि संकेन्द्रणों का निरंतर अनुश्रवण करता है और ऋण की गुणवत्ता सुधारने और ऐसी जोखिम प्रोफाइल बनाने के लिए तैयार रहता है, जो उधारकर्ताओं, उत्पादों, उद्योगों के प्रकार और भौगोलिक क्षेत्र के मामलों में विविधीकृत हो.

18.5 बाजार जोखिम :

18.5.1 आस्ति देयता प्रबंधन नीति एवं ट्रेज़री नीति बैंकिंग और व्यापार जगत में व्याप्त बाजार जोखिम का प्रबंधन करने में सहायक हैं. बाजार जोखिम के प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) की है. समिति की नियमित बैठकें होती हैं, जिनमें विभिन्न आस्तियों एवं देयताओं की मात्रा, संमिश्र, अवधि, मूल्य एवं संरचना के बारे में निर्णय लिया जाता है. यह मुख्यत: बाजार जोखिम की पहचान, मापन, अनुश्रवण और तरलता व ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करती है. यह तरलता और ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु अनुपात विश्लेषण, अंतर विश्लेषण, डायनामिक तरलता, ब्याज दर संवेदनशीलता, जोखिम मूल्य, अवधि गैप विश्लेषण इत्यादि उपकरणों का उपयोग करती है. इसका मूल उद्देश्य आय परिदृश्य तथा आर्थिक मूल्य परिदृश्य दोनों दृष्टिकोणों से मूल्यवर्द्धन करना है. बैंक के पास एक स्वतंत्र मिड आफिस कार्यरत है, जो ट्रेज़री में स्थित है तथा जोखिम प्रबंधन को रिपोर्ट करता है. यह आफिस, एक्सपोज़र विश्लेषण, निर्धारित ऋण सीमाओं तथा जोखिम संवेदनशील मानदंडों यथा जोखिम पर मूल्य, पीवी01 अवधि, विफलीकरण अवधि इत्यादि का अनुपालन एवं उनका विश्लेषण सुनिश्चित करता है.

18.6 परिचालनात्मक जोखिम :

18.6.1 परिचालन जोखिम के प्रबंधन के प्रारंभिक साधन के रुप में परिपूर्ण प्रणाली और प्रक्रिया तथा आंतरिक नियंत्रण और लेखापरीक्षा का प्रयोग किया जाता है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की उसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति है. परिचालन जोखिम की जांच और समाधान के लिए सभी नए उत्पादों को नव उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरना होता है. विगत साढ़े 5 वर्षों के परिचालन जोखिम के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें 8 कारोबार लाइनों और 7 हानि इवेंट्स में बांटा गया है. बैंक की आय भी 8 कारोबार लाइनों में चित्रित की गई है और मानकीकृत दृष्टिकोण में अंतरित करने के उपाय किए जा रहे हैं. बैंक ने आईबीए की पहल एक्सटर्नल डाटा पूलिंग में भी शामिल होने की सहमति दे दी है.

18.6.2 बैंक ने अपने कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अच्छे कार्पोरेट गवर्नेंस के उपाय के रुप में प्रकटन नीति बनाई है तथा कारोबार निरंतरता योजना बनाकर उसे कार्यान्वित किया है. कारोबार निरंतरता योजना में उथल-पुथल की स्थिति में अपने स्टाफ, आस्तियों और ग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों का विस्तृत खाका तैयार किया गया है. कारोबार निरंतरता योजना में वास्तविक जीवन की घटनाओं की चुनौतियों में रोकथाम एवं उनसे बचाव के उपायों का समावेश है.

18.7 बासल II का कार्यान्वयन :

18.7.1 बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय सीमा में पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क कार्यान्वित किया है. बैंक ने शुरुआत के ऋण जोखिम के लिए मानक प्रणाली, बाजार जोखिम के लिए मानक ड्युरेशन विधि और परिचालन जोखिम के लिए आरंभिक संकेतक प्रणाली को अपनाया है. इस दिशा में अब तक किए गए कार्य, बासल II समझौते में निर्धारित पूंजीमापन के अत्याधुनिक मानकों के पालन की दिशा में है. जहां तक क्रेडिट जोखिम का प्रश्न है, बैंक ने ए) जोखिम नीति बनाने, बी) ऋण जोखिम रणनीतियों एवं तत्संबंधी दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन, सी) ऋणों की क्रेडिट रेटिंग एंव स्कोरिंग, डी) पोर्टफोलियो प्रबंधन एवं रिपोर्टिंग ई) औद्योगिक अनुसंधान, एफ) ऋण जोखिम स्ट्रेस टेस्टिंग आदि क्षेत्रों में उन्नत एप्रोच अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया है. जोखिम संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को विभिन्न स्तरों पर गठित बैंक की ऋण मंजूरी समितियों में सदस्य बनाया गया है. बैंक ने अपने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के माध्यम से संपूर्ण स्वचालन और नेटवर्किंग परिवेश में काम करते हुए अपने आईटी ढांचे और प्रबंधन सूचना प्रणाली का उन्नयन किया है. बैंक ने अपने कर्मचारियों के जोखिम कौशल को अपग्रेड करने हेतु विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए हैं. बैंक ने उन्नत एप्रोच लागू करने की दिशा में की जाने वाली तैयारियों का भी पता लगा लिया है.

18.7.2 बैंक ने आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) माड्यूल तैयार किया है, जो उन्नत एप्रोच के लिए द्विआयामी ऑब्लीगर और अपेक्षित ऋण सुविधा मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है. इस मॉड्यूल को कार्यान्वित करा दिया गया है और सभी खाते अब केवल इस सिस्टम के माध्यम से ही मूल्यांकित किए जाते हैं. बैंक ने कार्पोरेट ग्राहकों की रेटिंग की गुणवत्ता में सुधार करने, सख्त रेटिंग आंकड़े प्राप्त करने और रेटिंग मॉडल के बेहतर प्रशासन के लिए एक केन्द्रीकृत रेटिंग पूल की भी स्थापना की है, मुख्य आईआरबी पैरामीटरों यथा चूक की संभावना (पीडी), हानि वाली चूक (एलजीडी) चूक में एक्सपोज़र (ईएडी) और परिपक्वता (एम) की गणना करने के लिए बैंक ने आवश्यक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है और यह डाटा के समेकन की प्रक्रिया में है.

18.7.3 परिचालनगत जोखिम के क्षेत्र में, बैंक ने एक जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) ढांचा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है. इस हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है और 30 उत्पादों एवं प्रक्रियाओं में जोखिम एवं नियंत्रण का पता लगाया गया है. बैंक की इस वर्ष के दौरान सभी प्रमुख उत्पादों एवं प्रक्रियाओं को इसमें शामिल करने की योजना है. मुख्य जोखिम सूचकों (केआरआई) के विकास का आधारभूत कार्य भी चल रहा है.

18.7.4 जोखिम प्रबंधन में जनबल के कौशल में वृद्धि के लिए बैंक जोखिम प्रबंधन पर आंतरिक प्रशिक्षण प्रदान करता है. इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं में जोखिम प्रबंधन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों को नामित किया जाता है. बैंक के पास अपनी स्वयं की उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रणाली है, जिसके माध्यम से बैंक अपने कर्मचारियों के व्यावसायिक एवं प्रबंध कौशल के विकास का प्रयास करता है. बैंक ने प्रतिष्ठित बिज़नेस स्कूलों से योग्य प्रोफेशनलों की भर्ती भी की है, जिससे जोखिम प्रबंधन की परंपरा, मूल्यांकन एवं प्रबंधन उपायों को परिष्कृत करने में मदद मिलेगी.

18.7.5 बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पिलर - 2 जोखिम की मात्रा के मापन के लिए एक ढांचा भी विकसित किया है और संपूर्ण आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (एसीएएपी) का ढांचा तैयार किया है, जिसका वैधीकरण बाहरी एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है.

18.7.6 परंपरागत परिमाण आधारित मापन पद्धति से जोखिम आधारित मापन पद्धति में परिवर्तन करने हेतु बैंक सशक्त और वैज्ञानिक निधि अंतरण मूल्य पद्धति अर्थात अनुरुप निधि अंतरण मूल्य पद्धति कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है. एक लाभप्रदता प्रबंधन मॉड्यूल भी खरीदा गया है, जो बैंक को विविध आयामों में लाभप्रदता मापने में सहायक होगा. इससे जोखिम आधारित निष्पादन मापन और जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण की ओर बढने का मार्ग प्रशस्त होगा.

18.7.7 बैंक ने योजना और रणनीति तैयार करने में और विविध कारोबार यूनिट के कार्यनिष्पादन के मापन में जोखिम की भूमिका को जोड़ने हेतु कदम उठाए हैं. बैंक अपने विविध कारोबारों से जुड़े जोखिमों की मदद के लिए मजबूत पूंजी आधार को बनाए रखकर अपने स्टेकधारकों को अधिकतम प्रतिफल प्रदान करने हेतु प्रयासरत है. बैंक के पास सभी परिस्थितियों में अपनी नियामक पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी संवृद्धि योजनाओं एवं कारोबारी रणनीतियों के निष्पादन में मदद के लिए एक सुदृढ़ टीयर 1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात है.

18.8 लचीलेपन को सशक्त बनाना : बासेल - III की पहल.

18.8.1 बासेल III के दिशानिर्देश, जो बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों, विनियमन के सशक्तीकरण, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन संबंधी सुधारों का विस्तृत सेट है, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मई 2012 में जारी किए गए हैं. तरलता जोखिम प्रबंधन एवं तरलता मानदंडों पर बासेल III फ्रेमवर्क पर ड्राफ्ट दिशानिर्देश भी फरवरी 2012 में जारी किए गए हैं.

18.8.2 इस पूंजी मानक और नए पूंजी बफर के अनुसार बैंकों को विद्यमान बेसल II की तुलना में अधिक पूंजी और पूंजी की उच्च गुणवत्ता रखनी होगी. नए लिवरेज अनुपात ने जोखिम आधारित न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को पूरक गैर जोखिम आधारित उपाय प्रचलित किए है. भारत में बैंकों का पूंजीकरण अच्छा है और यह पहले ही उनकी न्यूनतम निर्धारित अनुपात से अधिक है. चूंकि बासेल III को लागू करने के लिए 2018 तक का लंबा समय है, इसलिए यह अपेक्षित है कि तुरंत पूंजी लाने हेतु धीरे-धीरे दबाव बनाया जाए.

18.8.3 तरलता मानदंडों पर बासेल III फ्रेमवर्क के अधीन नया तरलता अनुपात यह सुनिश्चित करता है कि पर्याप्त निधियां रखी जाएं. बैंक भारिबैं दिशानिर्देशों की प्रतीक्षा कर रहा है, जिससे भारतीय परिप्रेक्ष्य में तरलता कवरेज अनुपात और शुद्ध स्टैबल फंडिंग अनुपात मानदंडों का अनुपालन किया जा सके.

18.8.4 बैंक स्वत: ही बासेल III मानदंडों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता, तरलता अनुपातों एवं लिवरेज अनुपातों का आंतरिक निर्धारण कर रहा है. बैंक की पूंजी बासेल III की न्यूनतम अपेक्षाओं के अनुरुप है.

18.9 केवाईसी-एएमएल

18.9.1 बैंक ने केवाईसी-एएमएल अनुपालन मजबूत बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं. खाता खोलने का नया फार्म बनाया गया है, जिसमें ग्राहक प्रोफाइल में अतिरिक्त सूचनाएं एवं केवाईसी जांच-बिन्दु शामिल किये गये हैं. अतिरिक्त सूचनाओं को शामिल करने के लिए साक्षात्कार एवं ग्राहक ड्यू डिलिजेंस फार्म को संशोधित किया गया है. सभी खातों में ग्राहक प्रोफाइल, जोखिम वर्गीकरण सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं. केवाईसी-एएमएल पर विशेष प्रशिक्षण सत्र/ कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं और बैंक के समस्त स्टाफ-सदस्यों को संवेदनशील बनाने हेतु सभी आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में केवाईसी-एएमएल पर एक सत्र शुरू किया गया है. बैंक द्वारा संदेहास्पद लेनदेनों के एलर्ट भेजने और फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट, भारत को इलेक्ट्रानिक माध्यम से संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर), नॉन प्राफिट आर्गनाजेशन लेनदेन रिपोर्ट (एनटीआर), जाली नोट रिपोर्ट (सीसीआर) और नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) भेजने के लिए धनशोधन सॉफ्टवेयर (एमलॉक) का प्रयोग किया जा रहा है. बैंक केवाईसी -एएमएल अनुपालन में सुधार हेतु लगातार प्रयासरत है.

18.10 धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

18.10.1 बैंक में एक पूर्णकालिक धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन विभाग (एफआरएमडी) कार्यरत है. यह विभाग उच्च प्रबंधन, बोर्ड एवं भारतीय रिज़र्व बैंक को धोखाधड़ी की रिपोर्ट भेजता है. इस विभाग के द्वारा जोखिम / धोखाधड़ी प्रवण क्षेत्र की पहचान एवं इनका डाटाबेस रखा जाता है. यह विभाग धोखाधड़ी समीक्षा परिषद के मैकेनिज़्म के माध्यम से सिस्टम एवं कंट्रोल में सुधार हेतु सुझाव देता है, जिससे सिस्टम में व्याप्त खामियां दूर की जा सके. यह विभाग धोखाधड़ी युक्त मामलों में वसूली के लिए निरंतर अनुश्रवण, धोखाधड़ी में लिप्त स्टाफ के विरुद्ध तुरंत एवं समय से कार्रवाई करना एवं सीबीआई/पुलिस/ईओडब्ल्यू से मामले को अंतिम रुप देने तक अनुवर्ती कार्रवाई करना सुनिश्चित करता है. विभाग सदैव परिचालन प्रैक्टिस, प्रक्रियाओं, नियंत्रण और समीक्षा मैकेनिज़्म को मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत रहता है जिससे धोखाधड़ी प्रवण क्षेत्रों को आंतरिक एवं बाहरी दोनों तरह की धोखाधड़ियों से बचाया जा सके.

18.10.2 बैंक अन्य सरकारी विभागों से धोखाधड़ी के तरीकों के बारे में विचारविमर्श करता है और यह सुनिश्चित करता है कि इसके बचाव हेतु निवारक उपाय कर लिए गए हैं. बैंक फायरवाल, पासवर्ड आथेन्टिकेशन आदि के माध्यम से अपनी आईटी सुरक्षा को भी मजबूत कर रहा है, जिससे साइबर धोखाधड़ी को कम किया जा सके / से बचा जा सके.

19. अनुपालन कार्य :

19.1 निरंतर बढ़ते विनियमन को ध्यान में रखते हुए, प्रभावी कार्पोरेट गवर्नेन्स के लिए अनुपालन पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाना जरूरी हो गया है. बैंक में एक मजबूत अनुपालन संस्कृति विकसित करने के प्रयास में, अनुपालन नीति की वार्षिक रूप से रचना और समीक्षा की जाती है. अनुपालन विभाग समन्वयक के तौर पर निरंतर अनुपालन मुद्दों की पहचान करता है, मूल्यांकन करता है और अनुपालन जोखिम कम करता है. कार्यात्मक विभागवार अनुपालन मुद्दों की पहचान की जाती है. बैंक में प्रत्येक स्तर पर अनुपालन कार्य के संबंध में भूमिका जिम्मेदारी परिभाषित है. विनियामक और सांविधिक अनुपालन विषयों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक स्वप्रमाणन प्रक्रिया, जिसमें शाखाओं द्वारा उच्च कार्यालयों को अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है, शुरू की गई है. स्वप्रमाणन की ऐसी ही प्रणाली केन्द्रीय कार्यालय में कार्यरत सभी वर्टिकलों के लिए भी शुरू की गई है. जोखिम अधिकारियों के माध्यम से आकस्मिक परीक्षण जांच / अनुश्रवण की निष्कर्ष रिपोर्ट उच्च प्रबंधन को प्रेषित की जाती है. बोर्ड एवं इसकी लेखापरीक्षा समिति को मासिक एवं त्रैमासिक अंतराल पर भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार(वित्त मंत्रालय) से प्राप्त प्रमुख आदेशों एवं उनकी अनुपालना की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है. बैंक के लिए विभिन्न अनुपालन विषयों पर एक व्यापक डाटाबेस विकसित किया गया है.

20. मानव संसाधन प्रबंधन :

20.1 आपके बैंक ने उद्योग में लागू सर्वश्रेष्ठ प्रैक्टिस को अपनाते हुए और उसे मानदंड बनाते हुए मानव संसाधन रणनीति को कारोबार रणनीति से समन्वय करने के लिये मानव संसाधन रूपांतरण प्रक्रिया आरंभ की है. इसके परिणामस्वरूप, मानव संसाधन विभाग ने विभिन्न नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सरल व कारगर बनाया, कार्य को स्पष्ट करते हुए भूमिकाओं को लिखित रूप में परिभाषित कर फीडबैक की सुविधा के साथ इंट्रानेट पर अपलोड किया. मानव संसाधन विभाग ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों को समाहित करते हुए एक वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी निष्पादन प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की है. यूनियन परिवार (पीपुलसॉफ्ट) का एक नया माड्यूल बनाया गया, जिसमें नयी मूल्यांकन प्रणाली को ऑन लाइन प्रस्तुत किया जा सकता है. जनबल की आवश्यकता पता करने के लिये वैज्ञानिक माडल पर आधारित जनबल आयोजना व गणना आरंभ की गयी है. बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिये उत्तराधिकार योजना आरंभ की है तथा नेतृत्व की पाइपलाइन बना रहा है.

20.2 जनबल संख्या : 31 मार्च 2013 को बैंक के कुल जनबल का विवरण इस प्रकार है :

तालिका क्र-13: कर्मचारी संख्या

पैरामीटर	अधिकारी	लिपिक	अधी. स्टाफ	योग
कुल कर्मचारी	16405	9399	5994	31798
जिसमें से :				
अनुसूचित जाति (एससी)	2906	1932	2372	7210
अनुसूचित जनजाति (एसटी)	1100	528	535	2163
अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी)	2796	1946	1341	6083
विकलांगता ग्रस्त (PWD)	120	113	76	309
भूतपूर्व सैनिक	71	215	982	1268
महिलाएं	2865	2466	805	6136

20.3 भर्ती: बैंक ने 2873 अधिकारियों और 1636 लिपिकों को मिलाकर 4509 कर्मचारियों की भर्ती की. भर्ती किये गये अधिकारियों में 2473 प्रोबेशनरी अधिकारी थे और 204 ग्रामीण विकास अधिकारी.

20.4 आरक्षण नीति : बैंक विभिन्न एससी/एसटी एवं ओबीसी कल्याणकारी संगठनों से नियमित विचारविमर्श करता है और नीतिगत मामलों से संबंधित समस्याओं सहित विभिन्न आरक्षित श्रेणी कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए इस मंच का पूरा उपयोग किया जाता है. विद्यमान सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न आरक्षित श्रेणियों को आरक्षण, छूट एवं रियायतें प्रदान की गई हैं.

20.5 औद्योगिक संबंध : प्रमुख श्रम संघों के साथ निरंतर संवाद तथा सभी विवादास्पद मामलों के समाधान के कारण बैंक के औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण रहे हैं. अनुशासनिक कार्रवाई के मामले अत्यंत न्यायपूर्ण ढंग से तथा मानवीय दृष्टिकोण के साथ शीघ्रता से निपटाये गये हैं.

21. गृह पत्रिका यूनियन धारा :

21.1 "हमारे बैंक की गृह पत्रिका" "यूनियन धारा" प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच आंतरिक संप्रेषण का उत्कृष्ट माध्यम बनी हुई है. यह स्टाफ सदस्यों में एकता की भावना पैदा करने और उन्हें अपने कर्तव्य, निष्ठा एवं सृजनशीलता के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य में सफल रही है.इस वर्ष **'यूनियन धारा'** को विभिन्न प्रतियोगिताओं में कुल 11 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं.

21.2 यूनियन धारा को ताज महल होटल मुंबई में आयोजित एबीसीआई (एसोसिएशन ऑफ बिजनस कम्यूनिकेटर्स ऑफ इंडिया) के 52 वें पुरस्कार समारोह में अति प्रतिष्ठित "चैंपियनों का चैंपयिन" पुरस्कार सहित 6 पुरस्कार मिले. भारतीय रिजर्व

बैंक ने "द्विभाषी गृह पत्रिका" श्रेणी में दूसरा पुरस्कार प्रदान किया. यूनियन धारा को "पीआरसीआई (पब्लिक रिलेशन काउंसिल आफ इंडिया) बेंगलूर से रजत पुरस्कार मिला. इसे "आशीर्वाद" मुंबई से "श्रेष्ठ गृहपत्रिका पुरस्कार" और "राजभाषा किरण" मुंबई से "उत्कृष्ट सम्मान पुरस्कार"भी मिला.

22 राजभाषा कार्यान्वयन :

22.1 वर्ष के दौरान आपके बैंक ने राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये राजभाषा संबंधी विभिन्न गतिविधियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिये कोर राजभाषा सॉल्यूशन आरंभ और कार्यान्वित किया, हिंदी में "रिटेल बैंकिंग -विविध आयाम" पुस्तक का प्रकाशन किया, एटीएम संबंधी कामिक पुस्तिका "मैं हूं ना" प्रकाशित की, कार्यपालकों और स्टाफ सदस्यों के लिये क्रमश: राजभाषा और बैंकिंग पर ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, नये भर्ती हुए राजभाषा अधिकारियों के लिये अनुवाद कार्यशाला का आयोजन किया और एमआईएस में हिंदी में रिपोर्ट जेनरेट करना आरंभ किया. बैंक के कार्यपालकों के लिये दिल्ली, लखनऊ और चेन्नै में राजभाषा संगोष्ठियों का आयोजन किया. बैंक ग्रामीण जनता खासकर बच्चों में बैंकिंग की आदत को प्रोत्साहित करने के लिये हिंदी में एनीमेशन फिल्म का निर्माण कर रहा है.

23 सुरक्षा

23.1 आलोच्य वर्ष के दौरान आपके बैंक ने सुरक्षा की मूलभूत संरचना को मजबूत करके, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके और शाखाओं के सुरक्षा मानकों में सुधार हेतु व्यापक सुरक्षा निरीक्षण करके बैंक में सुरक्षा के स्तर में वृद्धि करने के लिए संगठित प्रयास किए हैं. सुरक्षा अधिकारियों द्वारा 1376 शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया. इलेक्ट्रॉनिक निगरानी व्यवस्था को प्रमुखता से लागू करने के लिए 888 और शाखाओं में क्लोज़्ड सर्किट टेलीविज़न सिस्टम स्थापित किये गये, जिसके फलस्वरुप क्लोज़्ड सर्किट टेलीविज़न सिस्टम युक्त शाखाओं की कुल संख्या 3102 हो गई है. स्टाफ सदस्यों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सुरक्षा एवं आग-सुरक्षा पर जोर दिया गया और इस हेतु सुरक्षा अधिकारियों द्वारा 1376 शाखाओं में सुरक्षा एवं आग से बचाव पर लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और बैंक के केन्द्रीय कार्यालय और टैक्नालॉजी केन्द्र पर फुल बिल्डिंग फायर इवैक्यूएशन ड्रिल आयोजित की गई. 951 आर्म्ड गार्ड्स ने पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया, जिसमें वास्तविक फायरिंग अभ्यास भी कराया गया.

24 आंतरिक लेखापरीक्षा :

24.1 जून 2012 में वित्त मंत्रालय ने जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये थे जो 1.04.2013 से लागू किये जाने थे. मंत्रालय के दिशानिर्देशों और अपेक्षाओं के अनुसार बैंक ने मौजूदा जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अद्यतन किया है और ऑनलाइन लेखापरीक्षा के सॉफ्टवेयर को पुन: बनवाया है. बैंक ने 2012-13 के लिये जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा और समवर्ती लेखापरीक्षा के लिये बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित सुपरिभाषित लेखापरीक्षा नीति बनायी है. वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एएफआई) के संबंध में भारतीय रिजर्व के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने वार्षिक वित्तीय निरीक्षण 2013-15 के लिये के नीति बनायी है, जिसमें एएफआई अनुपालन की संपूर्ण प्रक्रिया दी गयी है और जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है.

24.2 वर्ष के दौरान 2935 शाखाओं की ऑडिट की गई. इसमें, 92 विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करने वाली शाखाएं, 46 सेवा शाखाएं और 64 करेंसी चेस्ट, 5 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं 4 क्षेत्र महा प्रबंधक कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय के 18 विभागों की मैनेजमेंट ऑडिट शामिल है. बैंक की सहायक कंपनी यूनियन केबीसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी व संयुक्त उपक्रम स्टार यूनियन दाई ईची की लेखापरीक्षा भी की गयी. बैंक का 68% कारोबार कवर रही. 679 शाखाएं / कार्यालय सनदी लेखाकारों की बाहरी फर्मों द्वारा समवर्ती लेखापरीक्षा के अधीन हैं. वित्त मंत्रालय ने समवर्ती लेखापरीक्षा के बारे में अपने दिशानिर्देशों द्वारा अपेक्षा की है कि दिनान 01.04.2013 से बैंक की जमाराशि और अग्रिम का 70 प्रतिशत समवर्ती लेखापरीक्षा के अधीन होना चाहिये. बैंक इस अपेक्षा को पूरी करने के लिये अच्छी तरह तैयार है. बोर्ड द्वारा 2013-15 के लिये समवर्ती लेखापरीक्षा नीति को भी अनुमोदन प्रदान किया है.

24.3 वर्ष 2012-13 के लिये सूचना प्रणाली(आईएस) लेखापरीक्षा कक्ष का कार्य बाह्य एजेंसी को सौंपा गया था, जो उन्होंने जनवरी 2013 से आरंभ कर वित्तीय वर्ष के अंदर पूर्ण कर दिया था. सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा टीम नें 13 सूचना प्रणालियों का लेखापरीक्षा कार्य पूर्ण कर दिया. इसके अलावा वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने बोर्ड के अनुमोदन से अपनी प्रथम/स्वतंत्र आईएस लेखापरीक्षा नीति बनायी है.

24.4 वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की 12 बैठकें हुईं. इसने परिचालनात्मक दक्षता में सुधार और प्रणालियों एवं नियंत्रण को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिए.

25 सतर्कता:

25.1 संस्था में उत्कृष्टता लाने के लिये सतर्कता एक आवश्यक साधन है, क्योंकि यह अनुशासन और परिचालन सुरक्षा के साथ नैतिक वातावरण के सृजन में एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक भूमिका अदा करता है. परिचालन के सभी क्षेत्रों को कवर करते

हुए और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक विस्तृत एवं सुसंरचित सतर्कता प्रणाली लागू है. बैंक का जोर निरोधक सतर्कता पर है, क्योंकि यह हमें धोखाधड़ी की रोकथाम, विकास एवं लाभ प्राप्त करने में मदद करती है. क्षेत्र कर्मियों में आवश्यक जागरूकता पैदा करने और उनके कौशल को तेज करने, सिस्टम और प्रक्रियाओं के बारे में उनकी जानकारी के स्तर को बढ़ाने और छिपी हुई दिक्कतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कई विचारमंथन सत्र आयोजित किये गए. वर्ष 2011 - 2012 के दौरान बैंक के विभिन्न कार्यालयों में ऐसे 413 निरोधक सतर्कता निरीक्षण किए गए. निवारक सतर्कता निराक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं के बारे में क्षेत्र के अधिकारियों से चर्चा और विचारविमर्श किया गया ताकि उनको अपने क्षेत्र की शाखाओं के प्रभावी पर्यवेक्षण में सहायता मिल सके. प्रभाविता बढ़ाने और संभावित कमियों के निराकरण के लिये सिस्टम और कार्यविधि में सुधार के उपाय सुझाये गये. इस वर्ष बैंक की सूचना प्रौद्यौगिकी प्रणाली के माध्यम से गलत कामों की निगरानी की व्यवस्था आरंभ करके संभाव्य गलत काम करने वालों को चेतावनी देने का काम किया गया है.

26 अवसर :

26.1 भारत के वृहद् आधारभूत आर्थिक संकेतकों में सुधार दिखायी दे रहा है. मुद्रा सफीति की दर भातीय रिजर्व बैंक की अनुमानित दायरे में है जिससे मौद्रिक उपायों में रियायत की संभावना है. सरकार द्वारा आर्थिक एकीकरण की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं तथा सुधार के उपायों से बाजार का विश्वास बहाल किया जा रहा है. निवेश के माहौल में सुधार से संभव है चालू खाते के घाटे की भरपाई आसानी से हो जाये. बैंकिंग उद्योग इस सुधार प्रक्रिया का संवाहक और लाभग्रहीता दोनों ही है. ऋण की ब्याज दरों में कमी होने से रिटेल उधारी को बढ़ावा मिलेगा जो ऋण चक्र के इस मंदी के दौर में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा था. विशिष्ट उत्पादों की बढ़ती श्रेणियों, युवा पीढ़ी के पास उपलब्ध व्यय किये जाने के लिये उपलब्ध अधि आय और डिलीवरी चैनलों के प्रसार के कारण मौजूदा परिदृश्य में भी रिटेल बैंकिंग में विकास की प्रचुर संभावना हैं. लघु और मध्यम उद्यमों को सही समय और उचित मूल्य पर उत्पाद की उपयुक्त श्रेणी उपलब्ध कराने के भी अवसर हैं. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों की सीमा में वृद्धि के बाद कृषि अग्रिमों में वृद्धि की संभावना है. इंटरनेट और ब्राडबैंड की पहुंच बढ़ने के साथ-साथ मोबाइल बैंकिंग में निकट भविष्य में बैंकिंग के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन की सामर्थ्य है.

27 चुनौतियां :

27.1 किसी व्यवसाय चक्र में ठहराव के बिंदु की पहचान करना हमेशा से ही कठिन काम रहा है. भारत के वैश्विक बाजारों के बढ़ते एकीकरण के कारण देश की अर्थव्यवस्था उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदी हो गयी है जिसको वैश्विक उत्पादन चक्र की विषमताएं व्यापार, वित्त और विश्वास के वातावरण के माध्यम से अपेक्षाकृत शीघ्रता से प्रभावित करती हैं. वर्ष 2013 में वैश्विक उत्पादन में मामूली सुधार ही संभावित है. अमेरिका में सार्वभौमिक त्रण मसले के समाधान की धीमी गति, जापान के मौद्रिक उपायों के परिणाम मालूम न होने, यूरो क्षेत्र में साइप्रस जैसे संकट की पुनरावृति आदि अर्थव्यवस्था में सुधार के समक्ष वास्तविक चुनौतियां हैं. इसके अलावा, चालू खाते का घाटा, विनिमय दर जोखिम, राजकोषीय व्यय का विलंबित कंप्रेशन भारत के विकास अनुमानों को गलत ठहरा सकते हैं. इसके अलावा, सरकारी यूटिलिटीज, विद्युत, कपड़ा, वायुसेवा और सूक्ष्म वित्त आदि पर पड़ रहे दबावों को देखते हुए इन सैक्टरों को उधार देने में सतर्कता बरते जाने की आवश्यकता है.

28. पूर्वानुमान:

28.1 भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर पिछले वित्त वर्ष से एक प्रतिशत अधिक रहने की आशा है. व्यावसायिक पूर्वानुमानों के अनुसार वर्ष 2011-12 की जीडीपी की अनुमानित 5 प्रतिशत वार्षिक विकास दर की तुलना में वर्ष 2012-13 में यह 6.0 प्रतिशत रहना संभावित है. भारतीय रिजर्व बैंक ने 2013-14 लिये जीडीपी की विकास दर 5.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशि और अग्रिम क्रमश: 14 प्रतिशत और 15 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है. आपका बैंक वित्त वर्ष 2012-13 की दूसरी छमाही से ही सभी प्रमुख पैरामीटरों के कामकाज में क्रमानुसार सुधार दिखा रहा है. इस घटनाक्रम के साथ औद्यौगिक विकास की संभावनाओं को देखते हुए वित्त वर्ष 2013-14 में विकास दर बढ़ने की आशा है और आपका बैंक आगामी वर्षों में बेहतर परिणाम दिखा सकेगा. आपका बैंक सभी अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास करेगा तथा वित्त वर्ष 2013-14 में हमारा ध्यान कम लागत की जमाराशि में हिस्सेदारी बढ़ाने और कृषि, रिटेल, सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्यम कारोबार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा. समग्र रुप से, ग्राहक संकेन्द्रीकरण बैंक को सतत आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देगा.

कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1. कार्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बैंक की मान्यता

1.1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में श्रेष्ठ कार्पोरेट गवर्नेंस की परिपाटी रही है. शेयरधारकों की संपदा वृद्धि और हितधारकों के हितों के संरक्षण के लिए बैंक ने अपने सभी स्तर के कार्यों में औचित्य, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है.

1.2 बैंक स्वयं को अपने शेयरधारकों का ट्रस्टी मानता है और उनके लिए संपदा सृजन करने और उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी स्वीकार करता है. आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक कार्पोरेट कार्यनीति लागू करने और उसका अनुश्रवण करने, सुविचारित कारोबार योजना बनाने, बैंक के कारोबार की प्रमुख जोखिमों का अनुश्रवण करने तथा कानूनी एवं नैतिक जिम्मेदारियों के निर्वाह के लिए नीतियों और कार्यपद्धतियों के पालन के माध्यम से उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहा है.

2. निदेशक मंडल

1.1 निदेशक मंडल का संघटन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण),1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है. 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा नियुक्त 3 पूर्णकालिक निदेशक यथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और दो कार्यपालक निदेशकों के अतिरिक्त 9 अंशकालिक गैर-कार्यपालक निदेशक भी हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों से चुने गए श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं. विभिन्न क्षेत्रों में उनके बहुमूल्य एवं वृहद् अनुभव बैंक की प्रगति एवं उपलब्धियों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं.

2.2 निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व में नीति निर्माण, नई पहल, कार्यनिष्पादन समीक्षा और बैंक के विभिन्न क्षेत्र कर्मियों को प्रदत्त शक्तियों से अधिक के मामलों में मंजूरी प्रदान करना और नियंत्रण करना सम्मिलित है. निदेशक मंडल ने विभिन्न समितियां बनाई हैं और विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है. निदेशक मंडल और समितियों की बैठक आवधिक अंतराल पर होती है.

3. बोर्ड / समिति की बैठकें और कार्यवाहियां

3.1 कार्यसूची मदों का निर्धारण और क्रमांकन

बोर्ड / समिति के सभी सदस्यों को बैठकों की सूचना पहले ही दे दी जाती है. बैठकें पूर्व निर्धारित कार्यसूची के अनुसार संपन्न होती है. बैठक से पहले कार्यसूची और व्याख्यात्मक नोट उपलब्ध करा दिये जाते हैं.

3.2 सदस्यों को जानकारी उपलब्ध कराना

कार्यसूची की सभी मदें विस्तृत जानकारी से परिपूर्ण होती हैं, जिससे सदस्य व्यापक समीक्षा कर उचित निर्णय ले सकें.

3.3 कार्यवाही के कार्यवृत्त रिकार्ड करना

बोर्ड / समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त रिकार्ड किये जाते हैं. श्रेष्ठ कार्पोरेट गवर्नेंस सिद्धान्तों के आधार पर सभी कार्यसूची मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है. बैठकों की कार्यवाहियां कार्यवृत्त बही में प्रषिट की जाती है.

3.4 अनुवर्ती कार्रवाई प्रक्रिया

बैंक के पास, बैठक के बाद की अनुवर्ती कार्रवाई, बोर्ड और समितियों द्वारा लिये गये निर्णयों की समीक्षा और रिपोर्टिंग प्रक्रिया हेतु प्रभावी प्रणाली मौजूद है. पिछली बैठक(कों) में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्रवाई की रिपोर्ट/पिछली बैठक के कार्यवृत्त बोर्ड / समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किए जाते हैं.

3.5 अनुपालन

बोर्ड द्वारा अनुपालन रिपोर्टों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है ताकि सभी लागू होने वाले विधिक प्रावधानों, नियमों और दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके.

3.6 कार्पोरेट गवर्नेंस संहिता

उत्तम पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने कार्पोरेट गवर्नेंस की स्वैच्छिक संहिता तैयार की है. यह संहिता शीर्ष से ही अच्छी कार्पोरेट गवर्नेंस की भावना का विकास करती है. इसमें मूलत: सभी हितधारकों के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वाह में बैंक में प्रचलित कार्यप्रणालियां सम्मिलित एवं प्रलेखित हैं, यथा :

- निदेशक मंडल एवं उसकी विभिन्न समितियों की कार्यप्रणालियां
- अनुपालन एवं अनुश्रवण कार्यप्रणाली
- शेयरधारकों एवं ग्राहकों के साथ संबंध
- व्यापक स्तर पर सार्वजनिक प्रकटन
- कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और ;
- अन्य विधिक मामले जैसे आचार संहिता, इनसाइडर ट्रेडिंग, कार्मिक मामले, सतर्कता आदि.

3.7 बोर्ड बैठकें

आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित तिथियों को 20 बोर्ड बैठकें संपन्न हुईं :

20 अप्रैल,2012	1 नवंबर, 2012
8 मई, 2012	2 नवंबर, 2012
9 मई, 2012	27 नवंबर, 2012
9 जून, 2012	22 दिसंबर, 2012
25 जून, 2012	27 दिसंबर, 2012
10 जुलाई, 2012	20 जनवरी, 2013
26 जुलाई, 2012	30 जनवरी, 2013
27 जुलाई, 2012	31 जनवरी, 2013
31 अगस्त, 2012	25 फरवरी, 2013
24 सितंबर, 2012	25 मार्च, 2013

वर्ष के दौरान हुई बोर्ड बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, बोर्ड समितियों की संख्या, जिनके वे सदस्य या अध्यक्ष हैं और अन्य कंपनियों / निगमों, जिनमें वे शेयरधारक एवं निदेशक हैं, का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशकों एवं वर्ष 2012-13 के दौरान आयोजित बैठकों के ब्यौरे

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	जन्म-दिवस / आयु (वर्ष)	अर्हता	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति	निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता	शेयर धारिता	अन्य कंपनियों में निदेशक
श्री डी सरकार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (कार्यपालक)$	03.11.1953 59वर्ष	एम काम, एफसीए, सीएआईआईबी	20	20	सीएसी-1, एमसीएम, एससीआर एवं एएलएम, डीपीसी, डी पी सी (वी) एससीएमएफ, एसटीसीबी, सीएससीबी, एच आर, पीएसबी द्वारा ईएसवी, आरएमसी	शून्य	3
श्री एस.एस.मूंदड़ा कर्यपालक निदेशक (कार्यपालक)$	18.07.54 58 वर्ष	पुणे विश्वविद्यालय से कामर्स में पोस्ट ग्रेजुएट तथा आईआईबीएफ के प्रमाणित एसोसिएट	16	16	सीएसी, एमसीएम, एसीबी, एससीआर एवं एएलएम, एसआईजीसी, एससीएमएफ, एसटीसीबी,सीएससीबी, एचआर, आईटी, पीएसबी द्वारा ईएसवी, आरएमसी	शून्य	2
श्री एस के जैन कर्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	05.05.1954 57 वर्ष	बीएससी (ऑनर्स), एम ए (अर्थ), सीएआईआईबी	20	19	सीएसी, एमसीएम, एसीबी, एससीआर एवं एएलएम, एसआईजीसी, एससीएमएफ, एसटीसीबी,सीएससीबी, एचआर, आईटी, पीएसबी द्वारा ईएसवी, आरएमसी	शून्य	1
श्री के. सुब्रम्हण्यम	15.07.55 57 वर्ष	बी. कॉम (ऑनर्स), सीएआईआईबी(I)	4	4	सीएसी, एमसीएम, एसीबी, एससीआर एवं एएलएम, एसआईजीसी, एससीएमएफ, एसटीसीबी,सीएससीबी, एचआर, आईटी, पीएसबी द्वारा ईएसवी, आरएमसी	शून्य	2
डा. ए. भट्टाचार्या # भारत सरकार द्वारा नामित (गैर कार्यपालक)	30.09.53 59 वर्ष	अर्थशास्त्र में पीएचडी, लोक प्रशासन में एम फिल, एलएलबी	14	7	एसीबी, एससीआर एवं एएलएम, डीपीसी, डी पी सी (वी), एससीएमएफ, एनसीबी,आरसीबी, एचआर, आरएमसी	शून्य	शून्य
श्री राजेश खुल्लर # भारत सरकार द्वारा नामित (गैर कार्यपालक)	31.08.63 49 वर्ष	एमएससी (भौतिकशास्त्र)	6	--	एसीबी, एससीआर एवं एएलएम, डीपीसी, डी पी सी (वी), एससीएमएफ, एनसीबी, आरसीबी, एचआर	शून्य	शून्य
श्री चंदन सिन्हा भारबिं. नामिति (गैर कार्यपालक)	15.08.57 55 वर्ष	एमएससी, एमबीए, सीएआईआईबी	20	14	एमसीएम, एसीबी, डीपीसी, डी पी सी (वी), आरसीबी,	शून्य	शून्य
श्री बी एम शर्मा @ चार्टर्ड एकाउन्टेंट (गैर कार्यपालक)	15.07.56 56 वर्ष	चार्टर्ड एकाउंटेंट	20	20	एमसीएम, एसीबी, एससीआर एवं एएलएम, एसटीसीबी, एनसीबी, आईटी, पीएसबी द्वारा ईएसवी,	शून्य	शून्य
श्री बी एन भट्टाचार्जी अधिकारी कर्मचारी (गैर कार्यपालक)	31.05.54 58 वर्ष	बीए, एलएलबी-I	20	20	एमसीएम, सीएससीबी, एससीआर एवं एएलएम, एसटीसीबी,	19	शून्य
श्री एन. शंकर वर्कमैन कर्मचारी (गैर-कार्यपालक)	20.05.58 54 वर्ष	बीएससी, आईसीडब्ल्यूए	20	8	एमसीएम, सीएससीबी एसआईजीसी,	शून्य	शून्य

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	जन्म-दिवस / आयु (वर्ष)	अर्हता	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति	निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता	शेयर धारिता	अन्य कंपनियों में निदेशक
डा. अतुल अग्रवाल अंशकालिक गैर सरकारी (गैर कार्यपालक)	02.08.60 52 वर्ष	बी काम, एलएलबी, एफसीए., आईएसए(सीए)पीएचडी	20	20	एमसीएम, एसीबी, एसआइजीसी, सीएससीबी, आईटी, आरसीबी, एनसीबी, पीएसबी द्वारा ईएसवी,	193	2
डा. आर. एच. ढोलकिया $ शेयरधारक (गैर-कार्यपालक)	02.04.53 59 वर्ष	अर्थशास्त्र में पीएचडी,	15	14	एमसीएम, एचआर, सीएससीबी	200	2
श्री जी. के. लाठ $ शेयरधारक (गैर-कार्यपालक)	20.08.52 60 वर्ष	बी. कॉम, एफसीए,	15	13	एमसीएम, सीएससीबी, एससीएमएफ	100	शून्य
श्री डी. चटर्जी $ शेयरधारक (गैर-कार्यपालक)	23.08.48 64 वर्ष	बी. कॉम(ऑनर्स), सीए,	15	13	एमसीएम, एससीआर एवं एएलएम, आरसीबी,	200	9
प्रो. एम एस श्रीराम # शेयरधारक (गैर कार्यपालक)	16.05.62 50 वर्ष	इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट ,आनंद (आईआरएमए) से ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (1984) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलूर के फेलो (1992). शिक्षा एवं परामर्श में दो दशकों से अधिक का अनुभव. वित्तीय लेखांकन, कृषि वित्त, सामाजिक उद्यमशीलता और सूक्ष्म वित्त में विशेषज्ञता.	4	4	एमसीएम, एसीबी, एससीआर एवं एएलएम, सीएससीबी, एससीएमएफ, एसटीसीबी, आरसीबी, एचआर	100	2
श्री एस. रवि @ शेयरधारक (गैर-कार्यपालक)	12.07.59 53 वर्ष	बीएससी, एम. कॉम एवं एफसीए, सेंटर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, जेएमआई से पीएचडी कर रहे हैं.	4	4	एमसीएम, एससीआर एवं एएलएम, सीएससीबी, आईटी	600	13

$ डा. ए. भट्टाचार्या बोर्ड में दिनांक 20.07.2012 से श्री राजेश खुल्लर के स्थान पर नामित किये गये.
श्री के. सुब्रम्हण्यम बोर्ड में 21.01.2013 से श्री एस. के. मूंदड़ा के स्थान पर नामित किये गये .
डा. आर. एच. ढोलकिया, श्री जी. के. लाठ एवं श्री दीपांकर चटर्जी दिनांक 27.06.2012 से बोर्ड में शेयरधारक निदेशक के रूप में शामिल किए गये.
श्री डी. सरकार बोर्ड में दिनांक 01.04.2012 से श्री एम. वी. नायर के स्थान पर नामित किये गये.

@ एसीबी के अध्यक्ष

निदेशक के रूप में श्री एम.एस. श्रीराम एवं श्री एस. रवि, शेयरधारक निदेशकों का कार्यकाल दिनांक 22.06.2012 को समाप्त हुआ.
श्री राजेश खुल्लर का कार्यकाल दिनांक 19.07.2012 को समाप्त हुआ.
श्री एस. एस. मूंदड़ा का कार्यकाल दिनांक 21.01.2013 को समाप्त हुआ.

सीएसी	-	ऋण अनुमोदन समिति
एमसीएम	-	निदेशक मंडल की प्रबंध समिति
एसीबी	-	निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति
एससीआर एवं एएलएम	-	जोखिम और आस्ति-देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति
एसआईजीसी	-	निदेशक मंडल की शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति
डीपीसी	-	निदेशकों की पदोन्नति समिति
डीपीसी(वी)	-	निदेशकों की पदोन्नति समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता

एसटीसीबी	-	निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति
एससीएमएफ	-	₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति
सीएससीबी	-	बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति
आरसीबी	-	बोर्ड की पारिश्रमिक समिति
एनसीबी	-	बोर्ड की नामांकन समिति
एचआर	-	मानव संसाधन मुद्दों के लिए बोर्ड की उपसमिति
आईटी	-	बोर्ड की आइटी रणनीति समिति
आरएमसी	-	बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति
पीएसबी द्वारा ईएसवी	-	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा शेयरधारकों का वोटिंग द्वारा चुनाव

3.8 निदेशकों की समिति सदस्यता

श्री एस. के. जैन, कार्यपालक निदेशक बैंक के बाहर निम्नलिखित लेखापरीक्षा समिति या निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता रखते हैं / के अध्यक्ष हैं :

1. यूनियन केबीसी एएमसी प्रा.लि.-सदस्य, लेखापरीक्षा समिति

श्री डी. चटर्जी, निदेशक बैंक के बाहर निम्नलिखित लेखापरीक्षा समितियों / निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता रखते / अध्यक्षता करते हैं:

1. हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एवं इंडस्ट्रीज़ लि. - सदस्य, लेखापरीक्षा समिति
2. पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लि. - अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति
3. टीआरएफ लि. - अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति
4. टेक्समैको इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड होल्डिंग्स लि. - सदस्य, लेखापरीक्षा समिति

डा. आर. एच. ढोलकिया, निदेशक बैंक के बाहर निम्नलिखित लेखापरीक्षा समितियों / निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता रखते / अध्यक्षता करते हैं:

1. स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि. - सदस्य, लेखापरीक्षा समिति
2. अदानी इंटरप्राइसेज़ लि. - सदस्य, लेखापरीक्षा समिति

3.9 निदेशकों का आपसी संबंध

कोई भी निदेशक आपस में रिश्तेदार नहीं हैं.

3.10 वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान निदेशक मंडल में शामिल किए गए नए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

31 मार्च 2012 के उपरांत बोर्ड में सम्मिलित निदेशकों की प्रोफाइल

नाम	आयु	अनुभव	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि	अन्य कं. में निदेशक पद
श्री डी सरकार	59 वर्ष	श्री डी.सरकार ने 1 अप्रैल, 2012 से बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्य-भार ग्रहण किया है. आपका जन्म 3 नवम्बर, 1953 को हुआ. श्री सरकार ने कामर्स में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है और वे अर्हता प्राप्त फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हैं. इसके अतिरिक्त, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनांस के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा से अपना कैरियर शुरु करके, उन्होंने विभिन्न शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों, अंचलीय कार्यालयों और कारपोरेट कार्यालय में कार्य किया. आप पोर्ट लुई में बैंक के मॉरीशस परिचालन के प्रभारी रहने के साथ ही साथ मॉरीशस, सेचेल्स एवं दक्षिण अफ्रीका की आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के भी प्रभारी रहे. उन्होंने विशेषीकृत इंटीग्रेटेड ट्रेजरी शाखा, मुंबई के प्रमुख के रुप में भी कार्य किया.	01.04.2012	30.11.2013 अर्थात सेवानिवृति की तारीख या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो.	3

नाम	आयु	अनुभव	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि	अन्य कं. में निदेशक पद
		श्री सरकार ने 07.12.2009 को इलाहाबाद बैंक के कार्यपालक निदेशक का कार्य ग्रहण किया. श्री सरकार के नेतृत्व में इलाहाबाद बैंक की सभी शाखाएं सीबीएस प्लैटफार्म के अंतर्गत लायी गईं. आपने इलाहाबाद बैंक में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा लाने की भी पहल की. उन्होंने ऋण समूहन विभाग को कार्य निष्पादन आधारित व्यापक प्रोत्साहन योजना बनाकर पुनः सक्रिय किया. श्री सरकार ट्रेज़री एवं कारपोरेट क्रेडिट विशेषतः ऋण नियोजन में विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं. वे सेंट्रल सीक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड मुंबई और बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड (बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ओवरसीज बैंकिंग सब्सीडरी) के बोर्ड में निदेशक रह चुके हैं. आप बड़ौदा पायोनियर असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई के न्यासी भी रहे हैं. आप आईसीआईसीआई वेन्चर कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, बैंगलूर द्वारा प्रायोजित इंडिया एडवांटेज फंड सीरीज के सुपरवाइजरी बोर्ड के सदस्य भी थे. श्री सरकार आल बैंक फाइनेंस लि. के निदेशक भी रहे. वर्तमान में वे यूनियन के.बी.सी. एवं स्टार यूनियन दाई ईची जीवन बीमा क. लि. के गैर कार्यपालक अध्यक्ष हैं. साथ ही वे जीआईसीआर.ई. के अध्यक्ष भी हैं. श्री सरकार इन्स्टिट्यूट आफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (आई.बी.पी.एस.) मुम्बई के नियंत्रक मंडल के सदस्य भी हैं. आप एक अच्छे लीडर एवं प्रभावी वक्ता के तौर पर जाने जाते हैं. श्री सरकार के मार्गदर्शन में बैंक ने सार्थक वित्तीय समावेशन को लागू करने का अद्भुत कार्य करने के साथ ही साथ अपनी समुद्रपारीय उपस्थिति का भी विस्तार किया है.			
श्री जी. के. लाठ शेयरधारक (गैर-कार्यपालक)	60 वर्ष	60 वर्षीय श्री लाठ लखनऊ से हैं. आप वाणिज्य स्नातक हैं और आपको चार्टर्ड एकाउंटेंट की प्रैक्टिस का 35 वर्ष से अधिक का अनुभव है. बैंकिंग उद्योग की लेखापरीक्षा के अलावा, आपने कई निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों, बीमा कंपनियों, स्थानीय निकायों, केंद्रीय सहकारी समितियों, सरकारी विभागों और अनेक विश्व बैंक सहायता प्राप्त प्रोजेक्टों की विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा और अन्य कार्य संचालित किए हैं. आप निजी क्षेत्र के विभिन्न ग्राहकों को प्रत्यक्ष कर की पेशेवर सेवाएं प्रदान करते हैं और आयकर विभाग में विभिन्न अपीलेट फोरमों में उन ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करते हैं. श्री लाठ 'स्थायी त्रिपक्षीय समिति' के सदस्य होने के साथ ही साथ श्रम और नियोजन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'न्यूनतम वेतन सलाहकारी बोर्ड' के भी सदस्य नामित किए गए हैं. आपको उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 'उत्तर प्रदेश में निजी इंजिनियरिंग कालेजों के शुल्क के निर्धारण हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति' में भी नामित किया गया है.	27.06.2012	26.06.2015	शून्य

नाम	आयु	अनुभव	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि	अन्य कं. में निदेशक पद
डा. आर. एच. ढोलकिया शेयरधारक (गैर-कार्यपालक)	59 वर्ष	60 वर्षीय डॉ. ढोलकिया अहमदाबाद से हैं. आपको अर्थशास्त्र और लोक सिस्टम में आईआईएम, अहमदाबाद के प्रोफेसर के रुप में 36 वर्ष का अनुभव है. आप कला में परास्नातक (स्वर्ण पदक प्राप्त), अर्थशास्त्र में पीएच.डी. तथा पोस्ट-डाक्ट्रेट फैलो हैं. आप अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक हैं. आप छठें केन्द्रीय वेतन आयोग के सदस्य थे और आपको भारत सरकार और गुजरात राज्य शासन द्वारा अनेक उच्चस्तरीय समितियों में विशेषज्ञ की हैसियत से नामित किया जा चुका है. हाल ही में, आपने नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एयर इंडिया (2013) में लागत कम करने एवं संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु गठित समिति की अध्यक्षता की है.	27.06.2012	26.06.2015	2
श्री डी. चटर्जी शेयरधारक (गैर-कार्यपालक)	64 वर्ष	कोलकाता निवासी 64 वर्षीय श्री चटर्जी वाणिज्य स्नातक हैं और चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में प्रैक्टिस करते हैं. आप अन्य 3 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के निदेशक मंडल के सदस्य रहने के साथ-साथ हिन्दुस्तान नैशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लि., पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लि., टीआरएफ लिमिटेड, टेक्समैको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होल्डिंग्स लिमिटेड सहित कई अन्य कंपनियों के निदेशक मंडल के सदस्य भी हैं. श्री चटर्जी दि कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज लिमि. के अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में देश के टॉप 10 बिजनेस स्कूलों में से एक के वाइस प्रेसिडेंट हैं. आप एक राजकीय विश्वविद्यालय की जनरल काउंसिल के भी सदस्य हैं. आप भारिबै / भारतीय बैंक संघ / विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों द्वारा गठित विभिन्न समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं. आप आईसीएआई की केंद्रीय काउंसिल के सदस्य और आईसीएआई की लेखापरीक्षा प्रैक्टिस समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं. आप आईसीएआई की पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं. संप्रति आप सीआईआई की नैशनल काउंसिल के सदस्य और लेखा मानकों हेतु गठित राष्ट्रीय समिति के भी अध्यक्ष हैं.	27.06.2012	26.06.2015	10
डा. ए. भट्टाचार्या सरकार द्वारा नामित निदेशक	59 वर्ष	डा. अचिंतन भट्टाचार्य 20 जुलाई 2012 से बैंक के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं. श्री भट्टाचार्य 1979 के सिविल सेवा परीक्षा में सफल होकर केंद्रीय सिविल सेवा में आये थे. उन्होंने आपराधिक न्याय प्रणाली विषय पर थीसिस लिखकर लोक प्रशासन में एम फिल और खाद्य नीति पर पीएचडी प्राप्त की है. आप प्रेसीडेंसी कालेज, कोलकाता से अर्थशास्त्र के स्नातक और कोलकता विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के परास्नातक हैं. उन्होंने दिल्ली विश्व विद्यालय से एलएलबी की है. उन्होंने भारत सरकार के खाद्य, रक्षा, उर्वरक और सामाजिक न्याय जैसे विभिन्न विभागों में अलग- अलग पदों पर कार्य किया है. संयुक्त सचिव पद पर पदोन्नति के पहले आप वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक थे. यूनियन बैंक में नामांकन के पहले आप यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और पंजाब एंड सिंध बैंक में सरकार द्वारा नामित निदेशक रह चुके हैं. आपके आर्थिक विषयों पर विभिन्न जर्नलों/मोनोग्राफ्स में काफी संख्या में शोध पत्र/व्यावसायिक लेख प्रकाशित हुए हैं. संप्रति वे नेशनल इंश्योरेंस अकादमी, पुणे के अंतरिम निदेशक भी हैं.	20.07.2012	अगले आदेशों तक	शून्य

नाम	आयु	अनुभव	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि	अन्य कं. में निदेशक पद
श्री के. सुब्रम्हण्यम (कार्यपालक निदेशक)	57 वर्ष	श्री के. सुब्रम्हण्यम ने दिनांक 21.01.2013 को हमारे बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यग्रहण किया है. 15 जुलाई 1955 को जन्मे श्री के. सुब्रम्हण्यम ने कामर्स में स्नातक किया है और बहरामपुर विश्वविद्यालय से "गोल्ड मेडल" प्राप्त किया है. श्री के. सुब्रम्हण्यम ने प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में इंडियन ओवरसीज बैंक में कार्यग्रहण किया था. इंडियन ओवरसीज बैंक में आप तीन दशक से भी अधिक अवधि तक रहे. इस दौरान आप देश के बड़े राज्यों में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे. वर्ष 2006 से 2008 तक आप कोलकाता एवं विजयवाड़ा के क्षेत्र प्रमुख रह चुके हैं. उसके बाद 2008 से 2010 तक आपने बैंक के सिंगापुर ऑपरेशन के मुख्य कार्यपालक का पद संभाला. इस बैंक में आने से पहले आप एमएसएमई के महा प्रबंधक थे. श्री के. सुब्रम्हण्यम एक अच्छे पाठक और कर्नाटक संगीत प्रेमी हैं.	21.01.2013	31.07.2015 अर्थात सेवानिवृति की तारीख या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो.	2

31 मार्च 2013 के बाद बोर्ड में शामिल निदेशक की प्रोफाइल.

श्री श्रीकांत मिश्रा	58 वर्ष	8 मार्च 1955 को जन्मे श्री मिश्र 1978 से चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं. सम्प्रति आप मेसर्स एस. के. एन. एंड एसोसिएट्स के प्रोप्राइटर हैं, जिसका प्रधान कार्यालय कानपुर एवं शाखाएं दिल्ली एवं कोलकता में हैं. श्री मिश्रा वर्ष 1978 से दिसंबर 2012 तक मेसर्स चतुर्वेदी एंड कं. में भागीदार थे. अपने 34 साल से अधिक के व्यावसायिक कैरियर में उन्होंने (विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों और जीवन बीमा कंपनियों के केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षा सहित) बलरामपुर चीनी, टाइम्स ऑफ इंडिया, शॉ वालेस, एडवांस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, विकास टेलीकॉम आदि बड़े व्यापार समूहों की आंतरिक / प्रबंधकीय लेखापरीक्षा, प्रोजेक्ट वित्तीयन, प्रबंधकीय सलाहकार, कंपनी लॉ एवं आयकर मामलों में विशेषज्ञ राय, वित्तीय ड्यू डिलिजेंस, संकल्पनाओं का मूल्यांकन एवं व्यवहार्यता रिपोर्ट और समामेलन एवं अधिग्रहण जैसे कार्य संपन्न किए हैं. उन्होंने अपने ज्ञान और योग्यताओं के विकास के लिए विश्व के कई देशों की यात्राएं की हैं. आपको रीयल इस्टेट एवं हास्पिटैलिटी प्रोजेक्टों की वित्तीय आयोजना के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है. श्री मिश्र पिछड़ा क्षेत्र उद्योग विकास एसोसिएशन के मानद सचिव रहे हैं. आप सनातन धर्म महामंडल की कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी हैं.	11.04.2013	10.04.2016 या अगले आदेशों तक	शून्य

3.11 वार्षिक साधारण बैठक:

शेयर धारकों की दसवीं वार्षिक साधारण बैठक दि. 26 जून , 2012 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे :

1. श्री डी. सरकार - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री एस. एस. मुंदड़ा - कार्यपालक निदेशक
3. श्री एसके. जैन - कार्यपालक निदेशक
4. श्री श्री बी एम शर्मा - निदेशक (सी. ए. संवर्ग) व अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति
5. श्री बी. एन. भट्टाचार्जी - अधिकारी प्रतिनिधि निदेशक
6. डा. अतुल अग्रवाल - अंशकालिक गैर अधिकारी निदेशक एवं अध्यक्ष, शेयरधारक/निवेशकों की शिकायत समिति

4 निदेशक मंडल की समितियां

4.1 निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

4.1.1 संघटन :

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार किया गया है, जिसमें 6 निदेशक यथा - कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती और 2 गैर सरकारी गैर कार्यपालक निदेशक जिनमें से एक चार्टर्ड एकाउटेंट शामिल हैं. बैठकों की अध्यक्षता स्वतंत्र, गैर सरकारी निदेशक और चार्टर्ड एकाउटेंट श्री बी एम शर्मा द्वारा की जाती है.

4.1.2 कार्य

लेखापरीक्षा समिति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10.11.2010 को जारी कलैंडर मद के आदेश के अनुसार बैंक के कार्यों की समीक्षा करती है. निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं:

1. एसीबी बैंक के लेखापरीक्षा संबंधी समग्र कार्य का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करती है. समग्र लेखा परीक्षा कार्य में बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण का संगठन,परिचालन तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक /बाह्य लेखापरीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है.
2. एसीबी बैंक की आंतरिक निरीक्षण /लेखापरीक्षा कार्यों अर्थात् उसकी प्रणाली, गुणवत्ता और अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा करती है. यह विशेषीकृत शाखाओं और बहुत बड़ी शाखाओं तथा असंतोषजनक रेटिंगवाली सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है. इसके द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है:
   - अंतर शाखा समायोजन खाते
   - अंतर बैंक खातों और नोस्ट्रो खातों में बहुत समय से बकाया प्रविष्टियां, जिनका मिलान न हुआ हो.
   - विभिन्न शाखाओं में बहियों के तुलन की बकाया स्थिति.
   - धोखाधड़ी.
   - हाउसकीपिंग से संबंधित सभी प्रमुख क्षेत्र.
3. एसीबी भारिबैं के अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों में नियुक्त अनुपालना अधिकारी से छमाही रिपोर्ट प्राप्त करती है एवं उसकी समीक्षा करती है.
4. सांविधिक लेखापरीक्षा के मामले में यह समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है. बैंक के छमाही/ वार्षिक वित्तीय लेखों और रिपोर्टों को अंतिम रूप प्रदान करने के पहले यह बाह्य लेखापरीक्षकों से चर्चा करती है.
5. लेखापरीक्षा समिति, बैंक की लेखा नीतियां, संबंधित पार्टी लेनदेन, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण तथा बैंक के तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों की भी समीक्षा करती है.
6. इसके साथ ही साथ, एसीबी प्रत्येक वर्ष गुप्त सूचना (व्हिसिल ब्लोअर) हेतु अपनायी गई नीति की भी समीक्षा करती है.
7. बैंक की सभी वित्तीय नीतियों की समीक्षा.

4.1.3 एसीबी बैठकों में उपस्थिति

2012-13 में समिति की **12** बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति इस प्रकार रही:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री बी एम शर्मा (एसीबी के अध्यक्ष)	12	12
श्री एस. एस. मूंदड़ा, का.नि.	9	9
श्री एस.के.जैन, का. नि.	12	11
श्री के. सुब्रम्हण्यम, का. नि.	3	3
श्री राजेश खुल्लर, सरकार द्वारा नामित	2	--
डा. ए. भट्टाचार्या, सरकार द्वारा नामित	10	6
श्री चंदन सिन्हा, भारिबैं नामित	12	10
श्री एम. एस. श्रीराम, शेयरधारक निदेशक	2	2
डा. अतुल अग्रवाल	10	9

4.2 बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

4.2.1 संघटन

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) बैंकिंग प्रभाग द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान योजना) 1970 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 19 फरवरी, 2007 और उसके बाद 29 जून, 2007 तक किए गए संशोधनों द्वारा अब प्रबंधन समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक/निदेशकों, भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक केन्द्र सरकार द्वारा धारा 9(3)(जी) के अंतर्गत नामित एक चार्टर्ड एकाउटेंट, जो समिति के नियमित सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, शामिल हैं और निदेशक मंडल द्वारा धारा 9(3)(ई), (एफ),(एच)एवं(आई) के अंतर्गत रोटेशन के आधार पर प्रत्येक छ:माह के लिए बोर्ड द्वारा नामित तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक होते हैं. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बैठक की अध्यक्षता करते हैं.

4.2.2 कार्य

निदेशक मंडल ने प्रबधंन समिति का गठन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कारोबार संबंधी विभिन्न मामलों यथा ऋण प्रस्तावों की मंजूरी, ऋण समझौता/ बट्टे खाते डालने संबंधी प्रस्तावों, राजस्व एवं पूंजीगत व्ययों का अनुमोदन, परिसर अधिग्रहण और किराये पर लेना, निवेश और दान आदि पर विचार करने के लिए किया है.

4.2.3 एम सी बी बैठकों में उपस्थिति

वर्ष 2012-13 के दौरान प्रबंधन समिति की 21 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति इस प्रकार रही : -

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री डी. सरकार, अ. एवं प्र. नि.	21	21
श्री एस. एस. मूंदड़ा, का. नि.	16	16
श्री एस. के. जैन, का. नि.	21	20
श्री के. सुब्रम्हण्यम, का. नि.	5	5
श्री चंदन सिन्हा, भारिबैं के नामिती	21	14
श्री बी एम शर्मा निदेशक (सीए श्रेणी)	21	21
श्री एम एस श्रीराम , शेयरधारक निदेशक	3	3
श्री एन. शंकर, वर्कमैन कर्मचारी निदेशक	14	2
श्री बी एन भट्टाचार्जी, अधिकारी कर्मचारी निदेशक	11	11
डा. अतुल अग्रवाल, गैर सरकारी निदेशक	10	8
डा. आर. एच. ढोलकिया, शेयरधारक निदेशक	7	6
श्री जी. के. लाठ, शेयरधारक निदेशक	7	5
श्री डी. चटर्जी, शेयरधारक निदेशक	11	9
श्री एस. रवि, शेयरधारक निदेशक	3	3

4.3 जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति (एससीआर एण्ड एएलएम) :

4.3.1. संघटन

इस समिति में निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्य यथा : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार के नामित सदस्य तथा तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं.

4.3.2 कार्य :

बैंक ने जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण के लिए निदेशक मंडल की जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन पर्यवेक्षी समिति गठित की है, यह बैंक के सभी जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और निगरानी करती है.

4.3.3. एससीआर एवं एएलएम बैठकों में उपस्थिति

वर्ष 2012-13 में समिति की 4 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री डी. सरकार, अ. एवं प्र. नि.	4	4
श्री एस. एस. मूंदड़ा, का. नि.	3	3
श्री एस. के. जैन, का. नि.	4	4
श्री के. सुब्रम्हण्यम, का. नि.	1	1
श्री राजेश खुल्लर, सरकार द्वारा नामित	1	--
डा. ए. भट्टाचार्या, सरकार द्वारा नामित	3	2
श्री एम. एस. श्रीराम , शेयरधारक निदेशक	1	1
श्री बी एम शर्मा निदेशक (सीए श्रेणी)	4	4
श्री बी एन भट्टाचार्जी, अधिकारी कर्मचारी निदेशक	3	3
श्री डी. चटर्जी, शेयरधारक निदेशक	3	1
श्री एस. रवि, शेयरधारक निदेशक	1	1

4.4 बोर्ड की शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत संबंधी समिति (एसआईजीसी) :

4.4.1 संघटन :

शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत संबंधी समिति में कार्यपालक निदेशक और तीन गैर-कार्यपालक निदेशक हैं. समिति के अध्यक्ष डा. अतुल अग्रवाल, स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक हैं.

4.4.2 कार्य :

सूचीबद्धता करार के खंड 49 के अनुसार बोर्ड द्वारा बोर्ड की शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत समिति (एसआईजीसी) का गठन किया गया है. यह समिति शेयरों के अंतरण, वापसी आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश आदि प्राप्त न होने संबंधी शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायतों का निवारण करती है.

4.4.3 एसआईजीसी में उपस्थिति

2012-13 वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्न प्रकार है :-

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
डा. अतुल अग्रवाल, (अध्यक्ष, एसआईजीसी)	4	4
श्री एस. एस. मूंदड़ा, कानि	3	3
श्री एस.के.जैन, कानि	4	4
श्री के. सुब्रम्हण्यम, कानि	1	1
श्री एन शंकर, वर्कमैन कर्मचारी निदेशक	4	2

31.3.2013 और 31.3.2012 को समाप्त वर्ष के दौरान तक प्राप्त, उत्तरित और लंबित शिकायतों की तुलनात्मक सारणी निम्न प्रकार है :

		31.03.2013 को समाप्त वि. वर्ष के लिए	31.03.2012 को समाप्त वि. वर्ष के लिए
ए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारकों की लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य
बी	वर्ष के दौरान प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या	1,027	1057
सी	वर्ष के दौरान शेयरधारकों की निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1,027	1057
डी	वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारकों की लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य

श्रीमती मोनिका कालिया, कंपनी सचिव को निवेशकों की शिकायतों के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया है.

4.5 बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)

4.5.1 संघटन

इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं / अथवा कार्यपालक निदेशक तथा कोई दो निदेशक शामिल हैं.

4.5.2 कार्य

बैंक ने शेयरों के शीघ्रतापूर्वक अंतरण के लिए निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति गठित की है, जिसे शेयरों के अंतरण, प्रेषण, रीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने आदि की पुष्टि के अधिकार दिये गये हैं.

4.5.3 एसटीसीबी में उपस्थिति

वर्ष के दौरान, समिति की अंतरण, प्रेषण, रीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने इत्यादि पर कार्रवाई करने के लिए 31 बैठकें आयोजित की गयीं और इसमें परिचालन के माध्यम से उपस्थिति रही.

4.6 ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी वाले मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीएमएफ)

भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्रांक आरबीआई / 2004.15.डीबीएस.एफजीवी (एफ) नं.1004/23.04.01 ए / 2003-04, दिनांक 14.01.2004 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन किया गया है. वर्तमान में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) से आंतरिक निरीक्षण, सांविधिक लेखापरीक्षा, अंतर शाखा / अंतर बैंक खातों, हाउसकीपिंग के प्रमुख क्षेत्रों इत्यादि का पर्यवेक्षण अपेक्षित है. एसीबी से यह भी अपेक्षित है कि वह बैंक में धोखाधड़ी के संबंध में निवारक पहलुओं तथा की जा रही अनुवर्ती कार्रवाई पर भी ध्यान दे. तथापि, यह विशेष समिति ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों का विशेष रूप से अनुश्रवण और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है, जबकि एसीबी सामान्य रूप से धोखाधड़ी के सभी मामलों का भी अनुश्रवण करती रहेगी.

4.6.1 संघटन:

यह विशेष समिति, निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्यों को शामिल कर गठित की गई है.

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के दो सदस्य
- भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती को छोड़कर निदेशक मंडल के दो अन्य सदस्य.

4.6.2 कार्य:

इस विशेष समिति का प्रमुख कार्य ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के सभी मामलों की समीक्षा एवं उनका अनुश्रवण करना होगा ताकि :

- धोखाधड़ी की संभावनाओं वाली कार्यप्रणालीगत कमियों को दूर किया जा सके और उन पर रोक लगाने हेतु आवश्यक उपाय किये जा सके.
- धोखाधड़ी का पता लगाने और / या उच्च प्रबंधन या भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित करने में यदि कोई देरी हुई हो, तो उनके कारणों का पता लगाया जा सके,
- सीबीआई / पुलिस जांच एवं वसूली स्थिति की प्रगति का अनुश्रवण किया जा सके,
- सुनिश्चित किया जा सके कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में प्रत्येक स्तर पर स्टाफ उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है तथा स्टाफ संबंधी कार्रवाई, यदि कोई है, तो उसे तत्काल निपटाया जाता है.
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने जैसी रक्षात्मक कार्रवाई के प्रभाव की समीक्षा की जा सके,
- धोखाधड़ी निरोधक उपायों को सुदृढ़ बनाने हेतु यथावश्यक अन्य उपाय लागू किये जा सकें.

4.6.3 एससीएमएफ में उपस्थिति

वर्ष 2012-13 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री डी. सरकार, अ. एवं प्र. नि.	4	4
श्री एस. एस. मूंदड़ा, का. नि.	3	3
श्री एस. के. जैन, का. नि.	4	4
श्री के. सुब्रम्हण्यम, का. नि.	1	1
डा. ए. भट्टाचार्या, सरकार द्वारा नामित	3	3
श्री राजेश खुल्लर, सरकार द्वारा नामित	1	--
श्री जी. के. लाठ, शेयरधारक निदेशक	3	3
प्रो. एम. एस. श्रीराम, शेयरधारक निदेशक	1	1

4.7 निदेशक मंडल की बैंक की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया है. समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक, डीबीओडी के दिनांक 14 अगस्त 2004 के परिपत्र के संदर्भ में किया गया है.

4.7.1 संघटन :

समिति में आठ सदस्य निम्नानुसार हैं :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशक
- शेयरधारकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो निदेशक
- तीन गैर कार्यपालक निदेशक
- विशेष आमंत्रित के रूप में ग्राहकों के दो प्रतिनिधि
- दि. 01.11.2012 से सरकार द्वारा नामित निदेशक समिति के स्थायी सदस्य हैं.

4.7.2 कार्य:

यह समिति निम्नलिखित कार्य करती है :

- सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु सुझाव देना.
- मौजूदा नीतियों एवं कार्यपद्धतियों को युक्तियुक्त बनाने तथा सरलीकरण की दृष्टि से उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा निरंतर आधार पर परिवर्तनों को सुविधाजनक बनाने हेतु समुचित प्रोत्साहनों का सुझाव देना.
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित सार्वजनिक सेवा पर प्रक्रिया और कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति (सीपीपीएपीएस) की सिफ़ारिशों के अनुपालन सहित बैंक की तदर्थ समिति के कार्यों का पर्यवेक्षण.

4.7.3 सीएससीबी में उपस्थिति

वर्ष 2012-13 के दौरान इस समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें उपस्थिति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री डी. सरकार, अ. एवं प्र. नि.(अध्यक्ष)	4	4
श्री एस. एस. मूंदड़ा, का. नि.	3	3
श्री एस. के. जैन, का. नि.	4	3
श्री के. सुब्रम्हण्यम, का. नि.	1	1
डा. ए. भट्टाचार्या, सरकार द्वारा नामित	2	1
श्री एम एस श्रीराम , शेयरधारक निदेशक	1	1
श्री एन. शंकर, वर्कमैन कर्मचारी निदेशक	3	1
श्री एस. रवि, शेयरधारक निदेशक	1	1
श्री बी एन भट्टाचार्जी, अधिकारी कर्मचारी निदेशक	4	4
डा. अतुल अग्रवाल, गैर सरकारी निदेशक	4	4
डा. आर. एच. ढोलकिया, शेयरधारक निदेशक	3	3
श्री जी. के. लाठ, शेयरधारक निदेशक	3	3

4.8 निदेशकों को पारिश्रमिक समिति(आरसीबी) :

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग (बैंकिंग प्रभाग) ने अपने संप्रेषण एफ नं. 20/1/2005-बीओ । दिनांक 09 मार्च, 2007 द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पूर्णकालिक निदेशकों को कार्य निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन की एक योजना की घोषणा की है. भारत सरकार के संप्रेषण के अनुसार बोर्ड की एक उपसमिति बनाई गई है, जिसे पारिश्रमिक समिति कहा गया है.

4.8.1 संघटन :

- सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारिबैं द्वारा नामित निदेशक
- दो अन्य निदेशक

4.8.2 कार्य :

भारत सरकार के उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को दिए जाने वाले कार्यनिष्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहनों का निर्धारण करना.

4.8.3 आरसीबी में उपस्थिति

वर्ष 2012-13 के दौरान इस समिति की 1 बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार हैं :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
डा. ए. भट्टाचार्या, सरकार द्वारा नामित	1	1
श्री चंदन सिन्हा, भारिबैं के नामिती	1	1
डा. अतुल अग्रवाल, गैर सरकारी निदेशक	1	1
डा. डी. चटर्जी, शेयरधारक निवेशक	1	--

4.9 बोर्ड की नामांकन समिति (एनसीबी):

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 (वर्ष 2006 में संशोधित किए अनुसार) की धारा 9 की उप-धाराएं (3एए) एवं (3एबी) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड के निदेशकों के रूप में चयनित किए गए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने के लिए विशिष्ट योग्य एवं उपयुक्त मानदंड निर्धारित किए हैं. भारिबैं ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में चयनित निदेशकों के लिए योग्य एवं उपयुक्त मानदंडों पर परिपत्र डीबीओडी सं.बीसी नं.47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवंबर, 2007 जारी किया है.

बैंकों से अपेक्षा है कि वे अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अंतर्गत वर्तमान चयनित निदेशकों की योग्य एवं उपयुक्त स्थिति के निर्धारण के लिए ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया करने के लिए नामांकन समिति का गठन करें. तदनुसार, बैंक ने निदेशकों की नामांकन समिति का गठन किया गया है.

4.9.1 संघटन :

- तीन गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक

4.9.2 कार्य :

- ड्यू डिलीजेंस के कार्य की जिम्मेदारी लेना और चयनित निदेशक की योग्य एवं उपयुक्त स्थिति की जांच करना.
- यह सुनिश्चित करना कि क्या किसी मानदंड यथा (i) शैक्षिक योग्यता (ii) विशेषज्ञता का अनुभव एवं क्षेत्र (iii) ट्रेक रिकॉर्ड एवं ईमानदारी का गैर-अनुपालन वर्तमान चयनित निदेशक / प्रस्तावित उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में अपने कर्त्तव्यों को निभाने में रुकावट तो पैदा नहीं करता है. इसके अतिरिक्त, किसी प्राधिकार / नियामक एजेंसी से उम्मीदवार के बारे में प्रतिकूल सूचना या दिवालियापन अथवा किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था से किसी ऋण में चूक की सूचना उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक होने के लिए अयोग्य एवं अनुपयुक्त कर देगी.
- हस्ताक्षरित घोषणा के आधार पर, नामांकन समिति उम्मीदवार को स्वीकार करने या अन्यथा का निर्णय करे और आवश्यक समझे जाने पर उपयुक्त प्राधिकारी / व्यक्तियों से संदर्भ (हवाले) प्राप्त करें ताकि इन अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.

4.9.3 एनसीबी में उपस्थिति :

समिति की वर्ष 2012-13 के दौरान एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री राजेश खुल्लर, सरकार द्वारा नामित (अध्यक्ष-,एनसीबी)	1	1
श्री बी एम शर्मा, निदेशक (सी ए संवर्ग)	1	1
डा. अतुल अग्रवाल, अंशकालिक गैर अधिकारिक निदेशक	1	1

4.10 निदेशकों की पदोन्नति समिति (डीपीसी)

4.10.1 संघटन :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारिबैं. नामित निदेशक

4.10.2 कार्य :

यह समिति उच्च कार्यपालक ग्रेड स्केल VII में पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने के साथ-साथ उच्च प्रबंधन ग्रेड स्केल VII में चयन / अनुमोदन न होने पर अधिकारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार करती है और उच्च कार्यपालक ग्रेड में अधिकारियों की सेवाएं जारी रखने संबंधी मामलों पर निर्णय लेती है.

4.10.3 डीपीसी में उपस्थिति

वर्ष 2012-13 में समिति की 2 बैठक हुई, जिनकी उपस्थिति इस प्रकार है.

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री डी. सरकार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अध्यक्ष डीपीसी)	2	2
श्री राजेश खुल्लर, सरकार द्वारा नामित	1	1
डा. ए. भट्टाचार्या, सरकार द्वारा नामित	1	1
श्री चंदन सिन्हा, भारिबैं द्वारा नामित	2	2

4.11 निदेशकों की पदोन्नति समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता

4.11.1 संघटन :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारिबैं. नामित निदेशक

इसके अतिरिक्त, कार्यपालक निदेशक भी इन बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में उपस्थित रहते हैं.

4.11.2 कार्य :

यह समिति तिमाही आधार पर सतर्कता, गैर-सतर्कता संबंधी अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा करती है.

4.11.3 डीपीसी - सतर्कता/गैर-सतर्कता में उपस्थिति

समिति की वर्ष 2012-13 के दौरान 4 बैठकें संपन्न हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री डी. सरकार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अध्यक्ष)	4	4
श्री राजेश खुल्लर, भारत सरकार नामिती	1	--
डा. ए. भट्टाचार्या, भारत सरकार नामिती	3	1
श्री चंदन सिन्हा भारिबैं. नामिती	4	4

4.12 निदेशकों की एचआर समिति

4.12.1 संघटन

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और/या कार्यपालक निदेशक तथा कोई दो निदेशक होते हैं.

4.12.2 कार्य :

निम्नलिखित पहलुओं का पर्यवेक्षण और समीक्षा:

1. बैंक की संपूर्ण रणनीति.
   - समग्र जनबल आयोजना व कौशल अंतराल की पहचान
   - सही प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उनके विकास के लिये प्रणाली, प्रक्रिया और संरचना

2. बैंक के सभी स्टाफ पर लागू होने वाली निष्पादन प्रबंधन प्रणाली का विकास :
   - प्रमुख दायित्व क्षेत्रों का पारदर्शी निष्पादन आकलन
   - सभी स्टाफ को विकास संबंधी फीडबैक प्रणाली देना
3. बैंक की रणनीति और बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप नीतियों को फाइन ट्यून करना
   - पुरस्कार व प्रोत्साहन
   - पदोन्नति
   - तैनाती
4. प्रशिक्षण
   - विशिष्ट कारोबारी कौशल प्रशिक्षण
   - सभी स्टाफ सदस्यों को सामान्य प्रशिक्षण /पुनश्चर्या
5. एचआर संबंधी सभी कार्यों का आईटी स्वचालन

4.12.3 एचआर समिति में निदेशकों की उपस्थिति

वर्ष 2012-13 में समिति की 2 बैठक हुईं, जिनमें उपस्थिति इस प्रकार थी :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री डी सरकार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अध्यक्ष मानव संसाधन)	2	2
श्री एस एस मूंदड़ा , का.नि.	1	1
श्री एस. के. जैन, का.नि	2	2
श्री के. सुब्रम्हण्यम, का. नि.	1	1
डा. ए. भट्टाचार्या, सरकार द्वारा नामित	2	1
डा. आर. एच. ढोलकिया, शेयरधारक निदेशक	2	2

4.13 निदेशकों की आईटी रणनीति समिति

आईटी सुशासन उपायों के अंश के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बोर्ड को आईटी पर रणनीतिक मार्गदर्शन देने और बोर्ड की रणनीति से आईटी निवेश की समीक्षा के लिए आईटी रणनीति समिति बनाने की संस्तुति की है.

4.13.1.संघटन :

- कार्यपालक निदेशक
- दो स्वतंत्र निदेशक, जिनमें एक समिति का अध्यक्ष होगा.
- बाहरी आईटी विशेषज्ञ
- मुख्य सूचना अधिकारी - (बैंक के आईटी कार्यों के प्रमुख महा प्रबंधक)

4.13.2. कार्य :

- आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों का अनुमोदन
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया बनाई है.
- यह पुष्टि करना कि कारोबारी रणनीति वास्तव में आईटी रणनीति के साथ संयोजित है.
- यह पता करना कि प्रबंधन के ऐसी प्रक्रिया और व्यवहार स्थापित किया है. जिसके यह सुनिश्चित होता हो कि आईटी से कारोबार सहायक है.
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी की संगठनात्मक संरचना, कारोबारी मॉडल और इसकी दिशा के अनुरूप है.
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी के निदेश जोखिम और लाभ के संतुलन के अनुरूप रहे और बजट स्वीकार करने योग्य हो.
- रणनीति उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों का प्रयोग तय करने के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपायों का अनुश्रवण और आईटी संसाधनों के स्त्रोत और उपयोग के बारे में उच्च स्तरीय मार्गदर्शन देना.
- बैंक के सुस्थिर विकास के लिए आईटी निवेश में उचित संतुलन सुनिश्चित करना.
- आईटी जोखिम और नियंत्रणों के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना और आईटी जोखिम के अनुश्रवण के लिए प्रबंधन की तैयारी का मूल्यांकन करना.
- आईटी रणनीतियों के कार्यान्वयन में वरिष्ठ प्रबंधन के निष्पादन का मूल्यांकन करना.
- उच्च स्तरीय नीति संबंधी मार्गदर्शन (उदा. जोखिम, फंडिंग या प्राप्ति स्त्रोतों के बारे में)
- यह पुष्टि करना कि आईटी या कारोबारी संरचना इस प्रकार बनायी गयी है जिससे आय से अधिकतम लाभ मिलता हो.
- बैंक स्तर पर आईटी पर व्यय होने वाली समग्र राशि का पर्यवेक्षण और यह पता करना कि प्रबंधन के पास आईटी जोखिम के लिए संसाधन है.
- आईटी के कामकाज और कारोबार में इसके योगदान की समीक्षा (अर्थात् वायदे के अनुरूप लाभ मिल रहा है)

4.13.3 निदेशकों की आईटी रणनीति बैठक में उपस्थिति

2012-2013 के दौरान समिति की 6 बैठक की गईं और उसमें निम्नलिखित उपस्थित हुए:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्र्यी	बैठकों में उपस्थिति
श्री एस.रवि (अध्यक्ष आईटी रणनीति)	2	2
डा. अतुल अग्रवाल, निदेशक (अध्यक्ष आईटी रणनीति)	4	4
श्री एस.एस.मूंदडा, कानि	4	4
श्री एस.के.जैन, कानि	6	6
श्री के. सुब्रम्हण्यम, का. नि.	2	2
श्री बी.एम.शर्मा, सीए निदेशक	6	6

4.14 एनपीए वसूली / उन्नयन की समीक्षा हेतु बोर्ड की समिति.

4.14.1 संघटन

- कार्यपालक निदेशक
- कोई तीन निदेशक

4.14.2 कार्य

उच्च मूल्य एनपीए पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए.

4.14.3 निदेशकों की एनपीए वसूली / अपग्रेडेशन समिति की बैठक में उपस्थिति

यह समिति 26.05.2012 से समाप्त कर दी गई. इस समिति ने वर्ष 2012-2013 के दौरान 26.05.2012 को अर्थात् 1 बैठक आयोजित की थी.

4.15 शेयरधारक निदेशकों के चुनाव पर निर्णय के लिए बोर्ड की समिति - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान

इस संबंध में भारत सरकार वित्त मंत्रालय ने अपने पत्र सं. 16/11/2012-बीओ-I दिनांक 3 अप्रैल, 2012 के जरिये यह कहा है कि इसे अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए क्योंकि सरकार, जो एक प्रमुख शेयरधारक है, कानूनन चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकती. इसलिए, मंत्रालय ने बैंकों को सीएमडी की अध्यक्षता में बोर्ड की एक समिति गठित करने के लिए कहा है, जो विभिन्न उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव, प्रोफाइल एवं पृष्ठभूमि सरीखे विभिन्न तत्वों पर ध्यानपूर्वक विचार करेगी और चुनाव में उम्मीदवारों का समर्थन करने के संबंध में निर्णय लेगी. इसके अतिरिक्त, पीएसबी के शेयरधारक निदेशक के चुनाव के मामले में बैंक की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षित विशेषज्ञता को भी ध्यान में रखा जाएगा. इस उप-समिति में सरकार या भारतीय रिज़र्व बैंक के नामांकित निदेशक शामिल नहीं किए जाएंगे.

4.15.1 संघटन

समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- कार्यपालक निदेशक
- बोर्ड द्वारा नामित दो अन्य सदस्य

4.15.2 कार्य

संदर्भ की शर्तें - विभिन्न उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव, प्रोफाइल एवं पृष्ठभूमि पर विचार करने के बाद चुनाव में उनका समर्थन करने के लिए निर्णय लें. इसके अतिरिक्त, पीएसबी के शेयरधारक निदेशक के चुनाव के मामले में विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षित विशेषज्ञता के अनुसार बैंक की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाएगा.

4.15.3 शेयरधारक निदेशकों के चुनाव पर निर्णय के लिए बोर्ड की समिति की उपस्थिति - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान

जब कभी आवश्यक हो, इस समिति की बैठक बुलाई जा सकती है. चूंकि कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वर्ष 2012-13 के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं बुलाई गई.

4.16 वसूली प्रबंधन समिति (आरएमसी)

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार के पत्र सं.एफ.न. 7/112/2012 - बीओए दिनांक 21 नवंबर, 2012 के अनुसार वसूली प्रबंधन के लिए एक बोर्ड स्तर की उप समिति दिनांक 27.11.2012 को गठित की गई है.

इस पत्र में यह कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक नियमित आधार पर वसूली की प्रगति पर नज़र रखने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक एवं भारत सरकार के निदेशक को शामिल करके बोर्ड स्तर की एक उप-समिति का गठन करें और यह समिति मासिक आधार पर अपनी रिपोर्ट बोर्ड में प्रस्तुत करे.

4.16.1 संघटन

समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- कार्यपालक निदेशक (एक से अधिक)
- सरकार द्वारा नामित निदेशक

4.16.2 कार्य :

नियमित आधार पर वसूली की प्रगति पर नज़र रखना और बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना.

4.16.3 वसूली प्रबंधन समिति की उपस्थिति

इस समिति ने वर्ष 2012-13 के दौरान 3 बैठकों का आयोजन किया, जिसमें निम्नानुसार उपस्थिति रही :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संर्ख्यी	बैठकों में उपस्थिति
श्री डी सरकार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अध्यक्ष आरएमसी)	3	3
श्री एस एस मूंदड़ा , का.नि.	1	1
श्री एस. के. जैन, का.नि	3	3
श्री के. सुब्रम्हण्यम, का. नि.	2	2
डा. ए. भट्टाचार्या, सरकार द्वारा नामित	3	3

4.17. ऋण अनुमोदन समिति -I (सीएसी)

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की गजट अधिसूचना सं. एसओ.2736 दिनांक 5 दिसंबर, 2011 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बोर्ड ने दिनांक 24.01.2012 को आयोजित अपनी बैठक में केन्द्रीय कार्यालय में ऋण अनुमोदन समिति के गठन को अनुमोदन प्रदान किया. सीएसी (ऋण अनुमोदन समिति) अप्रैल, 2012 से कार्य कर रही है.

4.17.1 संघटन :

सीएसी का गठन निम्नानुसार किया गया है ;

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अनिवार्य)
- कार्यपालक निदेशक (कम-से-कम एक अनिवार्य)
- महा प्रबंधक - ऋण

- महा प्रबंधक - वित्तीय आयोजना एवं निवेशक संबंध (सीएफओ)
- महा प्रबंधक - जोखिम प्रबंधन (अनिवार्य)

4.17.2 कार्य :

ऋण प्रस्तावों, निधि आधारित / गैर निधि आधारित ऋण समझौता / बट्टे खाते डाले जाने वाले प्रस्तावों की मंजूरी.

4.17.3 ऋण अनुमोदन समिति - I में उपस्थिति

इस समिति ने वर्ष 2012-13 के दौरान 42 बैठकों का आयोजन किया, जिसमें निम्नानुसार उपस्थिति रही :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संर्ख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री डी सरकार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अध्यक्ष)	42	42
श्री एस एस मूंदड़ा , का.नि.	33	32
श्री एस. के. जैन, का.नि	42	38
श्री के. सुब्रम्हण्यम, का. नि.	9	9
महा प्रबंधक (आरएमडी)	42	42
मुख्य वित्तीय अधिकारी	42	42
महा प्रबंधक (ऋण)	42	42

5. साधारण सभा की बैठकें :

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की साधारण बैठकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

बैठक का स्वरूप	दिनांक एवं समय	स्थान
आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक	2 जुलाई, 2010 शाम 4.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
असाधारण सामान्य बैठक	29 मार्च, 2011 प्रात:11.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक	29 जून,2011 शाम 3.30 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
असाधारण सामान्य बैठक	20 मार्च, 2012 प्रात: 11.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
असाधारण सामान्य बैठक	26 जून, 2012 प्रात: 10.30 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
दसवीं वार्षिक सामान्य बैठक	26 जून, 2012 शाम 3.30 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
असाधारण सामान्य बैठक	16 मार्च, 2013 प्रात: 10.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.

असाधारण सामान्य बैठक में अनुमोदन के लिये प्रस्तुत विशेष संकल्पों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

5.1 29 मार्च 2011 को हुई असाधारण सामान्य बैठक

सेबी(आईसीडीआर) विनियम के विनियम 76(1) के अनुसार ₹10/- (रुपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 1,92,14,515 (एक करोड़ बानवे लाख चौदह हजार पांच सौ पंद्रह) तक इक्विटी शेयर सृजित करने और रु 354.94 की दर से कुल मिलाकर रु 682 करोड़ (छह सौ बयासी करोड़) नकद के बदले वरीयता आधार पर भारत सरकार को प्रस्ताव करने, जारी करने और आबंटित करने का विशेष संकल्प.

5.2 20 मार्च 2012 को हुई असाधारण सामान्य बैठक विशेष संकल्प:

क) सेबी(आईसीडीआर) विनियम के विनियम 76(1) के अनुसार ₹10/- (रुपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 1,43,11,631 (एक करोड़ तिरालीस लाख ग्यारह हजार छह सौ इकतीस) तक इक्विटी शेयर सृजित करने और ₹ 248.05 की दर से कुल मिलाकर ₹ 355 करोड़ (तीन सौ पचपन करोड़) नकद के बदले वरीयता आधार पर भारत सरकार को प्रस्ताव करने, जारी करने और आबंटित करने का और

ख) सेबी(आईसीडीआर)विनियम के विनियम 76(4) के अनुसार ₹10/- (रुपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 2,62,16,620 (दो करोड़ बासठ लाख सोलह हजार छह सौ बीस) तक इक्विटी शेयर सृजित करने और ₹ 248.05 की दर से कुल मिलाकर ₹ 650 करोड़(छह सौ पचास करोड़) नकद के बदले वरीयता आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम और/या भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की विभिन्न योजनाओं को प्रस्ताव करने, जारी करने और आबंटित करने का.

इन संकल्पों के अनुसरण में बैंक को केवल जीवन बीमा निगम से आवेदन की राशि प्राप्त हुई और 30 मार्च, 2012 को 2,62,16,620 शेयर जारी किए गए और भारतीय जीवन बीमा निगम को आबंटित किए गए. भारत सरकार से अब तक आवेदन धन प्राप्त नहीं हुआ है.

5.3 16 मार्च 2013 को हुई असाधारण सामान्य बैठक

आईसीडीआर विनियम के अध्याय VII के अंतर्गत परभिाषित पात्र संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से, भले ही ऊनके पास बैंक के शेयर हों अथवा नहीं, लागू कानूनों और विनियमों के अंतर्गत अनुमत और बैंक के बोर्ड द्वारा स्वविवेक से निश्चित, तत्समय या तत्समयों पर कुल मिला कर ₹ 1386 करोड़ (रुपये एक हजार तीन सौ छियासी करोड़ केवल) के, बोर्ड द्वारा अपने विवेक से उपयुक्त समझे गये प्रीमियम सहित मूल्य या मूल्यों और शर्तों और निबंधनों पर उस संख्या में शेयर सृजित, प्रस्ताव, निर्गमित और आवंटित करने की स्वीकृति है और प्रदान की जाती है. बैंक स्व विवेक से इस प्रकार के निर्गम, प्रस्ताव और आवंटन के समय बाजार की स्थिति और अन्य कारकों को देखते हुए तथा आवश्यकतानुसार अग्रणी प्रबंधक(ों) और/या हामीदार(ों) और/या परामर्शदाता(ओं) से परामर्श करके अपने विवेक से जैसा उचित या उपयुक्त समझे निवेशकों की अन्य श्रेणियों को छोड़ते हुए निवेशकों की कुछ श्रेणियों को इन शेयरों का प्रस्ताव, निर्गम और आवंटन कर सकता है.

उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में बैंक को भारत सरकार से आवेदन राशि प्राप्त हुई और 4,62,45,174 शेयर दिनांक 21 मार्च 2013 को भारत सरकार को जारी एंव आवंटित किए गए.

दूसरा प्रस्ताव बैंक को इस प्रस्ताव के पारित होने के एक वर्ष के अंदर क्यूआईपी के माध्यम से पूंजी जुटाने में सहायक होगा, जो बैंक के हित में होगा. जुटाई गई पूंजी का उपयोग पूंजी पर्याप्तता अनुपात में सुधार और बैंक की सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा. अब तक बैंक ने उक्त प्रस्ताव के अधीन कोई भी पूंजी नहीं जुटाई है.

विशेष संकल्प:

1. **भारत सरकार को वरीयता आधार पर इक्विटी शेयर जारी करना :**

सेबी(आईसीडीआर)विनियम के विनियम 76(1) के अनुसार ₹10/-(रुपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 4,62,45,174 (चार करोड़ बासठ लाख पैंतालिस हजार एक सौ चौहत्तर) इक्विटी शेयर सृजित करने और ₹ 240.89 की दर से कुल मिलाकर ₹1114 करोड़(एक हजार एक सौ चौदह करोड़) नकद के बदले वरीयता आधार पर भारत सरकार को प्रस्ताव करने, जारी करने और आबंटित करने का.

2. **पात्र संस्थागत प्लेसमेंट (क्यू आईपी) के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना**

बैंक के बोर्ड को एतदद्वारा आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अंतर्गत पारिभाषित पात्र संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से, भले ही उनके पास बैंक के शेयर हों अथवा नहीं, लागू कानूनों और विनियमों के अंतर्गत अनुमत और बैंक के बोर्ड द्वारा स्वविवेक से निश्चित , तत्समय या तत्समयों पर कुल मिला कर रु. 1386 करोड़ (रुपये एक हजार तीन सौ छियासी केवल) के, बोर्ड द्वारा अपने विवेक से उपयुक्त समझे गये प्रीमियम सहित मूल्य या मूल्यों और शर्तों और निबंधनों पर उस संख्या में शेयर सृजित,प्रस्ताव, निर्गमित और आवंटित करने की स्वीकृति है और प्रदान की जाती है. बैंक स्व विवेक से इस प्रकार के निर्गम, प्रस्ताव और आवंटन के समय बाजार की स्थिति और अन्य कारकों को देखते हुए तथा आवश्यकतानुसार अग्रणी प्रबंधक(ों) और/या हामीदार(ों) और/या परामर्शदाता(ओं) से परामर्श करके अपने विवेक से जैसा उचित या उपयुक्त समझे निवेशकों की अन्य श्रेणियों को छोड़ते हुए निवेशकों की कुछ श्रेणियों को इन शेयरों का प्रस्ताव, निर्गम और आवंटन कर सकता है.

इस प्रस्ताव के क्रम में बैंक को भारत सरकार से आवेदन राशि प्राप्त हुई और 4,62,45,174 शेयर भारत सरकार को दिनांक 21 मार्च 2013 को आवंटित किए गए.

दूसरे प्रस्ताव से बैंक उसी समय या उसके बाद कभी भी, जैसा भी बैंक के हित में हो, इस प्रस्ताव के पास होने के एक वर्ष के अंदर क्यू आई पी के माध्यम से पूंजी जुटा सकता है. प्राप्त पूंजी का उपयोग बैंक पूंजी पर्याप्तता और बैंक की दैनिक कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने में कर सकता है. अब तक बैंक ने उक्त प्रस्ताव के अंदर कोई भी पूंजी नहीं जुटाई है.

6. **प्रकटन :**

बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 द्वारा नियंत्रित है. सेबी ने स्पष्ट किया है कि उन सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों पर, जो कंपनी नहीं हैं परंतु अन्य अधिनियमों के अंतर्गत निगमित कार्पोरेट निकाय (अर्थात् प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां आदि) हैं, सूची समझौते का खंड 49 उस सीमा तक ही लागू होगा कि वह उनके संबंधित अधिनियमों और संबंधित नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करता हो. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की जाती है कि बैंक सूचीकरण समझौते के खंड 49 की सभी प्रयोज्य अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन करता है. उक्त खंड के अंतर्गत गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं से संबंधित अनुपालन की जानकारी भी इस रिपोर्ट में दी गई है. खंड द्वारा निर्धारित अन्य प्रकटन अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं :

i. **निदेशकों का पारिश्रमिक :**

गैर-कार्यपालक निदेशकों को यात्रा व्यय और विराम व्ययों सहित पारिश्रमिक का निर्धारण भारिबैं की सलाह पर केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 17 की शर्तों के अनुसार किया जाता है.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान और यात्रा व्ययों एवं विराम व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है. पूर्णकालिक कार्यपालकों की नियुक्ति के अन्य नियम एवं शर्तें राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 8 के अनुसार हैं, जिनके विस्तृत विवरण लेखों की टिप्पणियों में दिए गए हैं

ii **महत्वपूर्ण लेनदेन एवं आर्थिक सम्बन्धों का प्रकटन :**

बैंकिंग कारोबार की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त, बैंक ने बड़े स्तर पर बैंक के हितों की संभाव्य प्रतिकूलता को ध्यान में रखते हुए अपने प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, अपनी सहायक कंपनियों या रिश्तेदारों आदि के साथ ऐसा कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है, जिसका टकराव बैंक के हितों से होता हो. वर्ष के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशक और बैंक के बीच कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं हुआ.

बैंक में यह स्थापित प्रथा रही है कि जब मामला निदेशकों या उनके रिश्तेदारों/फर्मों/कम्पनियों से संबंधित चर्चा का हो, तब संबंधित निदेशक बोर्ड के विचार-विमर्श और बोर्ड की अन्य उप समितियों में भाग नहीं लेते हैं.

iii **सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमानी निर्गमों आदि के आगम :**

आलोच्य वर्ष में बैंक ने भारत सरकार को वरीयता के आधार पर ₹ 10 मूल्य के 4,62,45,174 शेयर आवंटित कर अपनी इक्विटी पूंजी में बढ़ोत्तरी की है.

बैंक ने समय-समय पर वचन पत्र (टायर I एवं टायर II पूंजी)की प्रकृति के अपरिवर्तनीय बांड जारी किये हैं. इससे संबधं सूचना रिपोर्ट के पैरा 8.2 में दी गयी है.

नधियां एकत्रित करने का प्राथमिक उद्देश्य पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सुदृढ़ करने के लिये पूंजी बढ़ाना तथा बैंक के दीर्घकालिक संसाधनों को सुधारना था तथा उनका उपयोग इसी के लिये किया गया है,

iv **दंड एवं आक्षेप :**

गत 3 दौरान बैंक पर किसी भी स्टॉक एक्सचेज, सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर कोई अर्थदंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है.

v **गुप्त सूचना नीति**

बैंक ने गुप्त सूचना नीति लागू की है. लेखापरीक्षा समिति उक्त नीति के कार्य की आवधिक रूप से समीक्षा करती है. इसके अतिरिक्त, यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने से रोका नहीं गया है.

vi प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

इसे वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है.

7. संप्रेषण के साधन

बैंक के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम फायनांशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), फ्री प्रेस जर्नल (अंग्रेजी), नवभारत (हिंदी), नवशक्ति (मराठी) सहित अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं. ये परिणाम बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी दर्शाये जाते हैं. इसी प्रकार बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति, संबंधित प्रस्तुति, शेयरधारकों का पैटर्न, तिमाही एवं वार्षिक रिपोर्ट आदि भी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

8. शेयरधारकों की सूचना

8.1 बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है. 31 मार्च 2013 को देश के विभिन्न भागों में बैंक के पास 3,511 (दो ओवरसीज़ शाखाओं सहित) शाखाओं का नेटवर्क था.

8.2 बैंक का शेयर मुम्बई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध हैं तथा उनके स्टॉक स्क्रिप कोड निम्न प्रकार हैं :-

शेयर बाजार, मुम्बई (बीएसई)	532477
राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई)	UNIONBANK-EQ

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान शेयर बाजारों को 30.04.2013 के पूर्व कर दिया गया है.

बैंक ने समय-समय पर प्रोमीसरी नोट (टियर I एवं II पूंजी) के रूप में गैर परिवर्तनीय-बांड जारी किए हैं. 31 मार्च 2013 को तत्संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है:

श्रृंखला	मात्रा (₹करोड़ में)	आबंटन की तारीख	परिपक्वता तिथि	कूपन दर % (प्र.व.)	आईएसआईएन नं.
VI	250	03.09.2003	03.05.2013	5.95	आईएनई 692A09068
VII	450	08.02.2005	08.05.2015	7.15	आईएनई 692A09076
VIII- नियत	600	23.09.2005	23.04.2015	7.45	आईएनई 692A09084
IX	200	19.05.2006	19.05.2016	8.33	आईएनई 692A09100
X- प्रथम खंड	300	10.10.2006	शाश्वत	10 वर्ष तक 9.45 10 वर्ष के उपरांत 9.95	आईएनई 692A09118
X- द्वितीय खंड अपर टीयर -II	750	16.10.2006	16.10.2021	8.95 10 वर्ष के उपरांत 9.45	आईएनई 692A09126
XI लोअर टीयर - II प्रथम खंड	400	12.12.2007	12 .04.2018	9.35	आईएनई 692A09134
XI अपर टीयर -I प्रथम खंड	200	12.12.2007	शाश्वत	10 वर्ष तक 9.90 10 वर्ष के उपरांत 10.40	आईएनई 692A09142
XII स्थाई	200	09.09.2008	शाश्वत	10 वर्ष तक 11.15 10 वर्ष के उपरांत 11.65, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09159
XII लोअर टीयर II	400	17.09.2008	17.09.2018	10.95	आईएनई 692A09167
XII लोअर टीयर II	200	23.12.2008	23.12.2018	9.50	आईएनई 692A09175
XII लोअर टीयर II	200	30.12.2008	30.12.2018	8.60	आईएनई 692A09183
XII स्थाई	140	30.03.2009	शाश्वत	10 वर्ष तक 9.10 10 वर्ष के उपरांत 9.60, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09191
XIV-ए अपर टीयर II	200	16.06.2009	शाश्वत	10 वर्ष तक 8.85% 10 वर्ष के उपरांत 9.35%, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09209
XIV-बी अपर टीयर II	500	25.06.2009	15 वर्ष 25.06.2024	10 वर्ष तक 8.65% 10 वर्ष के उपरांत 9.15%, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09217

XIV-सी अपर टीयर II	500	27.01.2010	15 वर्ष 27.01.2025	10 वर्ष तक 8.55% 10 वर्ष के उपरांत 9.05%, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09225
XV-सी अपर टीयर II	500	28.06.2010	15 वर्ष 28.06.2025	10 वर्ष तक 8.48% 10 वर्ष के उपरांत 8.98%, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09233
XVI-बी लोअर टीयर II	800	28.12.2012	28.12.2022	8.90%	आईएनई 692A09241
कुल	**6790**				

ये सभी बांड राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं और बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को 2013-14 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान कर दिया है.

8.3 लाभांश

बैंक के निदेशक मंडल ने 9 मई 2013 को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष के लिए 80% अर्थात् ₹ 8/- प्रति शेयर लाभांश की संस्तुति की है.

8.4 वार्षिक साधारण बैठक और वित्तीय कैलेंडर के ब्यौरे

8.4.1 वार्षिक साधारण बैठक के विवरण

लेखों और लाभांश पर विचार विमर्श के लिए बोर्ड की बैठक	9 मई, 2013
वार्षिक साधारण बैठक की तिथि, समय और स्थान	दि.26 जून, 2013 को अपराह्न 3.30 बजे **रामा वाटुमल ऑडिटोरियम**, के.सी.कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400 020.
वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक साधारण बैठक के नोटिस का प्रेषण	29 मई 2013 को या उसके पूर्व
बहियों के बंद रहने की तिथि	अंतिम लाभांश का भुगतान करने के लिए 22 जून, 2013 से 26 जून, 2013 (दोनों दिनों को मिलाकर)
लाभांश के भुगतान की तिथि	5 जुलाई, 2013

8.4.2 वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष 2013-14 के वित्तीय परिणामों की घोषणा की संभावित तिथियां निम्नलिखित हैं :

वित्तीय परिणाम	**घोषणा की संभावित तिथि**
30 जून, 2013 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	25 जुलाई, 2013
30 सितंबर, 2013 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	23 अक्तूबर, 2013
31 दिसंबर, 2013 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	27 जनवरी, 2014
31 मार्च, 2014 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	08 मई, 2014

8.5 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी शेयरों का अंतरण उनको प्रस्तुत करने की तिथि से 1 माह के अंदर कर दिया जाए. बैंक ने शेयरों के अंतरण और उनसे संबंधित मामलों पर विचार के लिए बोर्ड की शेयर अंतरण समिति बनाई है.

शेयर अंतरण और निवेशकों संबंधी अन्य समस्त गतिविधियों पर कार्रवाई रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट डाटामेटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि. मुंबई के कार्यालय में संपादित की जाती हैं. शेयरधारक अपने अंतरण विलेख और अन्य दस्तावेज तथा शिकायतें रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं. बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, मुंबई में भी निवेशक सेवाएं प्रभाग स्थापित किया है. शेयरधारक अपनी शिकायतों के लिए निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क कर सकते हैं. सूचीबद्धता करार के खण्ड 47 (एफ) के अनुसार नामित ई-मेल आई डी investorservices@unionbankofindia.com है.

रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट
डाटामेटिक्स फायनांशियल सर्विसेस लि.
प्लॉट नं बी-5 पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी,मरोल
अंधेरी पूर्व,
मुंबई - 400 093.
फोन -(022) 66712151-60
फैक्स -(022) 28213404
ई-मेल: ubiinvestors@dfssl.com

निवेशक सेवाएं प्रभाग
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बारहवीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय, 239 विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.
फोन -(022) 2289 6643/36
फैक्स -(022) 22025238
ई-मेल: investorservices@unionbankofindia.com

बैंक ने अपनी वेबसाइट पर निवेशक सेवाएं जैसे ब्यौरे के परिवर्तन, डुप्लीकेट शेयर/लाभांश वारंट के अंतरण/प्रेषण/जारी करने के संबंध में अक्सर पूछे गए प्रश्नों की सूची दी है. इस कार्यप्रणाली और प्रलेखीकरण को आसानी से समझने के लिए इसको देखा जा सकता है.

8.5.1 अन्य सूचनाएं

शेयरधारकों की समस्याओं का समय से जवाब देने के अलावा, बैंक निवेशकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से शेयरधारकों को प्रत्येक छमाही में एक सूचना भेजता है.

इस साल भेजे गए पत्रों में निम्नलिखित मुद्दों पर जोर दिया गया :

I. छमाही कार्यनिष्पादन

II. अदत्त लाभांशों का दावा करने और बैंक विवरण / लाभांश मेंडेट फॉर्म को अद्यतन करने पर.

III. कंपनी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गयी पहल के अनुरूप कारपोरेट गवर्नेंस में पर्यावरण अनुकूल पहल कार्यान्वित करना.

8.6 शेयरों का अमूर्तीकरण

बैंक के शेयरों का क्रय-विक्रय अनिवार्यत: डीमैट रूप में ही होता है. बैंक ने दोनों डिपोजिटरियों यथा नैशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरीज लि.(एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) से बैंक के शेयरों को डीमैट करने का करार किया है. बैंक के इक्विटी शेयरों के लिए आबंटित ISIN कोड, **INE 692 A01016** है. अत: यह अनुरोध है कि भौतिक रूप में धारित शेयर धारक अपने हित में अपने शेयरों को डीमैट कराएं, इससे वे शेयर प्रमाणपत्र की अभिरक्षा और शेयर प्रमाणपत्र के खो जाने / खराब हो जाने सरीखी समस्याओं से बच जाएंगे. इसके अलावा यह उन्हें तुरंत तरलता (नकदीकरण) भी प्रदान करेगा, क्योंकि बैंक के शेयर का व्यापार केवल डीमैट के रूप में ही किया जा सकता है. इससे लाभांश भुगतान भी तेजी और आसानी से हो सकेगा. 31.03.2013 को शेयरधारकों द्वारा डीमैट एवं भौतिक रूप में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :

	शेयर धारकों की संख्या	**शेयरों की संख्या**	**शेयरधारिता का %**
भौतिक	64,556	6,06,96,006	10.17
डीमैट			
एनएसडीएल	88,562	22,50,67,822	37.71
सीडीएसएल	56,573	31,10,30,381	52.12
कुल	**2,09,691**	**59,67,94,209**	**100.00**

इसके अतिरिक्त, सेबी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसरण में व्यवसायरत चार्टर्ड एकाउन्टेंट/कंपनी सेक्रेटरी ने भी तिमाही आधार पर शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का मिलान किया. शेयर पूंजी के मिलान के दौरान सदस्यों की बही के अद्यतनीकरण / रखरखाव में अथवा डीमैट अनुरोध की प्रासेसिंग में कोई विसंगति नहीं पायी गयी और भौतिक प्रणाली तथा डीमैट प्रणाली में रखी गई पूंजी का निर्गमित पूंजी से मिलान होता है.

8.7 इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा / यूनियन बैंक के खाते में सीधे जमा

सेबी ने सभी सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा निवेशकों को उन स्थानों पर नेशनल इलैक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (एनईसीएस) के जरिये लाभांश के वितरण के लिए डिपोजिटरी द्वारा प्रस्तुत बैंक खातों के ब्यौरों का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया है, जहां ईसीएस सेवा उपलब्ध हो. नेशनल इलैक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस न होने पर बैंक निवेशकों को लाभांश वितरण का भुगतान लिखतों के माध्यम से करेगा एवं उपलब्ध होने पर बैंक खाते का विवरण भी मुद्रित करेगा.

उपरोक्त के अलावा, बैंक ने लाभांश की रकम जमा करने के लिए निम्नलिखित तरीका अपनाया है :

ऐसे शेयरधारकों के खाते में सीधे जमा के द्वारा लाभांश का भुगतान करना, जिनके खाते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हैं.

लाभांश मैंडेट फार्म हमारी वेबसाइट **www.unionbankofindia.co.in** पर भी उपलब्ध है और इस वार्षिक रिपोर्ट में भी संलग्न किया गया है.

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट या डिपाज़िटरी पार्टीसिपेंट (डीपी), जैसा भी मामला हो, के पास पंजीकृत अपनी सही खाता संख्या नोट करा दें, जिससे उनके खाते में लाभांश की राशि आसानी से जमा कराई जा सके. सही एवं पूर्ण खाता संख्या न होने की दशा में बैंक को शेयरधारक द्वारा प्रदत्त खाता संख्या के साथ मुद्रित लाभांश वारंट जारी करना होगा.

8.8 बाजार मूल्य, शेयर बाजार में क्रय-विक्रय किए गये शेयरों की मात्रा

माह	बीएसई			एनएसई			बीएसई सेंसेक्स	
	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	मात्रा (संख्या)	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	मात्रा (संख्या)	उच्चतम	न्यूनतम
अप्रैल 12	243.90	208.10	2208719	243.75	207.65	21011969	17664.10	17010.16
मई 12	227.90	188.95	2967271	228.90	189.35	23184684	17432.33	15809.71
जून 12	216.55	187.55	2315076	216.65	187.35	21251253	17448.48	15748.98
जुलाई 12	216.50	162.10	3250664	216.70	161.00	23058428	17631.19	16598.48
अगस्त 12	175.60	150.10	2147904	175.70	150.05	15791259	17972.54	17026.97
सितम्बर 12	213.15	154.60	3300095	213.00	154.50	30726787	18869.94	17250.80
अक्तूबर 12	214.60	188.05	2249451	214.55	188.15	21860072	19137.29	18393.42
नवम्बर 12	244.95	195.80	7194530	245.35	195.65	49771309	19372.70	18255.69
दिसम्बर 12	279.55	229.90	4074367	279.70	235.00	32035125	19612.18	19149.03
जनवरी 13	288.00	240.00	5400570	288.00	239.25	49198141	20203.66	19508.93
फरवरी 13	257.00	208.20	3560400	257.05	208.05	29877265	19966.69	18793.97
मार्च 13	238.25	205.00	3369010	238.40	205.10	26769338	19754.66	18568.43
31/3/2013 को अन्तिम मूल्य	218.05			218.00				
बाजार पूंजीकरण	13013.10 करोड़			13010.11 करोड़				

यूनियन बैंक बनाम बीएसई सेंसेक्स

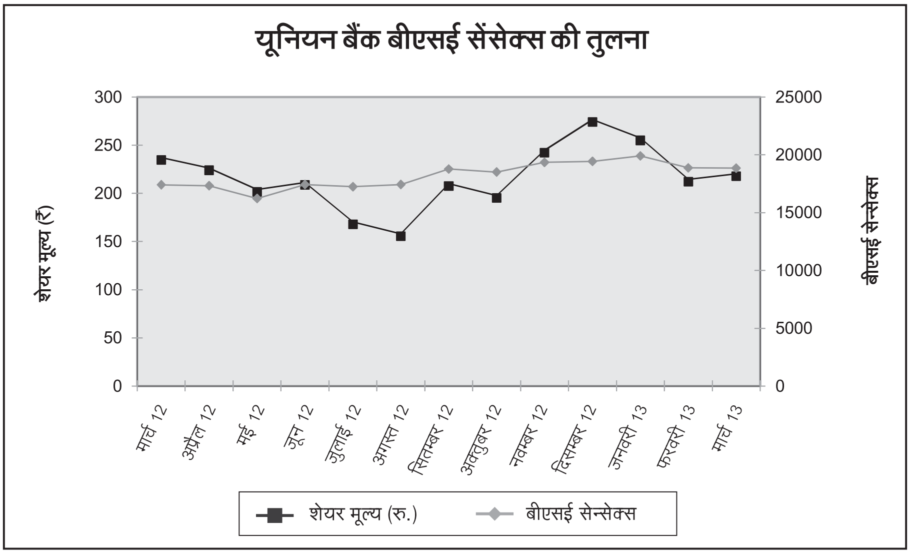

8.9 शेयरधारिता का वितरण

सरकार की शेयरधारिता 34.55 करोड़ शेयरों की है, जो ₹ 596.79 करोड़ की कुल जारी पूंजी में रू. 345.46 करोड़ है. दिनांक 31.3.2012 तथा 31.3.2013 को शेयरधारिता का वितरण निम्न प्रकार है :-

शेयरधारिता	यथा 31/03/2012				यथा 31/3/2013			
	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %
500 तक	189985	90.12	27397457	4.98	188821	90.05	27141516	4.55
501 से 1000	16482	7.82	10758614	1.95	16320	7.78	10699065	1.79
1001 से 2000	2922	1.39	3982310	0.72	3018	1.44	4121551	0.69

शेयरधारिता	यथा 31/03/2012				यथा 31/3/2013			
	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %
2001 से 3000	548	0.26	1353287	0.25	580	0.28	1420883	0.24
3001 से 4000	176	0.08	616801	0.11	184	0.09	645785	0.11
4001 से 5000	90	0.04	418368	0.08	105	0.05	488479	0.08
5001 से 10000	200	0.09	1430925	0.26	220	0.10	1590924	0.27
10001 एवं ऊपर	415	0.20	504591273	91.65	443	0.21	550686006	92.27
कुल	**210818**	**100.00**	**550549035**	**100.00**	**209691**	**100.00**	**596794209**	**100.00**

बैंक के शेयर का अंकित मूल्य रू.10/- है. बैंक ने भारत सरकार को ₹ 111 करोड़ के सर्वकालिक गैर संचयी वरीयता शेयर (पीएनसीपीएस) जारी किये हैं.

8.10 शेयरधारिता का पैटर्न

दिनांक 31.3.2012 तथा 31.03.2013 को बैंक की शेयरधारिता का पैटर्न निम्नानुसार रहा :-

शेयरधारक की श्रेणी	यथा 31/3/2012		यथा 31/3/2013	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
भारत सरकार	29,92,14,515	54.35	34,54,59,689	57.89
अनिवासी (एफआईआई/ओसीबी/ एनआरआई)	5,30,01,494	9.63	6,36,03,403	10.66
बैंक/वित्तीय संस्थान/बीमा कं.	7,27,85,880	13.22	7,01,52,974	11.75
म्युच्युअल फंड / यूटीआई	3,12,75,764	5.68	3,74,83,056	6.28
देशी कंपनियां/निजी निगमित निकाय/ट्रस्ट	4,66,99,050	8.48	3,24,21,665	5.43
निवासी भारतीय	4,75,72,332	8.64	4,76,73,422	7.99
कुल	**55,05,49,035**	**100.00**	**59,67,94,209**	**100.00**

बैंक के 10 शीर्ष शेयरधारकों की सूची :

31.03.2013 को शीर्ष 10 शेयरधारकों के नाम इस प्रकार हैं :

क्र.	नाम	शेयरों की संख्या	पूंजी का %
1.	भारत के राष्ट्रपति	34,54,59,689	57.89
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	4,71,34,525	7.90
3.	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	1,68,03,654	2.81
4	भारतीय जीवन बीमा निगम मनी प्लस ग्रोथ फंड	65,47,690	1.10
5.	बिरला सनलाइफ इनश्योरेंस कंपनी लि.	55,52,749	0.93
6.	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लि-एचडीएपसी -200 फंड	49,77,000	0.83
7.	भारतीय जीवन बीमा निगम मार्केट प्लस -1 ग्रोथ फंड	46,50,577	0.78
8.	कैथ्याल मारीशस इनवेस्टमेंट लि.	44,58,687	0.75
9.	सैनफोर्ड सी. बर्नस्टेन एंड कं. डेलावेयर बिज़नेस ट्रस्ट - इमर्जिंग मार्केट वैल्यू सीरीज़	41,65,449	0.70
10.	मेरिल लिंच कैपिटल मार्केट एसपाना एस.ए.एस.वी.	39,41,077	0.66
	कुल	44,36,91,097	74.35

8.11 अदावाकृत/ अदत्त लाभांश

अदत्त लाभांश खाते में लाभांश अंतरित किये जाने की तिथि से 7 वर्ष तक लाभांश की रकम का दावा न किये जाने पर वह रकम निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि में अंतरित कर दी जायेगी. इसके बाद खाते में अंतरित उस रकम के लिये बैंक अथवा उक्त निधि के सापेक्ष कोई दावा नहीं किया जा सकेगा. अब तक घोषित लाभांशों तथा विभिन्न लाभांश खातों के सापेक्ष दावा करने की अंतिम तिथि की सूची निम्नानुसार दी गई है:

लाभांश की अवधि	घोषित लाभांश का प्रतिशत	दावा करने की अंतिम तिथि
लाभांश - 2002-03 के लिए	21%	15.10.2013
अंतरिम लाभांश - 2003-04	20%	15.10.2013
अंतिम लाभांश - 2003-04	15%	15.10.2013
अंतरिम लाभांश - 2004-05	20%	15.10.2013
अंतिम लाभांश - 2004-05	15%	15.10.2013
लाभांश - 2005-06 के लिए	35%	15.10.2013
अंतरिम लाभांश - 2006-07	15%	01.02.2014
अंतिम लाभांश - 2006-07	20%	27.07.2014
लाभांश 2007-08 के लिए	40%	08.08.2015
लाभांश 2008-09 के लिए	50%	02.08.2016
लाभांश 2009-10 के लिए	55%	09.08.2017
लाभांश 2010-11 के लिए	80%	08.08.2018
लाभांश 2011-12 के लिए	80%	06.08.2019

जिन शेयरधारकों ने अभी तक उपर्युक्त लाभांश प्राप्त नहीं किये हों अथवा उनके दावे न किये हों, उनसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र अपना दावा बैंक के निवेशक सेवाएं प्रभाग या रजिस्ट्रार को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें. इससे संबंधित क्षतिपूर्ति बांड का प्रारूप बैंक की वेबसाइट (www.unionbankofindia.co.in) पर भी उपलब्ध है.

8.12 अदावाकृत शेयर:

ए. डीमेट रूप में :

सूचीकरण करार में हाल ही में हुए संशोधनों अर्थात् खंड 5 ए जुड़ने अर्थात् अदावाकृत शेयरों के लिए एकसमान पद्धति, के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2010 में एक डीमैट उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2006 में बैंक के एफपीओ के समय आबंटित शेयर, जो किन्हीं तकनीकी कारणों से उनके संबंधित डीमैट खातों में जमा न किए गए हों, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं :

	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमेट उचंत खाते में 01.04.2012 को शेष	240	29,792
वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	5	662
वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	5	662
31.03.2013 को डीमैट सस्पेंस खाते में शेष	235	29,130

ऊपर बताए गए 29,130 शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं, जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते हैं.

बी भौतिक रूप में

सूचीकरण करार में हाल ही में हुए संशोधनों अर्थात् खंड 5ए-II जुड़ने अर्थात् अदावाकृत शेयरों के लिए एकसमान पद्धति, के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2012 में एक डीमैट उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2002 में बैंक के आईपीओ के समय जारी शेयर, जिन की बारे में अभी तक दावा नहीं किया गया है, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं :

	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमेट उचंत खाते में 01.04.2012 को शेष	4	600
वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	लागू नहीं	लागू नहीं
31.03.2013 को डीमैट सस्पेंस खाते में शेष	4	600

ऊपर बताए गए 600 शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते हैं.

9. **सूचीबद्ध करार की गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति:**

क्रमांक	गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएं	अनुपालन की स्थिति
1[ए]	**निदेशक मंडल** एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के व्यय पर अध्यक्ष-कार्यालय का रखरखाव करने के लिए अधिकारी होता है तथा उसे अपने कर्तव्यपालन के संबंध में किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति की अनुमति होगी.	निदेशक मंडल के अध्यक्ष भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक कार्यपालक निदेशक हैं. अत: यह खंड **लागू नहीं होता** है; क्योंकि यह एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा कार्यालय के रखरखाव से संबंधित है.
1[बी]	कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल कुल मिलाकर 9 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता.	राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 9 के अंतर्गत चुने गये निदेशकों का कार्यकाल 3 वर्ष है और उनको 3 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है. किंतु ऐसा कोई निदेशक 6 वर्ष से अधिक अवधि तक निदेशक नहीं रहेगा जबकि इस खंड में अनुमत अवधि 9 वर्ष है. अत: इसका **अनुपालन** हुआ है.
2	**पारिश्रमिक समिति**	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के पत्र क्र. एफ सं.20/1/2005-बीओ.1 दिनांक 09 मार्च, 2007 के अनुसार बैंक द्वारा एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है; जो बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को देय कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि का निर्धारण करती है. इस समिति में सभी चारों गैर-कार्यपालक निदेशक हैं. अत: इसका **अनुपालन** हुआ है.
3	**शेयरधारकों के अधिकार** विगत छ: माह की प्रमुख घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयर धारक को भेजी जाए.	**अनुपालन किया गया है.**
4	**लेखापरीक्षा में कमियां** कंपनी बिना कमियों वाले वित्तीय विवरणों की दिशा में अग्रसर होना चाहिए.	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई लेखापरीक्षा कमी (आपत्ति) नहीं रही. अत: इसका **अनुपालन** हुआ है.
5	**बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण**	बैंक बोर्ड के सदस्यों को नवीनतम प्रगति से अवगत कराने हेतु विभिन्न आंतरिक प्रस्तुतियों के जरिये नवीनतम जानकारी दे रहा है. 2012-13 के दौरान बैंक ने अपने निदेशकों को सेंटर फार एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग (कैफ्राल) द्वारा गैर सरकारी निदेशकों के लिये आयोजित कांफ्रेंस में नामित किया . अत: इस अपेक्षा को **पूरा किया गया है**.
6	**बोर्ड के गैर-कार्यपालक सदस्यों के मूल्यांकन की पद्धति**	निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है. अत: यह खंड **लागू नही होता** है.
7	**गुप्त सूचना नीति** (Whistle Blower Policy)	बैंक में जानकारी गुप्त रूप से दिये जाने की नीति लागू है तथा लेखा परीक्षा समिति द्वारा वार्षिक आधार पर इसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाती है. अत: इसका **अनुपालन** हुआ है.

10. **आचार संहिता की घोषणा**

बोर्ड द्वारा निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता का निर्धारण किया गया है तथा बैंक की वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित भी किया गया है. निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है.

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

[डी सरकार]
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 9 मई, 2013

प्रति

निदेशक मंडल
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
मुंबई.

संदर्भ :- लिस्टिंग- करार के खण्ड 49 के तहत प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि

[ए] हमने वर्ष (2012-13) के वित्तीय विवरणों एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

(i) इन विवरणों में कोई गलत बयानी या कोई भूल-चूक या ऐसा कोई विवरण नही है; जिससे भ्रामक स्थिति पैदा हो.

(ii) ये विवरण बैंक के कार्यों का एक वास्तविक और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं और इनमें मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन किया गया हैं.

[बी] हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक द्वारा वर्ष के दौरान ऐसे किसी लेन-देन की प्रविष्टि नहीं की गई है, जो धोखाधड़ीपूर्ण या अवैध हों या जिससे बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन होता हो.

[सी] हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसके अनुपालन का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रामाणिकता का मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण को तैयार करने अथवा उसे व्यवहार में लाने में आने वाली हमें ज्ञात कमियों, जो कोई हों, और उन कमियों को सुधारने के लिए किये गये या प्रस्तावित उपायों की जानकारी दी है.

[डी] हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी है:

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में हुए मुख्य परिवर्तन.

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए व्यापक परिवर्तन और उनका वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उल्लेख किया गया है, और

(iii) हमें ज्ञात धोखाधड़ी के सभी प्रमुख मामले, जिनमें यदि प्रबंधन या ऐसा कोई कर्मचारी जुड़ा है; जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है.

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

[मयंक मेहता]
महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

[डी सरकार]
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई.
दिनांक : 9 मई 2013

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यों के लिए

हमने स्टॉक एक्सचेंज के साथ उक्त बैंक के सूचीकरण करार के वाक्यखंड 49 में निर्धारित किए अनुसार 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की स्थिति की जांच की है..

कॉर्पोरेट नियंत्रण संबंधी शर्तो का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है. हमारी जांच कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैक द्वारा अपनायी गयी पद्धतियों और उनके कार्यान्वयन तक सीमित है. यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैक के वित्तीय विवरणों के बारे में हमारा अभिमत है.

अपनी राय एवं सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए स्पष्टीकरणों के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि बैक ने उपर्युक्त सूचीकरण करार में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन किया है.

हमारा कथन है कि शेयरधारक/ निवेशक शिकायत समिति द्वारा रखे गये रिकॉर्ड के अनुसार बैंक के विरुद्ध किसी भी निवेशक की शिकायत एक माह से अधिक अवधि के लिए लम्बित नहीं है.

हमारा यह भी कथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के प्रति कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैक के कार्यकलापों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता या प्रभावशीलता के विषय में कोई आश्वासन है.

कृते जी.एस.माथुर एंड क़.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र008744एन

(राजीव कुमार वाधवान)
भागीदार(एम.नं. 091007)

कृते प्राइस पैट एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र.002783एस

(एस.बालासुब्रमणियन)
भागीदार(एम.नं25413)

कृते सिंगरोदिया गोयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र. 112081 डब्ल्यू

(के.वी.एस श्याम सुंदर)
भागीदार(एम.नं. 015747)

कृते जिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र.000844एन

(अखिल जिंदल)
भागीदार(एम.नं. 090515)

कृते शाह गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र. 109574 डब्ल्यू

(विपुल के. चोकसी)
भागीदार(एम.नं. 037606)

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र.000980सी

(वंदना रस्तोगी)
भागीदार(एम.नं. 086956)

मुंबई,

दिनांक :09.05.2013

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्यगण

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 31 मार्च, 2013 के वित्तीय विवरण जिसमें 31 मार्च, 2013 का तुलन पत्र तथा उसी तारीख को समाप्त अवधि के संलग्न लाभ-हानि खाते एवं नकदी प्रवाह विवरण और प्रमुख लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं, का लेखा परीक्षण किया है, इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 19 शाखाओं, 1 ट्रेजरी शाखा और 18 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1364 शाखाओं, 2 विदेशी शाखाओं, 46 सेवा शाखाओं के विवरण शामिल हैं. तुलन पत्र और लाभ हानि लेखे में उन 2128 शाखाओं और 81 कार्यालयों/केंद्रों के विवरणों का समावेश है जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गयी है. लेखापरीक्षा न की गयी इन शाखाओं के अग्रिम बैंक के अग्रिमों के 8.54%, जमाराशि बैंक की जमाराशि की 29.62%, ब्याज आय कुल ब्याज आय की 6.01% और ब्याज व्यय कुल ब्याज व्यय का 29.15% हैं.

वित्तीय विवरणों के लिये प्रबंधन का दायित्व

2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार इन विवरणो को तैयार करवाना प्रबंधन का दायित्व है. इस दायित्व में वित्तीय विवरण बनाने संबंधी ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और उनका रखरखाव करना शामिल है जो धोखाधड़ी या त्रुटि वश सारवान गलती से रहित हों.

लेखापरीक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करना है . हमने अपनी लेखा परीक्षा इस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है. उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हुए अपनी लेखापरीक्षा यह युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिये आयोजित और संपन्न करें कि वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार की सारवान गलत कथन नहीं है.

4. किसी भी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनो के बारे में लेखापरीक्षकीय साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है. प्रक्रिया का चयन वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी से या त्रुटिवश सारवान गलतकथन की जोखिम के आकलन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है. इन जोखिमों का आकलन करने में लेखापरीक्षक तत्कालीन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा डिजाइन करने के लिये कंपनी की तैयारी और वित्तीय विवरणों के सही प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है. किसी भी लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों के युक्तियुक्त होने का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी सम्मिलित होता है.

5. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये लेखापरीक्षा साक्ष्य , हमारी लेखापरीक्षा सम्मति का आधार बनने के लिये पर्याप्त और उपयुक्त है.

सम्मति

6. हमें प्राप्त सूचनाओं तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार और जैसा कि बैंक की बहियों में दर्शित है, हमारे मत के अनुसार

   (i) तुलन पत्र और उसके नोट सभी आवश्यक विवरण वाला एक संपूर्ण और सही तुलनपत्र है जो भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतो का पालन करते हुए बैंक के यथा 31 मार्च 2013कार्यकलापों का सही और उचित चित्र सामने लाने के लिये उचित प्रकार से बनाया गया है.

   (ii) लाभ हानि खाते और उसके नोट जिस वर्ष के खाते हैं, भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतो का पालन करते हुए उस वर्ष का सही लाभ दर्शाते हैं.

   (iii) नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह की सही स्थिति दर्शाता है.

जोर दिये जाने वाले मामले

7. अपने मत को किसी प्रकार हलका किये बिना हम अनुसूची 18 के नोट क्रमांक 5.13 पर ध्यान आकृष्ट करते हैं जिसमें

   क. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिये पेंशन का विकल्प पुन: खोलने पर, लेखा मानक 15 कर्मचारी लाभ के प्रावधान के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी परिपत्र (परिपत्र क्र डीबीओडी.बीपी.बीसी/80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी, 2011), के अनुसरण में ₹ 676.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1014.13 करोड़)की बैंक की पेंशन देयता आस्थगित करने का

   ख. ग्रेच्युटी की सीमा ₹ 3.50 लाख से बढ़ाकर ₹ 10.00 लाख किये जाने के परिणामस्वरूप बढ़ी ग्रेच्युटी देयता में से ₹ 65 करोड़ लाभ-हानि खाते को नामे किये जाने और शेष 130 करोड़ आगामी 2 सालों में नामे किये जाने के लिये आगे ले जाने के लिये आस्थगित करने का वर्णन है.

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलन पत्र और लाभ हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के 'ए' और 'बी' फार्मों में तैयार किए गए हैं.

9. ऊपर पैरा 1 से 5 में दी गयी लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980, और उनमें अपेक्षित प्रकटनों के अधीन हम रिपोर्ट करते हूँ कि :

(क) हमने वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया.

(ख) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकारों के अंतर्गत किए गए हैं.

(ग) बैंक के कार्यालय और शाखाओं से प्राप्त प्रविवरण हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं.

10. हमारे मत से तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता और नकद प्रवाह विवरण , लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं.

कृते जी.एस.माथुर एंड क़.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र008744एन

(राजीव कुमार वाधवान)
भागीदार(एम.नं. 091007)

कृते प्राइस पैट एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र.002783एस

(एस.बालासुब्रमणियन)
भागीदार(एम.नं25413)

कृते सिंगरोदिया गोयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र. 112081 डब्ल्यू

(के.वी.एस श्याम सुंदर)
भागीदार(एम.नं. 015747)

कृते जिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र.000844एन

(अखिल जिंदल)
भागीदार(एम.नं. 090515)

कृते शाह गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र. 109574 डब्ल्यू

(विपुल के. चोकसी)
भागीदार(एम.नं. 037606)

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र.000980सी

(वंदना रस्तोगी)
भागीदार(एम.नं. 086956)

मुंबई,

दिनांक :09.05.2013

31 मार्च 2013 का तुलन पत्र

(000' को छोड़कर)

	अनुसूची	यथा 31.03.2013	यथा 31.03.2012
पूंजी और दायित्व			
पूंजी	1	**7,07,79,42**	6,61,54,90
आरक्षित और आधिक्य	2	**1,65,88,39,45**	1,39,71,50,88
जमाराशियां	3	**26,37,61,57,30**	22,28,68,94,57
उधार	4	**2,37,97,27,45**	1,79,09,48,77
अन्य देनदारियां एवं प्रावधान	5	**70,05,77,11**	67,99,94,63
जोड़		**31,18,60,80,73**	**26,22,11,43,75**
आस्तियां			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष	6	**1,07,62,91,77**	1,16,33,56,07
बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	**54,47,47,14**	40,41,58,00
निवेश	8	**8,08,30,44,56**	6,23,63,55,81
अग्रिम	9	**20,81,02,18,60**	17,78,82,08,13
अचल आस्तियां	10	**24,79,00,71**	23,35,79,79
अन्य आस्तियां	11	**42,38,77,95**	39,54,85,95
जोड़		**31,18,60,80,73**	**26,22,11,43,75**
अनुषंगी दायित्व	12	**32,44,89,50,08**	23,66,21,78,00
संग्रहण के लिए बिल		**62,52,24,23**	22,17,00,68
प्रमुख लेखा नीतियां	17		
खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं.

(ए एस पारीख)
सहायक महा प्रबंधक

(मयंक मेहता)
महा प्रबंधक

(के. सुब्रमण्यम)
कार्यपालक निदेशक

(एस. के. जैन)
कार्यपालक निदेशक

(डी. सरकार)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डा ए. भट्टाचार्या)
निदेशक

(चंदन सिन्हा)
निदेशक

(बी.एन.भट्टाचार्जी)
निदेशक

(एन. शंकर)
निदेशक

(डा. अतुल अग्रवाल)
निदेशक

(एस के मिश्र)
निदेशक

(श्रीमती अनुसुइया शर्मा)
निदेशक

(डी चटर्जी)
निदेशक

(डा. आर एच ढोलकिया)
निदेशक

(जी के लाठ)
निदेशक

कृते जी.एस.माथुर एंड क़.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र008744एन

(राजीव कुमार वाधवान)
भागीदार(एम.नं. 091007)

कृते प्राइस पैट एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र.002783एस

(एस.बालासुब्रमणियन)
भागीदार(एम.नं25413)

कृते सिंगरोदिया गोयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र. 112081 डब्ल्यू

(के.वी.एस श्याम सुंदर)
भागीदार(एम.नं. 015747)

कृते जिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र.000844एन

(अखिल जिंदल)
भागीदार(एम.नं. 090515)

कृते शाह गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र. 109574 डब्ल्यू

(विपुल के. चोकसी)
भागीदार(एम.नं. 037606)

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र.000980सी

(वंदना रस्तोगी)
भागीदार(एम.नं. 086956)

मुंबई,
दिनांक :09.05.2013

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा

(000' को छोड़कर)

	अनुसूची	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	**2,51,24,70,07**	2,10,28,45,20
अन्य आय	14	**25,52,02,69**	24,48,20,38
जोड़		2,76,76,72,76	**2,34,76,65,58**
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	**1,75,81,86,36**	1,42,35,38,56
परिचालन व्यय	16	**45,12,16,46**	39,87,51,73
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		**34,24,77,11**	34,66,61,68
जोड़		**2,55,18,79,93**	**2,16,89,51,97**
III. वर्ष का शुद्ध लाभ		**21,57,92,83**	17,87,13,61
जोआगे लाया गया लाभ		**61,28**	15,91
जोड़		21,58,54,11	**17,87,29,52**
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित को अंतरण		**6,48,00,00**	5,37,00,00
पूंजी आरक्षित को अंतरण		**54,23,20**	39,32,05
राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों को अंतरण		**7,04,00,00**	5,03,00,00
प्रस्तावित लाभांश		**4,77,43,54**	4,40,43,92
पीएनसीपीएस पर लाभांश हेतु प्रावधान		**9,43,50**	10,54,50
लाभांश कर		**82,74,36**	73,16,09
पिछले वर्ष का पुनर्लिखित लाभांश कर		**0**	-78,32
विदेशी मुद्रा परिवर्तन कोष मे अंतरित		**28,77**	0
विशेष आरक्षित में अंतरण [Sec36(I)(viii)]		**1,82,00,00**	1,84,00,00
लाभ व हानि लेखे मे शेष		**40,74**	61,28
जोड़		21,58,54,11	**17,87,29,52**
प्रति शेयर अर्जन (बेसिक व डाइल्यूटेड)		**38.93**	34.07

उक्त अनुसूचियां लाभ हानि लेखे का एक अभिन्न अंग हैं.

(ए एस पारीख) सहायक महा प्रबंधक	**(मयंक मेहता)** महा प्रबंधक	**(के. सुब्रमण्यम)** कार्यपालक निदेशक	**(एस. के. जैन)** कार्यपालक निदेशक	**(डी. सरकार)** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डा ए. भट्टाचार्या) निदेशक	**(चंदन सिन्हा)** निदेशक	**(बी.एन.भट्टाचार्जी)** निदेशक	**(एन. शंकर)** निदेशक	**(डा. अतुल अग्रवाल)** निदेशक
(एस के मिश्र) निदेशक	**(श्रीमती अनुसुइया शर्मा)** निदेशक	**(डी चटर्जी)** निदेशक	**(डा. आर एच ढोलकिया)** निदेशक	**(जी के लाठ)** निदेशक

कृते जी.एस.माथुर एंड क़.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र008744एन

(राजीव कुमार वाधवान)
भागीदार(एम.नं. 091007)

कृते प्राइस पैट एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र.002783एस

(एस.बालासुब्रमणियन)
भागीदार(एम.नं25413)

कृते सिंगरोदिया गोयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र. 112081 डब्ल्यू

(के.वी.एस श्याम सुंदर)
भागीदार(एम.नं. 015747)

कृते जिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र.000844एन

(अखिल जिंदल)
भागीदार(एम.नं. 090515)

कृते शाह गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र. 109574 डब्ल्यू

(विपुल के. चोकसी)
भागीदार(एम.नं. 037606)

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र.000980सी

(वंदना रस्तोगी)
भागीदार(एम.नं. 086956)

मुंबई,
दिनांक :09.05.2013

31 मार्च 2013, के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

	यथा 31.03.2013		यथा 31.03.2012	
अनुसूची 1 - पूंजी:				
I. प्रधिकृत पूंजी :				
₹10/- प्रति के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर	**30,00,00,00**		30,00,00,00	
II. निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त :				
i. 34,54,59,689 शेयर ₹ 10/- मूल्य के केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित : (पिछले वर्ष 29,92,14,515 इक्विटी शेयर)	**3,45,45,97**		2,99,21,45	
ii. 25,13,34,520 शेयर ₹ 10/- मूल्य के जनता द्वारा धारित:	**2,51,33,45**		2,51,33,45	
iii. शाश्वत असंचयी वरीयता शेयर	**1,11,00,00**		1,11,00,00	
जोड़	**7,07,79,42**		6,61,54,90	
अनुसूची 2 -आरक्षित निधियां एवं अधिशेष :				
I. सांविधिक आरक्षित :				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**44,35,00,00**		38,98,00,00	
वर्ष के दौरान वृद्धि	**6,48,00,00**		5,37,00,00	
		50,83,00,00		44,35,00,00
II. पूंजी आरक्षित :				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**7,04,84,10**		6,65,52,05	
वर्ष के दौरान वृद्धि	**54,23,20**		39,32,05	
		7,59,07,30		7,04,84,10
III. शेयर प्रीमियम :				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**18,19,22,79**		11,95,14,12	
वर्ष के दौरान वृद्धि	**10,66,64,08**		6,24,08,67	
		28,85,86,87		18,19,22,79
IV. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित :				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**15,33,82,71**		15,73,84,07	
वर्ष के दौरान घटाया	**38,06,94**		40,01,36	
		14,95,75,77		15,33,82,71
V. राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां :				
i) राजस्व और अन्य आरक्षित				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**35,40,00,00**		30,37,00,00	
वर्ष के दौरान वृद्धि	**7,04,00,00**		5,03,00,00	
जोड़	**42,44,00,00**		35,40,00,00	
ii) विशेष आरक्षित [धारा36(1)(viii)]				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**19,38,00,00**		17,54,00,00	
वर्ष के दौरान वृद्धि	**1,82,00,00**		1,84,00,00	
जोड़	**21,20,00,00**		19,38,00,00	
iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधियां				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**0**		5,52,87	
वर्ष के दौरान वृद्धि	**28,77**		0	
वर्ष के दौरान घटाया	**0**		5,52,87	
जोड़	**28,77**	**63,64.28,77**	0	54,78,00,00
VI. लाभ व हानि लेखा में शेष				
लाभ व हानि लेखा में शेष	**40,74**		61,28	
जोड़	**1,65,88,39,45**		1,39,71,50,88	

31 मार्च 2013, के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

		यथा 31.03.2013		यथा 31.03.2012
अनुसूची 3 - जमाराशियां				
I. मांग जमा				
i) बैंकों से	9,32,84,45		9,81,68,23	
ii) अन्य से	2,32,05,44,49	2,41,38,28,94	1,82,94,53,64	1,92,76,21,87
II. बचत बैंक जमाराशियां		5,74,96,65,37		5,04,28,85,88
III. मियादी जमाराशियां				
i) बैंकों से	1,08,76,55,93		87,69,80,78	
ii) अन्य से	17,12,50,07,06	18,21,26,62,99	14,43,94,06,04	15,31,63,86.82
जोड़		26,37,61,57,30		22,28,68,94,57
भारत में स्थित शाखाओं में जमाराशियां		26,09,98,34,11		22,16,61,96,16
भारत से बाहर स्थित शाखाओं में जमाराशियां		27,63,23,19		12,06,98,41
जोड़		26,37,61,57,30		22,28,68,94,57
अनुसूची 4 - उधार:				
ए) उधार : पूंजी लिखत				
I. शाश्वत बांड		10,40,00,00		10,40,00,00
II. अपर टियर II बांड		22,50,00,00		22,50,00,00
III. लोअर टियर II बांड		35,00,00,00		29,00,00,00
बी) भारत में उधार				
I. भारतीय रिज़र्व बैंक		21,25,27,00		2,35,00,00
II. अन्य बैंक	2,00,00,00		7,00,00,00	
III. अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण	1,46,13,94	3,46,13,94	1,55,37,35	8,55,37,35
सी) भारत से बाहर उधार		1,45,35,86,51		1,06,29,11,42
जोड़		2,37,97,27,45		1,79,09,48,77
उपरोक्त I व II में प्रतिभूत उधारी शामिल है.		1,33,91,21		1,34,37,13
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान :				
I. देय बिल		12,22,72,42		12,94,10,23
II. उपचित ब्याज		8,39,01,49		7,10,54,34
III. आस्थगित कर देयताएं		31,68,51		21,68,51
IV. अन्य (प्रावधानों सहित)		49,12,34,69		47,73,61,55
जोड़		70,05,77,11		67,99,94,63
अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष				
I. धारित नकदी				
(इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)		7,75,27,87		6,27,32,60
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ जमाशेष चालू खाते में		99,87,63,90		1,10,06,23,47
जोड़		1,07,62,91,77		1,16,33,56,07

31 मार्च 2013, के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

		यथा 31.03.2013		यथा 31.03.2012	
अनुसूची 7 - बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन					
I. भारत में बैंकों के पास जमाशेष					
i)	ए) चालू खातों में	**1,19,85,25**		1,73,53,87	
	बी) अन्य जमा खातों में	**12,19,44,05**		15,33,09,75	
ii)	मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन				
	बैंकों के साथ	**0**	**13,39,29,30**	64,36,84	17,71,00,46
II. भारत के बाहर					
i)	चालू खातों में	**6,00,36,97**		1,96,65,10	
ii)	अन्य जमा खातों में	**35,07,80,87**	**41,08,17,84**	20,73,92,44	22,70,57,54
iii)	मांग अल्प सूचनापर प्राप्य धन	**0**	**0**	0	0
	जोड़		**54.47,47,14**		40,41,58,00
अनुसूची 8 - निवेश					
I. भारत में निवेश					
i)	सरकारी प्रतिभूतियों में		**6,17,64,47,87**		5,04,81,83,97
ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में		**0**		40,00
iii)	शेयर		**9,84,52,85**		7,68,24,21
iv)	डिबेंचर एवं बांड		**62,58,80,84**		43,88,64,69
v)	सहायक एवं संयुक्त उद्यम		**1,29,43,76**		1,32,63,19
vi)	अन्य				
	वाणिज्यिक पत्र	**11,92,19,44**		4,41,36,89	
	जमा प्रमाणपत्र	**30,19,92,75**		18,15,28,72	
	पारस्परिक निधि	**9,02,43,90**		9,55,51,34	
	आर आई डी एफ	**64,74,13,71**		32,70,41,69	
	आर्सिल की प्रतिभूति रसीद	**36,09,45**	**1,16,24,79,25**	37,39,06	65,19,97,70
	जोड़		**8,07,62,04,37**		6,22,91,73,76
II. भारत के बाहर निवेश					
i)	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी सहित)		**57,14,91**		61,44,70
ii)	शेयर		**40,32**		19,89
iii)	अन्य निवेश (बांड)		**10,84,96**		10,17,46
	जोड़		**68,40,19**		71,82,05
	जोड़		**8,08,30,44,56**		6,23,63,55,81
III. i)	भारत में निवेश				
	सकल मूल्य		**8,11,20,17,55**		6,24,52,41,12
	मूल्यन्हास के लिए प्रावधान		**3,58,13,18**		1,60,67,36
	शुद्ध मूल्य		**8,07,62,04,37**		6,22,91,73,76
ii)	भारत के बाहर निवेश				
	सकल मूल्य / शुद्ध मूल्य		**68,40,19**		71,82,05
	जोड़		**8,08,30,44,56**		6,23,63,55,81

31 मार्च 2013, के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

			यथा 31.03.2013		यथा 31.03.2012
अनुसूची 9 - अग्रिम:					
I. i)	खरीदे और भुनाए गए बिल		**65,82,54,82**		81,41,63,43
ii)	नकद साख, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण		**10,48,46,31,55**		9,19,88,70,75
iii)	मीयादी ऋण		**9,66,73,32,23**		7,77,51,73,95
	जोड़		**20,81,02,18,60**		17,78,82,08,13
II. i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के पेटे अग्रिमों सहित)		**16,57,03,18,72**		13,21,10,04,63
ii)	बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित		**1,27,17,50,62**		76,57,68,62
iii)	अप्रतिभूत		**2,96,81,49,26**		3,81,14,34,88
	जोड़		**20,81,02,18,60**		17,78,82,08,13
ए.	भारत में अग्रिम				
i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		**5,53,60,36,00**		4,24,53,48,43
ii)	सार्वजनिक क्षेत्र		**2,02,31,43,91**		1,47,89,19,82
iii)	बैंक		**61,81,37,34**		82,55,90,56
iv)	अन्य		**11,34,01,21,12**		10,32,28,13,53
	जोड़		**19,51,74,38,37**		16,87,26,72,34
बी.	भारत से बाहर अग्रिम				
i)	बैंको से देय		**61,17,02,92**		39,26,05,24
ii)	अन्यों से देय				
क)	खरीदे एवं भुनाए गए बिल		**3,24,50,49**		1,02,40,55
ख)	सिंडिकेट ऋण		**50,37,64,82**		34,59,65,26
ग)	अन्य		**14,48,62,00**		16,67,24,74
	जोड़		**1,29,27,80,23**		91,55,35,79
	जोड़		**20,81,02,18,60**		17,78,82,08,13
अनुसूची 10 - अचल आस्तियां					
ए.	मूर्त आस्तियां				
I.	परिसर				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	**22,00,67,22**		21,29,00,03	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**1,21,84,53**		71,67,19	
		23,22,51,75		22,00,67,22	
	घटाएं : आज की तारीख तक मूल्य ह्रास	**4,90,86,37**	**18,31,65,38**	4,38,04,57	17,62,62,65
II.	प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	**3,60,98**		13,58,15	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**27,26,23**		12,63,93	
	वर्ष के दौरान कमी	**19,33,40**	**11,53,81**	22,61,10	3,60,98
III.	भूमि				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	**3,09,72**		13,52,04	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**10,31,25**		0	
	वर्ष के दौरान कमी	**0**		10,42,32	
		13,40,97		3,09,72	
	घटाएं : आज की तारीख तक मूल्यन्हास	**2,33,85**	**11,07,12**	2,22,60	87,12

31 मार्च 2013, के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

	यथा 31.03.2013		यथा 31.03.2012	
IV. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर्स सहित)				
ए) पट्टे पर दी गई आस्तियां				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	26,53,52		31,04,77	
वर्ष के दौरान कमी	0		4,51,25	
	26,53,52		26,53,52	
घटाएं : आज की तारीख तक मूल्यन्हास	26,53,52		26,53,52	
	0		0	
बी) अन्य				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	14,65,54,62		13,38,36,19	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,87,00,86		1,60,07,66	
	16,52,55,48		14,98,43,85	
वर्ष के दौरान कमी	26,32,20		32,89,23	
	16,26,23,28		14,65,54,62	
घटाएं : मूल्यन्हास	10,24,44,63		9,21,39,71	
जोड़	6,01,78,65	6,01,78,65	5,44,14,91	5,44,14,91
बी. अमूर्त आस्तियां				
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	1,10,99,29		86,48,24	
वर्ष के दौरान वृद्धि	13,16,34		24,51,05	
	1,24,15,63		1,10,99,29	
आज की तारीख तक परिशोधन	1,01,19,88	22,95,75	86,45,16	24,54,13
जोड़		24,79,00,71		23,35,79,79

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां :

I. अंतर-कार्यालयीन समायोजन (निवल)	10,37,03,15	4,36,12,62
II. उपचित ब्याज	18,38,31,16	16,88,21,76
III. संदत्त/स्रोत पर काटा गया ब्याज (प्रावधानों के समायोजन के बाद)	-2,72,96,06	-4,82,21,86
IV. लेखन सामग्री और स्टैंप	2,45,22	5,19,60
V. दावों के समाधान से अर्जित गैर बैंककारी आस्तियां	3,90	3,90
VI. अन्य	16,33,90,58	23,07,49,93
जोड़	42,38,77,95	39,54,85,95

अनुसूची12 - अनुषंगी दायित्व:

I. बैंक के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है	34,91,28,35		33,85,54,75	
II. अंशत: संदत्त निवेशों के लिए देयताएं	59,20		59,20	
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	28,44,07,74,59		20,37,78,31,56	
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां				
i) भारत में	1,79,98,56,13		1,45,39,81,27	
ii) भारत के बाहर	4,61,41,39	1,84,59,97,52	2,08,76,37	1,47,48,57,64
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं		1,77,24,47,76		1,42,91,14,54
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रुप से उत्तरदायी है				
i) अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग	4,88,91,00		4,10,05,93	
ii) अन्य	22,25,26	5,11,16,26	7,54,38	4,17,60,31
जोड़		32,45,95,23,68		23,66,21,78,00

31 मार्च 2013, के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

	यथा 31.03.2013	यथा 31.03.2012
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज :		
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	**1,91,40,46,20**	1,60,26,62,56
II. निवेशों पर आय	**56,71,03,30**	45,70,07,71
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के जमाशेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	**1,98,60,70**	3,30,91,49
IV. अन्य	**1,14,59,87**	1,00,83,44
जोड़	**2,51,24,70,07**	2,10,28,45,20
अनुसूची14 - अन्य आय:		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	**3,64,04,63**	3,65,12,64
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ - निवल	**4,77,26,87**	4,40,76,60
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ - निवल	**-1,69,25**	-65,91
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ - निवल	**5,59,87,70**	4,88,75,04
V. विविध आय	**11,52,52,74**	11,54,22,01
जोड़	**25,52,02,69**	24,48,20,38
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज :		
I. जमाराशियों पर ब्याज	**1,65,51,23,97**	1,34,05,77,82
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	**2,74,23,79**	1,40,85,83
III. अन्य	**7,56,38,60**	6,88,74,91
जोड़	**1,75,81,86,36**	1,42,35,38,56
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	**27,55,01,22**	24,79,25,93
II. किराया, कर और प्रकाश	**3,22,94,12**	2,64,12,05
III. मुद्रण और लेखनसामग्री	**44,02,69**	37,41,32
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	**71,63,35**	67,39,61
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	**1,50,91,74**	1,46,45,26
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	**1,21,44**	1,37,10
VII. प्रबंध / कार्यपालक निदेशक को पारिश्रमिक	**59,63**	56,87
VIII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	**21,18,85**	23,13,60
IX. विधि प्रभार	**14,94,57**	14,57,71
X. डाक खर्च, तार और टेलीफोन आदि	**60,77,85**	49,71,04
XI. मरम्मत एवं अनुरक्षण	**79,46,48**	70,12,13
XII. बीमा	**2,17,46,93**	1,94,29,54
XIII. अन्य व्यय	**7,71,97,59**	6,39,09,57
जोड़	**45,12,16,46**	39,87,51,73

वर्ष 2012-2013 के लेखा की अनुसूचियां

अनुसूची 17-प्रमुख लेखा नीतियां:

1. लेखा पद्धति

संलग्न वित्तीय विवरण, जब तक कुछ अन्यथा न कहा गया हो, निरंतर कारोबार सिद्धांत और परंपरागत लागत के आधार पर तथा सांविधिक प्रावधानों तथा भारत में प्रचलित सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन पद्धतियों के अनुरुप तैयार किए गए हैं.

2. अनुमानों का उपयोग :

वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को, वित्तीय विवरण की तिथि को आकस्मिक देयताओं सहित रिपोर्ट की गयी आस्तियों व देयताओं और रिपोर्टिंग की तारीख को रिपोर्ट किये गये आय और व्यय के बारे में अनुमान और अंदाज लगाने की आवश्यकता होती है. प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण और युक्तिसंगत हैं. वास्तविक परिणाम और अनुमानों के अंतर को उस अवधि में मान्य किया गया है जिसके परिणाम ज्ञात हैं/सारवान है.

3. राजस्व की पहचान:

i) अन्यथा उल्लेखित न हो तब तक, आय और व्यय की गणना सामान्यत: उपचय आधार पर की गई है.

ii) गैर निष्पादित अग्रिमों(एनपीए) पर आय की पहचान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली की गई सीमा तक की गई है. वर्ष के दौरान एनपीए के रुप में वर्गीकृत अग्रिमों के मामलों में विगत वर्ष लेखों में शामिल की गई तथा वसूली के लिए शेष रही आय को अमान्य किया गया है.

iii) अर्जित कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज, सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया और बॉयोमैट्रिक्स कार्ड पर कमीशन, आधार कार्ड पर आय आदि प्राप्ति के बाद ही लेखांकित किए गए हैं.

iv) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में निवेशों पर प्राप्त आय(ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है.

ए) ब्याज वाली प्रतिभूति पर प्राप्त आय केवल विक्रय/शोधन के समय ही प्राप्त मानी जाएगी.

बी) शून्य कूपन प्रतिभूति पर प्राप्त आय का समायोजन निरंतर प्राप्ति आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए किया जाएगा.

v) जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहां लाभांश की गणना उपचित आधार पर की जाएगी.

4. निवेश :

i) बैंकिंग विनिमयन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रारुप ए की अपेक्षाओं के अनुरुप निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

ए) सरकारी प्रतिभूतियां

बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

सी) शेयर

डी) ऋणपत्र एवं बांड

ई) अनुषंगी इकाइयां एवं संयुक्त उपक्रम एवं

एफ) अन्य निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन पुन: निम्नलिखित 3 संवर्गों अर्थात्

ए) परिपक्वता तक धारित(एचटीएम),

बी) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और

सी) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) में वर्गीकृत किया गया है.

ii) मूल्यांकन के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं :

ए) i) "परिपक्वता तक धारित" में निवेश की गई प्रतिभूतियां - अधिग्रहण लागत पर.

अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित है.

ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

iii) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

ऐसे निवेशों के मूल्यांकन में स्थायी ह्रास, यदि कोई है, का प्रावधान कर दिया गया है.

बी) i) बिक्री के लिए उपलब्ध एवं "व्यापार के लिए धारित" श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिपवार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्ध ह्रास लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जबकि किसी प्रकार की शुद्ध वृद्धि को अनदेखा किया गया है.

ii) प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

i.	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंव डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) द्वारा प्रसारित भावों के अनुसार
ii.	राज्य विकास ऋण केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पी एस यू बांड .	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एवं डेरिवेटिव एसोसिएशन (एफ आई एम एम डी ए) के अनुसार समुचित परिपक्वता आधार के लाभ पर
iii.	इक्विटी शेयर	यदि उपलब्ध हो तो बाज़ार मूल्य पर अन्यथा अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार बही मूल्य पर, (यदि अद्यतन तुलन-पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं है) . दोनों नहीं होने पर ₹ 1/- प्रति कंपनी के अनुसार
iv.	वरीयता शेयर	यदि उल्लेखित हो तो, बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार समुचित परिपक्वता आधार के लाभ पर लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं
v.	डिबेंचर/बांड्स	बाजार मूल्य पर, यदि उल्लेखित हो, अन्यथा एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार समुचित परिपक्वता आधार के लाभ पर

vi.	म्युचुअल फंड (एमएफ)	स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बताई गई दरों के अनुसार, यदि बताई गई हों. यदि दरें बताई न गई हों तो म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न किया गया हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार.
vii.	राजकोषीय बिल/ वाणिज्यिक पत्र/जमा प्रमाणपत्र	संवहन लागत पर
viii.	जोखिम पूंजी निधियां(वीसीएफ)	घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार विश्लेषित एनएवी पर, जो कि 18 माह से अधिक पुरानी न हो यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से अधिक के उपलब्ध न हो तो रू.1/-प्रति वीसीएफ पर
ix.	प्रतिभूति रसीदें	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पर

iii) अंतर बैंक रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेन की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार की गई है.

iv) भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की जाती है :

- विक्रय के लिये उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी से परिपक्वता तक धारित में शिफ्टिंग की तारीख के बाजार मूल्य या बही मूल्य, दोनों में जो भी कम हो पर. यदि कोई मूल्यह्रास हो तो उसका पूरा प्रावधान किया जाता है.

➢ परिपक्वता तक धारित श्रेणी से विक्रय के लिये उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में ,

➢ यदि परिपक्वता तक धारित श्रेणी में प्रतिभूति मूलतः डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत /बही मूल्य पर

- यदि प्रतिभूति मूलतः प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर

इस प्रकार शिफ्ट की गयी प्रतिभूतियों का तुरत पुनर्मूल्यांकन किया जाय और इसके परिणामस्वरूप मूल्य में होने वाली कमी के लिये पूरा प्रावधान किया जाय.

- विक्रय के लिये उपलब्ध से ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर

v) गैर निष्पादक निवेश की पहचान की जाती है और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यह्रास/प्रावधान किया जाता है.

vi) किसी भी श्रेणी के निवेश के विक्रय से होने वाली लाभ/हानि, लाभ और हानि खाते में लिखी जाती है.लेकिन परिपक्वता तक धारित श्रेणी के निवेश के विक्रय से होने वाले लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधक आरक्षित को अंतरित राशि घटाकर) पूंजी आरक्षित खाते में विनियोग की जाती है.

vii) कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि की ब्याज आदि लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की जाती है.

viii) भारिबैं के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक निवेश संव्यवहारों के लेखांकन "निपटान तारीख" के हिसाब से करता है

डेरिवेटिव संविदा

i) वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करन वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप उपचित आधार पर लगाया गया है. सिवाय उन स्वैप नामित आस्तियों और देयताओं के, जिन्हें लागत अथवा बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो, अथवा बाजार मूल्य पर लिया गया है. स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति या देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.

ii) ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये जाते हैं.

iii) विकल्प संविदाओं के मामले में फेडाई द्वारा समय समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे के बारे में जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

5. अग्रिम :

i) सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों (ए) मानक, (बी) अवमानक, (सी) संदिग्ध तथा (डी) हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा ऐसे अग्रिमों पर हानि के लिए आवश्यक प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार सुनिश्चित किया गया है.

ii) मानक अग्रिमों के कुछ संवर्ग यथा उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ऋण, शैक्षिक ऋण, क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण और अन्य वैयक्तिक ऋणों के लिए की सांविधिक अपेक्षा से 2% अधिक राशि का प्रावधान किया गया है.

iii) अग्रिम की राशि, गैर-निष्पादित आस्तियों से संबंधित प्रावधान तथा विविध खातों में रखे गए अप्राप्त ब्याज / सीजीटीएफ/ईसीजीसी से प्राप्त दावे की राशि कम करके बताई गई है. मानक अग्रिमों पर प्रावधान अन्य देयताएं एवं प्रावधान में किया गया है.

6. अचल आस्तियां और मूल्यह्रास

i) अचल आस्तियां परंपरागत लागत पर उल्लिखित की गई हैं, जब कि भूमि और भवन पुनर्मूल्यांकित रकम पर उल्लिखित है. लागत में क्रय मूल्य से रिबेट और व्यापारिक छूट को घटाने और पात्र उदार लागत और आस्ति को वांछित प्रयोग योग्य बनाने के लिये व्यय की गयी लागत शामिल होती है.

ii) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम को अमूर्त आस्तियों के रूप में पूंजीकृत किया गया है.

iii) अचल आस्तियों के मूल्यह्रास का प्रावधान ह्रासित शेष प्रणाली के अनुसार प्रबंधन द्वारा उचित समझी गयी निम्नांकित दर पर किया गया

	आस्तियों का प्रकार	मूल्य ह्रास की दर
i)	परिसर	5%
ii)	अन्य अचल आस्तियां	
	- फर्नीचर और फिटिंग्स	10%
	- इलेक्ट्रिक फिटिंग और उपस्कर,	15%
	कार्यालय उपकरण,	20%
	एसडीवी/लॉकर्स/स्ट्रांग रूम आदि	33.33%
	- परिवहन वाहन	
	- यू.पी.एस.	
iii)	आस्तियों के पुनर्मूल्याकन के परिणामस्वरूप जोड़ी गयी राशि पर	संबंधित आस्ति के आर्थिक अवशिष्ट काल के आधार पर

iv) कम्प्यूटरों एवं सॉफ्टवेयर सिस्टम पर मूल्यह्रास 33.33% की दर से सीधी रेखा प्रणाली के आधार पर लगाया गया है.

v) 30 सितंबर तक आस्तियों के परिवर्द्धन पर मूल्यह्रास पूर्ण दर से और उसके बाद हुए परिवर्द्धन पर आधे दर से लगाया गया है.

vi) भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगा पाने पर परिसर पर मूल्यह्रास संमिश्र लागत पर लगाया गया है.

vii) वर्ष के दौरान बेची/निपटान की गईं आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है.

viii) पट्टे पर ली गयी भूमि का पट्टे की अवधि पर परिशोधन किया गया है.

7. आस्तियों में क्षति

आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आस्तियों की संवहन लागत की समीक्षा की जाती है. किसी आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य लागत से अधिक होने पर क्षरण हानि मानी जाती है. क्षरण हानि उस समय मानी जाती है जब उस आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो. वसूली योग्य राशि आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य , दोनों में जो भी अधिक हो, होती है. उपयोग मूल्य पता करने के लिये धन के समय मूल्य के लिये मौजूदा बाजार आकलन और आस्ति के जोखिम के अनुसार कर पूर्व बट्टा दर पर भविष्य के अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है. क्षरण के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यह्रास लगाया जाता है. परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार पहले लगायी क्षरण हानि बढ़ जाती है या कम हो जाती है. लेकिन हानि कम होने के बाद संवहन लागत उस लागत से अधिक नहीं होगी जो क्षरण न होने पर सामान्य मूल्यह्रास लगाने के बाद होती.

8. प्रति चक्रीय प्रावधान बफर

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशौं के अनुसार, प्रति चक्रीय प्रावधान बफर के लिये बैंक के पास अनुमोदित नीति है. प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर प्रावधान की मात्रा तय की जाती है. प्रति चक्रीय प्रावधान का उपयोग नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है.

9. विदेशी विनिमय वाले लेनदेन

विदेशी मुद्रा स्थिति का पुनर्मूल्यांकन तथा इनसे हुई लाभ - हानियों का लेखांकन

i) वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर मौद्रिक आस्तियों एवं देयताओं का पुनर्मूल्यन किया गया है और परिणामी लाभ / हानि को लाभ और हानि खाते में लिया गया है.

ii) आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है.

iii) वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं को वायदा प्रतिबद्धता की तारीख पर विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है.फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और मध्यवर्ती परिपक्वताओं के संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है.

iv) गारंटी, स्वीकरण, परांकन एवं अन्य देयताओं के कारण होने वाली आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शायी गयी है.

v) भारत से बाहर बैंक के प्रतिनिधि कार्यालयों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एकीकृत परिचालन माना गया है.

10. गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन के संबंध में लेखांकन :

अपतटीय बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) एवं विदेशी शाखा का वर्गीकरण गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है.

ए) अपतटीय बैंकिंग इकाई (ओबीयू)एवं विदेशी शाखा

i) आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक एवं गैर -- मौद्रिक दोनों प्रकार की तथा आकस्मिक देयताएं) को फेडाई द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिसूचित बंद दरों पर दर्शाया गया है.

ii) आय एवं व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत बंद दर पर परिवर्तित किया गया है.

iii) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को एक अलग खाते " विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित " में संचित रखा गया है.

बी) विदेशी शाखा

i) **आय पहचान :** आय एवं व्यय की पहचान / लेखांकन संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों के अनुसार किए गए हैं.

ii) **आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि का प्रावधान :** आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि के प्रावधान स्थानीय अपेक्षाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में, जो भी अधिक हो, के अनुसार किए गए हैं.

iii) **अचल आस्तियां और मूल्यह्रास**

ए) अचल आस्तियों का लेखांकन परंपरागत लागत पर किया गया है.

बी) विदेशी शाखा की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों में लागू कानूनों के अनुसार किया गया है.

11 कर्मचारी लाभ :

भविष्य निधि के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ एक परिभाषित अंशदायी स्कीम है. भविष्य निधि अंशदान की राशि, अंशदान देय होने पर उस वर्ष के लाभ-हानि खाते को नामे की जाती है. भविष्य निधि को देय अंशदान के अतिरिक्त बैंक की कोई अन्य जिम्मेदारी नहीं है.

ग्रेच्युटी निधि एवं पेंशन तथा अवकाश के लिये प्रावधान परिभाषित दायित्व हैं और इनके लिये प्रावधान लेखा मानक 15 (संशोधित) के अनुसार बीमांकिक आधार पर वित्तवर्ष के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट के आधार पर किया गया है. वर्ष के दौरान शुद्ध बीमांकिक लाभ/ हानि को लाभ हानि खाते में लेखांकित किया जाता है.

विदेशी कार्यालयों में नियोजित कर्मचारियों के कर्मचारी लाभों का मूल्यांकन और लेखांकन संबंधित स्थानीय कानून/विनियमों के अनुसार किया जाता है.

12. खंडवार रिपोर्टिंग

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुसार बैंक कारोबार को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड

और भौगोलिक विस्तार को द्वितीयक (गौड़) कारोबार खंड के रूप में मान्यता देता है.

कारोबार संव्यवहार को (क) ट्रेजरी परिचालन, (ख) कारपोरेट व होलसेल बैंकिंग, (ग) रिटेल बैंकिंग परिचालन और (घ) अन्य बैंकिंग परिचालनों में वर्गीकृत किया गया है.

13. लीज संव्यवहार

बैंक द्वारा लीज/किराये पर ली गयी संपत्तियों की लीज की समाप्ति /नवीकरण का विकल्प बैंक के पास होता है. अतिरिक्त किराये/लीज किराये संबंधी विवादों के संबंध में बैंक की देयताओं को समझौते या नवीकरण के समय मान्यता प्रदान की जाती है.

14. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की जाती है.

प्रति इक्विटी शेयर कम किये गये अर्जन की गणना के लिये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बढ़ते संभावित शेयरों की संख्या का प्रयोग कर किया जाता है.

15. कराधान

चालू एवं आस्थगित दोनों करों के लिए करों का प्रावधान किया जाता है. कर योग्य आय पर वर्तमान कर दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया जाता है. समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू की गयीं कर दरों एवं बनाए जा चुके कर नियमों के अनुसार की गयी है. आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि यह "समुचित निश्चितता" न हो कि ऐसी पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके पेटे ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की उगाही की जाएगी. अनवशोषित मूल्यह्रास और कर-हानियों को अग्रेषित करने की स्थिति में "वास्तविक निश्चितता" उपलब्ध होने पर ही आस्थगित कर आस्तियों का अभिनिर्धारण किया जाता है.

16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां :

पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप सृजित वर्तमान देयताओं के लिए मापन के लिये ठोस स्तर के प्राक्कलन के आधार पर प्रावधानों का अभिनिर्धारण किया जाता है. यह संभव है कि संसाधनों का बहिर्वाह होगा तथा देयता की रकम का वास्तविक अनुमान किया जा सकेगा. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की न तो पहचान की जाती है न ही उन्हें प्रकट किया जाता है. आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है तथा टिप्पणियों के माध्यम से उन्हें उद्घाटित किया गया है.

17. शेयर निर्गम व्यय :

शेयर निर्गम व्यय, शेयर प्रीमियम खाते में नामे लिखे जाते हैं.

अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

1. बहियों का मिलान, अंतर शाखा/बैंक लेनदेनों का समाधान :

i) कुछ मामलों को छोड़कर विदेशी और अन्य बैंकों के साथ शेष की पुष्टि / समाधान सामान्यतया प्राप्त किया गया है / जाता है.

ii) उचंत खाता, विविध जमा, समाशोधन समायोजन, बैंक समाधान विवरण और विभिन्न अंतर-शाखा /कार्यालय खातों में बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का काम जारी है. शाखाओं द्वारा रखे जाने वाले केन्द्रीय कार्यालय लेखा का समाधान 31 मार्च 2013 तक पूरा कर लिया गया है.

iii) उपर्युक्त i और ii में यदि कोई अंतिम समाधान लंबित है तो प्रबंधन के विचार से उसका लेखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

2. निवेश :

I. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, ₹114.68 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष के लिए ₹ 83.15 करोड़) को परिपक्वता के लिए धारित संवर्ग की प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ के बराबर राशि पूंजी आरक्षित निधि खाता में अंतरित की गई है.

II. परिपक्वता के लिए धारित संवर्ग के संबंध में महत्वपूर्ण लेखा नीति क्र. 3(ii) (ए), में उल्लेख के अनुसार वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर अर्जन लागत का आधिक्य ₹ 86.27 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 76.43 करोड़) राशि रही है.

III. शेयर, परिवर्तनीय डिबेंचर्स तथा इक्विटी संबद्ध म्युचुअल फंड / वेंचर्स कैपिटल फंड की यूनिटों में किया गया निवेश और शेयर के पेटे अग्रिम कुल ₹1282.50 करोड़ रहा (पिछले वर्ष ₹ 1379.55 करोड़ था).

3. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार है :

3.1 पूंजी

(₹ करोड़ में)

		31.03.2013	31.03.2012
i)	सीआरएआर (%)	11.45	11.85
ii)	सीआरएआर - टायर I कैपिटल (%)	8.23	8.37
iii)	सीआरएआर - टायर I I कैपिटल (%)	3.22	3.48
iv)	राष्ट्रीयकृत बैंकों में भारत सरकार के शेयर होल्ड़िग का प्रतिशत	57.89	54.35
v)	टायर II पूंजी के द्वारा अर्जित अधीनस्थ ऋण की राशि (₹करोड़ में)	800	शून्य
vi)	आईपीडीआई के द्वारा अर्जित राशि (₹ करोड़ में)	शून्य	शून्य
vii)	अपर टायर II लिखतों के द्वारा अर्जित राशि (₹ करोड़ में)	शून्य	शून्य

3.2 निवेश

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2013	31.03.2012
1	निवेश का मूल्य		
i)	निवेश का सकल मूल्य	81120.58	62524.23
	(क) भारत में	80052.18	62452.41
	(ख) भारत के बाहर	68.40	71.82
ii)	मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान	358.13	160.67
	(क) भारत में	358.13	160.67
	(ख) भारत के बाहर	-	-
iii)	निवेश का निवल मूल्य	80762.45	62363.56
	(क) भारत में	80762.05	62291.74
	(ख) भारत के बाहर	68.40	71.82
2	निवेश पर मूल्य ह्रास के पेटे किए गए प्रावधान का संचरण		
i)	आरंभिक शेष	160.47	105.64
ii)	जोड़ा : वर्ष के दौरान प्रावधान	243.96	162.89
iii)	घटाया : वर्ष के दौरान राइट-ऑफ / राइट बैक किया गया आधिक्य प्रावधान	46.50	107.86
iv)	अंतिम शेष	358.13	160.67

3.2.1 रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य में)

(₹ करोड़ में)

		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया	यथा 31.03.2013
क	रेपो के अधीन बेची गई प्रतिभूतियां				
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	5.00	814.43	33.87	-
ii)	कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
B	रेपो के अधीन क्रय की गई प्रतिभूतियां				
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	1.01	2,006.93	278.21	-
ii)	कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-

3.2.2 गैर एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i. गैर एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता संमिश्र

(₹ करोड़ में)

क्र.	जारीकर्ता	राशि	निजी आबंटन की मात्रा	निवेश स्तर से नीचे प्रतिभूतियां	गैर निर्धारित प्रतिभूतियां*	गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियां*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	1,033.29	147.76	-	0.58	4.58
ii)	वित्तीय संस्थाएं	9,466.09	7,080.40	-	-	-
iii)	बैंक	3,863.36	748.75	-	-	2.00
iv)	निजी कार्पोरेट	3,961.08	1,808.25	-	1.13	28.22
v)	सहायक कंपनियां / संयुक्त उपक्रम	113.48	113.48	-	-	-
vi)	अन्य	902.48	299.98	-	0.40	0.40
vii)	मूल्यह्रास के पेटे धारित प्रावधान	(358.13)		-	-	-
	योग	18,982.01	10,198.62	-	2.11	35.20

	31.03.2013
शेयर	983.18
ऋण पत्र एवं बांड	6260.16
सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उपक्रम	113.48
अन्य	11625.19
योग	**18982.01**

* तुलन पत्र की अनुसूची 8 में सहायक एवंसंयुक्त उद्यमों में ₹15.96 करोड़ के निवेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शेयरों में बैंक द्वारा किया गया निवेश शामिल है, जो एसएलआर निवेश है. वर्ष के दौरान रीवा-सीधी ग्रामीण बैंक के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रवर्तित मध्यांचल ग्रामीण बैंक में विलय के बाद बैंक की शेयर पूंजी और जमाराशि ₹31943450.00 बैंक को वापस प्राप्त हो गयी है.

** घोषित की गई गैर श्रेणीबद्ध एवं गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में केवल उन्हीं प्रतिभूतियों को शामिल किया गया है, जिनकी रेटिंग व सूचीयन भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र दिनांक 01.07.2011 अनुसार वांछित है.

ii) गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013
आरंभिक शेष	77.08
वर्ष के दौरान परिवर्धन	23.82
वर्ष के दौरान कमी	53.27
अंतिम शेष	47.63
धारित कुल प्रावधान	44.33

3.2.3 परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) से/को अंतरण व बिक्री

बैंक ने वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान, वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के 5 प्रतिशत से अधिक का एचटीएम श्रेणी से विक्रय या उसमें अंतरण नहीं किया है. वर्ष 2012-13 में बैंक ने

निदेशक मंडल की अनुमति से एक बार एचटीएम श्रेणी से/को कुल मिलाकर ₹ 3600.06 करोड़ अंकित मूल्य और ₹ 3516.38 करोड़ बहीमूल्य की प्रतिभूतियों का अंतरण किया है. इसके अतिरिक्त 6 नवंबर 2012 को बैंक ने बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति लेकर परिपक्वता तक धारित श्रेणी से ₹ 2.31 करोड़ मूल्य की प्रतिभूतियां बिक्री के लिये उपलब्ध श्रेणी में अंतरित की हैं. बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को पूर्व घोषित ओएमओ नीलामी में ₹ 4997.01 करोड़ की प्रतिभूतियां बेची हैं.

3.3 डेरीवेटिव्स

3.3.1 वायदा दर अनुबंध / ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

		31.03.2013	31.03.2012
i)	स्वैप लेनदेन की कल्पित मूल राशि	5868.59	3741.57
ii)	संबंधित पक्षों द्वारा समझौते के अनुसार अपने दायित्वों की पूर्ति न किए जाने के फलस्वरुप होने वाली हानि	9.51	12.73
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने हेतु बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv)	स्वैप से आयी क्रेडिट जोखिम का संकेन्द्रण	बैंकिंग उद्योग	बैंकिंग उद्योग
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	105.84	68.80

नोट:

I) टायर II बांड्स, मियादी ऋणों एवं मियादी जमाराशियों की हेजिंग के लिए भारतीय रुपयों में ब्याज दर स्वैप को शामिल किया गया है.

II) बैंक ने वर्ष के दौरान ट्रेडिंग के लिए फ्लोटिंग से स्थायी या स्थायी से फ्लोटिंग ब्याज दर स्वैप लेनदेनों को अपनाया.

III) स्वैप हेज लेनदेन के लिए सभी अंडरलाइंग्स उपचय के आधार पर हैं.

3.3.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
i)	वर्ष के दौरान (लिखत वार) किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत कारोबार की कल्पित मूल राशि	शून्य
ii)	31 मार्च 2013 को (लिखत वार) किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव को विनिमयगत कारोबार की बकाया कल्पित मूल राशि	शून्य
iii)	(लिखतवार) किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत कारोबार की बकाया और "अधिक प्रभावित" न हुई कल्पित मूल राशि	शून्य
iv)	(लिखतवार) किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत कारोबार की बकाया और "अधिक प्रभावित" न हुआ मार्क टू मार्केट मूल्य	शून्य

3.3.3 डेरीवेटिव्स में जोखिम एक्सपोज़र का प्रकटीकरण

ए) गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बैंक भारिबैं के दिशानिर्देशों के अधीन दो समूहों में डेरिवेटिव लेनदेन करता है :

i. काउंटर पर डेरीवेटिव लेनदेन

ii. एक्सचेंज के माध्यम से डेरीवेटिव लेनदेन

बैंक ओवर दि काउंटर डेरिवेटिव समूह में वायदा दर करारों, ब्याज दर स्वैप, क्रास करेंसी स्वैप में लेन देन करता है.

एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले डेरिवेटिव में बैंक करेंसी वायदा और ब्याज दर वायदा में ट्रेड करता है. बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), बांबे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और एमसीएक्स - एस एक्स स्टॉक एक्सचेंज (एमसीएक्स - एस एक्स) जैसे 3 करेंसी फयूचर एक्सचेंजों का ट्रेडिंग एवं क्लीयरिंग सदस्य है. बैंक ने इन बाजारों (एक्सचेंजों) में वायदा मुद्रा में स्वामित्व ट्रेडिंग के साथ ही साथ ग्राहक की ओर से ट्रेडिंग करता है. बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैक आफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का भी गठन किया है. इन बाजारों (स्टॉक एक्सचेंजों) के साथ दैनिक लेनदेन (मार्क-टू-मार्केट) और मार्जिन दायित्व, नियामक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरुप निपटाए जाते हैं.

बैंक नेशनल स्टाक एक्सचेंज में ब्याज दर वायदा में ट्रेड करता है. बैंक के पास फ्रंट, मिड और बैक आफिस परिचालनों के लिये आवश्यक सुविधाएं हैं. दैनिक लेनदेन (मार्क-टू-मार्केट) और मार्जिन दायित्व, नियामक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरुप निपटाए जाते हैं.

बैंक स्वयं के लिये ट्रेडिंग/मार्केट मेकिंग, अपने तुलन पत्र की हेजिंग और लागू विनियमों के अंतर्गत अपनी जोखिम हेज करने वाले ग्राहकों के लिये डेरिवेटिव संव्यवहार करता है. प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग/मार्केट मेकिंग पोजीशन रुपया ब्याज दर स्वैप, करेंसी वायदा और ब्याज दर वायदा में की जाती हैं. यद्यपि डेरिवेटिव लिखतों में गैर ब्याज आय बढ़ाने और बाजार जोखिम से सुरक्षा के प्रचुर अवसर सन्निहित होते हैं किंतु इससे बैंक की जोखिम भी बढ़ जाती है. बैंक ने डेरिवेटिव संव्यवहारों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिये निम्न युक्तियां अपनायी हैं:

ट्रेज़री शाखा में परिचालन को निम्न तीन कार्यात्मक क्षेत्रों विभाजित किया गया है, जिन्हें आवश्यक मूलभूत संरचना एवं प्रशिक्षित अधिकारियों से सुसज्जित किया गया है और उनकी जिम्मेदारियां भी निर्धारित की गई हैं.:

I) फ्रंट कार्यालय : डीलिंग रूम. बैंक की नीति और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रेड करने के निर्देश का पालन करता है.

II) मिड कार्यालय : जोखिम प्रबंधन, लेखांकन नीति और प्रबंधन

III) बैक कार्यालय : निपटान, मिलान और लेखांकन

मिड आफिस ट्रेडिंग बुक में लेनदेनों तथा आधिक्यों का अनुश्रवण करता है और यदि कोई आधिक्य है तो आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे जोखिम प्रबंधन प्रभाग के ध्यान में लाता है. मिड आफिस एमटीएम के जरिए, दैनिक आधार पर ट्रेडिंग बुक में लेनदेनों के लिए वित्तीय जोखिमों को आंकता है और आस्ति एवं देयता प्रबंधन पर निदेशक मंडल की समिति को जोखिम प्रोफाइल की जानकारी देने के लिये दैनिक बाजार पोजीशन जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है,

बैंक सुनिश्चित करता है कि कार्पोरेट ग्राहकों के साथ लेनदेन केवल अंतर्निहित ऋण-सीमा की मात्रा का निर्धारण करने के बाद किए जाते

हैं और ग्राहक औचित्य एवं अनुकूलता के लिए ट्रेज़री पालिसी में निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित किए जाते हैं तथा आवश्यक दस्तावेज यथा आईएसडीए करारनामा आदि निष्पादित किए जाते हैं. बैंक ने ऋण निवेश (एक्सपोज़र) के अनुश्रवण के लिए वर्तमान ऋण निवेश (करंट एक्सपोजर) पद्धति अपनाई है.

ख) बैंक की ट्रेज़री नीति में वित्तीय व्युत्पन्न लिखत के प्रकार, प्रचलन की गुंजाइश, अनुमोदन प्रक्रिया के साथ ही साथ, अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग के लिए ओपन पोजीशन सीमा, डील साइज़ लिमिट और स्टॉप लॉस लिमिट और प्रतिपक्षी पार्टी एक्सपोजर सीमा जैसी लिमिटों का भी उल्लेख है.

विभिन्न जोखिम सीमाएं तय की जाती हैं और उनके समक्ष वास्तविक एक्सपोजर की निगरानी की जाती है.ये सीमाएं बाजार की अस्थिरता, कारोबारी रणनीति और प्रबंधकीय अनुभव को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं. रिस्क पैरामीटरों यथा पीवी01, स्टाप लॉस, प्रतिपक्षी पार्टी एक्सपोजर के लिये हैं. आवधिक अंतराल पर इन सीमाओं के समक्ष वास्तविक पोजीशन की समीक्षा की जाती है और उल्लंघन की रिपोर्ट तुरत की जाती है. बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी गैर आप्शन डेरिवेटिव संविदाओं से कुल पीवी01 पोजीशन बैंक की नेटवर्थ के 0.25% के अंदर रहे.

ग) बैंक अपने तुलन पत्र एक्सपोज़रों को हेज करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव्स लेनदेनों का भी प्रयोग करता है. बैंक की ट्रेज़री नीति में एक्सपोज़रों को हेजिंग करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया बताई गई है. हेज लेनदेनों को नियमित आधार पर अनुश्रवण किया जाता है और इन लेनदेनों पर पीवी01 एवं वीएआर बाजार दर (मार्क टू मार्केट) आधार पर परिकलित नोशनल लाभ या हानि प्रत्येक माह आस्ति देयता समिति (एल्को) को रिपोर्ट किया जाता है.. हेज प्रभाविता वह डिग्री है जिसमें परिवर्तन से हेज किये गये आइटम के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में होने वाला परिवर्तन, हेजिंग लिखत के नकदी प्रवाह या उचित मूल्य से शमित हो जाता है. हैज की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिये यह प्रक्रिया समय-समय पर की जाती है.

घ) बगैर हैज एवं हेज लेनदेनों को अलग से रिकार्ड किया जाता है. हेज लेनदेनों की उपचय आधार पर गणना की जाती है. सभी ट्रेडिंग संविदा मार्क टू मार्केट किए जाते हैं और आय विवरण में परिणामी लाभ या हानि रिकार्ड की जाती है.

ऑप्शन कांट्रैक्ट के मामले में आय की पहचान, प्रीमियम एवं डिस्काउंट के लिए समय -समय पर फेडाई द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर कार्रवाई की जाती है.

क्रेडिट जोखिम के शमन के लिये बैंक द्वारा प्रतिपक्षी बैंकों और प्रतिपक्षी ग्राहकों की लिमिट तय करने के लिये नीति बनाई हुई है. बैंक काउंटर पक्ष एक्सपोजर की निगरानी के लिये आवधिक अंतराल पर करंट एक्सपोजर प्रणाली अपनाता है. डेरिवेटिव लिमिट मंजूर करते समय, सक्षम प्राधिकारी उचित समझी जाने वाली संपार्श्विक /मार्जिन लेने की शर्त लगा सकते हैं. अन्य ऋण लिमिटों के साथ ही डेरिवेटिव लिमिटों की आवधिक समीक्षा की जाती है,

ग्राहक से संबंधित डेरिवेटिव संव्यवहार प्रतिपक्षी बैंक के साथ प्रत्येक मामले में समकक्ष राशि और अवधि के लिये कवर होते हैं और इनमें कोई बाजार जोखिम नहीं होती है.

बी. मात्रात्मक प्रकटन :

(₹ करोड़ में)

		31.03.2013	
क्र.	**विवरण**	**करेंसी डेरिवेटिव्स**	**ब्याज दर डेरिवेटिव्स**
i)	डेरिवेटिव (काल्पनिक मूल राशि)		
क	हेजिंग के लिए	0.00	**100.00**
ख	ट्रेडिंग के लिए	180.50	**1800.00**
ii)	मार्क टू मार्केट पोजीशन (1)		
क	आस्तियां (+)	(+)2.01	**0.00**
ख	देयताएं (-)	0.00	**(-0.40)**
iii)	ऋण एक्सपोज़र (2)	4.33	**14.88***
iv)	ब्याज दर में 1 प्रतिशत बदलाव का संभावित असर (100*पीवी01)		
	हेजिंग डेरीवेटिव पर	0.00	**2.57**
	ट्रेडिंग डेरीवेटिव पर	0.00	**0.63**
v	वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम 100*पीवी01		
1	अधिकतम		
	क. हैजिंग पर	0.0	**2.57**
	ख. ट्रेडिंग पर	0.00	**2.10**
2	न्यूनतम		
	क. हैजिंग पर	0.00	**2.51**
	ख. ट्रेडिंग पर	0.00	**0.60**

ब्याज दर डेरिवैटव के ऋण एक्सपोजर में हैजिंग संव्यवहार का एक्सपोजर शामिल है

3.4 आस्ति गुणवत्ता:

3.4.1 गैर निष्पादक आस्तियां:

(₹ करोड़ में)

		31.03.2013	31.03.2012
i)	निवल अग्रिम में शुद्ध एनपीए (%)	1.61	1.70
ii)	एनपीए का संचरण (सकल)		
	(क) दिनांक 1 अप्रैल को आरंभिक शेष	5449.86	3622.82
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए)	3973.75	3760.11
	उप योग (क)	9423.61	7382.93
	(ग) घटाया :-		
	(i) अपग्रेडेशन	734.07	254.83
	(ii) वसूली	1246.87	740.56
	(अपग्रेडेड खातों में हुई वसूली को छोड़कर)		937.68
	(iii) राइट-ऑफ	1128.84	
	उप योग (ख)	3109.78	1933.07
	(घ) अंतिम शेष (क - ख)	6313.83	5449.86
iii)	एनपीए का संचरण (निवल)		
	(क) आरंभिक शेष	3025.03	1803.44
	(ख) वर्ष के दौरान जोड़ा*	----------	----------
	(ग) वर्ष के दौरान घटाया*	----------	----------
	(घ) अंतिम शेष	3353.37	3025.03
iv)	एनपीए के प्रावधानों का संचरण (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
	(क) प्रारंभिक शेष	2350.35	1776.61
	(ख) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	1555.52	1510.73
	(ग) अतिरिक्त प्रवधानों का राइट-ऑफ /राइट बैक	1088.25	936.99
	(घ) अंतिम शेष	2817.62	2350.35

*सिस्टम में आंकड़े नहीं हैं

3.4.2 पुनर्गठित खातों का विवरण

पुनर्गठित खातों का प्रकटन

₹ करोड़ में

क्र सं	पुनर्गठन का प्रकार		सीडीआर व्यवस्था के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्गठन व्यवस्था के अंतर्गत					अन्य					योग				
	विवरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग
1	वित्त वर्ष 12-13 की 1 अप्रैल को पुनर्गठित खाते (आरंभिक संख्या)	उधारकर्ताओं की संख्या	31	5	3	0	39	1270	3383	5086	269	10008	21565	12317	23288	1528	58698	22866	15705	28377	1797	68745
		बकाया राशि	1906.33	174.51	167.00	0.00	2247.84	259.60	17.72	71.07	0.67	349.06	4003.18	235.83	522.39	30.50	4791.90	22866.00	428.06	760.46	31.17	7388.80
		उस पर प्रावधान राशि	438.45	5.04	15.46	0.00	458.95	22.61	8.06	6.68	0.50	37.85	73.18	2.72	28.34	0.79	105.03	534.24	15.82	50.48	1.29	601.83
2	31.03.2013 को समाप्त वर्ष में नये पुनर्गठन	उधारकर्ताओं की संख्या	16	2	3	0	21	104	9	1	0	114	668	54	19	0	741	788	65	23	0	876
		बकाया राशि	1130.57	26.62	93.11	0.00	1250.30	1494.34	100.61	8.91	0.00	1603.86	1389.42	308.16	211.40	0.00	1908.98	4014.33	435.39	313.42	0.00	4763.14
		उस पर प्रावधान राशि	146.89	5.74	24.17	0.00	176.80	40.18	1.08	0.00	0.00	41.26	101.49	3.24	1.09	0.00	105.82	288.56	10.06	25.26	0.00	323.88
3	वित्त वर्ष 13-13 में पुनर्गठित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	7	-	-	-	7	65	-	-	-	65	674	-	-	-	674	746	-	-	-	746
		बकाया राशि	202.66	-	-	-	202.66	62.73	-	-	-	62.73	37.20	-	-	-	37.20	302.59	-	-	-	302.59
		उस पर प्रावधान राशि	25.17	-	-	-	25.17	8.57	-	-	-	8.57	1.12	-	-	-	1.12	34.86	-	-	-	34.86
4	पुनर्गठित मानक खाते, जिनपर अधिक प्रावधान आवश्यक नहीं और/या वित्तवर्ष 12-13 की समाप्ति पर अतिरिक्त जोखिम भार था, उन्हें अगले वित्त वर्ष 12-13 के आरंभ में पुनर्गठित मानक अग्रिम के रूप मे दिखाने की आवश्यकता नहीं	उधारकर्ताओं की संख्या	7				7	1035				1035	9996				9996	11038				11038
		बकाया राशि	123.65				123.65	189.73				189.73	477.99				477.99	791.37				791.37
		उस पर प्रावधान राशि	12.86				12.86	17.49				17.49	18.20				18.20	48.55				48.55
5	वित्त वर्ष 12-13 में पुनर्गठित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या		3	3	0	6		294	12	0	306		1995	56	0	2051		2292	71	0	2363
		बकाया राशि		47.49	56.53	0.00	104.02		283.13	0.04	0.00	283.17		402.34	208.47	0.00	610.81		732.96	265.04	0.00	998.00
		उधारकर्ताओं की संख्या		10.78	20.29	0.00	31.07		10.88	0.00	0.00	10.88		5.18	10.30	0.00	15.48		26.84	30.59	0.00	57.43
6	वित्त वर्ष 12-13 में पुनर्गठित खातों का बट्टे खाते डालना	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	3	0	3	0	0	1	14	15	0	0	0	65	65	0	0	4	79	83
		बकाया राशि	0.00	0.00	290.77	0.00	290.77	0.00	0.00	5.58	0.03	5.61	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	296.35	0.38	269.73
7	वित्त वर्ष 12-13 की 31 मार्च को पुनर्गठित खाते (अंतिम संख्या)	उधारकर्ताओं की संख्या	44	3	7	0	54	1203	301	9760	396	11660	16474	2031	31236	1393	51134	17721	2335	41003	1789	62848
		बकाया राशि	3146.25	51.06	298.07	0.00	3495.38	2025.67	283.28	220.93	6.71	2536.59	4575.07	425.78	564.91	27.98	5593.74	9746.99	760.12	1083.91	34.69	11625.71
		उस पर प्रावधान राशि	585.34	10.78	39.63	0.00	635.75	62.79	9.14	6.68	0.50	79.11	174.67	5.96	29.43	0.79	210.85	822.80	25.88	75.74	1.29	925.71

3.4.3 आस्ति पुर्नगठन के लिए प्रतिभूतिकरण / पुर्नगठन कंपनी को बेचे गए वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

		31.03.2013	31.03.2012
i)	खातों की संख्या	1	1
ii)	एससी / आरसी कं. को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों में से घटाकर)	0.00	0.00
iii)	कुल प्रतिफल	17.00	4.75
iv)	विगत वर्षों में अंतरित खातों में वसूल किया गया कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
v)	निवल बही मूल्य पर कुल आय / हानि	17.00	4.75

3.4.4 बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को खरीदी / बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

क. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2013	31.03.2012
1	क. वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या ख. समग्र बकाया	शून्य शून्य	शून्य शून्य
2	क. वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या ख. समग्र बकाया	शून्य शून्य	शून्य शून्य

ख. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹करोड़ में)

	विवरण	31.03.2013	31.03.2012
1	बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2	समग्र बकाया	शून्य	शून्य
3	समग्र प्राप्तियां	शून्य	शून्य

3.4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान:

(₹करोड़ में)

मद	31.03.2013	31.03.2012
मानक आस्तियों पर प्रावधान	220.76	229.74

डेरीवेटिव्स पर ऋण जोखिम एक्सपोज़र हेतु प्रावधान के लिए ₹1.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 8.75 करोड़) शामिल हैं.

3.5 कारोबार अनुपात

(₹करोड़ में)

		31.03.2013	31.03.2012
i)	कार्यकारी निधियों में ब्याज आय के रुप में प्रतिशत	9.19	9.40
ii)	कार्यकारी निधियों में गैर-ब्याज आय के रुप में प्रतिशत	0.93	1.04
iii)	कार्यकारी निधियों में परिचालन लाभ के रुप में प्रतिशत	2.04	2.34
iv)	आस्तियों पर प्रतिफल	0.79	0.79
v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि एवं अग्रिम) (करोड़ रुपयों में)	12.15	10.70
vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (करोड़ रुपयों में)	0.07	0.06

3.6 आस्ति देयता प्रबंधन

आस्ति एवं देयताओं का परिपक्वता पैटर्न यथा 31.03.2013

(₹ करोड़ में)

	जमाराशियां	अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा आस्ति	विदेशी मुद्रा देयताएं
1 दिन	3844.83	3398.51	666.86	1589.44	1878.10	1962.93
2-7 दिन	8643.99	6295.10	749.84	1185.62	1271.04	152.54
8-14 दिन	3602.52	2856.04	543.54	510.69	696.00	411.18
15 to 28 दिन	4692.90	8018.79	125.00	945.91	2449.00	1279.53
29 दिन से 3 माह	19520.02	24002.69	1909.83	3748.82	5124.71	2678.57
3 माह से अधिक 6 माह तक	13200.76	22114.91	2407.04	3650.65	5650.68	4607.61
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	43873.42	28103.93	2127.02	136.79	1393.07	2216.55
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	54838.68	70920.40	11454.39	1287.96	1695.71	521.77
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	22382.52	21003.55	11290.60	5451.39	2242.55	5310.17
5 वर्ष से अधिक	89161.94	21388.27	49556.33	5290.00	1572.75	180.88
योग	263761.57	208102.19	80830.45	23797.27	23974.50	19321.73

3.7 एक्सपोज़र

3.7.1 रीयल इस्टेट क्षेत्र में एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

	संवर्ग	31.03.2013	31.03.2012
क)	प्रत्यक्ष निवेश		
i)	आवासीय बंधक - आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा उधार पूर्णत: प्रतिभूत अथवा जो उधारकर्ता द्वारा कब्जे में लिया जाएगा अथवा जो किराए पर हो; - जिसमें से ₹30.00 लाख तक के वैयक्तिक गृह निर्माण ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में शामिल करने हेतु पात्र हैं.	16319.53 10809.14	12488.57 9146.83
ii)	वाणिज्यिक रीयल इस्टेट - वाणिज्यिक रीयल इस्टेट पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहुउद्देश्यीयवाणिज्यिक परिसर, बहु परिवार आवासीय भवन, बहु किराए पर दिए गए वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा गोदाम की जगह, होटल, भूमि अर्जन, विकास तथा निर्माण आदि) निवेश में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं शामिल हैं :	3545.43	2508.40
iii)	बंधक समर्थित / प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत एक्सपोज़र - क. आवासीय ख. वाणिज्यिक रीयल इस्टेट.	0.00 0.00 -	0.33 0.33 -
ख)	अप्रत्यक्ष निवेश राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा गृह निर्माण वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोज़र	6063.83	5583.39
	रीयल इस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोज़र	25928.79	20580.69

3.7.2 पूंजी बाजार में निवेश

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2013	31.03.2012
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में सीधा निवेश, जिसकी आधारभूत निधि केवल कार्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है.	794.03	832.22
ii)	शेयरों / बांड्स / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडस, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों के पेटे अग्रिम	1.83	27.41
iii)	अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों, परिवर्तनीय बांड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रुप में लिया गया है.	8.03	8.42
iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बांड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित अन्य प्रयोजनों के अग्रिम, जहां शेयरों / परिवर्तनीय बांड्स / परिवर्तनीय डिबेचरों / इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को छोड़कर अन्य मूल प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णत: सुरक्षित नहीं करती है.	126.69	110.00
v)	स्टॉक ब्रोकरों को सुरक्षित एवं असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियां	727.55	849.38
vi)	शेयरों / बांड्स / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे या बढ़ते संसाधनों की प्रत्याशा में नयी कंपनियों के इक्विटी के लिए प्रोमोटर के अंशदान के लिए बेजमानती आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण	0.10	0.10
vii)	संभावित इक्विटी प्रवाहों / निर्गमों के पेटे कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण	-	-
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बांड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों के मूल निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा प्रतिबद्धताओं की जिम्मेदारी लेना.	-	-
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	3.20	13.77
x)	वेंचर पूंजी निधियों के सभी निवेश (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोंनो) इक्विटी के समान माने जाएगें और इसलिए उन्हें अनुपालन हेतु पूंजी बाजार निवेश सीमाओं (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोंनो) के साथ हिसाब में लिया जाएगा. **	488.47	547.35
	पूंजी बाजार में कुल निवेश	**2149.90**	**2388.63**

** 2011-12 की ₹ 267.89 करोड़ 2012-13की व ₹188.89 करोड़ की वेंचर पूंजी अनाहरित पूंजी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं.

3.7.3 जोखिम संवर्गवार कंट्री एक्सपोज़र

(₹करोड़ में)

जोखिम संवर्ग	एक्सपोज़र (निवल) यथा 31.03.2013	प्रवधान यथा 31.03.2013	एक्सपोज़र (निवल) यथा 31.03.2012	प्रावधान यथा 31.03.2012
नगण्य	6565.47	-	4791.31	-
अल्प	1685.26	-	1082.04	-
सामान्य	399.63	-	276.85	-
उच्च	0.91	-	1.17	-
अत्यधिक उच्च	0.07	-	0.07	-
सीमित	-	-	-	-
क्रेडिट से इतर	-	-	-	-
योग	**8651.34**	-	**6151.44**	-

3.7.4 I) बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता को दी गई सीमाओं (एसबीएल) का विवरण .

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोजर की सीमा (₹)	कुल एक्सपोज़र (₹)	पूजी निधि का % एक्सपोज़र	31.03.13 की स्थिति	पूजी निधि के % की स्थिति
			शून्य			

- व्यक्तिगत एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा 15% है, परंतु भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति एवं बोर्ड के अनुमोदन से 5% अतिरिक्त एक्सपोज़र प्रदान किया गया है.
- इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिये अतिरिक्त 5%(पूंजी निधि का 20%)
- तेल कंपनियों के लिये, जिनको भारत सरकार ने आइल बांड जारी किये हैं (जिनको एसएलआर नहीं माना गया है) के लिये पूंजी निधि का 25%

ii) **ऐसी समूह उधारकर्ता ऋण सीमा का ब्यौरा, जहां बैंक ने अधिक्रमण किया है :**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोजर की सीमा (₹)	कुल एक्सपोज़र (₹)	पूजी निधि का % एक्सपोज़र	बोर्ड की मंजूरी का ब्यौरा	31.03.13 की स्थिति	पूजी निधि के % की स्थिति
				शून्य			

\# समूह एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा - 40%

आधारभूत सुविधाओं के लिए समूह एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा 50% है.

\# बोर्ड के अनुमोदन से 5% अतिरिक्त एक्सपोज़र किया जा सकता है.

3.7.5 बेजमानती अग्रिम : शून्य

भा.रि.बैंक के परिपत्र क्र.ओडी.बीपी.बीसी.नं83/08.12.014/2012-13 दि.18 मार्च 2013 के अनुसार सड़क/राजमार्ग परियोजनाओं के संबंध में बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (बीओटी) माडेल के अंतर्गत वार्षिकी द्वारा समर्थित अग्रिम और चुंगी वसूली अधिकार अग्रिम सुरक्षित माने गए है.

3.8 विविध

3.8.1 वर्ष के दौरान आयकर के लिए किए गए प्रावधान की रकम

(₹करोड़ में)

	31.03.2013	31.03.2012
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित देयताओं को छोड़कर)	906.36	938.00

3.8.2 भारिबैं द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण : शून्य

4. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं, जिसमें भारिबैं ने "खाते के नोट" के लिए प्रकटन मदों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं:

4.1 लेखा मानक 5 - वर्ष के दौरान निवल लाभ या हानि, पिछली अवधि की मदें एवं लेखानीतियों में परिवर्तन

पिछली अवधि की कोई ऐसी महत्वपूर्ण आय / व्यय नहीं थी, जिसका प्रकटन लेखा मानक - एएस 5 के अनुसार आवश्यक था.

4.2 लेखा मानक -9 आय पहचान

नकदी आधार पर की गई आय मदों की पहचान में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए लेखा मानक एएस-9 के अधीन कोई प्रकटन नहीं किया गया.

4.3 लेखा मानक 15 - कर्मचारी लाभ :

4.3.1 बैंक ने 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी लाभों का समायोजन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानकों एवं बीमांकक की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार किया है. प्रकटन इस प्रकार हैं :

		2012-13		2011-12	
		ग्रैच्युटी	पेंशन	ग्रैच्युटी	पेंशन
i)	**मुख्य बीमांकक पूर्वानुमान का उपयोग**				
	पिछली डिस्काउंट दर	8.50	9.00	8.50	8.50
	पिछली प्लान आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	8.00	8.00	8.00	8.00
	पिछली वेतन वृद्धि	4.00	4.00	4.00	4.00
	पिछली एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00
	चालू डिस्काउंट दर	8.50	8.50	8.50	9.00
	चालू प्लान आस्तियों पर प्रतिलाभ दर	8.00	8.70	8.00	8.00
	चालू वेतन वृद्धि	4.00	4.00	4.00	4.00
	चालू एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00
ii)	**लाभ बाध्यताओं में परिवर्तन दर्शाने वाला टेबल** :				
	वर्ष के आरंभ में देयता	990.55	5259.03	894.93	4771.82
	ब्याज लागत	81.85	477.34	74.37	405.27
	चालू सेवा लागत	37.99	193.33	34.47	118.48
	पिछली सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	--	--	--	--
	देयता अंतरण आवक	--	--	--	--
	देयता अंतरण जावक	--	--	--	--
	प्रदत्त लाभ	--	--	--	--
	बीमांकिक (अर्जन) / बाध्यताओं पर हानि	(131.13)	297.10)	(108.86)	(244.85)
	वर्ष के अंत में देयताएं	21.60	358.42	95.64	208.31
		1000.86	5991.02	990.55	5259.03

		2012-13		2011-12	
		ग्रैच्युटी	पेंशन	ग्रैच्युटी	पेंशन
iii)	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य का टेबल:**				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	861.28	4020.00	873.05	2513.69
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	83.50	372.28	67.89	317.60
	अंशदान	248.00	782	30.00	1578.71
	अन्य कंपनी से अंतरण	--	--	--	--
	अन्य कंपनी को अंतरण	--	--	--	--
	प्रदत्त लाभ	(131.13)	(297.10)	(108.86)	(244.85)
	प्लान आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन / (हानि)	(24.43)	(103.10)	(0.80)	(145.15)
	वर्ष के अंत में प्लान आस्तियों का उचित मूल्य	1037.22	4774.08	861.28	4020.00
	अभिज्ञात किया जाने वाला कुल बीमांकिक अर्जन / (हानि)	(46.02)	(461.51)	(96.44)	(353.46)
iv)	**संक्रमणकालीन देयता की पहचान :**				
	प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता	-	-		
	वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	-	-		
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	-	-		
v)	**प्लान आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ :**				
	प्लान आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	83.50	372.28	67.89	317.60
	प्लान आस्तियों पर वास्तविक लाभ / (हानि)	(24.43)	(103.10)	(0.80)	(145.15)
	प्लान आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	59.07	269.18	67.09	172.45
vi)	**तुलन-पत्र में पहचानी गई रकम :**				
	वर्ष के अंत में देयता	1000.86	5991.02	990.55	5259.03
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1037.22	4774.08	861.28	4020.00
	अंतर	36.36	(1216.94)	(129.27)	(1239.03)
	न पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (गैर-वेस्टेड)....	130.00	761.00	--	1014.17
	अंतिम शेष	166.36	(455.94)	195.00	-
	न पहचानी गई संक्रमण देयता ..... अंतिम शेष			65.73	(224.86)
	तुलन-पत्र में पहचानी गई रकम				
vii)	**आय विवरण में पहचाने गए व्यय**				
	वर्तमान सेवा लागत	37.99	193.33	34.47	118.48
	ब्याज लागत	81.85	477.34	74.37	405.27
	प्लान आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	(83.50)	(372.28)	(67.89)	(317.60)
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (अनिहित लाभ)	65.00	253.00	65.00	338.00
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	-
	संक्रमण देयता की पहचान	-	-	-	-
	बीमांकिक लाभ या हानि	46.02	461.51	96.44	353.46
	लाभ हानि खाते में पहचाने गए व्यय	147.37	1012.39	202.39	897.61
viii)	**तुलन पत्र समाधान:**				
	प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष तुलन-पत्र में चिन्हित निवल राशि)	(65.73)	225.03	(238.12)	2258.13
	उपर्युक्त अनुसार व्यय	147.37	1012.91	202.39	897.61
	अन्य कंपनियों से अंतरित (शुद्ध)	-	-	-	-
	अन्य कंपनियों को अंतरित (शुद्ध)	-	-	-	-
	नियोक्ता का अंशदान	(248.00)	(782.00)	(30.00)	(1578.71)
	तुलन-पत्र में चिन्हित राशि	(166.36)	455.94	(65.73)	1577.03

		2012-13		2011-12	
		ग्रैच्युटी	पेंशन	ग्रैच्युटी	पेंशन
ix)	**अन्य विवरण :** ग्रैच्युटी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर पर देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि ₹10,00,000.00 या बैंक की स्कीम के अनुसार हो. पेंशन प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए वेतन का 1/66, अधिकतम 50% घटना के वर्ष में समायोजित वास्तविक लाभ / हानि. वेतन वृद्धि बैंक द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रैक्टिस के अनुसार है.				
	सदस्यों की संख्या	31783.00	24739.00	30458	26345
	वेतन प्रति माह	109.22	92.37	98.51	89.85
	अगले वर्ष के लिए अंशदान	-	**299.28**	-	**291.11**
x)	**आस्तियों का संवर्ग:**				
	भारत सरकार आस्तियां	-	-	-	-
	कार्पोरेट बांड	-	-	-	-
	विशेष जमा योजना	-	-	-	-
	राज्य सरकार	-	-	-	-
	संपत्ति	-	-	-	-
	अन्य	**1037.22**	**4774.08**	**861.28**	**4020.00**
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	-	-	-	-
	कुल	**1037.22**	**4774.08**	**861.28**	**4020.00**
xi)	**अनुभव समायोजन**				
	योजनागत देयताएं (लाभ) / हानि	**21.60**	**251.18**	**95.09**	**511.13**
	योजनागत आस्तियां (हानि) / लाभ	**(24.43)**	**(103.10)**	**(0.80)**	**(145.15)**

4.3.2 वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अन्य दीर्घकालिक लाभ	राशि
1	पेंशन	1013
2	अवकाश नकदीकरण	31
3	अवकाश यात्रा रियायत	**0**
4	बीमारी अवकाश	37

4.4 लेखा मानक 17 के अनुसार क्षेत्रवार रिपोर्टिंग

	व्यवसाय के क्षेत्र	31.03.2013 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2012 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
(ए)	क्षेत्रवार राजस्व		
1	ट्रेज़री परिचालन	6872.71	5,721.77
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	9183.12	7,385.62
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	11411.10	10,090.86
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	322.43	278.41
5	गैर निर्धारित	-	-
	योग	**27789.36**	**23,476.66**
		112.63	**0**
		27676.73	**23476.66**

(बी)	क्षेत्रवार परिणाम		
1	ट्रेज़री परिचालन	924.60	945.53
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	1598.64	951.79
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	362.75	657.15
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	178.30	158.28
5	गैर निर्धारित	0	-
	योग	**3064.29**	**2,712.75**
(सी)	आयकर	906.36	925.62
(डी)	**शुद्ध लाभ**	**2157.93**	**1,787.14**
(ई)	**क्षेत्रवार आस्तियां**		
1	ट्रेज़री परिचालन	99496.80	78,153.45
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	71773.92	59,933.71
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	137558.28	120,949.52
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0	-
5	गैर निर्धारित	3031.81	3,174.76
	योग	**311860.81**	**262,211.44**
(एफ)	क्षेत्रवार देयताएं		
1	ट्रेज़री परिचालन	93942.35	73,837.56
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	68096.84	56,877.45
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	130510.96	114,781.83
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
5	गैर निर्धारित	2014.47	2,081.54
6	पूंजी, निधियां एवंअधिशेष	17296.19	14,633.06
	योग	**311860.81**	**262,211.44**

I) बैंक ट्रेज़री, रिटेल, कारपोरेट/थोक बैंकगिं तथा बैंकिंग अर्थात् चार क्षेत्रों में परिचालन करता है. उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, क्षेत्रवार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक 17 के ानुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गयी है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. लेखामानक 17 में विदेशी शाखा की इस अवधि की आय और अन्य पैरामीटर, लेखामनक 17 में बतायी गयी सीमा के अंतर्गत है अत: बैंक का रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है.

II) सीधे तौर पर आवंटित न किये जा सकने योग्य आय, व्यय, आस्तियां और देयताएं उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किये जाने वाले क्षेत्रों में आवंटित कर दिये गये हैं.

III) आवश्यकतानुसार पिछली अवधि के आंकड़ों को पुन: वर्गीकरण/पुन: समूहन किया है.

4.5 लेखा मानक 18 - संबंधित पार्टियों का प्रकटन.

4.5.1 लेखा मानक 18 के अनुसार बेंक ने संबंधित पार्टी प्रकटन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रमुख प्रबंधन अधिकारी के रुप में चिन्हित किया है:

4.5.1.1 संबंधित पार्टियों की सूची :

(क) लेखा मानक 18 के अनुसार बेंक ने संबंधित पार्टी प्रकटन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रमुख प्रबंधन अधिकारी के रुप में चिन्हित किया है:

i. श्री डी.सरकार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ii. श्री एस. एस. मूंदड़ा, कार्यपालक निदेशक (21.01.2013तक)

iii. श्री एस. के. जैन, कार्यपालक निदेशक

iv. श्री के.सुब्रहमणियम, कार्यपालक निदेशक (21.01.2013 से)

(ख) अनुषंगी :

यूनियन केबीसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.

यूनियन केबीसी ट्रस्टी कं. प्रा. लि.

(ग) संयुक्त उपक्रम :

स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.

(घ) एसोसिएट :

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात् काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक

एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यथा रीवा सीधी ग्रामीण बैंक, जो हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित था वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के दि.1 नवंबर, 2012 की अधिसूचना के ाअनुसार, मध्यांचल ग्रामीण बैंक(भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित) में समामेलित हो गया.

4.5.1.2 संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन :

(₹ करोड़ में)

मदें / संबंधित पार्टियां	एसोसिएट / संयुक्त उपक्रम		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार		योग	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
जमाराशि	3720.52	2590.64		-		-	3720.52	2590.64
अदा ब्याज	306.03	211.26		-		-	306.03	211.26
बीमा कमीशन	21.84	19.77		-		-	21.84	19.77
विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	8.41	7.17		-		-	8.41	7.17
सिटिगं शुल्क	0.04	0.04		-		-	0.04	0.04
अन्य व्यय/खरीद	0.00	0.13		-		-	0.00	0.13
बैंक प्रभार	0.02	0.15		-		-	0.02	0.15
बीमा प्रीमियम	26.64	25.46		-		-	26.64	25.46
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी बांड	26.70	0.00		-		-	26.70	0.00
शाश्वत बांड पर ब्याज	2.46	0.13		-		-	2.46	0.13
ब्रोकरेज भुगतान	0.83	1.38		-		-	0.83	1.38
वितरण प्रोत्साहन भुगतान	1.00	0.36		-		-	1.00	0.36
कर्मचारी लागत प्रतिपूर्ति	0.11	0.19		-		-	0.11	0.19
किराया व रखरखाव व्यय प्रतिपूर्ति	0.11	0.08		-		-	0.11	0.08

4.5.1.3 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

(₹ करोड़ में)

	2012 - 13	2011 - 12
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	#0.22	#0.22
कार्यपालक निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	#0.38	#0.35
योग	0.60	0.57

पिछले वर्ष के दौरान बैंक द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को भुगतान की गई क्रमश: ₹ 6.00 लाख व ₹ 8.00 लाख की कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि शामिल है.

4.6 लेखा मानक 20 - प्रति शेयर अर्जन

बैंक ने लेखामानक 20 के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर के अनुसार मूल प्रति शेयर अर्जन की रिपोर्ट की है. प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है.

			31.03.2013	31.03.2012
I	मूल एवं डाइल्यूटेड ईपीएस	₹	38.93	34.07
ii	इक्विटी शेयर धारकों को कर के बाद उपलब्ध निवल लाभ (₹ करोड़ में)		2148.49	1787.14
iii	इक्विटी शेयरों की औसत संख्या (संख्या करोड़ में)	संख्या	55.19	52.448
iv	प्रति शेयर नामिनल मूल्य	₹	10.00	10.00

4.7 लेखा मानक 22 - आय पर कर की गणना :

बैंक ने लेखाबंदी मानक ए एस 22 (आय पर कर की गणना) के अनुपालन में आय पर कर की गणना की है. तदनुसार, 31.03.2013 को आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है. आस्थगित कर आस्ति और आस्थगित कर देयता के प्रमुख घटक निम्न प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

		31.03.2013	31.03.2012
	आस्थगित कर आस्ति		
1	निवेश पर प्रीमियम का वर्षवार परिशोधन	237.10	210.48
2	कर्मचारी लाभ	261.54	130.77
3	वर्ष के दौरान बेची गई पिछले वर्ष में दावा किए गए निवेश पर मूल्य ह्रास	18.11	4.45
4	अवकाश नकदीकरण	19.47	8.76
	योग	536.21	354.46
	आस्थगित कर देयता		
1	प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	81.92	17.85
2	अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	28.88	31.97
3	प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज	457.11	326.33
	योग	567.90	376.15
	शुद्ध आस्थगित कर देयता	**31.69**	**21.69**
	शुद्ध आस्थगित कर आस्ति		-

4.8 लेखा मानक 28

प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान उन आस्तियों के अनर्जक होने के कोई संकेत नहीं हैं, जिन पर लेखा मानक 28 लागू होता हो.

4.9 आकस्मिक देयताओं का उल्लेख अनुसूची -12 के क्र. (i) से (vi) में उल्लेख किया गया है, जो क्रमश: न्यायालय के निर्णय / विवाचन / न्यायालय के बाहर समझौते के आधार पर मांगी गई रकम, संविदागत दायित्व, संबंधित पक्षों द्वारा की गयी मांग एवं परिस्थितियों तथा अपीलों के निस्तारण पर निर्भर है.

5. अतिरिक्त प्रकटन

5.1 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

(₹ करोड़ में)

लाभ हानि खाता शीर्ष के अंतर्गत "प्रावधान एवं आकस्मिकताओं" का ब्रेक-अप	2012-13	2011-12
निवेश पर मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान / (रिवर्सल)	197.46	55.03
एनपीए के लिए प्रावधान	1555.52	1510.73
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	220.76	229.74
आयकर के लिए प्रावधान आस्थगित कर देयता (डीटीएल)	906.31	925.62
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:		
- शिफ्ट हानि	16.87	61.89
- अग्रिमों का पुनर्गठन	240.23	507.38
- अन्य	287.60	176.23
योग	3424.77	3466.62

5.2. फ्लोटिंग प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2012-13	2011-12
i)	फ्लोटिंग प्रावधान में प्रारंभिक शेष	763.00	743.00
ii)	लेखा वर्ष के दौरान किए गए फ्लोटिंग प्रावधान	0	20.00
iii)	लेखावर्ष के दौरान समायोजित की गई राशि	0	0
iv)	फ्लोटिंग प्रावधान खाते में अंतिम शेष	763.00	763.00

5.3 आरक्षिती से आहरण

वर्ष के दौरान बैंक ने आरक्षिती से कोई आहरण नहीं किया है.

5.4 शिकायतों का प्रकटन

ए. ग्राहक शिकायतें

(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	492
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	71178
(ग)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	70148
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	1522

बी बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

(क)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	1
(ख)	वर्ष के दौरान बैकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	4
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	4
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	1

5.5. जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट का प्रकटन

(₹ करोड़ में)

पूर्व वर्षों में जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट और 01.04.2012 को बकाया	2789.59
जोड़ा : वर्ष के दौरान जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट	9360.12
घटाया : वर्ष के दौरान कालातीत लेटर ऑफ कम्फर्ट	8334.20
दिनांक 31.03.2013 को बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट	3815.51

5.6 प्रावधान कवरेज अनुपात

31.3.2013 को प्रावधान कवरेज अनुपात 65.21% है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रावधान कवरेज अनुपात से अधिक किसी प्रावधान को प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर खाते में रखा जायगा.

5.7 बैंक एश्योरेंस कारोबार का प्रकटन

क्र सं	आय का स्वरूप	₹ करोड़ में
1	जीवन बीमा पालिसी बेचने से	22.67
2	गैर -जीवन बीमा पालिसी बेचने से	4.21
3	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-

5.8. जमाराशियों, अग्रिमों एक्सपोज़र एवं एनपीए का केन्द्रीकरण

5.8.1 जमाराशियों का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	260925
बैंक की कुल जमाराशियों में 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं से प्राप्त जमाराशियों का प्रतिशत	13.65

5.8.2 अग्रिमों का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

20 सबसे बड़े अग्रिम खातों को दिए गए कुल अग्रिम	23395.45
बैंक के कुल अग्रिमों में 20 सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	11.04

5.8.3 एक्सपोज़र का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

20 सबसे बड़े ऋणियों / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	49157.59
बैंक के कुल ऋणियों / ग्राहकों के एक्सपोज़र में 20 बड़े ऋणियों / ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	23.20

5.8.4 एन पी ए का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

4 बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोज़र	675.01

5.9 सेक्टरवार एनपीए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	इस सेक्टर के कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत (31.03.2012)
1	कृषि एवं तत्संबंधी गतिविधियां	7.33
2	उद्योग(माइक्रो एवं छोटे, मध्यम एवं बड़े)	3.22
3	सेवाएं	1.80
4	वैयक्तिक ऋण	3.83

5.10 एन पी ए का संचरण

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2012 को सकल एनपीए (आरंभिक शेष)	5449.86
वर्ष के दौरान जोड़े गये (नये)एनपीए	3973.75
उप जोड़ (ए)	9423.61
घटाएं	
(i) उन्नयन	734.07
(ii)वसूलियां (उन्नत खातों में हुई वसूलियोंको छोड़कर)	1246.87
(iii) अप लेखन	1128.84
उप जोड़ (बी)	3109.78
31 मार्च 2013 को सकल एनपीए (अंतिम शेष) (ए-बी)	6313.83

5.11 ओवरसीज़ आस्तियां, एनपीए एवं आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13
कुल आस्तियां	14115.31
कुल एनपीए	170.62
कुल आय	554.42

5.12 तुलनपत्र के अलावा एसपीवी :

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

5.13 अपरिशोधित पेन्शन एवं ग्रैच्युटी देयताएं

5.13.1 भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के अनुसार द्वितीय विकल्प अपनाने वाले सेवारत कर्मियों की ₹ 338 करोड़ की अतिरिक्त पेंशन निधि देयता के पांचवे हिस्से को इस वर्ष लाभ हानि खाते में लिया गया है और ₹ 675 करोड़ की राशि आगामी 2 वर्षों में हिसाब में लिये जाने के लिये आगे ले जायी गयी है.

5.13.2 इसके अलावा ग्रेच्युटी की सीमा ₹ 3.50 लाख से बढ़ाकर ₹ 10.00 लाख होने के परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई अतिरिक्त ग्रेच्युटी देयता के पांचवें हिस्से ₹ 65 करोड़ को 2012-13 के लाभ हानि खाते में लिया गया है तथा शेष ₹ 130 करोड़ की राशि आगामी 2 वर्षों में हिसाब में लिये जाने के लिये आगे ले जायी गयी है.

5.13.3 कर्मचारी लाभ संबंधी लेखामानक 15 (2005 में संशोधित) के अनुसार नियोक्ता द्वारा स्थापित भविष्य निधि लाभ को, जिसमें ब्याज की कमी पूरी करने की व्यवस्था हो, को परिभाषित लाभ प्लान माना जाना चाहिये. युक्तियुक्त बीमांकिक सवालों को देखते हुए देयता का निर्धारण न होने के कारण इससे संबंधित प्रभाव का पता नहीं लगाया गया है, तदनुसार तत्संबंधी अन्य प्रकटन नहीं किये गये हैं और भविष्य निधि स्कीम के लिये ₹ 17.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7.16 करोड़) व्यय माना गया है जो परिचालन व्यय में कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान में शामिल है.

5.14 पारिश्रमिक संबंधी प्रकटन : लागू नहीं

5.15 प्रतिभूतिकरण संबंधी प्रकटन

क्र सं	विवरण	संख्या/राशि (₹ करोड़ में)
1.	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों के लिये प्रायोजित एसपीवी की संख्या	शून्य
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	शून्य
3	तुलन पत्र की तिथि को एमआरआर बनाये रखने के लिये बैंक द्वारा रोक कर रखे गये एक्सपोजर की कुल राशि क) ऑफ तुल पत्र एक्सपोजर प्रथम हानि अन्य ख) तुलन पत्र के एक्सपोजर प्रथम हानि अन्य	शून्य
4	एमआरआर से इतर प्रतिभूतिकरण संव्यवहार में लगी राशि क) ऑफ तुलन पत्र एक्सपोजर i. स्वयं के प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर प्रथम हानि अन्य ii. अन्य पक्ष के प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर प्रथम हानि अन्य ख) तुलन पत्र के एक्सपोजर i. स्वयं के प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर प्रथम हानि अन्य ii. अन्य पक्ष के प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर प्रथम हानि अन्य	शून्य

5.16 क्रेडिट चूक स्वैप :

वित्त वर्ष 2012-13 में बैंक ने कोई भी क्रेडिट चूक स्वैप संव्यवहार नहीं किया है

6. अचल आस्तियां :

बैंक द्वारा धारित ₹ (विगत वर्ष में ₹ .6.17 करोड़) 11.34 करोड़ ह्रासित मूल्य की इस वर्ष खरीदी गयी एक संपत्ति सहित 6 अचल संपत्तियों के विषय में दस्तावेजीकरण औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं, जिनके विषय में कार्रवाई की गई है. भूमि और भवन का पुनर्मल्यांकन उचित बाजार मूल्य पर

एक अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा दिनांक 31.03.1995 को किया गया था, जिसे 30 नवंबर 2007 को अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा उचित बाजार मूल्य पर फिर से पुनर्मूल्यांकित किया गया था. इन पुनर्मूल्यांकनों से हुई मूल्य में वृद्धि अर्थात् दिनांक 31.03.1995 के अनुसार ₹456.59 करोड़ की रकम और 30.11.2007 के अनुसार ₹ 1290.68 करोड़ की रकम को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती में जमा किया गया है और उस पर आरोपित ₹38.07 करोड़ के मूल्यह्रास (पिछले वर्ष ₹ 40.01 करोड़) को उसमें से घटाया गया है.

7. **टायर I तथा टायर II पूंजी के रुप में अर्जित निधि :**

वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार को ₹ 10/- अंकित मूल्य के, ₹ 230.89 के प्रीमियम पर कुल मिलाकर ₹ 1114 करोड़ के 4,62,45,174 शेयर वरीयता आधार पर आवंटित किये हैं. इसके परिणाम स्वरूप सरकार की हिस्सेदारी 54.35% से बढ़कर 57.89% हो गयी है. इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान, ₹800 करोड़ के लोअर टियर II बांड जुटाए हैं.

8. **मानक अग्रिमों पर प्रावधान :**

भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार, मानक अग्रिमों और डेरीवेटिव्स में ऋण जोखिम एक्सपोज़र पर ₹1125.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 899.13 करोड़) प्रावधान किया गया. कुछ विशिष्ट संवर्ग के मानक अग्रिमों, जैसे उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ऋण, शिक्षा ऋण, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ऋण तथा अन्य वैयक्तिक ऋणों के लिए 2% अतिरिक्त प्रावधान ₹66.73 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 56.74 करोड़) किया गया है, जो सांविधिक प्रावधानों के अतिरिक्त है.

9. पिछले वर्ष के आंकड़े यथावश्यक रुप से पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं.

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरकर्ता

(ए एस पारीख)
सहायक महा प्रबंधक

(मयंक मेहता)
महा प्रबंधक

(के. सुब्रमण्यम)
कार्यपालक निदेशक

(एस. के. जैन)
कार्यपालक निदेशक

(डी. सरकार)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डा ए. भट्टाचार्या)
निदेशक

(चंदन सिन्हा)
निदेशक

(एस के मिश्र)
निदेशक

(बी.एन.भट्टाचार्जी)
निदेशक

(एन. शंकर)
निदेशक

(डा. अतुल अग्रवाल)
निदेशक

(डी चटर्जी)
निदेशक

(जी के लाठ)
निदेशक

(डा. आर एच ढोलकिया)
निदेशक

(श्रीमती अनुसुइया शर्मा)
निदेशक

कृते जी.एस.माथुर एंड क़.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र008744एन

कृते प्राइस पैट एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र.002783एस

कृते सिंगरोदिया गोयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र. 112081 डब्ल्यू

(राजीव कुमार वाधवान)
भागीदार(एम.नं. 091007)

(एस.बालासुब्रमणियन)
भागीदार(एम.नं25413)

(के.वी.एस श्याम सुंदर)
भागीदार(एम.नं. 015747)

कृते जिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र.000844एन

कृते शाह गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र. 109574 डब्ल्यू

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र.000980सी

(अखिल जिंदल)
भागीदार(एम.नं. 090515)

(विपुल के. चोकसी)
भागीदार(एम.नं. 037606)

(वंदना रस्तोगी)
भागीदार(एम.नं. 086956)

मुंबई,
दिनांक :09.05.2013

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र सं	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2013	समाप्त वर्ष 31.03.2012
ए	परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह	21,179	(382,999)
बी	निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह	(33,390)	(22,326)
सी	वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह	65,736	(37,006)
		53,525	**(442,331)**
डी	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	1,567,514	2,009,845
ई	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	1,621,039	1,567,514
एफ	वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (ए+बी+सी) या (ई-डी)	**53,525**	**(442,331)**
	ब्रेकअप विवरण		
ए	**परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह**		
	वर्ष के दौरान अग्रिम, ब्याज आदि से प्राप्त ब्याज	2,497,461	2,069,941
	अन्य आय	255,371	233,304
घटाएं	जमारशि, उधारों आदि पर दिया गया ब्याज (गौण ऋण को छोड़कर)	(1,695,340)	(1,361,348)
	परिचालन व्यय तथा प्रावधान और आस्मिकताएं	(793,693)	(745,414)
जोड़ें	मूल्य ह्रास के लिये समायोजन	15,092	14,645
I.	परिचालन से प्राप्त नकद लाभ	**278,891**	**211,128**
II.	आस्तियों/देयताओं के परिचालन से नकदी प्रवाह		
	{देयताओं में वृद्धि (कमी)		
	जमाराशियां	4,089,262	2,040,766
	उधार	528,780	459,351
	आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के लिये समायोजन	1,000	(1,238)
	अन्य देयताएं आदि (पूर्व के सालों में किये अधिक प्रावधानों के पुनर्लेखन सहित)	5,329	(76,764)
	आस्तियों में कमी/(वृद्धि)		
	अग्रिम	(3,022,011)	(2,689,600)
	निवेश	(1,846,689)	(396,442)
	अन्य	(13,383)	69,800
	परिचालन आसितयों और देयताओं से नकदी प्रवाह	**(257,712)**	**(594,127)**
	परिचालन कार्यों शुद्ध नकदी प्रवाह (I+II)	**21,179**	**(382,999)**
बी	**निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह**		
	अचल आस्तियों का विक्रय/निपटान	2,569	4,564
	अचल आस्तियों की खरीद	(35,959)	(26,890)
	निवेश कार्यों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(33,390)**	**(22,326)**
सी	वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह		
	लाभांश 2011-12	(44,044)	
	लाभांश कर 2011-12	(7,238)	
	लाभांश 2010-11		(41,947)
	लाभांश कर 2010-11		(6,859)
	गौण ऋण टियर II पूंजी के आगम	60,000	-
	टियर IIपूंजी पर ब्याज	(53,216)	(52,715)
	अधीनस्थ अपर टियर II पूंजी	-	-
	शाश्वत बांड	-	-
	पीएनसीपीएस पर ब्याज	(1,055)	(515)
	पीएनसीपीएस	-	-
	भारत सरकार / भारतीय जीवन बीमा निगम से अंश पूंजी	111,289	65,030
	वित्तपोषण कार्यों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**65,736**	**(37,006)**

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र सं	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2013	समाप्त वर्ष 31.03.2012
डी	**वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष**		
	नकदी और रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1,163,356	1,761,046
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	404,158	248,799
	शुद्ध नकद और नकदी समकक्ष	**1,567,514**	**2,009,845**
ई	**वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष**		
	नकदी और रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1,076,292	1,163,356
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	544,747	404,158
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद और नकद समकक्ष	**1,621,039**	**1,567,514**

(के. सुब्रमण्यम)
कार्यपालक निदेशक

(एस. के.जैन)
कार्यपालक निदेशक

(डी सरकार)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

हम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिये बैंक के उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है. यह विवरण स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग करार के खंड 32 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को दिनांक 9 मई 2013 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुरूप है.

कृते जी.एस.माथुर एंड क़.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र008744एन

(राजीव कुमार वाधवान)
भागीदार(एम.नं. 091007)

कृते प्राइस पैट एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र.002783एस

(एस.बालासुब्रमणियन)
भागीदार(एम.नं25413)

कृते सिंगरोदिया गोयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र. 112081 डब्ल्यू

(के.वी.एस श्याम सुंदर)
भागीदार(एम.नं. 015747)

कृते जिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र.000844एन

(अखिल जिंदल)
भागीदार(एम.नं. 090515)

कृते शाह गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र. 109574 डब्ल्यू

(विपुल के. चोकसी)
भागीदार(एम.नं. 037606)

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र.000980सी

(वंदना रस्तोगी)
भागीदार(एम.नं. 086956)

मुंबई,

दिनांक :09.05.2013

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

निदेशक मंडल

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसकी सहायक कंपनियों, एसोसिएटों और संयुक्त उपक्रमों (समूह) के 31 मार्च, 2013 के संलग्न समेकित तुलन-पत्र तथा इसी वर्ष को समाप्त समेकित लाभ-हानि खाते एवं समेकित नकदी प्रवाह विवरण का परीक्षण किया है जिनमें निम्न का समावेश है:

i. 6 (छ:) संयुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित लेखे.

ii. अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित दो सहायक कंपनियों, दो एसोसिएटों और एक संयुक्त उपक्रम के लेखे.

समेकित वित्तीय विवरणों के लिये प्रबंधन का दायित्व

इन समेकित वित्तीय विवरणों, जो भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बैंक की समेकित वित्तीय स्थिति , समेकित वित्तीय कामकाज और समेकित नकदी प्रवाह का सही और उचित चित्र लाये, को तैयार करना प्रबंधन का दायित्व है और जिसमें वित्तीय विवरण बनाने और प्रस्तुत करने संबंधी ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और उनका रखरखाव करना शामिल है जो सही और उचित चित्र प्रस्तुत करें और जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि वश कोई सारवान गलत कथन न हो.

समेकित वित्तीय विवरण बैंक प्रबंधन ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा विहित लेखा मानक 21 -"समेकित वित्तीय विवरण" लेखा मानक -23- "समेकित वित्तीय विवरण में एसोसिएट में निवेश का लेखांकन" और लेखा मानक 27-" संयुक्त उपक्रमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार बनाये हैं.

लेखापरीक्षकों का दायित्व :

हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर मत प्रकट करना है. हमने समेकित वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा इस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है. उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और हम अपनी लेखापरीक्षा यह युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिये आयोजित और संपन्न करें कि ये समेकित वित्तीय विवरण किसी प्रकार के सारवान गलत कथन से मुक्त हैं.

किसी भी लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनो के बारे में लेखापरीक्षकीय साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है. प्रक्रिया का चयन वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी से या त्रुटिवश सारवान गलतकथन की जोखिम के आकलन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है. इन जोखिमों का आकलन करने में लेखापरीक्षक तत्कालीन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा डिजाइन करने के लिये कंपनी की तैयारी और वित्तीय विवरणों के सही प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है न कि बैंक के आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता के बारे में अपना मत व्यक्त करने के लिये . किसी भी लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों के युक्तियुक्त होने का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी सम्मिलित होता है.

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखापरीक्षा सम्मति का आधार बनने के लिये पर्याप्त और उपयुक्त है.

सम्मति

हमें प्राप्त सूचनाओं तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिये अनुसार समूह के वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करते हुए हमारे मत के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण , भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार

क. समेकित तुलन पत्र के मामले में, बैंक के 31 मार्च2013 के कार्यकलापों के बारे में

ख. समेकित लाभ-हानि खाते के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ के बारे में

ग. समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह के बारे में

समूह के बारे में सही चित्र प्रस्तुत करते है.

जोर दिये जाने वाले मामले

अपने मत को किसी प्रकार हलका किये बिना हम अनुसूची 18 के नोट क्रमांक 5.13.1 पर ध्यान आकृष्ट करते हैं जिसमें

क. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिये पेंशन का विकल्प पुन: खोलने पर, लेखा मानक 15 कर्मचारी लाभ के प्रावधान के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी परिपत्र (परिपत्र क्र डीबीओडी.बीपी.बीसी/80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी,2011), के अनुसरण में ₹ 676.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1014.13 करोड़)की बैंक की पेंशन देयता आस्थगित करने का

ख. ग्रेच्युटी की सीमा ₹ 3.50 लाख से बढ़ाकर ₹ 10.00 लाख किये जाने के परिणामस्वरूप बढ़ी ग्रेच्युटी देयता में से ₹ 65 करोड़ लाभ-हानि खाते को नामे किये जाने और शेष 130 करोड़ आगामी 2 सालों में में नामे किये जाने के लिये आगे ले जाने के लिये आस्थगित करने का वर्णन है.

अन्य मामले

हमने निम्नलिखित संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण नहीं किया है :

(i) दो सहायक कंपनियों के जिनके 31 मार्च, 2013 के वित्तीय विवरण में ₹ 65.42 करोड़ की आस्तियां (निवल) और इसी तारीख को कुल राजस्व ₹ 11.81 करोड़ और उस तारीख को समाप्त वर्ष को निवल नकदी बहिर्प्रवाह ₹ 25.71 करोड़ है और

(ii) एक संयुक्त उपक्रम के, जिसके 31 मार्च, 2013 के वित्तीय विवरण में ₹ 282.33 करोड़ की निवल आस्तियां और इसी तारीख को कुल राजस्व ₹ 52.86 करोड़ तथा इस तारीख को समाप्त वर्ष को निवल नकद बहिर्प्रवाह ₹ 30.69 करोड़ है. .

(iii) एक एसोसिएट के, जिसके 31 मार्च, 2013 के वित्तीय विवरण में ₹ 6986.08 करोड़ की निवल आस्तियां और इसी तारीख को कुल राजस्व ₹ 515.90 करोड़ तथा इस तारीख को समाप्त वर्ष को निवल नकद अंतर्प्रवाह ₹ 633.48 करोड़ है.

इन अंतिम विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी है जिनकी रिपोर्ट हमको प्रबंधन द्वारा दी गयी है और हमारी सम्मति अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर ही आधारित है. इस मामले में हमारी सम्मति सीमित नहीं है.

कृते जी.एस.माथुर एंड क़.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र008744एन

(राजीव कुमार वाधवान)
भागीदार(एम.नं. 091007)

कृते प्राइस पैट एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र.002783एस

(एस.बालासुब्रमणियन)
भागीदार(एम.नं25413)

कृते सिंगरोदिया गोयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र. 112081 डब्ल्यू

(के.वी.एस श्याम सुंदर)
भागीदार(एम.नं. 015747)

कृते जिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र.000844एन

(अखिल जिंदल)
भागीदार(एम.नं. 090515)

कृते शाह गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र. 109574 डब्ल्यू

(विपुल के. चोकसी)
भागीदार(एम.नं. 037606)

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र.000980सी

(वंदना रस्तोगी)
भागीदार(एम.नं. 086956)

मुंबई,

दिनांक :09.05.2013

31 मार्च 2013 का समेकित वित्तीय तुलन पत्र

(000' को छोड़कर)

	अनुसूची	यथा 31.03.2013	यथा 31.03.2012
पूंजी और दायित्व			
पूंजी	1	7,077,942	6,615,490
आरक्षित और आधिक्य	2	167,223,921	141,171,453
अल्पमत हिस्सेदारी	2ए	297,883	405,411
जमाराशियां	3	2,636,815,532	2,227,765,151
उधार	4	237,968,845	179,094,878
अन्य देनदारियां एवं प्रावधान	5	79,735,082	75,194,514
जोड़		**3,129,119,205**	**2,630,246,897**
आस्तियां			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष	6	107,632,205	116,336,928
बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	54,479,814	40,701,482
निवेश	8	818,083,116	631,038,056
अग्रिम	9	2,081,024,291	1,778,820,863
अचल आस्तियां	10	24,954,035	23,477,965
अन्य आस्तियां	11	42,945,744	39,871,603
जोड़		**3,129,119,205**	**2,630,246,897**
अनुषंगी दायित्व	12	3,245,952,368	2,366,217,799
संग्रहण के लिए बिल		62,522,423	22,170,068
प्रमुख लेखा नीतियां	17		
खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं.

(ए एस पारीख)
सहायक महा प्रबंधक

(मयंक मेहता)
महा प्रबंधक

(के. सुब्रमण्यम)
कार्यपालक निदेशक

(एस. के. जैन)
कार्यपालक निदेशक

(डी. सरकार)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डा ए. भट्टाचार्या)
निदेशक

(चंदन सिन्हा)
निदेशक

(बी.एन.भट्टाचार्जी)
निदेशक

(एन. शंकर)
निदेशक

(डा. अतुल अग्रवाल)
निदेशक

(एस के मिश्र)
निदेशक

(श्रीमती अनुसुइया शर्मा)
निदेशक

(डी चटर्जी)
निदेशक

(डा. आर एच ढोलकिया)
निदेशक

(जी के लाठ)
निदेशक

कृते जी.एस.माथुर एंड क़.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र008744एन

(राजीव कुमार वाधवान)
भागीदार(एम.नं. 091007)

कृते प्राइस पैट एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र.002783एस

(एस.बालासुब्रमणियन)
भागीदार(एम.नं25413)

कृते सिंगरोदिया गोयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र. 112081 डब्ल्यू

(के.वी.एस श्याम सुंदर)
भागीदार(एम.नं. 015747)

कृते जिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र.000844एन

(अखिल जिंदल)
भागीदार(एम.नं. 090515)

कृते शाह गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र. 109574 डब्ल्यू

(विपुल के. चोकसी)
भागीदार(एम.नं. 037606)

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र.000980सी

(वंदना रस्तोगी)
भागीदार(एम.नं. 086956)

मुंबई,
दिनांक :09.05.2013

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ एवं हानि लेखा

(000' को छोड़कर)

		अनुसूची	2012-.2013	2011-2012
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	251,685,293	211,524,799
	अन्य आय	14	28,680,402	23,163,065
	जोड़		**280,365,695**	**234,687,864**
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	175,753,802	142,297,261
	परिचालन व्यय	16	49,054,662	40,162,671
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		34,245,751	34,670,359
	जोड़		**259,054,215**	**217,130,291**
III.	**वर्ष का शुद्ध लाभ**		21,311,480	17,557,573
	जोड़ें : आगे लाया गया लाभ		6,128	1,591
	जोड़		**21,317,608**	**17,559,164**
	लाभ / हानि में असोसिएट का हिस्सा		146,835	39,829
	अल्पसंख्यक शेयर धारकों का हिस्सा घटाने से पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ /हानि		21,464,443	17,598,993
	घटाया अल्पसंख्यक शेयरधारकों का हिस्सा		(107,527)	(121,144)
	जोड़ा समूह का आगे लाया गया समेकित लाभ / हानि		**21,571,970**	**17,720,137**
IV.	**विनियोजन**			
	कानूनी आरक्षित को अंतरण		6,480,000	5,370,000
	पूंजी आरक्षित को अंतरण		542,320	393,205
	राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों को अंतरण		7,026,559	4,877,185
	प्रस्तावित लाभांश		4,774,354	4,404,392
	लाभांश कर		827,436	731,609
	लाभांश कर (पिछले वर्ष का पुनर्लेखित)		0	(7,832)
	विशेष आरक्षित में अंतरण [धारा36(i)(viii)]		1,820,000	1,840,000
	विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन आरक्षित मे अंतरण		2,877	
	पीएनसीपीएस पर ब्याज हेतु प्रावधान		94,350	105,450
	लाभ व हानि लेखे में शेष		4,074	6,128
	जोड़		**21,571,970**	**17,720,137**

उक्त अनुसूचियां लाभ हानि लेखे का एक अभिन्न अंग हैं.

(ए एस पारीख) सहायक महा प्रबंधक	**(मयंक मेहता)** महा प्रबंधक	**(के. सुब्रमण्यम)** कार्यपालक निदेशक	**(एस. के. जैन)** कार्यपालक निदेशक	**(डी. सरकार)** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डा ए. भट्टाचार्या) निदेशक	**(चंदन सिन्हा)** निदेशक	**(बी.एन.भट्टाचार्जी)** निदेशक	**(एन. शंकर)** निदेशक	**(डा. अतुल अग्रवाल)** निदेशक
(एस के मिश्र) निदेशक	**(श्रीमती अनुसुइया शर्मा)** निदेशक	**(डी चटर्जी)** निदेशक	**(डा. आर एच ढोलकिया)** निदेशक	**(जी के लाठ)** निदेशक

कृते जी.एस.माथुर एंड क़. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म पंजी.क्र008744एन	**कृते प्राइस पैट एंड कं.** चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म पंजी.क्र.002783एस	**कृते सिंगरोदिया गोयल एंड कं.** चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म पंजी.क्र. 112081 डब्ल्यू
(राजीव कुमार वाधवान) भागीदार(एम.नं. 091007)	**(एस.बालासुब्रमणियन)** भागीदार(एम.नं25413)	**(के.वी.एस श्याम सुंदर)** भागीदार(एम.नं. 015747)
कृते जिंदल एंड कं. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म पंजी.क्र.000844एन	**कृते शाह गुप्ता एंड कं.** चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म पंजी.क्र. 109574 डब्ल्यू	**कृते वी. रोहतगी एंड कं.** चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म पंजी.क्र.000980सी
(अखिल जिंदल) भागीदार(एम.नं. 090515)	**(विपुल के. चोकसी)** भागीदार(एम.नं. 037606)	**(वंदना रस्तोगी)** भागीदार(एम.नं. 086956)

मुंबई,
दिनांक :09.05.2013

31 मार्च 2013, के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

			यथा 31.03.2013		यथा 31.03.2012
अनुसूची 1 - पूंजी:					
I.	**प्रधिकृत :**				
	₹ 10/- प्रति के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर		30,000,000		30,000,000
II.	निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त :				
	i. 34,54,59,689 इक्विटी शेयर प्रति ₹ 10/-, केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित		3,454,597		2,992,145
	ii. 25,13,34,520 इक्विटी शेयर प्रति ₹ 10/-, जनता द्वारा धारित		2,513,345		2,513,345
III.	शाश्वत गैर-संचयी अधिमानी अंश		1,110,000		1,110,000
	जोड़		**7,077,942**		**6,615,490**
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां एवं अधिशेष					
I.	**कानूनी आरक्षित :**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	44,350,000		38,980,000	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	6,480,000	50,830,000	5,370,000	44,350,000
II ए	**पूंजी आरक्षित :**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	7,048,410		6,655,205	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	542,320	7,590,730	393,205	7,048,410
II बी	**समेकन पर पूंजी आरक्षित :**		569,500		569,500
III	**शेयर प्रीमियम**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	18,192,279		11,951,412	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	10,666,408	28,858,687	6,240,867	18,192,279
IV.	**पुनर्मूल्यांकन आरक्षित**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	15,338,271		15,738,407	
	वर्ष के दौरान कमी	-		-	
		380,694	14,957,577	400,136	15,338,271
V.	**राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां**				
i)	राजस्व और अन्य आरक्षित :				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	36,286,865		31,479,658	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	7,026,559		4,877,185	
	जोड़े/(घटायें) : उचित मूल्य परिवर्तन और संयुक्त उद्यमों का राजस्व खाता	415		(69,978)	
	वर्ष के दौरान कमी	103,363		-	
		43,210,476		36,286,865	
	ii) विशेष आरक्षित धारा 36(1)(viii)	19,380,000		17,540,000	
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1,820,000		1,840,000	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	21,200,000		19,380,000	
	iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधियां				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-		55,287	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	2,877		-	
	वर्ष के दौरान कमी	-		55,287	
	जोड़	2,877	64,413,353	-	55,666,865
VI.	**लाभ व हानि लेखा में शेष**				
	लाभ व हानि लेखा में शेष		4,074		6,128
	जोड़		**167,223,921**		**141,171,453**
अनुसूची 2 ए - अल्पसंख्यक शेयरधारकों का हिस्सा					
वर्तमान अनुषंगी संबंध स्थापित होने की तारीख को अल्पसंख्यक शेयरधारकों का हिस्सा			588,245		588,245
बाद में हुई वृद्धि / कमी			(290,362)		(182,834)
तुलन पत्र की तारीख को अल्पसंख्यक शेयरधारकों का हिस्सा			**297,883**		**405,411**

31 मार्च 2013, के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

		यथा 31.03.2013		यथा 31.03.2012
अनुसूची 3 - जमाराशियां :				
भारत स्थित शाखाओं की जमाराशियां				
I. मांग जमाराशि				
i) बैंकों से	9,328,445		9,816,823	
ii) अन्यों से	231,777,035	241,105,480	182,884,538	192,701,361
II. बचत बैंक जमाराशियां		574,966,537		504,288,588
III. मीयादी जमाराशियां				
i) बैंकों से	108,765,593		87,698,078	
ii) अन्यों से	1,711,977,922	1,820,743,515	1,443,077,124	1,530,775,202
जोड़		**2,636,815,532**		**2,227,765,151**
भारत स्थित शाखाओं की जमाराशियां		2,609,183,212		2,215,695,310
भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		27,632,320		12,069,841
जोड़		**2,636,815,532**		**2,227,765,151**
अनुसूची 4 - उधार :				
ए) उधार : पूंजी लिखत				
I. शाश्वत बांड	10,396,100		10,400,000	
II. अपर टियर II बांड	22,500,000		22,500,000	
III. टियर II बांड	35,000,000	67,896,100	29,000,000	61,900,000
बी. भारत में उधार				
i. भारतीय रिज़र्व बैंक	21,252,700		2,350,000	
ii. अन्य बैंक	2,000,000		7,000,000	
ii. अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण	1,461,394		1,553,735	
सी. भारत से बाहर उधार		24,714,094		10,903,735
		145,358,651		106,291,142
जोड़		**237,968,845**		**179,094,877**
उक्त I एवं II में प्रतिभूत उधार शामिल हैं		1,339,121		1,343,713
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान :				
I. देय बिल		12,227,242		12,941,023
II. उपचित ब्याज		8,372,023		7,089,963
III. आस्थगित कर देयताएं		321,019		216,851
IV. अन्य (प्रावधान तथा नोस्टो खातों में लंबित मदों सहित)		58,814,798		54,946,677
जोड़		**79,735,082**		**75,194,514**
अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष:				
I. धारित नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)		7,755,815		6,274,581
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ जमाशेष चालू खाते में		99,876,390		110,062,347
जोड़		**107,632,205**		**116,336,928**

31 मार्च 2013, के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

		यथा 31.03.2013	यथा 31.03.2012
अनुसूची 7 - बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन			
I.	भारत में बैंकों के पास जमाशेष		
	i) ए) चालू खातों में	1,203,625	1,825,508
	बी) अन्य जमा खातों में	12,194,405	15,526,536
	सी) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन	0	643,684
II.	भारत के बाहर		
	i) चालू खातों में	6,003,697	1,966,510
	ii) अन्य जमा खातों में	35,078,087	20,739,244
	iii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन	0	-
	जोड़	**54,479,814**	**40,701,482**
अनुसूची 8 - निवेश :			
I.	भारत में निवेश		
	i) सरकारी प्रतिभूतियां	619,492,638	505,902,969
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	528,253	426,151
	iii) शेयर	13,651,299	10,730,983
	iv) डिबेंचर एवं बांड	63,927,694	44,987,536
	v) सहायक एवं संयुक्त उद्यम	1,548,476	1,592,766
	vi) अन्य		
	- वाणिज्यिक पत्र	11,921,944	4,456,970
	- अन्य	31,914,559	19,177,443
	- म्युचुअल फंड	9,311,918	9,668,546
	- आरआईडीएफ	64,741,371	32,996,628
	- आर्सिल की प्रतिभूति रसीद	360,945	379,860
	जोड़	**817,399,097**	**630,319,851**
II.	भारत के बाहर निवेश		
	i) सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी सहित)	571,491	614,470
	ii) शेयरों में	4,032	1,989
	iii) अन्य निवेश (बांड)	108,496	101,746
	जोड़	**684,019**	**718,205**
	जोड़	**818,083,116**	**631,038,056**
III.	i) भारत में निवेश		
	सकल मूल्य	813,817,779	628,713,115
	मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान	3,581,318	1,606,736
	निवल मूल्य	**817,399,097**	**630,319,851**
	ii) भारत के बाहर निवेश		
	सकल मूल्य / निवल मूल्य	684,019	718,205
	जोड़	**818,083,116**	**631,038,056**

31 मार्च 2013, के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

			यथा 31.03.2013	यथा 31.03.2012
अनुसूची 9 - अग्रिम				
I.	i)	खरीदे और भुनाए गए बिल	65,825,482	81,416,343
	ii)	नकद साख, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण	1,048,463,155	919,887,125
	iii)	मीयादी ऋण	966,735,654	777,517,395
	जोड़		**2,081,024,291**	**1,778,820,863**
II.	i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के पेटे अग्रिमों सहित)	1,657,034,303	1,321,100,513
	ii)	बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	127,175,062	76,576,862
	iii)	अप्रतिभूत	296,814,926	381,143,488
	जोड़		**2,081,024,291**	**1,778,820,863**
ए.	**भारत में अग्रिम**			
	i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	553,603,600	424,534,843
	ii)	सार्वजनिक क्षेत्र	202,314,391	147,891,982
	iii)	बैंक	61,813,734	82,559,056
	iv)	अन्य	1,134,014,543	1,032,281,403
	जोड़		**1,951,746,268**	**1,687,267,284**
बी.	**भारत के बाहर अग्रिम**			
	i)	बैंको से देय	61,170,292	39,260,524
	ii)	अन्यों से देय		
	ए)	खरीदे एवं भुनाए गए बिल	3,245,049	1,024,055
	बी)	सिंडिकेट ऋण	50,376,482	34,596,526
	सी)	अन्य	14,486,200	16,672,474
	जोड़		**129,278,023**	**91,553,579**
	जोड़		**2,081,024,291**	**1,778,820,863**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां				
ए. मूर्त आस्तियां				
I. परिसर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	22,006,721		21,290,003	
जोड़ें : वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,218,454		716,718	
	23,225,175		22,006,721	
वर्ष के दौरान कमी	-		-	
घटाएं : आज की तारीख तक मूल्यह्रास	4,908,637	18,316,538	4,380,456	17,626,265
II. प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	85,918		135,815	
वर्ष के दौरान वृद्धि	285,958		176,213	
वर्ष के दौरान कमी	243,160	128,716	226,110	85,918
III. भूमि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	30,972		135,204	
जोड़ें : वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
वर्ष के दौरान कमी	103,125		104,232	
	134,097		30,972	
घटाएं : आज की तारीख तक मूल्य ह्रास	23,385	110,712	22,260	8,712
IV. अन्य अचल संपत्तियां				
(फर्नीचर एवं फिक्सचर्स सहित)				
क) पट्टे पर दी गई आस्तियां				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	265,352		310,477	
वर्ष के दौरान कमी	265,352		45,125	
	-		265,352	
घटाएं : आज की तारीख तक मूल्य ह्रास	-	-	265,352	-

31 मार्च 2013, के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

		यथा 31.03.2013		यथा 31.03.2012
ख) अन्य	14,728,907		13,497,900	
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	1,930,000		1,564,648	
वर्ष के दौरान वृद्धि	16,658,907		15,062,548	
	257,089		333,640	
वर्ष के दौरान कमी	16,401,818		14,728,907	
घटाएं : आज की तारीख तक मूल्य ह्रास	10,317,571	6,084,247	9,252,242	5,476,665
बी. अमूर्त आस्तियां				
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	1,153,546		890,730	
वर्ष के दौरान वृद्धि	194,507		262,816	
	1,348,053		1,153,546	
आज की तारीख तक परिशोधन	1,034,232	313,821	873,142	280,404
जोड़		**24,954,035**		**23,477,965**

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां :

		यथा 31.03.2013	यथा 31.03.2012
I.	अंतर-कार्यालयीन समायोजन (निवल)	10,370,315	4,361,262
II.	उपचित ब्याज	18,474,150	16,943,595
III.	संदत्त/स्रोत पर काटा गया ब्याज (प्रावधानों के समायोजन के बाद)	(2,722,944)	(4,812,979)
IV.	लेखन सामग्री और स्टैंप	24,522	51,960
V.	दावों के समाधान से अर्जित गैर बैंककारी आस्तियां	390	390
VI.	आस्थगित कर आस्तियां	-	
VII.	अन्य	16,799,311	23,327,375
	जोड़	**42,945,744**	**39,871,603**

अनुसूची 12 - अनुषंगी दायित्व :

		यथा 31.03.2013	यथा 31.03.2012
I.	बैंक के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है	34,912,835	33,855,475
II.	अंशत: संदत्त निवेशों के लिए देयताएं	5,920	5,920
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	2,844,077,459	2,037,783,156
IV.	संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां		
	i) भारत में	179,985,613	145,398,127
	ii) भारत के बाहर	4,614,139	2,087,637
V.	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं	177,244,776	142,911,453
VI.	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रुप से उत्तरदायी है	-	
	i) अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग	4,889,100	4,100,593
	ii) अन्य	222,526	75,438
	जोड़	**3,245,952,368**	**2,366,217,799**

31 मार्च 2013 के समेकित लाभ एवं हानि लेखा के भाग के रूप में अनुसूचियां

		31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2012 को समाप्त वर्ष
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज			
I.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	191,404,620	160,266,256
II.	निवेशों पर आय	57,148,616	45,782,788
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक के जमाशेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	1,986,070	3,309,149
IV.	अन्य	1,145,987	2,166,606
	जोड़	**251,685,293**	**211,524,799**
अनुसूची 14 - अन्य आय			
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	3,565,416	3,582,490
II.	निवेशों के विक्रय पर लाभ - निवल	5,080,554	4,415,214
III.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ - निवल	- 17,010	(6,595)
IV.	विनिमय संव्यवहारों पर लाभ - निवल	5,598,770	4,887,504
V.	विविध आय	14,452,672	10,284,452
	जोड़	**28,680,402**	**23,163,065**
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज			
I.	जमाराशियों पर ब्याज	165,447,908	134,001,532
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	2,742,379	1,408,583
III.	अन्य	7,563,515	6,887,146
	जोड़	**175,753,802**	**142,297,261**
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय			
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	27,939,435	24,965,111
II.	किराया, कर और प्रकाश	3,296,665	2,682,196
III.	मुद्रण और लेखनसामग्री	447,841	376,538
IV.	विज्ञापन एवं प्रचार	776,308	705,930
V.	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	1,555,082	1,505,768
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	13,265	14,420
VII.	प्रबंध / कार्यपालक निदेशक को पारिश्रमिक	5,963	5,687
VIII.	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	213,017	231,765
IX.	विधि प्रभार	165,816	154,397
X.	डाक खर्च, तार और टेलीफोन आदि	623,636	502,339
XI.	मरम्मत एवं अनुरक्षण	803,935	704,425
XII.	बीमा	2,175,552	1,876,734
XIII.	अन्य व्यय	11,038,147	6,437,361
	जोड़	**49,054,662**	**40,162,671**

वर्ष 2012-13 के लेखाओं की अनुसूचियां

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

3.1 लेखांकन पद्धति

संलग्न समेकित वित्तीय विवरण, जब तक कुछ अन्यथा न कहा गया हो, निरंतर कारोबार सिद्धांत और सामान्यत: परंपरागत लागत के आधार पर भारतीय कार्यालयों / शाखाओं के संबंध में भारत में एवं विदेशी कार्यालयों / शाखाओं के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं पद्धतियों के अनुरूप तैयार किए गए हैं.

2. अनुमानों का उपयोग :

वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को, वित्तीय विवरण की तिथि को आकस्मिक देयताओं सहित रिपोर्ट की गयी आस्तियों व देयताओं और रिपोर्टिंग की तारीख को रिपोर्ट किये गये आय और व्यय के बारे में अनुमान और अंदाज लगाने की आवश्यकता होती है. प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण और युक्तिसंगत हैं. वास्तविक परिणाम और अनुमानों के अंतर को उस अवधि में मान्य किया गया है जिसके परिणाम ज्ञात हैं.

3 **समूहन का आधार**

3.1 समूह (2 सहायक कंपनी, 1 एसोसिएट व 1 संयक्त उपक्रम के समेकित वित्तीय विवरण निम्न के आधार पर तैयार किये गये हैं :

i यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (पेरेंट)

ii इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक-21 समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार पेरेंट बैंक और उसकी सहायक कंपनियों से उनके संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर अंतरा-समूह लेनदेनों, अप्राप्त लाभ/हानि को निकालने और एकरूप लेखांकन नीतियों के अनुरूप आवश्यक समायोजन के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों को लाइन-बाई-लाइन आधार पर जोड़कर मिलाये गए हैं.

iii एसोसिएट कंपनियों में निवेश का लेखांकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक 23 समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट के निवेश का लेखांकन इक्विटी विधि के अनुसार किया गया है.

iv संयुक्त उपक्रमों का समेकन - इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक 27 संयुक्त उपक्रमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार यथानुपात समेकन किया गया है.

3.2 जहां सहायक कंपनियों, एसोसिएटों और संयुक्त उपक्रमों द्वारा एकरूप लेखांकन पद्धति का पालन नहीं किया गया है वहां समेकित वित्तीय विवरणों में आवश्यक समायोजन इसलिये नहीं किये गये हैं कि प्रबंधन के विचार से ये समायोजन बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं.

3.3 समूह की सहायक कंपनियों में निवेश की लागत और सहायक कंपनियों की इक्विटी में समूह के हिस्से के अंतर को समेकित वित्तीय विवरण में गुडविल/पूंजी आरक्षित माना गया है.

3.4 सहायक कंपनियों की निवल आस्तियों में

i) जिस तारीख को सहायक कंपनी में निवेश किया गया हो, उस तारीख का अल्पांस हिस्सेदारी संबंधी शेयर की राशि

ii) प्रमुख-सहायक संबंध निर्मित होने की तारीख से राजस्व आरक्षित /हानि (शेयर) में संचरण मेन अल्पांश हिस्सेदारी सहायक कंपनियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हिस्सेदारी शामिल है.

4. राजस्व की पहचान

4.1 बैंकिंग कंपनियां

i) अन्यथा उल्लेखित न हो तब तक, आय और व्यय का लेखांकन सामान्यत: उपचय आधार पर किया गया है.

ii) गैर निष्पादित अग्रिमों(एनपीए) पर आय की पहचान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली की गई सीमा तक की गई है.वर्ष के दौरान एनपीए के रुप में वर्गीकृत अग्रिमों के मामलों में विगत वर्ष लेखों में शामिल की गई तथा वसूली के लिए शेष रही आय को अमान्य किया गया है.

iii) अर्जित कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज, सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया और बॉयोमैट्रिक्स कार्ड आदि पर कमीशन प्राप्ति के बाद ही लेखांकित किए गए हैं.

iv) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में निवेशों पर प्राप्त आय(ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है.

ए) ब्याज वाली प्रतिभूति पर प्राप्त आय केवल विक्रय/शोधन के समय ही प्राप्त मानी जाएगी.

बी) शून्य कूपन प्रतिभूति पर प्राप्त आय का समायोजन निरंतर प्राप्ति आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए किया जाएगा.

v) जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहां लाभांश की गणना उपचित आधार पर की जाएगी.

4.2 गैर बैंकिंग संस्थाएं :

जीवन बीमा :

i) प्रीमियम आय:

प्रीमियम (सेवा कर निकालकर) देय होने पर आय माना गया है. सहयोगी इकाइयां सृजित किये जाने पर सम्बद्ध (linked) कारोबार के लिए, प्रीमियम की पहचान की जाती है . टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम माना गया है. व्यपगत पॉलिसियों पर प्रीमियम को उन पालिसियों के पुन: बहाल होने पर आय माना जाता है. पुनर्बीमा कराने पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि की आय माना जाता है जिस अवधि के लिये पुनर्बीमा प्रीमियम दिया गया हो

ii) सम्बद्ध निधियों से आय :

सम्बद्ध निधियों से आय जिसमें प्रीमियम आवंटन प्रभार, पॉलिसी प्रशासनिक प्रभार, मृत्यु प्रभार, निधि प्रबंधन प्रभार आदि शामिल होते हैं, जारी पॉलिसी की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार सम्बद्ध निधियों से वसूल किए जाते हैं.

iii) पुनर्बीमा प्रीमियम:

अर्पित पुनर्बीमा की लागत पुनर्बीमाकर्ता के साथ समझौते या सैद्धांतिक व्यवस्था के अनुसार प्रीमियम आय की पहचान के समय हिसाब में ली जाती है. अर्पित पुनर्बीमा पर लाभ कमीशन पुनर्बीमा पर दिए गए प्रीमियम से कम कर लिया जाता है.

iv) प्रदत्त लाभ (दावों सहित) :

पॉलिसी लाभ सहित प्रदत्त लाभ एवं दावा निपटान लागतें , यदि कोई हों, मृत्यु, अनुवृद्धि एवं अभ्यर्पण दावे सूचना प्राप्त होने पर हिसाब में लिए जाते हैं. उत्तरजीविता लाभ दावे और परिपक्वता दावे देय होने पर हिसाब में लिए जाते हैं. यूनिट सम्बद्ध पॉलिसियों के अंतर्गत आहरण एवं अभ्यर्पण संबंधित स्कीमों में तब हिसाब में लिए जाते हैं जब यूनिटें रद्द हो जाती हैं. दावों पर पुनर्बीमा वसूलियां संबंधित दावों के अनुसार उसी अवधि में हिसाब में ली जाती हैं.

v) अधिग्रहण लागत :

अधिाग्रहण लागत वे लागत हैं जो बीमा संविदाओं के अधिग्रहण के साथ परिवर्तित होती हैं और मूल रूप से उनसे ही संबंधित होती हैं तथा उसी अवधि के व्यय में आती हैं जिसमें ये खर्च की गयी हों.

vi) जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए देयता :

बीमांकिक दायित्व चालू जीवन पॉलिसियों एवं उन पॉलिसियों के लिए लागू होता है जिनके प्रीमियम बंद हो गए हैं परंतु देयता विद्यमान है. इसका निर्धारण स्वीकृत बीमांकिक पद्धति, बीमा अधिनियम 1938 की अपेक्षाएं, इरडा के विनियमों और भारतीय बीमांकिक संस्थान के निबंधनों के अनुसार सकल बीमा विधि का प्रयोग करके और समूह कारोबार के मामले में अनर्जित प्रीमियम विधि का प्रयोग करके नियत बीमांकिक द्वारा किया जाता है.

आस्ति प्रबंधन

i) म्यूचुअल फंड स्कीमों में कंपनी द्वारा किये गये निवेश को कम करने के बाद औसत दैनिक आस्तियों के प्रतिशत के हिसाब से सेवा कर कम कर के निवेश प्रबंधन शुल्क मान्य किया जाता है लेकिन यह सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 तथा बाद की संशोधनों में दी गयी सीमा से अधिक न हो.

ii) ग्राहकों से हुई संविदा की शर्तो के अनुसार निवेश सलाहकार शुल्क उपचय के आधार पर हिसाब में लिये जाते हैं.

iii) ब्याज आय, संव्यवहार के लिये लागू दर के अनुसार समय अनुपात प्रणाली के हिसाब से आय में ली जाती है.

iv) लाभांश आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर हिसाब में ली जाती है.

5. **निवेश :**

i) बैंकिंग विनिमयन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रारुप ए की अपेक्षाओं के अनुरुप निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

ए) सरकारी प्रतिभूतियां

बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

सी) शेयर

डी) ऋणपत्र एवं बांड

ई) अनुषंगी इकाइयां एवं संयुक्त उपक्रम एवं

एफ) अन्य निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन पुन: निम्नलिखित 3 संवर्गों अर्थात्

ए) परिपक्वता तक धारित(एचटीएम),

बी) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और

सी) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) में वर्गीकृत किया गया है.

ii) मूल्यांकन के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं :

ए) i) परिपक्वता तक धारित में निवेश की गई प्रतिभूतियां - अधिग्रहण लागत पर.

अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित है.

ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

iii) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

ऐसे निवेशों के मूल्यांकन में स्थायी ह्रास, यदि कोई है, का प्रावधान कर दिया गया है.

बी) i) बिक्री के लिए उपलब्ध एवं व्यापार के लिए धारित श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिपवार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्ध ह्रास लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जबकि किसी प्रकार की शुद्ध वृद्धि को अनदेखा किया गया है.

ii) प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

i.	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंव डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) द्वारा प्रसारित भावों के अनुसार
ii.	राज्य विकास ऋण केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा गारटीकृत प्रतिभूतियां, पी एस यू बांड .	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एवं डेरिवेटिव एसोसिएशन (एफ आई एम एम डी ए) के अनुसार समुचित परिपक्वता आधार के लाभ पर
iii.	इक्विटी शेयर	यदि उपलब्ध हो तो बाज़ार मूल्य पर अन्यथा अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार बही मूल्य पर, (यदि अद्यतन तुलन-पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं है) .दोनों नहीं होने पर ₹ 1/- प्रति कंपनी के अनुसार

iv.	वरीयता शेयर	यदि उल्लेखित हो तो, बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार समुचित परिपक्वता आधार के लाभ पर लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं
v.	डिबेंचर/बांड्स	बाजार मूल्य पर, यदि उल्लेखित हो, अन्यथा एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार समुचित परिपक्वता आधार के लाभ पर
vi.	म्युचुअल फंड (एमएफ)	स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बताई गई दरों के अनुसार, यदि बताई गई हों. यदि दरें बताई न गई हों तो म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न किया गया हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार.
vii.	राजकोषीय बिल/ वाणिज्यिक पत्र/जमा प्रमाणपत्र	संवहन लागत पर
viii.	जोखिम पूंजी निधियां(वीसीएफ)	घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार विश्लेषित एनएवी पर, जो कि 18 माह से अधिक पुरानी न हो यदि एनएवी/ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से अधिक के उपलब्ध न हो तो रू.1/-प्रति वीसीएफ पर्
ix.	प्रतिभूति रसीदें	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पर्

iii) अंतर बैंक रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेन की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार की गई है.

iv) भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की जाती है :

- विक्रय के लिये उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी से परिपक्वता तक धारित में शिफ्टिंग की तारीख के बाजार मूल्य या बही मूल्य, दोनों में जो भी कम हो पर. यदि कोई मूल्यह्रास हो तो उसका पूरा प्रावधान किया जाता है.

➢ परिपक्वता तक धारित श्रेणी से विक्रय के लिये उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में ,

➢ यदि परिपक्वता तक धारित श्रेणी में प्रतिभूति मूलतः डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत /बही मूल्य पर

- यदि प्रतिभूति मूलतः प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर

इस प्रकार शिफ्ट की गयी प्रतिभूतियों का तुरत पुनर्मूल्यांकन किया जाय और इसके परिणामस्वरूप मूल्य में होने वाली कमी के लिये पूरा प्रावधान किया जाय.

- विक्रय के लिये उपलब्ध से ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर

v) गैर निष्पादक निवेश की पहचान की जाती है और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यह्रास/प्रावधान किया जाता है.

vi) किसी भी श्रेणी के निवेश के विक्रय से होने वाली लाभ/हानि, लाभ और हानि खाते में लिखी जाती है.लेकिन परिपक्वता तक धारित श्रेणी के निवेश के विक्रय से होने वाले लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधक आरक्षित को अंतरित राशि घटाकर) पूंजी आरक्षित खाते में विनियोग की जाती है.

viii) कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि की ब्याज आदि लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की जाती है.

viii) भारिबैं के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक निवेश संव्यवहारों के लेखांकन निपटान तारीख के हिसाब से करता है

डेरिवेटिव संविदा

i) वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करन वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप उपचित आधार पर लगाया गया है. सिवाय उन स्वैप नामित आस्तियों और देयताओं के, जिन्हें लागत अथवा बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो, अथवा बाजार मूल्य पर लिया गया है. स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति या देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.

ii) ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये जाते हैं.

iii) विकल्प संविदाओं के मामले में फेडाई द्वारा समय समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे के बारे में जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

6. अग्रिम :

i) सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों (ए) मानक, (बी) अवमानक, (सी) संदिग्ध तथा (डी) हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा ऐसे अग्रिमों पर हानि के लिए आवश्यक प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार सुनिश्चित किया गया है.

ii) मानक अग्रिमों के कुछ संवर्ग यथा उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ऋण, शैक्षिक ऋण, क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण और अन्य वैयक्तिक ऋणों के लिए की सांविधिक अपेक्षा से 2% अधिक राशि का प्रावधान किया गया है.

iii) अग्रिम की राशि, गैर-निष्पादित आस्तियों से संबंधित प्रावधान तथा विविध खातों में रखे गए अप्राप्त ब्याज / सीजीटीएफ/ईसीजीसी से प्राप्त दावे की राशि कम करके बताई गई है. मानक अग्रिमों पर प्रावधान अन्य देयताएं एवं प्रावधान में किया गया है.

7. अचल आस्तियां और मूल्यह्रास

i) अचल आस्तियां परंपरागत लागत पर उल्लिखित की गई हैं, जब कि भूमि और भवन पुनर्मूल्यांकित रकम पर उल्लिखित है. लागत में क्रय मूल्य से रिबेट और व्यापारिक छूट को घटाने और पात्र उदार लागत और आस्ति को वांछित प्रयोग योग्य बनाने के लिये व्यय की गयी लागत शामिल होती है.

ii) एपलीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम को अमूर्त आस्तियों के रूप में पूंजीकृत किया गया है.

iii) अचल आस्तियों के मूल्यह्रास का प्रावधान ह्रासित शेष प्रणाली के अनुसार प्रबंधन द्वारा उचित समझी गयी निम्नांकित दर पर किया गया

	आस्तियों का प्रकार	मूल्य ह्रास की दर
i)	परिसर	5%
ii)	अन्य अचल आस्तियां - फर्नीचर और फिटिंग्स - इलेक्ट्रिक फिटिंग और उपस्कर, कार्यालय उपकरण, एसडीवी/लॉकर्स/स्ट्रांग रूम आदि - परिवहन वाहन - यू.पी.एस.	 10% 15% 20% 33.33%
iii)	आस्तियों के पुनर्मूल्याकन के परिणामस्वरूप जोड़ी गयी राशि पर	संबंधित आस्ति के आर्थिक अवशिष्ट काल के आधार पर

iv) कम्प्यूटरों एवं सॉफ्टवेयर सिस्टम पर मूल्यह्रास 33.33% की दर से सीधी रेखा प्रणाली के आधार पर लगाया गया है.

v) 30 सितंबर तक आस्तियों के परिवर्द्धन पर मूल्यह्रास पूर्ण दर से और उसके बाद हुए परिवर्द्धन पर आधे दर से लगाया गया है.

vi) भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगा पाने पर परिसर पर मूल्यह्रास संमिश्र लागत पर लगाया गया है.

vii) वर्ष के दौरान बेची/निपटान की गईं आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है.

viii) पट्टे पर ली गयी भूमि का पट्टे की अवधि पर परिशोधन किया गया है.

ix) भारत से बाहर और सहायक कंपनियों / असोसियेटो की अचल आस्तियों पर मुल्य ह्रास, संबंधित देश / उद्योग की नियामक आवश्यकताओं / प्रचलित प्रथाओं के अनुसार लगाया गया है.

8. आस्तियों में क्षति

आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आस्तियों की संवहन लागत की समीक्षा की जाती है. किसी आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य लागत से अधिक होने पर क्षरण हानि मानी जाती है. क्षरण हानि उस समय मानी जाती है जब उस आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो. वसूली योग्य राशि आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य , दोनों में जो भी अधिक हो, होती है. उपयोग मूल्य पता करने के लिये धन के समय मूल्य के लिये मौजूदा बाजार आकलन और आस्ति के जोखिम के अनुसार कर पूर्व बट्टा दर पर भविष्य के अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है. क्षरण के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यह्रास लगाया जाता है. परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार पहले लगायी क्षरण हानि बढ़ जाती है या कम हो जाती है. लेकिन हानि कम होने के बाद संवहन लागत उस लागत से अधिक नहीं होगी, जो क्षरण न होने पर सामान्य मूल्यह्रास लगाने के बाद होती.

9. प्रति चक्रीय प्रावधान बफर

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशौं के अनुसार, प्रति चक्रीय प्रावधान बफर के लिये बैंक के पास अनुमोदित नीति है. प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर प्रावधान की मात्रा तय की जाती है. प्रति चक्रीय प्रावधान का उपयोग नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है.

10. विदेशी विनिमय वाले लेनदेन

विदेशी मुद्रा स्थिति का पुनर्मूल्यांकन तथा इनसे हुई लाभ - हानियों का लेखांकन

i) वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर मौद्रिक आस्तियों एवं देयताओं का पुनर्मूल्यन किया गया है और परिणामी लाभ / हानि को लाभ और हानि खाते में लिया गया है.

ii) आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है.

iii) वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं को वायदा प्रतिबद्धता की तारीख पर विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है.फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और मध्यवर्ती परिपक्वताओं के संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है.

iv) गारंटी, स्वीकरण, परांकन एवं अन्य देयताओं के कारण होने वाली आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शायी गयी है.

v) भारत से बाहर बैंक के प्रतिनिधि कार्यालयों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एकीकृत परिचालन माना गया है.

11. गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन के संबंध में लेखांकन :

अपतटीय बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) एवं विदेशी शाखा का वर्गीकरण गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है.

ए) अपतटीय बैंकिंग इकाई (ओबीयू)एवं विदेशी शाखा

i) आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक एवं गैर -- मौद्रिक दोनों प्रकार की तथा आकस्मिक देयताएं) को फेडाई द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिसूचित बंद दरों पर दर्शाया गया है.

ii) आय एवं व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत बंद दर पर परिवर्तित किया गया है.

iii) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को एक अलग खाते "विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित" में संचित रखा गया है.

बी) विदेशी शाखा

i) **आय पहचान :** आय एवं व्यय की पहचान / लेखांकन संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों के अनुसार किए गए हैं.

ii) **आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि का प्रावधान :** आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि के प्रावधान स्थानीय अपेक्षाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में, जो भी अधिक हो, के अनुसार किए गए हैं.

iii) **अचल आस्तियां और मूल्यह्रास**

ए) अचल आस्तियों का लेखांकन परंपरागत लागत पर किया गया है.

बी) विदेशी शाखा की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों में लागू कानूनों के अनुसार किया गया है.

12 कर्मचारी लाभ :

भविष्य निधि के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ एक परिभाषित अंशदायी स्कीम है. भविष्य निधि अंशदान की राशि, अंशदान देय होने पर उस वर्ष के लाभ-हानि खाते को नामे की जाती है. भविष्य निधि को देय अंशदान के अतिरिक्त बैंक की कोई अन्य जिम्मेदारी नहीं है.

ग्रेच्युटी निधि एवं पेंशन तथा अवकाश के लिये प्रावधान परिभाषित दायित्व हैं और इनके लिये प्रावधान लेखा मानक 15 (संशोधित) के अनुसार बीमांकिक आधार पर वित्तवर्ष के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट के आधार पर किया गया है. वर्ष के दौरान शुद्ध बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ हानि खाते में लेखांकित किया जाता है.

विदेशी कार्यालयों में नियोजित कर्मचारियों के कर्मचारी लाभों का मूल्यांकन और लेखांकन संबंधित स्थानीय कानून/विनियमों के अनुसार किया जाता है.

13. **खंडवार रिपोर्टिंग**

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुसार बैंक कारोबार को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक विस्तार को द्वितीयक (गौड़) कारोबार खंड के रूप में मान्यता देता है.

कारोबार संव्यवहार को (क) ट्रेजरी परिचालन, (ख) कारपोरेट व होलसेल बैंकिंग, (ग) रिटेल बैंकिंग परिचालन और (घ) अन्य बैंकिंग परिचालनों में वर्गीकृत किया गया है.

14. **लीज संव्यवहार**

बैंक द्वारा लीज/किराये पर ली गयी संपत्तियों की लीज की समाप्ति /नवीकरण का विकल्प बैंक के पास होता है. अतिरिक्त किराये/लीज किराये संबंधी विवादों के संबंध में बैंक की देयताओं को समझौते या नवीकरण के समय मान्यता प्रदान की जाती है.

15. **प्रति शेयर अर्जन**

प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की जाती है.

प्रति इक्विटी शेयर कम किये गये अर्जन की गणना के लिये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बढ़ते संभावित शेयरों की संख्या का प्रयोग कर किया जाता है.

16. **कराधान**

चालू एवं आस्थगित दोनों करों के लिए करों का प्रावधान किया जाता है. कर योग्य आय पर वर्तमान कर दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया जाता है. समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू की गयीं कर दरों एवं बनाए जा चुके कर नियमों के अनुसार की गयी है. आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि यह "समुचित निश्चितता" न हो कि ऐसी पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके पेटे ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की उगाही की जाएगी. अनवशोषित मूल्यह्रास और कर-हानियों को अग्रेषित करने की स्थिति में "वास्तविक निश्चितता" उपलब्ध होने पर ही आस्थगित कर आस्तियों का अभिनिर्धारण किया जाता है.

17. **प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां :**

पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप सृजित वर्तमान देयताओं के लिए मापन के लिये ठोस स्तर के प्राक्कलन के आधार पर प्रावधानों का अभिनिर्धारण किया जाता है. यह संभव है कि संसाधनों का बहिर्वाह होगा तथा देयता की रकम का वास्तविक अनुमान किया जा सकेगा. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की न तो पहचान की जाती है न ही उन्हें प्रकट किया जाता है. आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है तथा टिप्पणियों के माध्यम से उन्हें उद्घाटित किया गया है.

18. **शेयर निर्गम व्यय :**

शेयर निर्गम व्यय, शेयर प्रीमियम खाते में नामे लिखे जाते हैं.

अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

1. बैंक (पेरेंट)के वित्तीय विवरणों के साथ जिन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण समेकित किये गये हैं, उनका विवरण इस प्रकार है:

सहायक कंपनियों के नाम	निगमन का देश	31.03.2013 को बैंक (पेरेंट) के स्वामित्व का अनुपात
यूनियन केबीसी असेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि	भारत	51%
यूनियन केबीसी ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि	भारत	51%

2. समेकित वित्तीय विवरण में सम्मिलित संयुक्त उपक्रमों के विवरण इस प्रकार हैं

संयुक्त उपक्रमों के नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनियन दाई इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (गैर-बैंकिंग)	भारत	26%

3. समेकित वित्तीय विवरण में सम्मिलित एसोसिएट के विवरण इस प्रकार हैं:

एसोसिएटों के नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक i) काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक	भारत	35%

4. जिन सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों और एसोसिएटों के वित्तीय विवरण समेकन के लिये उपयोग किये गये हैं, वे उसी अवधि के लिये तैयार किये गये हैं जिस अवधि अर्थात 31.03.2013 के वित्तीय विवरण बैंक (पेरेंट) के हैं.

5 देशी एसोसिएट/सहायक कंपनियों के मामले में, पेरेंट बैंक और एसोसिएट/सहायक कंपनियों द्वारा अपनायी गयी अलग अलग लेखांकन नीतियों के कारण किये जाने वाले समायोजन, एसोसिएट/सहायक कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा के आधार पर किये गये हैं, क्योंकि राशियां बहुत कम हैं.

6. समेकित वित्तीय विवरण, स्टार यूनियन दाई इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि , केबीसी असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. और काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) के 31.03.2013 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किये गये हैं.

7. पेरेंट बैंक के संदर्भ में कुछ मामलों को छोड़कर विदेशी और अन्य बैंकों के साथ शेष की पुष्टि / समाधान सामान्यतया प्राप्त किया गया है. शाखाओं द्वारा रखे जाने वाले केन्द्रीय कार्यालय लेखा का समाधान 31 मार्च 2013 तक पूर्ण किया गया है..

उचंत खाता, विविध जमा, समाशोधन समायोजन, बैंक समाधान विवरण और विभिन्न अंतर-शाखा /कार्यालय खातों में बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का काम जारी है. प्रबंधन के विचार से इनके अंतिम समाधान के लंबित रहने का लेखों पर पड़ने वाला समग्र प्रभाव उल्लेखनीय नही होगा.

8. **आय कर**

पेरेंट बैंक का मानना है कि इसके खातों में किया गया आयकर का प्रावधान पर्याप्त है.

9. **भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार है** :

9.1 **पूंजी**

		31.03.2013	31.03.2012
i)	सीआरएआर (%)	11.44	11.85
ii)	सीआरएआर - टायर I कैपिटल (%)	8.24	8.37
iii)	सीआरएआर - टायर I I कैपिटल (%)	3.20	3.48
iv)	भारत सरकार के शेयर होल्ड़िग का प्रतिशत	57.89	54.35
v)	टायर II पूंजी के द्वारा अर्जित अधीनस्थ ऋण की राशि (₹ करोड़ में)	800.00	शून्य
vi)	आईपीडीआई के द्वारा अर्जित राशि (₹ करोड़ में)	शून्य	शून्य
vii)	अपर टायर II लिखतों के द्वारा अर्जित राशि (₹ करोड़ में)	शून्य	शून्य

9.2 **प्रावधान और आकस्मिक निधियां**

(₹. करोड़ में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
एनपीए के लिये प्रावधान	1555.52	1510.73
निवेश के मूल्य में कमी	197.46	55.03
कर के लिये प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	906.36	938.00
मानक आस्तियों के लिये प्रावधान	220.76	229.74
अन्य प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधान सहित)	544.67	733.12
सकल योग	3424.77	3466.62

9.3 **फ्लोटिंग प्रावधान के ब्यौरे (पेरेंट बैंक)**

(₹. करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12
फ्लोटिंग प्रावधान में आरंभिक शेष	763.00	743.00
लेखा वर्ष के दौरान किया गया फ्लोटिंग प्रावधान	0	20.00
लेखा वर्ष के दौरान निकाली गयी राशि	0	0
फ्लोटिंग प्रावधान में अंतिम शेष	763.00	763.00

10. **लेखा मानक 15 (संशोधित) - कर्मचारी लाभ -2012-13 (पेरेंट बैंक)**

		2012-13		2011-12	
		ग्रैच्युटी	**पेंशन**	**ग्रैच्युटी**	**पेंशन**
i)	**मुख्य बीमांकक पूर्वानुमान का उपयोग**				
	पिछली डिस्काउंट दर	8.50%	9.00%	8.50%	8.50%
	पिछली प्लान आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
	पिछली वेतन वृद्धि	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%
	पिछली एट्रीशन दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
	चालू डिस्काउंट दर	8.50%	8.50%	8.50%	9.00%
	चालू प्लान आस्तियों पर प्रतिलाभ दर	8.00%	8.70%	8.00%	8.00%
	चालू वेतन वृद्धि	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%
	चालू एट्रीशन दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

		2012-13		2011-12	
		ग्रैच्युटी	पेंशन	ग्रैच्युटी	पेंशन
ii)	**लाभ बाध्यताओं में परिवर्तन दर्शानेवाला टेबल** :				
	वर्ष के आरंभ में देयता	990.55	5259.03	894.93	4771.82
	ब्याज लागत	81.85	477.34	74.37	405.27
	चालू सेवा लागत	37.99	193.33	34.47	118.48
	पिछली सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	--	--	--	--
	देयता अंतरण आवक	--	--	--	--
	देयता अंतरण जावक	--	--	--	--
	प्रदत्त लाभ	--	--	--	--
	बीमांकिक (अर्जन) / बाध्यताओं पर हानि	(131.13)	297.10)	(108.86)	(244.85)
	वर्ष के अंत में देयताएं	21.60	358.42	95.64	208.31
		1000.86	5991.02	990.55	5259.03
iii)	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य का टेबल:**				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**861.28**	**4020.00**	**873.05**	**2513.69**
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	**83.50**	**372.28**	**67.89**	**317.60**
	अंशदान	**248.00**	**782**	**30.00**	**1578.71**
	अन्य कंपनी से अंतरण	**--**	**--**	**--**	**--**
	अन्य कंपनी को अंतरण	**--**	**--**	**--**	**--**
	प्रदत्त लाभ	**(131.13)**	**(297.10)**	**(108.86)**	**(244.85)**
	प्लान आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन / (हानि)	**(24.43)**	**(103.10)**	**(0.80)**	**(145.15)**
	वर्ष के अंत में प्लान आस्तियों का उचित मूल्य	**1037.22**	**4774.08**	**861.28**	**4020.00**
	अभिज्ञात किया जाने वाला कुल बीमांकिक अर्जन / (हानि)	**(46.02)**	**(461.51)**	**(96.44)**	**(353.46)**
iv)	**संक्रमणकालीन देयता की पहचान :**				
	प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता	-	-		
	वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	-	-		
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	-	-		
v)	**प्लान आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ :**				
	प्लान आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	**83.50**	**372.28**	**67.89**	**317.60**
	प्लान आस्तियों पर वास्तविक लाभ / (हानि)	**(24.43)**	**(103.10)**	**(0.80)**	**(145.15)**
	प्लान आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	**59.07**	**269.18**	**67.09**	**172.45**
vi)	**तुलन-पत्र में पहचानी गई रकम :**				
	वर्ष के अंत में देयता	**1000.86**	**5991.02**	**990.55**	**5259.03**
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**1037.22**	**4774.08**	**861.28**	**4020.00**
	अंतर	**36.36**	**(1216.94)**	**(129.27)**	**(1239.03)**
	न पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (गैर-वेस्टेड)....	**130.00**	**761.00**	**--**	**1014.17**
	अंतिम शेष	**-**	**-**	**195.00**	**-**
	न पहचानी गई संक्रमण देयता ..... अंतिम शेष	**-**	**-**	**65.73**	**(224.86)**
	तुलन-पत्र में पहचानी गई रकम	**166.36**	**(455.94)**		

		2012-13		2011-12	
		ग्रैच्युटी	पेंशन	ग्रैच्युटी	पेंशन
vii)	**आय विवरण में पहचाने गए व्यय**				
	वर्तमान सेवा लागत	37.99	193.33	34.47	118.48
	ब्याज लागत	81.35	477.34	74.37	405.27
	प्लान आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	(83.50)	(372.28)	(67.89)	(317.60)
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (अनिहित लाभ)	65.00	253.00	65.00	338.00
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	-
	संक्रमण देयता की पहचान	-	-	-	-
	बीमांकिक लाभ या हानि	46.02	461.51	96.44	353.46
	लाभ हानि खाते में पहचाने गए व्यय	147.37	1012.91	202.39	897.61
viii)	**तुलन पत्र समाधान:**				
	प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष तुलन-पत्र में चिन्हित निवल राशि)	(65.73)	225.03	(238.12)	2258.13
	उपर्युक्त अनुसार व्यय	147.37	1012.91	202.39	897.61
	अन्य कंपनियों से अंतरित (शुद्ध)	-	-	-	-
	अन्य कंपनियों को अंतरित (शुद्ध)	-	-	-	-
	नियोक्ता का अंशदान	(248.00)	(782.00)	(30.00)	(1578.71)
	तुलन-पत्र में चिन्हित राशि	(166.36)	455.94	(65.73)	1577.03
ix)	**अन्य विवरण :**				
	ग्रैच्युटी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर पर देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि ₹ 10,00,000.00 या बैंक की स्कीम के अनुसार हो.				
	पेंशन प्रत्येकसेवा वर्ष के लिए वेतन का 1/66, अधिकतम 50%				
	घटना के वर्ष में समायोजित वास्तविक लाभ / हानि.				
	वेतन वृद्धि बैंक द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रैक्टिस के अनुसार है.				
	सदस्यों की संख्या	31783.00	24739.00	30458	26345
	वेतन प्रति माह	109.22	92.37	98.51	89.85
	अगले वर्ष के लिए अंशदान	-	299.28	-	291.11
x)	**आस्तियों का संवर्ग:**				
	भारत सरकार आस्तियां	-	-	-	-
	कार्पोरेट बांड	-	-	-	-
	विशेष जमा योजना	-	-	-	-
	राज्य सरकार	-	-	-	-
	संपत्ति	-	-	-	-
	अन्य	1037.22	4774.08	861.28	4020.00
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	-	-	-	-
	कुल	1037.22	4774.08	861.28	4020.00
xi)	**अनुभव समायोजन**				
	योजनागत देयताएं (लाभ) / हानि	21.60	251.18	95.09	511.13
	योजनागत आस्तियां (हानि) / लाभ	(24.43)	(103.10)	(0.80)	(145.15)

10.1 वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(₹. करोड़ में)

क्र. सं.	अन्य दीर्घकालिक लाभ	राशि
1	पेंशन	1013
2	अवकाश नकदीकरण	31
3	**अवकाश यात्रा रियायत**	**0**
4	बीमारी अवकाश	-37

11 लेखा मानक 17 के अनुसार क्षेत्रवार रिपोर्टिंग

(₹. करोड़ में)

	व्यवसाय के क्षेत्र	31.03.2013 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2012 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
(ए)	**क्षेत्रवार राजस्व**		
1	ट्रेज़री परिचालन	6,872.71	**5,721.77**
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	9,183.12	**7,385.62**
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	11,411.10	**10,090.86**
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	322.43	**278.41**
5	गैर निर्धारित	359.84	**-3.89**
	योग	**28,149.20**	**23,472.77**
	अंतर क्षेत्र राजस्व घटाकर	**112.63**	**0**
	कुल राजस्व	**28,036.57**	**23,472.77**
(बी)	**क्षेत्रवार परिणाम**		
1	ट्रेज़री परिचालन	924.60	**945.53**
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	1,598.64	**951.79**
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	362.75	**657.15**
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	178.30	**158.28**
5	गैर निर्धारित	-26.78	**-15.13**
	योग	**3,037.51**	**2,697.62**
(सी)	आयकर	906.36	**925.62**
(डी)	**शुद्ध लाभ**	**2,131.93**	**1,772.01**
(ई)	**क्षेत्रवार आस्तियां**		
1	ट्रेज़री परिचालन	99,496.80	**78,153.45**
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	71,773.92	**59,933.71**
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	137,558.28	**120,949.52**
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	0	**-**
5	गैर निर्धारित	4,082.92	**3,988.01**
	योग	**312,911.92**	**263,024.69**
(एफ)	**क्षेत्रवार देयताएं**		
1	ट्रेज़री परिचालन	93,942.35	**73,837.56**
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	68,096.84	**56,877.45**
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	130,510.96	**114,781.83**
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
5	गैर निर्धारित	3,065.58	**2,894.79**
6	पूंजी, निधियां एवंअधिशेष	17,296.19	**14,633.06**
	योग	**312,911.92**	**263,024.69**

I) बैंक चार क्षेत्रों यथा ट्रेजंरी, फुटकर, गैर-फुटकर एवं सहायक बैंकिंग सेवाओं में परिचालन करता है. उत्पादों और सेवाओं की जोखिम प्रोफाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, क्षेत्रवार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक 17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गयी है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. लेखामानक 17 में विदेशी शाखा की इस अवधि की आय और अन्य पैरामीटर , लेखा मानक 17 में बतायी गयी सीमा के अंतर्गत है अत: बैंक का रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है.

II) सीधे तौर पर आवंटित न किये जा सकने योग्य आय, व्यय, आस्तियां और देयताएं उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किये जाने वाले क्षेत्रों में आवंटित कर दिये गये हैं.

III) दो गैर बैंकिंग सहायक कंपनियों और एक संयुक्त उपक्रम की सूचनाएं अनावंटित खंड में सम्मिलित की गयी हैं . लेखा मानक -17 के अनुसार ये खंड रिपोर्ट करने योग्य नहीं है.

12 लेखा मानक 18 - संबंधित पार्टियों का प्रकटन (पेरेंट बैंक)

12.1 संबंधित पार्टियों की सूची :

(क) लेखा मानक 18 के अनुसार बैंक ने संबंधित पार्टी प्रकटन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रमुख प्रबंधन अधिकारी के रुप में चिन्हित किया है:

i. श्री डी सरकार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

i.. श्री एस. एस. मूंदड़ा, कार्यपालक निदेशक (21.01.2013 तक)

iii.. श्री एस. के. जैन, कार्यपालक निदेशक

iv श्री के सुब्रमण्यम , कार्यपालक निदेशक (21.01.2013 से)

(ख) अनुषंगी :

यूनियन केबीसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.

यूनियन केबीसी ट्रस्टी कं. प्रा. लि.

(ग) संयुक्त उपक्रम :

स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.

(घ) एसोसिएट :

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात् काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक .

एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यथा रीवा सीधी ग्रामीण बैंक, जो हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित था वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के दि.1 नवंबर, 2012 की अधिसूचना के निबंधनाधीन, मध्यानचल ग्रामीण बैंक (भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित) में समामेलित हो गया.

12.2 संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन :

(₹. करोड़ में)

मदें / संबंधित पार्टियां	एसोसिएट / संयुक्त उपक्रम		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार		योग	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
जमाराशियां	3720.52	2590.64		-		-	3720.52	2590.64
प्रदत्त ब्याज	306.03	211.26		-		-	306.03	211.26
बीमा कमीशन	21.84	19.77		-		-	21.84	19.77
विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	8.41	7.17		-		-	8.41	7.17
बैठक शुल्क	0.04	0.04		-		-	0.04	0.04
अन्य व्यय/खरीद	0.00	0.13		-		-	0.00	0.13
बैंक प्रभार	0.02	0.15		-		-	0.02	0.15
बीमा प्रीमियम	26.64	25.46		-		-	26.64	25.46
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी बांड	26.70	0.00					26.70	0.00
शाश्वत बांड पर ब्याज	2.46	0.13		-		-	2.46	0.13
दलाली भुगतान	0.83	1.38		-		-	0.83	1.38
वितरण प्रोत्साहन भुगतान	1.00	0.36		-		-	1.00	0.36
कर्मचारी व्यय प्रतिपूर्ति	0.11	0.19		-		-	0.11	0.19
किराये और रखरखाव व्यय की प्रतिपूर्ति	0.11	0.08		-		-	0.11	0.08

12.3 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

(₹. करोड़ में)

	2012-13	2011-12
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	#0.22	#0.22
कार्यपालक निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	#0.38	#0.35
योग	0.60	0.57

पिछले वर्ष के दौरान बैंक द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशक को भुगतान की गई ₹ 6.00 लाख एवं ₹ 8.00 लाख की कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि शामिल है.

13 लेखा मानक 20 - प्रति शेयर अर्जन

बैंक ने लेखामानक 20 के अनुसार "प्रति इक्विटी शेयर" के अनुसार मूल प्रति शेयर अर्जन की रिपोर्ट की है. प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है.

			31.03.2013	31.03.2012
I	मूल एवं डाइल्यूटेड ईपीएस	₹	38.44	33.79
ii	इक्विटी शेयर धारकों को कर के बाद उपलब्ध निवल लाभ (₹ करोड़ में)	₹ करोड़ में	2121.71	1772.01
iii	इक्विटी शेयरों की औसत संख्या (संख्या करोड़ में)	संख्या	55.19	52.448
iv	प्रति शेयर नामिनल मूल्य	₹	10.00	10.00

14 लेखा मानक 22 - आय पर कर की गणना :

बैंक ने लेखाबंदी मानक ए एस 22 (आय पर कर की गणना) के अनुपालन में आय पर कर की गणना की है. तदनुसार, 31.03.2011 को आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है. 31.03.2012 को आस्थगित कर आस्ति और आस्थगित कर देयता के घटकों पर कर प्रभाव निम्न प्रकार हैं:

(₹. करोड़ में)

		31.03.2013	31.03.2012
	आस्थगित कर आस्ति		
1	निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन	237.10	210.48
2	कर्मचारी लाभ	261.54	130.77
3	अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास	18.11	4.45
4	अवकाश नकदीकरण	19.47	8.76
	योग	536.21	354.46
	आस्थगित कर देयता		
1	प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	81.92	17.85
2	अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	28.88	31.97
3	प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज	457.11	326.33
	योग	567.90	376.15
	शुद्ध आस्थगित कर देयता	**31.69**	**21.69**
	शुद्ध आस्थगित कर आस्ति		-

15. पिछले वर्ष के आंकड़े यथावश्यक रुप से पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं.

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरकर्ता

(ए एस पारीख) सहायक महा प्रबंधक	**(मयंक मेहता)** महा प्रबंधक

(के. सुब्रमण्यम) कार्यपालक निदेशक	**(एस. के. जैन)** कार्यपालक निदेशक	**(डी. सरकार)** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डा ए. भट्टाचार्या) निदेशक	**(चंदन सिन्हा)** निदेशक	**(एस के मिश्र)** निदेशक
(बी.एन.भट्टाचार्जी) निदेशक	**(एन. शंकर)** निदेशक	**(डा. अतुल अग्रवाल)** निदेशक
(डी चटर्जी) निदेशक	**(जी के लाठ)** निदेशक	**(डा. आर एच ढोलकिया)** निदेशक
(श्रीमती अनुसुइया शर्मा) निदेशक		

कृते जी.एस.माथुर एंड क़. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म पंजी.क्र008744एन	**कृते प्राइस पैट एंड कं.** चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म पंजी.क्र.002783एस	**कृते सिंगरोदिया गोयल एंड कं.** चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म पंजी.क्र. 112081 डब्ल्यू
(राजीव कुमार वाधवान) भागीदार(एम.नं. 091007)	**(एस.बालासुब्रमणियन)** भागीदार(एम.नं25413)	**(के.वी.एस श्याम सुंदर)** भागीदार(एम.नं. 015747)
कृते जिंदल एंड कं. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म पंजी.क्र.000844एन	**कृते शाह गुप्ता एंड कं.** चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म पंजी.क्र. 109574 डब्ल्यू	**कृते वी. रोहतगी एंड कं.** चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म पंजी.क्र.000980सी
(अखिल जिंदल) भागीदार(एम.नं. 090515)	**(विपुल के. चोकसी)** भागीदार(एम.नं. 037606)	**(वंदना रस्तोगी)** भागीदार(एम.नं. 086956)

मुंबई,
दिनांक :09.05.2013

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (समेकित)

(₹ लाख में)

क्र सं	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2013	समाप्त वर्ष 31.03.2012
ए	परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह	18,105	(382,367)
बी	निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह	(33,066)	(23,526)
सी	वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह	65,697	(37,006)
		50,736	**(442,899)**
डी	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	1,570,384	2,013,283
ई	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	1,621,120	1,570,384
एफ	वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (ए+बी+सी) या (ई-डी)	**50,736**	**(442,899)**
	ब्रेकअप विवरण		
ए	**परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह**		
	वर्ष के दौरान अग्रिम, ब्याज आदि से प्राप्त ब्याज	2,501,547	2,070,761
	अन्य आय	286,974	231,697
घटाएं	जमाराशि, उधारों आदि पर दिया गया ब्याज (गौण ऋण को छोड़कर)	(1,695,502)	(1,360,782)
	परिचालन व्यय तथा प्रावधान और आस्मिकताएं	(833,004)	(748,289)
जोड़ें	मूल्य ह्रास के लिये समायोजन	15,550	14,645
I.	परिचालन से प्राप्त नकद लाभ	**275,565**	**208,032**
II.	आस्तियों/देयताओं के परिचालन से नकदी प्रवाह		
	{देयताओं में वृद्धि (कमी)		
	जमाराशियां	4,090,504	2,031,523
	उधार	528,779	459,351
	आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के लिये समायोजन	1,041	(1,238)
	अन्य देयताएं आदि (पूर्व के सालों में किये अधिक प्रावधानों के पुनर्लेखन सहित)	30,137	(5,155)
	आस्तियों में कमी/(वृद्धि)		
	अग्रिम	(3,022,034)	(2,689,601)
	निवेश	(1,870,451)	(470,467)
	अन्य	(15,436)	85,188
	परिचालन आसितयों और देयताओं से नकदी प्रवाह	**(257,460)**	**(590,399)**
	परिचालन कार्यों शुद्ध नकदी प्रवाह (I+II)	**18,105**	**(382,367)**
बी	**निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह**		
	अचल आस्तियों का विक्रय/निपटान	4,255	4,564
	अचल आस्तियों की खरीद	(37,321)	(28,090)
	निवेश कार्यों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(33,066)**	**(23,526)**
सी	वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह		
	लाभांश 2011-12	(44,044)	
	लाभांश कर 2011-12	(7,238)	
	लाभांश 2010-11		(41,947)
	लाभांश कर 2010-11		(6,859)
	गौण ऋण टियर II पूंजी के आगम	60,000	-
	टियर IIपूंजी पर ब्याज	(53,216)	(52,715)
	अधीनस्थ अपर टियर II पूंजी		-
	शाश्वत बांड	(39)	-
	पीएनसीपीएस पर ब्याज	(1,055)	(515)
	पीएनसीपीएस	-	-
	भारत सरकार / भारतीय जीवन बीमा निगम से अंश पूंजी	111,289	65,030
	वित्तपोषण कार्यों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**65,697**	**(37,006)**

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (समेकित)

(₹ लाख में)

क्र सं	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2013	समाप्त वर्ष 31.03.2012
डी	**वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष**		
	नकदी और रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1,163,369	1,764,484
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	407,015	248,799
	शुद्ध नकद और नकदी समकक्ष	**1,570,384**	**2,013,283**
ई	**वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष**		
	नकदी और रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1,076,322	1,163,369
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	544,798	407,015
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद और नकद समकक्ष	**1,621,120**	**1,570,384**

(के. सुब्रमण्यम)
कार्यपालक निदेशक

(एस. के.जैन)
कार्यपालक निदेशक

(डी सरकार)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

हम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिये बैंक के उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है. यह विवरण स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग करार के खंड 32 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को दिनांक 9 मई 2013 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुरूप है.

कृते जी.एस.माथुर एंड क़.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र008744एन

(राजीव कुमार वाधवान)
भागीदार(एम.नं. 091007)

कृते प्राइस पैट एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र.002783एस

(एस.बालासुब्रमणियन)
भागीदार(एम.नं25413)

कृते सिंगरोदिया गोयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र. 112081 डब्ल्यू

(के.वी.एस श्याम सुंदर)
भागीदार(एम.नं. 015747)

कृते जिंदल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र.000844एन

(अखिल जिंदल)
भागीदार(एम.नं. 090515)

कृते शाह गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र. 109574 डब्ल्यू

(विपुल के. चोकसी)
भागीदार(एम.नं. 037606)

कृते वी. रोहतगी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजी.क्र.000980सी

(वंदना रस्तोगी)
भागीदार(एम.नं. 086956)

मुंबई,

दिनांक :09.05.2013

जोखिम प्रबंधन

नये पूंजी पर्याप्तता संरचना दिशानिर्देश के अंतर्गत प्रकटन

बासल II (स्तंभ 3)मार्च 2013

इस रिपोर्ट के प्रकटन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्णत:) से संबंधित हैं. बैंक का जोखिम भारित आस्तियों के सापेक्ष पूंजी अनुपात (सीआरएआर) निम्नानुसार है :

सीआरएआर %	11.45%
सीआरएआर-टियर 1 पूंजी%	8.23%
सीआरएआर - टियर 2 पूंजी %	3.22%

तालिका डीएफ-1

1. प्रयुक्ति की परिधि

गुणात्मक प्रकटन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है.सहायक कारोबार के रूप में यूनियन केबीसी असेट मैनेजमेंट कंपनी में 51% हिस्सेदारी है. कंपनी ने तरलता, इक्विटी और ऋण निधि के अंतर्गत नौ योजनाएं प्रारंभ की हैं.

बैंक ने 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक, वाराणसी प्रायोजित किया हैं. इन आरआरबी में बैंक ने ₹ 15.96 करोड़ का निवेश किया है. यह आरआरबी लाभ कमा रही हैं और संतोषजनक ढंग से कार्यरत हैं. इस आरआरबी में कोई भी पूंजी अभाव नहीं है. इस आरआरबी के वित्तीय आंकड़ों को बैंक के तुलन पत्र में समाहित नहीं किया गया है.

मात्रात्मक प्रकटन

बैंक ने बीमा के लिए संयुक्त उपक्रम करार किया है, जिसकी जानकारी नीचे दी गयी है तथा इस संयुक्त उपक्रम में किए गए निवेश को बैंक की पूंजी निधि में से घटाया नहीं गया है; किंतु जोखिम भारित निवेश के तौर पर लिया गया है, क्योंकि यह निवेश कंपनी की चुकता पूंजी के 30% से कम है.

- स्टार यूनियन दाइ-इची (एसयूडी) जीवन बीमा कंपनी, चुकता पूंजी में 26% अंशदान के साथ (बैंक ऑफ इंडिया 48% तथा दाइ-इची म्यूचुअल जीवन बीमा, जापान - 26%).

स्टार यूनियन दाइ-इची (एसयूडी) जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड का ब्यौरा

कंपनी का नाम :	**स्टार यूनियन दाइ-इची (एसयूडी) जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड**
समामेलन का देश :	भारत
स्वामित्व हित का अनुपात :	26%
वोट देने की शक्ति का अनुपात :	25% (अर्थात 2 वोट)
एसयूडी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड की अधिकृत पूंजी	₹ 250.00 करोड़
चुकता पूंजी :	₹ 250.00 करोड़
चुकता पूंजी में यूनियन बैंक का हिस्सा (26%) :	₹ 65 करोड़

बैंक ने म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए भी यूनियन केबीसी असेट मैनेजमेंट कं.बेल्जियम के साथ संयुक्त उपक्रम करार किया है. इस कंपनी में निवेश की गयी राशि पूंजी निधि से (टियर I से 50% और टियर 2 से 50%) घटा दी गयी है चूंकि निवेश की राशि कंपनी की चुकता पूंजी के 30 प्रतिशत से अधिक है.

इसके अंतर्गत एक संपदा प्रबंधन कंपनी और एक ट्रस्टी कंपनी का गठन किया गया है. इन कंपनियों के विवरण इस प्रकार हैं :

यूनियन केबीसी असेट प्रबंधन कंपनी प्रा. लि.के ब्यौरे

कंपनी का नाम :	**यूनियन केबीसी असेट प्रबंधन कं प्रा लि**
समामेलन का देश :	भारत
स्वामित्व हित का अनुपात :	51%
वोट देने की शक्ति का अनुपात :	50% (अर्थात 2 वोट)
यूनियन केबीसी असेट प्रबंधन कं प्रा लि की अधिकृत पूंजी	₹ 100.00 करोड़
चुकता पूंजी :	₹ 95.00 करोड़
चुकता पूंजी में यूनियन बैंक का हिस्सा (51%) :	₹ 48.45 करोड़

यूनियन केबीसी ट्रस्टी कंपनी प्रा लि के ब्यौरे

कंपनी का नाम :	**यूनियन केबीसी ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड**
समामेलन का देश :	भारत
स्वामित्व हित का अनुपात :	51%
वोट देने की शक्ति का अनुपात :	50% (अर्थात 1 वोट)
यूनियन केबीसी ट्रस्टी कंपनी प्रा.लिमिटेड की अधिकृत पूंजी	₹ 5 लाख
यूनियन केबीसी ट्रस्टी कंपनी प्रा.लिमिटेड की चुकता पूंजी	₹ 5 लाख
चुकता पूंजी में यूनियन बैंक का हिस्सा (51%) :	₹ 2.55 लाख

तालिका डीएफ-2

2. पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटन

2.1 **अंश पूंजी:**

2.1.1. बैंक की अधिकृत अंश पूंजी ₹ 3000.00 करोड़ है. 31 मार्च 2013 को बैंक की निर्गमित, अभिदत्त एवं चुकता पूंजी ₹ 596.79 करोड़ थी, जिसमें शामिल प्रत्येक रू.10/- मूल्य वाले शेयरों की संख्या 59,67,94,209 है. 57.89% शेयरधारिता, जिसमें दिनांक 31.03.2013 को शामिल शेयरों की संख्या 34,54,59,689 है, भारत सरकार के पास है. वर्ष के दौरान, बैंक को भारत सरकार से, ₹ 10/- अंकित मूल्य के 4,62,45,174 शेयर वरीयता आधार पर, ₹ 230.89 के प्रीमियम पर जारी करके सकल ₹ 1114.00 करोड़ की पूंजी प्राप्त हुई है. परिणाम स्वरुप भारत सरकार की शेयरधारिता 54.35% से बढ़कर 57.89% हो गई है. बैंक के शेयर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं.

2.2 ऋण पूंजी लिखत :

2.2.1. बैंक ने नमोन्वेषी शाश्वत बांड (टियर 1 पूंजी) तथा टियर 2 पूंजी में शामिल किए जाने हेतु पात्र अन्य बांड भी जारी किए हैं. बांडों की कुछ महत्वपूर्ण शर्तें इस प्रकार हैं:

ए. वचन पत्र के रूप में शाश्वत गैर-जमानती अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बांड (टियर 1 बांड)

श्रेणी	आबंटन की तिथि	बांड की रकम (करोड़ ₹ में)	कूपन दर	अवधि	कॉल ऑप्शन	पुट ऑप्शन
X - प्रथम ट्रांस	10.10.2006	300	10 वर्ष तक 9.45 10वें वर्ष से स्टेप अप 9.95, यदि काल ऑप्शन का प्रयोग न किया गया हो.	शाश्वत	10 वे वर्ष के अंत में	कोई नहीं
XI-अपर टियर प्रथम ट्रांस	12.12.2007	200	10 वर्ष तक 9.90 10वें वर्ष से स्टेप अप 10.40, यदि काल ऑप्शन का प्रयोग न किया गया हो.	शाश्वत	10 वे वर्ष के अंत में	कोई नहीं
XII	09.09.2008	200	10 वर्ष तक 11.15% 10वें वर्ष से स्टेप अप 11.65%, यदि काल ऑप्शन का प्रयोग न किया गया हो.	शाश्वत	10 वे वर्ष के अंत में	कोई नहीं
XII	30.03.2009	140	10 वर्ष तक 9.10% 10वें वर्ष से स्टेप अप 9.60%, यदि काल ऑप्शन का प्रयोग न हो.	शाश्वत	10 वे वर्ष के अंत में	कोई नहीं
XIV-A	16.06.2009	200	10 वर्ष तक 8.85% 10वें वर्ष से स्टेप अप 9.35%, यदि काल ऑप्शन का प्रयोग न हो.	शाश्वत	10 वे वर्ष के अंत में	कोई नहीं
कुल		**1040**				

बी. वचन पत्र के रूप में गैर-जमानती, शोध्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बांड (अपर टियर 2 बांड) 10वें वर्ष की समाप्ति पर कॉल ऑप्शन के साथ

श्रेणी	आबंटन की तिथि	बांड की रकम (करोड़ ₹ में)	कूपन दर(प्र.व)	परिपक्वता	कॉल ऑप्शन	पुट ऑप्शन
X - द्वितीय ट्रांस अपर टीयर 2	16.10.2006	750	08.95% 10वें वर्ष से स्टेप अप 09.45%, यदि काल ऑप्शन का प्रयोग न हो.	16.10.2021	10 वे वर्ष के अंत में	कोई नहीं
XIV-B - अपर टीयर 2	25.06.2009	500	08.65% 10 वर्ष तक 10वें वर्ष से स्टेप अप 09.15%, यदि काल ऑप्शन का प्रयोग न हो.	25.06.2024	10 वे वर्ष के अंत में	कोई नहीं
XIV-C - अपर टीयर 2	27.01.2010	500	08.55% 10 वर्ष तक 10वें वर्ष से स्टेप अप 09.05%, यदि काल ऑप्शन का प्रयोग न हो.	27.01.2025	10 वे वर्ष के अंत में	कोई नहीं
XV-A - अपर टीयर 2	28.06.2010	500	08.48% 10 वर्ष तक 10वें वर्ष से स्टेप अप 8.98%, यदि काल ऑप्शन का प्रयोग न हो.	28.06.2025	10 वे वर्ष के अंत में	कोई नहीं
योग		**2250.00**				

सी. वचन पत्र के रूप में गैर-जमानती, शोध्य, अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बांड (टीयर 2 बांड)

श्रेणी	आबंटन की तिथि	बांड की रकम (करोड़ ₹ में)	कूपन दर	परिपक्वता	कॉल ऑप्शन	पुट ऑप्शन
VI	03.09.2003	250	5.95%	03.05.2013	कोई नहीं	कोई नहीं
VII	08.02.2005	450	7.15%	08.05.2015	कोई नहीं	कोई नहीं
VIII	23.09.2005	600	7.45%	23.04.2015	कोई नहीं	कोई नहीं
IX	19.05.2006	200	8.33%	19.05.2016	कोई नहीं	कोई नहीं
XI- प्रथम ट्रांस	12.12.2007	400	9.35%	12.04.2018	कोई नहीं	कोई नहीं
XII	17.09.2008	400	10.95%	17.09.2018	कोई नहीं	कोई नहीं
XII	23.12.2008	200	9.50%	23.12.2018	कोई नहीं	कोई नहीं
XII	30.12.2008	200	8.60%	30.12.2018	कोई नहीं	कोई नहीं
XVI-बी	28.12.2012	800	8.90%	28.12.2022	कोई नहीं	कोई नहीं
कुल		**3500**				

डी. कुल सक्रिय बांड

(₹ करोड़ में)

कुल सक्रिय बांड (ए+बी+सी)	**6790**

मात्रात्मक प्रकटन

2.3 बैंक की टियर 1 पूंजी में शामिल है : (₹ करोड़ में)

i)	चुकता अंश पूंजी	707.79
ii)	आरक्षित पूंजी (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित पूंजी को छोड़कर)	15092.63
iii)	नवोन्वेषी शाश्वत बांड	1040.00
iv)	अन्य पूंजी लिखत	--
कटौतियाँ		
v)	अनुषंगियों में निवेशित अंश (50%)	7.98
vi)	सब्सिडियरी में इक्विटी निवेश (50%)	24.24
vii)	अमूर्त आस्तियाँ (आस्थगित कर आस्तियाँ + कंप्यूटर सॉफ्टवेयर.	22.96
टियर 1 पूंजी (i + ii + iii + iv - v - vi-vii)		16785.24

2.4 टियर 2 पूंजी (कटौतियों के बाद) की राशि ₹ 6555.61 करोड़ है.

2.4.1. अपर टियर 2 पूंजी में शामिल किये जाने हेतु पात्र ऋण पूंजी:

(₹ करोड़ में)

कुल बकाया रकम	2250
जिसमें से चालू वर्ष के दौरान प्राप्त की गई रकम	----
पूंजी कोष के रुप मे चिह्नित पात्र रकम	2250

2.4.2. लोअर टियर 2 पूंजी में शामिल किये जाने हेतु पात्र अधीनस्थ ऋण:

(रू. करोड़ में)

कुल बकाया रकम	3500
जिसमें से चालू वर्ष के दौरान प्राप्त की गई रकम	800
पूंजी कोष के रुप मे चिह्नित पात्र रकम	2540

2.5 पूंजी में अन्य कोई कटौती नहीं है.

2.6 कुल पात्र पूंजी में शामिल हैं :

(₹ करोड़ में)

टियर I पूंजी	16785.24
टियर II पूंजी	6555.61
कुल पूंजी निधियां	23340.85

तालिका डीएफ-3

3. पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटन

3.1. बैंक अंशधारकों, खासकर जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु अनावृत, कारोबार आदि के मूल्य में हानि की जोखिम से सुरक्षा के रूप में पूंजी रखता है.

3.2. वर्तमान एवं भावी कारोबार कार्यकलापों के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए बैंक में उचित प्रणाली कार्यरत है तथा निरंतर उसका अनुश्रवण किया जाता है. बैंक का मानना है कि पूंजी उपलब्धता संपूर्ण प्रक्रिया का केंद्रीय विषय है और इसकी गणना को नीति, रणनीति, कारोबार स्तर / संघटन, पर्यवेक्षी सरोकार एवं प्रकटन मुद्दों से जोड़ा जा सकता है. इस दिशा में बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइ-सीएएपी) का एक अच्छा ढांचा तैयार किया है तथा स्तंभ 1 पूंजी गणना के अलावा बासल-II के स्तंभ 2 के अंतर्गत भी आवधिक अंतराल पर पूंजी गणना की जाती है. बैंक ने पूंजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों के प्रभाव को आवधिक आधार पर मापने के लिए दबाव जांच नीति बनायी है.

3.2.1 रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक ने नये पूंजी पर्याप्तता ढांचा - बासल-II को लागू करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को अपनाया है :

- ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत अवधारणा
- परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल सूचक अवधारणा
- बाजार जोखिम के लिए मानक अवधि अवधारणा

3.2.2 बैंक ने पूंजी आवश्यकताओं एवं तिमाही आधार पर उसकी समीक्षा करने की योजना बनाई है. बैंक ने 2013 तक पूंजी का मूल्यांकन किया है.

मात्रात्मक प्रकटन

3.2.3 दिनांक 31 मार्च, 2013 को ऋण, बाजार एवं परिचालन जोखिम और पूंजी पर्याप्तता अनुपात का सारांश इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

ए.	ऋण जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता	
-	मानक दृष्टिकोण के अध्यधीन संविभाग @ 9%	16203.06
-	प्रतिभूतिकरण निवेश	0
बी.	बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता	
-	मानक अवधि दृष्टिकोण	629.57
-	ब्याज दर जोखिम	12.15
-	विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	350.42
-	ईक्विटी जोखिम	
सी.	परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकताएं	
-	मूल संकेतक दृष्टिकोण (आरडब्ल्यूए - 12868 करोड़ @ 9%)	1158.12
डी.	बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)	11.45%
ई.	टियर 1 सीआरएआर (%)	8.23%

सामान्य गुणात्मक प्रकटन

3.3 जोखिम प्रबंधन : उद्देश्य एवं संगठनात्मक संरचना

बैंक के पास एक विश्वसनीय एवं व्यापक जोखिम प्रबंधन संरचना है और बैंक ने जोखिम प्रबंधन कार्यों को मजबूत बनाने के लिए कई पहल की हैं. बैंक जोखिम प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण रखता है. जोखिम प्रबंधन नीतियां कारोबार की आवश्यकताओं के अनुरूप और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं. जोखिम प्रबंधन सिस्टम में विभिन्न प्रकार के जोखिम आते हैं, जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम.

बैंक ने अपनी हांगकांग एवं दुबई शाखा के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित देश-विशेष जोखिम नीति भी बनाई है और यह हांगकांग एवं दुबई की अर्थव्यवस्था के जोखिम आयामों एवं बैंक की जोखिम क्षमता के आधार पर तैयार की गई है.

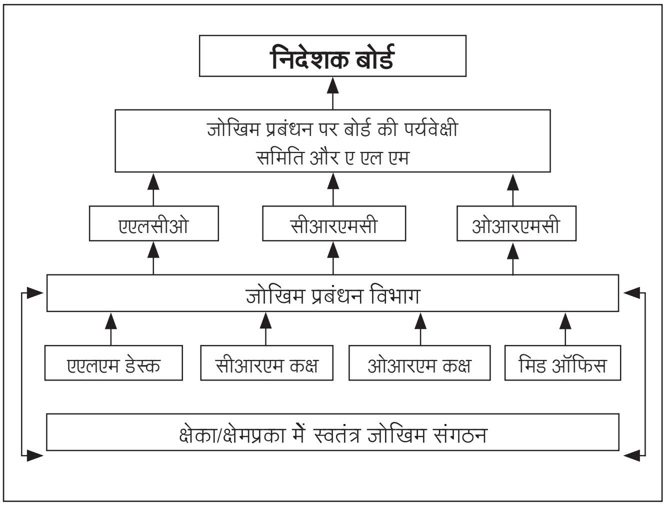

बैंक का निदेशक बोर्ड बैंक के जोखिम प्रबंधन कार्यों का पर्यवेक्षण करता है. जोखिम प्रबंधन पर बैंक के निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति विभिन्न जोखिम प्रबंधन कार्यों का निरीक्षण करने के लिए शीर्ष निकाय/ समिति है. बैंक के शीर्ष कार्यपालकों की अलग समितियां भी हैं, यथा ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, आस्ति एवं देयता समिति (आल्को) और परिचालन जोखिम समिति जो क्रमशः ऋण, बाजार एवं परिचालन जोखिम की देख-रेख करती हैं. इसके अतिरिक्त, बैंक की जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक संरचना न केवल केन्द्रीय कार्यालय में अपितु क्षेत्रीय कार्यालयों/ क्षेत्र महा प्रबंधक कार्यालयों में भी है. बैंक की व्यापक जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक संरचना नीचे प्रस्तुत की गई है :

3.3.1. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम प्रशासन

- ऋण जोखिम में ब्याज एवं किस्तों का भुगतान देय तिथि पर न करने के कारण उधारकर्ता या काउंटर-पार्टी का अपनी वचनबद्धताओं का आदरण करने की अक्षमता शामिल है.
- बैंक उधार एवं निवेश कार्यों के जरिये ऋण जोखिम उठाता है.
- बैंक के पास सुनिर्धारित ऋण नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, रीयल एस्टेट नीति और ऋण जोखिम शमन (सीआरएम) तकनीकें एवं सम्पार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन नीति हैं, जिनमें ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के सम्पूर्ण कार्य शामिल हैं. ऋण नीति एवं ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में लक्ष्य-बाजार, जोखिम स्वीकरण/ अस्वीकरण, जोखिम संयम, विविधीकरण एवं संकेन्द्रन के वरीयता प्राप्त स्तर, ऋण जोखिम मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं नियंत्रण तंत्र के बारे में दिया गया है.
- बैंक के पास ऋण जोखिम का प्रबंधन करने के लिए निरीक्षण तंत्र सहित एक उपयुक्त एवं स्वतंत्र संगठनात्मक संरचना है, जिसमें शीर्ष कार्यपालकों की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) और ऋण जोखिम पर्यवेक्षण के लिए एक अलग जोखिम प्रबंधन विभाग भी है. इसके अलावा, एक अलग बोर्ड स्तरीय समिति अर्थात् जोखिम प्रबंधन एवं एएलएम की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करने के लिए बोर्ड की पर्यवेक्षी समिति है.
- ऋण जोखिम प्रबंधन समिति ,ऋण नीति, पद्धतियों से संबंधित मामले देखती है और बैंक-व्यापी आधार पर ऋण जोखिम के लिए नियंत्रण के उपाय करती है.

ऋण मंजूरी प्रक्रिया

- बैंक की ऋण नीति में ऋण मंजूरी प्रक्रिया पर विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल है :
  - महत्वपूर्ण और गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र
  - ड्यू डिलीजेंस मानदंड
  - केवाइसी मानदंड
  - वित्त मूल्यांकन की विधियां
  - न्यूनतम ऋण मानक
  - टेक ओवर कोड मानदंड आदि

ऋण अनुश्रवण प्रणाली :

- ऋण अनुश्रवण एक सतत प्रकिया है. बैंक के पास ऋण अनुश्रवण की एक अलग नीति है, जिसमें निम्नलिखित पर दिशानिर्देश दिए गए हैं :
  - ईएएस/ एसएमए खातों की पहचान और समय पर कार्रवाई शुरु करने के लिए प्रेरक बिन्दु
  - ऋण की गुणवत्ता के आधार पर उधार खातों की समीक्षा की समयावधि. न्यून क्रेडिट रेटिंग वाले उधारकर्ता बार-बार (आवर्ती) समीक्षा के अध्यधीन हैं.
  - आवधिक अनुश्रवण रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण
  - अनुश्रवण के लिए विभिन्न चरणबद्ध स्तर.

क्रेडिट रेटिंग ढांचा (फ्रेमवर्क)

- बैंक के पास ऋण प्रशासन एवं अनुमोदन प्रक्रिया के लागू होने वाले आंतरिक क्रेडिट रेटिंग/ स्कोरिंग मॉडल्स हैं. क्रेडिट रेटिंग ढांचा परिमाणात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं का संयोग है. क्रेडिट रेटिंग ऋण की गुणवत्ता का चित्रण करती है और चूक की संभावना की भविष्यवाणी करती है.
- क्रेडिट रेटिंग मॉडल्स उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग, गैर-एसएलआर निवेश, अन्तर बैंक एक्सपोजर और एनबीएफसी में एक्सपोजर निवेश के लिए बनाये गये हैं.
- क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स खुदरा ऋण स्कीमों के लिए बनाये गये हैं.
- क्रेडिट रेटिंग का कार्य स्वतंत्रतापूर्वक किया जाता है और क्रेडिट रेटिंग की समीक्षा वार्षिक रुप से की जाती है तथा उच्च जोखिम के ऋणों के लिए छमाही में की जाती है.
- मानक श्रेणी में 8 जोखिम मूल्यांकन स्तर (ग्रेड) हैं और क्रेडिट रेटिंग- 5 तक "निवेश ग्रेड" निर्धारित किया गया है.

- बैंक उधारकर्ताओं के मूल्यांकनवार वितरण पर आभारी (obligor) आधार पर और संविभाग आधार पर आवधिक अंतरालों में विश्लेषण करता है और उसका अनुश्रवण करता है.

ऋण अनुमोदन ग्रिड प्रणाली

- बैंक ने जोखिम प्रबंधन विभाग के प्रतिनिधित्व के साथ सभी ऋण निवेशों की जांच के लिए क्षेत्रीय कार्यालय/क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय और केन्द्रीय कार्यालय में व्यापक ऋण अनुमोदन ग्रिड प्रणाली स्थापित की है.
- सरकार के नवीनतम दिशानिदेश और बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार, ऋण अनुभाग के लिए बैंक ने क्षेत्रीय कार्यालय में ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी), क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय के लिए ऋण अनुभाग प्रारंभ किया है. जोखिम प्रबंधन का सभी सीएसी में प्रतिनिधित्व है.

ऋण संकेन्द्रण जोखिम

- ऋण संकेन्द्रण निम्नलिखित उपायों द्वारा हल किया गया है:
- बैंक ने ऋण संविभाग के विविधीकरण के लिए अग्रिमों की विभिन्न श्रेणियों हेतु विवेकपूर्ण/नियंत्रण सीमाएं निर्धारित की हैं.
- बैंक निवेश सीमाओं के पालन का अनुश्रवण तिमाही आधार पर करता है. बैंक के पास मासिक अनुश्रवण रिपोर्ट के जरिये बड़े निवेशों का अनुश्रवण करने का एक सुस्थापित सिस्टम भी है. बैंक का ऋण संविभाग किसी भी क्षेत्र में संकेन्द्रण को कम करने के लिए अच्छा लचीला है. बैंक के ऋण संविभाग विविधीकरण के वांछित स्तर से नीचे आने की स्थिति में जोखिम को व्यक्तिगत समूह निवेश/उद्योग/क्षेत्र आदि से शिफ्ट करने के लिए तत्काल उपाय किए जाते हैं.
- बैंक की ऋण जोखिम क्षमता विभिन्न प्रकार के निवेशों के लिए ऋण सीमाएं/विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित करके आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) के माध्यम से परिभाषित की गई है. इनका अनुश्रवण आईसीएएपी के मूल्यांकन के जरिए तिमाही आधार पर किया जाता है.

जोखिम प्रोफाइल

- बैंक तिमाही आधार पर क्रेडिट रिपोर्ट प्रोफाइल टेम्पलेट (आरपीटी) का संकलन भी करता है जिसके द्वारा यह निम्नलिखित आधार पर स्वाभाविक कारोबार जोखिम, आंतरिक नियंत्रण जोखिम और एकल उधारकर्ता/समूह उधारकर्ताओं को परिणामी शुद्ध ऋण सुविधा के आधार पर ऋण जोखिम के स्तर एवं दिशा का मूल्यांकन करता है .
- बैंक ने एकल ऋणी/ समूह ऋणी हेतु उच्चतम सीमा भी निर्धारित की है.
- बड़ी ऋण सीमाएं
- संवेदनशील क्षेत्रों यथा पूंजी बाजार/रीयल एस्टेट और एनबीएफसी को एक्सपोजर
- अप्रतिभूत अग्रिम एवं गारंटियां
- शीर्ष 20 उधारकर्ताओं को एक्सपोजर
- उद्योगों /क्षेत्रों को एक्सपोजर
- भौगोलिक क्षेत्र वार एक्सपोजर
- तुलन पत्र वाह्य ऋण एक्सपोजर

3.3.2 बाजार जोखिम

- बाजार जोखिम प्रबंधन ट्रेजरी नीति और एएलएम नीति में आता है.
- ट्रेज़री परिचालन में फ्रंट आफिस, बैक आफिस और मिड आफिस में स्पष्ट रुप से भेद किया गया है.
- मिड आफिस जोखिम प्रबंधन विभाग को सीधे रिपोर्ट करता है.
- घरेलू एवं विदेशी विनिमय परिचालनों के लिए विभिन्न ऋण सीमाएं यथा ओवरनाइट पोजीशन सीमा, डे-लाइट ओपन पोजीशन सीमा, वीएआर सीमा, डील साइज सीमा, स्टाप हानि सीमा, सकल गैप सीमा (आईजीएल), एकल गैप लिमिट काउंटर पक्षकार सीमा आदि विद्यमान हैं.
- ट्रेडिंग के लिए धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध सरकारी प्रतिभूतियों, इक्विटी पोर्टफोलियो तथ विदेशी मुद्रा संव्यवहारों के जोखिम मूल्य (वीएआर)पर दैनिक आधार पर नजर रखी जाती है.

3.3.2.1 बैंक बही में ब्याज दर जोखिम

- बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ईक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दरों में 200 बीपीएस तक परिवर्तन के प्रभाव जानने के लिए आवधिक गैप विश्लेषण (डीजीए) करता है.

3.3.3 परिचालन जोखिम

- बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सु-निर्धारित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति विद्यमान है.
- वर्तमान में, परिचालन जोखिम का प्रबंधन आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के जरिये किया जाता है.
- न्यू प्रॉडक्ट अनुमोदन प्रक्रिया विद्यमान है.
- आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावोत्पादकता जानने के लिये धोखाधड़ियों का विश्लेषण परिचालन जोखिम के दृष्टिकोण से किया जाता है.
- बैंक की गतिविधियों एवं आय के चित्रण के दिशानिर्देश विद्यमान हैं.
- बैंक विभिन्न उत्पादों/ प्रक्रियाओं के संबंध में जोखिम और नियंत्रण स्वमूल्यांकन(आरसीएसए)संचालित करता है.
- चूंकि आंतरिक परिचालन जोखिम हानि आंकड़ा बिन्दु सीमित संख्या में होते हैं, इसलिए बैंक ने सिद्धांततः आईबीए के बाह्य डाटा पूलिंग कार्य के साथ चलने पर सहमति दी है.

टेबल डीएफ - 4

गुणात्मक प्रकटन

4. **ऋण जोखिम - सामान्य प्रकटन**

4.1 **अतिदेय :** बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि पर किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी रकम का भुगतान न किए जाने की स्थिति में वह "अतिदेय" (ओवरड्यू) हो जाती है.

4.2 **अनर्जक आस्ति :** अनर्जक आस्ति एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जिससे बैंक की आय का अर्जन नहीं होता. गैर-निष्पादित आस्ति में निम्नलिखित ऋण या अग्रिम शामिल हैं :

ए मीयादी ऋण के मामले में 90 दिन से अधिक अवधि के लिए मूलधन का ब्याज और/या किस्त अतिदेय हो जाना.

बी. कोई ओवरड्राफ्ट/ नकद साख (ओडी/ सीसी) खाता अनियमित हो जाता है यदि

- बकाया शेष, मंजूरी सीमा/आहरण शक्ति से लगातार आधिक्य में रहता है
- ऐसे मामलों में जहां मूलधन परिचालन खाते में बकाया शेष मंजूर सीमा/आहरण शक्ति से कम होता है, परन्तु बैलेंस शीट की तारीख पर लगातार 90 दिन तक उसमें कोई जमा नहीं होता और जमा रकम उस अवधि के दौरान नामे किये गये ब्याज को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती.

सी. खरीदे गए एवं भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि तक अतिदेय होने की स्थिति में

डी फसल ऋण के मामले में

1. मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त अल्प अवधि की फसलों के मामले में दो फसल सीजन के लिए अतिदेय रहने पर
2. लम्बी अवधि की फसल के मामले में मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त एक फसल सीजन के लिए अतिदेय रहने पर.

ई. किसी तिमाही के दौरान प्रभारित ब्याज (मासिक ब्याज सहित) तिमाही के अंत से 90 दिन की अवधि में पूर्णत: प्राप्त न होने पर .

एफ. अन्य खातों के मामले में प्राप्त होने वाली कोई भी रकम 90 दिन से अधिक अवधि हेतु अतिदेय रहने पर.

4.3 **ऋण जोखिम प्रबंधन नीति** : बैंक के पास ऋण नीति के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति है. ऋण नीति में कारोबार के मामले आते हैं, जबकि ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में जोखिम के मामले आते हैं. ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में निम्नलिखित पर दिशानिर्देश दिए गए हैं :-

- ऋण जोखिम मूल्यांकन ढांचा एवं मूल्य निर्धारण
- ऋण ग्रिड अवधारणा / ऋण अनुमोदन समिति
- विवेकपूर्ण मानदण्ड/ विनियामक उच्चतम सीमा जैसे उद्योगवार ऋण जोखिम, संवेदनशील ऋण जोखिम (पूंजी बाजार/स्थावर संपदा ऋण जोखिम),
- ऋण समीक्षा तंत्र,
- पोर्टफोलियो प्रबंधन,
- तुलन-पत्र बाह्य ऋण जोखिम,
- समस्यामूलक ऋण प्रबंधन,
- बासल II कार्यान्वयन, आदि.

मात्रात्मक प्रकटीकरण

4.4 **पूर्ण सकल ऋण जोखिम निम्न हैं:**

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	राशि
निधि आधारित	211911
गैर निधि आधारित	35099
कुल	247010

4.5 **ऋण जोखिम का भौगोलिक क्षेत्रवार संवितरण**

(₹ करोड़ में)

	समुद्रपारीय	घरेलू
निधि आधारित	13017	198894
गैर निधि आधारित	652	34447
कुल	13669	233341

4.6 **एक्सपोजर (निधि आधारित) का उद्योगवार वितरण निम्नानुसार है:**

क्रमांक	कोड	उद्योग	31.03.2013	
			राशि (₹ करोड़ में)	% एक्सपोजर
1	1	कोयला	51.84	0.02
2	2	खनन	354.49	0.17
3	3	लोहा एवं इस्पात	7996.78	3.77
4	4	अन्य धातु व धातु उत्पाद	4168.69	1.97
5	5	समस्त इंजीनियरिंग	3292.39	1.55
6	6	विद्युत	150.94	0.07
7	7	सूती कपड़ा	2247.62	1.06
8	8	जूट कपड़ा	32.08	0.02
9	9	अन्य कपड़ा	3587.95	1.69
10	10	शक्कर	1765.77	0.83
11	11	चाय	209.80	0.10
12	12	खाद्य प्रसंस्करण	3445.00	1.63
13	13	खाद्य तेल और वनस्पति	687.77	0.32
14	14	तंबाकू व तंबाकू उत्पाद	39.58	0.02
15	15	कागज व कागज उत्पाद	672.01	0.32
16	16	रबर व रबर उत्पाद	1040.50	0.49

क्रमांक	कोड	उद्योग	31.03.2013	
			राशि (₹ करोड़ में)	% एक्सपोजर
17	17	रसायन,रंगाई,पैंट,आदि	3844.63	1.81
		जिसमें से उर्वरक	(958.72)	(0.45)
		जिसमें से पेट्रो-रसायन	(155.03)	(0.07)
18	18	सीमेन्ट	1187.59	0.66
19	19	चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	275.08	0.15
20	20	रत्न एवं जेवरात	3919.29	2.16
21	21	निर्माण	2987.94	1.65
22	22	पेट्रोलियम	5241.25	2.90
23	23	ऑटोमोबाइल ट्रक सहित	1194.08	0.66
24	24	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1077.07	0.59
25	25	आधारभूत संरचना	34722.87	19.18
26	26	एनबीएफसी	15035.70	8.31
27	27	अन्य उद्योग	2211.27	1.22
		कुल	**101439.98**	**47.87**
28	28	अवशिष्ट अन्य अग्रिम	110471.02	52.13
		कुल योग	**211911.00**	**100.00**

एक्सपोजर (गैर-निधि आधारित) का उद्योग प्रकार वितरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	कोड	उद्योग	31.03.2013	
			राशि (₹ करोड़ में)	ऋण जोखिम %
1	1	कोयला	28.65	0.08
2	2	खनन	37.21	0.11
3	3	लोहा एवं इस्पात	1835.26	5.23
4	4	अन्य धातु व धातु उत्पाद	680.47	1.94
5	5	समस्त इंजीनियरिंग	1282.16	3.65
6	6	विद्युत	27.29	0.08
7	7	सूती कपड़ा	201.87	0.58
8	8	जूट कपड़ा	0.01	0.00
9	9	अन्य कपड़ा	609.34	1.74
10	10	शक्कर	9.04	0.03
11	11	चाय	5.70	0.02
12	12	खाद्य प्रसंस्करण	320.49	0.91
13	13	खाद्य तेल और वनस्पति	231.11	0.66
14	14	तंबाकू व तंबाकू उत्पाद	24.26	0.07
15	15	कागज व कागज उत्पाद	20.82	0.06
16	16	रबर व रबर उत्पाद	226.83	0.65
17	17	रसायन, रंगाई, पैंट, आदि	443.26	1.26
		जिसमें से उर्वरक	(2.75)	0.02
		जिसमें से पेट्रो-रसायन	(23.59)	0.07

क्रमांक	कोड	उद्योग	31.03.2013	
			राशि (₹ करोड़ में)	ऋण जोखिम %
18	18	सीमेन्ट	56.59	0.16
19	19	चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	75.78	0.22
20	20	रत्न एवं जेवरात	297.89	0.85
21	21	निर्माण	1801.66	5.13
22	22	पेट्रोलियम	30.22	0.09
23	23	ऑटोमोबाइल ट्रक सहित	1517.16	4.32
24	24	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	140.74	0.40
25	25	आधारभूत संरचना	2506.61	7.14
26	26	एनबीएफसी	110.00	0.31
27	27	अन्य उद्योग	3136.84	8.94
		कुल	**15657.26**	**44.61**
28	28	अवशिष्ट अन्य अग्रिम	19441.74	55.39
		कुल योग	**35099.00**	**100.00**

4.7. आस्तियों का संविदागत परिपक्वता वर्गीकरण :

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता पैटर्न	अग्रिम	निवेश (कुल)	विदेशी मुद्रा आस्तियां
आगामी दिवस	3298.51	666.86	1878.10
2-7 दिन	6295.10	749.84	1271.04
8-14 दिन	2856.04	543.54	696.00
15-28 दिन	8018.79	125.00	2449.90
29 दिन -3 माह	24002.69	1909.83	5124.71
>3 माह -6 माह	22114.91	2407.04	5650.68
>6 माह- 1 वर्ष	28103.93	2127.02	1393.07
>1 वर्ष-3 वर्ष	70920.40	11454.39	1695.71
>3 वर्ष-5वर्ष	21003.55	11290.60	2242.55
>5 वर्ष	21388.27	49556.33	1572.75
कुल	208102.19	80830.45	23974.51

4.8 कुल एनपीए निम्नानुसार हैं :

श्रेणी	(₹ करोड़ में)
अवमानक	3090
संदिग्ध-1	1832
संदिग्ध-2	1187
संदिग्ध-3	133
हानि	72
कुल एनपीए (सकल)	6314

4.9. निवल एनपीए की राशि रु.3353 करोड़ है.

4.10 एनपीए अनुपात निम्नानुसार है:

- कुल अग्रिमों का कुल एनपीए : 2.98%
- शुद्ध अग्रिमों का शुद्ध एनपीए : 1.61%

4.11 शुद्ध एनपीए का संचरण निम्नानुसार है: (₹ करोड़ में)

1.वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	5449.86
2.वर्ष के दौरान संवृद्धि	3973.75
3.वर्ष के दौरान कमी	3109.78
4.वर्ष के अंत में अंतिम शेष (i+ii-iii)	6313.83

4.12 एनपीए के लिए प्रावधान का संचरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

1.वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक शेष	2350.35
2.वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1555.52
3.वर्ष के दौरान किए गए अपलेखन /पुनरांकन	1088.25
4.वर्ष के अंत में अंतिम शेष (i+ii-iii)	2817.62

4.13 गैर-निष्पादित निवेश की राशि रु 47.63 करोड़ है.

4.14 गैर-निष्पादित निवेश के लिए धारित प्रावधानों की राशि रु 44.33 करोड़ है.

4.15 निवेश पर ह्रास के लिए प्रावधान की गति निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

1.वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक शेष	160.67
2.वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	243.96
3.वर्ष के दौरान किए गए अपलेखन / पुनरांकन	46.50
4.वर्ष के अंत में अंतिम शेष (i+ii-iii)	358.13

तालिका डीएफ-5

गुणात्मक प्रकटन

5. ऋण जोखिम : मानकीकृत अवधारणा के अध्यधीन संविभाग के लिए प्रकटन

5.1 बैंक ने सभी पात्र ऋण जोखिमों के लिए भारिबैं द्वारा मान्य निम्नलिखित 5 घरेलू ऋण रेटिंग एजेंसियों को अनुमोदित किया है.

- क्रिसिल
- केयर
- फिच इंडिया
- इक्रा
- ब्रिक वर्क

5.1.1. बैंक ने भारिबैं द्वारा अभिनिर्धारित निम्नलिखित 3 अंतर्राष्ट्रीय साख रेटिंग एजेंसियों को भी अनुमोदित किया है

- स्टैंडर्ड एंड पूअर
- मूडीज
- फिच

5.2 लार्ज कार्पोरेट ऋणियों और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को अनुमोदित वाह्य रेटिंग एजेंसियों से रेटिंग प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रेटिंग को मैपिंग पर भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम भारित आस्तियों की गणना के प्रयोजन से मैप किया गया है.

मात्रात्मक प्रकटन

5.3 विभिन्न वर्गों में जोखिम शमन (मानकीकृत अवधारणा के अध्यधीन) के पश्चात् जोखिम राशि निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

1. 100% से कम जोखिम भार ऋण बकाया	185518.80
2. 100% जोखिम भार ऋण बकाया	84467.16
3. 100% से अधिक जोखिम भार ऋण बकाया	29775.58
कुल	299761.54

सारणी डीएफ-6

6. ऋण जोखिम शमन : मानकीकृत अवधारणा के लिए प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

6.1 बैंक ऋण जोखिम शमन (सीआरएम)तकनीक व संपार्श्विक प्रबंधन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति रखता है, जो संपार्श्विक के चयन, संपार्श्विक में जोखिम, संपार्श्विक के मूल्यांकन और निरीक्षण, पात्र वित्तीय संपार्श्विक गारंटियों और भारिबैं द्वारा निर्धारित हेयरकट के दिशानिर्देशों को कवर करती है.

6.2 बैंक द्वारा लिए गए मुख्य प्रकार के संपार्श्विक निम्न हैं :

6.2.1 नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे (एनसीएएफ) पर भारिबैं के दिशानिर्देश के अनुसार मानकीकृत अवधारणा के अंतर्गत ऋण जोखिम प्रशामकों के रूप में पहचाने गए पात्र वित्तीय संपार्श्विक,

- नकद या नकद समतुल्य (बैंक जमाराशियां/ एनएससी/ केवीपी/ एलआइसी पालिसी आदि)
- सोना
- केंद्रीय/ राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां
- बीबीबी या बेहतर रेटेड कर्ज प्रतिभूतियां / अल्पावधि ऋण लिखत पीआर 3/पी 3/एफ 3/ए 3

6.2.1.1.बैंक, संपार्श्विकों के जोखिम शमन प्रभाव के कारण, पात्र वित्तीय संपार्श्विकों की हेयरकट-समायोजित मूल्य के अनुसार काउंटर पार्टी को ऋण एक्सपोजर कम कर देता है.

6.2.2. चल और अचल आस्तियां/ भू संपत्ति आदि.

6.2.3.गारंटी में कार्पोरेट, बैंक और व्यक्तिगत गारंटी शामिल हैं. इसमें ईसीजीसी, सीजीएफटीआइ और राज्य/ केन्द्र सरकार आदि द्वारा गारंटीकृत अग्रिम भी सम्मिलित हैं.

मात्रात्मक प्रकटन

6.4 ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत अवधारणा के अंतर्गत ₹ 27424.52 करोड़ के पात्र वित्तीय संपार्श्विकों को प्रभाव देने के बाद कुल ऋण जोखिम निवेश ₹ 299761.54 करोड़ है.

(करोड़ रुपयों में)

जोखिम पोर्टफोलियो	प्रशामक (करोड़ में)	प्रतिशत सहयोग
सरकार पर दावे	1.76	0.01%
बैंकों पर दावे	94.14	0.34%
विदेशी बैंकों पर दावे	0.27	0.00%
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर दावे	251.66	0.92%
कंपनियों पर दावे	14796.67	53.95%
नियामक रिटेल पर दावे	7726.54	28.17%
आवासीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूत दावे	16.09	0.06%
वाणिज्यिक रीयल स्टेट द्वारा प्रतिभूत दावे	112.80	0.41%
अनर्जक आस्तियां	46.33	0.17%
वैयक्तिक ऋण और क्रेडिट कार्ड प्राप्यों सहित उपभोक्ता ऋण	1911.83	6.97%
पूंजी मार्केट एक्सपोजर	384.72	1.40%
एनबीएफसी पर दावे	1.74	0.01%
स्टाफ अग्रिम	50.33	0.18%
अन्य सभी आस्तियां	2029.64	7.40%
कुल	27424.52	100.00%

6.5 ऋण जोखिम की मानकीकृत अवधारणा के अंतर्गत पात्र गारंटीकर्ताओं द्वारा कवर एक्सपोजर का विवरण निम्न प्रकार है

(करोड़ रुपयों में)

गारंटीकर्ता का प्रकार	जोखिम भार	कवर एक्सपोजर	प्रतिशत योगदान
केंद्र सरकार /सीजीटीएसआई/ डीआईसीजीसी द्वारा गारंटीकृत दावे	0%	1344.07	12.02%
राज्य सरकार/ईसीजीसी द्वारा गारंटीकृत दावे	20%	9839.27	8798%
कुल		**11183.34**	**100.00%**

तालिका डीएफ-7

7. प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत अवधारणा हेतु प्रकटीकरण

7.1 वर्तमान में, प्रतिभूतिकरण में बैंक की भूमिका प्रतिभूतिकृत दस्तावेजों में निवेशक के रूप में है. वर्तमान में 31.03.2013 को, प्रतिभूतिकरण में निवेश के रूप में बकाया राशि शून्य है.

तालिका डीएफ-8

8. व्यापारिक बही में बाजार जोखिम :

गुणात्मक प्रकटन

बाजार जोखिम ऑन अथवा ऑफ तुलन पत्र की उस स्थिति का मूल्यांकन है, जो वस्तुओं/ आस्तियों के मूल्यों एवं विनिमय दरों के कारण इक्विटी एवं ब्याज दर बाजार में संचरण से प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाती हैं.

बाजार जोखिम के आकलन हेतु मानकीकृत अवधारणा द्वारा कवर किए गए पोर्टफोलियो निम्नानुसार हैं:

- व्यापार हेतु धारित (एचएफटी) के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियां
- विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस) के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियां\
- व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव्स) में व्यापार स्थिति,
- ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर की हेजिंग हेतु डेरिवेटिव
- दिन की समाप्ति पर विदेशी मुद्रा विनिमय स्थिति व दिन की समाप्ति पर गोल्ड स्थिति

शेष आस्तियां अर्थात् परिपक्वता पर धारित निवेश संविभाग एवं अग्रिमों को बैंकिंग बुक के रुप में माना गया है. बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों एवं नीतियों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :

ए रणनीतियां एवं प्रक्रियाएं:

नीतियां

बैंक में एक सुनिर्धारित कोषागार नीति (जिसमें निवेश संविभाग, विदेशी विनिमय परिचालन एवं डेरिवेटिव परिचालन निहित हैं) तथा आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति है, जो बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित है. इन नीतियों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि प्रतिभूतियों, विदेशी विनिमयों एवं डेरिवेटिव्स के परिचालन सुदृढ़ एवं स्वीकार्य कारोबार नीतियों के अनुसार किये जा रहे हैं तथा वित्तीय लिखतों एवं वित्तीय बाजारों के लेनदेनों को नियंत्रित करने वाले कानूनों एवं नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार हैं. नीतियों की समीक्षा प्रतिवर्ष की जाती है और सरकार/ नियामक प्राधिकरण, आर्थिक परिवेश एवं कारोबार की अपेक्षाओं की स्थिति में नियमों एवं विनियमों में परिवर्तन कम अंतराल पर भी किया जाता है.

तरलता जोखिम :

तरलता जोखिम की माप, अनुश्रवण एवं प्रबंधन के लिए बैंक द्वारा नकदी प्रवाह अप्रोच एव स्टॉक अप्रोच का प्रयोग किया जाता है. परिपक्वता अथवा नकदी प्रवाह अन्तर के माध्यम से तरलता जोखिम का पता लगाया जाता है. तरलता जोखिम की माप हेतु परिपक्वता सोपान एवं चयनित परिपक्वता तिथियों पर निधियों के संचयी आधिक्य अथवा कमी की गणना जिसे टाइम बॅकेट के रुप में जाना जाता है, का प्रयोग मानक माध्यम के रुप में किया जाता है. अन्तरों के स्वीकार्य स्तर पर विवेकपूर्ण सीमाएं लागू हैं तथा पाक्षिक आधार पर इनका अनुश्रवण किया जाता है. स्टॉक अप्रोच के अंतर्गत अनेक अनुपात/ सीमाएं यथा मांग उधारी, अंतर बैंक देयता, थोक जमाराशि, प्रतिबद्धता अनुपात, तरल आस्ति सापेक्ष क्रय निधि अनुपात आदि लागू हैं. विपरीत स्थिति में विभिन्न स्तरों पर स्ट्रेस टेस्ट किये जाते हैं. दबाव की स्थितियों में तरलता/ निधि की आवश्यकता, निधि उगाही के स्रोत एवं लाभ-हानि इसके संभावित प्रभाव आदि की गणना तिमाही अंतराल पर की जाती है.

थोक जमाराशियों का अनुश्रवण दैनिक आधार पर किया जाता है. तरलता स्थिति के आकलन हेतु पाक्षिक आधार पर अल्पकालिक गतिशील तरलता विवरण तैयार किया जाता है एवं अनुश्रवण किया जाता है, जिसमें कारोबार विकास को भी ध्यान में रखा जाता है.

ब्याज दर जोखिम

अल्प काल अर्थात वित्त वर्ष की समाप्ति तक बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) पर प्रभाव के आकलन हेतु बैंक द्वारा परंपरागत गैप विश्लेषण (टीजीए) की गणना की जाती है. बैंक के निवेश संविभाग का अनुश्रवण आवधिक विश्लेषण के आधार पर किया जाता है.जोखिम पर मूल्य (वीएआर) कार्यप्रणाली का प्रयोग एसएलआर एवं ईक्विटी के अंतर्गत दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए किया जाता है. जोखिम पर मूल्य (वीएआर) के लिए विवेकपूर्ण सीमा निर्धारित की गयी है और इसका अनुश्रवण दैनिक आधार पर किया जाता है तथा उच्च प्रबंधन को रिपोर्टिंग की जाती है.

भारतीय रिज़र्व के दिशानिर्देशों के अनुसार इक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दर में परिवर्तन के दीर्घकालीन प्रभाव के आकलन हेतु आवधिक गैप विश्लेषण का भी प्रयोग बैंक द्वारा किया जाता है.

विदेशी विनिमय जोखिम

बैंक द्वारा अनेक एक्सपोजर सीमाएं जैसे अधिकतम डे-लाइट सीमा, ओवरनाइट सीमा, सकल गैप सीमा (एजीएल), स्टॉप हानि सीमा एवं डील साइज सीमा आदि निर्धारित की गयीं हैं. बैंक द्वारा विदेशी विनिमय की स्थिति के लिए वीएआर सीमा निर्धारित की गयी है, जिसका अनुश्रवण दैनिक आधार पर किया जाता है. डेरिवेटिव लेनदेनों का अनुश्रवण ओपन स्थितियों के लिए विवेकपूर्ण सीमा एवं बकाया डेरिवेटिव के लिए पीवी01 सीमा द्वारा किया जाता है.

इक्विटी मूल्य जोखिम

बैंक की कोषागार नीति के अंतर्गत इक्विटी ट्रेडिंग के लिए बुक साइज, डील साइज, धारण अवधि एवं स्टॉप हानि सीमा आदि के लिए सीमाएं निर्धारित हैं. इन सीमाओं का अनुश्रवण दैनिक आधार पर किया जाता है.

(बी) बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य का संगठन एवं संरचना

बाजार जोखिम के प्रबंधन को कवर करने वाली नीतियों का अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है. निदेशक मंडल की सहायता हेतु निम्नलिखित तीन स्तरों की व्यवस्था है -

- आस्ति देयता प्रबंधन एवं जोखिम प्रबंधन की पर्यवेक्षण समिति
- आस्ति देयता प्रबंधन समिति
- महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन विभाग)

(सी) क्षेत्र

बाजार जोखिम के प्रबंधन, मापन एवं अनुश्रवण के लिए बैंक द्वारा अनेक सीमाएं यथा डे-लाइट सीमा, ओवरनाइट सीमा, डील साइज सीमा, सकल गैप सीमा (एजीएल), वैयक्तिक गैप सीमा, स्टॉप हानि सीमा, ट्रेडिंग बुक साइज, जारीकर्तावार सीमा, दर संवेदी सीमा, वीएआर सीमा आदि निर्धारित की गयी हैं.

इन सीमाओं का अनुश्रवण दैनिक आधार पर किया जाता है तथा उच्च प्रबंधन को समुचित रिपोर्टिंग की जाती है.

तरलता एवं बाजार जोखिम के लिए स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क की समुचित व्यवस्था है तथा तिमाही आधार पर स्ट्रेस टेस्ट किये जाते हैं. परिणामों की चर्चा आल्को में की जाती है तथा इसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है.

डी हेजिंग एवं जोखिम शमन

बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना हेतु बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानक आवधिक अवधारणा को अपनाया है. बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत अपेक्षा निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रू.में)

जोखिम श्रेणी	पूंजी प्रभार
ब्याज दर जोखिम	629.57
इक्विटी स्थिति जोखिम	350.42
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	12.15
मानक आवधिक अवधारणा के अंतर्गत बाजार जोखिम हेतु कुल पूंजी प्रभार	**992.14**

तालिका डीएफ-9

9. परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटन

परिचालनात्मक जोखिम गवर्नेंस

- परिचालनात्मक जोखिम वह जोखिम है जो आंतरिक प्रक्रिया, जनबल एवं सिस्टम के अपर्याप्त या असफल होने के कारण अथवा बाहरी घटनाओं के कारण होता है.
- परिचालनात्मक जोखिम सभी कारोबार लाइनों एवं सभी स्तरों पर विद्यमान होता है.
- वर्तमान में परिचालनात्मक जोखिम का प्रबंधन अधिकांशत: आंतरिक नियंत्रण एवं लेखा परीक्षा व्यवस्था द्वारा किया जाता है.
- परिचालनात्मक जोखिम के नियंत्रण/ निवारण हेतु बैंक द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं.
    - प्रत्यायोजित प्राधिकार व्यवस्था, जिसमें ऋण एवं व्यय को कवर किया गया है.
    - अनुदेश पुस्तिका एवं समय-समय पर परिपत्रों के माध्यम से अनुदेश जारी करना.
    - निरंतर प्रशिक्षण की व्यवस्था
    - निवारक सतर्कता
    - बीमा
    - जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा
    - आउटसोर्सिंग नीति
    - अनुपालन नीति

- कारोबार निरंतरता नीति

- बैंक में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति लागू है, जिसमें निम्न शामिल हैं:
  - परिचालनात्मक जोखिम की पहचान, आकलन, अनुश्रवण एवं नियंत्रण.
  - परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार
  - रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क
  - परिचालनात्मक जोखिम हानि आंकड़ों के संग्रहण एवं रिपोर्टिंग संबंधी दिशानिर्देश.
  - आठ कारोबारी स्तरों की गतिविधियों की मैपिंग हेतु नीति.
- बैंक में परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन हेतु पर्यवेक्षण मशीनरी सहित समुचित एवं स्वतंत्र संगठनात्मक संरचना की व्यवस्था है, जिसमें उच्च कार्यपालकों की परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) तथा परिचालनात्मक जोखिमों की देखरेख हेतु एक अलग जोखिम प्रबंधन विभाग भी कार्यरत है. इसके अतिरिक्त जोखिम प्रबंधन तथा एएलएम की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण हेतु बोर्ड स्तरीय समिति अर्थात बोर्ड की पर्यवेक्षण समिति भी कार्यरत है
- परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) बैंक के नये उत्पादों के अनुमोदन, धोखाधड़ियों के विश्लेषण, परिचालनात्मक जोखिम हानि आंकड़ों के विश्लेषण, बैंक की गतिविधियों एवं आय की मैपिंग की कार्यप्रणाली के विश्लेषण आदि का कार्य आठ कारोबारी स्तरों पर करती है.
- परिचालनात्मक जोखिम हेतु पूंजी प्रभार के परिकलन हेतु बैंक द्वारा बेसिक इंडीकेटर अवधारणा अपनायी जाती है.
- भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार बैंक को बेसिक इंडीकेटर अवधारणा (बीआईए) के अंतर्गत परिचालनात्मक जोखिम हेतु 31.03.2013 से पूंजी की व्यवस्था करनी है. बेसिक इंडीकेटर अवधारणा के अनुसार प्रभार रू. 1158.12 करोड़ है.

जोखिम प्रोफाइलिंग

बैंक तिमाही आधार पर परिचालनात्मक जोखिम प्रोफाइल टेंपलेट संकलित करता है, जिसके द्वारा निहित जोखिम, आंतरिक नियंत्रण जोखिम तथा परिणामी शुद्ध परिचालनात्मक जोखिम की दशा एवं दिशा का आकलन तथा निम्नांकित के आधार पर किया जाता है:

- जन जोखिम
- आउटसोर्सिंग जोखिम
- प्रोसेस जोखिम
- प्रौद्योगिकी जोखिम
- छवि जोखिम
- घटना जोखिम

टेबल डीएफ-10

10. बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम

(ए) गुणात्मक प्रकटन

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन का बैंक की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. इसके परिणामस्वरूप बैंक की आय (शुद्ध ब्याज आय) एवं बैंक का नेटवर्थ (कैपिटल फंड) प्रभावित हो सकता है. बैंक के पास विभिन्न परिपक्वता अवधियों अथवा पुनर्मूल्यांकन तिथियों तथा विभिन्न बेंचमार्क दरों से संबद्ध आस्तियां, देयताएं और ऑफ तुलनपत्र मदें विद्यमान हैं. इससे ब्याज दर के स्तर में अप्रत्याशित परिवर्तन से जोखिम उत्पन्न होता है .

फ्रेमवर्क

बैंक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ALCO) का गठन किया गया है. जो तरलता/ बाजार जोखिम की पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति के लिए समुचित व्यवस्था एवं प्रक्रिया लागू करने हेतु उत्तरदायी है. आस्ति देयता प्रबंधन समिति को एक समर्पित एएलएम तथा एक स्वतंत्र मिड ऑफिस द्वारा सहायता प्रदान की जाती है. एएलएम एवं जोखिम प्रबंधन पर निदेशक मंडल की पर्यवेक्षण समिति द्वारा आस्ति देयता प्रबंधन के लिए सिस्टम के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण किया जाता है तथा आवधिक आधार पर इसकी समीक्षा की जाती है एवं मार्गदर्शन दिया जाता है.

परंपरागत गैप विश्लेषण (TGA) का प्रयोग दर संवेदी गैप (RSG)के माध्यम से ब्याज दर जोखिम के मापन एवं अनुश्रवण हेतु किया जाता है. शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव का आकलन किया जाता है. आय के दृष्टिकोण से ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को सीमित रखने हेतु 1 वर्ष तक की दर संवेदी गैप सीमा निर्धारित की गई है.

प्रत्येक महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को ब्याज दर संवेदी विवरण तैयार किया जाता है. आस्ति देयता प्रबंधन समिति द्वारा मासिक आधार पर इसकी समीक्षा की जाती है. आस्तियों एवं देयताओं की व्यापक श्रेणी अर्थात् जमा, अग्रिम, निवेश आदि में परिवर्तन के प्रभाव की गणना वित्तीय वर्ष के अंत तक के लिए की जाती है.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार बैंक की आस्तियों एवं देयताओं के आर्थिक मूल्य और इस प्रकार इक्विटी के बाजार मूल्य (MVE) पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव की जानकारी हेतु तिमाही आधार पर आवधिक गैप विश्लेषण (DGA) भी किया जाता है. इस प्रभाव की गणना आय रेखा में 200 बीपीएस समानान्तर शिफ्ट के आधार पर की जाती है.

(बी) मात्रात्मक प्रकटन:

ब्याज दर में एक परिवर्तन शिफ्ट की कल्पना द्वारा इक्विटी के आर्थिक मूल्य एवं आय पर प्रभाव को निम्नानुसार दर्शाया गया है.

	पैरामीटर		**प्रभाव**
1.	आय पर जोखिम (NII) : 0.5% परिवर्तन पर	(राशि करोड़ ₹ में)	306.39
2.	इक्विटी का बाजार मूल्य : 200 बेसिस पॉइंट का उतार चढ़ाव	(राशि करोड़ ₹ में)	294.55
3.	इक्विटी मूल्य में गिरावट	(%)	1.8669%

नियोजित पूंजी : (करोड़ रुपयों में)

आस्ति खंड	**31.03.2013**	**कुल आस्ति का %**	**आबंटित पूंजी**
ट्रेजरी परिचालन	99496.80	31.90%	7446.72
रिटेल बैंकिंग परिचालन	71773.92	23.01%	5371.83
कारपोरेट/थोक बैंकिंग	137558.28	44.11%	10295.39
अन्य आस्तियां	3031.81	0.97%	226.91
कुल आस्तियां	311860.81	100.00%	23340.85
कुल पूंजी			23340.85

कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2012-13

खंड ए : बैंक की सामान्य जानकारी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंकों में से एक है और यह पूरे देश में व्यक्तियों, भागीदारी फर्मों, व्यक्तियों के समूहों, सहकारी समितियों और कार्पोरेट ग्राहकों सहित सभी प्रकार के ग्राहकों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है. बैंक के कार्पोरेट कार्यालय का उद्घाटन वर्ष 1921 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा किया गया था. बैंक पिछले 9 दशकों में लगातार कारोबार वृद्धि एवं लाभ दर्ज करता चला आ रहा है. बैंक की पूरे देश में 3511 शाखाएं एवं 4603 एटीएम हैं. बैंक की हांगकांग एवं डीआईएफसी, दुबई में दो विदेशी शाखाएं हैं. बैंक के शंघाई, बीजिंग, आबू धाबी, सिडनी एवं लंदन में प्रतिनिधि कार्यालय भी हैं.

बैंक मूलत: अपने ग्राहकों को बैकिंग एवं वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है. बैंक के अधिकतर उत्पादों एवं सेवाओं को नीचे दिए गए 3 संवर्गों में शामिल किया गया है :

1. जमाराशि
2. ऋण एवं अग्रिम और
3. धन प्रेषण एवं संग्रह

बैंक की गतिविधियों को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "समूह के.: राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण की वित्तीय एवं बीमा गतिविधियों (सभी वित्तीय गतिविधियां) - 2008" के अधीन गतिविधि कूट - 6419 में शामिल किया गया है. बैंक तकनीक के प्रयोग में अग्रणी है और इसकी शत प्रतिशत शाखाएं कंप्यूटरीकृत हैं. बैंक ने सभी शाखाओं को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के माध्यम से आपस में जोड़ रखा है और इसका शत प्रतिशत कारोबार कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के माध्यम से ही किया जाता है.

आई बी ए बैंकिंग तकनीकी अवार्ड 2012

यूनियन बैंक को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा "सर्वश्रेष्ठ वित्तीय समावेशन पहल" के लिए पुरस्कृत किया गया. यह पुरस्कार श्री एन. आर. नारायण मूर्ति, समारोह के मुख्य अतिथि एवं संरक्षक, इन्फोसिस टेक्नालॉली ने मुंबई में आयोजित समारोह में प्रदान किए.

वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकीयुक्त बैंक

यूनियन बैंक को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा "वर्ष का सर्वश्रेष्ठ तकनीकयुक्त बैंक" के लिए पुरस्कृत किया गया. यह पुरस्कार श्री एन. आर. नारायण मूर्ति, समारोह के मुख्य अतिथि एवं संरक्षक, इन्फोसिस टेक्नालॉली ने मुंबई में आयोजित समारोह में प्रदान किए.

बैंक के बारे में उपयोगी जानकारी निम्नानुसार है :

कंपनी की कार्पोरेट पहचान संख्या (सिन)	लागू नहीं
पंजीकृत पता	यूनियन बैंक भवन, 139, विधान भवन मार्ग नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021
वेबसाइट	http://www.unionbankofindia.co.in
ईमेल आईडी	busresponsehead@unionbankofindia.com
वित्तीय वर्ष	2012-13

एनपीसीआई द्वारा "सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सर्वश्रेष्ठ तकनीकी अवार्ड"

बैंक को विवाद प्रबंधन, नेटवर्क अपटाइम, विफल संव्यवहारों पर नियंत्रण, डीआर ड्रिल्स आदि जैसी राष्ट्रीय भुगतान स्विच की परिचालन श्रेष्ठता के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनसीपीआई) द्वारा "सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सर्वश्रेष्ठ तकनीकी अवार्ड" से नवाजा गया.

खंड बी : कंपनी के वित्तीय विवरण

आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक के कारोबारी परिणाम निम्नानुसार रहे :

- चुकता पूंजी : ₹ 596.79 करोड़
- नेट वर्थ : ₹ 15,777 करोड़
- कुल जमाराशियां : ₹ 2,63,762 करोड़
- कुल अग्रिम : ₹ 2,11,911 करोड़
- कर के बाद कुल लाभ : ₹ 2,158 करोड़

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मानना है कि कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व बैंक के कोर कारोबार से सीधा जुड़ा हुआ है क्योंकि बैंक वित्तीय क्षेत्र में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है. बैंक द्वारा की गई ये पहल इसकी सभी गतिविधियों में सामाजिक, आसपास के परिवेश एवं आर्थिक मूल्यों में वृद्धि करती है तथा समाज व कारोबार दोनों पर अनुकूल एवं स्थायी प्रभाव डालती है. बैंक का विश्वास है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, नागरिक समितियों, सरकार एवं विकास एजेंसियों को मूलभूत सुविधाओं एवं सेवाओं में सुधार के लिए मिलजुलकर कार्य करना चाहिए, जिससे वे अपनी विशेषज्ञता के उपयोग से इसमें आने वाली किसी भी बाधा को दूर कर सकें.

बैंक के कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की पहल **यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट** के माध्यम से की जाती हैं, जिसकी शुरुआत बैंगलोर में 2 मार्च 2006 को की गई थी. ट्रस्ट का लक्ष्य व उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यों को बढ़ावा देना, उसमें सहायक बनना एवं उसका क्रियान्वयन करना है. इसके अलावा, समाज के विभिन्न वर्गों, जिसमें लघु एवं सीमांत कृषक, भूमिहीन मजदूर, ग्रामीण दस्तकार, शारीरिक विकलांग, महिलाएं, बच्चे,सामाजिक एवं आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग,पददलित एवं समाज के ऐसे ही वर्ग शामिल हैं, के जीवन स्तर में सुधार हेतु कल्याणकारी गतिविधियां संचालित करना है.

आलोच्य वर्ष के दौरान, बैंक ने कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों पर ₹ 75.55 लाख खर्च किए. बैंक द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कल्याणकारी कार्य निम्न है:

- सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस मशीनें प्रदान करना
- मोबाइल क्लीनिक वैन एवं एंबुलेंस प्रदान करना
- स्कूल के बच्चों को घर लाने व पहुंचाने के लिए बस प्रदान करना
- भोजन वितरण के लिए वाहन एवं बर्तन प्रदान करना
- 50 बेड के बिस्तर का 100 बेड के बिस्तर वाले अस्पताल में विस्तार
- मानसिक रुप से विकलांग बच्चों के माता-पिता के एसोसिएशन को आर्थिक सहायता प्रदान करना
- मानसिक रुप से विकलांग बच्चों के पूर्णत: फर्निश्ड क्लासरुम की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता
- मानसिक रुप से विकलांग बच्चों के लिए स्कूल वैन प्रदान करना
- एक एलपी स्कूल में कंप्यूटर लैब की स्थापना
- "अनाथ एवं बेघर बच्चों के लिए आश्रय" हेतु अनुदान
- कैंसर ऐड सोसायटी को दान दिया.

यूनियन बैंक ने "एडॉप्ट" को स्कूल बस दान दी

बैंक ने स्पैस्टिक सोसायटी ऑफ इंडिया (अब एडॉप्ट) की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर 36 सीटर स्कूल बस दान दी.
बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री डी. सरकार ने अडैप्ट की संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती मिथु अलूर को बस की चाबी भेट की.

खंड सी : अन्य जानकारी

बैंक की दो सहायक कंपनियां (यूनियन केबीसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि. एवं यूनियन केबीसी ट्रस्टी कं. प्रा. लि.), एक संयुक्त उपक्रम (स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.) एवं एक सहयोगी बैंक (काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक) हैं.

बैंक की सहायक कंपनियां अपना कारोबार जिम्मेदारीपूर्वक करती हैं और यही बैंक के कारोबारी भागीदार से अपेक्षित है. बैंक अपनी सहायक कंपनियों एवं कारोबारी भागीदारों को कारोबारी उत्तरदायित्वों के लिए आवश्यक ज्ञान व सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

खंड डी : कारोबारी उत्तरदायित्व संबंधी जानकारी

कारोबारी उत्तरदायित्व से संबंधित गवर्नेंस

कारोबारी उत्तरदायित्वों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक :

डिन नंबर	05103064
नाम	एस. के. जैन
पदनाम	कार्यपालक निदेशक

कारोबारी उत्तरदायित्वों के लिए प्रमुख की जानकारी

डिन नंबर	लागू नहीं
नाम	देबज्योति गुप्ता
पदनाम	महा प्रबंधक, वैयक्तिक बैंकिंग एवं परिचालन विभाग, केन्द्रीय कार्यालय
टेलीफोन नं.	022-22896600
ईमेल आईडी	dgupta@unionbankofindia.com

कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट की जानकारी

यूनियन बैंक कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2012-13 में पहली बार प्रकाशित कर रहा है और अब से अपनी इन पहलों को वार्षिक आधार पर प्रकाशित करेगा. इस दिशा में बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा के लिए निरंतर विकास एवं कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों के लिए गठित समिति की तिमाही आधार पर बैठक होती है और आवश्यक कार्रवाई की जाती है

बैंक की कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट **Main Page > About Us > Sustainable Development** लिंक पर देखी जा सकती है.

सिद्धांतवार कारोबारी उत्तरदायित्व नीतियां (हां/नहीं में उत्तर दें)

		राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों के सिद्धांत (एनवीजी)								
क्र.	**प्रश्न**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	क्या आपके द्वारा नीति/नीतियां बनाई गई हैं?	हां								
2	क्या नीतियां बनाते समय संबंधित स्टेकधारकों से सलाह ली गई?	हां								
3	क्या नीति राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल है? यदि हां, तो (50 शब्दों में) जवाब दें.	हां, बैंक की निरंतर विकास एवं कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कारोबार के सामाजिक, पारिस्थिक एवं आर्थिक उत्तरदायित्वों के संबंध में जारी राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों पर आधारित है.								
4	क्या यह नीति बैंक के निदेशक मंडल से अनुमोदित हैं. यदि हां, तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक / मालिक / प्रमुख कार्यकारी अधिकारी / सक्षम निदेशक के हस्ताक्षर हैं?	हां, बैंक की निरंतर विकास एवं कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है.								
5	क्या कंपनी ने इस नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए बोर्ड / निदेशक / अधिकारियों की निर्दिष्ट समिति बनाई है?	हां								
6	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक का उल्लेख करें?	**Main Page > About Us > Sustainable Development**								
7	क्या इस नीति को संबंधित आंतरिक एवं बाहरी स्टेकधारकों के बीच औपचारिक रुप से परिचालित किया गया है?	हां								
8	क्या कंपनी में नीति / नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए आंतरिक व्यवस्था है?									
9	क्या कंपनी में नीति / नीतियों के संबंध में स्टेकधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण मशीनरी की स्थापना की गई है?									
10	क्या कंपनी ने इस नीति के कार्यकलापों की किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी से निष्पक्ष लेखापरीक्षा/मूल्यांकन कराया है?	बैंक द्वारा हाल ही में बैंक की सतत विकास एवं कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार की गई है और इसकी गतिविधियों पर निरंतर विकास एवं कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति निगरानी रखेगी.								

खंड ई : सिद्धांत-वार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत 1 - योग्य कार्पोरेट गवर्नेंस

बैंक ने कार्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक जिम्मेवार एवं मूल्य-आधारित दृष्टिकोण अपनाया है. बैंक ने कार्यनिष्पादन के सभी स्तर पर सदैव निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदारी के मूलभूत मूल्यों पर जोर दिया है, जिससे स्टेकधारकों के मूल्य बढ़े हैं और उनके हित की रक्षा हुई है. बैंक इस दशक में अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है और उसका लक्ष्य है कि वह ग्राहकों की पसंद का पहला बैंक बने, जिससे आगे आने वाले वर्षों में यह कारोबार एवं लाभप्रदता की नई ऊचाइंया प्राप्त कर सके. बैंक अपने सभी कर्मचारियों से अपने कारोबार के सभी पहलुओं में ईमानदारी, एकनिष्ठा एवं निष्पक्षता को प्रदर्शित करने एवं व्यावसायिकता के उपयुक्त मानकों का प्रयोग करने और अपने प्रत्येक कार्य में नैतिक आचरण की आशा करता है. बैंक अपने कारोबारी साझेदारों व आपूर्तिकर्ताओं से भी कारोबार में इसी दृष्टिकोण की आशा करता है. बैंक किसी भी रूप में रिश्वत या भ्रष्टाचार को सहन नहीं करता है और इस नीति में किसी भी तरह उल्लंघन को बरदाश्त नहीं करता है या "शून्य सहनशीलता" रखता है.

इस संबंध में बैंक के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित नीतियां लागू हैं :

- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियमन, 1976.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियमन, 1976.
- भारतीय बैंक संघ के नेतृत्व में विभिन्न बैंकों के प्रबंधन और विभिन्न कर्मचारी संगठनों/ अधिकारी संघ के प्रतिनिधित्व में बैंक कर्मचारियों के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौता / संयुक्त नोट.
- सतत विकास एवं कार्पोरेट सामाजिक दायित्व.

पिछले कई वर्ष अच्छे कार्पोरेट व्यवहार के कारण बैंक ने अनेक पुरस्कार जीते हैं. बैंक ने वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में कार्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए "सर्टिफिकेट ऑफ रीकोगनीशन" प्राप्त किया था. बैंक वर्ष 2008-09 के लिए कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की भागेदारी सहित आईसीएसआई द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस व्यवहार में उत्कृष्टता के लिए 25 सर्वोच्च भारतीय कंपनियों में एक चुना गया था.

सिद्धांत 2 - सतत उत्पाद एवं सेवाएं.

बैंक भारत के आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है. यह अर्थव्यवस्था के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की जरूरतों के लिए ऋण प्रदान करता है. बैंक ने अर्थव्यवस्था की वृद्धि को गति प्रदान करने के लिए उद्योग, निर्यात, व्यापार, कृषि, मूलभूत संरचना एवं व्यक्तिगत खण्डों के विविध ऋण संविभागों में ऋण का विस्तार किया है.

अपनी वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत बैंक ने अनेक उत्पाद व सेवाएं प्रदान की हैं, जिनका ऊंचा सामाजिक प्रभाव है क्योंकि ये सभी उत्पाद व सेवाएं शोषित वर्गों की जरूरतों को सीधे पूरा करते हैं. वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंक के उत्पादों एवं सेवाओं, प्रोजेक्टों एवं स्कीमों को बैंक की कार्पोरेट वेबसाइट पर देखा जा सकता है.

मोबाइल बैंकिंग-यू मोबाइल
सरकारी क्षेत्रों के बैंकों में यूनियन बैंक पहला बैंक है जो अपने ग्राहकों को किसी शाखा या एटीएम मे जाये बिना ही राशि अंतरण की सुविधा देता है. यह ग्राहक का समय बचाने के साथ ही अंतरण के दूसरे माध्यमों के मुकाबलें किफायती भी है.

समाज / पर्यावरण के लिए उपयोगी कुछ अन्य उत्पाद नीचे दिए गए हैं:

1. दृष्टिबाधितों के लिए एटीएम: बैंक ने इस तरह के 100 एटीएम की स्थापना का कार्य पूरा किया है, जिसमें से कुछ व्हील कुर्सी का प्रयोग करने वाले शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए भी हैं.

दृष्टिबाधितों के लिये बोलता एटीएम

बैंक का बोलता एटीएम दिखाते हुए

बैंक ने विकलांग व्यक्तियों के लिये बोलता एटीम प्रारंभ किया. यह एटीएम दृष्टिबाधितों को आवाज (स्वर) की सहायता से संव्यवहार करने में समर्थ करता है, इसलिये इसे "बोलता एटीम" कहते हैं. इस एटीएम की बनावट इस तरह है कि विकंलाग व्यक्ति भी व्हील चेयर का उपयोग करके अंदर जा सकता है और लेन-देन कर सकता है.

2. कृषि एवं सहायक गतिविधियों के लिए नये ऊर्जा उपकरणों की खरीद हेतु किसानों को ऋण : वॉटर पम्प द्वारा वॉटर पंपिंग के लिए सोलर ऊर्जा पैदा करने हेतु सोलर वॉटर पंपिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिटों में प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरणों सहित सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम और एलइडी लाइटों व छोटे डीसी लोड के लिए सोलर लाइटिंग सिस्टम.

3. पंजाब में ग्रामीण जनता के लिए बायो-मेट्रिक एटीएम

4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद व सेवाएं.

5. ग्रामीण एवं कृषि बैंकिंग के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पाद, सेवाएं एवं स्कीम.

सम्पूर्ण एटीएम
बैंक वृहद बैंकिंग सेवाओं के लिये अपने एटीएम को "वन स्टॉप शॉप" में बदलने के प्रयास कर रहा है: यह अन्य सेवाओं के अलावा राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिक निधी अंतरण (एनईएफटी), अंतर बैंक मोबाइल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), यूनियन ईकैश और स्वयं के म्यूच्यूल फंड-यूनियन केबीसी, एएमसी आदि में एटीएम के माध्यम से निवेश करने की सुविधा भी देता है.
एटीएम के माध्यम से वृहद सुविधा उपलब्ध कराना बैंक की वर्तमान पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राहक सेवा उत्कृष्टता और सभी चैनल में बेहतरीन ग्राहक अनुभव प्रदान करना है.

अपने कारोबारी परिचालनों के लिए बैंक ऊर्जा, जल सरीखे प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग भी करता है जिसका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है परंतु अन्य उद्योगों की तुलना में यह बहुत कम होता है. फिर-भी, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि उसके परिचालनों से कम-से-कम नुकसान हो. बैंक अपनी अधिकांश उपभोग्य वस्तुएं स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीदता है. बैंक ने स्थानीय एवं छोटे विक्रेताओं (वेंडरों) की क्षमता एवं सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए भी ऋण योजनाएं बनाई हैं, इनमें प्रभारित ब्याज-दर अपेक्षाकृत कम होती है और पुनर्भुगतान उस इकाई की नकदी उत्पादक क्षमता के अनुसार निर्धारित किया जाता है.

बैंक के परिचालनों से उत्सर्जन / रद्दी में कोई खास वृद्धि नहीं होती, फिर भी, पुराने रिकॉर्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद नष्ट करने के लिए और उसके बाद री-सायकलिंग के लिए कागज़ उद्योग को बेचने के लिए बैंक ने एक नीति बनाई है. उत्पादों की री-सायकलिंग एवं रद्दी का प्रतिशत 10% से अधिक संवर्ग में आता है.

सिद्धांत 3 : कर्मचारी प्रथाएं

बैंक को विश्वास है कि इसके कर्मचारी बैंक की कामयाबी में एक महत्वपूर्ण घटक है. बैंक अपना अच्छा कार्यनिष्पादन कर्मचारियों के माध्यम से ही कर सकता है अत: बैंक, समर्पित तथा निपुण व्यक्तियों को आकृष्ट करने तथा उन्हें सेवा में बनाये रखने की आवश्यकता को समझता है. बैंक की पदोन्नति नीति आकर्षक है, जिसमें फास्ट ट्रैक पदोन्नति शामिल है. इसमें गुणवान कर्मचारियों का ध्यान रखा जाता है. नीति का उद्देश्य बैंक के कर्मचारियों को कार्य के विभिन्न अवसर तथा पदोन्नति प्रणाली के जरिए प्रोत्साहन देकर कैरियर में गति प्रदान करना है.

बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए भरपूर सुविधाएं, लाभ तथा कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, ताकि वे व्यक्तिगत एवं कारोबारी जीवन में संतुलन बनाये रख सकें. उदाहरण के लिए बैंक के पास कर्मचारियों के लाभ के लिए अस्पतालीकरण योजना है तथा देश भर में बैंक ने कई अस्पतालों के साथ टाइ-अप व्यवस्था है. कर्मचारी इन अस्पतालों में प्रवेश तथा उपचार करा सकते हैं तथा बिलों का भुगतान बैंक द्वारा सीधे किया जाता है. पात्र रकम से अधिक राशि को कर्मचारी से यथासमय वसूल किया जाता है. कर्मचारी ऐसी अतिरिक्त रकम के संबंध में अनुग्रह रकम के लिए भी आवेदन कर सकता है. इसी प्रकार बैंक के पास 24 कल्याण योजनाएं हैं, जिन्हें 5 प्रमुख संवर्गों में समूहित किया जा सकता है, जिनमें कैंटीन अनुदान, शिक्षा, चिकित्सा तथा अस्पतालीकरण, सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा अन्य कल्याणकारी उपाय शामिल हैं.

अन्य उपायों में स्वास्थ्य कैंप, बैंक के स्थापना दिवस समारोह, हिंदी दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि शामिल हैं. साथ ही सिल्वर जुबिली अवार्ड तथा कर्मचारियों तथा उनके बच्चों को शिक्षा, स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक गतिविधियों आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान शामिल है.

बैंक ने कुछ वर्ष पहले मानव संसाधन रूपांतरण आरंभ किया, जिसका उद्देश्य उद्योग की उत्कृष्ट प्रथाओं को अंगीकार कर, अपनी मानव संसाधन कार्यनीति का समन्वय कारोबार कार्यनीति के साथ करना है. मानव संसाधन रूपांतरण परियोजना दृष्टिकोण के तीन चरण हैं,(समस्याओं का पता लगाना, उन्हें दूर करने की योजना बनाना तथा उसे क्रियान्वित करना) जिनके उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिसमें नीतियों, प्रक्रियाओं तथा प्रणालियों को सरल बनाना, वस्तुनिष्ठ कार्यनिष्पादन प्रबंधनप्रणाली (पीएमएस) का कार्यान्वयन, जनबल आवश्यकता के लिए सूचना, योग्यता मॉडेल तथा मैपिंग आदि शामिल है.

दिनांक 31 मार्च 2013 को बैंक में कुल 31,798 कर्मचारी थे, जिनमें 6136 महिलाएं तथा 342 अपंग कर्मचारी शामिल हैं.

बैंक ने रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान 128 ग्राहक संपर्क कार्यपालक भी संविदा आधार पर नियुक्त किये हैं.

मानव अधिकारों का ध्यान:

बैंक, अपने सभी परिचालन क्षेत्रों तथा अधिकार क्षेत्रों के भीतर मानवाधिकारों का समर्थन तथा उसका सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक ने कभी भी बाल मजदूर, बेगारी तथा अनिच्छुक श्रम को स्वीकृती नहीं दी है. साथ ही रिपोर्टिंग वर्ष में स्टेक होल्डरों को इस संबंध में कोई शिकायत नहीं रही. बैंक ने "कार्यस्थल पर यौन शोषण शिकायत समिति" की स्थापना की है तथा इस प्रयोजन से शिकायतों के निवारण हेतु समुचित उपाय किए हैं. बैंक, कर्मचारी समूहों/संघों के निर्माण तथा सामूहिक रुप से उनकी चिंताओं के प्रति आवाज उठाने संबंधी अधिकार का सम्मान करता है. बैंक में कई कर्मचारी संगठन हैं. बैंक कुल स्टाफ संख्या में से अधिकतम सदस्यता वाले संगठन को मान्यता प्रदान करता है. दिनांक 31 मार्च 2013 को अधिकारियों सहित 28549 कर्मचारी, जो कि कुल कर्मचारियों का 92.65 प्रतिशत हैं, मान्यता प्राप्त संगठनों सहित विभिन्न कर्मचारी/अधिकारी संघों के सदस्य हैं.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों का कल्याण

बैंक ने अपने उच्च कार्यपालक, जो महाप्रबंधक स्तर का हो, उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिये संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है.

संपर्क अधिकारी व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के बीच नियमित रूप से तिमाही बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के मुद्दों को हल किया जाता है.

उद्योग स्तर पर वेतन समझौता

भारतीय बैंक संघ, जो बैंक का प्रतिनिधित्व करता है, मान्य यूनियनों/संघों के बीच सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया व मांग के निपटान द्वारा वेतन समझौते करता है. यह वेतन संशोधन 5 वर्षों के लिये मान्य होता है.

प्रशिक्षण तथा कर्मचारियों के कौशल का विकास:

यूनियन बैंक में प्रशिक्षण बैंक की एक जिम्मेदारी है जिसे उच्च प्रबंधन द्वारा अपनी बहुविध चैनल प्रशिक्षण केंद्रों तथा कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निभाया जाता है. एक अध्ययनकर्ता संगठन के रूप में बैंक आधुनिक ज्ञान प्राप्त करने, निरंतर पुनर्योग्यता तथा कौशलवर्धक कार्यकलाप तथा अभिवृत्तीय सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है. बैंक का प्रशिक्षण मिशन स्टेटमेंट "व्यक्ति तथा बैंक के विकास के लिए निरंतर अध्ययन की संस्कृति को बढावा देना " है.

बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली की एक मुख्य विशेषता स्टाफ सदस्यों को आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उसे संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है. बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि स्टाफ सदस्य मूल कार्यकौशल तथा अपनी वैयक्तिक जिम्मेदारियों संबंधी ज्ञान में सक्षम है. कर्मचारी के संपूर्ण संगठनात्मक जीवन चक्र अर्थात् प्रवेश से लेकर निकास तक की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा पूरा किया जाता है, जिसमें बैंगलूर स्थित शीर्षस्थ महाविद्यालय के साथ देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित 7 प्रशिक्षण केंद्र अर्थात् अलुवा, अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, गुड़गांव, लखनऊ तथा पवई (मुम्बई) शामिल हैं. नयी मांगों को पूरा करने के लिए, संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न लोकेशनल कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है.

स्टाफ सदस्यों को अद्यतन प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की दृष्टि से आंतरिक तथा बाह्य संकाय को न्यायोचित रूप से नियुक्त किया जाता है. उचित मामलों में स्टाफ सदस्यों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए भी प्रतिनियुक्त किया जाता है. बैंक हाउसकीपिंग स्टाफ से लेकर उच्च कार्यपालक तक की कर्मचारियों की सभी श्रेणियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करता है.

वर्ष 1997 में बैंक ने कुछ प्रतिष्ठित विदेशी परामर्शदाताओं की मदद से पुनर्निर्माण कार्यक्रम चलाया, जिससे अद्यतन प्रशिक्षण तकनीक का प्रारंभ हुआ. उन्हें अब मानकीकृत किया गया है तथा प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा अपनाई गयी अभिनव प्रथाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं ने सराहा है तथा पुरस्कृत भी किया हैं. इसमें उत्कृष्ठ प्रशिक्षण प्रणाली के लिए गोल्डन पीकॉक ट्रेनिंग नैशनल अवार्ड शामिल है, जो वर्ष 1998, 2005, 2007, 2011 तथा 2012 में प्राप्त हुआ है.

बैंक का प्रयास है "उत्कृष्टता के लिए प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता"

वर्ष 2012-13 के दौरान प्रदत्त प्रशिक्षण के ब्यौरे

संवर्ग	प्रशिक्षितों की सं.
कुशल	16367
अकुशल	799
कुल	17166

ब्यौरे	पुरूष	महिला	विकलांग	कुल
महाविद्यालय/केन्द्र कार्यक्रम	9384	2018	58	11460
कार्यशालाएं	3560	440		4000
स्थानीय कार्यक्रम	1399	307		1706
कुल	14343	2765	58	17166

सिद्धांत 4- स्टेकधारकों से वादा

यूनियन बैंक का विश्वास स्टेकधारकों से प्रभावी और लगातार संबंध बनाए रखना है, जो संगठन की दीर्घकालीन सफलता और स्थायित्व की कुंजी है. बैंक स्टेकधारक को ऐसा व्यक्ति मानता है, जो बैंक के परिचालनों से प्रभावित होता है या जो बैंक के परिचालनों को प्रभावित करता है.

बैंक ने अपने स्टेकधारकों की पहचान की है और उन्हें आंतरिक और बाह्य में वर्गीकृत किया है, जिससे संबंधों में प्रगाढ़ता लाने की योजना बनाई जा सके. बैंक के आंतरिक स्टेकधारकों में कर्मचारी, शेयरधारक और प्रवर्तक शामिल हैं, जबकि बाह्य स्टेकधारकों में ग्राहक, स्थानीय समुदाय/ आपूर्तिकर्ता, एनजीओ, औद्योगिक एसोसिएशन, नियामक निकाय आदि शामिल हैं, पर यह सूची यहीं तक सीमित नहीं है. यूनियन बैंक अपने परिचालनों की शुरुआत से ही अपने सभी स्टेकधारकों से विभिन्न संप्रेषण चैनलों के माध्यम से औपचारिक या अनौपचारिक रुप से जुड़ा है.

बैंक ने ऐसे कुछ स्टेकधारकों की पहचान की, जो वंचित, संवेदनशील या हाशिए पर थे और उन्हें विशेष उत्पाद/योजनाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया. इन स्टेकधारकों के कुछ समूहों में कृषि ग्राहक, एमएसएमई ग्राहक, स्वसहायता समूह (एसएचजी), अल्पसंख्यक समूह, शहरी मजदूर और फेरीवाले, पिछड़े गांवों में रह रहे ग्रामीण आदि शामिल हैं और यह यहीं तक सीमित नहीं है. ऐसे सभी स्टेकधारकों के लिए, बैंक ने विशिष्ट उत्पाद, सेवाएं और योजनाएं बनाई हैं, जिनके विवरण बैंक की कारपोरेट वैबसाइट पर उपलब्ध हैं.

ग्राहक

बैंक के केंद्रित प्रयास उसके समस्त संपर्क स्थलों अर्थात् शाखा, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कॉल सेंटर इत्यादि पर उत्कृष्ट ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध हैं.

विदेशों में उपस्थिति :

बैंक ने 2008 में हांगकांग में अपनी पहली शाखा और आबू धाबी (यूएई), बीजिंग और शंघाई (चीन), सिडनी (आस्ट्रेलिया) एवं लंदन (यूके) में 5 प्रतिनिधि कार्यालय खोलकर विदेशी धरती पर अपने पैर फैलाना शुरु किया था. 2008 में हांगकांग में खोली गई शाखा हांगकांग एवं सिंगापुर में बसे भारतीय कारोबारियों के साथ ही साथ भारतीय कंपनियों की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करती है.

दूसरी विदेशी शाखा मार्च 2013 में डीआईएफसी, दुबई में खोली गई.

दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी) में ओवरसीज़ शाखा का शुभारंभ

श्री नमो नारायण मीणा, माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार ने श्री डी. सरकार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की उपस्थिति में दुबई इंटरनेशनल फाईनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी) में बैंक की दूसरी ओवरसीज़ शाखा का शुभारंभ करते हुए.

डीआईएफसी विशेष रूप से स्थापित एक वित्तीय हब है. यहां पर उपलब्ध सुविधाओं एवं मित्रतापूर्ण स्थितियों का लाभ उठाकर इस क्षेत्र के कारोबार को तेज गति से विस्तार करने हेतु आदर्श स्थिति है. यूनियन बैंक की डीआईएफसी शाखा की शुरुआत बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही साथ यूएई एवं भारत के विकास में योगदान देगी.

ग्राहक संप्रेषण को विभिन्न अवस्थाओं यथा- उत्पादों/सेवाओं की जानकारी देने, कारोबारी लेन-देन करते समय और फीडबैक प्राप्त करते समय प्राथमिकता से लिया जाता है.

उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु, बैंक ग्राहकों से जुड़ने/संप्रेषण के लिए निम्नलिखित उपाय अपना रहा है.

- बैंक ने ग्राहक संबंध अधिकारी नियुक्त किये है, जिनके लिये यह आवश्यक है कि वे नियमित रूप से ग्राहक के सम्पर्क में रहे जिससे ग्राहक से संबंध और भी घनिष्ठ हों.
- बैंक अपने स्टाफ के लिये कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, जिससे शिकायतकर्ता कैम्पैनर मे बदला जा सके.
- बैंक विपणन के लिये मीडिया का भी सहारा लेता है, जिससे वे ग्राहक को विभिन्न प्रकार के नए उत्पाद व सेवाओं के बारे में बता सके. गत वर्ष का विषय तकनीकी नवप्रवर्तन. गत वर्ष बैंक को एबीसीआई (Association of Business Communication of India) द्वारा विपणन व शाखा संप्रेषण हेतु अवार्ड प्राप्त हुआ था.
- बैंक ने 24x7 की तर्ज पर खुद का कॉल सेंटर शुरू किया, जिससे ग्राहक की शंकाओं का निवारण किया जा सके.
- बैंक शाखा स्तर, क्षेत्रीय स्तर व कॉरपोरेट स्तर पर तिमाही ग्राहक बैठक आयोजित करता है. बैंक इस मंच का उपयोग ग्राहक से संपर्क स्थापित करने व अपने उत्पाद व सेवाओं में हुए नवीन विकास की जानकारी देता है जैसे "अपने ग्राहक को जाने" (केवाइसी) का पालन, इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते समय बरतने वाली सावधानियां ग्राहक से संबद्ध व सभी क्षेत्र, जिससे सुरक्षित बैंकिंग बढ़ती है. इन सभी बैठकों में बैंक की तिमाही प्रगति भी बताई जाती है.
- बैंक ने एक समर्पित कस्टमर केयर यूनिट बनाया है, जो ग्राहकों के सभी सप्रेषणों का उत्तर देता है, और सिस्टम में सुधार के लिए प्राप्त फीडबैक का अध्ययन और मूल कारण का विश्लेषण करता है और उसे पूरी तरह सुधारने की कोशिश करता है. इंटरनेट बैंकिंग व एटीएम में पिन प्राप्त न होने की शिकायतों में कुछ वर्षों में काफी गिरावट आई है. कस्टमर केयर यूनिट ग्राहक की शिकायतों के निपटान के संतुष्टि स्तर की भी जांच करता है.
- **यूनियन एक्सपीरियंस**

  बैंक की 3500 से अधिक शाखाएं ग्राहकों के साथ संबंध स्थापित करने के प्राथमिक बिंदु हैं. आनंददायी ग्राहक अनुभव उपलब्ध कराने की दृष्टि से, बैंक रुपांतरण यात्रा पर है और बैंक की विभिन्न शाखाएं "यूनियन एक्सपीरिएन्स" नाम से एक मॉडल के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है. इस नई शाखा मॉडल में, 35% के प्रतिशत की तुलना में 65%स्टाफ ग्राहकों की सीधी पहुंच में रहता है. इन शाखाओं का स्टाफ ग्राहकों से सक्रिय रुप से निपटने और उनकी विशिष्ट जरुरतों के अनुरुप वित्तीय समाधान मुहैय्या कराने हेतु प्रशिक्षित होता है.

बैंक की 200 वीं यूनियन एक्सपीरियंस शाखा ग्राहक सेवा के संवर्धित स्तर हेतु रुपांतरण की यात्रा में एक मील का पत्थर है. यह शाखा स्व सेवा पास बुक प्रिंटर, एक चेक जमा मशीन, जो चेक स्वीकार करती है और ग्राहकों को लिखत की फोटो प्रति सहित पावती उपलब्ध कराती है और फोन बैंकिंग सेवा, जिसे यूनियन रीच नाम दिया गया है और जो 9 भाषाओं में ग्राहक की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, सहित अत्याधिक स्व सेवा लॉबी रखती है.

200वीं यूनियन एक्सपिरियेन्स शाखा, महालक्ष्मी, मुंबई में

यूनियन बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी. सरकार, कार्यपालक निदेशक श्री एस. एस. मूंदडा व श्री एस. के. जैन ने महालक्ष्मी, मुंबई में स्थित यूनियन एक्सपीरिएंस शाखा का उद्‌घाटन किया.

कर्मचारीगण

- बैंक की आंतरिक गृहपत्रिका 'यूनियन धारा' संगठन की संस्कृति, ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता और वित्तीय समावेशन और ग्रामीण विकास जैसे विकास के प्रमुख क्षेत्रों की बेहतर समझ के निर्माण के लिए है. यूनियन धारा निरंतर एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्यूनिकेटर्स ऑफ इंडिया(एबीसीआई)से पुरस्कार जीतती आई है. हाल ही में, यूनियन धारा ने एबीसीआई के पचासवें पुरस्कार वितरण समारोह में प्रतिष्ठित "मैगजीन ऑफ द ईयर" सहित 7 पुरस्कार जीते हैं.

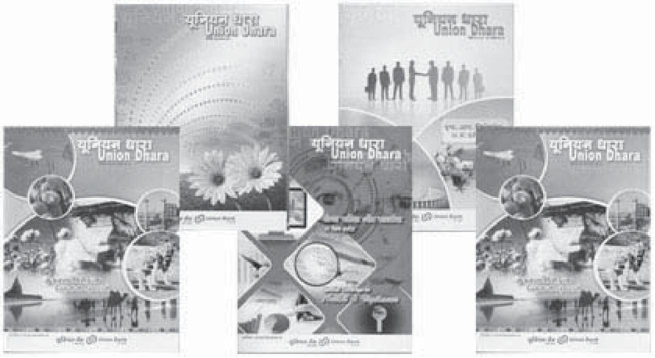

- बैंक के कर्मचारियों को समर्पित इंट्रानेट पोर्टल, जिसमें सभी आंतरिक नीतियां, दिशानिदेश, कोड, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से संप्रेषण होता है, के माध्यम से संप्रेषण प्रेषित किए जाते हैं.
- केंद्रीय कार्यालय से क्षेत्र/ शाखाओं का अप्रनि/कानि/महाप्रबंधक द्वारा आवधिक निरीक्षण किया जाता है.
- बैंक के पास innovation@unionbankofindia.com शीर्षक के अंतर्गत देश भर से स्टाफ सदस्यों से फीडबैक प्राप्त करने हेतु समर्पित ऑन-लाइन प्रक्रिया है. उत्पाद, प्रक्रिया और सेवाओं में विकास/सुधार के लिए कर्मचारियों के सुझाव एकत्र, विश्लेषित और कार्यान्वयन के दौरान ध्यान में लिए जाते हैं.

निवेशक

- बैंक प्रत्येक तिमाही निष्पादन की विशेषताओं सहित संक्षिप्त तुलन पत्र प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करता है.
- बैंक के निष्पादन के बारे में शेयरधारकों को अर्ध-वार्षिक संप्रेषण के माध्यम से भी बैंक सूचना देता है.
- बैंक तिमाही आधार पर विश्लेषकों और निवेशकों की बैठक भी आयोजित करता है.

सोसाइटी

- बैंक भारत में बैंकिंग उद्योग की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए सरकार एवं अन्य प्रमुख बैंकों से निरन्तर सम्पर्क रखता है और विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन और उद्योग स्तर के मुद्दों में सक्रिय भागीदारी रखता है.
- बैंक ने 150 गांवों को आदर्श ग्राम में परिवर्तित करने हेतु अंगीकृत किया है. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक ने ग्रामवासियों से आपसी समन्वय और कार्यक्रम के प्रभाव को बढ़ाने हेतु इन गावों के आवधिक दौरे किए.

यूनियन बैंक आफ इंडिया को वर्ष 2010-11 के लिये प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड से सम्मानित किया गया.

हिन्दी का समुचित प्रयोग, हिन्दी भाषी किसानों व अन्य हिताधिकारियों के बड़े समुदाय को लाभ पहुचाने में सहायक सिद्ध हुआ.

इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड

राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी के करकमलों से पुरस्कार प्राप्त करते हुए यूनियन बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री डी. सरकार.

यूनियन बैंक ने कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया से प्रतिष्ठित आई-टी इनोवेशन अवार्ड प्राप्त किया है. केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री अजीत सिंह, द्वारा इस सम्मान के साथ ₹ 1,00,000 का नकद पुरस्कार दिया गया.

यूनियन बैंक को यह सम्मान दृष्टिबाधितों के लिये बोलता एटीएम आरंभ करने पर प्राप्त हुआ. यह समाधान सभी बैंकों के ग्राहकों के डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड पर काम करता है.

प्रतिष्ठित आई-टी इनोवेशन अवार्ड

माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री अजीत सिंह से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री आर. के. चौधरी, उप महाप्रबंधक कोलकाता और श्री डी. के. कनवरिया, सहायक महा प्रबंधक, वैकल्पिक डिलीवरी चैनल.

सभी स्टेकधारकों से प्रभावी संप्रेषण कायम रखने के लिए बैंक की वेबसाइट भी विकसित की गई है, जिससे बैंक के स्टेकधारकों से नियमित संपर्क रखा जा सके.

सिद्धांत 5 - मानव अधिकारों के लिए सम्मान

भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के नाते तथा एक जिम्मेदार कार्पोरेट इकाई के रूप में बैंक की यह जिम्मेदारी है कि वह केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय सरकार अथवा मानवाधिकार के संबंध में संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित सभी निर्देशों, अनुदेशों व आदेशों का सच्चे मन से सम्मान करते हुए पालन करे.

बैंक की नीतियां अपने कर्मचारियों के साथ-साथ बैंक के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले शेयरधारकों के मानवाधिकारों के मुद्दे पर आधारित है. बैंक यह आशा करता है कि उसके कारोबारी भागीदार, जिसमें आपूर्तिकर्ता, कारोबार संपर्की आदि शामिल हैं, बैंक के कर्मचारियों के मानव अधिकारों का सम्मान करें तथा उनके इन अधिकारों के उल्लंघन से बचें. बैंक को इस रिपोर्टिंग वर्ष में मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है.

सिद्धांत 6 - पर्यावरण पर प्रभाव

बैंक के कामकाज की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत प्रदूषण रहित है, बैंकिंग में संचालित गतिविधियां और उसकी सेवाएं और उत्पाद मूल रूप से वित्त तथा बीमा संबंधी क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं. उनके कारण से पर्यावरण पर पड़ने वाला दबाव अर्थव्यवस्था के अधिकांश अन्य क्षेत्रों से पड़ने वाले प्रभाव की तुलना में काफी कम है.

फिर भी, बैंक ने पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए यथासंभव महत्त्वपूर्ण कदम उठाए है. बैंक ने अपनी शाखाओं और एटीएम के विशाल नेटवर्क तथा कारोबार संपर्की मॉडल के द्वारा देश के दूरस्थ स्थानों पर भी हर जगह चौबीसों घंटे बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कोर बैंकिंग कार्यप्रणाली को अपनाया है. बैंक में प्रयुक्त अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी दस्तावेज विहीन आंकड़ों के आदान-प्रदान को तेज गति से निपटाने में सक्षम है. इसके अतिरिक्त, बैंक ने सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करने को अनिवार्य कर दिया है तथा ग्राहकों को भी ई-भुगतान के तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है.

बैंक द्वारा बिजली की बचत के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं तथा पेपरलेस (कागज रहित) बैंकिंग को प्रोत्साहित करने और उसे सरल बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. ऐसे स्टार-रेटेड बिजली उपकरणों के उपयोग को बढ़ाया जा रहा है, जो बिजली की खपत कम करते हों. बैंक द्वारा परिचालन के प्रभावों को कम करने के लिए कुछ नए कदम उठाए जा रहे हैं, जो निम्न हैं :

- कार्पोरेट कार्यालय के सभी कारों को सीएनजी आधारित बनाया जा चुका है, जिससे कि उससे कहीं अधिक प्रदूषण फैलाने वाले पेट्रोल और डीजल ईंधन पर निर्भरता कम की जा सके.
- बैंक ने बिजली के उपकरणों तथा एयर कंडीशनर्स में गति संवेदक या मोशन सेंसर स्थापित किया हैं जिससे केबिन के दो मिनट से अधिक समय से खाली रहने पर कमरे में बिजली आपूर्ति बंद हो जाती है और कमरे में किसी के प्रवेश के साथ ही पुन: स्वत: चालू हो जाती है.

बैंक उन उद्योगों को ऋण नहीं देती है, जो ओजोन क्षयकारक पदार्थ उत्पादित करते हैं. अपनी ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में बैंक प्रदूषण फैलाने वाली संस्थाओं को नकरात्मक रूप से लेती है और उन उद्योगों को ऋण स्वीकृत नहीं करती है, जिन्हें पर्यावरण सुरक्षा अनुमति प्राप्त नहीं है.

बैंक ऐसे प्रकल्प/परियोजना को प्रोत्साहित करता है, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत आने वाले स्वच्छ विकास प्रक्रिया के तहत स्वीकृत हैं.

चूंकि बैंकिंग गतिविधियों में पर्यावरण को क्षति पहुँचाने की संभावना कम है, इसलिए बैंक ने कोई औपचारिक पर्यावरण जोखिम मूल्यांकन नही किया है. बैंक अपनी भिन्न परिचालन गतिविधियों के रहते किसी प्रकार का महत्वपूर्ण स्त्राव/क्षय नही करता है. अत: जो भी स्त्राव/क्षय होता है, वह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बताई गई सीमा के अंदर होता है. बैंक द्वारा किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया गया है.

सिद्धांत 7- जनहित का समर्थन

यूनियन बैंक कई वित्तीय व उद्योग संबद्ध व्यापार चेम्बर व संस्था का सदस्य है, जिनमें मुख्य है:

a) भारतीय बैंक संघ (आईबीए)

b) भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ)

c) द असोसिएटेड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचेम)

d) भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ (एफआईसीसीआई)

e) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)

जनहित की नीति के लिए बैंक संयुक्त मंच का उपयोग करता है, जैसे कि व्यापारिक चेम्बर व औद्योगिक संघ, जिनका बैंक सदस्य है और बैंक यह काम पूर्ण जिम्मेदारी व नैतिकता के साथ करता है. बैंक विधिनिर्माता व अन्य सरकारी पदाधिकारियों के संपर्क में रहता है, जिससे बैंक के व्यापार व उसके कर्मचारियों को प्रभावित करने वाली नीति व कानून बनाने में सहयता कर सके. बैंक का मुख्य केंद्र बिन्दु संयुक्त विकास, वित्तीय समावेशन व वित्तीय साक्षरता है .

इसके साथ ही बैंक के उच्च कार्यपालक विभिन्न समितियों में नामित हैं, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबै), भारतीय बैंक संघ (आईबीए), ग्राहक सेवा में सुधार के लिए कार्यरत अन्य संस्थाएं.

सिद्धांत 8 - समावेशी विकास

देश के कोने-कोने में फैली हुई 1.2 बिलियन भारतीय आबादी का 41% हिस्सा न केवल छः लाख से अधिक गावों में, बल्कि महानगरों और शहरों की गंदी बस्तियों में रहता है, जो अभी भी बैंकरहित हैं अर्थात् उन्हें औपचारिक वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं. देश के वास्तविक और समावेशी विकास हेतु देश के प्रत्येक नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में बैंकिंग संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस बात पर विश्वास करता है कि गरीबों को दी जानेवाली सेवाओं की लागत नवोन्मेषी डिलीवरी मॉडल के माध्यम से यदि कम की जाती है, तो गरीबों को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराना एक सार्थक अवसर होगा. बैंक ने वित्तीय समावेशन को अपने कारोबार का एक प्रमुख उद्देश्य माना है और हमारा बैंक उन चुनिंदा बैंकों में से एक है, जिसने पिछले 5-6 वर्षों से अपनी कारोबार योजना में वित्तीय समावेशन की योजना को भी शामिल किया है.

बैंक ने 2010-13 के लिए तीन वर्ष की वित्तीय समावेशन योजना बनाई है, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है. वित्तीय समावेशन में जो लक्ष्य रखा गया है, उसे प्राप्त करने हेतु बैंक ने महा प्रबंधक की निगरानी में कार्पोरेट कार्यालय में अलग से वित्तीय समावेशन वर्टिकल की स्थापना की है, जो बैंक द्वारा की गयी वित्तीय समावेशन की पहल की प्रगति और 100% सार्थक वित्तीय समावेशन प्राप्ति के प्रभाव और अब तक बैंक रहित गांवों में पहुंच का अनुश्रवण करता है.

वित्तीय समावेशन अभियान प्रारंभ करने के केवल तीन साल के अंदर बैंक ने बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड टेक्नालॉजी के तहत 12.50 मिलियन ग्राहकों को कवर करते हुए उल्लेखनीय प्रगति की है, जो बैंक के वित्तीय समावेशन विजन को वास्तविकता में बदलने का द्योतक है. बैंक का वित्तीय समावेशन प्रोजेक्ट शाखा नेटवर्क तथा शाखा रहित बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से प्रारंभ किया गया है. इसमें निम्नलिखित पर लक्ष्य केन्द्रित किया गया है:

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम(मनरेगा) / सामाजिक सुरक्षा पेंशन (एसएसपी) लाभार्थी.
- दुग्ध आपूर्तिकर्ता
- सामान्य वित्तीय समावेशन ग्राहक
- शहरी गरीब

9 कारोबार संपर्की मॉडल के माध्यम से शाखा रहित बैंकिंग गतिविधियों के लिए एंड टू एंड वित्तीय समावेशन सोल्यूशन मुहैया कराने हेतु बैंक ने 9 प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता (टीएसपी)को नियुक्त किया है. स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को वित्तपोषण करने हेतु कर्नाटक में कार्यरत मशहूर एनजीओ श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट के साथ बैंक ने टाई अप किया है. यह स्वयं सहायता समूह मुख्यत: कृषि तथा विविध संबद्ध गतिविधियों में कार्यरत है, जिससे ग्रामवासियों को लाभकारी रोजगार और आय उत्पन्न होती है.

महिलाओं द्वारा तैयार किए गये संयुक्त देयता समूहों के लिए बैंक ने एक विशेष ऋण उत्पाद तैयार किया है. इसके तहत बायोमेट्रिक तकनीक का उपयोग करते हुए कारोबार संपर्की मॉडल के माध्यम से ऋण नियोजन किया जाता है. बैंक ने प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता को निदेश दिए हैं कि इस ऋण उत्पाद का कार्यान्वियन कारोबार संपर्कियों के माध्यम से करें.

वित्तीय समावेशन में बैंक की उल्लेखनीय प्रगति निम्नानुसार है :

- वर्तमान में बैंक 12.50 मिलियन वित्तीय समावेशन ग्राहकों को बैंकिग सेवा मुहैया करा रहा है और कारोबार संपर्की मॉडल के माध्यम से देश के 29497 बैंक रहित गावों को कवर किया गया है.
- शाखा रहित बैंकिंग हेतु तकनीक का अधिक उपयोग किया जा रहा है अर्थात बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड टेक्नॉलाजी, प्री-पेड मोबाइल प्लॅटफार्म, मोबाईल वैन बैंकिंग. बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड और जनाधार रुपे कार्ड के प्रयोग में बैंक अग्रणी है. बैंक निम्नलिखित में भी अग्रणी है:
- बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड आधारित शाखा रहित बैंकिंग शुरु करने में अग्रणी.
- शहरी गरीबों के लिए बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड आधारित बैंकिंग प्रारंभ करने वाला पहला बैंक.
- साप्ताहिक समान किश्तों के साथ माइक्रो क्रेडिट उत्पाद प्रारंभ करनेवाला पहला बैंक.
- माईक्रो क्रेडिट उत्पाद के साथ माइक्रो बीमा देनेवाला पहला बैंक.
- पहचान किए गये इलाकों में बायोमेट्रिक कार्ड आधारित प्रेषण उत्पाद प्रारंभ करनेवाला पहला बैंक.

- शाखा रहित बैंकिंग के माध्यम से जी 2 पी भुगतान में अग्रणी.

वित्तीय समावेशन पहल के अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से कई सामुदायिक विकास परियोजनाओं में भी योगदान दिया है. बैंक द्वारा की गयी सीएसआर पहल के ब्यौरे इस रिपोर्ट के भाग बी में कवर किए गये हैं.

बैंक द्वारा की गयी अन्य पहल और फोकस एरिया में निम्नलिखित शामिल हैं:

- यूनियन आदर्श ग्राम के तहत पिछड़े गावों का अंगीकरण.
- बैंक ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) स्थापित कर ग्रामीण युवाओं को नि:शुल्क भोजन और आवासीय गहन अल्पावधि स्व रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम दे रहा है, जिससे वे अपने माइक्रो उद्यम सफलता से चलाने हेतु स्व रोजगार पहल तथा कौशल उन्नयन कर सकें.
- स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ लिंकेज स्थापित करना, सदस्यों और ग्राहकों की सहभागिता, क्षमता वृद्धि और सशक्तीकरण पर ध्यान देना.
- स्कूली शिक्षा हेतु गरीब बालिकाओं का अंगीकरण.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक "बैंकर ऑफ द ईयर" अवार्ड लेते हुए

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को स्कॉच कंसलटेंसी द्वारा उनके वित्तीय समावेशन अवार्ड 2013 के अंतर्गत "बैंकर ऑफ द ईयर" अवार्ड से सम्मानित किया गया. हाल ही में बैंक को भारतीय बैंक संघ द्वारा वित्तीय समावेशन के लिए "सर्वश्रेष्ठ बैंक वर्ष 2012" के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया.

स्व रोजगार, माइक्रो क्रेडिट, ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण और स्वयं सहायता समूह में बैंक द्वारा किये जा रहे प्रयासों पर सावधानी से ध्यान दिया जा रहा है. विविध योजनाओं के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा यूनियन बैंक सोशल फाऊंडेशन ट्रस्ट द्वारा आवधिक स्तर पर की जाती है.

सामाजिक उद्देश्यों के कार्यान्वयन की दिशा में, यूनियन बैंक निम्नलिखित 14 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारियों को गर्व से पूरा कर रहा है.

- उत्तर प्रदेश में वाराणसी, चंदौली, संत रविदास नगर(भदोही), जौनपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर.
- मध्यप्रदेश में रीवा, सिधी और सिंगरौली.
- केरल में एर्णाकुलम, इडुक्की.
- बिहार में समस्तीपुर और खगड़िया.

अग्रणी बैंक की भूमिका के रूप में यूनियन बैंक अपने अग्रणी जिलों में निम्नलिखित कार्यों को सुनिश्चित करता है-

- शाखा विस्तार, जमाराशियों का संग्रहण और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देना.
- जिला ऋण योजना/वार्षिक ऋण योजना की तैयारी और कार्यान्वयन
- एसीपी और सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में भौतिक और वित्त से संबंधित समग्र प्रगति का अनुश्रवण करना.
- पात्र लाभार्थियों को अनुदान/लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित कराना.
- वित्तीय समावेशन
- वित्तीय साक्षरता, क्रेडिट परामर्श और क्रेडिट प्लस गतिविधियां.
- समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैंक और सरकार को एक साथ काम करने में समर्थ बनाना.

अग्रणी जिलों में दिये गए कुल अग्रिमों में से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम और कृषि अग्रिम में बैंक का योगदान क्रमश: 62.87% और 30.54% है.

एर्णाकुलम जिला, जो हमारे बैंक के अग्रणी जिलों में से है, उसे दिनांक 22 नवंबर 2012 को आयोजित कार्यक्रम में केरल के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा "सार्थक वित्तीय समावेशन" प्राप्त करने वाला देश का पहला जिला घोषित किया गया.

एर्णाकुलम देश का पहला "सार्थक वित्तीय समावेशन" जिला

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी सुब्बाराव एर्णाकुलम को प्रथम सार्थक वित्तीय समावेशित जिला घोषित करते हुए.

कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर श्री डी. सरकार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री के. एम. मणि, वित्त मंत्री, केरल, श्री ओमेन चंडी, मुख्य मंत्री, केरल, अध्यक्ष यूआईडीएआई एवं डा. डी. सुब्बा राव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक.

बैंक ने अग्रणी जिलों में उच्च वित्तीय साक्षरता और क्रेडिट काउंसलिंग के लिये 14 एफएलसीसी उपलब्ध कराए है. इसके अलावा,14 आरसेटी युवाओं की क्षमता बढ़ाने व उन्हे रोजगार व स्व: रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कार्यरत हैं.

सिद्धांत 9 - ग्राहक अभिकेन्द्रण

यूनियन बैंक ग्राहकों को सर्वोत्तम ग्राहक सेवा मुहैया कराने व स्वस्थ ग्राहक संबंध रखने हेतु वचनबद्ध है.

प्रोजेक्ट नव निर्माण

इस दूरदर्शी प्रोजेक्ट का उद्देश्य बैंक को ग्राहक केन्द्रित वित्तीय सेवा संस्था में बदलने का है. इस रुपांतरण का निर्माण बैंक को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में देश का सर्वश्रेष्ठ बैंक बनने का है और ग्राहक सेवा में उत्तम अनुभूति देने का है.

वर्तमान में बैंक इस प्रोजेक्ट के द्वितीय चरण में काम कर रहा है, जिसमें ग्राहक संबंध के लिये शाखा के अंदर अनुभव को पुनर्रचना के माध्यम से बेहतर बनाना, ग्राहक अनुभव के लिये वैकल्पिक चैनलों का समेकन करना, कॉल सेंटर की क्षमता को बढ़ाना और सशक्त शिकायत निवारण व्यवस्था उपलब्ध करना शामिल है.

250वीं यूनियन एक्सपीरिएंस शाखा

श्री डी. सरकार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने कार्यपालक निदेशक द्वय श्री एस. के. जैन व श्री के. सुब्रम्हण्यम की उपस्थिति में नरीमन पॉइंट, मुंबई में 250वीं यूनियन एक्पीरिएंस शाखा का उद्घाटन किया.

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों की सभी शिकायतों का निवारण जहां तक संभव हो, दक्ष व कारगर तरीके से किया जाये. बैंक ने हाल ही में यह सुनिश्चित करने हेतु एक मैकेनिज़्म कार्यान्वित किया है, जिसमें ग्राहक मौखिक और लिखित शिकायतें कर सके, जिस पर बाद में ध्यान देकर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है. आलोच्य वर्ष के दौरान विविध चैनलों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों में से 98% का निपटान हो चुका है.

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादों से संबंधित सभी जानकारी, उसके ऑफर विविध सामान्य चैनेलों तथा प्रत्यक्ष सूचना के माध्यम से ग्राहकों को सहजता से उपलब्ध हों. इसके अलावा बुकलेट और लीफलेट के माध्यम से उत्पाद की जानकारी मुहैया करायी जाती है. इनकी जानकारी शाखा में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने के साथ ही साथ लीफलेटों, आवेदन बुकलेटों, पास बुकों आदि के माध्यम से भी ग्राहकों को उपलब्ध करायी जाती है. उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उत्पाद अथवा सेवा में होने वाले किसी भी परिवर्तन के बारे में भी ग्राहक को उचित रुप से सूचित किया जाता है.

बैंक ने 'उचित व्यवहार उधार संहिता' को अंगीकृत किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहकों के साथ उनका व्यवहार हमेशा उचित और नीतिपरक है. इस संहिता के तहत बैंक ने यह घोषित किया है कि वह उत्पाद के विज्ञापन और मार्केटिंग में और सेवाओं तथा निबंधनों, लागत, अधिकारों और देयताओं से संबंधित जानकारी समय पर और सही तरह से मुहैया कराने में ईमानदार रहेगा. अधिक जानकारी हेतु बैंक की कार्पोरेट वेबसाइट पर इस संहिता को देखा जा सकता है.

बैंक ग्राहकों अथवा प्रतियोगियों के प्रति किसी अनुचित अथवा कपटपूर्ण कार्य में शामिल नहीं होता है और हमेशा यह सुनिश्चित करता है कि उसका विज्ञापन सच्चा, उचित और सही है. पिछले पांच वर्षों में इस संबंध में किसी स्टेकधारक ने बैंक के विरुद्ध कोई केस फाइल नहीं किया है.

अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं तथा संतुष्टि स्तर को जानने हेतु बैंक लगातार प्रयास कर रहा है. आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक ने बाहरी एजेंसी के माध्यम से एक ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण किया. यह सर्वेक्षण भारत के 12 शहरों में किया गया था, जिसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे.

KEY FINANCIAL INDICATORS

S.No.	Particulars % (In Percentage)	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013
1	Interest Income/Average Working Funds (AWF)	8.43	7.96	7.49	8.08	8.35	8.78	8.04	8.33	9.35	9.19
2	Interest Expenses/AWF	5.19	4.65	4.46	5.03	5.76	5.96	5.51	5.19	6.33	6.43
3	Interest Spread/AWF	3.24	3.31	3.03	3.05	2.59	2.82	2.53	3.14	3.02	2.76
4	Non-Interest Income/AWF	1.55	1.23	0.63	0.75	1.20	1.09	1.19	1.03	1.09	0.93
5	Operating Expenses/AWF	2.02	2.01	1.79	1.61	1.44	1.63	1.52	2.00	1.77	1.65
6	Cost Income Ratio	42.26	44.42	48.90	42.45	38.17	41.81	40.66	47.85	43.15	44.70
7	Gross (Operating) Profit/AWF	2.77	2.52	1.87	2.19	2.34	2.28	2.21	2.18	2.34	2.04
8	Net Profit/AWF	1.33	1.15	0.86	0.92	1.26	1.27	1.25	1.05	0.79	0.79
9	Return on Net Worth	27.36	22.90	16.55	17.88	24.70	24.79	23.69	18.63	13.67	13.68
10	Return on Terminal Assets	1.22	0.99	0.76	0.82	1.12	1.07	1.06	0.88	0.68	0.69
11	Return on Average Assets	1.32	1.10	0.84	0.92	1.26	1.27	1.25	1.05	0.79	0.79
12	Yield on Advances	9.03	8.33	8.18	8.98	10.12	11.06	9.94	9.86	11.22	11.05
13	Cost of Deposits	5.64	4.97	4.75	5.23	6.19	6.50	5.94	5.53	6.93	7.38
14	Dividend payout Ratio to Net Profit (including Corporate Dividend Tax)	25.51	25.32	30.78	24.20	17.04	17.11	15.66	23.44	28.64	25.89
15	Credit - Deposit Ratio	61.17	67.96	75.50	76.46	75.55	73.22	73.71	78.11	84.94	84.11
16	Credit + Non SLR Investment (excluding Investments in Subsidiaries) - Deposit Ratio	73.74	77.86	84.29	81.49	78.44	76.75	80.75	84.08	86.51	87.63
17	Capital Adequacy Ratio	12.32	12.09	11.41	12.80	12.51	13.27	12.51	12.95	11.85	11.45
	Tier I	6.47	6.07	7.32	7.79	7.45	8.18	7.91	8.69	8.37	8.23
	Tier II	5.85	6.02	4.09	5.01	5.06	5.09	4.60	4.26	3.48	3.22

KEY FINANCIAL INDICATORS

S.No.	Particulars	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013
1	Employees (Number)	25630	25645	25421	25969	25722	27510	27772	27746	30838	31798
2	Branches (Number)	2020	2051	2082	2206	2361	2558	2805	3016	3201	3511
3	Business per Employee (Rs in Crore) *	2.86	3.46	4.36	5.09	6.20	6.94	8.53	10.43	10.70	12.15
4	Gross Profit per Employee (Rs in Lacs)	5.79	6.13	5.77	7.70	10.03	11.20	13.18	15.52	17.04	17.56
5	Net Profit per Employee (Rs in Lacs)	2.78	2.81	2.66	3.25	5.39	6.28	7.47	7.50	5.80	6.79
6	Business per branch (Rs in Crore) *	36.35	43.35	53.29	59.94	67.52	74.61	84.49	95.93	103.11	110.05
7	Gross Profit per branch (Rs in Crore)	0.73	0.77	0.70	0.91	1.09	1.20	1.30	1.43	1.64	1.59
8	Net Profit per branch (Rs in Crore)	0.35	0.35	0.32	0.38	0.59	0.68	0.74	0.69	0.56	0.61
9	Earnings per Share (in Rupees)	15.47	15.64	14.58	16.74	27.46	34.18	41.08	39.71	34.07	38.93
10	Book Value per Share (in Rupees)	55.71	67.18	80.77	93.60	111.19	137.87	173.38	213.17	237.48	264.37

Note : * Average Business

Definitions :

Average Working Funds (AWF)	:	Fortnightly average of total assets
Average Deposits	:	Fortnightly average of total deposits
Average Advances	:	Fortnightly average of total advances
Average Business	:	Total average deposits and average advances
Average Investments	:	Fortnightly average of total investments
Interest Income/AWF	:	Total interest income divided by AWF
Interest Expenses/AWF	:	Total interest expenses divided by AWF
Interest Spread/AWF	:	Total interest income minus Total interest expenses divided by AWF
Non Interest Income/AWF	:	Total Non interest income divided by AWF
Operating Expenses	:	Total Expenses minus Interest Expenses
Operating Expenses/AWF	:	Operating profit divided by AWF
Cost Income Ratio	:	Operating Expenses / Non Interest Income plus interest spread
Gross Profit/AWF	:	Operating profit divided by AWF
Net Profit/AWF	:	Net Profit divided by AWF
Return on Net Worth	:	Net Profit / Net Worth (excluding revaluation reserves and intangible assets
Return on Assets	:	Net Profit / Total Assets
Return on Average Assets	:	Net Profit / AWF
Yield on Advances	:	Interest Earned on Advances / Average Advances
Cost of Deposits	:	Interest paid on deposits divided by average deposits
Dividend Payout Ratio	:	Dividend including corporate Dividend Tax / Net Profit (including Corporate dividend tax)
Credit Deposit Ratio	:	Total advances / Customer Deposits (i.e. Total Deposits minus Inter Bank Deposits)
Credit + Non SLR Investments (excluding Investment in Subsidiaries) - Deposit Ratio	:	Total Advances + Non-SLR Investments minus Investments in subsidiaries / Customer Deposits
Business per employee	:	Average Deposits (excluding Bank Deposits) plus Average Advances / Total No. of employees
Gross Profit per Employee	:	Gross Profit divided by total No. of employees
Net Profit per Employee	:	Net Profit / Total No. of Employees
Business per Branch	:	Average Deposits (excluding Bank Deposits) plus Average Advances / Total No. of branches
Gross Profit per Branch	:	Gross Profit / No. of Branches
Net Profit per Branch	:	Net Profit / No. of Branches
Earning per Share	:	Net Profit divided by equity multiplied by ten
Book Value per share	:	Net worth (excluding Revaluation Reserve and intangible assets)/ equity multiplied by ten

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Eleventh Annual General Meeting of the shareholders of Union Bank of India will be held on Wednesday, 26th June, 2013 at 3.30 p.m. at **Rama Watumull Auditorium,** K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020 to transact the following business:-

Item No. 1

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet as at 31st March, 2013 and the Profit & Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2

To declare dividend on Equity Shares for the financial year 2012-13.

By Order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA

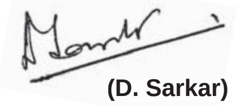

(D. Sarkar)
Chairman & Managing Director

Place : Mumbai
Dated : 20.05.2013

NOTES:

(i) APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy form, in order to be effective, must be received at the Head Office of the Bank not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m., on Friday, 21st June, 2013.

(ii) APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Annual General Meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m., on Friday, 21st June, 2013.

(iii) ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this Report. Shareholders/ Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the Attendance Slip-cum-Entry Pass at the venue. Proxy/Authorized Representative of a shareholder should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

(iv) BOOK CLOSURE

The Register of the shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Saturday, 22nd June, 2013 to Wednesday, 26th June, 2013 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the shareholders entitlement to dividend, if declared at the Annual General Meeting.

(V) PAYMENT OF DIVIDEND

Payment of dividend to shareholders as proposed by the Board of Directors shall be paid to those shareholders holding shares in physical form, whose names appear on the Register of Shareholders of the Bank as on 26th June, 2013 and in respect of shares held in dematerialised form, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership as per details to be furnished by the depositories as at the end of business hours on 21st June, 2013 and the dividend shall be paid on 5th July' 2013.

(vi) TRANSFERS

Share certificates along with transfer deeds should be forwarded to the Registrar and Transfer Agent only for effecting the transfer.

(vii) DETAILS OF BANK ACCOUNT IN DIVIDEND WARRANTS / DIRECT CREDIT TO UNION BANK ACCOUNT / NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE FACILITY (NECS):

The Bank will credit the dividend amounts to the bank accounts of the shareholders through Direct Credit

to Union Bank Account / National Electronic Clearing Service (NECS) facility, wherever possible. The shareholders, who are holding the shares in electronic form, are, therefore, requested to inform their Depository Participants about their latest change of address and bank mandate details (including new account number, if any, bank's MICR and IFSC Code numbers) immediately to ensure prompt credit of the dividend amounts through Direct Credit to Union Bank Account / NECS. The shareholders who are holding the shares in demat form may approach their DEPOSITORY PARTICIPANTS ONLY for necessary action in this connection.

The Shareholders who are holding their shares in physical form should furnish / update their Bank Mandate details to/with the Investor Services Cell of the Bank or to/with the Share Transfer Agent of the Bank at the address given in Para (ix) below on or before 21st June, 2013.

The Bank will issue dividend warrants if and only if, necessary information required for making payment in electronic form is not available or payment instructions have failed or have been rejected by the Bankers. In such cases, the Bank will mandatorily print the bank account details of the investors on such dividend warrants.

The Format for providing Bank details is annexed to this report and is also available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in.

(viii) UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for issue of the duplicate dividend warrant. Requisite format of Indemnity Bond is available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 205C of the Companies Act, 1956 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

(ix) CHANGE OF ADDRESS / BANK PARTICULARS / BANK ACCOUNT MANDATE

(a) For Shareholders holding shares in Physical Form:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address and/or Bank particulars, to the Registrar and Transfer Agent of the Bank at the following address:

Datamatics Financial Services Ltd.,
Unit: Union Bank of India,
Plot No.B-5, Part B,
MIDC, Crosslane, Marol,
Andheri (East),
MUMBAI- 400 093.

(b) For Shareholders holding shares in Demat Form:

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate changes, if any, in their registered address and Bank Mandate / details only to their depository participant(s).

(x) RECORDING OF CHANGE OF STATUS

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Share Transfer Agent of the Bank, Datamatics Financial Services Ltd., immediately of :

a) the change in the Residential status on return to India for permanent settlement.

b) the particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

(xi) CONSOLIDATION OF FOLIOS

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the Share Transfer Agent of the Bank, Datamatics Financial Services Ltd., for consolidation into a single folio.

(xii) Shareholders/ Proxy holders/representatives are requested to bring their copies of the Annual Report and notice to the Annual General Meeting.

(xiii) Shareholders seeking any information on the Accounts are requested to write to the Bank, which should reach the Bank atleast one week before the date of the Annual General Meeting so as to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only at the Annual General Meeting.

By Order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA

(D. Sarkar)
Chairman & Managing Director

Place : Mumbai
Dated : 20.05.2013

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

The Directors of your Bank are pleased to present the 94th Annual Report of the Bank for the financial year 2012-13 along with statement of the 'Audited Balance Sheet', 'Profit & Loss Account', 'Cash-Flow Statement' and the report on 'Management Discussion & Analysis'. The Corporate Governance Report also forms part of the Annual Report.

1. Overview

1.1. Your Bank's focus on customer centricity has guided the Bank's performance during the year. With focus on qualitative growth in business, lending to productive sectors and asset quality management, your Bank has once again delivered performance in key business parameters. Human Resource (HR) transformation initiatives aligning HR practices with business goals formed a key differentiator for marked productivity gains by your Bank.

1.2. Your Bank has aptly focused on responding to economy wide challenges, both global and domestic. The business strategies were aimed at consolidating Bank's business in chosen areas, focusing on core & retail business, taking steps for meaningful financial inclusion and strengthening systems & control.

1.3. The thrust areas included strategic positioning of the Bank, developing new ideas to reach client with new technology and deepening our customer relations. Your Bank has taken one more step towards marking its footprint in global arena. Bank's second overseas branch at Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai started its commercial operations during the last financial year.

1.4. The major highlights of business performance are detailed as under:

Table – 1 : Key Performance Indicators

(₹ crore)

Parameters	FY2012	FY2013	Annual Growth
Total Business	403900	475673	17.77%
Net Interest Income	6793	7543	11.04%
Operating Profit	5254	5583	6.26%
Provisions	3467	3425	-1.22%
Net Profit	1787	2158	20.76%
Net Interest Margin (NIM)	3.16%	2.96%	-20 bps
Capital Adequacy Ratio	11.85%	11.45%	-40 bps
Gross Profit per employee (₹ lakh)	17.04	17.56	3.05%
Dividend (₹ per share)	8.0	8.0	*No Change*
Book Value per Share (₹)	237.48	264.37	11.32%

bps - basis points

2. Business

2.1. Global Business of the Bank stood at ₹ 4,75,673 crore as of 31st March 2013, registering an annual growth rate of 17.77 percent.

2.2. Total Deposits increased to ₹ 2,63,762 crore as of 31st March 2013 recording annual growth of 18.35 percent and Advances increased to ₹ 2,11,911 crore as of 31st March 2013 with annual growth of 17.06 percent.

2.3. The overseas business increased to ₹ 15,780 crore as of 31st March 2013, recording annual growth of 51.90 percent. Deposits increased from ₹ 1,207 crore as of 31st March 2012 to ₹ 2,763 crore as of 31st March 2013 while advances increased from ₹ 9,181 crore as of 31st March 2012 to ₹ 13,017 crore as of 31st March 2013.

3. Revenue

3.1. Total Income of the Bank increased from ₹ 23,476 crore in FY 2011-12 to ₹ 27,677 crore in FY 2012-13, recording annual growth of 17.89 percent. Yield on advances of the Bank stood at 11.05 percent whereas Yield on investments was recorded at 7.38 percent for the financial year 2012-13. Total yield on funds of the Bank stood at 9.19 percent during FY 2012-13.

3.2. Net Interest Income increased from ₹ 6,793 crore in FY 2011-12 to ₹ 7,543 crore in FY 2012-13, recording annual growth of 11.04 percent. Net Interest Income registered a compounded annual growth rate (CAGR) of 21.63 percent during the last three years.

3.3. Non-interest income increased from ₹ 2,448 crore in FY 2011-12 to ₹ 2,552 crore in FY 2012-13, recording annual growth of 4.24 percent. Recovery in written-off accounts stood at ₹ 324 crore in FY 2012-13 compared to ₹ 354 crore during the last financial year. Core fee based income increased from ₹ 1,392 crore in FY 2011-12 to ₹ 1,421 crore in FY 2012-13.

Table – 2 : Non Interest Income

(₹ crore)

Parameters	FY 2012	FY 2013	Annual Growth
1. Core Non Interest Income	1392	1421	2.09%
2. Treasury Income within which,	702	807	14.87%
- Profit on Sale of investments	441	477	8.28%
- Exchange Profit	261	329	25.97%
3. Recovery in Written off Accounts	354	324	(-) 8.40%
4. Total Non-Interest Income (1+2+3)	2448	2552	4.24%

4. Expenses

4.1. Total Expenses of the Bank increased from ₹ 18,222 crore during FY 2011-12 to ₹ 22,094 crore during FY 2012-13 recording annual growth of 21.25 percent. Establishment expenses increased from ₹ 2,479 crore during FY 2011-12 to ₹ 2,755 crore during FY 2012-13 with annual growth of 11.13 percent. Provision of ₹ 75 crore were made towards pending wage revision of employees of the Bank for FY 2012-13.

4.2. Interest expenses increased by 23.51 percent from ₹ 14,235 crore in FY 2011-12 to ₹ 17,582 crore in FY 2012-13, mainly due to increase in cost of deposits to 7.38 percent in FY 2012-13 as compared to 6.93 percent in the previous year, reflecting elevated interest rate scenario and tight liquidity conditions. Accordingly, total cost of funds also moved up to 6.43 percent in FY 2012-13 compared to 6.33 percent in the previous year.

Table – 3: Operating Expenses

(₹ crore)

Parameters	FY 2012	FY 2013	Annual Growth
Total Operating Expenses	3987	4512	13.17%
Within which			
- Staff Expenses	2479	2755	11.13%
- Other Operating Expenses	1508	1757	16.51%

4.3. Cost-to-income ratio marginally increased to 44.70 percent during FY 2013 from 43.15 percent during last financial year mainly due to opening of large number of new branches, provisioning for pending wage revision & pension liabilities.

5. Profitability

5.1. Operating Profit of the Bank increased to ₹ 5,583 crore in FY 2013 from ₹ 5,254 crore during the previous year, contributed by growth in interest income and control in operating expenses.

5.2. Net Profit for FY 2013 stood at ₹ 2,158 crore. Growth in net profit was 20.76 percent over FY 2012.

5.3. NIM stood at 2.96 percent during FY 2013 as against 3.16 percent in the previous year. Return on Average Assets for the year 2012-13 was maintained at 0.79 percent, same as in the previous year.

Chart-1: Operating Profit & Net Profit

(₹ crore)

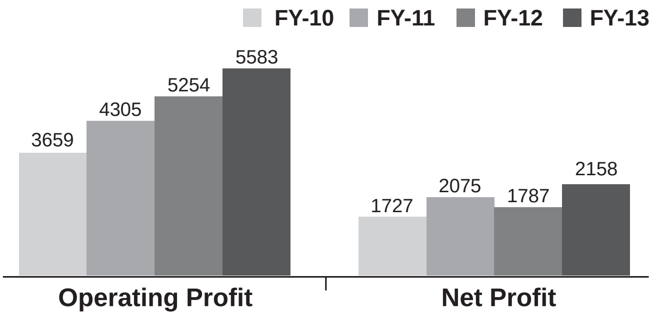

6. Productivity Ratios

6.1. Average business per employee increased to ₹ 1,215 lakh during FY 2013 recording annual growth of 13.55 percent. The net profit per employee increased to ₹ 6.79 lakh during FY 2013, recording annual growth of 17.07 percent.

6.2. Average business per branch and net profit per branch recorded annual growth of 6.73 percent and 10.08 percent respectively during FY 2013.

Table – 4: Productivity Ratios

(₹ lakh)

Parameters	FY 2012	FY 2013	Annual Growth
Average Business Per Employee	1070	1215	13.55%
Average Business Per Branch	10311	11005	6.73%
Net Profit Per Employee	5.80	6.79	17.07%
Net Profit per Branch	55.83	61.46	10.08%

7. Dividend

7.1. Your Directors are pleased to recommend a dividend of 80 percent for FY 2012-13, i.e., ₹ 8.00 for each share with face value of ₹10.00. The dividend is maintained at the same percentage as that for FY 2011-12.

8. Shareholders' Return

8.1. The Bank's net worth improved by 20.66 percent to ₹15,777 crore during FY 2013 from ₹ 13,075 crore in the previous year. Thus, the Book value per share increased to ₹ 264.37 during FY 2013 from ₹ 237.48 in the previous year. Earnings per share increased to ₹ 38.93 during FY 2013 as against ₹ 34.07 in the previous year. Return on Equity stood at 13.68 percent during FY 2013 from 13.67 percent in the previous year.

9. Rating & Capital Raising

9.1. The ratings given by various credit rating agencies for Bank's Tier I & Tier II Capital instruments point to the highest degree of safety regarding timely servicing of financial obligations and these instruments carry lowest credit risk.

Table – 5 : Ratings of Bonds

(₹ crore)

Rating Agency	Perpetual Bonds	Upper Tier II Bonds	Lower Tier II Bonds
CRISIL	AAA	AAA	AAA
ICRA	AA	-	AA+
CARE	AA+	AAA	AAA
FITCH	AA(Ind)	AA (Ind)	AA+(Ind)
Brickwork	AAA	AAA	AAA

9.2. During the financial year 2012-13, Bank raised Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier II Bonds amounting to ₹ 800 crore.

9.3. Bank allotted 4,62,45,174 equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 230.89 aggregating to ₹ 1,114 crore to the Government of India. Consequently the Government's shareholding in the Bank increased from 54.35 percent as on March 31, 2012 to 57.89 percent as on March 31, 2013.

10. Capital Adequacy Ratio

10.1. Capital Adequacy Ratio (CAR), as per Basel II norms stood at 11.45 percent as on March 31, 2013, well above the regulatory benchmark of 9 percent. Tier I CAR stood at 8.23 percent and Tier-2 at 3.22 percent.

Table - 6: Capital Adequacy Ratio

(₹ crore)

Parameters	FY 2012	FY 2013
Total Risk Weighted Assets	168178	203927
Capital Fund	19926	23341
Tier-I Capital	14081	16785
CAR-Basel-II	11.85%	11.45%
Tier-I	8.37%	8.23%
Tier-2	3.48%	3.22%

11. Delivery Channels

11.1. Your Bank added 309 domestic branches and one foreign branch in Dubai during the financial year 2012-13. This is the highest number of branches opened by the Bank in any particular year. Out of 309 domestic branches, 232 branches (75 percent) were opened in rural and semi-urban centres. Bank opened 33 percent of branches in Tier 5 and Tier 6 centers as against thereshold requirement of 25 percent mandated by the RBI. As a result, total number of branches including two overseas branches increased to 3511 as of 31st March 2013 compared to 3201 branches as of 31st March 2012. Your Bank has also opened its 1st branch at Aizwal in the state of Mizoram.

11.2. The number of ATMs increased from 3801 as on 31st March, 2012 to 4603 as on 31st March, 2013, thereby adding 802 new ATMs during the year. The ratio of ATM to branches further improved to 1.31 during FY 2013, which is one of the best amongst the public sector banks. The bank has installed 100 Talking ATMs as of end-March 2013. The talking ATM solution offered by your Bank is adopted by Indian Banks' Association (IBA) as a standard for accessible ATM for visually challenged persons.

11.3. Your Bank was one of the first bank to launch the RuPay cards in India. All the bank's ATMs are now enabled to accept RuPay Cards. RuPay is the Indian domestic card payment network set up by the National Payment Corporation of India (NPCI). The Bank has also deployed bunch notes accepting machines at select branches.

11.4. Your Bank is the first to start National Electronic Fund Transfer (NEFT) facility for its sponsored regional rural bank. Bank has also started issuing and receiving on-line letter of credit (LCs) through Structured Financial Messaging System (SFMS) since January 2013. All the branches are enabled to send and receive On-line LCs.

11.5. To meet the increasing transaction volumes, the Bank has increased computing capacity of core banking solution (CBS) system. Through middleware application, the Bank has integrated various applications like Foreign Inward Remittances, Treasury, HRM Solution, Swift, RTGS, NEFT, Online Trading Application etc with CBS to facilitate seamless flow of transactions.

11.6. Transactions through electronic channels increased to 60.02 percent as on March 31, 2013 from 54.75 percent as on March 31, 2012.

11.7. Your Bank has successfully implemented Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) in 'OFF-US' mode.

11.8. The Bank's Customer Care Unit (CCU) was set up in Mumbai for resolving customer complaints and to eliminate the root causes of complaints across channels. The Integrated Case Management Tool (ICMT) has been put in place to integrate complaints across channels.

12. Awards & Accolades

12.1. Your Bank received several awards during FY 2013 for its consistent and all-round performance, superior management and dedication to excellence.

12.2. The Chairman & Managing Director of your Bank, Mr. D. Sarkar was awarded "Banker of the Year" award by the Skoch Consultancy Services as a part of their Financial Inclusion Awards 2013. Bank also received the Best Bank Award 2012 for Financial Inclusion from IBA.

12.3. Ernakulam district, one of the Bank's lead districts in the state of Kerela, was declared by the RBI Governor, Dr D Subbarao as country's first district to achieve 'Meaningful Financial Inclusion'. Under this project, Bank focused on "need" creation rather than simply opening of accounts. With the help of community-based organizations, Bank sensitized its customers about need for savings and credit. This helped sharp increase in usage of mobile banking and number of operative accounts.

12.4. The Bank won four awards at the IBA Banking Technology Awards function held at Mumbai in the following categories:

12.4.1. Best Financial Inclusion Initiative

12.4.2. Best Technology Bank of the Year

12.4.3. Best Use of Mobility Technology in Banking

12.4.4. Best Use of Business Intelligence

12.5. The Bank received the prestigious ACI Excellence Award 2012 for implementing three remittance products viz. NEFT, IMPS and Union e-Cash on ATMs. This is a

global award given by ACI Worldwide Inc. every year for innovative use of its payment system software. Bank received the award for the second year in a row.

12.6. The Bank also won the prestigious IT Innovation Award from the Computer Society of India. The Bank was given this award for launching truly accessible Talking ATMs for the visually challenged. The solution works on normal debit cards for all bank customers.

12.7. The Bank received the Best Bank in public sector category award from the NPCI for operational excellence in national financial switch. These awards are given by NPCI based on excellence in performance in operation of ATMs covering parameters like dispute management, net work uptime, control on transaction declines, DR Drills etc.

12.8. The Bank was awarded with the prestigious Indira Gandhi Rajbhasha Shield for the year 2010-11 by the Hon'ble President of India, Shri Pranab Mukherjee.

12.9. 'Union Dhara', the Bank's in-house journal bagged the prestigious "Champion of the Champions Trophy" at the ABCI Annual Awards 2012. Union Dhara also won 6 trophies for its internal communication viz. 1 Gold, 3 Silver and 2 Bronze under various categories such as Special Column (English), Internal Magazine, Bilingual Magazine, Features (Language), Photo Features and Photography.

13. Directors

13.1. The following changes took place in the Board of Directors of your Bank during the financial year 2012-13.

13.1.1 Shri D. Sarkar was nominated on the Board by the Government under sub-section 3 (a) of section 9 of Banking companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 w.e.f. April 1, 2012 as the Chairman & Managing Director in place of Shri M.V.Nair whose term ended by superannuation w.e.f. March 31, 2012.

13.1.2 Dr. A Bhattacharya, Joint Secretary in the Ministry of Finance, Government of India, was nominated by the Central Government as a non-wholetime director under sub section 3 (b) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 w.e.f. July 20, 2012 in place of Shri Rajesh Khullar.

13.1.3 In the Annual General Meeting of the shareholders held on June 26, 2012, Shri R.H. Dholakia, Shri G.K. Lath and Shri D. Chatterji were elected as Shareholder Directors under sub section 3 (i) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 w.e.f. June 27, 2012, for a period of 3 years, in place of Shri M.S. Sriram, Shri S. Ravi and Shri A. K. Nanda.

13.1.4 Shri K. Subrahmanyam was nominated on the board by the Central Government, under sub section 3 (a) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 w.e.f January 21, 2013 as an Executive Director in place of Shri S.S. Mundra who was appointed as the Chairman & Managing Director of Bank of Baroda with effect from the same date.

13.2. After 31st March 2013, Shri S. K. Misra and Smt. A. Sharma were nominated as part time non-official Directors by the Central Government under sub section 3 (h) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 w.e.f. April 11, 2013 and May 6, 2013 respectively. Also, the term of appointment of Shri B.M. Sharma has ended on April 15, 2013.

13.3. While welcoming all the new Directors, the Board places on record the valuable services rendered by Shri Rajesh Khullar, Shri S. S. Mundra, Shri M.S. Sriram, Shri S. Ravi, Shri A. K. Nanda and Shri B M Sharma.

14. Directors' Responsibility Statement

14.1. The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2013:

14.1.1. The applicable accounting standards have been followed and there are no material departures from prescribed accounting standards.

14.1.2. The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.

14.1.3. Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of Bank for the year ended on March 31, 2013.

14.1.4. Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India and,

14.1.5. The accounts have been prepared on going concern basis.

15. Corporate Governance

15.1. The Board of the Bank is committed to adopt good Corporate Governance practices in letter and spirit. A detailed report on Corporate Governance is given in a separate section of the Annual Report. The Corporate Governance report for financial year 2012-13 has no audit qualifications.

16. Corporate Social Responsibility (CSR)

16.1. Your Bank is committed to the objective of corporate social responsibility (CSR) by creating enablers for social and community development. The *Union Bank Social Foundation,* a trust set up by the Bank is spearheading its CSR initiatives. Through the trust, the Bank is engaged in empowering people through various developmental initiatives.

16.2. The Bank has set up 202 Village Knowledge Centres (VKCs) across the country. Each VKC assists in overall development of the village by coordinating with various developmental agencies/Government departments and disseminate knowledge to farmers about latest developments in methods of cultivation, technologies, proper use of fertilizers, pesticides, etc.

16.3. The Bank has also adopted 150 villages across the country and is involved in development of these villages through a special scheme known as 'Union Adarsh Gram Yojana'. In these adopted villages, various developmental activities are being undertaken, like, providing safe drinking water, sanitation and solar lamps. In these villages, Bank has adopted 150 Girl children as part of its initiative to increase enrolment of girl child at the schools.

16.4. Your Bank has also 14 R-SETIs (Rural Self- Employment Training Institutes) and 16 FLCCs (Financial Literacy and Credit Counseling Centers) across the country. The R-SETIs and FLCCs extend financial literacy, counseling and training to the needy people so that they become self-reliant. Through these R-SETIs, 28522 persons have been provided training so far and 18709 beneficiaries have been settled with employment.

16.5. During the year 2012-13, Bank spent a total of ₹ 1,23,99,700 by way of donation. This included ₹ 25,00,000 under the Chief Minister's Relief fund for the calamity affected state of Assam, ₹ 6,89,700 for the cancer relief fund, ₹ 28,00,000 for the purchase of two food distribution vehicles and ₹ 26,25,000 to the National Charitable Welfare Society (NCWS) for installation of solar lamps in Barabanki District of Uttar Pradesh.

17. Acknowledgement

17.1. The Board of Directors would like to express their sincere thanks to the Government of India, Reserve Bank of India, Securities & Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority and Central Vigilance Commission for the valuable guidance and support received from them. The Board also thanks the financial institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board also records its sincere gratitude to the Bank's valuable shareholders, esteemed customers and all other stakeholders for their continued patronage. The Board also expresses its appreciation to each employee of the Bank for their dedicated service.

For and on behalf of the Board of Directors,

(D.Sarkar)
Chairman & Managing Director

Place: Mumbai

Dated: 9th May, 2013

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. Macroeconomic & Banking Scenario

1.1. Global Economy

1.1.1. The global economy witnessed gradual slowdown in the calendar year 2012 as annual growth in gross domestic product (GDP) slowed to 3.2 percent from 4.0 percent noted a year ago. Downside risks notwithstanding, the global growth recovery prospects are seen strengthening in the year 2013. The International Monetary Fund (IMF), in its latest release of the World Economic Outlook (WEO), has projected mildly better global GDP growth of 3.3 percent in 2013 and 4.0 percent in 2014. While being upbeat about emerging market and developing economies, the IMF warns of diverging growth dynamic in advanced economies. Growth in the US is expected at 1.9 percent in 2013 and 3.0 percent in 2014. In contrast, GDP in the euro area is expected to fall by 0.3 percent in 2013 and then recover by 1.1 percent in 2014. The risks to outlook mainly relate to uncertainty about the fallout from events in Cyprus, politics in Italy as well as vulnerabilities in the periphery of the euro area along with high fiscal deficit and debt in the United States as well as in Japan.

1.1.2. Sturdy actions by the european policymakers helped improve confidence and financial conditions. Although the U.S. policymakers avoided the fiscal cliff, they have failed to find durable solutions to other short-term fiscal risks. Japan adopted more expansionary macroeconomic policies in response to a larger-than-expected slowdown. Policy easing in key emerging market economies has supported internal demand. In the euro area, periphery sovereign spreads have dropped. Low U.S. dollar and euro interest rates have prompted many companies to increase their issuance of foreign-currency-denominated debt. Low policy interest rates are the forecast for the major advanced economies. The central banks have held policy rates constant or cut them modestly in response to the 2012 slowdown.

1.1.3. With its ever increasing integration with the global economy, through trade and finance channels, India's growth prospects are no more insulated from adversities of global output cycle.

1.2. Domestic Economy

1.2.1. The uncertain economic outlook in advanced economies and slowdown of external demand coupled with volatility in the financial markets adversely affected India's GDP growth rate in 2012-13. Persistently high levels of inflation beyond comfort zone of the Reserve Bank of India (RBI), high level of twin deficits (fiscal & current account deficits) and slowdown in investment climate affected the growth prospects.

1.2.2. As per the advance estimates of the Central Statistics Office (CSO), India's annual GDP growth is estimated at 5.0 percent during FY 2012-13 compared to 6.2 percent in the previous year. The decline in the growth rate of output was primarily due to agriculture and services sectors, while industrial sector growth also remained sluggish. The slow growth in the agriculture sector was largely on account of the rainfall deficiency while the slowdown in industry and services sectors was due to domestic policy uncertainties, lagged impact of earlier monetary tightening and weakening of external demand. The deterioration in the services sector was reflected under 'trade, hotels, transport and communication' and 'financing, insurance, real estate and business services'. Sector-specific problems, such as those in communications, aggravated the slowdown.

Chart-2: Sector wise contribution to GDP Growth Rate (%)

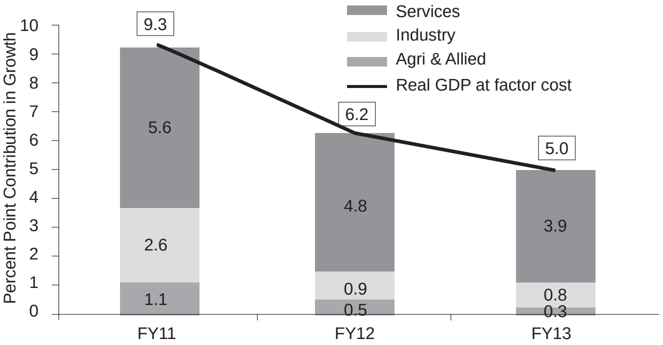

1.2.3. External Sector: External imbalances were in focus as the current account deficit (CAD) to GDP ratio reached a historic high of 6.7 percent in the third quarter of 2012-13. However, CAD was adequately financed by capital inflows, without any reserve depletion. Non-oil non-gold imports decelerated and the sticky oil and gold imports resulted in the widening of trade deficit. Nevertheless, the overall balance of payments was marginally in surplus due to strong capital inflows, led by foreign institutional investors (FII). India's exports decreased to US $ 301 billion in FY 2012-13, recording annual de-growth of (-)1.8 percent. Imports increased to US $ 492 billion in FY 2012-13, recording subdued annual growth of 0.4 percent. Trade deficit widened further to US $ 191 billion in FY 2012-13 compared to US $ 183 billion during the corresponding period of the previous year.

Chart-3: Current Account Deficit to GDP Ratio (%)

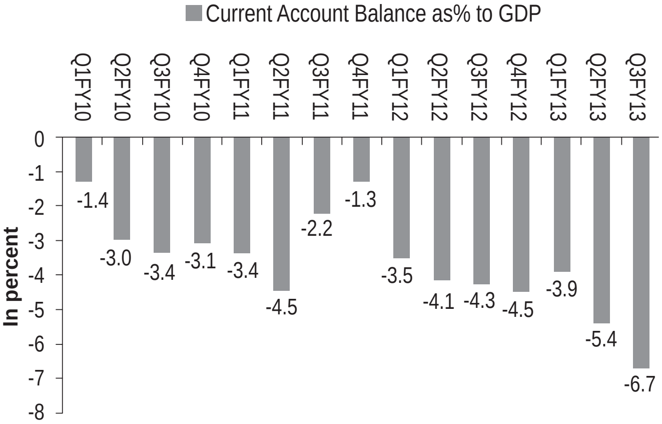

1.2.4. Inflation: Domestic headline inflation moderated after remaining in the range of 7.5–8.1 percent during first half of the year 2012-13 to 6.0% percent (provisional) for the month of March 2013, much below the RBI's indicative projection of 6.8 percent. The easing in headline inflation was particularly significant in the fourth quarter of FY 2012-13. While subdued pressures from global commodity prices and the range-bound exchange rate helped the course of downward movement in the inflation trajectory, the decline in inflation also reflects the impact of growth moderation and the weak pricing power of firms as well as past monetary policy actions aimed at containing inflation.

Chart-4: Group wise Contribution to Headline WPI Inflation (%)

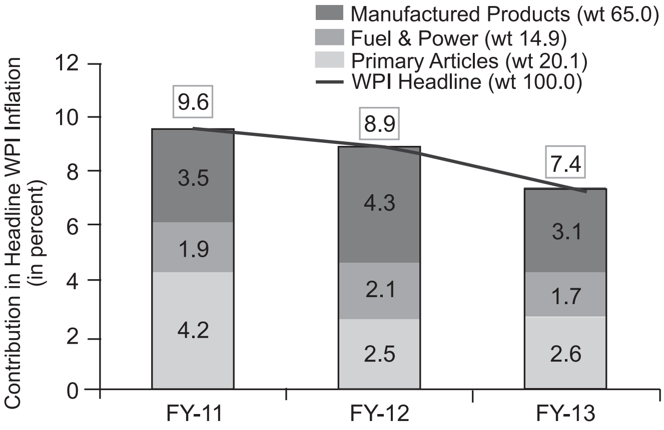

1.2.5. RBI's Policy Stance: The contours of the policy stance of the RBI included addressing the accentuated risks to growth, guarding against the risks of inflation pressures re-emerging, remaining alert to the risks on account of the CAD and managing liquidity to ensure adequate credit flow to the productive sectors of the economy. In line with the policy stance, RBI reduced the repo rate by a cumulative 100 basis points during April-March 2012-13 and the Cash Reserve Ratio (CRR) was slashed by a cumulative 75 bps.

Chart-5: Movement in Policy Rates (%)

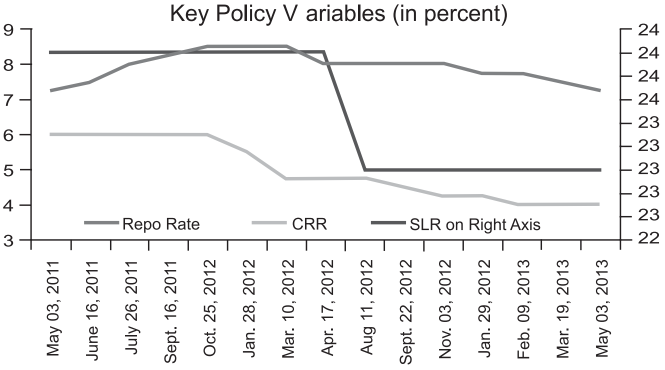

1.2.6. Financial Markets

1.2.6.1. Liquidity Conditions: During the financial year 2012-13, liquidity was generally in deficit mode on account of high govt. cash balances with the RBI and elevated incremental credit to deposit ratio for most part of the year. The average net injection under liquidity adjustment facility (LAF) stood at ₹ 86,600 crore during FY 2012-13. In order to address liquidity tightness in the system, RBI reduced CRR and additionally injected liquidity through open market operations (OMOs) to the tune of ₹ 1,54,600 crore during FY 2012-13.

Chart-6: Liquidity conditions

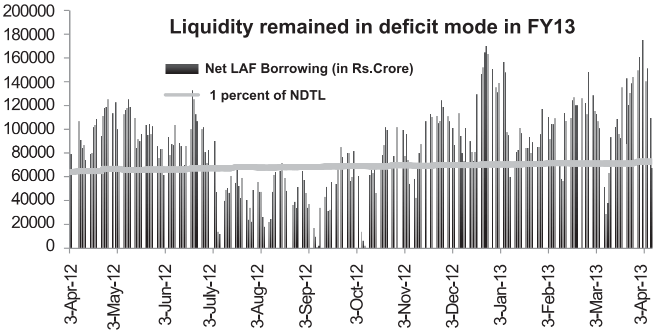

1.2.6.2. Debt Market: The gross market borrowing of the central government through dated securities during 2012-13 to the tune of ₹ 5,58,000 crore was successfully completed. Reflecting expectations of a reduction in policy rate, optimism about improvement in the fiscal situation, reduction in the primary issuances, and expectations of further measures from the government to rein-in the fiscal deficit, G-sec yields eased in the beginning of fourth quarter of 2012-13. The continuation of OMO purchase auctions also added to the positive sentiments. However, benchmark yield started hardening, first in end-January after markets factored in limited space for monetary policy rate cuts and then in March due to tighter liquidity and fears that political uncertainty at the centre may impact capital inflows. The 10-year benchmark yield hardened from 7.86 percent at end-February 2013 to 7.99 percent at end-March 2013.

1.2.6.3. **Forex Market:** Reform measures, postponement of General Anti Avoidance Rules (GAAR) by two years, partial deregulation of diesel prices, liberalized foreign direct investment (FDI) limits for certain sectors, rise in FII limits in corporate debt and G-sec market and announcement of fiscal consolidation path, boosted the confidence of global investors in the Indian economy. Reflecting these developments, the rupee showed a modest appreciation in January 2013 which, came under pressure due to dollar demand from oil importing companies. As at end-March 2013, the rupee showed lower annual rate of depreciation compared to currencies of some other major emerging economies, such as Brazil, South Africa and Argentina.

1.2.6.4. **Equity Market:** Key stock market indicators show that price to earnings (PE) and price to book value (PB) ratios of India's benchmark indices declined in 2012-13 in comparison with the preceding two years. However, end-March 2013 data indicate that India is reasonably priced in terms of return on equity (ROE) and PB ratio compared to most other emerging economies. Together with an increase in the turnover in the securities markets, there was also a decline in volatility of both Nifty and Sensex in 2012-2013. BSE Sensex rose by 7.8 percent as at end-March 2013 over the closing of previous financial year.

1.2.7. Performance of the Banking Industry

1.2.7.1. **Money Supply:** Growth in money supply (M3) remained broadly on the indicative trajectory of RBI during FY 2012-13. The growth in money supply which was 13.2 percent at the beginning of the financial year remained consistent during the course of the year and stood at 13.3 percent by end-March 2013. The stagnant growth in money supply was on account of tightness in primary liquidity, lower credit demand during most part of the year, slackening pace of economic activity and deceleration in inflation.

1.2.7.2. **Aggregate Deposits:** Aggregate deposits of scheduled commercial banks (SCBs) recorded annual growth of 13.5 percent during FY 2012-13 compared to 13.4 percent during the last financial year. The muted deposits growth was primarily on account of deceleration in time deposits growth.

1.2.7.3. **Credit Growth**: Consequent to deceleration in GDP growth, the demand for credit was adversely affected. The deterioration in credit quality, on the other hand, impeded the supply of domestic credit. Notwithstanding the large injection of liquidity by the Reserve Bank, adverse sentiments originating from global and domestic developments dampened credit expansion and the SCBs' non-food credit growth remained below the Reserve Bank's indicative trajectory. Despite low off-take, credit growth remained above deposit growth for most of 2012-13. Non-food bank credit growth to industry and services sectors decelerated. The annual bank credit growth to industry at 15.7 percent in March 2013 moderated considerably from 20.3 percent in March 2012. Deceleration in credit growth to industry was observed in all the major sub-sectors.

2. Customer Centricity Initiatives

2.1. Your Bank strictly adheres to the principles indicated by the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and strives to meet customer expectations, maintain transparency in all its proceedings and build up a feasible customer redressal mechanism. Besides continuous efforts towards creating convenience to customers, your Bank strengthened the following:

2.1.1. UnionXperience Branch: The Bank has adopted a new branch model under the brand name, UnionXperience. These branches provide better ambience and model changes have been effected in the front office and back office. These branches provide automation like self service passbook, cheque deposits machine, queue management system, phone banking directly connected to call centre. This enables branch staff to deepen customer engagement resulting into better cross-sell and up-sell. As on 31st March 2013, 251 branches of the Bank are modeled as UnionXperience branches.

2.1.2. Customer Care Unit: Your Bank's Customer Care Unit (CCU) was established as a part of its ongoing initiative on Customer Service Excellence. Through CCU, the Bank has created a centralized capability for handling all types of customer requirements, be it online grievance redressal, reporting of service deficiency or specific service request. The Integrated Case Management Tool (ICMT) has been put in place to integrate complaints across channels. CCU also facilitates customer feedback on the level of satisfaction.

2.1.3. Multi Channel Experience - SampUrna ATM: The customer service excellence project aims at providing uniform and superior experience to customers across channels. Each channel on its own or in combination offers enhanced range of services. Apart from increasing the branch network, your Bank is enhancing ATM network at a faster pace. Today, branch-to-ATM ratio of the Bank is amongst the best and a number of banking facilities are available through ATMs. The Bank has launched multiple facilities interfacing mobile banking and ATM like NEFT through ATM, IMPS through ATM, investments in mutual fund through ATM and e- Cash, a product that facilitates transfer of funds from ATM to Mobile.

2.1.4. **Talking ATMs:** During the last financial year, your Bank unveiled India's first ever truly accessible Talking ATM in Vastrapur, Ahmedabad on 6th June 2012 for the visually and physically challenged people. Your Bank has pioneered Talking ATMs in India. Union Bank's Talking ATM model and workflow has set a benchmark. The Bank has also developed Talking ATM usage accessible manuals in DAISY and electronic braille formats.

Overview of the Performance

3. Resources Management

3.1. Towards resource mobilization, your Bank's focus areas included improving current account & saving account (CASA) deposits and retail term deposits during FY 2012-13. Special CASA campaigns were also launched for mobilizing low cost deposits. The high cost deposits declined, both in quantum as well as percent to total deposits.

3.2. Total deposit stood at ₹ 2,63,762 crore as of 31st March 2013, recording annual growth of 18.35 percent during FY 2013. CASA deposits increased to ₹ 81,635 crore as of 31st March 2013, recording annual growth of 17.11 percent during FY 2013. The share of CASA deposits to total deposits stood at 30.95 percent as of 31st March 2013.

Table - 7: Resource Mobilization

(₹ crore)

Parameter	FY 2012	FY 2013	Annual Growth	
			Absolute	%
Total Deposit	222869	263762	40893	18.35
CASA Deposit	69705	81635	11930	17.11
Term Deposit	153164	182127	28963	18.91

4. **Credit Management**

4.1. Your Bank's focus areas included lending to the productive sectors of the economy. Thrust was also given on sustainable growth of advances. During the year, the Bank passed on the benefit of lower policy rates to various segment of borrowers. Processing charges for home and car loan borrowers were also waived off from 15th August 2012 to 31st March 2013.

4.2. Gross advances of the Bank increased to ₹ 2,11,911 crore as of 31st March 2013, recording annual growth of 17.06 percent during the last financial year 2012-13.

Table - 8: Advances portfolio

(₹ crore)

Parameter	FY 2012	FY 2013	Annual Growth	
			Absolute	%
Gross Advances	181031	211911	30880	17.06
Agriculture Advances	15397	20224	4827	31.35
MSME Advances	23805	34699	10894	45.76
Retail Advances	16048	19560	3512	21.88

5. Micro, Small & Medium Enterprises (MSME)

5.1. Bank's micro, small & medium enterprises (MSMEs) portfolio increased to ₹ 34,699 crore as of 31st March 2013, recording annual growth of 45.76 percent during FY 2013. The share of the MSME lending in domestic advances increased from 13.85 percent as of 31st March 2012 to 17.45 percent as of 31st March 2013. MSME advances was one of the focus areas of the Bank by assuring quick turn around time (TAT), credit delivery at affordable prices & making available customized products and providing hassle free flow of credit to the sector.

5.2. Advances to micro & small enterprises (MSEs) increased from ₹ 16,801 crore as of 31st March 2012 to ₹ 24,500 crore as of 31st March 2013, recording annual growth of 45.82 percent during the year. Share of MSE in total MSME advances increased to 70.61 percent as of 31st March 2013.

5.3. To enhance the share of MSME advances, your Bank reduced interest rates for MSME borrowers, conducted special campaigns under advances to micro enterprises across all the branches**,** launched 19 cluster specific schemes at 30 locations across the country.

6. Priority Sectors

6.1. Priority Sector: Priority sector advances (PSA) increased from ₹ 41,889 crore as of 31st March 2012 to ₹ 56,809 crore as on 31st March 2013, registering annual growth of 35.62 percent during FY 2012-13. Priority sector advances constituted 34.72 percent of the adjusted net bank credit (ANBC) as of 31st March 2013, higher than 29.55 percent as on 31st March 2012.

Table-9: Priority Sector Lending

(₹ crore)

Parameters	FY 2012	FY 2013	Annual Growth	
			Absolute	%
Total Priority Sector Credit	41889	56809	14920	35.62

6.2. Agriculture: The agricultural advances increased from ₹ 15,397 crore as of 31st March 2012 to ₹ 20,224 crore as on 31st March 2013, registering annual growth of 31.35 percent during FY 2013. The agricultural advances as percent to ANBC stood at 12.36 percent as of 31st March 2013 as compared to 10.86 percent during the previous year. Total disbursements of ₹ 14,773 crore were made under Special Agriculture Credit Plan (SACP) against the target of ₹ 13,675 crore. During FY 2013, additional 152220 Kisan credit cards were issued with credit facility of over ₹ 2,219 crore.

6.3. Specific Lending for Social Upliftment: With a view to encourage entrepreneurship among the women and to make them self-sufficient, your Bank promotes credit to women entrepreneurs. As of 31st March 2013, number of women beneficiaries are 6.13 lakh and outstanding

loans to women beneficiaries have improved by 32.10 percent to ₹ 9,053 crore i.e., 5.53 percent of ANBC as on 31st March 2013. The achievement level is higher than 5 percent of ANBC mandated by the RBI. The assistance to Weaker Section stood at ₹ 15,023 crore, i.e. 9.18 percent of ANBC as on 31st March 2013, higher than 6.26 percent of ANBC as on 31st March 2012. Advances to SC/ST covered 103747 beneficiaries, with outstanding loans of ₹ 2,617 crore as of March 31, 2013.

6.4. **Lending to Minority Communities:** The assistance provided to minority communities stood at ₹ 5,289 crore, covering 271182 beneficiaries as of 31st March 2013 with share of these advances to total priority sector advances at 9.31 percent in FY 2012-13 compared to 9.21 percent in the previous year.

7. Retail Lending

7.1. The retail advances of the Bank increased to ₹ 19,560 crore as of 31st March 2013, recording annual growth of 21.88 percent. The share of retail loans in domestic advances increased from 9.34 percent as of 31st March 2012 to 9.83 percent as of 31st March 2013.

7.2. Home loan, car loan and mortgage loan saw an impressive growth during the last financial year. The amount of new loans sanctioned in home loan, car loan and mortgage loan segments increased at an annual rate of 47 percent, 70 percent and 120 percent respectively during FY 2013.

Chart - 7: Composition of Retail Loans

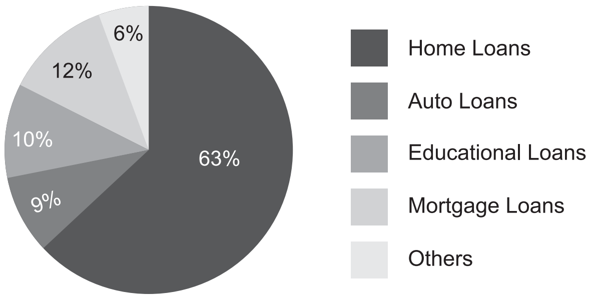

7.3. Continuing its effort to embrace technology for creating customer convenience, your Bank introduced online loan application facility for home loan, vehicle loan, education loan and loan against property. This facility is integrated with the Bank's existing loan processing system that ensures fast turn-around time. The Bank is also implementing the centralized retail credit processing set-up at major metros and cities.

8. Corporate Credit

8.1. The Bank has nine dedicated industrial finance branches (IFB) to focus exclusively on large corporates. Industry desks have been set for specialized appraisal of specific industries. Large Corporate advances of the Bank increased to ₹ 71,121 crore as of 31st March 2013, recording annual growth of 19.23 percent. This constituted 36 percent of total advances of the Bank.

Table - 10: Large Corporate Advances (IFBs)

(₹ crore)

	FY 2012	FY 2013	Annual Growth %
Total Advances	59649	71121	19.23

9. Treasury

9.1. The total investment portfolio of the Bank stood at ₹ 81,189 crore as of 31st March 2013 against ₹ 62,524 crore as of 31st March 2012, registering annual growth of 29.85 percent. The investments portfolio comprised of investments made in government securities, state development loans and other approved securities for maintenance of Statutory Liquidity Ratio (SLR) and non-SLR investments like equity shares, corporate debentures, public sector undertaking bonds, commercial papers (CPs), certificates of deposit (CDs), security receipts, mutual funds, venture capital funds, subsidiaries & joint ventures.

9.2. The yield on investment portfolio was 7.38 percent for the year ended 31st March 2013 as against 6.96 percent for the year ended 31st March 2012. Further yield on interest bearing securities for the year ended 31st March 2013 was 7.69 percent as against 7.40 percent for the last year. The treasury endeavours to manage liquidity and maximize return on funds through efficient allocation of resources. Besides compliance with the statutory requirements, treasury takes proprietary positions in government securities, equity shares, debentures and bonds and also deploys funds in foreign exchange markets.

9.3. The Bank extends hedging facilities to customers through derivative transactions in addition to its proprietary trading in derivatives. The transactions are undertaken within the framework of the RBI guidelines. The Bank has actively traded in both interest rate and currency derivatives. Among the interest rate derivatives, Bank has traded in overnight indexed swaps and in currency futures and forward in the currency derivatives segment.

10. Domestic Foreign Business & International Banking

10.1. Your Bank has a 'Domestic Foreign Business & International Banking Department' which is responsible for faster disposal of credit proposals relating to trade finance and expansion of Bank's overseas operations. Bank has 89 Authorized Dealers' Category-B branches. The Bank is having correspondent relationship with 326 leading international banks at all major international centres. The Bank has rupee drawing arrangement (RDA) with 22 international banks and 22 exchange houses as on 31st March 2013. The online remittance product, Union Flash**,** currently offered through UAE Exchange is a 24 X 7 online remittance solution for NRI in the Gulf region who can use the product for instant credit of funds to the resident Indians having account with Union Bank. Your Bank has entered into a tie up with Western Union Money Transfer (WUMT) for faster

delivery of cash remittances through the Bank's 165 branches in Uttar Pradesh, which will be extended to other branches across the country in a phased manner.

10.2. The export credit of your Bank increased to ₹ 8,917 crore as of 31st March 2013 registering annual growth of 34.82 percent over ₹ 6,614 crore as of 31st March 2012. Foreign exchange turnover increased to ₹ 1,60,836 crore as of March 31, 2013.

10.3. The Bank raised USD 350 million in August 2012 under its medium term note (MTN) programme at a competitive price. This was the fourth tranche out of total MTN programme of USD 2 billion. The proceeds of MTN are mainly used to meet the funding requirements of the Bank's foreign offices.

10.4. Overseas Operations: Your Bank has opened its second foreign branch at Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai, UAE on 9th March 2013 to carry out normal commercial banking operations like acceptance of deposits, trade finance, external commercial borrowing (ECBs) and syndicated loans. Bank's other overseas branch is at Hong Kong, operational since May 2008. Your Bank is also in the process of opening branches at Sydney (Australia) and Antwerp (Belgium) and a subsidiary at London (UK) during the financial year 2013-14. The Bank already has representative offices at Shanghai (China), Abu Dhabi (UAE), Beijing (China), Sydney (Australia) and London (UK).

10.5. The deposits of these two overseas branches increased to USD 509 million as of 31st March 2013, registering an annual growth of 114.77 percent. Advances increased to USD 2.40 billion as of 31st March 2013 registering annual growth of 32.80 percent. The operating profit of these two overseas branches stood at USD 17 million for the year 2012-13.

11. Financial Inclusion

11.1. As part of initiatives taken under 'Meaningful Financial Inclusion' and 'Financial Inclusion Plan 2010-13', the Bank has extended its reach to 29497 unbanked/under-banked villages by providing basic banking services through Business Correspondent Model (BCM). 1.25 crore FI customers were acquired under BCM and were provided with bio-metric cards. The Bank is also extending micro-loans as emergency credit, providing micro insurance at a nominal premium, thus promoting economic activities among the rural/urban poor. During the financial year 2012-13, the Bank has disbursed ₹ 83.10 crore to 32451 women beneficiaries under micro-loan product, 'Pragati' for joint liability groups formed by women.

11.2. Micro remittance facility for migrants extended using bio-metric card technology is also made available for inter-bank transactions using NEFT platform. During the financial year, Bank facilitated 24.58 lakh remittances amounting to about ₹ 812 crore.

11.3. The Bank has a tie-up with Sri Kshetra Dharmasthala Rural Development Project (SKDRDP), a NGO for financing of Self Help Group (SHGs). Till date, 54878 groups have been formed, of which 42062 SHGs are credit linked with outstanding of ₹ 260.65 crore. The project has been implemented in Belgaum, Bangalore and Kozhikode.

11.4. **Direct Benefit Transfer (DBT) Disbursement:** DBT is being implemented in 43 Pilot Districts (Phase I) w.e.f. 1st January 2013, and will be rolled out in 78 districts w.e.f. 1st July, 2013 (Phase II). Out of 43 districts, the Bank has branch network in 40 districts spread across 16 states. As of 31st March 2013, as a sponsor, your Bank has remitted ₹ 67.31 lakh involving 19523 accounts and as a destination bank received ₹ 176.89 lakh to the credit of 12902 beneficiary accounts maintained at various branches.

11.5. **Financial Literacy:** In the process of putting various financial inclusion initiatives in mission mode, the Bank has opened 202 Village Knowledge Centers, 14 Rural Self-employment & Training Centre and 16 Financial Literacy Centers located at various parts of the country. These centers provide the basic financial learning to the un-privileged customers so that they can make a more informed decision with respect to asset allocation and do not fall prey to unhealthy tactics of the local moneylenders.

11.6. **Self Help Groups (SHGs):** Micro-financing through SHG develops an institutional framework, improves access to credit for the poor and inculcates a culture of thrift and disciplined loan repayment. As of 31st March 2013, 233680 groups have been formed and 189548 groups have been credit linked with exposure of ₹ 894 crore. To give impetus to SHG Bank linkage programme, your Bank is implementing a new scheme for intensifying development of Women Self Help Groups through NGOs/other support organizations in backward/Left Wing Extremism affected districts namely, Chandauli & Jaunpur in Uttar Pradesh and Rewa & Sidhi in Madhya Pradesh where Bank has lead bank responsibility.

12. Lead Bank Scheme

12.1. Your Bank has the lead bank responsibility in 14 districts viz. Azamgarh, Jaunpur, Varanasi, Ghazipur, Maunath Bhanjan, Sant Ravidas Nagar (Bhadohi) and Chandauli in Uttar Pradesh; Rewa, Sidhi and Singrauli in Madhya Pradesh; Ernakulam and Idukki in Kerala and Khagaria & Samastipur in Bihar. With 516 branches in these districts, Bank's deposits and advances in Lead Districts stood at ₹ 25,181 crore and ₹ 7,501 crore respectively as of 31st March 2013 as against ₹ 20,264 crore and ₹ 6,339 crore respectively in the previous year. Total Priority Sector advances and Agriculture advances stood at ₹ 4,716 crore & ₹ 2,291 crore respectively as of 31st March 2013, which constitute 62.87 percent and 30.54 percent respectively of total advances in lead districts. Bank has one R-SETI in each lead district that provides training to youth in rural and semi-urban areas to take up self employment ventures.

13. Regional Rural Banks (RRBs)

13.1. The Bank had sponsored 2 RRBs, viz. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (KGSGB), Varanasi, in Uttar Pradesh and Rewa Sidhi Gramin Bank (RSGB), in Madhya Pradesh. The Government of India vide notification dated 1st November 2012 announced amalgamation of Rewa Sidhi Gramin Bank, Rewa and other 2 RRBs into a single RRB viz., Madhaynchal Gramin Bank with Head office at Sagar under sponsorship of State Bank of India. KGSGB, Varanasi has a network of 401 branches covering 8 districts of Eastern U.P. The business mix of the RRB is ₹ 8,086 crore as on March 31, 2013. The priority sector advances stood at ₹ 1,296 crore which constituted 71 percent of the advances portfolio. Your RRB was the first to achieve 100 percent implementation of the Core Banking Solution (CBS) and first to offer RTGS/NEFT facility to their customers. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank, Varanasi has issued country's first RuPay ATM card to provide benefits of technology/alternate delivery channels to rural customers. To enable RRBs to play their role effectively, training is imparted to RRB staff at Sponsor Bank training centers as well through external training establishments. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank, Varanasi has also set up own training centre at Azamgarh, U.P.

14. Asset Quality Management

14.1. Gross Non-performing Assets (GNPA) as a ratio of gross advances came down to 2.98 percent as of 31st March 2013 from 3.01 percent as of 31st March 2012. Net NPA to net advances ratio also came down to 1.61 percent from 1.70 percent during the comparable period. Provision coverage ratio has also improved by 3 percentage points to 65.21 percent as of 31st March 2013 from 62.22 percent as of 31st March 2012.

14.2. Banking sector witnessed deterioration in asset quality during 2012-13 due to slowdown in domestic economy and subdued external demand. Your Bank was, however, able to reduce Gross NPAs in absolute term as well as ratio to gross advances after it peaked at ₹ 6,541 crore in June 2012 from ₹ 5,450 crore as of 31st March 2012. As of 31st March 2013, Gross NPAs stood at ₹ 6,314 crore. Accretion to NPA is attributable to sectoral downturn in textiles, construction, iron & steel and chemicals & chemical products etc.

Table - 11: Movement of NPA

(₹ crore)

Particulars	FY 2012	FY 2013
Gross NPAs (Opening)	3623	5450
Additions	3760	3975
Less, reductions	1933	3111
(I) Upgradation	255	733
(II) Recoveries	740	1250
(III) Write-off	938	1128
Gross NPAs (Closing)	5450	6314
Net NPAs		
- Opening	1803	3025
- Closing	3025	3353

14.3. The cash recovery and up-gradation stood at ₹ 1983 crore as of 31st March 2013 compared to ₹ 995 crore in the previous year, showing an increase of 99 percent. The percentage of recovery/up-gradation to opening NPA level stood at 36.39 percent as of 31st March 2013 as compared to 27.46 percent in the last fiscal, showing improved recovery efforts. Bank has made recovery of ₹ 486 crore in written off accounts and unapplied interest as of 31st March 2013 compared to ₹ 471 crore in the previous year.

14.4. The break-up of sectoral NPA is given as under:

Table - 12: Sectoral NPA as percent to sectoral advances

Sectors	FY 2012	FY 2013
Agriculture & allied activities	9.58	7.33
Industry	2.92	3.22
Retail	4.02	2.88
Services	3.52	1.80

14.5. Your Bank issued notices to 3635 defaulting borrowers involving dues of ₹ 1,593 crore during FY 2013 under the Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (SARFAESIA), 2002. One Time Settlement (OTS) was approved in 611 cases, resulting in a recovery of ₹ 132 crore. Further, assets worth ₹ 588 crore were seized in 1082 cases and the Bank has recovered an amount of ₹ 196 crore by sale of properties. Special OTS for NPAs with outstanding of less than ₹ 10 lakh was introduced with effect from 1st October 2012. This resulted in recovery of ₹ 238 crore in over 46000 accounts.

14.6. Bank has 10 Asset Recovery Branches (ARBs) to have focused attention on high value NPAs. These ARBs could recover ₹ 155 crore during FY 2013. Big borrowal accounts in NPA category are reviewed at regular intervals by Controlling Offices at different levels. NPA position of the Bank is also reviewed at quarterly intervals by the Board. Soft collection capability is being built not only to enhance recovery but also to contain NPAs. With a view to maintain healthy asset quality and to control NPAs, the services of Collection Contact Center were extended to both Bangalore as well as Chennai Zones during the year.

15. Restructured Accounts

15.1. Keeping in view the viability of units, restructuring is used as a tool to lend a hand of assistance to borrowers who are temporarily in distress because of circumstances beyond their control. The distress may be because of general downturn in the economy or in a particular sector. Amount outstanding under restructured advances as of 31st March 2013 was ₹ 11,626 crore, which is 5.85 percent of the domestic advances of the Bank. NPA outstanding under restructured advances was ₹ 1,820 crore as of 31st March 2013 which is 10.72 percent of total restructured amount of ₹ 16,965 crore.

16. Transaction Banking

16.1. Alternate Channels: The percentage of electronic transactions to total transactions increased from 54.75 percent as of 31st March 2012 to 60.02 percent as of 31st March 2013. In line with the growth in electronic transactions, your Bank consistently achieved increase in income from alternate channels.

Chart-8: e-Transactions

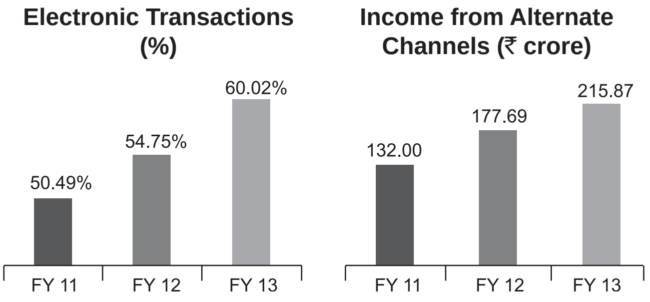

16.2. ATMs and Cards**:** Your Bank has 4603 ATMs across the country as of 31st March 2013 which is an increase of 802 ATMs over 31st March 2012. Total number of cards issued crossed 10 million during FY 2013. Bank issued more than 2.4 million debit cards during FY 2013. Bank launched in June 2012 first of its kind Talking ATM for visually and physically challenged people. Currently Bank is having more than 100 Talking ATMs at various locations across country. Bank introduced series of remittance products such as NEFT, IMPS, Union eCash on ATM during FY 2013.

16.3. Bank launched India's first RuPay prepaid card. This Aadhar based RuPay prepaid card is capable of supporting biometric authentication by the Unique Identification Authority of India (UIDAI) for transaction processing. Bank has introduced platinum credit card to its existing VISA credit card variants and implemented loyalty program for debit and credit card holders. Customers can enjoy the privilege of earning reward points on all transactions made through Bank's debit & credit cards at POS and e-Commerce outlets.

16.4. Bank also participated as an issuing bank in Punjab Government Foodgrain Supply payment ecosystem developed on National Payment Corporation of India (NPCI) platform and issued RuPay based cards for collecting payments.

Chart-9: Card Base and Transactions through Cards

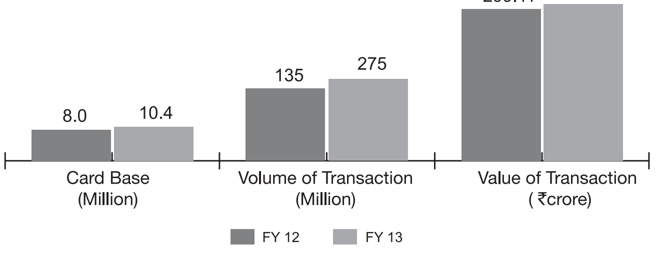

16.5. Internet and Mobile Banking**:** Your Bank has added new features on its electronic channels like internet and mobile banking. Enhancing security of these electronic channels has been the primary theme during the last year. Bank has been one of the first to implement Mobile banking on USSD (Unstructured Supplementary Service Data) platform. IMPS service that enables customers to make interbank fund transfers through mobile on real time basis is now available on all three channels viz. ATM, Mobile banking and Internet banking. During the last financial year, Bank has taken up cashless campus project in Kendriya Vidyalaya Sanghatan, Pune. Bank has implemented payment gateway solutions on college/ university portals to collect fee payments.

Chart - 10: Gen-Next User Base of alternative channels

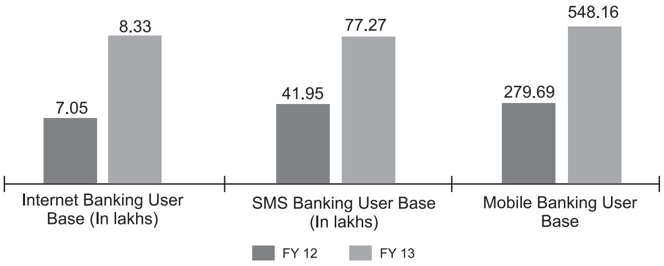

16.6. Currency Chest**:** Your Bank has provided Note Sorting Machines to 487 branches having average receipts of more than ₹ 50 lakh. At present Bank has 64 Currency Chests and is in the process of opening a Currency Chest at Salem, Tamilnadu.

16.7. Cash Management Services (CMS)**:** The CMS Division mobilized 180 new connections under various CMS products and earned a total income of ₹ 30.17 crore (non interest income ₹ 10.71 crore and interest income ₹ 19.46 crore) for the Bank, putting a turnover of ₹ 50,074 crore during the financial year 2012-13. Bank has set up a payment hub exclusively to take care of payment services. Payment Hub is already carrying out bulk salary payment of Kendriya Vidyalaya & Navodaya Vidyalaya, pan India. Bulk remittance by way of online transfer and RTGS/NEFT of certain Govt./Semi-Govt. and private organizations are being carried out by the payment hub on a regular basis. Web-CMS has been made operational. Clients are able to access CMS software to view their accounts and transactions through Union Bank's web-site.

16.8. Merchant Banking**:** All branches of your Bank provide facility of ASBA (Application Supported by Blocked Amount) enabled now. Bank has made available ASBA facility for applying in Public Issues through Internet banking and also extended the facility of registration of applicant and their details. Bank obtained the permanent registration for Merchant Banker and Banker to issue activities and has turned active in handling of payment and collection assignments of corporate clients/PSUs.

17. Information Technology

17.1. The Bank has proactively adopted innovative technologies and processes to cater the changing customer requirements and to ensure absolute customer satisfaction. A number of initiatives in technology implementations were undertaken through CBS and other supporting systems such as financial inclusion gateway, online application facility in lending automation solution (LAS), IMPS on alternate delivery channels, enterprise application integration (EAI) middleware, business intelligence tools for management reports and dashboards, document management system, unified communications, digital media signage and robust security and network applications.

17.2. Bank has implemented the payment systems introduced by RBI, Government of India and other state governments on time and utilize the services efficiently to fulfill the daily requirements of customers. These payment gateways include RTGS / NEFT / ECS / NECS / AEPS Payment Gateway, NPCI Payment Gateway, State Governments Payment Gateway for Tax Collections, Direct Taxes and Indirect Taxes (Excise & Service Taxes) payment gateway integration for online Tax Payments, Excise & Custom Duty payment integration etc. CPSMS Integration.

17.3. The major initiatives taken during the year are as under:

17.3.1. To meet the increasing transaction volumes, Bank has increased computing capacity of CBS system.

17.3.2. Through middleware application, the Bank has integrated various applications like Foreign Inward Remittances, Treasury, HRM Solution, Swift, RTGS, NEFT, Online trading application etc with CBS to facilitate seamless flow of transactions.

17.3.3. As a yet another initiative in Mobile banking, your Bank has enabled inter bank fund transfer on real time basis using account number and IFSC Code of the beneficiary bank. Now our Mobile Banking customers can send money from their mobile handset to any other bank account instantly on 24 x 7 basis using beneficiary account number & IFSC code.

17.3.4. In internet banking, Bank has introduced new features like IPv6 (Internet Protocol version 6), the latest revision of the Internet Protocol (IP) for Net-Banking and enhanced security implementation and enabling fund transfer through IMPS via internet banking channel.

17.3.5. Payment Gateway integrations with several state governments and MCA (Ministry of Corporate Affairs) have been implemented for online collection of taxes.

17.3.6. Your Bank has successfully commissioned Financial Inclusion Gateway during this year. This system integrates Bank's Core Banking System (CBS) with Bank's various Financial Inclusion vendors' system and Centralized Bio-Metric Authentication System for processing transaction initiated by Financial Inclusion customer at Hand Held Device /Micro ATM.

17.3.7. As part of Governmental initiatives in "Direct Benefits Transfer" (DBT), your Bank has taken active lead in seeding and linking of Aadhaar numbers with bank account numbers and enabled necessary features in Bank's CBS Application.

17.3.8. To achieve effective information security governance, your Bank is following Information Security Management System (ISO 27001). We have implemented ISO27001 for the Datacenter and DR site.

18. Risk Management

18.1. Your Bank has a proactive approach towards Risk Management. The Bank's risk philosophy involves developing and maintaining a healthy portfolio within its risk appetite and regulatory framework. The Risk Management framework is specifically designed to identify key risk areas, measure, monitor and manage them efficiently in order to deliver enhanced shareholder value by achieving an appropriate tradeoff between risk and returns. Bank constantly endeavors to ensure that business function partners with the Risk Management function to derive value and the available capital is used most effectively.

18.2. The Risk Management architecture of the Bank comprises of an independent Risk Management Organizational structure both at the Corporate and Field level, Risk Management Policies, Risk Measurement Tools and Risk Monitoring and Management Systems. By posting Risk Management Officers at the field, Bank is a pioneer in inculcating a risk culture throughout the organization. Risk profiling of the Bank for various risk areas and for regional offices is being done on a quarterly basis. Bank has a well defined risk appetite statement and the independent risk function ensures that the Bank operates with its risk appetite framework.

18.3. The Board of Directors of the Bank are primarily responsible for laying down risk parameters and establishing an integrated risk management and control system. The Bank's Board approves Risk Management policies and also sets out limits taking into account the risk appetite of the Bank and the skills available for managing the risks. Board of Directors are supported by a Sub-Committee of the Board known as Supervisory Committee of the Board on Risk Management and Asset & Liability Management, which in turn is supported by the committees of executives headed by Chairman & Managing Director, namely Credit Risk Management Committee (CRMC), Asset Liability Committee (ALCO) and Operational Risk Management Committee (ORMC).

18.4. Credit Risk

18.4.1. The credit risk mechanism consists of policies and practices that include mechanisms for risk identification, risk measurement, risk grading/ aggregation techniques, reporting and risk control/mitigation techniques, documentation, legal issues and management of problem loans to protect asset quality and ensure orderly growth and targeted risk adjusted return on assets.

18.4.2. The Credit Risk Management Policy along with Collateral Management Policy address the Credit Risk related to lending activities. Credit Approving Authority, Prudential Exposure Limits, Risk Rating System, Risk Based Pricing, Portfolio Management are the various instruments for management of Credit Risk.

18.4.3. Your Bank has standardized and well-defined approval processes for all credit proposals to minimize the credit risk associated with them. Bank adopts Committee Approach for credit sanctions and has Credit Approval Committees at various levels from regional office onwards. Bank has also developed credit rating models for exposure above ₹ 2 lakh and scoring model for Retail lending schemes. The Bank has a system of portfolio rating for retail loans which are subjected to credit scoring and thus the entire credit portfolio of the Bank is subject to internal credit rating. Bank has credit rating migration and default probability data for more than 10 years. It continuously monitors portfolio concentrations by borrower, groups, sectors, retail schemes, industry, geography, etc and constantly strives to improve credit quality and maintain a risk profile that is diverse in terms of borrowers, products, industry types and geography.

18.5. Market Risk

18.5.1. Asset Liability Management Policy and Treasury Policy aid the management in mitigating the market risk in the banking and trading books. Overall responsibility of managing the market risk lies with the Asset Liability Committee (ALCO). The Committee meets regularly and decides on the size, mix, tenor, pricing and composition of various assets and liabilities. It primarily carries out identification, measurement, monitoring and management of liquidity and interest rate risk. It uses tools such as ratio analysis, gap analysis, Structural liquidity, Dynamic Liquidity, Interest Rate Sensitivity etc. Value at Risk, Duration Gap Analysis etc for management of liquidity and interest rate risks. The fundamental focus is to add value both from the earnings perspective and from the economic value perspective. Bank has an independent mid-office positioned in Treasury which reports to risk management. It ensures compliance in terms of exposure analysis, limits fixed and calculation of risk sensitive parameters like Value at Risk, PVO1, Duration, Defeasance Period, etc.

18.6. Operational Risk

18.6.1. Comprehensive systems and procedures, internal control system and audit are used as primary means for managing Operational Risk. Bank has in place a Board approved Operational Risk Management Policy based on Reserve Bank guidelines. All new products introduced by the Bank pass through a new product approval process to identify and address operational risk issues. Operational loss data has been captured for the last five and half years and mapped into eight business lines and seven loss events. Bank's income is also mapped into eight business lines and Bank is in process to migrate to the Standardized Approach. It has also agreed to join external data pooling initiative of IBA.

18.6.2. As a good corporate governance measure, Bank has formulated a Disclosure Policy to have greater transparency in its working. It has also developed a Business Continuity Plan (BCP) and implemented the same. The BCP provides a blueprint detailing a wide range of responses under a disruptive environment to protect its staff, assets and interest of the customers. BCP contains steps to be adhered to both at the preventive as well as recovery phase when challenged with real life incidents.

18.7. Implementation of Basel–II

18.7.1. Bank has implemented the New Capital Adequacy Framework under Basel-II as per the timelines prescribed by the RBI. While the Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Duration method for market risk and Basic Indicator approach for Operational Risk, the initiatives so far undertaken are geared towards enabling the Bank to comply with the standards set out for more advanced capital measurement approaches in the Basel-II accord. With regard to credit risk, Bank has already complied with the requirements for advanced approaches in the areas of a) Risk Policy making, b) implementation of credit risk strategies & necessary guidelines, c) Credit rating/scoring of loans, d) Portfolio management & reporting, e) Industry researches, f) Credit risk stress testing etc. The officials from credit risk management are members in the loan sanctioning committees of the Bank at various levels to represent the risk concerns. Bank has also moved over to a completely automated & networked environment through its CBS and has enhanced its IT architecture and Management Information Systems. It has developed various training programs to upgrade the risk management skills of its employees. Bank has also assessed its preparedness for moving over to advanced approaches.

18.7.2. Bank has set up an Internal Rating Based (IRB) Module which enables two dimensional obligor and facility rating required for moving over to the advanced approaches. The module has been implemented and all accounts are now rated only through the system. Bank has also set up a centralized rating pool with respect to corporate borrowers to improve the rating quality, create robust rating data and for better administration of rating models. In order to estimate credit risk components viz. probability of default (PD), loss given default (LGD), exposure at default (EAD) & maturity (M) Bank has already put in place necessary framework and is in the process of compiling the data.

18.7.3. In the area of Operational risk, Bank has started the process of putting in place a Risk and Control Self-Assessment (RCSA) framework. Workshops were conducted and Risk and Controls were assessed in 30 products and processes. Bank plans to cover all the major products and processes during the coming year. Groundwork for development of Key Risk Indicators (KRI) is also on.

18.7.4. For enhancing manpower skills on risk management, Bank conducts in-house training programs and also nominates officials for attending training programs on risk management in reputed external training institutes. Bank has an excellent training system in place through which it attempts to develop the professional and managerial skills of its employees. Bank has also recruited qualified professionals from reputed business schools who would help in refining the risk management practices, measurement and management tools.

18.7.5. Bank has also developed a framework for quantifying the Pillar-2 risks and has put in place a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) framework in line with RBI guidelines, which is being validated by external agencies

18.7.6. In order to shift the metrics of measurement from traditional volume based measures to risk based measures, Bank has implemented a robust and scientific fund transfer pricing system i.e. Matched Fund Transfer Pricing System. A Profitability Management Module has also been implemented which would assist the Bank in measuring profitability under various dimensions. This would pave the way for moving over to Risk Based Performance Measurement and Risk Based Pricing.

18.7.7. Bank has also initiated steps to integrate the role of risk in planning and strategy formulation and in measuring performance of different business units. The Bank strives to provide maximum returns to its stakeholders while maintaining a solid capital base to support the risks associated with its diversified business. It has a comfortable Tier 1 capital adequacy ratio in order to support the execution of its growth plans and business strategies, while meeting the regulatory capital requirements at all times.

18.8. Strengthening the Resilience: Basel-III Initiatives

18.8.1. Basel-III guidelines which are a comprehensive set of reforms to strengthen the regulation, supervision and risk management of the banking sector were issued by Reserve Bank in May 2012. Draft guidelines on Liquidity Risk Management and Basel-III framework on Liquidity Standards were also issued in February 2012.

18.8.2. The capital standards and new capital buffers will require banks to hold more capital and higher quality of capital than under Basel II. The new leverage ratio introduces a non-risk based measure to supplement the risk-based minimum capital requirements. Banks in India are well capitalized and are already above the minimum prescribed ratios. As Basel-III transition is phased over a longer timeframe upto 2018, it is expected to ease the pressure for immediate capital infusion.

18.8.3. The new liquidity ratios under Basel-III framework on Liquidity Standards ensure that adequate funding is maintained. Bank is awaiting final RBI guidelines to evaluate the compliance with Liquidity Coverage Ratio and Net Stable Fundung Ratio norms in the Indian context.

18.8.4. The Bank has been proactively conducting internal assessment of adequacy of capital, liquidity ratios and leverage ratios in accordance with Basel-III standards. Bank's capital position is in compliance with Basel-III expectations, well above the minimum requirements.

18.9. KYC-AML

18.9.1. Bank has taken various measures to strengthen KYC-AML (Know Your Customer-Anti-money laundering) compliance. A revised Account opening form with additional features for customer profiling and a KYC checklist has been developed. Efforts are being made to ensure customer profiling, risk categorization in all accounts. Special training sessions and workshops on KYC – AML are conducted and one session on KYC-AML is introduced in all internal trainings to sensitize all staff across the Bank. Bank has acquired Money laundering software (AMLock) to generate alerts to facilitate detection of suspicious transactions and submission of Suspicious Transaction Report (STR), non-profit organisation transaction report (NTR), counterfeit currency report (CCR), and cash transaction report (CTR) on electronic mode to Financial Intelligence Unit, India (FIU-Ind). Bank continuously strives to improve the compliance on KYC-AML.

18.10. Fraud Risk Management

18.10.1. A dedicated Fraud Risk Management Dept. (FRMD) is in place in the Bank. The Department reports the frauds to the top management, Board & RBI. It identifies the fraud prone areas, maintains database of risk /fraud prone areas. The Department suggests improvement in the systems & controls with a view to plug the systemic loopholes through the mechanism of Fraud Review Council. FRMD ensures effective monitoring of frauds by constant follow up for recoveries in fraud related cases, prompt, timely and time bound action against staff involved and follow up with CBI/Police/EOW for taking the cases to its natural end. The Department continuously strives to strengthen operational practices, procedures, controls and review mechanism so that fraud – prone areas are sanitized against both internal and external frauds.

18.10.2. The Bank also interacts with other government departments to ensure that nature of fraud is discussed and appropriate measures are initiated for its prevention. The Bank has also been strengthening its IT security through enhanced firewalls, password authentication, etc. to reduce / prevent cyber crime.

19. Compliance Function

19.1. In view of ever increasing number of regulations, compliance has increasingly become a focus area for effective corporate governance. In an endeavour to develop a strong compliance culture in Bank, Compliance Policy is framed and reviewed annually. Compliance Department continuously co-ordinate the identification of compliance related issues, assess and mitigate compliance risk. Functional department wise compliance related issues are identified. Role responsibility as regards compliance function is defined for every tier in the Bank. A reporting system also exists to ensure compliance of regulatory and statutory compliance issues through self certification process by which Compliance Certificate is submitted by the branches to the higher offices. Such a system of self certification is also invoked for all verticals working in central office. Report on findings of random test checking by the risk officers is submitted to the Top Management. The Board & its Audit Committee is appraised at monthly & quarterly intervals about important communications received by the Bank from the RBI & Government of India and the status of compliance thereon. A comprehensive database in various compliance related issues is being developed.

20. Human Resource Management

20.1. Your Bank initiated HR Transformation process with an objective to align HR strategy with the business strategy by benchmarking and adopting industry best practices. As a result of transformation exercise, Bank has streamlined various policies, processes & systems and defined, documented roles with job clarity and uploaded the same on the Intranet with feedback mechanism. HR has implemented a transparent & objective Performance Management System (PMS) incorporating government of India guidelines on the same. A new module in PeopleSoft (Union Parivaar) was developed to integrate the new appraisal system for its online submission. Manpower Planning was introduced through scientific model & calculator for arriving at the assessment of the manpower requirement. Bank has initiated succession planning for critical roles and is in the process of building leadership pipeline.

20.2. Manpower Strength: The detailed position of total manpower of the Bank as on 31st March 2013 are given as under:

Table No-13: Employee Strength

Parameter	Officers	Clerks	Sub-staff	Total
Total Employees of which	16405	9399	5994	31798
Scheduled Castes (SCs)	2906	1932	2372	7210
Scheduled Tribes (STs)	1100	528	535	2163
Other Backward Classes (OBCs)	2796	1946	1341	6083
Persons with Disability (PWD)	120	113	76	309
Ex-Servicemen	71	215	982	1268
Women	2865	2466	805	6136

20.3. Recruitments: Bank recruited 4509 employees during the year including 2873 officers and 1636 clerks. Of the officers recruited, 2473 were probationary officers & 204 were rural development officers (RDO).

20.4. Reservation Policy: The department continued to have regular dialogues with the various SC/ST and OBC Welfare Associations in the Bank and the platform was fully utilized to redress the grievances of the various reserved category employees including issues concerning policy matters. Reservations, relaxations and concessions were extended to the various reserved categories as per the extant government guidelines

20.5. Industrial Relations: The Industrial Relations Scenario in the Bank continued to be cordial on account of the constant dialogue held with the majority trade unions and resolving all the contentious issues. Cases involving disciplinary matters were disposed of speedily in the most judicious manner and with a human face.

21. In-house Journal

21.1. The Bank's in-house journal 'Union Dhara' continues to be an excellent means of internal communication between management and employees with objectives of creating oneness amongst the staff members and stimulating employees about their duties, loyalties and creativity. This year 'Union Dhara' clinched 11 prizes from various organizations.

21.2. Union Dhara bagged 6 awards along with the most prestigious "Champion of the Champions Trophy" at 52nd Awards ceremony of ABCI (Association of Business Communicators of India), at Taj Mahal Hotel, Mumbai. RBI awarded Union Dhara the second prize in the category of 'Bilingual House Journal'. Union Dhara bagged 'Silver' award from 'PRCI (Public Relations Council of India), Bangalore'. Union Dhara also bagged 'श्रेष्ठ गृहपत्रिका पुरस्कार' from 'Aashirwad, Mumbai'. Union Dhara also bagged "उत्कृष्ट सम्मान पुरस्कार from 'Rajbhasha Kiran, Mumbai'.

22. Official Language Implementation

22.1. During the year under review, your Bank took various measures to promote Official Language Implementation like introduction and implementation of Core Rajbhasha Solution for online reporting of various official language activities, publication of Hindi book on 'Retail Banking - Vividh Aayam', publication of comics in Hindi 'Main Hoon Na' on ATM, online competition on Rajbhasha & Banking for executives & staff members respectively, organizing translation workshop for newly recruited official language officers, generation of report in Hindi language through MIS. Bank also organised Rajbhasha Sangoshthi at Delhi, Lucknow & Chennai for executives of the Bank. Bank is planning to produce animation film in Hindi on financial inclusion to inculcate the banking habits in rural masses especially amongst children.

23. Security

23.1. During the year under review, your Bank has made concerted efforts to enhance the level of security in the Bank by strengthening the security infrastructure, imparting training and carrying out extensive security inspections to improve the security standard of branches. Security arrangements in 1376 branches were inspected by the security officers. As part of our thrust to add electronic surveillance, closed circuit television systems (CCTV) were installed in additional 888 branches bringing the total number of branches with CCTV system to 3102 branches. Emphasis was laid on security and fire-safety awareness among the staff members and to this end short training capsules on 'Security and Fire Safety" were conducted by the security officers in 1376 branches and full building fire evacuation drill was conducted in the Bank's central office and in its technology centre. 951 armed guards underwent refresher training programmes, which included live firing practice.

24. Internal Audit

24.1. In June 2012, the Ministry of Finance (MOF) issued detailed guidelines on risk based internal audit which was to be implemented from 1st April 2013. The Bank has fine-tuned the existing Risk Based Internal Audit processes and remodeled on-line auditing software, keeping in view the Ministry's guidelines and requirements. Bank has also put in place a well defined audit policy for the year 2013-15 separately for Risk Based Regular Internal Audit as well as concurrent audit, duly approved by the Board. Keeping in view the guidelines received from the RBI on the Annual Financial Inspection (AFI), Bank has put in place a policy for AFI 2013-15 giving entire process of AFI compliance, which is duly approved by the Board.

24.2. During the year, audit of 2935 branches was conducted. This also includes, audits of 92 foreign exchange dealing branches, 46 service branches and 64 currency chests, management audits of 5 regional offices, 4 Field General Manager's Office and 18 Central Office departments. Inspection of the Bank's subsidiary, Union KBC Asset Management Company & the joint venture Star Union Dai-Ichi were also completed. The Bank had 679 branches/offices covering over 68 percent of the Bank's business under concurrent audit by external firms of chartered accountants. The Ministry of Finance through its guidelines on concurrent audit of branches required the Bank to cover 70 percent of its deposits and advances under concurrent audit from 1st April 2013. The Bank is well positioned to meet the requirements. A separate concurrent audit policy for 2013-15 has been approved by the Board.

24.3. For FY 2012-13 Information System (IS) Audit Cell work of the core banking systems was assigned to an external agency and they started audit from January 2013 and they completed the audit during the year. The I.S. audit team has independently conducted audit of 13 Information Systems. Further in keeping with MoF guidelines, the Bank has a maiden /independent I.S. Audit policy in place for the years 2013-15, duly approved by the Board.

24.4. The Audit Committee of the Board of Directors met 12 times during the year. They perused the audit reports and made suggestions for improving operating efficiency and strengthening the systems and control.

25. Vigilance

25.1. Vigilance is an essential tool to bring about excellence in the organization as it plays an important and positive role in creating an ethical climate with discipline and safety of operations. An elaborate and well structured vigilance system has been put in place, covering all areas of operations and in tune with the guidelines issued by the Central Vigilance Commission (CVC). The Bank's thrust is on preventive vigilance, as it helps in checking occurrence of frauds, achieving growth and profitability. A number of interactive sessions with field functionaries were arranged so as to create necessary awareness of systems and procedures and to sensitize them about the pitfalls of non-compliance. 413 such preventive vigilance visits were made to various offices of the Bank during the year 2012-13. Moreover, interaction with field functionaries were held to make them aware of the irregularities observed during preventive vigilance visits so as to assist them in supervision of branches under their jurisdiction more effectively. Improvements in systems and procedures are suggested regularly

with a view to either plug possible loopholes or improve effectiveness. During the year proactive steps have been taken by way of surveillance made possible by Bank's information technology (IT) systems for early detection of wrong doing as a signal to potential wrong doers.

26. Opportunities

26.1. India's macroeconomic fundamental is seen improving as inflation cools below the tolerance level of RBI allowing further headroom for monetary easing. Efforts taken by the Government towards fiscal consolidation and reforms measures paves the way for restoring trust of market participants. Revival of investment sentiments is likely to ensure smooth financing of current account deficits (CAD). Banking industry is facilitator as also the beneficiary of this revival. Easing of loan rates will spur retail lending which has been relatively resilient in this downside phase of credit cycle. Even in present scenario retail banking offers huge potential for growth due to increasing range of specific products, higher disposable income in the hands of young generation & deepening of delivery channels. The opportunity also lies in providing timely credit, suitable range of products and right price to small and medium enterprises. Increase in limits under various segments of priority sector advances augurs well for agriculture advances. Mobile banking along with penetration of internet & broad band access has potential to completely transform the banking in the near future.

27. Threats

27.1. It is always difficult to identify the inflexion points in any business cycle. India's increasing integration with global markets have opened further vulnerabilities for domestic economy where adversities of global output cycle may transmit rather sooner, through trade, finance and confidence channels. Global output growth is projected only mildly better in the year 2013. Slow resolution of sovereign debt issues in the US, untested consequences of Japanese monetary adventure, replication of Cyprus like crisis in Euro area, etc., pose threats to smooth recovery outlook. Moreover, the factors like wide CAD, exchange rate risks, late compression of fiscal expenditure, inflationary risks, may affect the growth projection for India. Further, stress in certain sectors such as state utilities, power, textiles, airlines and microfinance calls for cautious approach from lenders.

28. Outlook

28.1. Indian economy is expected to grow a percentage point higher than last fiscal year. Professional forecasters see a annual GDP growth to rise to 6 percent in fiscal year 2013-14 as against 5.0 percent estimated for fiscal year 2012-13. RBI has projected GDP growth rate of 5.7 percent for the year 2013-14. SCB's deposits and advances are projected to grow by 14 percent and 15 percent respectively. Your Bank's financial performance has been showing improvement sequentially in key parameters since second quarter of FY 2012-13. This development along with expected revival in industry growth enhances the growth prospects in FY 2013-14 and your Bank will be able to show improved results in forthcoming years. Your Bank will endeavor to capture the opportunities with specific focus on increasing low cost deposits and augmenting agriculture, retail, micro, medium & small enterprises business in the financial year 2013-14. Overall, the customer centricity will continue to be the driving force for the Bank.

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

1.1 Union Bank of India has a tradition of good corporate governance practices. The Bank has laid emphasis on the cardinal values of fairness, transparency and accountability for performance at all levels, thereby enhancing the shareholders' value and protecting the interest of the stakeholders.

1.2 The Bank considers itself as trustee of its shareholders and acknowledges its responsibility towards them for creation and safeguarding shareholders' wealth. During the year under review, the Bank continued its pursuit of achieving these objectives through adoption and monitoring of corporate strategies, prudent business plans, monitoring of major risks of the Bank's business and pursuing policies and procedures to satisfy its legal and ethical responsibilities.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1 The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. As on 31/03/2013, the Board comprised of three whole-time Directors viz. Chairman & Managing Director and two Executive Directors appointed by the Government of India besides nine Part-time Non-Executive Directors who are eminent personalities from various walks of life. Their rich and varied experience, guide the Bank in its progress and achievements in various spheres.

2.2 The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review and control and sanction of cases falling beyond the powers delegated to various functionaries in the Bank. The Board has constituted various sub-committees and delegated powers for different functional areas. The Board as well as its committees meet at periodical intervals.

3. BOARD/COMMITTEE MEETINGS AND PROCEEDINGS

3.1 Scheduling and Selection of Agenda Items

All Board/Committee Members are given notice of the meetings in advance. The meetings are governed by structured agenda. The agenda alongwith the explanatory notes are distributed well in advance.

3.2 Availability of Information to the Members

All items in the agenda are supported by detailed background information to enable the members to make comprehensive review and take informed decisions.

3.3 Recording minutes of the proceedings

Minutes of the proceedings of each Board/Committee meetings are recorded. In keeping with good corporate governance principles, the decisions on all agenda items are arrived by general consensus. The minutes of the proceedings of the meetings are entered in the minutes book.

3.4 Follow-up mechanism

The Bank has an effective mechanism for post meeting follow-up, review and reporting process for the actions taken on decisions of the Board and Committees. Action taken report on the decisions/minutes of the previous meeting(s) is placed to the Board at next meeting.

3.5 Compliance

The Board periodically reviews the compliance reports to ensure adherence to all applicable provisions of law, rules and guidelines.

3.6 Code of Corporate Governance

Keeping in view the best practices, the Board has framed a voluntary code of corporate governance. The code helps to inculcate a spirit of good corporate governance right from the top. It basically encompasses and documents the practices followed in the bank in conduct of its duties towards all the stakeholders like;

- procedures for Board and its various Committees
- Compliance and monitoring procedures
- relation with shareholders and Customers
- disclosures to public at large.
- corporate social responsibility and ;
- other miscellaneous issues viz, Code of conduct, insider trading, staff matters, vigilance etc.

3.7 Board Meetings

During the year under review 20 Board Meetings were held on the following dates: -

20th April, 2012	1st November, 2012
8th May, 2012	2nd November, 2012
9th May, 2012	27th November, 2012
9th June, 2012	22nd December, 2012
25th June, 2012	27th December,2012
10th July, 2012	20th January,2013
26th July, 2012	30th January, 2013
27th July, 2012	31st January, 2013
31st August, 2012	25th February,2013
24th September, 2012	25th March, 2013

The details of attendance of each Director at the Board Meetings, number of other Board Committees, where he is a member or Chairman during the year, details of shareholding and directorship of other companies / corporations are furnished hereunder: -

Details of Directors and meetings held during 2012-13

Name of the Director & Category	DOB/ Age (years)	Qualification	No. of Board meetings held during their tenure	Meetings attended	Member of Board Committees	Share holding	Other Director Ship
Shri D. Sarkar CMD (Executive) $	03.11.53, 59 years	M.Com, FCA, CAIIB	20	20	CAC-I,MCM, SCR & ALM, DPC, DPC(V), SCMF, STCB, CSCB,HR, ESV by PSBs, RMC	Nil	3
Shri S.S.Mundra Executive Director (Executive) #	18.07.54 58 yrs	Post Graduate in Commerce from University of Pune and is also a Certified Associate of IIBF.	16	16	CAC, MCM,ACB, SCR & ALM, SIGC, SCMF, STCB,CSCB,HR,IT, ESV by PSBs,RMC	Nil	2
Shri S.K.Jain Executive Director (Executive)	05.05.54 58 yrs	BSC (Hons), MA (Eco), CAIIB	20	19	CAC, MCM, ACB, SCR & ALM, SIGC, SCMF, STCB,CSCB,HR,IT, ESV by PSBs,RMC	Nil	1
Shri K.Subrahmanyam $	15.07.55 57 years	B.Com.(Hons), CAIIB (I)	4	4	CAC, MCM, ACB, SCR & ALM, SIGC, SCMF, STCB,CSCB,HR,IT, ESV by PSBs,RMC	Nil	2
Dr. A Bhattacharya $ Government Nominee (Non -executive)	30.09.53 59 years	PHD in Economics, M Phil in Public Administration, LLB	14	7	ACB, SCR & ALM,DPC, DPC (V), SCMF,NCB, RCB, HR,RMC	Nil	**Nil**
# Shri Rajesh Khullar Government Nominee (Non -executive)	31.08.63 49 yrs	MSC Physics	6	--	ACB, SCR & ALM,DPC, DPC (V), SCMF,NCB, RCB, HR.	Nil	**Nil**
Shri Chandan Sinha RBI Nominee (Non -executive)	15.08.57 55 yrs	MSC, MBA, CAIIB	20	14	MCM,ACB, DPC, DPC(V), RCB	Nil	**Nil**
Shri B.M.Sharma @ Chartered Accountant (Non executive)	15.07.56 56 yrs	Chartered Accountant	20	20	MCM,ACB, SCR & ALM,STCB, NCB,IT, ESV by PSBs	Nil	Nil
Shri B.N.Bhattacharjee Officer Employee (Non -executive)	31.05.54 58 yrs	BA, LLB-I	20	20	MCM, CSCB,SCR & ALM,STCB,	19	**Nil**
Shri N. Shankar Workmen Employee (Non -executive)	20.05.58 54 yrs.	B.Sc., ICWA	20	8	MCM, CSCB, SIGC,	Nil	Nil
Dr. Atul Agarwal Part-Time Non- Official (Non -executive)	02.08.60 52 yrs	B.Com.,LLB, FCA, ISA(ICAI), Ph.D.	20	20	MCM,ACB, SIGC, CSCB,IT, RCB, NCB, ESV by PSBs	193	**2**

Name of the Director & Category	DOB/ Age (years)	Qualification	No. of Board meetings held during their tenure	Meetings attended	Member of Board Committees	Share holding	Other Director Ship
Dr. R.H.Dholakia $ Shareholder (Non-executive)	02.04.53 59 years	PHD in Economics	15	14	MCM,HR, CSCB,	200	**2**
Shri G.K.Lath $ Shareholder (Non-executive)	20.08.52 60 years	B.Com., FCA	15	13	MCM,CSCB, SCMF,	100	**Nil**
Shri D.Chatterji $ Shareholder (Non-executive)	23.08.48 64 years	B.Com. (Hons.),CA	15	13	MCM,RCB, SCR & ALM,	200	**9**
Shri M.S.Sriram # Shareholder (Non-executive)	16.05.62 50 yrs.	B.Com., Post Graduate Diploma in Rural Management from Institute of Rural Management, Anand (IRMA) (1984) and is a Fellow of the Indian Institute of Management, Bangalore (1992).	4	4	MCM,ACB, SCR & ALM, CSCB, SCMF, STCB,RCB, HR.	100	2
Shri S. Ravi @ # Shareholder (Non-executive)	12.07.59 53 yrs	B.Sc, M.Com & FCA Pursuing Ph.D from the Centre of Management Studies, **JMI**	4	4	MCM, SCR & ALM, CSCB,IT	600	**13**

$ Dr. A Bhattacharya nominated on the Board w.e.f. 20.7.2012 in place of Shri Rajesh Khullar.
Shri K.Subrahmanyam nominated on the Board w.e.f. 21.01.2013 in place of Shri S.S.Mundra.
Dr. R.H.Dholakia, Shri G.K.Lath and Shri D.Chatterji were elected as Shareholder Directors on the Board w.e.f. 27.06.2012.
Shri D.Sarkar nominated on the Board w.e.f. 01.04.2012 in place of Shri M.V.Nair.

@ Chairman of ACB.

The term as Director of Shri M.S.Sriram and Shri S.Ravi Sharehoder Director ended on 22.06.2012.
The term of Shri Rajesh Khullar ended on 19.07.2012
The term of Shri S.S.Mundra ended on 21.01.2013

CAC - Credit Approval Committee
MCM - Management Committee of Board
ACB - Audit Committee of Board
SCR&ALM - Supervisory Committee of Directors on Risk & Asset Liability Management
SIGC - Shareholders/Investors Grievance Committee of the Board
DPC - Directors' Promotion Committee
DPC (V) - Directors' Promotion Committee – Vigilance/Non-Vigilance
STCB - Share Transfer Committee of the Board
SCMF - Special Committee of Board of Directors for monitoring cases of frauds of Rs.1 crore and above
CSCB - Customer Service Committee of the Board
RCB - Remuneration Committee of the Board
NCB - Nomination Committee of the Board
HR - Sub Committee of Board for HR issues.
IT - IT Strategy Committee of the Board.
RMC - Recovery Management Committee of Board.
ESV by PSBs - Election of Shareholders Voting by Public Sector Banks.

Committee Membership of Directors

Shri S.K.Jain, Executive Director holds membership/chairmanship of Audit Committee/Investor Grievance committee outside the Bank as under:

1. Union KBC AMC Pvt. Ltd.- Member, Audit Committee

Shri D.Chatterji, Director holds membership/chairmanship of Audit Committee/ Investor Grievance committee outside the Bank as under:

1. Hindusthan National Glass & Industries Ltd.- Member, Audit Committee
2. West Bengal Industrial Development Corporation Ltd.-Chairman, Audit Committee
3. TRF Limited.- Chairman, Audit Committee
4. Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd.- Member, Audit Committee

Dr. R.H.Dholakia, Director holds membership/chairmanship of Audit Committee/ Investor Grievance committee outside the Bank as under:

1. State Trading Corporation Ltd.- Member, Audit Committee.
2. Adani Enterprises Ltd.- Member, Audit Committee.

3.9 Inter-se relationship of Directors

None of the Directors are related to each other.

3.10 A brief profile of the new directors inducted on the Board during the financial year 2012-13 is as under:-

Profile of Directors inducted in the Board after March 31, 2012.

Name	Age	Experience	Date of appointment	Expiry date of current term	Other Directorship
Shri D.Sarkar	59 yrs	Having started his career in Bank of Baroda, in July 1982, he worked in various capacities in Branches, Regional Office, Zonal Office and Corporate Office. He was in charge of Internal Audit department of the Bank's Mauritius operation at Port Louis to look after internal audit function of Mauritius, Seychelles and South Africa. He also worked as Head of Specialized Integrated Treasury Branch, Mumbai. Shri Sarkar assumed the office of the Executive Director of the Allahabad Bank on December 07, 2009. Shri Sarkar was instrumental in bringing all the branches under CBS platform in Allahabad Bank. He has taken initiative in introducing Risk Based Internal Audit in Allahabad Bank. He was also associated with reactivating Loan Syndication department, making Incentive Scheme broad based focusing on performance. Shri Sarkar is known for his expertise in Treasury & Corporate Credit. He was a Director on the Board of Central Securities Depository Ltd. Mumbai, Board of Bank of Baroda (Botswana) Ltd. (an overseas banking subsidiary of Bank of Baroda). He was a Trustee on the Baroda Pioneer Asset Management Company Ltd., Mumbai. He was also a member on Supervisory Board of India Advantage Fund Series sponsored by ICICI Venture Capital Management Company Ltd., Bangalore. He was a Director on the board of All Bank Finance Ltd. Presently he is the Non-Executive Chairman of	01.04.2012	30.11.2013 i.e. date of his attaining Superannua- -tion or until further orders whichever is earlier	**3**

Name	Age	Experience	Date of appointment	Expiry date of current term	Other Directorship
Shri D.Sarkar (contd)		Union KBC Ltd and Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd and also Director on the Board of GIC Re. He is also a member of Governing Board of the Institute of Banking Personnel Selection (IBPS), Mumbai. Shri Sarkar is known for his dynamic leadership and a prolific speaker. Under his guidance Bank has achieved the feat of implementing meaningful financial inclusion and expanded its overseas presence.			
Shri G.K.Lath Shareholder (Non-executive)	60 years	Shri Lath from Lucknow aged 60 years is a commerce graduate and a practicing Chartered Accountant with more than 35 years of experience. Apart from the audit of banking industry, he has handled various types of audit and other assignments of many private and public sector corporations, insurance companies, local bodies, central cooperative societies, government departments and several World Bank aided projects. He has been rendering professional services to various private sector clients in direct taxation and also representing them at various appellate forums in the income tax department. Shri Lath was a member of the "Standing Tripartite Committee" and also the member of "Minimum Wages Advisory Board" nominated by the "Ministry of Labor and Employment, Government of India". He was also nominated by the Government of UP in the High Powered Committee constituted for 'fixation of fees of private engineering colleges in U.P.".	27.06.2012	26.06.2015	**Nil**
Dr. R.H.Dholakia Shareholder (Non-executive)	59 years	Dr. Dholakia from Ahmedabad is a Professor of Economics and Public Systems in IIM Ahmedabad and has 36 years of experience. He is Master of Arts (Gold Medalist), Ph. D. in Economics (MSU, Baroda) and Post-Doctoral Fellow (Uni. Of Toronto). He is a Director on the Boards of Adani Enterprises Limited and State Trading Corporation of India Limited. He was a Member of the Sixth Central Pay Commission and has worked as an expert Member on numerous High Powered Committees appointed by the Government of India and State Government of Gujarat.Recently, he chaired a Committee appointed by Ministry of Civil Aviation on Cost Saving and Resource Optimization in Air India (2013).	27.06.2012	26.06.2015	**2**

Name	Age	Experience	Date of appointment	Expiry date of current term	Other Directorship
Shri D.Chatterji Shareholder (Non-executive)	64 years	Shri Chatterji from Kolkata is a Commerce graduate and a practicing Chartered Accountant. He had been on the Board of three other Public Sector Banks and is also on the Boards of other companies including Hindustan National Glass & Industries Limited, West Bengal Industrial Development Corporation Limited, TRF Limited, Texmaco Infrastructure & Holdings Limited. Shri Chatterji is the Chairman of The Calcutta Stock Exchange Ltd and is the Vice President of one of the top 10 Business schools in the Country. He is also on the General Council of one of the State Universities of the country. He had been member on various Committees set up by RBI/IBA/various Government authorities. He had been a Central Council member of ICAI and was the Chairman of Auditing Practices Committee of ICAI. He was also the Chairman of Eastern India Regional Council of the ICAI. He is presently a member of National Council of CII and also Chairman of National Committee on Accounting Standards of CII.	27.06.2012	26.06.2015	**10**
Dr.A.Bhattacharya, Govt. Nominee Director	59 years	Dr. Achintan Bhattacharya has been appointed as Govt. Nominee Director of the Board of the Bank w.e.f 20th July, 2012. Dr. Bhattacharya was inducted into CSS through 1979 Civil Services exam. A Ph.d on his thesis on Food Policy, he did his M. Phil in Public Administration on thesis on Criminal Justice System. He is economics graduate from Presidency College, Kolkata and a post graduate of Calcutta University in Economics. He also did his LLB from Delhi University. He served a number of departments in the Govt. of India like Food, Defence, Fertilisers and Social Justice in various capabilities. Before elevation to the post of Joint Secretary he was a Director in the Department of Financial Services, Ministry of Finance. Prior to his nomination in Union Bank, he had been a Govt. nominee Director in UCO Bank, State Bank of Patiala and Punjab & Sind Bank. He has authored large number of Research Articles/Professional Articles on various economic issues published in various journals/monographs. Presently he is also the Interim Director of National Insurance Academy, Pune.	20.07.2012	Until further orders	**Nil**

Name	Age	Experience	Date of appointment	Expiry date of current term	Other Directorship
Shri K. Subrahmanyam (Executive Director)	57 years	Shri K. Subrahmanyam has assumed charge as Executive Director of Union Bank of India on 21.01.2013. Born on 15th July 1955, Shri Subrahmanyam is Graduate in Commerce and a Gold Medalist from Berhampur University, Odisha. In his Banking career, in Indian Overseas Bank, spanning of over three decades, he held various positions across the country as well as overseas. His last posting was as General Manager in charge of Bank's MSME portfolio Shri Subrahmanyam joined Indian Overseas Bank as Probationary Officer in 1975. He served as Branch Head at Bank's major branches in Hyderabad, Ahmedabad and Mumbai. He was the Regional Head of Kolkata and Vijayawada region between 2006 and 2008. He was posted overseas as Chief Executive of Bank's Singapore Operations between September 2008 and August 2010.	21.01.2013	31.07.2015 i.e. date of his attaining Superannua- -tion or until further orders whichever is earlier	**2**

Profile of Director inducted in the Board after March 31, 2013.

Shri Shri Kant Misra	58 yrs	Shri S.K.Misra born on March 8, 1955, is a practicing Chartered Accountant since 1978. At present he is the proprietor of M/s S K N & Associates, having its head office in Kanpur and branches at Delhi, Lucknow and Kolkata. Mr. Misra was also a partner in M/s Chaturvedi & Co from the year 1978 till December, 2012. During his professional career of more than 34 years, he has handled various assignments of Statutory Audit (including Central Statutory Audit of various Nationalized Banks and Life Insurance Companies), Internal/Management Audit of various big business groups like Balrampur Chini, Times of India, Shaw Wallace, Advance Group of Industries, Vikas Telecom etc., Project Financing, Management Consultancy, preparation of accounting manuals for electronic media and real estate and hospitality companies, Expert opinion in Company Law and Income Tax matters, Financial due diligence, Idea Validation & Project feasibility reports and mergers and acquisitions. He has travelled around the globe to acquire and strengthen his knowledge and capabilities. He has gained specialization in financial planning of real estate and hospitality projects. Shri. Misra was also Honorary Secretary of Backward Area Industries Development Association. He is a member of Working Committee of Sanatan Dharam Mahamandal.	11.04.2013	10.04.2016 or until further orders	Nil

3.11 Annual General Meeting:

The Tenth Annual General Meeting of the Shareholders was held on 26th June' 2012 where the following directors were present:

1.	Shri D.Sarkar	-	Chairman & Managing Director
2.	Shri S. S.Mundra	-	Executive Director
3.	Shri S. K.Jain	-	Executive Director
4.	Shri B. M. Sharma	-	Director (C.A. Category) and Chairman Audit Committee
5.	Shri B. N. Bhattacharjee	-	Officer Representative Director
6.	Dr. Atul Agarwal	-	Part-Time Non-Official Director and Chairman, Shareholders'/Investors' Grievance Committee.

4 COMMITTEES OF THE BOARD

4.1 Audit Committee of Board of Directors (ACB)

4.1.1 Composition:

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India, Audit Committee of Board of Directors (ACB) has been constituted with six Directors viz. Executive Directors, Nominees of Govt. of India & Reserve Bank of India and two non-official non-executive directors of which one is a Chartered Accountant, Shri B. M. Sharma, Independent Non-official Director and a Chartered Accountant Chairs the meetings of the Committee.

4.1.2 Functions

The Audit Committee reviews the functions of the Bank as mandated by calendar of items issued by RBI on 10.11.2010. The major functions of ACB are enumerated below :

1. ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function implies the organization, operationalization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory / external audit of the Bank and inspection by RBI.
2. ACB reviews the internal inspection/audit functions in the Bank i.e., the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up. It reviews the inspection reports of specialized and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings. It also specially focuses on the follow-up of:-
   - Inter-branch adjustment accounts
   - Un-reconciled long outstanding entries in inter-Bank accounts and Nostro accounts
   - Arrears in balancing of books at various branches
   - Frauds
   - All other major areas of housekeeping.
3. ACB obtains and reviews half-yearly reports from the Compliance Officers appointed in the bank in terms of other guidelines of RBI and quarterly reports on compliance of listing and other SEBI guidelines.
4. Regarding statutory audits, ACB follows up on all the issues raised in the Long Form Audit Reports. It interacts with the external auditors before and after the finalization of annual / semi-annual financial accounts and on the audit reports.
5. Audit Committee reviews the accounting policies, related party transactions, Management Discussion and Analysis and Quarterly and Annual Financial Results of the Bank.
6. ACB annually reviews the mechanism for whistle blower as well.
7. Review of all financial Policies of the Bank.

4.1.3 Attendance of ACB Meetings

The Committee met 12 times during the year 2012-13 and attendance details are as follows:-

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri B.M. Sharma, (Chairman ACB)	12	12
Shri S.S. Mundra, ED	9	9
Shri S.K.Jain,ED	12	11
Shri K. Subrahmanyam	3	3
Shri Rajesh Khullar, Govt. Nominee	2	--
Dr. A Bhattacharya	10	6
Shri Chandan Sinha, RBI Nominee	12	10
Shri M.S. Sriram, Shareholder Director	2	2
Dr. Atul Agarwal	10	9

4.2 Management Committee of the Board (MCB)

4.2.1. Composition:

Pursuant to the amendments made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Banking Division vide Notification dated 19th February, 2007 to the Nationalised Bank's (Management & Miscellaneous Provisions Scheme) 1970 and further amendment upto 29th June 2007, the Management Committee now consists of Chairman & Managing Director, Executive Director/s, RBI nominee Director, a Chartered Accountant nominated by the Central Government under Section 9(3)(g) who functions as regular member of the Committee and three other Non-Executive Directors under Section 9(3) (e),(f),(h) & (i) nominated by the Board for a period of six months each on rotation basis. The Chairman & Managing Director is the Chairman of the Committee.

4.2.2. Functions

Pursuant to the directives of Ministry of Finance, Government of India, Management Committee of Board is constituted by the Board of Directors for considering various business matters viz. sanctioning of

credit proposals, loan compromise/write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, investments, donations, etc.

4.2.3 Attendance of MCB Meetings

During the year 2012-13, 21 meetings of Management Committee were held and attendance details are as under:-

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri D. Sarkar, CMD	21	21
Shri S.S. Mundra, ED	16	16
Shri S.K.Jain, ED	21	20
Shri K.Subrahmanyam, ED	5	5
Shri Chandan Sinha, RBI Nominee	21	14
Shri B.M. Sharma, Director (C.A. Category)	21	21
Shri M. S. Sriram, Shareholder Director	3	3
Shri N. Shankar, Workmen Employee Director	14	2
Shri B.N.Bhattacharjee, Officer Employee Director	11	11
Dr. Atul Agarwal, Non –Official Director	10	8
Dr. R.H.Dholakia, Shareholder Director	7	6
Shri G.K.Lath, Shareholder Director	7	5
Shri D.Chatterji, Shareholder Director	11	9
Shri S.Ravi, Shareholder Director	3	3

4.3 Supervisory Committee of Directors on Risk & Asset Liability Management (SCR & ALM)

4.3.1 Composition:

The Committee consists of the following members of the Board of Directors: Chairman & Managing Director, Executive Directors, Nominee of Government of India and three Non-Executive Directors. The Chairman & Managing Director is the Chairman of the Committee.

4.3.2 Functions:

The Bank has constituted a Supervisory Committee of Directors on Risk and Asset Liability Management to supervise the functions of Risk and Asset Liability Management in the Bank. It is responsible for identifying, evaluating and monitoring the overall risks faced by the Bank.

4.3.3 Attendance of SCR & ALM Meeting

The Committee has held 4 meetings during the year 2012-13 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri D.Sarkar, CMD	4	4
Shri S.S. Mundra, ED	3	3
Shri S.K.Jain, ED	4	4
Shri K.Subrahmanyam, ED	1	1
Shri Rajesh Khullar, Govt. Nominnee Director	1	--
Dr. A. Bhattacharya, Govt. Nominnee Director	3	2
Shri M. S. Sriram, Shareholder Director	1	1
Shri B.M.Sharma, Director (C.A. Category)	4	4
Shri B.N. Bhattacharjee, Workmen Employee Director	3	3
Shri D.Chatterji, Shareholder Director	3	1
Shri S.Ravi, Shareholder Director	1	1

4.4 Shareholders'/ Investors' Grievance Committee of the Board (SIGC)

4.4.1 Composition:

The Shareholders' /Investors' Grievance Committee consists of Executive Directors and two Non-executive Directors. The Chairman of the Committee is Dr. Atul Agarwal an independent Non-executive director.

4.4.2 Functions:

Pursuant to clause 49 of the Listing Agreement, a Shareholders' / Investors' Grievance Committee of the Board (SIGC) has been constituted by the Board to look into the redressal of shareholders and investors complaints regarding transfer of shares, non-receipt of refund orders, share certificates, dividends, etc.

4.4.3 Attendance of SIGC

The Committee has held 4 meetings during the year 2012-13 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Dr Atul Agarwal, (Chairman of SIGC)	4	4
Shri S.S. Mundra, ED	3	3
Shri S.K.Jain, ED	4	4
Shri K.Subrahmanyam, ED	1	1
Shri N Shankar, Workmen Employee Director	4	2

A comparative chart showing number of complaints received, responded and pending for the financial year ended 31.03.2013 vis-à-vis 31.03.2012 is as under:-

		For F.Y. ended 31.03.2013	For F.Y. ended 31.03.2012
a.	No. of shareholders complaints pending at the beginning of the year	-NIL-	-NIL-
b.	No. of shareholders complaints received during the year	1,027	1,057
c.	No. of shareholders complaints resolved during the year	1,027	1,057
d.	No. of shareholders complaints pending at the end of the year	-NIL-	-NIL-

Mrs. Monika Kalia, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer of the Bank for Investor Grievances.

4.5 Share Transfer Committee of the Board (STCB)

4.5.1 Composition:

The Committee consists of Chairman & Managing Director and /or Executive Directors and any two directors.

4.5.2 Functions:

With a view to effecting speedy transfer of shares, the Bank has constituted a Share Transfer Committee of Board with powers to confirm transfer, transmission, Demat and issue of duplicate shares etc.

4.5.3 Attendance of STCB:

During the year, the Committee Meetings were held for 31 times to the transfer, transmission, Demat and issue of duplicate shares etc. and it was attended through circulation.

4.6 Special Committee of Board of Directors for monitoring cases of Fraud of Rs.1.00 crore and above (SCMF)

Special Committee of the Board of Directors for monitoring cases of frauds of Rs. 1 crore and above is constituted as per the guidelines issued by Reserve Bank Of India vide RBI/2004.15. DBS.FGV (F) No.1004/23.04.01A/2003-04 dated 14.01.04. At present the Audit Committee of Board of Directors (ACB) is required to oversee the internal inspection, statutory audit, inter branch/inter bank accounts and major areas of housekeeping etc. The ACB is also required to focus attention on preventive aspects and follow –up action being initiated by the bank on frauds. However, this Special Committee focuses on Monitoring and following up of cases of frauds involving amounts of Rs.1 crore and above exclusively while ACB continues to monitor all the cases of frauds in general.

4.6.1 Composition:

The Special Committee is constituted with following members of the Board of Directors.

- Chairman & Managing Director
- Two members from ACB
- Two other members from the Board excluding RBI nominee

4.6.2 Functions:

The major functions of the Special Committee would be to monitor and review all the cases of frauds of Rs. 1 crore and above so as to:

- Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same.
- Identify the reasons for delay in detection, if any and/or reporting to top management of the Bank and RBI.
- Monitor progress of CBI /Police Investigation and recovery position.
- Ensure that the staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls.
- Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

4.6.3 Attendance of SCMF

The Committee has held 4 meetings during the year 2012-13 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri D.Sarkar, CMD (Chairman)	4	4
Shri S.S. Mundra, ED	3	3
Shri S.K.Jain, ED	4	4
Shri K.Subrahmanyam, ED	1	1
Dr. A Bhattacharya, Govt. Nominnee Director	3	3
Shri Rajesh Khullar, Govt. Nominnee Director	1	--
Shri G.K.Lath, Shareholder Director	3	3
Shri M.S. Sriram, Shareholder Director	1	1

4.7 Customer Service Committee of Board of Directors (CSCB)

Customer Service Committee of the Board is constituted as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. It was constituted in terms of Reserve Bank of India, DBOD circular dated 14th August 2004.

4.7.1 Composition:

The Committee Comprises of eight members as under:

- Chairman & Managing Director/ Executive Directors
- Two Directors representing customer interest.

- Three Non-Executive Directors.
- Two representatives of Customers as special invitees
- Govt. Nominee Director is a permanent member w.e.f.01.11.2012.

4.7.2 Functions

The Committee is undertaking the following tasks:

- To make suggestion on improving the quality of services.
- To review the implementation of the existing policies and procedures with a view to rationalize and simplify them and to suggest appropriate incentives to facilitate changes on an ongoing basis.
- To oversee the functioning of the Adhoc Committee of the Bank including compliance with recommendations of the Committee on Procedures and Performance Audit on Public Service (CPPAPS) set up by Reserve Bank of India.

4.7.3 Attendance of CSCB

The Committee has held 4 meetings during the year 2012-13 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri D.Sarkar, CMD (Chairman)	4	4
Shri S.S. Mundra, ED	3	3
Shri S.K.Jain, ED	4	3
Shri K.Subrahmanyam, ED	1	1
Dr. A. Bhattacharya, Govt. Nominnee Director	2	1
Shri M.S. Sriram, Shareholder Director	1	1
Shri N.Shankar, Workmen Employee Director	3	1
Shri S. Ravi, Shareholder Director	1	1
Shri B.N.Bhattacharjee, Officer Employee Director.	4	4
Dr.Atul Agarwal, Part Time Non Official Director	4	4
Dr. R.H.Dholakia, Shareholder Director	3	3
Shri G.K. Lath Shareholder Director	3	3

4.8 Remuneration Committee of Board (RCB)

Government of India (GOI) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) vide their communication F.No. 20/1 /2005-BO.I dated 9th March 2007 has announced a scheme of Performance Linked Incentive to the whole-time Directors of Public Sector Banks (PSBs). As per GOI communication, a Sub-committee of the Board of Directors called "Remuneration Committee" has been formed.

4.8.1 Composition:

- Government Nominee Director
- RBI Nominee Director
- Two other Directors

4.8.2 Functions:

To decide upon the performance linked incentive to be paid to the whole-time Directors of the Banks in terms of the above mentioned GOI guidelines.

4.8.3 Attendance of RCB

The Committee met once during the year 2012-13 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Dr.A.Bhattacharya, Govt. Nominee (Chairman RCB)	1	1
Shri Chandan Sinha, RBI Nominee Director.	1	1
Dr. Atul Agarwal, Part Time Non Official Director	1	1
Shri D.Chatterji, Shareholder Director	1	--

4.9 Nomination Committee of Board (NCB)

In exercise of the powers conferred by sub-sections (3AA) and (3AB) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 (as amended in 2006), the Reserve Bank of India has laid down specific 'Fit and Proper' criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Boards of the Nationalised Banks. RBI has issued circular DBOD No.BCNo.47/29.39.001/2007-08 dated November 1, 2007 on 'Fit and Proper' criteria for elected directors on the boards of Nationalised Banks.

Banks are required to constitute Nomination Committee to undertake process of due diligence to determine the fit and proper status of existing elected directors under section 9 (3) (i) of the Act. Accordingly, the Bank has formed a Nomination Committee of the Board.

4.9.1 Composition:

- Three Non-Executive Independent Directors.

4.9.2 Functions:

- To undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'Fit and Proper' status of the elected director.
- To ensure whether non adherence to any of the criteria such as (i) Educational Qualification (ii) Experience and Field of expertise (iii) Track record and integrity, would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the Bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any Bank or any Financial

Institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of the bank.

- Based on the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

4.9.3 Attendance of NCB

The Committee met once during the year 2012-13 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Rajesh Khullar, Govt. Nominee Director(Chairman NCB)	1	1
Shri B.M. Sharma, Director (C.A. Category)	1	1
Dr. Atul Agarwal, Part Time Non Official Director.	1	1

4.10 Directors Promotion Committee (DPC)

4.10.1 Composition:

- Chairman and Managing Director
- Government of India Nominee Director
- RBI Nominee Director

4.10.2 Functions:

The Committee considers candidates for promotions to Top Executive Grade Scale VII as well as representation of officers against non selection / non approval to Top Executive Grade Scale VII, besides considering cases for continuation in service in respect of officers in Top Executive Grade.

4.10.3 Attendance of DPC

The Committee met twice during the year 2012-13 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri D.Sarkar, CMD (Chairman DPC)	2	2
Shri Rajesh Khullar, Govt. Nominee Director	1	1
Dr. A.Bhattacharya, Govt. Nominee Director	1	1
Shri Chandan Sinha, RBI Nominee	2	2

4.11 Directors Promotion Committee – Vigilance/Non-vigilance

4.11.1 Composition:

- Chairman and Managing Director
- Government of India nominee Director
- RBI Nominee Director

In addition, the Executive Directors also participate as special invitees in these meetings.

4.11.2 Functions:

The Committee reviews Vigilance, Non-Vigilance disciplinary cases and departmental enquiries on a quarterly basis.

4.11.3 Attendance of DPC –Vigilance/Non-vigilance

The Committee has held 4 meetings during the year 2012-13 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri D.Sarkar, CMD (Chairman DPC)	4	4
Shri Rajesh Khullar, Govt. Nominee Director	1	--
Dr. A.Bhattacharya, Govt. Nominee Director	3	1
Shri Chandan Sinha, RBI Nominee	4	4

4.12 HR Committee of Directors

4.12.1 Composition

The committee consists of Chairman and Managing Director and/or Executive Directors and any two Directors.

4.12.2 Functions:

To oversee & review the implementation of following aspects:

1. Overall Strategy for the Bank.
   - Overall manpower plan and skills gap identification.
   - Systems, Procedures and structures to attract and groom right talent.
2. Development of performance management system covering all staff in the Bank
   - Performance assessment on transparent Key Responsibility Areas.
   - System of providing developmental feedback to all staff.
3. Fine tuning of policies in line with Bank's strategy and market realities.
   - Reward and incentives
   - Promotion
   - Deployment
4. Training
   - Specialist business skills training
   - General retaining / reorientation for all staff
5. IT automation of all HR related activities

4.12.3 Attendance of HR Committee of Directors

The Committee has held 2 meetings during the year 2012-2013 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri D.Sarkar, CMD (Chairman HR)	2	2
Shri S.S. Mundra, ED	1	1
Shri S.K.Jain, ED	2	2
Shri K.Subrahmanyam, ED	1	1
Dr.A.Bhattacharya, Govt. Nominnee Director	2	1
Dr. R.H.Dholakia, Shareholder Director	2	2

4.13 IT Strategy Committee of Directors

As a part of IT Governance measures, RBI has recommended creation of IT Strategy Committee of the Board to advise the Board on strategic direction on IT and to review IT Investments on Board's behalf.

4.13.1 Composition

The committee consists of:

- Executive Directors,
- Two Independent Directors- one of whom will be the Chairman of the meeting,
- Outside IT Expert,
- The Chief Information Officer (GM heading the IT function of the Bank)

4.13.2 Functions

- Approving IT strategy and policy documents
- Ensuring that the management has put an effective strategic planning process in place.
- Ratifying that the business strategy is indeed aligned with IT strategy
- Ensuring that the IT organizational structure complements the business model and its direction
- Ascertaining that management has implemented processes and practices that ensure that the IT delivers value to the business
- Ensuring IT investments represent a balance of risks and benefits and that budgets are acceptable
- Monitoring the methods that management uses to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high level direction for sourcing and use of IT resources.
- Ensuring proper balance of IT investments for sustaining bank's growth.
- Becoming aware about exposure towards IT risks and controls and evaluating effectiveness of management's monitoring of IT risks.
- Assessing Senior Management's performance in implementing IT strategies.
- Issuing high level policy guidance.(e.g. related to risk, funding or sourcing tasks)
- Confirming whether IT or business architecture is to be designed, so as to derive maximum business value from IT
- Overseeing the aggregate funding of IT at a bank-level, and ascertaining if the management has resources to ensure the proper management of IT risks
- Reviewing IT performance measurement and contribution of IT to business (i.e. delivering the promised value)

4.13.3 Attendance of IT Strategy Committee of Directors

The Committee has held 6 meetings during the year 2012-2013 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri S.Ravi (Chairman IT Strategy)	2	2
Dr. Atul Agarwal, Director (Chairman IT Strategy)	4	4
Shri S.S.Mundra, ED	4	4
Shri S.K.Jain, ED	6	6
Shri K.Subrahmanyam. ED	2	2
Shri B.M.Sharma,CA Director	6	6

4.14 Committee of the Board to review NPA recoveries/ upgradation.

4.14.1 Composition

- Executive Directors,
- Any three Directors.

4.14.2 Function

For laying focused attention on high value NPAs.

4.14.3 Attendance of NPA recoveries/upgradation Committee of Directors

The Committee dissolved w.e.f. 26.05.2012. The Committee had held 1 meeting during the year 2012-2013 i.e. on 26.05.2012.

4.15. Committee of the Board to decide on election of Shareholder Directors –Voting by Public Sector Banks (ESV by PSBs)

The Government of India, MOF vide its letter No.16/11/2012-BO-I dated 3rd April, 2012 on the matter has stated that this assumes a greater significance, since the Govt. who is a major shareholder, does not participate in this election process under the law. As such the ministry has advised the banks to constitute a committee of the Board headed by CMD to carefully consider all factors like qualification, experience, profile and background of various candidates and take decision on supporting the candidates in the election, Furthermore in case of election of shareholder director of PSBs the requirement of the Bank in terms of expertise required

in various field would also be taken into account. The communication further states that the sub- committee would not include Government or the RBI Nominee Directors.

4.15.1 Constitution:

The composition of the Committee is:

- Chairman & Managing Director
- Executive Directors
- Two other members as may be nominated by the Board.

4.15.2 Functions:

Terms of Reference- Consider all factors qualification, experience, profile and background of various candidates and take decision on supporting the candidates in the election. Furthermore, in case of election of shareholder director of PSBs, the requirement of the Bank in terms of the expertise required in various fields would also be taken into account.

4.15.3 Attendance of Committee of the Board to decide on election of Shareholder Directors –Voting by Public Sector Banks.

The meeting is required to be convened as & when required. Since there was no requirement, no meeting of the Committee was held during the year 2012-13 .

4.16. Recovery Management Committee (RMC)

A Board level Sub Committee for Recovery Management has been formed as per GOI communication no. F.No.7/112/2012-BOA dated 21st November, 2012 on the above subject on 27.11.2012

Vide said communication, it has been stated that Public Sector Banks (PSBs) should constitute a Board level Sub-Committee consisting of CMD, EDs and GOI director to monitor the progress in recovery on regular basis and this committee would submit its report to the Board on monthly basis.

4.16.1 Constitution:

The composition of the Committee is:

- Chairman & Managing Director
- Executive Director(s)
- Government Nominee Director

4.16.2 Functions:

To monitor the progress in recovery on regular basis and submit the report to Board.

4.16.3 Attendance of Recovery Management Committee

The Committee has held 3 meetings during the year 2012-2013 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri D.Sarkar, CMD (Chairman RMC)	3	3
Shri S.S.Mundra, ED	1	1
Shri S.K.Jain, ED	3	3
Shri K.Subrahmanyam, ED	2	2
Dr. A. Bhattacharya, Govt. Nominee Director	3	3

4.17. Credit Approval Committee-I (CAC)

As per the provisions contained in Ministry of Finance, Department of Financial Services Gazette Notification No. SO.2736 (E) dated 5th December 2011 the Board in its meeting held on 24.01.2012 has approved the constitution of Credit Approval Committee at central Office. CAC (Credit Approval Committee) is operational with effect from April,2012

4.17.1 Constitution:

The composition of CAC is as under;

- Chairman & Managing Director (Mandatory)
- Executive Directors (at least one Mandatory)
- General Managers- Credit
- General Manager- Financial Planning & Investors Relations (CFO)
- General Manager -Risk Management (Mandatory)

4.17.2 Functions:

Sanctioning of Credit proposals, Funded/Non Funded

Loan Compromise/write off proposals

4.17.3 Attendance of Credit Approval Committee-I

The Committee has held 42 meeting during the year 2012-2013 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri D.Sarkar (Chairman)	42	42
Shri S.S.Mundra, ED	33	32
Shri S.K.Jain, ED	42	38
Shri K.Subrahmanyam, ED	9	9
GM (RMD)	42	42
CFO	42	42
GM (Credit)	42	42

5. GENERAL BODY MEETINGS:

The details of the General Body Meetings of the Shareholders held during last 3 years are given below:

Nature of Meeting	Date & Time	Venue
Eighth Annual General Meeting	2nd July, 2010 at 4.00 p.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Extraordinary General Meeting	29th March, 2011 at 11.00 a.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Ninth Annual General Meeting	29th June, 2011 at 3.30 p.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Extraordinary General Meeting	20th March, 2012 at 11.00 a.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Extraordinary General Meeting	26th June, 2012 at 10.30 a.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Tenth Annual General Meeting	26th June, 2012 at 3.30 p.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Extraordinary General Meeting	16th March, 2013 at 10.00 a.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.

The details of special resolutions placed for approval in the Extraordinary General Meetings are as under:

5.1 Extraordinary General Meeting held on 29th March, 2011.

A special resolution to create, offer, issue and allot up to 1,92,14,515 (One Crore Ninety Two Lac Fourteen Thousand Five Hundred Fifteen) equity shares of ₹.10/- each (Rupees Ten only) for cash at ₹.354.94 in accordance with Regulation 76(1) of SEBI (ICDR) Regulations and aggregating up to ₹.682/- crore (Rs. Six Hundred Eighty Two Crore Only) on preferential basis to Government of India.

5.2 Extraordinary General Meeting held on 20th March, 2012.

A special resolution:

a) to create, offer, issue and allot up to 1,43,11,631 (One Crore Forty Three Lac Eleven Thousand Six Hundred Thirty One) equity shares of ₹.10/- each (Rupees Ten only) for cash at ₹.248.05 in accordance with Regulation 76(1) of SEBI (ICDR) Regulations and aggregating up to ₹.355/- crore (Rs. Three Hundred Fifty Five Crore Only) on preferential basis to Government of India and

b) to create, offer, issue and allot up to 2,62,16,620 (Two Crore Sixty Two Lac Sixteen Thousand Six Hundred Twenty) equity shares of ₹.10/- each (Rupees Ten only) for cash at ₹.248.05 in accordance with Regulation 76(4) of SEBI (ICDR) Regulations and aggregating up to ₹.650.30 crore (Rs. Six Hundred Fifty Crore and Thirty Lac Only) on preferential basis to Life Insurance Corporation of India and/or various Schemes of Life Insurance Corporation of India (LIC).

Pursuant to the above resolution the Bank had received application money only from LIC and 2,62,16,620 shares have been issued and allotted to LIC of India on 30th March, 2012.

5.3 Extraordinary General Meeting held on 16th March, 2013.

Special resolutions:

1. **Issue of Equity Shares through Preferential Allotment to Government of India (GoI)**

   To create, offer, issue and allot up to 4,62,45,174 (Four Crore Sixty Two Lac Forty Five Thousand One Hundred Seventy Four) equity shares of ₹.10/- each (Rupees Ten only) for cash at ₹.240.89 in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating up to ₹.1,114/- Crore (Rupees One Thousand One Hundred Fourteen Crore) on preferential basis to Government of India.

2. **Issue of Equity Shares through Qualified Institutional Placement (QIP)**

   To create, offer, issue and allot by way of a Qualified Institutional Placement under Chapter VIII of ICDR Regulations, such number of Equity Shares of the Bank to Qualified Institutional Buyers as defined under Chapter VIII of ICDR Regulations, whether they be holders of the shares of the Bank or not, as may be decided by the Board in their discretion and permitted under the applicable laws and regulations, for an aggregate amount not exceeding ₹.1,386/- Crore (Rupees One Thousand Three Hundred Eighty Six crore only) at such time or times, at such price or prices including premium in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of Investors to whom the offer, issue and allotment shall be made to the exclusion of other categories of Investors at the time of such offer, issue and allotment considering the prevailing market conditions and other relevant factors and wherever necessary in consultation with lead manager(s) and/or underwriter(s) and/ or other advisor(s) as the Board may in its absolute discretion deem fit or appropriate.

   Pursuant to the above resolutions the Bank has received application money from GoI and 4,62,45,174 shares have been issued and allotted to GoI on 21st March, 2013.

The Second Resolution enables the Bank to raise capital through QIP within a period of one year from passing of this Resolution at such time(s) and in such tranche(s) that would be in the interest of the Bank. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank**.** So far the Bank has not raised any capital under the said resolution.

6. DISCLOSURES

The Bank is governed by the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. SEBI has clarified that for listed entities which are not companies, but body corporates (e.g. private and public sector banks, financial institutions, insurance companies etc.) incorporated under other statutes, clause 49 of the listing agreement will apply only to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines issued by the relevant regulatory authorities. Keeping in view the above, it is stated that the Bank is complying with all the applicable mandatory requirements of Clause 49 of the Listing Agreement. Compliance with respect to non-mandatory requirements under the said clause is also given in this report. The other disclosure requirements stipulated by the clause are as under:

i. Remuneration of Directors

The remuneration including traveling and halting expenses to Non-Executive Directors is being paid as decided by the Central Government in consultation with RBI from time to time in terms of clause 17 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

The Chairman & Managing Director & Executive Directors are being paid remuneration and reimbursement of traveling & halting expenses as per the rules framed by Government of India in this regard. Other terms and conditions of the appointment of whole -time directors are as per clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The details of the same are given in the notes to accounts.

ii. **Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship**

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-à-vis the bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives/ firms/companies in which they are interested are discussed.

iii. Proceeds From Public issues, Right issues, Preferential issues etc.

During the year under review the Bank has increased its equity capital by way of allotment of 4,62,45,174 equity shares of ₹.10/-each to Government of India on preferential basis.

The Bank issued Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details are mentioned in para 8.2 of the report.

The funds were raised with the primary objective of augmenting Capital for strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long- term resources of the Bank and the same were utilised for the said purpose.

iv. Penalties or Strictures

No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the last three years.

v. Whistle Blower Policy

The Bank has put in place the Whistle Blower Policy. The Audit Committee periodically reviews the functioning of the said policy. It is further stated that no employee has been denied access to the Audit Committee.

vi. Management Discussion and Analysis

The same has been given separately in the Annual Report.

7. MEANS OF COMMUNICATIONS

The quarterly, half-yearly and annual financial results of the Bank were published in leading newspapers including Financial Express (English), Free Press Journal (English), Navbharat (Hindi) and Navshakti (Marathi). The results are simultaneously displayed on the Bank's website- www.unionbankofindia.co.in. Similarly, the press releases issued by the Bank, related presentations, shareholding pattern, quarterly and annual results etc. are also simultaneously placed on bank's website.

8. SHAREHOLDERS' INFORMATION

8.1 The Bank is a Scheduled Commercial Bank with its Head Office at Mumbai. The Bank has its presence in different parts of the country with a network of 3,511 (including two Branches at Overseas) Branches as on March 31st, 2013.

8.2 The Bank's shares are listed on the Bombay Stock Exchange Limited and the National Stock Exchange of India Limited and its stock scrip code is as follows: -

Bombay Stock Exchange Limited (BSE)	532477
National Stock Exchange of India Limited (NSE)	UNIONBANK-EQ

The annual listing fee for the financial year 2013-14 has been paid to the Stock Exchanges before 30th April, 2013.

The Bank has issued Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details thereof as on March 31, 2013 are as under:

SERIES	Size (Rs. in Cr)	Date of Allotment	Maturity Date	Coupon Rate % (p.a.)	ISIN NO.
VI	250	03.09.2003	03.05.2013	5.95	INE692A09068
VII	450	08.02.2005	08.05.2015	7.15	INE692A09076
VIII-FIXED	600	23.09.2005	23.04.2015	7.45	INE692A09084
IX	200	19.05.2006	19.05.2016	8.33	INE692A09100
X-Ist TRANCHE	300	10.10.2006	PERPETUAL	9.45 UPTO 10YRS STEP UPTO 9.95 AFTER 10TH YR	INE692A09118
X-IIND TRANCHE UPPER TIER –II	750	16.10.2006	16.10.2021	8.95 WITH STEP UPTO 9.45 AFTER 10TH YR	INE692A09126
XI – LOWER TIER – II, –Ist TRANCHE	400	12.12.2007	12.04.2018	9.35	INE692A09134
XI–IInd TRANCHE	200	12.12.2007	PERPETUAL	9.90 UP TO 10 YRS STEP UP TO 10.40 AFTER 10THYR	INE692A09142
XII PERPETUAL	200	09.09.2008	PERPETUAL	11.15% UP TO 10 YRS STEP UP TO 11.65 AFTER 10TH YR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED	INE692A09159
XII LOWER TIER II	400	17.09.2008	17.09.2018	10.95	INE692A09167
XII LOWER TIER II	200	23.12.2008	23.12.2018	9.50	INE692A09175
XII LOWER TIER II	200	30.12.2008	30.12.2018	8.60	INE692A09183
XII PERPETUAL	140	30.03.2009	PERPETUAL	9.10 UP TO 10 YRS STEP UP TO 9.60 AFTER 10TH YR, IF CALL OPTION NOT EXCERISED	INE692A09191
XIV-A perpetual	200	16.06.2009	PERPETUAL	8.85% UP TO 10YRS STEP UP TO 9.35% AFTER 10TH YR,IF CALL OPTION NOT EXCERCISED	INE692A09209
XIV-B UPPER TIER II	500	25.06.2009	15 YEARS 25.06.2024	8.65% UP TO 10YRS STEP UP TO 9.15% AFTER 10TH YR,IF CALL OPTION NOT EXCERCISED	INE692A09217
XIV-C UPPER TIER II	500	27.01.2010	15YEARS 27.01.2025	8.55% UP TO 10YRS STEP UP TO 9.05% AFTER 10TH YR,IF CALL OPTION NOT EXCERCISED	INE692A09225
XV-A Upper Tier II	500	28.06.2010	15YEARS 28.06.2025	8.48% UP TO 10YRS STEP UP TO 8.98% FROM 11TH YR , IF CALL OPTION NOT EXCERCISED	INE692A09233
XVI-B Lower Tier II	800	28.12.2012	28.12.2022	8.90%	INE692A09241
TOTAL	**6790**				

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd and the Bank has paid the Annual listing fee for 2013-14 to the Stock Exchange.

8.3 Dividend

A dividend of 80% i.e. ₹. 8/- per share has been recommended by the Board of Directors for the financial year 2012-13 in its meeting held on 9th May, 2013.

8.4 Particulars of AGM & Financial Calendar

8.4.1 Particulars of AGM

Board Meeting for considering Accounts and Dividend	9th May, 2013
Date, Time & Venue of AGM	26th June, 2013 at 3.30 p.m. at **Rama Watumull Auditorium**, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai –400 020.
Posting of Notices of AGM and Annual Report	On or before 29th May, 2013.
Dates of Book Closure	22nd June, 2013 to 26th June, 2013(both days inclusive) for payment of dividend
Date of payment of dividend	5th July, 2013

8.4.2 Financial Calendar

Our tentative calendar for declaration of results for the financial year 2013-14 is given below:

Financial Results	Likely release of results
For the quarter ending June 30, 2013	July 25, 2013
For the quarter ending September 30, 2013	October 23, 2013
For the quarter ending December 31, 2013	January 27, 2014
For the year ending March 31, 2014	May 08, 2014

8.5 Share Transfer System and Redressal of Investors' Grievances

The Bank ensures that all transfers of shares are duly effected within the period of one month from the date of their lodgement with proper documents. The Bank has constituted the Share Transfer Committee of Board to consider the transfer of shares and other related matters.

Share Transfer and all other investor related activities are attended to and processed at the office of the Registrar & Transfer Agent, Datamatics Financial Services Ltd., Mumbai. The shareholders may lodge their transfer deeds and any other documents, grievances and complaints to the Registrar & Transfer Agent at the following address. The Bank has also established Investor Services Division at their Head Office, Mumbai. The shareholders may contact Company Secretary, Investor Services Division for any of their complaint / grievances. investorservices@unionbankofindia.com is the designated e-mail ID in terms of clause 47 (f) of the listing agreement.

Registrar & Transfer Agent	Investor Services Division
Datamatics Financial Services Ltd.	Union Bank of India
Plot No.B-5,	12th Floor, Central Office,
Part B, Crosslane, MIDC, Marol,	239, Vidhan Bhavan Marg,
Andheri (E),	Nariman Point,
Mumbai-400 093.	Mumbai-400 021.
Tel-(022) 66712151-60	Tel-(022) 22896643/36
Fax-(022) 28213404	Fax-(022) 22025238
E-mail: ubiinvestors@dfssl.com	E-mail: investorservices@ unionbankofindia.com

Also, the bank has placed a list of frequently asked questions about investor services like change of details, transfer/transmission and issue of duplicate shares/ dividend warrants on its website, the same can be checked for easy understanding of procedures and documentation.

8.5.1 Other communications

In addition to timely responses to the queries of the shareholders, the bank proactively sends a half yearly communication to the shareholders to promote good investors' relations.

The set of communication sent this year was focused on following areas:

i. Half-yearly performance

ii. Claiming unpaid dividends and updation of bank details/ Dividend Mandate Form

iii. Implementation of Green Initiative in the Corporate Governance initiated by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

8.6 Dematerialisation of shares

The Bank's shares are traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's Equity Shares is **INE692 A01016.** Therefore, it is requested that the shareholders holding the shares in physical mode may get their shares dematerialized in their own interest as it will save them from safe custody of the share certificates which at times may lead to loss/mutilation of share certificates. Besides, this would also provide them instant liquidity as the shares of the Bank can only be traded in demat form. This would also result in easy and faster collection of dividend payments. Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31/03/2013 are as under:-

	No. of shareholders	No. of shares	% shareholding
Physical	64,556	6,06,96,006	10.17
Demat			
NSDL	88,562	22,50,67,822	37.71
CDSL	56,573	31,10,30,381	52.12
Total	**2,09,691**	**59,67,94,209**	**100.00**

Further, in pursuance of the circular issued by SEBI, a practicing Chartered Accountant / Company Secretary has also conducted Reconciliation of Share Capital Audit on a quarterly basis. During the course of Reconciliation of Share Capital audit no discrepancy in updation/ maintenance of the Register of Members or processing of demat requests was found and the capital held in physical mode and demat mode tally with the issued capital.

8.7 Electronic Clearing Service / Direct Credit to Union Bank Account

SEBI has made it mandatory for all the listed companies to use the Bank Account details furnished by the Depositories for distribution of dividend through National Electronic Clearing Service (NECS) to the investors, wherever NECS facility is available. In the absence of NECS facility, the Bank shall print the Bank Account details, if available, on payment instruments for distribution of dividend to the investors.

In addition to above, the Bank has also provided facility of credit of dividend amount by way of-

Direct Credit of dividend amount to the account of the shareholders having their account with Union Bank of India.

The dividend mandate form is available on the website of the Bank **www.unionbankofindia.co.in** and is also enclosed in this Annual Report as well.

The shareholders are requested to update their correct and complete account number with Registrar & Transfer Agent of the Bank or Depository Participant (DP) as the case may be for smooth credit of dividend amount to their accounts. In case of non availability of correct and complete account number the Bank has to issue physical dividend warrants printing therein account details as provided by the shareholders.

8.8 Market Price, Volume of shares traded in Stock Exchanges

Months	BSE			NSE			BSE Sensex	
	High (₹.)	Low (₹.)	Volume (Nos.)	High (₹.)	Low (₹.)	Volume (Nos.)	High	Low
April '12	243.90	208.10	2208719	243.75	207.65	21011969	17664.10	17010.16
May '12	227.90	188.95	2967271	228.90	189.35	23184684	17432.33	15809.71
June '12	216.55	187.55	2315076	216.65	187.35	21251253	17448.48	15748.98
July '12	216.50	162.10	3250664	216.70	161.00	23058428	17631.19	16598.48
August '12	175.60	150.10	2147904	175.70	150.05	15791259	17972.54	17026.97
September'12	213.15	154.60	3300095	213.00	154.50	30726787	18869.94	17250.80
October '12	214.60	188.05	2249451	214.55	188.15	21860072	19137.29	18393.42
November '12	244.95	195.80	7194530	245.35	195.65	49771309	19372.70	18255.69
December '12	279.55	229.90	4074367	279.70	235.00	32035125	19612.18	19149.03
January '13	288.00	240.00	5400570	288.00	239.25	49198141	20203.66	19508.93
February '13	257.00	208.20	3560400	257.05	208.05	29877265	19966.69	18793.97
March '13	238.25	205.00	3369010	238.40	205.10	26769338	19754.66	18568.43
As on 31.03.2013 Closing Price	218.05			218.00				
Market Capitalization	13013.10 crore			13010.11 crore				

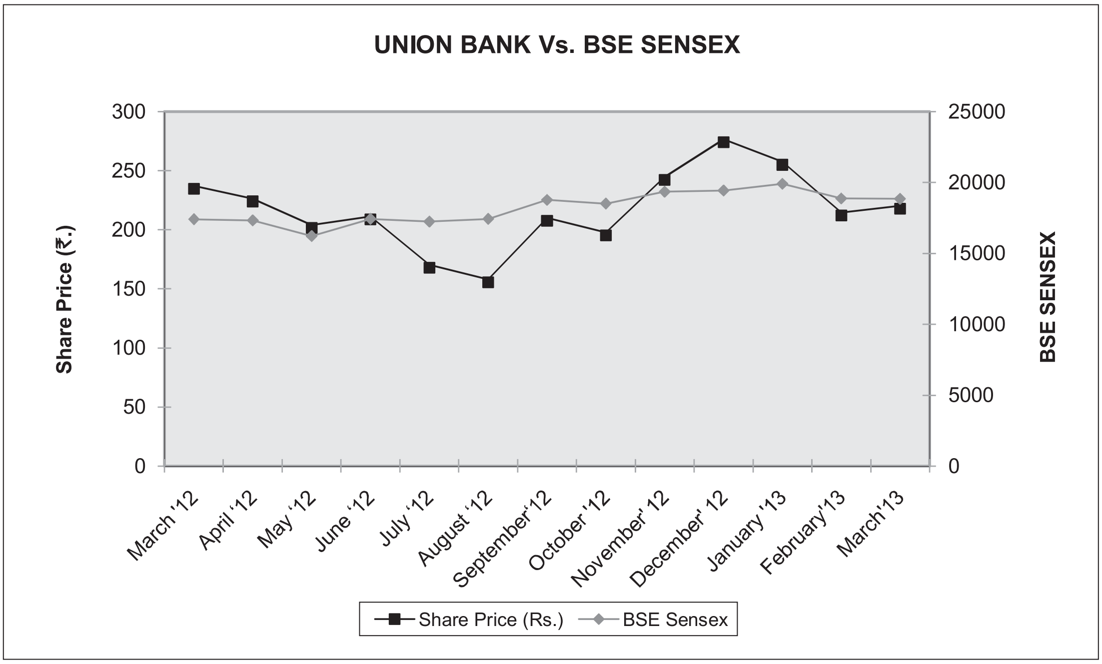

8.9 Distribution of Shareholding

The Government's shareholding in the Bank is 34.55 crore shares aggregating to ₹.345.46 crore in the total issued capital of ₹.596.79 crore. The distribution of shareholding as of 31/03/2012 and as of 31/3/2013 is as under:

	As of 31/03/2012				As of 31/03/2013			
Shareholding	**No. of shareholders**	**% to total**	**No. of shares**	**% to total**	**No. of shareholders**	**% to total**	**No. of shares**	**% to total**
upto 500	189985	90.12	27397457	4.98	188821	90.05	27141516	4.55
501 to 1000	16482	7.82	10758614	1.95	16320	7.78	10699065	1.79
1001 to 2000	2922	1.39	3982310	0.72	3018	1.44	4121551	0.69
2001 to 3000	548	0.26	1353287	0.25	580	0.28	1420883	0.24
3001 to 4000	176	0.08	616801	0.11	184	0.09	645785	0.11
4001 to 5000	90	0.04	418368	0.08	105	0.05	488479	0.08
5001 to 10000	200	0.09	1430925	0.26	220	0.10	1590924	0.27
10001 & above	415	0.20	504591273	91.65	443	0.21	550686006	92.27
Total	**210818**	**100.00**	**550549035**	**100.00**	**209691**	**100.00**	**596794209**	**100.00**

The face value of Bank's share is ₹.10/-. The Bank has also issued Perpetual Non-cumulative Preference Shares (PNCPS) to the extent of ₹.111/- crore to the Government of India.

8.10 Shareholding pattern

The shareholding pattern of the Bank's shares as of 31/03/2012 and as of 31/03/2013 was as follows:-

	As of 31/03/2012		As of 31/03/2013	
Category of shareholder	**No. of shares held**	**% to total holding**	**No. of shares held**	**% to total holding**
Govt. of India	29,92,14,515	54.35	34,54,59,689	57.89
Non-Residents (FIIs/OCBs / NRIs)	5,30,01,494	9.63	6,36,03,403	10.66
Banks/Financial Institutions/Insurance Cos.	7,27,85,880	13.22	7,01,52,974	11.75
Mutual Funds/UTI	3,12,75,764	5.68	3,74,83,056	6.28
Domestic Companies/ Private Corporate Bodies/Trusts	4,66,99,050	8.48	3,24,21,665	5.43
Resident Individuals	4,75,72,332	8.64	4,76,73,422	7.99
Total	**55,05,49,035**	**100.00**	**59,67,94,209**	**100.00**

List of Top 10 Shareholders of the Bank:

The list of top 10 shareholders of the Bank as on 31.03.2013 is as follows:

Sr. No.	Name	No. of shares	% to Capital
1.	PRESIDENT OF INDIA	34,54,59,689	57.89
2.	LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	4,71,34,525	7.90
3.	HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	1,68,03,654	2.81
4.	LIC OF INDIA MONEY PLUS GROWTH FUND	65,47,690	1.10
5.	BIRLA SUN LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	55,52,749	0.93
6.	HDFC TRUSTEE COMPANY LIMITED - HDFC TOP 200 FUND	49,77,000	0.83
7.	LIC OF INDIA MARKET PLUS 1 GROWTH FUND	46,50,577	0.78
8.	COPTHALL MAURITIUS INVESTMENT LIMITED	44,58,687	0.75
9.	SANFORD C BERNSTEIN AND CO. DELAWARE BUSINESSTRUST-EMERGING MARKETS VALUE SERIES	41,65,449	0.70
10.	MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS ESPANA S.A. S.V.	39,41,077	0.66
TOTAL		44,36,91,097	74.35

8.11 Unclaimed /Unpaid Dividend

The amount of dividend remaining unclaimed for a period of seven years from the date of transfer of dividend to the Unpaid Dividend Account shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund. Thereafter, no claim shall lie against the Bank or the said fund in respect of dividend amounts that have been transferred to the said fund. The list of dividends declared so far and the last date for making claim for various dividend accounts are given below:

Period of the Dividend	% of dividend declared	Last date for making claim
Dividend for 2002-03	21%	15.10.2013
Interim Dividend 2003-04	20%	15.10.2013
Final Dividend 2003-04	15%	15.10.2013
Interim Dividend 2004-05	20%	15.10.2013
Final Dividend 2004-05	15%	15.10.2013
Dividend for 2005-06	35%	15.10.2013
Interim Dividend 2006-07	15%	01.02.2014
Final Dividend 2006-07	20%	27.07.2014
Dividend for 2007-08	40%	08.08.2015
Dividend for 2008-09	50%	02.08.2016
Dividend for 2009-10	55%	09.08.2017
Dividend for 2010-11	80%	08.08.2018
Dividend for 2011-12	80%	06.08.2019

The shareholders who have not received or claimed the above dividends till now are requested to make a claim at the earliest to the Registrars or the Investor Services Division of the Bank. A format of indemnity bond in this respect is available on the website of the bank **(www.unionbankofindia.co.in)**

8.12 Unclaimed Shares:

a) In Demat Form:

As per Clause 5A of the listing agreement i.e. Uniform procedure for dealing with unclaimed shares, the Bank has opened a Demat Suspense Account in March' 2010 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares allotted to the applicants at the time of Bank's FPO during 2006 but not credited to their respective demat account due to some technical reasons are controlled in this account. The details of the shares lying in this account are as follows:

	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2012 lying in Demat Suspense Account	240	29,792
Shareholders approached for transfer during the financial year 2012-13	5	662
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2012-13	5	662
Balance as on 31.03.2013 lying in Demat Suspense Account	235	29,130

The voting rights on above mentioned 29,130 shares shall remain frozen till the rightful owner of these shares claims the same.

b) In Physical Form:

As per Clause 5A-II of the listing agreement i.e. Uniform procedure for dealing with unclaimed shares in physical form, the Bank has opened a Unclaimed Suspense Account in March' 2012 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares issued in physical form during IPO of the Bank in the year 2002, which are still unclaimed are controlled in this account. The details of the shares lying in this account are as follows:

	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2012 lying in Demat Suspense Account	4	600
Shareholders approached for transfer during the financial year 2012-13	NIL	NIL
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2012-13	N.A.	N.A.
Balance as on 31.03.2013 lying in Demat Suspense Account	4	600

The voting rights on above mentioned 600 shares shall remain frozen till the rightful owner of these shares claims the same.

9. Extent of Compliance with non-mandatory requirements of Listing Agreement

S.No.	Non-Mandatory Requirement	Extent of Compliance
1 (a)	**Board** A non-executive Chairman should be entitled to maintain a Chairman's Office at the company's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties	The Chairman of the Board is an Executive Director appointed by Govt. of India, hence, the clause is **not applicable** as it relates to maintenance of office by a non-executive Chairman.
1 (b)	Independent Directors may have a tenure not exceeding, in the aggregate, a period of nine years, on the Board of a company.	In terms of clause 9 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the tenure of Elected Directors is fixed as three years with further re-election for another period of three years, provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years as against maximum number of nine years stipulated by the clause, hence the same is **complied with**.
2	**Remuneration Committee**	The Bank has formed a remuneration Committee in terms of Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) letter no. F.No. 20/1/2005-BO.1 dated 9th March, 2007 to look into performance linked incentive payable to whole-time Directors of the Bank. The Committee comprises of four directors all of whom are non-executive directors. Hence **complied with.**
3	**Shareholder Rights** A half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months, may be sent to each household of shareholders.	**Complied with**.
4	**Audit Qualification** Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	There has been no audit qualification during the year under review, hence **complied with**.
5.	**Training of Board members**	The Bank has been updating the Board Members on latest developments through various in-house presentations. Besides the in-house presentation, during the year 2012-13, the bank had nominated its Directors for Conference for Non-Official Directors on the Board of Commercial Bank organized by Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL). Hence, the requirement is **complied with**.

S.No.	Non-Mandatory Requirement	Extent of Compliance
6	**Mechanism for evaluating non-executive Board Members**	Composition of Board of Directors is regulated by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. Hence this clause is **not applicable**.
7	**Whistle Blower Policy**	The Bank has a Whistle Blower Policy in place and the functioning of the same is reviewed by the Audit Committee annually. Hence, **complied with**.

10. DECLARATION OF CODE OF CONDUCT

The Board has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management of the Bank and the same is posted on the website of the Bank. The Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the year 2012-13.

For Union Bank of India

(D. Sarkar)
Chairman and Managing Director

Place: Mumbai
Date: 9th May, 2013

To

The Board of Directors
Union Bank of India
Mumbai

Re: **Certificate Under Clause 49 of the Listing Agreement**

This is to certify that

(a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year (2012-13) and that to the best of our knowledge and belief:

  (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

  (ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

(b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

(c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal controls, if any, of which we were aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee –

  (i) significant changes in internal control over financial reporting during the year;

  (ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

  (iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Union Bank of India

(Mayank Mehta)
General Manager & CFO

(D.Sarkar)
Chairman & Managing Director

Place: Mumbai
Date: 9th May, 2013

TO THE MEMBERS OF UNION BANK OF INDIA

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Union Bank of India for the year ended on 31st March, 2013 as stipulated in Clause – 49 of the Listing Agreement of the said Bank with Stock Exchange.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the abovementioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the shareholders/Investors Grievances Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

FOR G.S. MATHUR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.008744N

(RAJIV KUMAR WADHAWAN)
PARTNER (M.NO.091007)

FOR PRICE PATT & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.002783S

(S. BALASUBRAMANIAN)
PARTNER (M.NO.25413)

FOR SINGRODIA GOYAL & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.112081W

(K.V.S.SHYAM SUNDER)
PARTNER (M.NO.015747)

FOR JINDAL & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.000844N

(AKHIL JINDAL)
PARTNER (M.NO.090515)

FOR SHAH GUPTA & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.109574W

(VIPUL K. CHOKSI)
PARTNER (M.NO.037606)

FOR V.ROHATGI & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.000980C

(VANDANA RASTOGI)
PARTNER (M.NO.086956)

Place: Mumbai
Date: 9th May, 2013

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Union Bank of India as at 31st March, 2013, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2013, and Profit and Loss Account and the cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 19 branches, 1 Treasury Branch and 18 Regional offices audited by us and 1364 branches including 2 foreign branches , 46 service branches audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss are the returns from 2128 branches, 81 offices/centres which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 8.54 per cent of advances, 29.62 per cent of deposits, 6.01 per cent of interest income and 29.15 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulation Act 1949. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   (i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2013 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

   (ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

   (iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

7. Without qualifying our opinion, we draw attention to Note No.5.13 of Schedule 18, describes

a. regarding deferment of pension liability of the Bank to the extent of ₹676.09 crore(previous year - ₹1014.13 crore) pursuant to the circular issued by the Reserve Bank of India to the public sector banks on the provisions of AS 15, Employee Benefits (circular no. DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011) on re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks.

b. regarding deferment of additional gratuity liability which arose on enhancement of Gratuity limit from ₹3.50 lacs to ₹10 lacs amounting to ₹65 crore has been charged to the Profit & Loss account with the balance of ₹130 crore being carried forward to be charged over the next 2 years.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

   (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

   (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

   (c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

FOR G.S. MATHUR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.008744N

(RAJIV KUMAR WADHAWAN)
PARTNER (M.NO.091007)

FOR PRICE PATT & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.002783S

(S. BALASUBRAMANIAN)
PARTNER (M.NO.25413)

FOR SINGRODIA GOYAL & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.112081W

(K.V.S.SHYAM SUNDER)
PARTNER (M.NO.015747)

FOR JINDAL & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.000844N

(AKHIL JINDAL)
PARTNER (M.NO.090515)

FOR SHAH GUPTA & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.109574W

(VIPUL K. CHOKSI)
PARTNER (M.NO.037606)

FOR V.ROHATGI & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.000980C

(VANDANA RASTOGI)
PARTNER (M.NO.086956)

Place: MUMBAI
Date : 9th May, 2013

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH,2013

(000' Omitted)

	Schedule	As on 31.3.2013	As on 31.3.2012
Capital And Liabilities			
Capital	1	**7,07,79,42**	6,61,54,90
Reserves And Surplus	2	**1,65,88,39,45**	1,39,71,50,88
Deposits	3	**26,37,61,57,30**	22,28,68,94,57
Borrowings	4	**2,37,97,27,45**	1,79,09,48,77
Other Liabilities And Provisions	5	**70,05,77,11**	67,99,94,63
Total		**31,18,60,80,73**	26,22,11,43,75
Assets			
Cash And Balances With Reserve Bank of India	6	**1,07,62,91,77**	1,16,33,56,07
Balances With Banks And Money At Call And Short Notice	7	**54,47,47,14**	40,41,58,00
Investments	8	**8,08,30,44,56**	6,23,63,55,81
Advances	9	**20,81,02,18,60**	17,78,82,08,13
Fixed Assets	10	**24,79,00,71**	23,35,79,79
Other Assets	11	**42,38,77,95**	39,54,85,95
Total		**31,18,60,80,73**	26,22,11,43,75
Contingent Liabilities	12	**32,44,89,50,08**	23,66,21,78,00
Bills For Collection		**62,52,24,23**	22,17,00,68
Significant Accounting Policies	17		
Notes On Accounts	18		

The Schedules Referred to above form an Integral part of the Balance Sheet

(A. S. PARIKH)
Asst.General Manager

(MAYANK MEHTA)
General Manager

(K. SUBRAHMANYAM)
Executive Director

(S.K.JAIN)
Executive Director

(D.SARKAR)
Chairman & Managing Director

(DR. A BHATTACHARYA)
Director

(CHANDAN SINHA)
Director

(B.N.BHATTACHARJEE)
Director

(N.SHANKAR)
Director

(DR.ATUL AGARWAL)
Director

(S.K.MISHRA)
Director

(SMT. ANUSUIYA SHARMA)
Director

(D CHATTERJI)
Director

(DR R H DHOLAKIA)
Director

(G.K.LATH)
Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

FOR G.S. MATHUR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.008744N

(RAJIV KUMAR WADHAWAN)
PARTNER (M.NO.091007)

FOR PRICE PATT & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.002783S

(S. BALASUBRAMANIAN)
PARTNER (M.NO.25413)

FOR SINGRODIA GOYAL & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.112081W

(K.V.S.SHYAM SUNDER)
PARTNER (M.NO.015747)

FOR JINDAL & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.000844N

(AKHIL JINDAL)
PARTNER (M.NO.090515)

FOR SHAH GUPTA & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.109574W

(VIPUL K. CHOKSI)
PARTNER (M.NO.037606)

FOR V.ROHATGI & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.000980C

(VANDANA RASTOGI)
PARTNER (M.NO.086956)

Place : MUMBAI
Date : 9th May, 2013

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2013

(000' Omitted)

		Schedule	Year Ended 31.3.2013	Year Ended 31.3.2012
I.	**Income**			
	Interest Earned	13	**2,51,24,70,07**	2,10,28,45,20
	Other Income	14	**25,52,02,69**	24,48,20,38
	Total		**2,76,76,72,76**	2,34,76,65,58
II.	**Expenditure**			
	Interest Expended	15	**1,75,81,86,36**	1,42,35,38,56
	Operating Expenses	16	**45,12,16,46**	39,87,51,73
	Provisions And Contingencies		**34,24,77,11**	34,66,61,68
	Total		**2,55,18,79,93**	2,16,89,51,97
III.	**Net Profit For The Year**		**21,57,92,83**	17,87,13,61
	Add : Profit Brougth Forward		**61,28**	15,91
	Total		**21,58,54,11**	17,87,29,52
IV.	**Appropriations**			
	Transfer To Statutory Reserve		**6,48,00,00**	5,37,00,00
	Transfer To Capital Reserve		**54,23,20**	39,32,05
	Transfer To Revenue And Other Reserves		**7,04,00,00**	5,03,00,00
	Proposed Dividend		**4,77,43,54**	4,40,43,92
	Provision For Div. On Pncps		**9,43,50**	10,54,50
	Dividend Tax		**82,74,36**	73,16,09
	Div.Tax Of Prev. Year Written Back		**0**	-78,32
	Transfer To Foreign Currency Translation Reserve		**28,77**	0
	Transfer To Special Reserve {Sec36(I)(Viii)}		**1,82,00,00**	1,84,00,00
	Balance In Profit And Loss Account		**40,74**	61,28
	Total		**21,58,54,11**	17,87,29,52
	Earnings Per Share (Basic And Diluted)		**38.93**	34.07

The Schedules Referred to above form an Integral part of the Profit and Loss Account

(A. S. PARIKH)
Asst.General Manager

(MAYANK MEHTA)
General Manager

(K. SUBRAHMANYAM)
Executive Director

(S.K.JAIN)
Executive Director

(D.SARKAR)
Chairman & Managing Director

(DR. A BHATTACHARYA)
Director

(CHANDAN SINHA)
Director

(B.N.BHATTACHARJEE)
Director

(N.SHANKAR)
Director

(DR.ATUL AGARWAL)
Director

(S.K.MISHRA)
Director

(SMT. ANUSUIYA SHARMA)
Director

(D CHATTERJI)
Director

(DR R H DHOLAKIA)
Director

(G.K.LATH)
Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

FOR G.S. MATHUR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.008744N

(RAJIV KUMAR WADHAWAN)
PARTNER (M.NO.091007)

FOR PRICE PATT & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.002783S

(S. BALASUBRAMANIAN)
PARTNER (M.NO.25413)

FOR SINGRODIA GOYAL & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.112081W

(K.V.S.SHYAM SUNDER)
PARTNER (M.NO.015747)

FOR JINDAL & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.000844N

(AKHIL JINDAL)
PARTNER (M.NO.090515)

FOR SHAH GUPTA & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.109574W

(VIPUL K. CHOKSI)
PARTNER (M.NO.037606)

FOR V.ROHATGI & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.000980C

(VANDANA RASTOGI)
PARTNER (M.NO.086956)

Place : MUMBAI
Date : 9th May, 2013

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH,2013

(000' Omitted)

		As on 31.3.2013		As on 31.3.2012	
SCHEDULE 1 - CAPITAL :					
I.	Authorised :				
	300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each		**30,00,00,00**		30,00,00,00
II.	Issued, Subscribed & Paid up:				
	i. 34,54,59,689 Equity Shares of Rs.10 each, held by Central Government (Prev.Year 29,92,14,515 Equity Shares)		**3,45,45,97**		2,99,21,45
	ii. 25,13,34,520 Equity Shares of Rs.10 each, held by Public		**2,51,33,45**		2,51,33,45
III.	Perpetual No-Cumulative Pref. Shares		**1,11,00,00**		1,11,00,00
	TOTAL		**7,07,79,42**		6,61,54,90
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS:					
I.	Statutory Reserve:				
	As per last Balance Sheet	**44,35,00,00**		38,98,00,00	
	Addition during the Year	**6,48,00,00**	**50,83,00,00**	5,37,00,00	44,35,00,00
II.	Capital Reserve:				
	As per last Balance Sheet	**7,04,84,10**		6,65,52,05	
	Addition during the Year	**54,23,20**	**7,59,07,30**	39,32,05	7,04,84,10
III.	Share Premium :				
	As per last Balance Sheet	**18,19,22,79**		11,95,14,12	
	Addition during the Year	**10,66,64,08**	**28,85,86,87**	6,24,08,67	18,19,22,79
IV.	Revaluation Reserve:				
	As per last Balance Sheet	**15,33,82,71**		15,73,84,07	
	Deduction during the Year	**38,06,94**	**14,95,75,77**	40,01,36	15,33,82,71
V.	Revenue and other Reserves:				
	i) Revenue and other Reaserves:				
	As per last Balance Sheet	**35,40,00,00**		30,37,00,00	
	Addition during the Year	**7,04,00,00**		5,03,00,00	
	Total	**42,44,00,00**		35,40,00,00	
	ii) Special Reserve Sec 36 (1) (viii)				
	As per last Balance Sheet	**19,38,00,00**		17,54,00,00	
	Addition during the Year	**1,82,00,00**		1,84,00,00	
	Total	21,20,00,00		19,38,00,00	
	iii) Foreign Currency Translation Reserve				
	As per last Balance Sheet	**0**		5,52,87	
	Addition during the Year	**28,77**		0	
	Deduction during the Year	**0**		5,52,87	
	Total	**28,77**	**63,64,28,77**	0	54,78,00,00
VI.	Balance in Profit and Loss Account				
	Balance in Profit and Loss Account		**40,74**		61,28
	Total		**1,65,88,39,45**		1,39,71,50,88

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH,2013

	As on 31.3.2013		As on 31.3.2012	
SCHEDULE 3 - DEPOSITS :				
I. Demand Deposits				
i) From Banks	**9,32,84,45**		9,81,68,23	
ii) From Others	**2,32,05,44,49**	**2,41,38,28,94**	1,82,94,53,64	1,92,76,21,87
II. Savings Bank Deposits		**5,74,96,65,37**		5,04,28,85,88
III. Term Deposits				
i) From Banks	**1,08,76,55,93**		87,69,80,78	
ii) From Others	**17,12,50,07,06**	**18,21,26,62,99**	14,43,94,06,04	15,31,63,86,82
Total		**26,37,61,57,30**		22,28,68,94,57
Deposits of branches in India		**26,09,98,34,11**		22,16,61,96,16
Deposits of branches outside India		**27,63,23,19**		12,06,98,41
Total		**26,37,61,57,30**		22,28,68,94,57
SCHEDULE 4 - BORROWINGS:				
A) Borrowings : Capital Instruments				
I. Perpetual Bonds		**10,40,00,00**		10,40,00,00
II. Upper Tier II Capital		**22,50,00,00**		22,50,00,00
III. Lower Tier II Capital		**35,00,00,00**		29,00,00,00
B) Borrowings in India				
I. Reserve Bank of India		**21,25,27,00**		2,35,00,00
II. Other Banks	**2,00,00,00**		7,00,00,00	
III. Other Institutions and agencies	**1,46,13,94**	**3,46,13,94**	1,55,37,35	8,55,37,35
IV. Borrowings Outside India		**1,45,35,86,51**		1,06,29,11,42
Total		**2,37,97,27,45**		1,79,09,48,77
Secured Borrowings included in I & II Above		**1,33,91,21**		1,34,37,13
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS :				
I. Bills payable		**12,22,72,42**		12,94,10,23
II. Interest Accrued		**8,39,01,49**		7,10,54,34
III. Deferred Tax Liability		**31,68,51**		21,68,51
IV. Others(including provisions)		**49,12,34,69**		47,73,61,55
Total		**70,05,77,11**		67,99,94,63
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA :				
I. Cash in hand (including foreign currency notes)		**7,75,27,87**		6,27,32,60
II. Balances with Reserve Bank of India				
In current Account		**99,87,63,90**		1,10,06,23,47
Total		**1,07,62,91,77**		1,16,33,56,07
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE :				
I. Balances with banks in India				
i) a) In Current Accounts	**1,19,85,25**		1,73,53,87	
b) In Other Deposit Accounts	**12,19,44,05**		15,33,09,75	
ii) Money at Call and Short notice				
-with Banks	**0**	**13,39,29,30**	64,36,84	17,71,00,46
II. Outside India				
i) In Current Accounts	**6,00,36,97**		1,96,65,10	
ii) In other Deposit Accounts	**35,07,80,87**	**41,08,17,84**	20,73,92,44	22,70,57,54
iii) Money at call and Short notice	**0**	**0**	0	0
Total		**54,47,47,14**		40,41,58,00

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH,2013

		As on 31.3.2013		As on 31.3.2012	
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS:					
I.	Investments in India				
	i) Government Securities		**6,17,64,47,87**		5,04,81,83,97
	ii) Other approved securities		**0**		40,00
	iii) Shares		**9,84,52,85**		7,68,24,21
	iv) Debentures and Bonds		**62,58,80,64**		43,88,64,69
	v) Subsidiaries and joint ventures		**1,29,43,76**		1,32,63,19
	vi) Others				
	- Commercial Paper	**11,92,19,44**		4,41,36,89	
	- Certificates of Deposits	**30,19,92,75**		18,15,28,72	
	- Mutual Funds	**9,02,43,90**		9,55,51,34	
	- R I D F	**64,74,13,71**		32,70,41,69	
	- Security Receipt by ARCIL	**36,09,45**	**1,16,24,79,25**	37,39,06	65,19,97,70
	Total		**8,07,62,04,37**		6,22,91,73,76
II.	Investments outside India				
	i) Govt. Securities (Incl. Local Auth.)		**57,14,91**		61,44,70
	ii) Shares		**40,32**		19,89
	iii) Other investments (Bonds)		**10,84,96**		10,17,46
	Total		**68,40,19**		71,82,05
	Total		**8,08,30,44,56**		6,23,63,55,81
III.	i) Investments in India				
	Gross Value		**8,11,20,17,55**		6,24,52,41,12
	Provision for Depriciation		**3,58,13,18**		1,60,67,36
	Net Value		**8,07,62,04,37**		6,22,91,73,76
ii)	Investments outside India				
	Gross Value/Net Value		**68,40,19**		71,82,05
	Total		**8,08,30,44,56**		6,23,63,55,81
SCHEDULE 9 - ADVANCES					
I.	i) Bills purchased and discounted		**65,82,54,82**		81,41,63,43
	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand		**10,48,46,31,55**		9,19,88,70,75
	iii) Term Loans		**9,66,73,32,23**		7,77,51,73,95
	Total		**20,81,02,18,60**		17,78,82,08,13
II.	i) Secured by tengible assets (includes Advances against Book Debts)		**16,57,03,18,72**		13,21,10,04,63
	ii) Covered by Bank/Government Guarentees		**1,27,17,50,62**		76,57,68,62
	iii) Unsecured		**2,96,81,49,26**		3,81,14,34,88
	Total		**20,81,02,18,60**		17,78,82,08,13
A.	Advances in India				
	i) Priority Sector		**5,53,60,36,00**		4,24,53,48,43
	ii) Public Sector		**2,02,31,43,91**		1,47,89,19,82
	iii) Banks		**61,81,37,34**		82,55,90,56
	iv) Others		**11,34,01,21,12**		10,32,28,13,53
	Total		**19,51,74,38,37**		16,87,26,72,34

	As on 31.3.2013		As on 31.3.2012	
B. Advances Outside India				
i) Due From Banks		**61,17,02,92**		39,26,05,24
a) Bills Purchased and Discounted		**3,24,50,49**		1,02,40,55
b) Syndicated Loans		**50,37,64,82**		34,59,65,26
c) Others		**14,48,62,00**		16,67,24,74
Total		**1,29,27,80,23**		91,55,35,79
Total		**20,81,02,18,60**		17,78,82,08,13
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS				
A. TANGIBLE ASSETS				
I. Premises				
At cost/valuation as per last Balance Sheet	**22,00,67,22**		21,29,00,03	
Additions during the Year	**1,21,84,53**		71,67,19	
	23,22,51,75		22,00,67,22	
Less: Depreciation to date	**4,90,86,37**	**18,31,65,38**	4,38,04,57	17,62,62,65
II. Capital Work in Progress				
At cost as per last Balance Sheet	**3,60,98**		13,58,15	
Additions during the Year	**27,26,23**		12,63,93	
Deductions during the Year	**19,33,40**	**11,53,81**	22,61,10	3,60,98
III. Land				
At cost as per last Balance Sheet	**3,09,72**		13,52,04	
Additions during the Year	**10,31,25**		0	
Deductions during the Year	**0**		10,42,32	
	13,40,97		3,09,72	
Less : Depreciation to date	**2,33,85**	**11,07,12**	2,22,60	87,12
IV. Other Fixed Assets (including Furniture and Fixtures)				
a) Assets given on lease				
At cost as per last Balance Sheet	**26,53,52**		31,04,77	
Deductions during the Year	**0**		4,51,25	
	26,53,52		26,53,52	
Less: Depreciation to date	**26,53,52**		26,53,52	
	0		0	
b) Others				
At cost/valuation as per last Balance Sheet	**14,65,54,62**		13,38,36,19	
Additions during the Year	**1,87,00,86**		1,60,07,66	
	16,52,55,48		14,98,43,85	
Deductions during the Year	**26,32,20**		32,89,23	
	16,26,23,28		14,65,54,62	
Less: Depreciation to date	**10,24,44,63**		9,21,39,71	
	6,01,78,65	**6,01,78,65**	5,44,14,91	5,44,14,91
B. INTANGIBLE ASSETS				
Computer Software				
At cost as per last Balance Sheet	**1,10,99,29**		86,48,24	
Additions during the Year	**13,16,34**		24,51,05	
	1,24,15,63		1,10,99,29	
Amortisation till date	**1,01,19,88**	**22,95,75**	86,45,16	24,54,13
Total		**24,79,00,71**		23,35,79,79

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH,2013

			As on 31.3.2013		As on 31.3.2012
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS:					
I.	Inter-office adjustments(net)		**10,37,03,15**		4,36,12,62
II.	Interest accrued		**18,38,31,16**		16,88,21,76
III.	Tax paid/Tax deducted at source (net of provision)		**-2,72,96,06**		-4,82,21,86
IV.	Stationery and stamps		**2,45,22**		5,19,60
V.	Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims		**3,90**		3,90
VI.	Others		**16,33,90,58**		23,07,49,93
	Total		**42,38,77,95**		39,54,85,95
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES :					
I.	Claims against the bank not acknowledged as debts		**34,91,28,35**		33,85,54,75
II.	Liability for partly paid investments		**59,20**		59,20
III.	Liability on account of outstanding forward exchange contracts		**28,44,07,74,59**		20,37,78,31,56
IV.	Guarantees given on behalf of Constituents				
	i) In India	**1,79,98,56,13**		1,45,39,81,27	
	ii) Outside India	**4,61,41,39**	**1,84,59,97,52**	2,08,76,37	1,47,48,57,64
V.	Acceptances, endorsements and other obligations		**1,77,24,47,76**		1,42,91,14,54
VI.	Other items for which the bank is contingently liable				
	i) Disputed Tax demands under appeals	**4,88,91,00**		4,10,05,93	
	ii) Others	**22,25,26**	**5,11,16,26**	7,54,38	4,17,60,31
	Total		**32,45,95,23,68**		23,66,21,78,00
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED:					
I.	Interest/discount on advances/bills		**1,91,40,46,20**		1,60,26,62,56
II.	Income on investments		**56,71,03,30**		45,70,07,71
III.	Interest on balances with RBI & other inter bank funds		**1,98,60,70**		3,30,91,49
IV.	Others		**1,14,59,87**		1,00,83,44
	Total		**2,51,24,70,07**		2,10,28,45,20

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH,2013

		As on 31.3.2013	As on 31.3.2012
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME:			
I.	Commission, Exchange and Brokerage	**3,64,04,63**	3,65,12,64
II.	Profit on sale of investment - net	**4,77,26,87**	4,40,76,60
III.	Profit on sale of land,building & other assets - net	**-1,69,25**	-65,91
IV.	Profit on exchange transaction - net	**5,59,87,70**	4,88,75,04
VI.	Miscellaneous Income	**11,52,52,74**	11,54,22,01
	Total	**25,52,02,69**	24,48,20,38
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED:			
I.	Interest on deposits	**1,65,51,23,97**	1,34,05,77,82
II.	Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowing	**2,74,23,79**	1,40,85,83
III.	Others	**7,56,38,60**	6,88,74,91
	Total	**1,75,81,86,36**	1,42,35,38,56
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES			
I.	Payments to and provision for employees	**27,55,01,22**	24,79,25,93
II.	Rent, taxes and lighting	**3,22,94,12**	2,64,12,05
III.	Printing and stationery	**44,02,69**	37,41,32
IV.	Advertisement and publicity	**71,63,35**	67,39,61
V.	Depreciation on Bank's property	**1,50,91,74**	1,46,45,26
VI.	Directors' fees, allowances and expenses	**1,21,44**	1,37,10
VII.	Remuneration to Managing/Executive Director	**59,63**	56,87
VIII.	Auditors' fees and expenses(including branch auditors)	**21,18,85**	23,13,60
IX.	Law Charges	**14,94,57**	14,57,71
X.	Postage, Telegrams,Telephones,etc.	**60,77,85**	49,71,04
XI.	Repairs and maintenance	**79,46,48**	70,12,13
XII.	Insurance	**2,17,46,93**	1,94,29,54
XIII.	Other expenditure	**7,71,97,59**	6,39,09,57
	Total	**45,12,16,46**	39,87,51,73

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1. Accounting Convention

The accompanying financial statements are prepared by following going concern concept and on historical cost basis unless otherwise stated and conform to the statutory provisions and generally accepted accounting practices prevailing in India.

2. Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and the expenses during the reporting period. Management believes that the estimates wherever used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Difference between the actual results and estimates is recognized in the period in which the results are known / materialized.

3. Revenue Recognition

i) Income and Expenditure have generally been accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

ii) Income on Non-performing Assets (NPAs) is recognized to the extent realized as per the prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). Income accounted for in the preceding year and remaining unrealized is derecognized in respect of assets classified as NPAs during the year.

iii) Bank commission, exchange and brokerage earned, rent on Safe Deposit Lockers, commission on biometric cards, income from aadhar cards etc. are accounted for on realization basis.

iv) Income (Other than interest) on investments in “Held to Maturity” (HTM) category acquired at discount to the face value is recognized as follows:

a) On interest bearing securities, it is recognized only at the time of sale/ redemption.

b) On Zero- coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the securities on a constant yield basis.

v) Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the dividend is established.

4. Investments

i) In conformity of the requirements in form A of the Third Schedule to the Banking Regulations Act, 1949, Investments are classified as under:

a) Government Securities

b) Other Approved Securities

c) Shares

d) Debentures & Bonds

e) Investments in Subsidiaries & Joint Ventures, and

f) Other Investments

The Investment portfolio of the Bank is further classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.,

a) Held to Maturity (HTM)

b) Available for Sale (AFS)

c) Held for Trading (HFT)

ii) As per RBI guidelines, the following principles have been adopted for the purpose of valuation

a) i) Securities held in “HTM” – at acquisition cost.

The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity.

ii) Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.

iii) Investments in Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost.

Permanent diminution, if any, in valuation of such investments is provided for.

b) i) Securities held in “AFS” and “HFT” categories are valued classification wise and scrip-wise and net depreciation, if any, in each classification is charged to Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored.

ii) Valuation of securities is arrived at as follows

I	Govt. of India Securities	As per quotations put out by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)
Ii	State Development Loans, Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines
iii	Equity Shares	As per market rates, if quoted, otherwise at Book value as per latest Audited Balance Sheet (not more than 1 year old). In the absence of both at ₹1/- per company.
iv	Preference Shares	As per market rates, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per FIMMDA guidelines

v	Debentures/**Bonds**	As per market rates, if quoted, otherwise on appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.
vi	Mutual Funds(MF)	As per stock exchange quotations, if quoted. In case of unquoted units, as per latest Repurchase price declared by concerned MF. In cases where latest repurchase price is not available, as per Net Asset Value (NAV)
vii	Treasury Bills / Certificate of Deposits / Commercial Papers	At carrying cost
viii	Venture Capital Funds (VCF)	At declared NAV or Break-up NAV as per audited Balance Sheet which is not more than 18 months old. If NAV / audited financial statements are not available for more than 18 months continuously, at ₹1/- per VCF
ix	Security Receipts	At NAV as declared by Securitization Companies

iii) Inter bank REPO/ Reverse REPO transactions are accounted for in accordance with extant RBI guidelines.

iv) As per the extant RBI guidelines, the shifting of securities from one category to another is accounted for as follows:

- From AFS/HFT categories to HTM category, at lower of book value or market value as on the date of shifting. Depreciation, if any, is fully provided for.
- ➢ From HTM category to AFS/HFT category,
- ➢ If the security is originally placed at discount in HTM category, at acquisition cost/ book value
- If the security is originally placed at a premium, at amortized cost.

  The securities so shifted are revalued immediately and resultant depreciation is fully provided for.
- From AFS to HFT category and vice versa, at book value.

v) The non-performing investments are identified and depreciation/ provision is made as per the extant RBI guidelines.

vi) Profit/ loss on sale of investments in any category is taken to the Profit and Loss account. However, in case of profit on sale of investments in "HTM" category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve account.

vii) Commission, brokerage, broken period interest etc on securities is debited / credited to Profit & Loss Account.

viii) As per the extant RBI guidelines, the Bank follows 'Settlement Date' for accounting of investments transactions.

Derivative Contracts

i) The Interest Rate Swap which hedges interest bearing asset or liability are accounted for in the financial statements on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value. Gains or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/liability.

ii) Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

iii) In the case of option contracts, guidelines issued by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) from time to time for recognition of income, premium and discount are being followed.

5. Advances

i) All advances are classified under four categories, i.e. (a) Standard, (b) Sub-standard, (c) Doubtful and (d) Loss assets. Provisions required on such advances are made as per the extant prudential norms issued by the RBI.

ii) Certain category of standard advances such as loans for consumer durables, educational loans, loans through credit cards and other personal loans carry (except Loan against Deposits) an additional provision of 2% over and above the statutory requirement.

iii) Advances are stated net of provisions and unrecovered interest held in sundry /claims received from CGTF / ECGC relating to non-performing assets. The provision on standard advances is held in "Other Liabilities and Provisions".

6. Fixed Assets and Depreciation

i) Fixed Assets are stated at cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, If any. The cost comprises purchase price less trade discounts and rebates, eligible borrowing costs and directly attributable cost of bringing the Asset to its working condition for the intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functional capability. Revalued Land and Buildings are stated at revalued amount.

ii) Application Software is capitalized as intangible assets.

iii) Depreciation on Fixed Assets is provided for on the written down value method at the rates considered appropriate by the management as under

	Type of Asset	Rate of Depreciation
I.	Premises	5 %
II.	Other Fixed Assets	
	- Furniture and Fittings	10 %
	- Electric Fittings and Equipment, Office Appliances and SDV Lockers / Strong rooms etc.	15 %
	- Transport Vehicles	20 %
	- U.P.S.	33.33 %
III.	On the amount added consequent upon revaluation of the assets	over the economic residual life of the respective assets

iv) Depreciation on computers, ATM and software is provided at 33.33% on straight-line method.

v) Depreciation on additions to assets made upto 30th September of the year is provided at full rate and on additions made thereafter, at half the rate.

vi) Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of land and buildings is not separately identifiable.

vii) No depreciation is provided on assets sold / disposed off during the year.

viii) Leasehold land is amortized over the period of lease.

7. Impairment of Assets

The carrying costs of assets are reviewed at each balance sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the asset's net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation if there was no impairment.

8. Counter cyclical provisioning buffer

The Bank has Policy for creation and utilization of Counter cyclical provisioning buffer separately for advances and investments. The quantum of provision to be created is assessed at the end of each financial year. The counter cyclical provisions are utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of the Reserve Bank of India.

9. Transactions involving Foreign Exchange

Revaluation of Foreign Currency Position and booking Profits / Losses:

i) Monetary and Non Monetary assets and liabilities are revalued at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year and resultant gain / loss is recognized in the Profit and Loss Account.

ii) Income and Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

iii) Forward exchange contracts are recorded at the exchange rate prevailing on the date of commitment. Outstanding forward exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of 'in-between' maturities. The resultant gains or losses are recognized in the Profit and Loss Account.

iv) Contingent liabilities on account of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year.

v) Representative offices of the bank outside India are treated as Integral Operation Unit as per RBI guidelines.

10. Accounting for Non–Integral foreign operations

Offshore Banking Units (OBU) and foreign branches are classified as non-integral foreign operations.

a) Offshore Banking Unit (OBU) & Foreign Branch

i. Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year-end.

ii. Income and Expenditure are translated at the quarterly average closing rate notified by FEDAI at the end of respective quarter.

iii. All resulting exchange differences are accumulated in 'Foreign Currency Translation Reserve'.

b) Foreign Branch

i) Revenue Recognition

Income and Expenditure are recognized / accounted for as per the local laws of the respective countries.

ii) Asset Classification and Loan Loss Provisioning

Asset classification and loan loss provisioning are made as per local requirement or as per RBI guidelines whichever is higher.

iii) Fixed Assets and Depreciation

a) Fixed Assets are accounted for at historical cost.

b) Depreciation on fixed assets is provided as per the applicable laws of the respective countries.

11. **Employee Benefits**

Retirement benefit in the form of provident fund is a defined contribution scheme. The contributions to the provident fund are charged to the profit and loss account for the year when the contributions are due. The Bank has no obligation, other than the contribution payable to the provident fund.

Gratuity liability, Pension Fund and provision towards Leave are defined benefit obligations, and are provided for on the basis of an actuarial valuation as per AS 15 (Revised) made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the profit and loss account.

Employee benefits relating to employees employed at foreign offices are valued and accounted for as per the respective local laws/regulations.

12. **Segment Reporting**

The bank recognizes the Business Segment as the Primary Reporting Segment and Geographical Segment as the Secondary Reporting Segment, in accordance with the RBI guidelines and in the compliances with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

Business Segments are classified into (a) Treasury Operation, (b) Corporate and Wholesale Banking, (c) Retail Banking Operation and (d) Other Banking Operations.

13. **Lease Transactions**

The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancelable at the option of the Bank. The Bank's liabilities in respect of disputes pertaining to additional rent/lease rent are recognized on settlement or on renewal.

14. **Earning per share**

Earnings per share is calculated by dividing the net profit or loss for the year attributable to the equity share holders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Diluted Earnings per equity share is calculated by using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at the year end.

15. **Taxation**

Provision for Tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate and tax laws. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is 'reasonable certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, deferred tax assets are recognized only if there is "virtual certainty".

16. **Provisions, contingent liabilities and contingent assets**

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements. Contingent Liabilities are not provided for and are disclosed by way of notes.

17. **Share Issue Expenses:**

Share Issue expenses are charged to the Share Premium Account.

SCHEDULE 18 – NOTES ON ACCOUNTS:

1 BALANCING OF BOOKS, RECONCILIATION OF INTER BRANCH /BANK TRANSACTIONS

i) Confirmation / reconciliation of balances with Foreign Banks and other Banks has been obtained /carried out. Reconciliation of Central Office Accounts maintained by branches has been completed up to 31st March, 2013.

ii) Adjustment of outstanding entries in Suspense Accounts, Sundry Deposits, Clearing Adjustments, Bank Reconciliation Statements and various inter-branch/office accounts is in progress.

iii) Pending final clearance of (ii) above, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.

2 INVESTMENTS

i) As per RBI guidelines, an amount of ₹.114.68 Crore (previous year ₹.83.15 crore), being an amount equivalent to the profit on sale of "Held to Maturity" category securities is transferred to "Capital Reserve Account".

ii) In respect of "Held to Maturity" category, as stated in Significant Accounting Policy No.3 (ii)(a), the excess of acquisition cost over face value of the securities amortized during the year amounted to ₹ 86.27 crore (previous year ₹76.43 crore).

iii) Total investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual funds / venture capital funds and also advances against shares aggregate to ₹ 1282.50 crore (previous year ₹1379.55 crore).

3 ADDITIONAL DISCLOSURES IN TERMS OF THE RESERVE BANK OF INDIA GUIDELINES

3.1 Capital

		31.03.2013	31.03.2012
i)	CRAR (%)	11.45	11.85
ii)	CRAR - Tier I Capital (%)	8.23	8.37
iii)	CRAR - Tier II Capital (%)	3.22	3.48
iv)	Percentage of the shareholding of the Government of India in Nationalized Banks	57.89	54.35
v)	Amount of subordinated debt raised as Tier II Capital (₹ in crore)	800	Nil
vi)	Amount raised by issue of IPDI(₹ in crore)	Nil	Nil
vii)	Amount raised by issue of Upper Tier II instruments(₹ in crore)	Nil	Nil

3.2 Investments

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2013	31.03.2012
1	Value of Investments		
i)	Gross Value of Investments	81120.58	62524.23
	(a) In India	81120.18	62452.41
	(b) Outside India	68.40	71.82
ii)	Provisions for Depreciation	358.13	160.67
	(a) In India	358.13	160.67
	(b) Outside India	-	-
iii)	Net Value of Investments	80762.45	62363.56
	(a) In India	80762.05	62291.74
	(b) Outside India	68.40	71.82
2	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
i)	Opening balance	160.67	105.64
ii)	Add: Provisions made during the year	243.96	162.89
iii)	Less: Write-off/write-back of excess provisions during the year	46.50	107.86
iv)	Closing balance	358.13	160.67

3.2.1 REPO Transactions (In face value terms)

(₹ in crore)

		Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on 31.03.2013
A	Securities sold under Repo	-			
i)	Government securities	5.00	814.43	33.87	-
ii)	Corporate debt securities	-	-	-	-
B	Securities purchased under reverse repo				
i)	Government securities	1.01	2,006.93	278.21	-
ii)	Corporate debt securities	-	-	-	-

3.2.2 Non-SLR Investment Portfolio

i. Issuer composition of Non SLR Investments

(₹ in crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of Below Investment Grade Securities	Extent of Unrated Securities**	Extent of Unlisted Securities**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	PSUs	1,033.29	147.76	-	0.58	4.58
ii)	FIs	9,466.09	7,080.40	-	-	-
iii)	Banks	3,863.36	748.75	-	-	2.00
iv)	Private Corporate	3,961.08	1,808.25	-	1.13	28.22
v)	Subsidiaries/ Joint Ventures*	113.48	113.48	-	-	-
vi)	Others	902.48	299.98	-	0.40	0.40
vii)	Provision held towards depreciation	(358.13)	-	-	-	-
	Total	18,982.01	10,198.62	-	2.11	35.20

	31.03.2013
Shares	983.18
Debentures and Bonds	6260.16
Subsidiaries and Joint Ventures	113.48
Others	11625.19
TOTAL	**18982.01**

* Investment of ₹15.96 crores in subsidiaries and Joint ventures in Schedule 8 to Balance Sheet includes the Bank's investment in shares of Regional Rural Banks which are SLR investments.During the year consequent to the merger of Rewa Siddhi Gramin Bank with Madhyanchal Gramin Bank sponsored by the State Bank of India, the equity and deposit of Bank amounting to ₹31943450.00 in the said RRB has been received back by the Bank.

** Unrated & unlisted securities disclosed includes only Ratings and Listing of securities required as per Master Circular Dated 01.7.2011 issued by RBI.

ii. **Non performing Non-SLR investments**

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2013
Opening balance	77.08
Additions during the year	23.82
Reductions during the year	53.27
Closing balance	47.63
Total provisions held	44.33

3.2.3 Sale and transfers to/from HTM Category

The Bank has not made sales and transfers to/from HTM category during the financial year 2012-13 exceeding 5 per cent of the book of investments held in HTM category at the beginning of the year. During the year 2012-13, the Bank has carried out one time transfer of securities to/from HTM category with the approval of Board of Directors at the beginning of the year aggregating to ₹3600.06crore and ₹ 3516.38 crores being face value and book value respectively. In addition to the above on November 06, 2012, the bank had transferred securities from HTM to AFS Category aggregating to ₹ 2.31 crore after obtaining approval from Department of Banking Supervision, Reserve Bank of India. The Bank has sold securities to Reserve Bank of India under pre announced OMO auctions having book value of ₹4997.01 crore.

3.3 Derivatives

3.3.1 Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap

(₹ in crore)

		31.03.2013	31.03.2012
i)	The notional principal of swap agreements	5868.59	3741.57
ii)	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	9.51	12.73
iii)	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv)	Concentration of credit risk arising from the Swaps	Banking Industry	Banking Industry
v)	The fair value of the swap book	105.84	68.80

Note

I. Interest rate swaps in Indian Rupees were undertaken for hedging Tier II Bonds, Term Loans and Term Deposits.

II. The Bank has entered into Floating to Fixed or Fixed to Floating Interest Rate Swap transactions for trading during the year.

III. All underlyings for hedge transactions are on accrual basis.

3.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ in crore)

S. No	Particulars	Amount
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	Nil
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2013 (instrument-wise)	Nil
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil
iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil

3.3.3 Disclosures on risk exposures in derivatives

A. QUALITATIVE DISCLOSURE

a) The Bank deals in two groups of derivative transactions within the framework of RBI guidelines.

i) Over the Counter Derivatives

ii) Exchange Traded Derivatives

The Bank deals in Forward Rate Agreement, Interest Rate Swaps, Cross Currency Swap and Currency Options in Over the Counter Derivatives Group.

In Exchange Traded Derivatives Group, the Bank trades in Currency Futures and Interest Rate Futures. The Bank is trading cum clearing member with three Exchanges viz. National Stock Exchange (NSE), United Stock Exchange (USE) & MCX Stock Exchange (MCX-SX), on their Currency Derivative segment, as permitted by Reserve Bank of India. The Bank carries out proprietary trading as well as trading on behalf of its customers in currency futures on these exchanges. The Bank has set up the necessary infrastructure for Front, Mid and Back office operations. Daily Mark to Market (MTM) and Margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the Regulators.

The Bank trades in Interest Rate Futures on National Stock Exchange. The Bank has necessary infrastructure for Front, Mid and Back office operations in place. Daily Mark to Market (MTM) and Margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the Regulators.

The Bank undertakes derivative transactions for proprietary trading/market making, hedging own balance sheet and for offering to customers, who use them for hedging their risks within the prevalent regulations. Proprietary trading/market making positions are taken in Rupee Interest Rate Swap, Currency Futures and Interest Rate Futures. While derivative instruments present immense opportunity for making a quantum leap in non-interest income and also for hedging market

risk, it exposes the Bank to various risks. The Bank has adopted the following mechanism for managing different risks arising out of derivative transactions.

In terms of the structure, operations in the Treasury Branch are segregated into following three functional areas, which are provided with trained officers with necessary systems support and their responsibilities are clearly defined.

I) Front Office - Dealing Room. Ensures Compliance with trade origination requirements as per the Bank's policy and RBI guidelines.

II) Mid-Office - Risk Management, Accounting Policies and Management

III) Back Office - Settlement, Reconciliation, Accounting.

Mid Office monitors transactions in the trading book and excesses, if any, are reported to Risk Management Department for necessary action. Mid Office also measures the financial risk for transactions in the trading book on a daily basis, by way of Mark to Market. Daily Mark to Market position is reported to Risk Management Department, for onward reporting of the risk profile to the Directors' Committee on the Assets and Liability Management.

In case of corporate clients transactions are concluded only after the inherent credit exposures are quantified and approved in terms of approval process laid down in the Treasury Policy for customer appropriateness and suitability. The necessary documents like ISDA agreements are duly executed. The Bank has adopted Current Exposure Method for monitoring credit exposures.

b) Treasury Policy of the Bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, and approval process as also the limits like the open position limits, deal size limits, stop loss limits and counterpart exposure limit for trading in approved instruments.

Various Risk Limits are set up and actual exposures are monitored vis-à-vis the limits. These limits are set up taking in to account market volatility, business strategy and management experience. Risk limits are in place for risk parameters viz. PV01, stop loss, counterparty credit exposure. Actual positions are measured against these limits periodically and breaches if any are reported promptly. The Bank ensures that the Gross PV01 position arising out of all non option derivative contracts is within the 0.25% of net worth of the Bank.

c) The Bank also uses financial derivative transactions for hedging its own Balance Sheet Exposures. Treasury Policy of the Bank spells out approval process for hedging the exposures. The hedge transactions are monitored on a regular basis. The notional profit or loss calculated on Mark to Market basis, PV01 and VaR on these deals are reported to the Assets Liability Committee (ALCO) every month. Hedge effectiveness is the degree to which changes in the fair value or cash flows of the hedged items that are attributed to a hedged risk are offset by changes in the fair value or cash flows of the hedging instruments. This exercise is carried out periodically to ensure hedge effectiveness.

d) The hedged/un-hedged transactions are recorded separately. The hedged transactions are accounted for on accrual basis. All trading contracts are Mark to Market and resultant gross gain or loss is recorded in income statement.

In case of Option contracts, guidelines issued by FEDAI from time to time for recognition of income, premium, and discount are being followed.

To mitigate the credit risk, the Bank has policy in place to sanction limits to Counterparty banks and Counterparty clients. The Bank adopts Current Exposure method for monitoring counterparty exposure periodically. While sanctioning derivative limit, the competent authority may stipulate condition of obtaining collaterals/margin as deemed appropriate. The derivative limit is reviewed periodically along with other credit limits.

The customer related derivative transactions are covered with counterparty Banks, on back-to-back basis for identical amount and tenure and the Bank does not carry any market risk.

B. QUANTITATIVE DISCLOSURES

(₹ in crore)

		31.03.2013	
Sr. No	Particulars	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
i)	Derivatives (Notional Principal Amount)		
	a For hedging	0.00	100.00
	b For trading	180.50	1800.00
ii)	Marked to Market Positions (1)		
	a Asset (+)	(+) 2.01	0.00
	b Liability (-)	0.00	(-0.40)
iii)	Credit Exposure (2)	4.33	14.88*
iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
	a On hedging derivatives	0.0	2.57
	b On trading derivatives	0.00	0.63
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
1	Maximum		
	a. On hedging	0.00	2.57
	b. On trading	0.00	2.10
2	Minimum		
	a. On hedging	0.00	2.51
	b. On trading	0.00	0.60

*Credit exposure of interest rate derivative also includes the exposure on Hedging deals.

3.4 Asset Quality

3.4.1 Non Performing Assets

(₹ in crore)

		31.03.2013	31.03.2012
i)	Net NPAs to Net Advances (%)	1.61	1.70
ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	(a) Opening balance as on 1st April	5449.86	3622.82
	(b) Additions (Fresh NPAs) during the year	3973.75	3760.11
	Sub-total (A)	9423.61	7382.93
	(c) Less:-		
	(i) Up-gradations	734.07	254.83
	(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1246.87	740.56
	(iii) Write-offs	1128.84	937.68
	Sub-total (B)	3109.78	1933.07
	(d) Closing balance (A-B)	6313.83	5449.86
iii)	Movement of NPAs (Net)		
	(a) Opening Balance	3025.03	1803.44
	(b) Additions during the year*	………	………
	(c) Reduction during the year*	………	………
	(d) Closing Balance	3353.37	3025.03
iv)	Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
	(a) Opening balance	2350.35	1776.61
	(b) Provisions made during the year	1555.52	1510.73
	(c) Write-off/write-back of excess Provisions	1088.25	936.99
	(d) Closing balance	2817.62	2350.35

*Figures not available in system

3.4.2 Particulars of Accounts Restructured

Disclosure of Restructured Accounts

₹ in Crores

Sl. No	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
	Details																					
1	Restructured Accounts as on April1 to the FY 12-13 (Opening Figures)	No. of Borrowers	31	5	3	0	39	1270	3383	5086	269	10008	21565	12317	23288	1528	58698	22866	15705	28377	1797	68745
		Amount Outstanding	1906.33	174.51	167.00	0.00	2247.84	259.60	17.72	71.07	0.67	349.06	4003.18	235.83	522.39	30.50	4791.90	22866.00	428.06	760.46	31.17	7388.80
		Provision there on	438.45	5.04	15.46	0.00	458.95	22.61	8.06	6.68	0.50	37.85	73.18	2.72	28.34	0.79	105.03	534.24	15.82	50.48	1.29	601.83
2	Fresh Restructuring during the Year ended 31.03.2013	No. of Borrowers	16	2	3	0	21	104	9	1	0	114	668	54	19	0	741	788	65	23	0	876
		Amount Outstanding	1130.57	26.62	93.11	0.00	1250.30	1494.34	100.61	8.91	0.00	1603.86	1389.42	308.16	211.40	0.00	1908.98	4014.33	435.39	313.42	0.00	4763.14
		Provision there on	146.89	5.74	24.17	0.00	176.80	40.18	1.08	0.00	0.00	41.26	101.49	3.24	1.09	0.00	105.82	288.56	10.06	25.26	0.00	323.88
3	Upgradations to restructured standard category during the FY 12-13	No. of Borrowers	7	-	-	-	7	65	-	-	-	65	674	-	-	-	674	746	-	-	-	746
		Amount Outstanding	202.66	-	-	-	202.66	62.73	-	-	-	62.73	37.20	-	-	-	37.20	302.59	-	-	-	302.59
		Provision there on	25.17	-	-	-	25.17	8.57	-	-	-	8.57	1.12	-	-	-	1.12	34.86	-	-	-	34.86
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY 12-13 and hence need not be shown as restrucutred standard advances at the beginning of the next FY 12-13	No. of Borrowers	7				7	1035				1035	9996				9996	11038				11038
		Amount Outstanding	123.65				123.65	189.73				189.73	477.99				477.99	791.37				791.37
		Provision there on	12.86				12.86	17.49				17.49	18.20				18.20	48.55				48.55
5	Downgradations of restructured accounts during the FY 12-13	No. of Borrowers		3	3	0	6		294	12	0	306		1995	56	0	2051		2292	71	0	2363
		Amount Outstanding		47.49	56.53	0.00	104.02		283.13	0.04	0.00	283.17		402.34	208.47	0.00	610.81		732.96	265.04	0.00	998.00
		Provision there on		10.78	20.29	0.00	31.07		10.88	0.00	0.00	10.88		5.18	10.30	0.00	15.48		26.84	30.59	0.00	57.43
6	Write-offs of restructured accounts during the FY12-13	No. of Borrowers	0	0	3	0	3	0	0	1	14	15	0	0	0	65	65	0	0	4	79	83
		Amount Outstanding	0.00	0.00	290.77	0.00	290.77	0.00	0.00	5.58	0.03	5.61	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	296.35	0.38	269.73
7	Restructured Accounts as on March 31 of the FY 12-13 (Closing figures)	No. of Borrowers	44	3	7	0	54	1203	301	9760	396	11660	16474	2031	31236	1393	51134	17721	2335	41003	1789	62848
		Amount Outstanding	3146.25	51.06	298.07	0.00	3495.38	2025.67	283.28	220.93	6.71	2536.59	4575.07	425.78	564.91	27.98	5593.74	9746.99	760.12	1083.91	34.69	11625.71
		Provision there on	585.34	10.78	39.63	0.00	635.75	62.79	9.14	6.68	0.50	79.11	174.67	5.96	29.43	0.79	210.85	822.80	25.88	75.74	1.29	925.71

3.4.3 Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in crore)

		31.03.2013	31.03.2012
i)	No. of accounts	1	1
ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	0.00	0.00
iii)	Aggregate consideration	17.00	4.75
iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier year.	Nil	Nil
v)	Aggregate gain / (loss) over net book value.	17.00	4.75

3.4.4 Details of non performing financial assets purchased /sold

A. Details of non performing financial assets purchased

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2013	31.03.2012
1	a. No. of accounts purchased during the year b. Aggregate outstanding	Nil Nil	Nil Nil
2	a. Of these, number of accounts restructured during the year b. Aggregate outstanding	Nil Nil	Nil Nil

B. Details of non performing financial assets sold

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2013	31.03.2012
1	No. of accounts sold	Nil	Nil
2	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3	Aggregate consideration received	Nil	Nil

3.4.5 Provision on Standard Assets

(₹ in crore)

Item	31.3.2013	31.03.2012
Provision towards Standard Assets	220.76	229.74

Includes ₹-1.18 crores (previous year 8.75 crores) towards provision for credit risk exposure on derivatives.

3.5 Business Ratios

		31.03.2013	31.03.2012
i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	9.19	9.40
ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.93	1.04
iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.04	2.34
iv)	Return on Assets	0.79	0.79
v)	Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in crore)	12.15	10.70
vi)	Profit per employee (₹ in crore)	0.07	0.06

3.6 Asset Liability Management

Maturity pattern of Certain Items of Assets and Liabilities as on 31.03.2013

(₹ in crore)

	Deposits	Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency assets	Foreign Currency liabilities
Day 1	3844.83	3398.51	666.86	1589.44	1878.10	1962.93
2-7 days	8643.99	6295.10	749.84	1185.62	1271.04	152.54
8-14 days	3602.52	2856.04	543.54	510.69	696.00	411.18
15 to 28 days	4692.90	8018.79	125.00	945.91	2449.00	1279.53
29 days to 3 months	19520.02	24002.69	1909.83	3748.82	5124.71	2678.57
Over 3 months & up to 6 months	13200.76	22114.91	2407.04	3650.65	5650.68	4607.61
Over 6 months & up to 1 year	43873.42	28103.93	2127.02	136.79	1393.07	2216.55
Over 1 year & up to 3 years	54838.68	70920.40	11454.39	1287.96	1695.71	521.77
Over 3 years & up to 5 years	22382.52	21003.55	11290.60	5451.39	2242.55	5310.17
Over 5 years	89161.94	21388.27	49556.33	5290.00	1572.75	180.88
Total	263761.57	208102.19	80830.45	23797.27	23974.50	19321.73

3.7 Exposures

3.7.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ in crore)

	Category	31.03.2013	31.03.2012
a)	Direct exposure		
i)	Residential Mortgages - Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; - Of which individual housing loans up to ₹30 lakh eligible for inclusion in priority sector.	16319.53 10809.14	12488.57 9146.83
ii)	Commercial Real Estate - Lendings secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure includes non-fund based (NFB) limits:	3545.43	2508.40
iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures - a. Residential, b. Commercial Real Estate.	0.00 0.00 -	0.33 0.33 -
b)	Indirect Exposure Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	6063.83	5583.39
	Total Exposure to Real Estate Sector	25928.79	20580.69

3.7.2 Exposure to Capital Market

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2013	31.03.2012
i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity – oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	794.03	832.22
ii)	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds	1.83	27.41
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	8.03	8.42
iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	126.69	110.00
v)	Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	727.55	849.38
vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares /bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	0.10	0.10
vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows /issues.	-	-
viii)	Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures and units of equity oriented mutual funds	-	-
ix)	Financing to stock brokers for margin trading	3.20	13.77
x)	All exposures to venture capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will reckoned for compliance with the capital market exposure.**	488.47	547.33
	Total exposure to Capital Market	**2149.90**	**2388.63**

** Including undrawn capital commitments of venture capital amounting ₹267.89 crore for 2011-12 and ₹188.89crore for 2012-13.

3.7.3 Risk Category wise Country Exposure

(₹ in crore)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2013	Provision held as at March 31,2013	Exposure (net) as at March 31, 2012	Provision held as at March 31,2012
Insignificant	6565.47	-	4791.31	-
Low	1685.26	-	1082.04	-
Moderate	399.63	-	276.85	-
High	0.91	-	1.17	-
Very High	0.07	-	0.07	-
Restricted	-	-	-	-
Off-credit	-	-	-	-
Total	**8651.34**	**-**	**6151.44**	**-**

3.7.4 i) Details of Single Borrower Limit (SBL) exceeded by the Bank.

(₹ in crore)

S. No	Name of the Borrower	Exposure Ceiling (₹)	Total Exposure (₹)	Exposure as % of Capital Fund	Position as on 31.03.13	Position as % of Capital Fund
NIL						

- Individual borrower exposure limit is 15% of Capital Fund. However, 5% additional exposure taken with the approval of the Board as permitted by Reserve Bank of India.
- Individuals with additional 5% for Infrastructure Projects (20% of Capital Funds)
- Individuals for Oil Companies which have been issued Oil Bonds (which do not have SLR status) by Government of India is 25% of Capital funds.

ii) **Details of Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank.**

(₹ In crore)

Sr No.	Name of the borrower	Exposure Ceiling (₹)	Total Exposure (₹)	Exposure as % of Capital Fund	Board Sanction Details	Position as on 31.03.2013 (₹)	Position as % of Capital Fund
NIL							

Group Exposure Limit – 40%

For Infrastructure, Group Exposure ceiling is 50%

5% additional exposure can be taken with the permission of the Board

3.7.5 Unsecured Advances: Nil

Advances backed by Annuity under Build Operate Transfer (BOT) model in respect of Road/Highway Projects and toll collection rights have been considered secured as per RBI circular No. OD. BP. BC. No. 83 / 08 . 12 . 014 / 2012-13 dated 18 March 2013.

3.8 Miscellaneous

3.8.1 Amount of Provisions made for Income-tax during the year:

(₹ in crore)

	31.03.2013	31.03.2012
Provision for Income Tax (Including Deferred tax and Wealth tax liability)	906.36	938.00

3.8.2 Disclosure of Penalties imposed by RBI. : Nil

4 Disclosure Requirements as per Accounting Standards where RBI has issued guidelines in respect of disclosure items for Notes to Account.

4.1 **Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.**

There was no material prior period Income/Expenditure requiring disclosure under AS–5.

4.2 **Accounting Standard 9 - Revenue Recognition.**

Income items recognized on cash basis were not material and hence no disclosure under AS – 9 has been made.

4.3 **Accounting Standard 15 – Employee Benefits :**

4.3.1 The Bank has accounted for employee benefits as per Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as per actuarial valuation report for the year ended March 31, 2013. The disclosure is as under:

		2012-13		2011-12	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
i)	**Principal actuarial assumption used**				
	Discount Rate Prev.	8.50	9.00	8.50	8.50
	Rate of return on Plan Assets Prev.	8.00	8.00	8.00	8.00
	Salary Escalation Prev.	4.00	4.00	4.00	4.00
	Attrition Rate Prev.	2.00	2.00	2.00	2.00
	Discount Rate Current	8.50	8.50	8.50	9.00
	Rate of Return on Plan Assets Current	8.00	8.70	8.00	8.00
	Salary Escalation Current	4.00	4.00	4.00	4.00
	Attrition Rate Current	2.00	2.00	2.00	2.00
ii)	**Table showing change in Defined Benefit Obligation** :				
	Liability at the beginning of the year	990.55	5259.03	894.93	4771.82
	Interest Cost	81.85	477.34	74.37	405.27
	Current Service Cost	37.99	193.33	34.47	118.48
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized)	-	-	-	-
	Past Service Cost (Vested Benefit)	-	-	-	-
	Liability Transfer in	-	-	-	-
	Liability Transfer out	-	-	-	-
	Benefit paid	(131.13)	(297.10)	(108.86)	(244.85)
	Actuarial (gain) / loss on obligations	21.60	358.42	95.64	208.31
	Liability at the end of the year	1000.86	5991.02	990.55	5259.03

		2012-13		2011-12	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
iii)	**Table of Fair value of Plan Assets:**				
	Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	861.28	4020.00	873.05	2513.69
	Expected return on Plan Assets	83.50	372.28	67.89	317.60
	Contributions	248.00	782.00	30.00	1578.71
	Transfer from Other Company	-	-	-	-
	Transfer to Other Company	-	-	-	-
	Benefit paid	(131.13)	(297.10)	(108.86)	(244.85)
	Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	(24.43)	(103.10)	(0.80)	(145.15)
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1037.22	4774.08	861.28	4020.00
	Total Actuarial Gain/(loss) to be recognized	(46.02)	(461.51)	(96.44)	(353.46)
iv)	**Recognition of Transitional Liability :**				
	Transitional Liability at start	-	-	-	-
	Transitional Liability recognized during the year	-	-	-	-
	Transitional Liability at end	-	-	-	-
v)	**Actual return on Plan Assets :**				
	Expected Return on Plan Assets	83.50	372.28	67.89	317.60
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(24.43)	(103.10)	(0.80)	(145.15)
	Actual return on Plan Assets	59.07	269.18	67.09	172.45
vi)	**Amount recognized in the Balance Sheet :**				
	Liability at the end of the year	1000.86	5991.02	990.55	5259.03
	Fair value of Plan Assets at the end of the year	1037.22	4774.08	861.28	4020.00
	Difference	36.36	(1216.94)	(129.27)	(1239.03)
	Unrecognized Past Service Cost (Vested)… Closing Balance	130.00	761.00	-	1014.17
	Unrecognized Past Service Cost (Unvested)… Closing Balance	-	-	195.00	-
	Unrecognized Transition Liability… Closing Balance	-	-	65.73	(224.86)
	Amount Recognized in the Balance Sheet	166.36	(455.94)		
vii)	**Expenses recognized in the Income Statement**:				
	Current Service Cost	37.99	193.33	34.47	118.48
	Interest Cost	81.85	477.34	74.37	405.27
	Expected Return on Plan Assets	(83.50)	(372.28)	(67.89)	(317.60)
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized) recognized	65.00	253.00	65.00	338.00
	Past Service Cost (Vested Benefit) recognized	-	-	-	-
	Recognition of Transition Liability	-	-	-	-
	Actuarial Gain or Loss	46.02	461.51	96.44	353.46
	Expenses Recognized in P & L	147.37	1012.91	202.39	897.61
	Balance Sheet Reconciliation:				
viii)	Opening Net Liability (Last year net amount recognized in the balance sheet)	(65.73)	225.03	(238.12)	2258.13
	Expenses as above	147.37	1012.91	202.39	897.61
	Transfer from other Company (Net)	-	-	-	-
	Transfer to other Company (Net)	-	-	-	-
	Employer Contribution	(248.00)	(782.00)	(30.00)	(1578.71)
	Amount recognized in Balance Sheet	(166.36)	455.94	(65.73)	1577.03
ix)	**Other Details :**				
	Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of `10,00,000 or as per the Bank scheme.				
	Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence.				
	Salary escalation is considered as advised by the company which is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees.				
	No. of Members	31783.00	24739.00	30458.00	26345.00
	Salary Per Month	109.22	92.37	98.51	89.85
	Contribution for next year	-	299.28		291.11

		2012-13		2011-12	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
x)	**Category of assets:**				
	Government of India Assets	-	-	-	-
	Corporate Bonds	-	-	-	-
	Special Deposits Scheme	-	-	-	-
	State Govt.	-	-	-	-
	Property	-	-	-	-
	Other	1037.22	4774.08	861.28	4020
	Insurer Managed Funds	-	-	-	-
	Total	1037.22	4774.08	861.28	4020
xi)	**Experience Adjustment**				
	On plan liability (Gain) / Loss	21.60	251.18	95.09	511.13
	On plan Assets (Loss) / Gain	(24.43)	(103.10)	-0.80	(145.15)

4.3.2 Details of Provisions made for various Long Term Employees Benefits during the year are as follows:

(₹ in crore)

Sr. No.	Other Long Term Benefits	Amount
1	Pension	1013
2	Leave Encashment	31
5	Leave Travel Concession	0
6	Sick Leave	-37

4.4 **SEGMENT REPORTING AS PER ACCOUNTING STANDARD – 17**

(₹ in crore)

	Business Segment	Year ended (Audited) 31.03.2013	Year ended (Audited) 31.03.2012
(a)	**Segment Revenue**		
1	Treasury Operations	6872.71	5721.77
2	Retail Banking Operations	9183.12	7385.62
3	Corporate /Wholesale Banking	11411.10	10090.86
4	Other Banking Operations	322.43	278.41
5	Unallocated	-	-
	Total	**27789.36**	**23476.66**
	Less Inter-segment Revenue	**112.63**	**0**
	Total Revenue	**27676.73**	**23476.66**
(b)	**Segment Results**		
1	Treasury Operations	924.60	945.53
2	Retail Banking Operations	1598.64	951.79
3	Corporate /Wholesale Banking	362.75	657.15
4	Other Banking Operations	178.30	158.28
5	Unallocated	0	-
	Total	**3064.29**	**2712.75**
(c)	Income Tax	906.36	925.62
(d)	**Net Profit**	**2157.93**	**1787.14**
(e)	**Segment Assets**		
1	Treasury Operations	99496.80	78153.45
2	Retail Banking Operations	71773.92	59933.71

	Business Segment	Year ended (Audited) 31.03.2013	Year ended (Audited) 31.03.2012
3	Corporate/Wholesale Banking	137558.28	120949.52
4	Other Banking Operations	0	-
5	Unallocated Assets	3031.81	3174.76
	Total	**311860.81**	**262211.44**
(f)	**Segment Liabilities**		
1	Treasury Operations	93942.35	73837.56
2	Retail Banking Operations	68096.84	56877.45
3	Corporate /Wholesale Banking	130510.96	114781.83
4	Other Banking Operations	-	-
5	Unallocated Liabilities	2014.47	2081.54
6	Capital, Reserves & Surplus	17296.19	14633.06
	Total	**311860.81**	**262211.44**

i) The Bank operates in four segments viz., Treasury, Retail, Corporate / Wholesale and Other Banking Operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profiles, the organizational structure and the internal reporting system of the Bank. The Bank has disclosed the business segment as primary segment. The revenue and other parameters prescribed in AS-17 of foreign branch for the period are within the threshold limits as stipulated under AS-17 and hence the Bank has only one reportable geographical segment.

ii) Segment wise income, expenditure, assets and liabilities which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions considered appropriate.

iii) Figure of previous period have been reclassified/regrouped wherever necessary.

4.5 **Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures.**

4.5.1 **The Bank has identified the following persons to be the Key Management Personnel as per AS – 18 on Related Party Disclosures:**

4.5.1.1 List of Related Parties:

a) The Bank has identified the following persons to be the Key Management Personnel as per AS – 18 on Related Party Disclosures:

i. Shri D.Sarkar, Chairman & Managing Director

ii. Shri S. S. Mundra, Executive Director upto 21.01.2013

iii. Shri S.K.Jain, Executive Director

iv. Shri K. Subrahmanyam, Executive Director from 21.01.2013

b) Subsidiaries:

Union KBC Asset Management Company Private Ltd.

Union KBC Trustee Company Private Ltd.

c) Joint Venture:

Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd.

d) Associate:

Regional Rural Bank sponsored by the Parent Bank viz., Kashi Gomti Samyut Gramin Bank.

One of the Regional Rural Bank i.e Rewa Sidhi Gramin Bank, which was sponsored by our Bank has been amalgamated into Madhanchal Gramin bank (Sponsored by SBI) during the FY 2012-13, in terms of notification dated 1st November, 2012 of Ministry of Finance, Dept. of Financial Services New Delhi.

4.5.1.2 Transactions with Related Parties

(₹ In crore)

Items / Related Parties	Associate / Joint venture		Key Management Personnel		Relatives of Key Management Personnel		Total	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
Deposit	3720.52	2590.64		-		-	3720.52	2590.64
Interest paid	306.03	211.26		-		-	306.03	211.26
Insurance Commission	21.84	19.77		-		-	21.84	19.77
Advertisement & Publicity Expenses	8.41	7.17		-		-	8.41	7.17
Sitting Fees	0.04	0.04		-		-	0.04	0.04
Other Expenses Incurred/ Purchases	0.00	0.13		-		-	0.00	0.13
Bank Charges	0.02	0.15		-		-	0.02	0.15
Insurance Premium	26.64	25.46		-		-	26.64	25.46
Bonds Issued by Union Bank of India	26.70	0.00					26.70	0.00
Interest on Perpetual Bond	2.46	0.13		-		-	2.46	0.13
Brokerage Payment	0.83	1.38		-		-	0.83	1.38
Distribution Incentive Payment	1.00	0.36		-		-	1.00	0.36
Employee Cost Reimbursement	0.11	0.19		-		-	0.11	0.19
Rent & Maintenance Expenses Reimbursement	0.11	0.08		-		-	0.11	0.08

4.5.1.3 Key Management Personnel

(₹ in crore)

	2012-13	2011 – 12
Remuneration paid to Chairman and Managing Director	#0.22	#0.22
Remuneration paid to Executive Directors	#0.38	#0.35
Total	0.60	0.57

Includes performance based incentives of ₹ 6.00 lacs and ₹ 8.00 lacs paid to the Chairman and Managing Director and Executive Directors of the Bank respectively during the previous year.

4.6 Earning per Share – Accounting Standard – 20

The Bank reports basic earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 on “Earning per Share”. Basic Earning per Share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

			31.03.2013	31.03.2012
I	Basic and Diluted EPS	₹	38.93	34.07
ii	Net Profit after Tax available for equity shareholders (Rs. In crore)	₹	2148.49	1787.14
iii	Weighted Average number of equity shares (No. in crore)	No.	55.19	52.448
iv	Nominal value per share	₹	10.00	10.00

4.7 **Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income**

The Bank has accounted for Income Tax in compliance with AS 22 on Accounting for Taxes on Income. Accordingly, Deferred Tax Assets and Liabilities are recognized. Tax effect on the components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities as on 31st March 2013 are as under:

(₹ in crore)

		31.03.2013	31.03.2012
	Deferred Tax Assets		
1	Amortization of Premium on Investments	237.10	210.48
2	Employee Benefits	261.54	130.77
3	Depreciation on investments claimed in earlier years sold during the year	18.11	4.45
4	Leave Encashment	19.47	8.76
	Total	536.21	354.46
	Deferred Tax Liabilities		
1	Provision for diminution in value of securities	81.92	17.85
2	Depreciation on Fixed Assets	28.88	31.97
3	Accrued interest on securities	457.11	326.33
	Total	567.90	376.15
	Net Deferred Tax Liability	**31.69**	**21.69**
	Net Deferred Tax Asset		-

4.8 **Accounting Standard 28**

In the opinion of the Management, there is no indication for impairment during the year with regard to the assets to which Accounting Standard 28 applies.

4.9 Contingent liabilities referred to in Schedule-12 at S. No.(i) to (vi) are dependent upon, the outcome of court/ arbitration/out of court settlement, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by parties concerned, disposal of appeals respectively.

5 Additional Disclosures

5.1 Provisions and Contingencies

(₹ in crore)

Break up of Provision & Contingencies. shown under the head in Profit & Loss	2012-13	2011-12
Provision / (Reversal) for Depreciation on Investment	197.46	55.03
Provision towards NPA	1555.52	1510.73
Provision towards Standard Assets	220.76	229.74
Provision made towards Income Tax (IT)/ Deferred tax liability (DTL)	906.31	925.62
Other Provision and Contingencies:		
- Shifting Loss	16.87	61.89
- Restructured Advances	240.23	507.38
- Others	287.62	176.23
TOTAL	3424.77	3466.62

5.2 Floating Provisions

(₹ in crore)

	Particulars	2012-13	2011-12
i)	Opening Balance in the floating provisions	763.00	743.00
ii)	Floating provisions made during the accounting year	0	20.00
iii)	Amount of drawdown made during the accounting year	0	0
iv)	Closing balance in the floating provision account	763.00	763.00

5.3 Draw Down from Reserves

The Bank has not made any drawdown from the reserves during the year.

5.4 Disclosure of complaints

A. Customer Complaints

(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	492
(b)	No. of complaints received during the year	71178
(c)	No. of complaints redressed during the year	70148
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	1522

B. Awards passed by the Banking Ombudsman

(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	4
(c)	No. of Awards implemented during the year	4
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	1

5.5 Disclosure of Letter of Comfort (LoCs) issued

(₹ in crore)

Letter of Comfort issued in earlier years and outstanding as on 01.04.2012	2789.59
Add : Letter of Comfort issued during the year	9360.12
Less : Letter of Comfort expired during the year.	8334.20
Letter of Comfort outstanding as on 31.03.2013	3815.51

5.6 Provision Coverage Ratio (PCR)

Provision Coverage Ratio as on 31.03.2013 is 65.21%. Any excess provision held over the stipulated Provision Coverage Ratio (PCR) would be held under “Countercyclical Provisioning Buffer account” as per the extant RBI guidelines.

5.7 Disclosure of – Banc assurance Business

S. No.	Nature of Income	(₹ in crore)
1	For selling life insurance policies	22.67
2	For selling non life insurance policies	4.21
3	Others (specify)	-

5.8 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

5.8.1 Concentration of Deposits

(₹ in crore)

Total Deposits of twenty largest depositors	260925
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank.	13.65

5.8.2 Concentration of Advances

(₹ in crore)

Total Advances of twenty largest borrowers	23395.45
Percentage of Advances of twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank.	11.04

5.8.3 Concentration of Exposures

(₹ in crore)

Total Exposures of twenty largest borrowers/customers	49157.59
Percentage of Exposures of twenty largest borrowers/ customers to Total Exposures of the Bank on borrowers / customers.	23.20

5.8.4 Concentration of NPAs

(₹ in crore)

Total Exposures to top four NPA accounts	675.01

5.9 Sector-wise NPAs

(₹ in crore)

Sr. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector (31.03.2013)
1	Agriculture & allied activities	7.33
2	Industry (Micro & small, Medium and Large)	3.22
3	Services	1.80
4	Personal Loans	3.83

5.10 Movement of NPA

(₹ in crore)

Gross NPA as on 1st April 2012 (Opening Balance)	5449.86
Additions (Fresh NPAs) during the year	3973.75
Sub-total (A)	9423.61
Less:-	
(i) Up-gradations	734.07
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1246.87
(iii) Write-Offs	1128.84
Sub-total (B)	3109.78
Gross NPA as on 31st March 2013 (closing balance) (A-B)	6313.83

5.11 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ in crore)

Particulars	2012-13
Total Assets	14115.31
Total NPAs	170.62
Total Revenue	554.42

5.12 Off – balance Sheet SPVs

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
Nil	Nil

5.13 Unamortized Pension and Gratuity Liabilities

5.13.1 In accordance with RBI circular no.DBOD.BP.BC.80 / 21.04.018/ 2010-11 dated 09.02.2011 one-fifth of the additional pension fund liability of ₹338 crore towards serving employees, who have exercised second option has been charged to Profit & Loss account in 2012-13, with ₹675 crore carried forward to be charged over the next 2 years.

5.13.2 In addition one fifth of the additional gratuity liability which arose on enhancement of Gratuity limit from ₹3.50 lacs to ₹10 lacs amounting to ₹65 crore has also been charged to the Profit and Loss account in 2012-13 with the balance of ₹130 crore being carried forward to be charged over the next 2 years.

5.13.3 AS-15 (revised 2005) Employee Benefits states benefits involving employer established provident funds, which require interest shortfall to be provided, are to be considered as defined benefit plans. Pending determination of liability in view of issues in making reasonable actuarial assumptions, effect in this respect has not been ascertained. Accordingly, other related disclosures in this respect have not been made and ₹17.56 crores (previous year ₹ 7.16 crore) has been recognized as an expense towards provident fund scheme and included in payments to and provisions for employees under operating expenses.

5.14 Disclosure on Remuneration: Not Applicable

5.15 Disclosure relating to Securitisation:

Sr. No.	Particulars	No. / Amount (₹ in Crore)
	No. of SPVs sponsored by the bank for securitisation transactions	NIL
	Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank.	
	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on date of balance sheet. a) Off- balance sheet exposures First Loss Others b) On-balance sheet exposures First loss Others	
	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR a) Off- balance sheet exposures i. Exposure to own securitisations First loss Loss ii. Exposure to third party securitisations First loss Others b) On-balance sheet exposures i. Exposure to own securitizations First loss Others ii. Exposure to third party securitizations First loss Others	

5.16 Credit Default Swaps:

The Bank had not entered into any Credit Default Swap transactions during the financial year 2012-13.

6 FIXED ASSETS

Documentation formalities are yet to be completed in respect of six immovable properties (including one immovable property purchased during the year) held by the Bank at written down value of ₹11.34 crores (previous year ₹6.17 crores) in respect of which steps have already been initiated. Land and Buildings revalued as on 31st March,1995 at fair market value as determined by an approved valuer, have further been revalued as on 30th November, 2007 at fair market value by approved valuers. The resultant increase in value thereof on such revaluations amounting to ₹456.59 crore as on 31st March, 1995 and ₹1,290.68 crore as on 30th November, 2007 have been credited to Revaluation Reserve and depreciation amounting to ₹.38.07 crore (previous year ₹40.01 crore) attributable thereto has been deducted there from.

7 FUNDS RAISED RANKING FOR TIER I AND TIER II CAPITAL

During the year, the Bank has allotted on preferential basis 4,62,45,174 equity shares of Rs.10/- each at a premium of ₹230.89 per share to Government of India aggregating to ₹1114 crores. Consequently the Government share holding has increased from 54.35%.to 57.89%.

Further during the year, the Bank has raised Lower Tier II Bonds amounting to Rs. 800 crore.

8 PROVISION ON STANDARD ADVANCES

As per RBI guidelines, provision for Standard Advances and credit risk exposure on derivatives amounts to ₹1125.34 crore (previous year ₹899.13 crore). For certain category of standard advances such as loans for consumer durables, educational loans, loans through credit cards and other personal loans, additional provision of 2% amounting to ₹66.73 crores (previous year ₹56.74 crore) over and above the statutory requirement has been made.

9 The figures of the previous year have been regrouped /rearranged wherever considered necessary.

SIGNATORIES TO SCHEDULES 1 TO 18

(A.S.PARIKH) ASST.GENERAL MANAGER	(MAYANK MEHTA) GENERAL MANAGER

(K.SUBRAHAMANYAM) EXECUTIVE DIRECTOR	(S.K.JAIN) EXECUTIVE DIRECTOR	(D.SARKAR) CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
(DR.A.BHATTACHARYA) DIRECTOR	(CHANDAN SINHA) DIRECTOR	(S.K.MISHRA) DIRECTOR
(B.N.BHATTACHARJEE) DIRECTOR	(N.SHANKAR) DIRECTOR	(DR.ATUL AGARWAL DIRECTOR
(D.CHATTERJI) DIRECTOR	(G.K.LATH) DIRECTOR	(DR.R.H.DHOLAKIA) DIRECTOR
(SMT. ANUSUIYA SHARMA) DIRECTOR		

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

FOR G.S. MATHUR & CO CHARTERED ACCOUNTANTS FIRM REGN NO.008744N	**FOR PRICE PATT & CO** CHARTERED ACCOUNTANTS FIRM REGN NO.002783S	**FOR SINGRODIA GOYAL & CO** CHARTERED ACCOUNTANTS FIRM REGN.NO.112081W
(RAJIV KUMAR WADHAWAN) PARTNER (M.NO.091007)	**(S. BALASUBRAMANIAN)** PARTNER (M.NO.25413)	**(K.V.S.SHYAM SUNDER)** PARTNER (M.NO.015747)
FOR JINDAL & CO CHARTERED ACCOUNTANTS FIRM REGN NO.000844N	**FOR SHAH GUPTA & CO** CHARTERED ACCOUNTANTS FIRM REGN NO.109574W	**FOR V.ROHATGI & CO** CHARTERED ACCOUNTANTS FIRM REGN.NO.000980C
(AKHIL JINDAL) PARTNER (M.NO.090515)	**(VIPUL K. CHOKSI)** PARTNER (M.NO.037606)	**(VANDANA RASTOGI)** PARTNER (M.NO.086956)

Mumbai,

Date: 09.05.2013

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2013

(₹. in lacs)

Sr. No.	Particulars	Year Ended 31.03.2013	Year Ended 31.03.2012
A	Cash flow from operating activities	21,179	(382,999)
B	Cash flow from investing activities	(33,390)	(22,326)
C	Cash flow from financing activities	65,736	(37,006)
		53,525	**(442,331)**
D	Cash and cash equivalents at the beginning of the year	1,567,514	2,009,845
E	Cash and cash equivalents at the end of the year	1,621,039	1,567,514
F	Total Cash Flow during the year (A+B+C) or (E-D)	**53,525**	**(442,331)**
	BREAK UP DETAILS		
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	Interest received during the year from advances, investments etc.,	2,497,461	2,069,941
	Other Income	255,371	233,304
	Less : Interest paid on deposits, borrowings etc. (excl. subordinated debts)	(1,695,340)	(1,361,348)
	Operating expenses including provisions and contingencies	(793,693)	(745,414)
	Add : Adjustment for depreciation	15,092	14,645
	I. Cash profit generated from operations	**278,891**	**211,128**
	II. Cash flow from operating assets & liabilities [increase/(decrease)] in liabilities		
	Deposits	4,089,262	2,040,766
	Borrowings	528,780	459,351
	Adjustment for Deferred Tax Assets/Liability	1,000	(1,238)
	Other liabilities etc. (including write back of excess provision made in earlier years)	5,329	(76,764)
	Decrease/(Increase) in Assets		
	Advances	(3,022,011)	(2,689,600)
	Investments	(1,846,689)	(396,442)
	Others	(13,383)	69,800
	Cash flow from operating assets & liabilities	**(257,712)**	**(594,127)**
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (I+II)	**21,179**	**(382,999)**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	Sale/disposal of fixed assets	2,569	4,564
	Purchase of fixed assets	(35,959)	(26,890)
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	**(33,390)**	**(22,326)**
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	Dividend 2011-12	(44,044)	
	Dividend Tax 2011-12	(7,238)	
	Dividend 2010-11		(41,947)
	Dividend Tax 2010-11		(6,859)
	Proceeds of subordinated debts - Tier II Capital	60,000	
	Interest on Tier II Capital	(53,216)	(52,715)
	Subordinate Upper Tier II Capital	-	-
	Perpetual Bonds	-	-
	Interest on PNCPS	(1,055)	(515)
	PNCPS		
	Share Capital from GOI/LIC	111,289	65,030
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	**65,736**	**(37,006)**

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2013

(₹. in lacs)

Sr. No.	Particulars	Year Ended 31.03.2013	Year Ended 31.03.2012
D	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
	Cash and Balances with RBI (including FC notes)	1,163,356	1,761,046
	Balances with banks and Money at call	404,158	248,799
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	**1,567,514**	**2,009,845**
E	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
	Cash and Balance with RBI (including FC notes)	1,076,292	1,163,356
	Balances with banks and Money at call	544,747	404,158
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	**1,621,039**	**1,567,514**

(K.SUBRAHAMANYAM)
EXECUTIVE DIRECTOR

(S. K.JAIN)
EXECUTIVE DIRECTOR

(D.SARKAR)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Auditors Certificate :

We, the undersigned Statutory Auditors of the Union Bank of India, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2013. The statement has been prepared in accordance with the requirements of the clause 32 of the listing agreement with the Stock Exchange and is based on and in agreement with the corresponding Profit & Loss Account and the Balance Sheet of the Bank covered by our report of the 9th May, 2013 to the members.

FOR G.S. MATHUR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.008744N

(RAJIV KUMAR WADHAWAN)
PARTNER (M.NO.091007)

FOR PRICE PATT & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.002783S

(S. BALASUBRAMANIAN)
PARTNER (M.NO.25413)

FOR SINGRODIA GOYAL & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.112081W

(K.V.S.SHYAM SUNDER)
PARTNER (M.NO.015747)

FOR JINDAL & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.000844N

(AKHIL JINDAL)
PARTNER (M.NO.090515)

FOR SHAH GUPTA & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.109574W

(VIPUL K. CHOKSI)
PARTNER (M.NO.037606)

FOR V.ROHATGI & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.000980C

(VANDANA RASTOGI)
PARTNER (M.NO.086956)

PLACE : MUMBAI
DATE : 9th May 2013

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Board of Directors of Union Bank of India

We have audited the accompanying consolidated financial statements (CFS) of UNION BANK OF INDIA (the 'Bank'), its subsidiaries, associates and joint ventures (the 'Group'), which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2013, and the Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are incorporated the:

(i) Accounts of the Bank audited by 6 (six) Joint Auditors

(ii) Accounts of the two subsidiaries, one associate and one joint venture audited by other auditors.

Management's responsibility for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India; this includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidation financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

The CFS have been prepared by the Bank's Management in accordance with the requirement of the Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statements", Accounting Standard – 23 "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements and Accounting Standard 27 – "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India and the requirements of Reserve Bank of India (RBI).

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of reports of the other auditor on the financial statements of the Group as noted below, the consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

a. In the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2013

b. In the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date, and

c. In the case of the Consolidated Cash Flow Statements, of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

Without qualifying our opinion, we draw attention to Note No.5.13 of Schedule 18, describes

a) regarding deferment of pension liability of the Bank to the extent of ₹676.09 crore(previous year-₹1014.13 crore) pursuant to the circular issued by the Reserve Bank of India to the public sector banks on the provisions of AS 15, Employee Benefits (circular no. DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011) on re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks.

b) regarding deferment of additional gratuity liability which arose on enhancement of Gratuity limit from ₹3.50 lacs to ₹10 lacs amounting to ₹65 crore has been charged to the Profit & Loss account with the balance of ₹130 crore being carried forward to be charged over the next 2 years.

Other Matter

We have not audited the financial statements of:

(i) two subsidiaries, whose financial statements reflect total assets (net) of ₹65.42 crore as at March 31, 2013, total revenues of ₹11.81 crore on that date and net cash outflows amounting to ₹25.71 crore for the year then ended; and

(ii) a Joint Venture, whose financial statements reflect total assets (net) of ₹282.33 crore as at March 31, 2013, total revenues of ₹52.86 crore on that date and net cash outflows amounting to ₹30.69 crore for the year then ended; and

(iii) a Associate, whose financial statements reflect total assets (net) of ₹6986.08 crore as at March 31, 2013, total revenues of ₹515.90 crore on that date and net cash inflows amounting to ₹633.48 crore for the year then ended; and

These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management, and our opinion is based solely on the reports of the other auditors. Our opinion is not qualified in respect of this matter.

FOR G.S. MATHUR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.008744N

(RAJIV KUMAR WADHAWAN)
PARTNER (M.NO.091007)

FOR PRICE PATT & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.002783S

(S. BALASUBRAMANIAN)
PARTNER (M.NO.25413)

FOR SINGRODIA GOYAL & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.112081W

(K.V.S.SHYAM SUNDER)
PARTNER (M.NO.015747)

FOR JINDAL & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.000844N

(AKHIL JINDAL)
PARTNER (M.NO.090515)

FOR SHAH GUPTA & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.109574W

(VIPUL K. CHOKSI)
PARTNER (M.NO.037606)

FOR V.ROHATGI & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.000980C

(VANDANA RASTOGI)
PARTNER (M.NO.086956)

Place : MUMBAI
Date : 9th May, 2013

CONSOLIDATED FINANCIAL BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2013

Amt in ' 000s

	Schedule	2013	2012
Capital And Liabilities			
Capital	1	7,077,942	6,615,490
Reserves And Surplus	2	167,223,921	141,171,453
Minority Interest	2A	297,883	405,411
Deposits	3	2,636,815,532	2,227,765,151
Borrowings	4	237,968,845	179,094,878
Other Liabilities And Provisions	5	79,735,082	75,194,514
Total		**3,129,119,205**	**2,630,246,897**
Assets			
Cash And Balances With Reserve Bank Of India	6	107,632,205	116,336,928
Balances With Banks And Money At Call And Short Notice	7	54,479,814	40,701,482
Investments	8	818,083,116	631,038,056
Advances	9	2,081,024,291	1,778,820,863
Fixed Assets	10	24,954,035	23,477,965
Other Assets	11	42,945,744	39,871,603
Total		**3,129,119,205**	**2,630,246,897**
Contingent Liabilities	12	3,245,952,368	2,366,217,799
Bills For Collection		62,522,423	22,170,068
Significant Accounting Policies	17		
Notes On Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

(A. S. PARIKH) Asst.General Manager	**(MAYANK MEHTA)** General Manager	**(K. SUBRAHMANYAM)** Executive Director	**(S.K.JAIN)** Executive Director	**(D.SARKAR)** Chairman & Managing Director
(DR. A BHATTACHARYA) Director	**(CHANDAN SINHA)** Director	**(B.N.BHATTACHARJEE)** Director	**(N.SHANKAR)** Director	**(DR.ATUL AGARWAL)** Director
(S.K.MISHRA) Director	**(SMT. ANUSUIYA SHARMA)** Director	**(D CHATTERJI)** Director	**(DR R H DHOLAKIA)** Director	**(G.K.LATH)** Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

FOR G.S. MATHUR & CO CHARTERED ACCOUNTANTS FIRM REGN NO.008744N	**FOR PRICE PATT & CO** CHARTERED ACCOUNTANTS FIRM REGN NO.002783S	**FOR SINGRODIA GOYAL & CO** CHARTERED ACCOUNTANTS FIRM REGN.NO.112081W
(RAJIV KUMAR WADHAWAN) PARTNER (M.NO.091007)	**(S. BALASUBRAMANIAN)** PARTNER (M.NO.25413)	**(K.V.S.SHYAM SUNDER)** PARTNER (M.NO.015747)
FOR JINDAL & CO CHARTERED ACCOUNTANTS FIRM REGN NO.000844N	**FOR SHAH GUPTA & CO** CHARTERED ACCOUNTANTS FIRM REGN NO.109574W	**FOR V.ROHATGI & CO** CHARTERED ACCOUNTANTS FIRM REGN.NO.000980C
(AKHIL JINDAL) PARTNER (M.NO.090515)	**(VIPUL K. CHOKSI)** PARTNER (M.NO.037606)	**(VANDANA RASTOGI)** PARTNER (M.NO.086956)

Place : MUMBAI
Date : 9th May, 2013

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS FOR THE PERIOD ENDED 31ST MARCH, 2013

		Schedule	2012-2013	2011-2012
I.	**Income**			
	Interest Earned	13	251,685,293	211,524,799
	Other Income	14	28,680,402	23,163,065
	Total		**280,365,695**	**234,687,864**
II.	**Expenditure**			
	Interest Expended	15	175,753,802	142,297,261
	Operating Expenses	16	49,054,662	40,162,671
	Provisions And Contingencies		34,245,751	34,670,359
	Total		**259,054,215**	**217,130,291**
III.	**Net Profit For The Year**		21,311,480	17,557,573
	Add : Profit Brought Forward		6,128	1,591
	Total		**21,317,608**	**17,559,164**
	Share Of Earning/Loss In Associates		146,835	39,829
	Consolidated Net Profit/Loss For The Year Before Deducting Minorities Interest		21,464,443	**17,598,993**
	Less Minorities Interest		(107,527)	(121,144)
	Consolidated Net Profit/Loss For The Year Attributable to The Group		**21,571,970**	**17,720,137**
IV.	**Appropriations**			
	Transfer To Statutory Reserve		6,480,000	5,370,000
	Transfer To Capital Reserve		542,320	393,205
	Transfer To Revenue And Other Reserves/Adjustments		7,026,559	4,877,185
	Proposed Dividend		4,774,354	4,404,392
	Dividend Tax		827,436	731,609
	Dividend Tax Of Previous Year Written Back		0	(7832)
	Transfer To Special Reserve [Sec36(I)(Viii)]		1,820,000	1,840,000
	Transfer To Foreign Currency Translation Reserve		2,877	
	Provision For Div. On Pncps		94,350	105,450
	Balance In Profit And Loss Account		4,074	6,128
	TOTAL		**21,571,970**	**17,720,137**

The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account

(A. S. PARIKH) Asst.General Manager

(MAYANK MEHTA) General Manager

(K. SUBRAHMANYAM) Executive Director

(S.K.JAIN) Executive Director

(D.SARKAR) Chairman & Managing Director

(DR. A BHATTACHARYA) Director

(CHANDAN SINHA) Director

(B.N.BHATTACHARJEE) Director

(N.SHANKAR) Director

(DR.ATUL AGARWAL) Director

(S.K.MISHRA) Director

(SMT. ANUSUIYA SHARMA) Director

(D CHATTERJI) Director

(DR R H DHOLAKIA) Director

(G.K.LATH) Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

FOR G.S. MATHUR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.008744N

(RAJIV KUMAR WADHAWAN)
PARTNER (M.NO.091007)

FOR PRICE PATT & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.002783S

(S. BALASUBRAMANIAN)
PARTNER (M.NO.25413)

FOR SINGRODIA GOYAL & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.112081W

(K.V.S.SHYAM SUNDER)
PARTNER (M.NO.015747)

FOR JINDAL & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.000844N

(AKHIL JINDAL)
PARTNER (M.NO.090515)

FOR SHAH GUPTA & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.109574W

(VIPUL K. CHOKSI)
PARTNER (M.NO.037606)

FOR V.ROHATGI & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.000980C

(VANDANA RASTOGI)
PARTNER (M.NO.086956)

Place : MUMBAI
Date : 9th May, 2013

		As on 31.03.2013	As on 31.03.2012
SCHEDULE 1 - CAPITAL :			
I.	**Authorised :**		
	i. 300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each	30,000,000	30,000,000
	Issued, Subscribed & Paid up :		
	ii. 34,54,59,689 Equity Shares of Rs.10 each, held by Central Government	3,454,597	2,992,145
	iii. 251334520 Equity Shares of Rs.10 each, held by Public (P.Y. 225117900 Equity Shares)	2,513,345	2,513,345
	iv. Perpetual Non-Cumulative Pref. Shares	1,110,000	1,110,000
	TOTAL	**7,077,942**	**6,615,490**

		As on 31.03.2013		As on 31.03.2012	
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS :					
I.	Statutory Reserve :				
	As per last Balance Sheet	44,350,000		38,980,000	
	Addition during the year	6,480,000	50,830,000	5,370,000	44,350,000
II.	A) Capital Reserve :				
	As per last Balance Sheet	7,048,410		6,655,205	
	Addition during the year	542,320	7,590,730	393,205	7,048,410
II.	B) Capital Reserve on Consolidation		569,500		569,500
III.	Share Premium :				
	As per last Balance Sheet	18,192,279		11,951,412	
	Addition during the year	10,666,408	28,858,687	6,240,867	18,192,279
IV.	Revaluation Reserve :				
	As per last Balance Sheet	15,338,271		15,738,407	
	Addition during the year	-		-	
	Deduction during the year	380,694	14,957,577	400,136	15,338,271
V.	Revenue and other Reserves :				
	i) Revenue and other Reserves :				
	As per last Balance Sheet	36,286,865		31,479,658	
	Addition during the year	7,026,559		4,877,185	
	Add / (Less) : Fair value change and Revenue account of JV	415		(69,978)	
	Deduction during the year	103,363		-	
		43,210,476		36,286,865	
	ii) Special Reserve Sec 36(1)(viii)				
	As per last Balance Sheet	19,380,000		17,540,000	
	Addition during the year	1,820,000		1,840,000	
		21,200,000		19,380,000	
	iii) Foreign Currency Translation Reserve				
	As per last Balance Sheet	-		55,287	
	Addition during the year	2,877		-	
	Deduction during the year	-		55,287	
	Total	2,877	64,413,353	-	55,666,865
VI.	Balance in Profit and Loss Account				
	Balance in Profit and Loss Account		4,074		6,128
	TOTAL		**167,223,921**		**141,171,453**

			As on 31.03.2013		As on 31.03.2012
SCHEDULE 2 A Minority Interest					
Minority Interest at the date on which the present subsidiary relationship came into existence			588,245		588,245
Subsequent increase/decrease			(290,362)		(182,834)
Minority Interest on the date of Balance Sheet			**297,883**		**405,411**
SCHEDULE 3 - DEPOSITS :					
Deposits of Branches in India					
I.	Demand Deposits				
	i) From Banks	9,328,445		9,816,823	
	ii) From Others	231,777,035	241,105,480	182,884,538	192,701,361
II.	Savings Bank Deposits		574,966,537		504,288,588
III.	Term Deposits				
	i) From Banks	108,765,593		87,698,078	
	ii) From Others	1,711,977,922	1,820,743,515	1,443,077,124	1,530,775,202
	TOTAL		**2,636,815,532**		**2,227,765,151**
	Deposits of branches in India		2,609,183,212		2,215,695,310
	Deposits of branches outside India		27,632,320		12,069,841
	TOTAL		**2,636,815,532**		**2,227,765,151**
SCHEDULE 4 - BORROWINGS :					
A.	Borrowings: Capital Instruments				
	I. Perpetual Bonds	10,396,100		10,400,000	
	II. Upper Tier II Bonds	22,500,000		22,500,000	
	III. Tier II Bonds	35,000,000	67,896,100	29,000,000	61,900,000
B.	Borrowings in India				
	i. Reserve Bank of India	21,252,700		2,350,000	
	ii. Other Banks	2,000,000		7,000,000	
	ii. Other Institutions and agencies	1,461,394	24,714,094	1,553,735	10,903,735
C.	Borrowings Outside India		145,358,651		106,291,142
	TOTAL		**237,968,845**		**179,094,877**
	Secured Borrowings included in I & II above		1,339,121		1,343,713

		As on 31.03.2013	As on 31.03.2012
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS :			
I.	Bills payable	12,227,242	12,941,023
II.	Interest Accrued	8,372,023	7,089,963
VI.	Deferred Tax Liability	321,019	216,851
III.	Others(including provisions and items pending in Nostro A/c)	58,814,798	54,946,677
	TOTAL	**79,735,082**	**75,194,514**

		As on 31.03.2013	As on 31.03.2012
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANKOF INDIA :			
I.	Cash in hand (including foreign currency notes)	7,755,815	6,274,581
II.	Balances with Reserve Bank of India /Other Banks	99,876,390	110,062,347
	TOTAL	**107,632,205**	**116,336,928**
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE :			
I.	Balances with banks in India		
	i) In Current Accounts	1,203,625	1,825,508
	ii) In Other Deposit Accounts	12,194,405	15,526,536
	iii) Money at call & short notice	0	643,684
II.	Outside India		
	i) In Current Accounts	6,003,697	1,966,510
	ii) In other Deposit Accounts	35,078,087	20,739,244
	iii) Money at call and short notice	0	-
	TOTAL	**54,479,814**	**40,701,482**
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS :			
I.	Investments in India		
	i) Government Securities	619,492,638	505,902,969
	ii) Other approved securities	528,253	426,151
	iii) Shares	13,651,299	10,730,983
	iv) Debentures and Bonds	63,927,694	44,987,536
	v) Subsidiaries and joint ventures	1,548,476	1,592,766
	vi) Others		
	- Commercial Paper	11,921,944	4,456,970
	- Others	31,914,559	19,177,443
	- Mutual Funds	9,311,918	9,668,546
	- R I D F	64,741,371	32,996,628
	- Security Receipt by ARCIL	360,945	379,860
	TOTAL	**817,399,097**	**630,319,851**
II.	Investments outside India		
	i) Govt Securities (incl Local Authorities)	571,491	614,470
	ii) Shares	4,032	1,989
	iii) Other Investments (Bonds)	108,496	101,746
	Total	**684,019**	**718,205**
	TOTAL	**818,083,116**	**631,038,056**
III.	i) Investments in India		
	Gross Value	813,817,779	628,713,115
	Provision for Depreciation	3,581,318	1,606,736
	Net Value	**817,399,097**	**630,319,851**
	ii) Investments outside India		
	Gross Value/Net Value	684,019	718,205
	TOTAL	**818,083,116**	**631,038,056**

			As on 31.03.2013	As on 31.03.2012
SCHEDULE 9 - ADVANCES				
I.	i)	Bills purchased and discounted	65,825,482	81,416,343
	ii)	Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	1,048,463,155	919,887,125
	iii)	Term Loans	966,735,654	777,517,395
	TOTAL		**2,081,024,291**	**1,778,820,863**
	i)	Secured by tangible assets (includes Advance against Book Debts)	1,657,034,303	1,321,100,513
	ii)	Covered by Bank/Government Guarantees	127,175,062	76,576,862
	iii)	Unsecured	296,814,926	381,143,488
	TOTAL		**2,081,024,291**	**1,778,820,863**
II.	Advances in India			
	i)	Priority Sector	553,603,600	424,534,843
	ii)	Public Sector	202,314,391	147,891,982
	iii)	Banks	61,813,734	82,559,056
	iv)	Others	1,134,014,543	1,032,281,403
	TOTAL		**1,951,746,268**	**1,687,267,284**
	i)	Due From Banks	61,170,292	39,260,523
	ii)	Due from others		
		a) Bills Purchased and Discounted	3,245,049	1,024,056
		b) Syndicated loans	50,376,482	34,596,526
		c) Others	14,486,200	16,672,474
			129,278,023	**91,553,579**
	TOTAL		**2,081,024,291**	**1,778,820,863**

	As on 31.03.2013		As on 31.03.2012	
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS				
A. TANGIBLE ASSETS				
I. Premises				
At cost/valuation as per last Balance Sheet	22,006,721		21,290,003	
Add : Revaluation During the Year	-		-	
Additions during the year	1,218,454		716,718	
	23,225,175		22,006,721	
Deductions during the year	-		-	
Less: Depreciation to date	4,908,637	18,316,538	4,380,456	17,626,265
II. Capital Work in Progress				
At cost as per last Balance Sheet	85,918		135,815	
Additions during the year	285,958		176,213	
Deductions during the year	243,160	128,716	226,110	85,918
III. Land				
At cost as per last Balance Sheet	30,972		135,204	
Add : Revaluation during the year	-		-	
Additions during the year	103,125		-	
Deductions during the year	-		104,232	
	134,097		30,972	
Less : Depreciation to date	23,385	110,712	22,260	8,712

		As on 31.03.2013		As on 31.03.2012	
IV.	Other Fixed Assets (including Furniture and Fixtures)				
	a) Assets given on lease				
	Addition during the year	265,352		310,477	
	Deductions during the year	265,352		45,125	
		-		265,352	
	Less: Depreciation to date		-	265,352	-
	b) Others				
	At cost/valuation as per last Balance Sheet	14,728,907		13,497,900	
	Additions during the year	1,930,000		1,564,648	
		16,658,907		15,062,548	
	Deductions during the year	257,089		333,640	
		16,401,818		14,728,907	
	Less: Depreciation to date	10,317,571	6,084,247	9,252,242	5,476,665
B.	INTANGIBLE ASSETS				
	Computer Software				
	At cost as per last Balance Sheet	1,153,546		890,730	
	Additions during the year	194,507		262,816	
		1,348,053		1,153,546	
	Amortisation till date	1,034,232	313,821	873,142	280,404
	TOTAL		**24,954,035**		**23,477,965**

		As on 31.03.2013	As on 31.03.2012
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS :			
I.	Inter-office adjustments (net)	10,370,315	4,361,262
II.	Interest accrued	18,474,150	16,943,595
III.	Tax paid/Tax deducted at source (net of provision)	(2,722,944)	(4,812,979)
IV.	Stationery and stamps	24,522	51,960
V.	Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims	390	390
VI.	Deffered Tax Assets	-	
VII.	Others	16,799,311	23,327,375
	TOTAL	**42,945,744**	**39,871,603**
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES :			
I.	Claims against the bank not acknowledged as debts	34,912,835	33,855,475
II.	Liability for partly paid investments	5,920	5,920
III.	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	2,844,077,459	2,037,783,156
IV.	Guarantees given on behalf of Constituents		
	i) In India	179,985,613	145,398,127
	ii) Outside India	4,614,139	2,087,637
V.	Acceptances, endorsements and other obligations	177,244,776	142,911,453
VI.	Other items for which the bank is	-	
	i) Disputed Tax demands under appeals	4,889,100	4,100,593
	ii) Others	222,526	75,438
	TOTAL	**3,245,952,368**	**2,366,217,799**

		2012-2013	2011-2012
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED :			
I.	Interest/discount on advances/bills	191,404,620	160,266,256
II.	Income on investments	57,148,616	45,782,788
III.	Interest on balances with RBI & other inter bank funds	1,986,070	3,309,149
IV.	Others	1,145,987	2,166,606
	TOTAL	**251,685,293**	**211,524,799**
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME :			
I.	Commission, Exchange and Brokerage	3,565,416	3,582,490
II.	Profit on sale of investments - net	5,080,554	4,415,214
IV.	Profit on sale of land, buildings & other assets -net	- 17,010	- 6,595
V.	Profit on exchange transactions - net	5,598,770	4,887,504
VI.	Miscellaneous Income	14,452,672	10,284,452
	TOTAL	**28,680,402**	**23,163,065**
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED :			
I.	Interest on deposits	165,447,908	134,001,532
II.	Interest on Reserve Bank of India/ Inter-bank borrowing	2,742,379	1,408,583
III.	Others	7,563,515	6,887,146
	TOTAL	**175,753,802**	**142,297,261**
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES :			
I.	Payments to and provisions for employees	27,939,435	24,965,111
II.	Rent, taxes and lighting	3,296,665	2,682,196
III.	Printing and stationery	447,841	376,538
IV.	Advertisement and publicity	776,308	705,930
V.	Depreciation on Bank's property	1,555,082	1,505,768
VI.	Directors' fees, allowances and expenses	13,265	14,420
VII.	Remuneration to Managing / Executive Director	5,963	5,687
VIII.	Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	213,017	231,765
IX.	Law Charges	165,816	154,397
X.	Postage, Telegrams, Telephones, etc.	623,636	502,339
XI.	Repairs and maintenance	803,935	704,425
XII.	Insurance	2,175,552	1,876,734
XIII.	Other Expenditure	11,038,147	6,437,361
	TOTAL	**49,054,662**	**40,162,671**

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES :

1 Accounting Convention

The accompanying Consolidated Financial Statements (CFS) have been prepared by following the going concern concept, generally on a historical cost basis and conform to the statutory provisions and practices prevailing in India in respect of Indian Offices/Branches and respective foreign countries in respect of Foreign Offices/Branches, except as otherwise stated.

2 Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and the expenses during the reporting period. Management believes that the estimates wherever used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Difference between the actual results and estimates is recognized in the period in which the results are known /materialized.

3 Basis of consolidation

3.1 CFS of the Group (comprising of 2 Subsidiaries, 1 Associate and 1 Joint Venture) have been prepared on the basis of:

i) Audited Financial Statement of Union Bank of India (Parent).

ii) Line by line aggregation of each item of asset, liabilities, income and expenditure of subsidiaries with the respective items of the parent after eliminating intra group balances/ transactions, unrealized profit/losses based on the data received from the subsidiaries duly audited by their respective auditors as per Accounting Standard – 21 “Consolidated Financial Statements” issued by The Institute of Chartered Accountant of India (ICAI).

iii) Accounting for Investments in ‘Associate’ under the ‘Equity Method’ as per Accounting Standard 23 “Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements” issued by the ICAI.

iv) Consolidation of Joint Venture – ‘Proportionate Consolidation’ as per Accounting Standard 27 “Financial Reporting of Interest in Joint Ventures” of the ICAI.

3.2 Necessary adjustments have not been made in the CFS where uniform accounting policies have not been followed by Subsidiaries, Associates and Joint Venture as in the view of the management, the said adjustments are not material in nature.

3.3 The difference between cost to the Group of its investment in the subsidiaries and the Group’s portion of the equity of the subsidiaries is recognized in the CFS as Goodwill/Capital Reserve.

3.4 Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

i) The amount of equity attributable to the minority at the date on which investment in a subsidiary is made, and

ii) The minority share of movements in revenue reserves/ loss (equity) since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

4 Revenue Recognition

4.1 Banking entities

i) Income and Expenditure is generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

ii) Income on Non-performing Assets (NPAs) is recognized to the extent realized as per the prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India. Income accounted for in the preceding year and remaining unrealized is derecognized in respect of assets classified as NPAs during the year.

iii) Bank commission, exchange and brokerage earned, rent on Safe Deposit Lockers and commission on biometric cards, income from aadhar cards etc. are accounted for on realization basis.

iv) Income (Other than interest) on investments in “Held to Maturity” (HTM) category acquired at discount to the face value is recognized as follows:

a) On interest bearing securities, it is recognized only at the time of sale/ redemption.

b) On Zero- coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the securities on a constant yield basis.

v) Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the dividend is established.

4.2 Non Banking entities

Life Insurance

i) Premium Income

Premium (net of service tax) is recognized as income when due. For linked business, premium is recognized when the associated units are created. Top up premiums are considered as single premium. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. Commission received on reinsurance ceded is recognized as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

ii) Income from linked funds

Income from linked funds which includes premium allocation charges, policy administrative charges, mortality charges, fund management charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policies issued.

iii) Reinsurance Premium

Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in-principle arrangement with the reinsurer. Profit commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

iv) Benefits paid (including claims)

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any. Death, rider & surrender claims are accounted for on receipt of intimation. Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due. Withdrawals & surrenders under linked policies are accounted for in the respective schemes when the associated units are cancelled. Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

v) Acquisition Costs

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

vi) Liability for life policies

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method and in case of group business unearned premium reserve method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act, 1938, IRDA regulations and the stipulations of Institute of Actuaries of India.

Asset Management

i) Investment management fees are recognized net of service tax on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the mutual fund schemes (excluding the investments made by the company in the schemes) such that it does not exceed the limit prescribed by the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and any further amendments.

ii) Investment advisory fees are recognized on accrual basis in accordance with the terms of contract with the customers.

iii) Interest income is recognized using the time proportion method, based on the rates implicit in the transaction.

iv) Dividend income is recognized when right to receive is established.

5 Investments

i) In conformity of the requirements in form A of the Third Schedule to the Banking Regulations Act, 1949, Investments are classified as under:

a) Government Securities
b) Other Approved Securities
c) Shares
d) Debentures & Bonds
e) Investments in Subsidiaries & Joint Ventures, and
f) Other Investments

The Investment portfolio of the Bank is further classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.,

a) Held to Maturity (HTM)
b) Available for Sale (AFS)
c) Held for Trading (HFT)

ii) As per RBI guidelines, the following principles have been adopted for the purpose of valuation

a) i) Securities held in "HTM" – at acquisition cost.

The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity.

ii) Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.

iii) Investments in Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost.

Permanent diminution, if any, in valuation of such investments is provided for.

b) i) Securities held in "AFS" and "HFT" categories are valued classification wise and scrip-wise and net depreciation, if any, in each classification is charged to Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored.

ii) Valuation of securities is arrived at as follows

i	Govt. of India Securities	As per quotations put out by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)
ii	State Development Loans, Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines
iii	Equity Shares	As per market rates, if quoted, otherwise at Book value as per latest Audited Balance Sheet (not more than 1 year old). In the absence of both at ₹ 1/- per company.
iv	Preference Shares	As per market rates, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per FIMMDA guidelines
v	Debentures/Bonds	As per market rates, if quoted, otherwise on appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.
vi	Mutual Funds(MF)	As per stock exchange quotations, if quoted. In case of unquoted units, as per latest Repurchase price declared by concerned MF. In cases where latest repurchase price is not available, as per Net Asset Value (NAV)
vii	Treasury Bills / Certificate of Deposits / Commercial Papers	At carrying cost
viii	Venture Capital Funds (VCF)	At declared NAV or Break-up NAV as per audited Balance Sheet which is not more than 18 months old. If NAV / audited financial statements are not available for more than 18 months continuously, at ₹1/- per VCF
ix	Security Receipts	At NAV as declared by Securitization Companies

iii) Inter bank REPO/ Reverse REPO transactions are accounted for in accordance with extant RBI guidelines.

iv) As per the extant RBI guidelines, the shifting of securities from one category to another is accounted for as follows:

- From AFS/HFT categories to HTM category, at lower of book value or market value as on the date of shifting. Depreciation, if any, is fully provided for.
- From HTM category to AFS/HFT category,
  - ➢ If the security is originally placed at discount in HTM category, at acquisition cost/ book value
  - ➢ If the security is originally placed at a premium, at amortized cost.

The securities so shifted are revalued immediately and

resultant depreciation is fully provided for.

- From AFS to HFT category and vice versa, at book value.

v) The non-performing investments are identified and depreciation/ provision is made as per the extant RBI guidelines.

vi) Profit/ loss on sale of investments in any category is taken to the Profit and Loss account. However, in case of profit on sale of investments in "HTM" category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve account.

vii) Commission, brokerage, broken period interest etc on securities is debited / credited to Profit & Loss Account.

viii) As per the extant RBI guidelines, the Bank follows 'Settlement Date' for accounting of investments transactions.

Derivative Contracts

i) The Interest Rate Swap which hedges interest bearing asset or liability are accounted for in the financial statements on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value. Gains or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/liability.

ii) Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

iii) In the case of option contracts, guidelines issued by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) from time to time for recognition of income, premium and discount are being followed.

6 **Advances**

i) All advances are classified under four categories, i.e. (a) Standard, (b) Sub-standard, (c) Doubtful and (d) Loss assets. Provisions required on such advances are made as per the extant prudential norms issued by the RBI.

ii) Certain category of standard advances such as loans for consumer durables, educational loans, loans through credit cards and other personal loans (Except Loan against Deposits) carry an additional provision of 2% over and above the statutory requirement.

iii) Advances are stated net of provisions and unrecovered interest held in sundry /claims received from CGTF / ECGC relating to non-performing assets. The provision on standard advances is held in "Other Liabilities and Provisions".

7 **Fixed Assets and Depreciation**

i) Fixed Assets are stated at cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, If any. The cost comprises purchase price less trade discounts and rebates, eligible borrowing costs and directly attributable cost of bringing the Asset to its working condition for the intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functional capability. Revalued Land and Buildings are stated at revalued amount.

ii) Application Software is capitalized as intangible assets.

iii) Depreciation on Fixed Assets is provided for on the written down value method at the rates considered appropriate by the management as under

	Type of Asset	Rate of Depreciation
I.	Premises	5 %
II.	Other Fixed Assets	
	- Furniture and Fittings	10 %
	- Electric Fittings and Equipment, Office Appliances and SDV Lockers/ Strong rooms etc.	15 %
	- Transport Vehicles	20 %
	- U.P.S.	33.33 %
III.	On the amount added consequent upon revaluation of the assets	over the economic residual life of the respective assets

iv) Depreciation on computers, ATM and software is provided at 33.33% on straight-line method.

v) Depreciation on additions to assets made upto 30th September of the year is provided at full rate and on additions made thereafter, at half the rate.

vi) Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of land and buildings is not separately identifiable.

vii) No depreciation is provided on assets sold / disposed off during the year.

viii) Leasehold land is amortized over the period of lease.

ix) Depreciation on fixed assets outside India and fixed assets of subsidiaries/associates is provided as per regulatory requirements/or prevailing practices of respective country/industry.

8 **Impairment of Assets**

The carrying costs of assets are reviewed at each balance sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the asset's net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation if there was no impairment.

9 **Counter Cyclical Provisioning Buffer**

The Bank has Policy for creation and utilization of Counter cyclical provisioning buffer separately for advances and investments. The quantum of provision to be created is assessed at the end of each financial year. The counter cyclical provisions are utilized only for contingencies under

extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of the Reserve Bank of India.

10 **Transactions Involving Foreign Exchange**

Revaluation of Foreign Currency Position and booking Profits / Losses:

i) Monetary and Non-Monetary assets and liabilities are revalued at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year and resultant gain / loss is recognized in the Profit and Loss Account.

ii) Income and Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

iii) Forward exchange contracts are recorded at the exchange rate prevailing on the date of commitment. Outstanding forward exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of 'in-between' maturities. The resultant gains or losses are recognized in the Profit and Loss Account.

iv) Contingent liabilities on account of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year.

v) Representative offices of the Bank outside India are treated as Integral Operation Unit as per RBI guidelines.

11 **Accounting for Non–Integral Foreign Operations**

Offshore Banking Units (OBU) and foreign branches are classified as non-integral foreign operations.

a) Offshore Banking Unit (OBU) & Foreign Branch

i) Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year-end.

ii) Income and Expenditure are translated at the quarterly average closing rate notified by FEDAI at the end of respective quarter.

iii) All resulting exchange differences are accumulated in 'Foreign Currency Translation Reserve'.

b) Foreign Branch

i) Revenue Recognition

Income and Expenditure are recognized / accounted for as per the local laws of the respective countries.

ii) Asset Classification and Loan Loss Provisioning

Asset classification and loan loss provisioning are made as per local requirement or as per RBI guidelines whichever is higher.

iii) Fixed Assets and Depreciation

a) Fixed Assets are accounted for at historical cost.

b) Depreciation on fixed assets is provided as per the applicable laws of the respective countries.

12 **Employee Benefits**

Retirement benefit in the form of provident fund is a defined contribution scheme. The contributions to the provident fund are charged to the profit and loss account for the year when the contributions are due. The Bank has no obligation, other than the contribution payable to the provident fund.

Gratuity liability, Pension Fund and provision towards Leave are defined benefit obligations, and are provided for on the basis of an actuarial valuation as per AS 15 (Revised) made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the profit and loss account.

Employee benefits relating to employees employed at foreign offices are valued and accounted for as per the respective local laws/regulations.

13 **Segment Reporting**

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary Reporting Segment and Geographical Segment as the Secondary Reporting Segment, in accordance with the RBI guidelines and in the compliances with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

Business Segments are classified into (a) Treasury Operation, (b) Corporate and Wholesale Banking, (c) Retail Banking Operation and (d) Other Banking Operations.

14 **Lease Transactions**

The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancelable at the option of the Bank. The Bank's liabilities in respect of disputes pertaining to additional rent/lease rent are recognized on settlement or on renewal.

15 **Earning per share**

Earnings per share is calculated by dividing the net profit or loss for the year attributable to the equity share holders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Diluted Earnings per equity share is calculated by using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at the year end.

16 **Taxation**

Provision for Tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate and tax laws. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is 'reasonable certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, deferred tax assets are recognized only if there is "virtual certainty".

17 **Provisions, contingent liabilities and contingent assets**

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements. Contingent Liabilities are not provided for and are disclosed by way of notes.

18. **Share Issue Expenses:**

Share Issue expenses are charged to the Share Premium Account.

SCHEDULE 18 – NOTES ON ACCOUNTS

1. The particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of the Bank (the Parent) are as under

Names of Subsidiaries	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the parent as on 31.03.2013
Union KBC Asset Management Company Private Ltd.	India	51%
Union KBC Trustee Company Private Ltd.	India	51%

2. The particulars of Joint Venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under

Names of Joint Venture	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Ltd. (Non- Banking)	India	26%

3. The particulars of Associate considered in the Consolidated Financial Statements are as under

Names of Associates	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
Regional Rural Bank i) Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	India	35%

4. The financial statements of the subsidiaries, joint venture and associate which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March 2013.

5. In case of Domestic Associate/subsidiaries, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by parent bank and associate/subsidiaries have not been carried out on the basis of data provided by associates/ subsidiaries as the amounts being not material.

6. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of Audited financial statements of Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd., Union KBC Asset Management Co. Pvt. Ltd., Union KBC Trustee Co. Pvt. Ltd. and Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (Regional Rural Bank) for the financial year ended 31.03.2013.

7. In respect of Parent Bank, confirmation / reconciliation of balances with foreign and other banks has been obtained /carried out. Reconciliation of Central Office Accounts maintained by branches has been completed up to 31st March 2013

   Adjustment of outstanding entries in Suspense Accounts, Sundry Deposits, Clearing Adjustments, Bank Reconciliation statements and various inter-branch/ office accounts is in progress. Pending final clearance of the same, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.

8. **INCOME TAX**

   The Parent Bank considers that provision for Income tax held in its accounts is adequate.

9. **ADDITIONAL DISCLOSURES IN TERMS OF THE RESERVE BANK OF INDIA GUIDELINES**

9.1 Capital

		31.03.2013	31.03.2012
i)	CRAR (%)	11.44	11.85
ii)	CRAR - Tier I Capital (%)	8.24	8.37
iii)	CRAR - Tier II Capital (%)	3.20	3.48
iv)	Percentage of the shareholding of the Government of India.	57.89	54.35
v)	Amount of subordinated debt raised as Tier II Capital(` in crore)	800.00	Nil
vi)	Amount raised by issue of IPDI(` in crore)	Nil	Nil
vii)	Amount raised by issue of Upper Tier II instruments (` in crore)	Nil	Nil

9.2. Provisions & Contingencies

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
Provision for NPA	1555.52	1510.73
Depreciation in value of investments	197.46	55.03
Provision for Taxation (including deferred tax)	906.36	938.00
Provision on standard assets	220.76	229.74
Other Provisions (including floating provisions)	544.67	733.12
Grand Total	3424.77	3466.62

9.3 Details of Floating Provisions (Parent Bank)

(₹ in crore)

Particulars	2012-13	2011-12
Opening Balance in the floating provisions	763.00	743.00
Floating provisions made during the accounting year	0	20.00
Amount of drawdown made during the accounting year	0	0
Closing balance in the floating provision account	763.00	763.00

10. Accounting Standard 15 (Revised) – Employee Benefits-2012-13 (Parent Bank)

		2012-13		2011-12	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
i)	**Principal actuarial assumption used**				
	Discount Rate Prev.	8.50	9.00	8.50	8.50
	Rate of return on Plan Assets Prev.	8.00	8.00	8.00	8.00
	Salary Escalation Prev.	4.00	4.00	4.00	4.00
	Attrition Rate Prev.	2.00	2.00	2.00	2.00
	Discount Rate Current	8.50	8.50	8.50	9.00
	Rate of Return on Plan Assets Current	8.00	8.70	8.00	8.00
	Salary Escalation Current	4.00	4.00	4.00	4.00
	Attrition Rate Current	2.00	2.00	2.00	2.00
ii)	**Table showing change in Defined Benefit Obligation** :				
	Liability at the beginning of the year	990.55	5259.03	894.93	4771.82
	Interest Cost	81.85	477.34	74.37	405.27
	Current Service Cost	37.99	193.33	34.47	118.48
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized)	-	-	-	-
	Past Service Cost (Vested Benefit)	-	-	-	-
	Liability Transfer in	-	-	-	-
	Liability Transfer out	-	-	-	-
	Benefit paid	(131.13)	(297.10)	(108.86)	(244.85)
	Actuarial (gain) / loss on obligations	21.60	358.42	95.64	208.31
	Liability at the end of the year	1000.86	5991.02	990.55	5259.03
iii)	**Table of Fair value of Plan Assets:**				
	Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	861.28	4020.00	873.05	2513.69
	Expected return on Plan Assets	83.50	372.28	67.89	317.60
	Contributions	248.00	782	30.00	1578.71
	Transfer from Other Company	-	-	-	-
	Transfer to Other Company	-	-	-	-
	Benefit paid	(131.13)	(297.10)	(108.86)	(244.85)
	Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	(24.43)	(103.10)	(0.80)	(145.15)
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1037.22	4774.08	861.28	4020.00
	Total Actuarial Gain/(loss) to be recognized	(46.02)	(461.51)	(96.44)	(353.46)
iv)	**Recognition of Transitional Liability :**				
	Transitional Liability at start	-	-	-	-
	Transitional Liability recognized during the year	-	-	-	-
	Transitional Liability at end	-	-	-	-
v)	**Actual return on Plan Assets :**				
	Expected Return on Plan Assets	83.50	372.28	67.89	317.60
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(24.43)	(103.10)	(0.80)	(145.15)
	Actual return on Plan Assets	59.07	269.18	67.09	172.45
vi)	**Amount recognized in the Balance Sheet :**				
	Liability at the end of the year	1000.86	5991.02	990.55	5259.03
	Fair value of Plan Assets at the end of the year	1037.22	4774.08	861.28	4020.00
	Difference	36.36	(1216.94)	(129.27)	(1239.03)
	Unrecognized Past Service Cost (Vested)… Closing Balance	130.00	761.00	-	1014.17
	Unrecognized Past Service Cost (Unvested)… Closing Balance	-	-	195.00	-
	Unrecognized Transition Liability… Closing Balance	-	-	65.73	(224.86)
	Amount Recognized in the Balance Sheet	166.36	(455.94)		

		2012-13		2011-12	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
vii)	**Expenses recognized in the Income Statement**:				
	Current Service Cost	37.99	193.33	34.47	118.48
	Interest Cost	81.85	477.34	74.37	405.27
	Expected Return on Plan Assets	(83.50)	(372.28)	(67.89)	(317.60)
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized) recognized	65.00	253.00	65.00	338.00
	Past Service Cost (Vested Benefit) recognized	-	-	-	-
	Recognition of Transition Liability	-	-	-	-
	Actuarial Gain or Loss	46.02	461.51	96.44	353.46
	Expenses Recognized in P & L	147.37	1012.91	202.39	897.61
	Balance Sheet Reconciliation:				
viii)	Opening Net Liability (Last year net amount recognized in the	(65.73)	225.03	(238.12)	2258.13
	balance sheet)	147.37	1012.91	202.39	897.61
	Expenses as above	-	-	-	-
	Transfer from other Company (Net)	-	-	-	-
	Transfer to other Company (Net)	(248.00)	(782.00)	(30.00)	(1578.71)
	Employer Contribution	(166.36)	455.94	(65.73)	1577.03
	Amount recognized in Balance Sheet				
	Other Details :				
ix)	Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of ₹10,00,000 or as per the Bank scheme.				
	Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence.				
	Salary escalation is considered as advised by the company which is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees.				
	No. of Members	31783.00	24739.00	30458	26345
	Salary Per Month	109.22	92.37	98.51	89.85
	Contribution for next year	-	299.28		291.11
x)	**Category of assets:**				
	Government of India Assets	-	-	-	-
	Corporate Bonds	-	-	-	-
	Special Deposits Scheme	-	-	-	-
	State Govt.	-	-	-	-
	Property	-	-	-	-
	Other	1037.22	4774.08	861.28	4020.00
	Insurer Managed Funds	-	-	-	-
	Total	1037.22	4774.08	861.28	4020.00
xi)	**Experience Adjustment**				
	On plan liability (Gain) / Loss	21.60	251.18	95.09	511.13
	On plan Assets (Loss) / Gain	(24.43)	(103.10)	(0.80)	(145.15)

10.1 Details of Provisions made for various Long Term Employees Benefits for the year ended are as follows

(₹ in crore)

Sr. No.	Other Long Term Benefits	Amount
1	Pension	1013
2	Leave Encashment	31
5	Leave Travel Concession	0
6	Sick Leave	-37

11. SEGMENT REPORTING AS PER ACCOUNTING STANDARD – 17

(₹ in crore)

	Business Segment	Year ended (Audited) 31.03.2013	Year ended (Audited) 31.03.2012
(a)	**Segment Revenue**		
1	Treasury Operations	6,872.71	5,721.77
2	Retail Banking Operations	9,183.12	7,385.62
3	Corporate /Wholesale Banking	11,411.10	10,090.86
4	Other Banking Operations	322.43	278.41
5	Unallocated	359.84	-3.89
	Total	**28,149.20**	**23,472.77**
	Less Inter Segment Revenue	**112.63**	**0**
	Total Revenue	**28,036.57**	**23,472.77**
(b)	**Segment Results**		
1	Treasury Operations	924.60	945.53
2	Retail Banking Operations	1,598.64	951.79
3	Corporate /Wholesale Banking	362.75	657.15
4	Other Banking Operations	178.30	158.28
5	Unallocated	-26.78	-15.13
	Total	**3,037.51**	**2,697.62**
(c)	Income Tax	906.36	925.62
(d)	**Net Profit**	**2,131.15**	**1772.01**
(e)	**Segment Assets**		
1	Treasury Operations	99,496.80	78,153.45
2	Retail Banking Operations	71,773.92	59,933.71
3	Corporate/Wholesale Banking	1,37,558.28	120,949.52
4	Other Banking Operations	0	-
5	Unallocated Assets	4,082.92	3,988.01
	Total	**3,12,911.92**	**2,63,024.69**
(f)	**Segment Liabilities**		
1	Treasury Operations	93,942.35	73,837.56
2	Retail Banking Operations	68,096.84	56,877.45
3	Corporate /Wholesale Banking	1,30,510.96	114,781.83
4	Other Banking Operations	-	-
5	Unallocated Liabilities	3,065.58	2,894.79
6	Capital, Reserves & Surplus	17,296.19	14,633.06
	Total	**3,12,911.92**	**2,63,024.69**

i) The Bank operates in four segments viz., Treasury, Retail, Banking Corporate/Wholesale Banking and other Banking operation. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profiles, the organizational structure and the internal reporting system of the Bank. The Bank has disclosed the business segment as primary segment. The revenue and other parameters

prescribed in AS-17 of foreign branch for the period are within the threshold limits as stipulated under AS-17 and hence the Bank has only one reportable geographical segment.

ii) Segment wise income, expenditure, assets and liabilities which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions considered appropriate.

iii) Information in respect of two non-banking subsidiaries and one joint venture, has been included under unallocated segment, since they are not reportable segments as per AS-17.

12 Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures (Parent Bank)

12.1 List of Related Parties

a) The Bank has identified the following persons to be the Key Management Personnel as per AS – 18 on Related Party Disclosures

i. Shri D.Sarkar, Chairman & Managing Director

iii. Shri S. S. Mundra, Executive Director, upto 21.01.2013.

iii Shri S.K.Jain, Executive Director

iv Shri K. Subrahmanyam, Executive Director from 21.01.2013

b) Subsidiaries

Union KBC Asset Management Company Private Ltd.

Union KBC Trustee Company Private Ltd.

c) Joint Venture

Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd.

d) Associate

Regional Rural Bank sponsored by the Parent Bank viz., Kashi Gomti Samyut Gramin Bank.

One of the Regional Rural Bank i.e Rewa Sidhi Gramin Bank, which was sponsored by our Bank has been amalgamated into Madhanchal Gramin bank (Sponsored by SBI) during the FY 2012-13, in terms of notification dated 1st November, 2012 of Ministry of Finance, Dept. of Financial Services New Delhi

12.2 Transactions with Related Parties

(₹ In crore)

Items / Related Parties	Associate / Joint venture		Key Management Personnel		Relatives of Key Management Personnel		Total	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
Deposit	3720.52	2590.64		-		-	3720.52	2590.64
Interest paid	306.03	211.26		-		-	306.03	211.26
Insurance Commission	21.84	19.77		-		-	21.84	19.77
Advertisement & Publicity Expenses	8.41	7.17		-		-	8.41	7.17
Sitting Fees	0.04	0.04		-		-	0.04	0.04
Other Expenses Incurred/ Purchases	0.00	0.13		-		-	0.00	0.13
Bank Charges	0.02	0.15		-		-	0.02	0.15
Insurance Premium	26.64	25.46		-		-	26.64	25.46
Bonds Issued by Union Bank of India	26.70	0.00					26.70	0.00
Interest on Perpetual Bond	2.46	0.13		-		-	2.46	0.13
Brokerage Payment	0.83	1.38		-		-	0.83	1.38
Distribution Incentive Payment	1.00	0.36		-		-	1.00	0.36
Employee Cost Reimbursement	0.11	0.19		-		-	0.11	0.19
Rent & Maintenance Expenses Reimbursement	0.11	0.08		-		-	0.11	0.08

12.3 Key Management Personnel

(₹ in cr.)

	2012-13	2011-12
Remuneration paid to Chairman and Managing Director	#0.22	#0.22
Remuneration paid to Executive Directors	#0.38	#0.35
Total	0.60	0.57

Includes performance based incentives of ₹6.00 lacs and ₹8.00 lacs paid to the Chairman & Managing Director and Executive Directors of the Bank during the previous year.

13. Earning per Share – Accounting Standard – 20

The Bank reports basic earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 on "Earning per Share". Basic Earning per Share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

			31.03.2013	31.03.2012
I	Basic and Diluted EPS	₹	38.44	33.79
ii	Net Profit after Tax available for equity shareholders	(₹ In crore)	2121.71	1772.01
iii	Weighted Average number of equity shares (No. in crore)	No.	55.19	52.448
iv	Nominal value per share	₹	10.00	10.00

14. Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

The Bank has accounted for Income Tax in compliance with AS 22 on Accounting for Taxes on Income. Accordingly, Deferred Tax Assets and Liabilities are recognized. Tax effect on the components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities as on 31st March 2013 are as under

(₹ in crore)

		31.03.2013	31.03.2012
	Deferred Tax Assets		
1	Amortization of Premium on Investments	237.10	210.48
2	Employee Benefits	261.54	130.77
3	Depreciation on Fixed Assets	18.11	4.45
4	Leave Encashment	19.47	8.76
	Total	536.21	354.46
	Deferred Tax Liabilities		
1	Provision for diminution in value of securities	81.92	17.85
2	Depreciation on Fixed Assets	28.88	31.97
3	Accrued interest on securities	457.11	326.33
	Total	567.90	376.15
	Net Deferred Tax Liability	**31.69**	**21.69**
	Net Deferred Tax Asset		**-**

15. The figures of the previous year have been regrouped / rearranged wherever considered necessary.

SIGNATORIES TO SCHEDULES 1 TO 18

(A.S.PARIKH) ASST.GENERAL MANAGER	(MAYANK MEHTA) GENERAL MANAGER

(K.SUBRAHAMANYAM) EXECUTIVE DIRECTOR	(S.K.JAIN) EXECUTIVE DIRECTOR	(D.SARKAR) CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
(DR.A.BHATTACHARYA) DIRECTOR	(CHANDAN SINHA) DIRECTOR	(S.K.MISHRA) DIRECTOR
(B.N.BHATTACHARJEE) DIRECTOR	(N.SHANKAR) DIRECTOR	(DR.ATUL AGARWAL DIRECTOR
(D.CHATTERJI) DIRECTOR	(G.K.LATH) DIRECTOR	(DR.R.H.DHOLAKIA) DIRECTOR
(SMT. ANUSUIYA SHARMA) DIRECTOR		

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

FOR G.S. MATHUR & CO CHARTERED ACCOUNTANTS FIRM REGN NO.008744N	**FOR PRICE PATT & CO** CHARTERED ACCOUNTANTS FIRM REGN NO.002783S	**FOR SINGRODIA GOYAL & CO** CHARTERED ACCOUNTANTS FIRM REGN.NO.112081W
(RAJIV KUMAR WADHAWAN) PARTNER (M.NO.091007)	**(S. BALASUBRAMANIAN)** PARTNER (M.NO.25413)	**(K.V.S.SHYAM SUNDER)** PARTNER (M.NO.015747)
FOR JINDAL & CO CHARTERED ACCOUNTANTS FIRM REGN NO.000844N	**FOR SHAH GUPTA & CO** CHARTERED ACCOUNTANTS FIRM REGN NO.109574W	**FOR V.ROHATGI & CO** CHARTERED ACCOUNTANTS FIRM REGN.NO.000980C
(AKHIL JINDAL) PARTNER (M.NO.090515)	**(VIPUL K. CHOKSI)** PARTNER (M.NO.037606)	**(VANDANA RASTOGI)** PARTNER (M.NO.086956)

Mumbai,

Date: 09.05.2013

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2013

(₹. in lacs)

Sr. No.	Particulars	Year Ended 31.03.2013	Year Ended 31.03.2012
A	Cash flow from operating activities	18,105	(382,367)
B	Cash flow from investing activities	(33,066)	(23,526)
C	Cash flow from financing activities	65,697	(37,006)
		50,736	**(442,899)**
D	Cash and cash equivalents at the beginning of the year	1,570,384	2,013,283
E	Cash and cash equivalents at the beginning of the year	1,621,120	1,570,384
F	Total Cash Flow during the year (A+B+C) or (E-D)	**50,736**	**(442,899)**
	BREAK UP DETAILS		
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	Interest received during the year from advances, investments etc.,	2,501,547	2,070,761
	Other Income	286,974	231,697
Less :	Interest paid on deposits, borrowings etc. (excl. subordinated debts)	(1,695,502)	(1,360,782)
	Operating expenses including provisions and contingencies	(833,004)	(748,289)
Add :	Adjustment for depreciation	15,550	14,645
I.	Cash profit generated from operations	**275,565**	**208,032**
II.	Cash flow from operating assets & liabilities		
	[increase/(decrease)]in liabilities		
	Deposits	4,090,504	2,031,523
	Borrowings	528,779	459,351
	Adjustment for Deferred Tax Assets/Liability	1,041	(1,238)
	Other liabilities etc. (including write back of excess provision made in earlier years)	30,137	(5,155)
	Decrease/(Increase) in Assets		
	Advances	(3,022,034)	(2,689,601)
	Investments	(1,870,451)	(470,467)
	Others	(15,436)	85,188
	Cash flow from operating assets & liabilities	**(257,460)**	**(590,399)**
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (I+II)	**18,105**	**(382,367)**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	Sale/disposal of fixed assets	4,255	4,564
	Purchase of fixed assets	(37,321)	(28,090)
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	**(33,066)**	**(23,526)**
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	Dividend 2011-12	(44,044)	
	Dividend Tax 2011-12	(7,238)	
	Dividend 2010-11		(41,947)
	Dividend Tax 2010-11		(6,859)
	Proceeds of subordinated debts - Tier II Capital	60,000	
	Interest on Tier II Capital	(53,216)	(52,715)
	Subordinate Upper Tier II Capital		
	Perpetual Bonds	(39)	
	Interest on PNCPS	(1,055)	(515)
	PNCPS		
	Share Capital from GOI/LIC	111,289	65,030
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	**65,697**	**(37,006)**

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2013

(₹. in lacs)

Sr. No.	Particulars	Year Ended 31.03.2013	Year Ended 31.03.2012
D	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
	Cash and Balances with RBI (including FC notes)	1,163,369	1,764,484
	Balances with banks and Money at call	407,015	248,799
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	**1,570,384**	**2,013,283**
E	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
	Cash and Balance with RBI (including FC notes)	1,076,322	1,163,369
	Balances with banks and Money at call	544,798	407,015
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	**1,621,120**	**1,570,384**

(K. SUBRAHAMANYAM)
EXECUTIVE DIRECTOR

(S. K. JAIN)
EXECUTIVE DIRECTOR

(D.SARKAR)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

AUDITORS CERTIFICATE :

We, the undersigned Statutory Auditors of the Union Bank of India, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2013. The statement has been prepared in accordance with the requirements of the clause 32 of the listing agreement with the Stock Exchange and is based on and in agreement with the corresponding Profit & Loss Account and the Balance Sheet of the Bank covered by our report of the 9th May, 2013 to the members.

FOR G.S. MATHUR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.008744N

(RAJIV KUMAR WADHAWAN)
PARTNER (M.NO.091007)

FOR PRICE PATT & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.002783S

(S. BALASUBRAMANIAN)
PARTNER (M.NO.25413)

FOR SINGRODIA GOYAL & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.112081W

(K.V.S.SHYAM SUNDER)
PARTNER (M.NO.015747)

FOR JINDAL & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.000844N

(AKHIL JINDAL)
PARTNER (M.NO.090515)

FOR SHAH GUPTA & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN NO.109574W

(VIPUL K. CHOKSI)
PARTNER (M.NO.037606)

FOR V.ROHATGI & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FIRM REGN.NO.000980C

(VANDANA RASTOGI)
PARTNER (M.NO.086956)

Place : MUMBAI
Date : 9th May, 2013

RISK MANAGEMENT

Disclosure under the New Capital Adequacy Framework

Guidelines - Basel II (Pillar 3) – March 2013

Disclosures in this report pertain to Union Bank of India (Solo). The Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) of the bank is as under:

CRAR %	11.45%
CRAR – Tier 1 Capital %	8.23%
CRAR – Tier 2 Capital %	3.22%

Table DF-1

1. Scope of Application

Qualitative Disclosures

Union Bank of India is one of the top Public Sector Banks in India. The bank holds 51% shareholding as a subsidiary business in Union KBC Asset Management Company Pvt. Ltd. The company has launched nine new funds during the year Fy-2012-13 under Liquid, Equity and Debt Funds.

The Bank has sponsored 1 RRB "Kashi Gomati Samyut Gramin Bank" in Varanasi. Bank's investments by way of share capital plus share capital deposit in this RRB is ₹ 15.96 crs. The said RRB is profit making and is working satisfactorily. There is no capital deficiency in this RRB. The financials of this RRB is not consolidated with the balance sheet of the bank.

Quantitative Disclosures

The Bank has entered into joint venture agreement for insurance, which is furnished below and the investment in the joint venture is not deducted from the capital funds of the bank but is assigned risk weights as an investment as the investment is less than 30% of paid up capital of the company.

- Star Union Dai-ichi (SUD) Life Insurance Co., with 26% in the paid-up capital (Bank of India 48% & Dai-ichi Mutual Life insurance, Japan – 26%).

Details of Star Union Dai-ichi (SUD) Life Insurance Co. Ltd.

Name of the Company :	**Star Union Dai-ichi (SUD) Life Insurance Co. Ltd.**
Country of Incorporation :	India
Proportion of ownership interest :	26%
Proportion of Voting Power :	25% (viz. 2 votes)
Authorised Capital of SUD Life Insurance : Co.Ltd	₹.250.00 crs
Paid up Capital :	₹.250.00 crs
Union Bank's share in paid up : capital (viz.26%)	₹. 65.00 crs

Further, the Bank has entered into joint venture with KBC Asset Management Co., Belgium for Mutual Fund business and the investment amount in this company is deducted from the capital funds (50% from Tier 1 capital and 50% from Tier 2 capital) of the bank as the investment is more than 30% of paid up capital of the company.

Under the same, an asset management and a trustee company has been formed. The details of the companies are furnished as under:

Details of Union KBC Asset Management Company Ltd.

Name of the Company :	**Union KBC Asset Management Company Ltd.**
Country of Incorporation :	India
Proportion of ownership interest of Union Bank :	51%
Proportion of Voting Power :	50% (viz. 2 votes)
Authorised Capital of Union KBC Asset Management : Co. Pvt. Ltd	₹.100.00 crs
Paid up Capital :	₹.95.00 crs
Union Bank's share in paid up : capital (viz.51%)	₹. 48.45 crs

Details of Union KBC Trustee Company Ltd.

Name of the Company :	Union KBC Trustee Company Ltd.
Country of Incorporation :	India
Proportion of ownership interest of Union Bank :	51%
Proportion of Voting Power :	50% (viz. 1 vote)
Authorised Capital of Union KBC Trustee : Co. Pvt. Ltd	₹.5 lakhs
Paid up Capital of Union KBC Trustee Co. Pvt. Ltd	₹.5 lakhs
Union Bank's share in paid up : capital (viz.51%)	₹.2.55 lakhs

Table DF-2

2. Capital Structure

Qualitative Disclosures

2.1 **Equity Capital:**

2.1.1. The bank has authorized share capital of ₹ 3000.00 crore. As on 31st March 2013, the bank has issued, subscribed and paid up equity capital of ₹ 596.79 crore, constituting 59,67,94,209 number of shares of ₹ 10/- each. 57.89% shareholding constituting 34,54,59,689 number of shares is with the Government of India as of 31.03.2013. During the year, the bank has allotted 4,62,45,174 equity shares of the face value or ₹ 10/- each for cash at a premium of ₹ 230.89 to Government of India on preferential basis aggregating to ₹ 1114.00 crore. Consequently the Government share holding has increased from 54.35% to 57.89%. The bank's shares are listed on the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE).

2.2 **Debt Capital Instruments:**

2.2.1. Bank has issued Innovative Perpetual Bonds (Tier 1 capital) and also other bonds eligible for inclusion in Tier 2 capital. Some of the important terms of the bonds are as under:

a. Perpetual Unsecured Non-Convertible Subordinated bonds in the nature of promissory notes (Tier 1 bonds)

Series	Date of Allotment	Bond Amount (₹ in crs)	Coupon Rate % (p.a.)	Tenor	Call Option	Put Option
X-Ist TRANCHE	10.10.2006	300.00	9.45 with step upto 9.95% after 10th yr, if call option not exercised	Perpetual	End of 10th Yr.	None
XI-2nd TRANCHE	12.12.2007	200.00	9.90 with step upto 10.40% after 10th yr, if call option not exercised	Perpetual	End of 10th Yr.	None
XII	09.09.2008	200.00	11.15 with step upto 11.65% after 10th yr, if call option not exercised	Perpetual	End of 10th Yr.	None
XII	30.03.2009	140.00	9.10 with step upto 9.60% after 10th yr if call option not exercised	Perpetual	End of 10th Yr.	None
XIV-A	16.06.2009	200.00	8.85 upto 10th yrs step up to 9.35% after 10th yr, if call option not exercised	Perpetual	End of 10th Yr.	None
	Total	1040.00				

b. Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated bonds in the nature of promissory notes (Upper tier 2 bonds) with call option at the end of 10th year

Series	Date of Allotment	Bond Amount (₹ in crs)	Coupon Rate% (p.a.)	Maturity Date	Call Option	Put Option
X-IIND TRANCHE Upper tier II	16.10.2006	750.00	8.95% with step up to 9.45% after 10th yr, if call option not exercised	16.10.2021	End of 10th Yr.	None
XIV-B Upper tier II	25.06.2009	500.00	8.65% up to 10th yrs step up to 9.15% after 10th yr, if call option not exercised	25.06.2024	End of 10th Yr.	None
XIV-C Upper tier II	27.01.2010	500.00	8.55% up to 10th yrs step up to 9.05% after 10th yr, if call option not exercised	27.01.2025	End of 10th Yr.	None
XV-A Upper tier II	28.06.2010	500.00	8.48% up to 10th yrs step up to 8.98% after 10th yr, if call option not exercised	28.06.2025	End of 10th Yr.	None
	Total	2250.00				

c. Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated bonds in the nature of promissory notes (Lower Tier 2 bonds)

Series	Date of Allotment	Bond Amount (₹ in crs)	Coupon Rate % (p.a)	Maturity Date	Call Option	Put Option
VI	03.09.2003	250	5.95%	03.05.2013	None	None
VII	08.02.2005	450	7.15%	08.05.2015	None	None
VIII	23.09.2005	600	7.45%	23.04.2015	None	None
IX	19.05.2006	200	8.33%	19.05.2016	None	None
XI- Ist Tranche	12.12.2007	400	9.35%	12.04.2018	None	None
XII	17.09.2008	400	10.95%	17.09.2018	None	None
XII	23.12.2008	200	9.50%	23.12.2018	None	None
XII	30.12.2008	200	8.60%	30.12.2018	None	None
XVI-B	28.12.2012	800	8.90%	28.12.2022	None	None
TOTAL		**3500**				

d. Total Active Bonds

(₹ in crs)

TOTAL ACTIVE BONDS (a+b+c)	**6790**

Quantitative Disclosures

2.3 The **tier 1 capital** of the bank comprises:

(₹.in crs)

i)	Paid up share capital	707.79
ii)	Reserves (excluding revaluation reserves)	15092.63
iii)	Innovative Perpetual Bonds	1040.00
iv)	Other Capital Instruments	--
Deductions		
v)	Investment in Associates (50%)	7.98
vi)	Equity Investment in subsidiaries (50%)	24.24
vii)	Intangible Assets:(Deferred Tax Assets +Computer Software)	22.96
Tier I Capital (i + ii + iii + iv -v -vi-vii)		16785.24

2.4 The **amount of Tier 2 capital** (net of deductions) is ₹ 6555.61 Crores.

2.4.1. The debt capital instruments eligible for inclusion in Upper tier 2 capital are:

(₹.in crs)

Total amount outstanding	2250.00
Of which amount raised during the current year	Nil
Amount eligible to be reckoned as capital funds	2250.00

2.4.2. The subordinated debts eligible for inclusion in Lower Tier II capital is :

(₹.in crs)

Total amount outstanding	3500.00
Of which amount raised during the current year	800.00
Amount eligible to be reckoned	2540.00

2.5 Any other deduction from capital, if any: Nil

2.6 The total eligible capital comprises:

(₹.in crs)

Tier – I Capital	16785.24
Tier – II Capital	6555.61
Total Capital Funds	23340.85

Table DF-3

3. Capital Adequacy

Qualitative Disclosures

3.1. Bank maintains capital as a cushion towards the risk of loss in value of exposure, businesses, etc., to protect the interest of stake holders, more particularly, depositors.

3.2. Bank has system in place for assessing the capital requirements based on current and future business activities and monitoring the same on an ongoing basis. The bank considers that capital availability is the central theme in the whole process and its computation is relatable to policy, strategy, business level/composition, and Supervisory concern and Disclosure issues. Towards this, bank has evolved a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) framework and carries out capital calculation under Pillar-2 also of Basel-II at periodical intervals besides Pillar-1 Capital calculation. The bank has formulated Stress Testing policy to measure impact of adverse stress scenarios on the adequacy of capital at periodical intervals.

3.2.1 In line with RBI guidelines, the bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework – Basel II.

- Standardised Approach for credit risk
- Basic Indicator Approach for operational risk
- Standardised Duration Approach for market risk

3.2.2 Bank plans capital requirements and reviews the same on quarterly basis. Bank has done capital assessment upto 2013.

Quantitative Disclosures

3.2.3 A summary of the bank's capital requirement for credit, market and operational risk and the capital adequacy ratio as on 31st March 2013 is given as hereunder:

(₹.in crs)

A.	Capital Requirements for Credit Risk: - Portfolios subject to Standardized Approach @ 9% - Securisation Exposures	16203.06 Nil
B.	Capital Requirements for Market Risk • Standardized Duration Approach - Interest Rate Risk - Foreign Exchange Risk (including gold) - Equity Risk	 629.57 12.15 350.42
C.	Capital Requirements for Operational Risk • Basic Indicator Approach (RWA – 12868 crs @ 9%)	1158.12
D.	Capital Adequacy Ratio of the Bank (%)	11.45%
E.	Tier 1 CRAR (%)	8.23%

General Qualitative disclosures

3.3. Risk Management: Objectives and Organization Structure

The bank has a credible and comprehensive risk management structure and taken various initiatives to strengthen the risk management practices. The Bank has an integrated approach for management of risk. The risk management policies are commensurate with the business requirements and are as per the guidelines of Reserve Bank of India. The risk management system encompasses the different types of risks viz. credit risk, market risk and operational risk.

The bank has also formulated board approved country specific risk policy for their overseas branches i.e. Hong Kong and Dubai branch and the policies are drawn based on the risk dimensions of Hong Kong and Dubai economy and the bank's risk appetite.

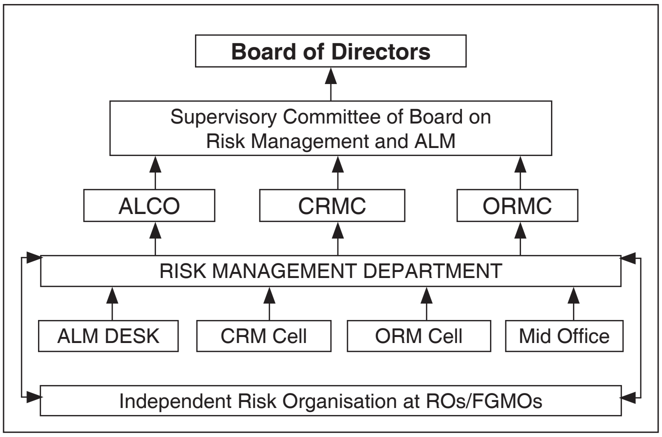

The Board of Directors of the Bank has an oversight of Risk Management activities of the Bank. The Bank's Supervisory Committee of Directors on Risk Management is the Apex Body/Committee to oversee various Risk Management activities. The Bank also has separate Committees of Top Executives i.e., Credit Risk Management Committee (CRMC), Asset & Liability Committee (ALCO) and Operational Risk Management Committee (ORMC) to deal with Credit, Market and Operational Risk respectively. Further, the bank has Risk Management organizational structure in place not only at corporate office but also at Regional Offices/Field General Manager's Offices. The broad risk management organizational structure of the bank is furnished as under:

3.3.1. Credit Risk:

Credit Risk Governance

- Credit Risk covers the inability of a borrower or counterparty to honour commitments on due date in respect of payment of interest and installments.
- The Bank is exposed to Credit Risk through Lending and Investment activities.
- Bank has well laid down Loan Policy, Credit Risk Management Policy, Real Estate Policy and Credit Risk Mitigation (CRM) Techniques & Collateral Management Policy which covers guidelines on the entire gamut of Credit Risk Management Process. Loan Policy & Credit Risk Management Policy, spells out the target markets, risk acceptance/avoidance, risk tolerance, preferred levels of diversification and concentration, credit risk measurement, monitoring and controlling mechanisms.
- Bank has an appropriate and independent organizational structure with an oversight mechanism for management of credit risk, which includes Credit Risk Management Committee (CRMC) of Top Executives and a separate Risk Management Department looking after the Credit Risk. Besides, there is a separate Board Level Committee i.e., Supervisory committee of the Board to oversee the functioning of Risk Management and ALM.
- CRMC deals with issues relating to credit policy, procedures and control measures for credit risk on a Bank-wide basis.

Credit Granting Process

- Loan Policy of the bank covers in detail guidelines on credit granting process which among other things include
  - Thrust area and non thrust area
  - Due diligence criteria
  - KYC norms
  - Method of assessment of finance
  - Minimum credit standards
  - Take over code norms, etc.

Credit Monitoring System

- Credit monitoring is a continuous process. Bank has separate policy on credit monitoring which includes guidelines on:
  - Identification of EAS/SMA accounts and triggers points for initiating timely action.
  - Periodicity of review of the borrowal accounts based on credit quality. Borrowers with lower credit rating are subject to more frequent reviews.
  - Submission of periodical monitoring reports.
  - Different hierarchical levels for monitoring.

Credit Rating Framework

- Bank has comprehensive internal credit rating/ scoring models being applied in the Credit Administration and Approval process. Credit rating framework is a combination of quantitative and qualitative aspects. Credit Rating depicts credit quality and predicts probability of default.
- Credit Rating models are in place for Credit Rating of Borrowers, Non-SLR Investments, Inter Bank Exposures and Exposure to NBFC.
- Credit scoring models are in place for retail lending schemes.
- Independent assignment of Credit Rating is in place. The Credit Rating is reviewed annually and for high-risk credits half-yearly.
- There are 8 risk rating grades in standard category and upto Credit Rating-5 is fixed as 'investment grade'.
- The bank carries out analysis on rating wise distribution of borrowers on obligor basis and portfolio basis at periodical intervals and monitors the same.

Credit Grid System

- Bank has established comprehensive Credit Grid System at Regional Offices/Field General Manager's Offices and Central Office to examine all credit exposures with representative of risk management department.
- As per the government guidelines and as per the Board approved, Bank has introduced Credit Approval Committee (CAC) at Regional Offices, FGMO and Central Office for credit sanction. Risk Management is represented in all CACs.

Credit Concentration Risk

- Credit concentration is addressed with the following measures :
- The bank has fixed prudential / regulatory ceilings for various categories of advances for diversifying the credit portfolio. The bank has well diversified credit portfolio.
- Bank monitors the adherence to the exposure ceilings on a quarterly basis. Bank also has a well-established system of monitoring large exposure through monthly monitoring report. The credit portfolio of the bank is well diversified so as to reduce concentration in any area. If bank's portfolio falls below the desired degree of diversification, immediate steps are initiated to shift risk away from individual group exposure/industry/sector, etc.
- Credit Risk appetite of the Bank is defined through Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) by fixing ceilings limits for various parameters. They are monitored on quarterly basis the assessment of ICAAP.

Risk Profiling

- Bank also compiles a Credit Risk Profile Template (RPT) on a quarterly basis, by which it assesses the level and direction of inherent business risks, internal control risk and resultant net credit risk.
- The bank also has ceiling fixed for single borrower / group borrowers.
- Substantial exposure limits
- Exposure to sensitive sectors i.e., capital market/ Real Estate and NBFC.
- Unsecured advances and guarantees
- Exposure to top 20 borrowers
- Exposure to industries/sectors
- Geography wise exposure
- Off balance sheet credit exposure.

3.3.2. Market Risk

- Market Risk Management is covered in Treasury Policy and ALM Policy.
- There is a clear-cut separation between front office, back office and mid-office in Treasury operations.
- Mid-office directly reports to the Risk Management Department.
- Various Limits for domestic and foreign exchange operations, e.g. Overnight Position limit, Daylight Open Position limit, VaR limits, Deal size limits, Stop Loss limits, Aggregate Gap Limit (AGL), Individual Gap Limit (IGL), counterparty limits etc. are in place.
- Value at Risk (VaR) is being monitored on AFS G-sec, equity Portfolio and forex transactions on a daily basis.

3.3.2.1 Interest Rate Risk In banking Book:

- Bank carries out Duration Gap Analysis (DGA) to capture impact of changes in interest rates by 200 bps on market value of equity in terms of RBI Guidelines.

3.3.3. Operational Risk

- A well laid down board approved Operational Risk Management Policy is in place.
- Presently, Operational Risk is managed through Internal Control System, Internal Audit Process.
- New Product Approval Process is in place.
- Analysis of frauds is done from the angle of operational risk to assess the adequacy and efficacy of internal controls.
- Guidelines for mapping bank's activities and income are in place.
- Bank conducts Risk and Control Self Assessment (RCSA) in respect of various products/ process.
- Since internal Operational Risk (OR) Loss Data points are limited in number, bank has agreed in principle to join external data pooling exercise of IBA.

Table DF-4

Qualitative Disclosures

4. Credit Risk - General Disclosures

4.1. Overdue: Any amount due to the bank under any credit facility is "overdue" if it is not paid on the due date fixed by the bank.

4.2. An impaired Asset: An impaired asset is a loan or an advance when it ceases to generate income for the bank. A Non Performing Asset (NPA) is a loan or an advance where:

a) Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.

b) The account remains out of order in respect of an overdraft/cash credit (OD/CC):

- if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power.
- In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period.

c) In case of bills purchased & discounted, if the bill remains overdue for a period of more than 90 days.

d) In case of Crop Loans

1. The installment of principal or interest thereon, remains overdue for two crop seasons in case of short duration crop.
2. Installment of principal or interest there on, remains overdue for one crop season in case of long duration crop.

e) If interest charged (including monthly interest) during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

f) Any amount to be received remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.

4.3. Credit Risk Management Policy: Bank has board-approved Credit Risk Management Policy besides Loan Policy. While Loan Policy covers business issues, Credit Risk Management Policy deals with risk issues.

Credit Risk Management Policy covers guidelines on:

- Credit Risk Rating framework and pricing
- Credit Grid Approach,

- Prudential/Regulatory ceilings, such as industry wise exposure, sensitive sector exposure (capital market/ real estate exposure),
- Loan review mechanism,
- Portfolio management,
- Off-balance sheet exposure,
- Problem loan management,
- Basel II implementation, etc.

Quantitative Disclosures

4.4 The total gross credit risk exposures are:

(₹. in Crores)

Category	Amount
Fund Based	211911
Non Fund Based	35099
TOTAL	247010

4.5 The geographic distribution of exposures is:

(₹. in Crores)

	Overseas	Domestic
Fund Based	13017	198894
Non-fund based	652	34447
Total	13669	233341

4.6. Industry type distribution of exposures (Fund Based) is as under:

[₹ in crores]

Sr. No.	Code	Industry	31.03.2013	
			(₹ In crs)	Exposure %
1	1	Coal	51.84	0.02
2	2	Mining	354.49	0.17
3	3	Iron and Steel	7996.78	3.77
4	4	Other Metal & Metal Products	4168.69	1.97
5	5	All Engineering	3292.39	1.55
6	6	Electronics	150.94	0.07
7	7	Cotton Textiles	2247.62	1.06
8	8	Jute Textiles	32.08	0.02
9	9	Other Textiles	3587.95	1.69
10	10	Sugar	1765.77	0.83
11	11	Tea	209.80	0.10
12	12	Food Processing	3445.00	1.63
13	13	Vegetable Oils & Vanaspati	687.77	0.32
14	14	Tobacco & Tobacco Products	39.58	0.02
15	15	Paper & Paper Products	672.01	0.32
16	16	Rubber & Rubber Products	1040.50	0.49
17	17	Chemicals, Dyes, Paints etc.	3844.63	1.81
		of which Fertilizers	(958.72)	(0.45)
		of which Petrochemicals	(155.03)	(0.07)
18	18	Cement	1187.59	0.66
19	19	Leather & Leather Products	275.08	0.15
20	20	Gems and Jewellery	3919.29	2.16
21	21	Construction	2987.94	1.65
22	22	Petroleum	5241.25	2.90
23	23	Automobiles including Trucks	1194.08	0.66
24	24	Computer Software	1077.07	0.59
25	25	Infrastructure	34722.87	19.18
26	26	NBFCs	15035.70	8.31
27	27	Other Industries	2211.27	1.22
		TOTAL	**101439.98**	**47.87**
28	28	Residuary Other Advances	110471.02	52.13
		Grand Total	**211911.00**	**100.00**

Industry type distribution of exposures (Non-Fund Based) is as under:

(₹ in Crores)

Sr. No.	Code	Industry	31.03.2013	
			(₹ In crs)	Exposure %
1	1	Coal	28.65	0.08
2	2	Mining	37.21	0.11
3	3	Iron and Steel	1835.26	5.23
4	4	Other Metal & Metal Products	680.47	1.94
5	5	All Engineering	1282.16	3.65
6	6	Electronics	27.29	0.08
7	7	Cotton Textiles	201.87	0.58
8	8	Jute Textiles	0.01	0.00
9	9	Other Textiles	609.34	1.74
10	10	Sugar	9.04	0.03
11	11	Tea	5.70	0.02
12	12	Food Processing	320.49	0.91
13	13	Vegetable Oils & Vanaspati	231.11	0.66
14	14	Tobacco & Tobacco Products	24.26	0.07
15	15	Paper & Paper Products	20.82	0.06
16	16	Rubber & Rubber Products	226.83	0.65
17	17	Chemicals, Dyes, Paints etc.	443.26	1.26
		of which Fertilizers	(2.75)	0.02
		of which Petrochemicals	(23.59)	0.07
18	18	Cement	56.59	0.16
19	19	Leather & Leather Products	75.78	0.22
20	20	Gems and Jewellery	297.89	0.85
21	21	Construction	1801.66	5.13
22	22	Petroleum	30.22	0.09

Sr. No.	Code	Industry	31.03.2013	
			(₹ In crs)	Exposure %
23	23	Automobiles including Trucks	1517.16	4.32
24	24	Computer Software	140.74	0.40
25	25	Infrastructure	2506.61	7.14
26	26	NBFCs	110.00	0.31
27	27	Other Industries	3136.84	8.94
		TOTAL	**15657.26**	**44.61**
28	28	Residuary Other Advances	19441.74	55.39
		Grand Total	**35099.00**	**100.00**

4.7. **The residual contractual maturity break down of assets is:**

(₹ in Crore)

Maturity Pattern	Net Advances	Net Investments	Foreign Currency Assets
Next day	3398.51	666.86	1878.10
2 - 7 days	6295.10	749.84	1271.04
8 -14 days	2856.04	543.54	696.00
15- 28 days	8018.79	125.00	2449.90
29days - 3months	24002.69	1909.83	5124.71
>3months-6months	22114.91	2407.04	5650.68
>6months-1yr	28103.93	2127.02	1393.07
>1yr-3yrs	70920.40	11454.39	1695.71
>3yrs-5yrs	21003.55	11290.60	2242.55
>5yrs	21388.27	49556.33	1572.75
Total	208102.19	80830.45	23974.51

4.8 The gross NPAs are:

Category	(₹. in Crores)
Sub Standard	3090
Doubtful – 1	1832
Doubtful – 2	1187
Doubtful – 3	133
Loss	72
Total NPAs (Gross)	6314

4.9. The amount of net NPAs is ₹ 3353 Crores.

4.10 The NPA ratios are as under:

- Gross NPAs to Gross Advances: 2.98 %
- Net NPAs to Net Advances: 1.61 %

4.11 The movement of gross NPAs is as under:

(₹ in Crores)

i)	Opening Balance at the beginning of the year	5449.86
ii)	Addition during the year	3973.75
iii)	Reduction during the year	3109.78
iv)	Closing Balance as at the end of the year (i + ii - iii)	6313.83

4.12 The movement of provision for NPAs is as under:

(₹ in Crores)

i)	Opening Balance at the beginning of the year	2350.35
ii)	Provisions made during the year	1555.52
iii)	Write-off made during the year / Write –back	1088.25
iv)	Closing Balance as at the end of the year (i + ii - iii)	2817.62

4.13. The amount of non-performing investment is ₹ 47.63 cr.

4.14. The amount of provisions held for non-performing investment is ₹ 44.33 cr.

4.15 The movement of provisions for depreciation on investments is as under:

(₹ in Crore)

i)	Opening balance at the beginning of the year	160.67
ii)	Provisions made during the year	243.96
iii)	Write-off made during the year / Write-back	46.50
iv)	Closing balance as at the end of the year (i + ii –iii)	358.13

Table DF-5

Qualitative Disclosures

5. Credit Risk: disclosures for portfolios subject to the standardized approach

5.1. Bank has approved the following 5 domestic credit rating agencies accredited by RBI for all eligible exposures.

- CRISIL
- CARE
- FITCH India
- ICRA
- BRICK WORK

5.1.1. Bank has also approved the following 3 international credit rating agencies identified by RBI.

- Standard & Poor
- Moody's
- FITCH

5.2. Corporate borrowers and Public Sector Enterprises are being encouraged to solicit ratings from approved external rating agencies. The ratings available in public domain are mapped for the purpose of calculation of risk-weighted assets as per RBI guidelines on mapping.

Quantitative Disclosures

5.3. The exposure amounts after risk mitigation (subject to the standardized approach) in different risk buckets are as under:

(₹ in crore)

i)	Below 100% risk weight exposure outstanding	185518.80
ii)	100% risk weight exposure outstanding	84467.16
iii)	More than 100% risk weight exposure outstanding	29775.58
Total		299761.54

Table DF-6

6. Credit Risk Mitigation: disclosures for standardized approaches

Qualitative Disclosures

6.1. Bank has board approved policy on Credit Risk Mitigation (CRM) Techniques & Collateral Management, which covers guidelines for selection of collaterals, risk in collaterals, valuation and inspection of collaterals, eligible financial collaterals, guarantees and RBI stipulated haircuts.

6.2. The main types of collaterals taken by the bank are as under:

6.2.1. Eligible financial collaterals recognized as Credit Risk Mitigants under the Standardised Approach as per RBI guidelines on New Capital Adequacy Framework (NCAF),

- ✓ Cash or cash equivalent (bank deposits/ NSCs / KVP/LIC Policy, etc),
- ✓ Gold
- ✓ Securities issued by Central / State Governments
- ✓ Debt securities rated BBB- or better/PR3/P3/F3/ A3 for short term debt instruments

6.2.1.1. Bank reduces its credit exposure to a counter party with the haircut-adjusted value of eligible financial collaterals to factor risk mitigation effect of the collaterals.

6.2.2. Movable and immovable assets/landed properties etc.

6.2.3. The guarantees include guarantees given by corporate, bank and personal guarantees. This also includes advances guaranteed by ECGC, CGFTI and State / Central Governments, etc.

Quantitative Disclosures

6.4. Under the standardised approach for credit risk, the total credit risk exposure, after giving effect to eligible financial collateral of ₹ 27424.52 crs, is ₹ 299761.54 crores. The Risk portfolio wise break up of eligible financial collateral is as follows:

(₹.in crore)

Risk_portfolio	Mitigants (In Crores)	% Contribution
Claims On Domestic Sovereign	1.76	0.01%
Claims On Banks	94.14	0.34%
Calaims On Foreign Banks	0.27	0.00%
Claims On Public Sector Enterprises	251.66	0.92%
Claims On Corporate	14796.67	53.95%
Claims On Regulatory Retail	7726.54	28.17%
Claims Secured By Residential Property	16.09	0.06%
Claims Secured By Commercial Real Estate	112.80	0.41%
Non Performing Assets	46.33	0.17%
Consumer Credit Including Personal Loans & Credit Card Receivables	1911.83	6.97%
Capital Market Exposures	384.72	1.40%
Claims On Nbfcs	1.74	0.01%
Staff Advances	50.33	0.18%
All Other Assets	2029.64	7.40%
Grand Total	27424.52	100.00%

6.5. Under the Standardised approach for Credit Risk, following is the break up of exposure covered by the eligible Guarantors:

(₹.in crore)

Guarantor Type	Risk Weight	Exposure Covered	Percentage Contribution
Claims guaranteed by Central Government/ CGTSI/DICGC	0%	1344.07	12.02%
Claims guaranteed by State Government/ ECGC	20%	9839.27	87.98%
TOTAL		11183.34	100.00%

Table DF-7

7. Securitisation: disclosure for standardized approach

7.1. At present, the bank's role in securitisation has been as an investor in securitized instrument.

Bank's outstanding in securitized instrument by way of investment as on 31.03.2013 is nil.

Table DF-8

8. Market Risk in Trading Book

Qualitative Disclosures

Market Risk is "the risk that value of 'on' or 'off' Balance Sheet positions which will be adversely affected by movements in equity and interest rate markets, caused by exchange rates and commodity/ asset prices".

The portfolios covered by the standardised approach for computation of market risk are as under:

- Securities Held under Held for Trading (HFT),
- Securities Held under Available for Sale (AFS),
- Equity portfolio held under HFT/AFS
- Trading position in Derivatives,
- Derivatives entered into for Hedging Trading Books exposures,
- Open Foreign Exchange Position & Open Gold Position.

The rest of the assets – i.e. Investments under Held to Maturity portfolio and advances – are treated as Banking Book. Brief description of the Market Risk Management objectives and policies are as below:

(a) **Strategies and Processes:**

Policies

Bank has well laid out Treasury Policy (covering Investment Portfolio, Foreign Exchange Operations & Derivative Operations), Asset Liability Management (ALM) Policy and Market Risk Management Policy in place duly approved by the Board. The policies ensure that operations in Securities, Equity, Foreign Exchange

and Derivatives are conducted in accordance with sound & acceptable business practices and are as per the extant Regulatory Guidelines, Laws Governing Transactions in Financial Instruments & Financial Markets. The policies are reviewed every year; and if required more frequently, to incorporate changes in Rules & Regulations by Regulatory Authorities / Government, Business Requirements and Economic Environment.

Liquidity Risk

Bank uses 'Cash-Flow Approach' & 'Stock Approach' for managing, monitoring & measuring liquidity risk. Liquidity Risk is tracked through maturity or cash flow mismatches. Use of maturity ladder and calculation of cumulative 'surplus' or 'deficit' of funds at selected maturity dates, known as 'time-buckets', is adopted as standard tool for measuring Liquidity Risk. Prudential limits on tolerance level of mismatches are in place and monitored on fortnightly basis. Under stock approach, various ratios / limits are in place e.g. – Call Borrowing, Inter-Bank Liabilities, Wholesale Deposits, Commitment Ratio, Purchased Funds to Liquid Assets Ratio etc. Stress tests are carried out at various levels of adversity. The Liquidity / Funds requirements under Stress Situations, sources of raising the funds & its possible impact on Profit & Loss are worked out at quarterly interval.

Wholesale Deposits are monitored on a daily basis. Short-term Dynamic Liquidity Statement is prepared and monitored on a fortnightly basis to assess the Liquidity Position, which takes into account the Business Growth.

Interest Rate Risk

Bank uses Traditional Gap Analysis (TGA) to assess the impact on the Net Interest Income (NII) of the bank in short run, i.e. upto end of Financial Year. Bank's investment portfolio is monitored on basis of duration analysis. VaR methodology is followed for dated securities under SLR and Equities. Prudential limits for VaR have been fixed and monitored on a daily basis and reported to the Top Management.

Bank also uses Duration Gap Analysis (DGA) to assess long-term impact of changes in interest rate on Market Value of Equity (MVE) in terms of RBI Guidelines.

Foreign Exchange Risk

The Bank has fixed various exposure limits such as Maximum Daylight Limit, Overnight Limit, Aggregate Gap Limit (AGL), Stop Loss Limit and Deal Size Limits. Bank has also fixed VaR limit on Foreign Exchange position which is being monitored on daily basis. Derivative transactions are monitored by fixing prudential limit for stop loss and a cap for PV01 on the outstanding derivatives for market making position.

Equity Price Risk

In terms of Banks' Treasury Policy, limits are in place with respect to Trading Book size in Equity, Deal size, Holding Period & Stop Loss Limits. These limits are monitored on a daily basis.

(b) **Structure and Organisation of Market Risk Management function:**

The Board of Directors approves policies covering management of Market Risk. The Board is supported by three levels:

- Supervisory Committee of ALM & Risk Management
- Asset Liability Management Committee
- General Manager (Risk Management Department)

(c) **Scope:**

Bank has put in place various limits to measure, monitor & manage market risk. Day Light Limits, Overnight Limits, Deal-size Limits, Aggregate Gap Limits (AGL), Individual Gap Limits (IGL), Stop Loss Limits, Trading Book size, Issuer wise Limits, VaR limits, NOOP limit, etc.

The limits are monitored on daily basis and a reporting system to the top management is in place.

Stress testing Framework for Liquidity & Market Risk is in place & stress tests are conducted on quarterly basis. The results are deliberated at ALCO & placed before the Board.

(d) Hedging & mitigating risk:

Policies for hedging Banks' position are laid down in the Bank's Treasury Policy. Hedge transactions for banking books are assessed/ reviewed at periodic intervals.

Quantitative Disclosures

Bank has adopted the Standardised Duration Approach as prescribed by RBI for computation of capital charge for market risk. The capital requirements for market risk are as under:

(₹ in Cr)

Risk Category	Capital Charge
Interest Rate Risk	629.57
Equity Position Risk	350.42
Foreign Exchange Risk (including gold)	12.15
Total capital charge for market risk under standardised duration approach	**992.14**

Table DF-9

9. Operational Risk

Qualitative Disclosures

Operational Risk Governance

- Operational Risk is the risk of losses resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events.
- Operational Risk exists at all levels and at all business lines.
- At present, operational risk is largely managed through internal controls and audit system.
- Bank has put in place the following measures to control / mitigate operational risk.
  - System of delegated authority covering credit and expenditure
  - Book of instructions and issuance of instructions through circulars from time to time
  - Continuous training process
  - Preventive vigilance
  - Insurance
  - Risk Based Internal Audit

- Outsourcing policy
- Compliance Policy
- Policy on Business Continuity

▪ Bank has well laid down Operational Risk Management Policy, which covers :

- Organisational structure
- Identification, assessment, monitoring and control of operational risk.
- Capital Charge for operational risk
- Reporting framework
- Guidelines on reporting and collection of Operational Risk Loss Data
- Policy on mapping of activities to 8 business lines

▪ Bank has an appropriate and independent organizational structure with oversight mechanism for management of Operational risk, which includes Operational Risk Management Committee (ORMC) of Top Executives and a separate Risk Management Department looking after the Operational Risk. Besides, there is a separate Board Level Committee i.e., Supervisory committee of the Board to oversee the functioning of Risk Management and ALM.

▪ ORMC deals with new product approval process, analysis of frauds, analysis of operational risk loss data, analysis of the exercise of mapping bank's activities and income into 8 business lines.

▪ The bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for operational risk.

▪ As per RBI directives, the bank has to maintain capital for operational risk under Basic Indicator approach (BIA) w.e.f.31.03.2013. The capital charge as per BIA is ₹ **1158.12** crores.

Risk Profiling

Bank compiles Operational Risk Profile Template (RPT) on a quarterly basis by which it assesses the level and direction of inherent risk, internal control risk and resultant net Operational Risk based on the following:

- People Risk
- Outsourcing Risk
- Process Risk
- Technology Risk
- Reputation Risk
- Event Risk

Table DF-10

10. Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

(a) **Qualitative Disclosures**

Interest rate risk is the risk where changes in market rates might adversely affect bank financial condition resulting in impact on earnings (Net Interest Income) and Bank's Net Worth. Bank holds assets, liabilities and off balance sheet items with different maturities or repricing dates and linked to different benchmark rates. This creates exposure to unexpected changes in level of interest rates.

Framework:

Bank has formed Asset Liability Management Committee (ALCO), headed by Chairman and Managing Director, which is responsible for evolving appropriate system and procedures for identification and analysis of liquidity/market risk and laid down ALM policy of the bank. The ALCO is assisted by a dedicated 'ALM Desk' and an independent 'Mid-Office'. Supervisory Committee of the Board of Directors on ALM and Risk Management oversees the functioning of ALCO and also implementation of the system for Asset Liability Management (ALM) and reviews its functions periodically and provides directions.

Traditional Gap Analysis (TGA) is used to measure and monitor Interest rate risk through Rate Sensitive Gap (RSG). Impact of changes in interest on Net Interest Income (NII) is computed. Limit on RSG upto 1 Year is fixed to limit impact of interest rate changes from earning perspective.

Interest rate sensitivity statement is prepared as on last day of each month. ALCO reviews the same on monthly basis. Impact of changes in broad categories of assets and liabilities, i.e. deposits, advances, investments and others upto the end of the financial year is worked out.

In terms of RBI guidelines, Bank also carries out Duration Gap Analysis (DGA) on monthly basis to capture impact of changes in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities in banking book and thereby on Market Value of Equity (MVE). The impact is worked out assuming 200 bps parallel shifts in yield curve.

(b) Quantitative Disclosures

The impact of earnings and economic value of equity assuming a percentage shift in interest rates is as under:

	Parameter		Impact
1	Earnings at Risk (NII):estimated impact on NII with adverse change in rate of interest by 0.50% (up to 1 year)	(Amt in ₹ Cr.)	306.39
2	Market value of Equity: 200 bps shock	(Amt in ₹ Cr.)	294.55
3	Drop in equity value	(%)	1.8669%

Capital Employed (₹.in crs)

Segment Assets	31.03.2013	% to total assets	Capital Allocated
Treasury Operations	99496.80	31.90%	7446.72
Retail Banking Operations	71773.92	23.01%	5371.83
Corporate/ Wholesale Banking	137558.28	44.11%	10295.39
Other Assets	3031.81	0.97%	226.91
Total	311860.81	100.00%	23340.85
Total Capital			23340.85

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT 2012-13

SECTION A:

GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

Union Bank of India (UBI) is one of the largest public sector banks of India catering to both individual and corporate customers across the country. The Bank's corporate office was inaugurated by Mahatma Gandhi, the Father of the nation in the year 1921. The Bank has delivered consistent growth and uninterrupted profit since the last nine decades. The Bank now operates through over 3511 branches and 4603 ATMs across the country. The Bank has two full-fledged international branches in Hong Kong, and at DIFC, Dubai. The Bank also has Representative Offices in Beijing, Shanghai, Abu Dhabi, Sydney and London.

The Bank is primarily engaged in providing Banking and Financial services to its customers and majority of the Bank's products and services fall under these three categories:

1. Deposits,
2. Loans and Advances and
3. Remittances and Collections.

The Bank's activities are covered under the activity code – 6419 under "Group K: Financial and Insurance Activities of National Industrial Classification (All Economic Activities) - 2008" published by Ministry of Statistics and Programme Implementation. The Bank has been a leader in infusion of technology and 100% of its branches are computerized. The Bank has also introduced Core Banking Solution with connectivity between branches and 100% of the business of the Bank is under Core Banking Solution.

IBA Banking Technology Awards 2012

Union Bank of India has won the award for '**Best Financial Inclusion Initiative**' instituted by Indian Banks' Association (IBA). Shri N.R. Narayana Murthy, Chief Mentor, Infosys Technologies, Chief Guest at the IBA Banking Technology Awards function, held at Mumbai gave away the award.

Best Technology Bank of the Year

Union Bank of India also won the award for 'Best Technology Bank of the Year', instituted by Indian Banks' Association (IBA). Shri N.R. Narayana Murthy, Chief Mentor, Infosys Technologies, Chief Guest at the IBA Banking Technology Awards function, gave away the Awards.

Other useful information about the Bank is:

Corporate Identity Number (CIN) of the Company	Not Applicable
Registered address	Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai 400021
Website	http://www.unionbankofindia.co.in
E-mail id	busresponsehead@unionbankofindia.com
Financial Year reported	2012-13

"Best Bank in Public Sector Technical Award" from NPCI

The Bank received the 'Best Bank in public sector category Award' from National Payments Corporation of India (NPCI) for operational excellence in national financial switch on parameters like dispute management, net work uptime, control on transaction declines, DR Drills etc.

SECTION B: FINANCIAL DETAILS OF THE COMPANY

The Bank's financials during the reporting year stood as:

- Paid Up Capital : ₹ 596.79 crores
- Net Worth : ₹ 15,777 crores
- Total Deposits : ₹ 2,63, 762 crores
- Gross Advances : ₹ 2,11,911 crores
- Profit After Tax (PAT) : ₹ 2158 crores

Corporate Social Responsibility

Union Bank of India believes that Corporate Social Responsibility (CSR) is directly linked to the core business of the bank which is a financial intermediary. It encompasses the initiatives taken by the Bank to add social, environmental and economic value in all its activities to make a positive, sustainable impact on both the society and the business. The Bank believes that businesses, civil society, government, and development agencies should work together to improve infrastructure and services whereby they can each use their core competencies to help overcome any obstacles.

The CSR initiatives of the Bank are carried through UNION BANK SOCIAL FOUNDATION Trust which was formed with its office at Bangalore on 2nd March, 2006. The aims and objectives of the Trust are to promote, assist, undertake and implement socio-economic development and such other welfare activities for the upliftment of the society with reference to bettering the lives of the people including small and marginal farmers, landless labourers, rural artisans, physically challenged, women, children, socially and economically backward classes, downtrodden and such sections of the society.

During the reporting year, the Bank's total spending on CSR activities was ₹ 75.55 lakhs. Some of the major causes the Bank has sponsored or supported include:

- Purchase of dialysis machines in Government hospital
- Sponsorship of mobile clinic vans and ambulances
- Sponsorship of bus for transporting school children
- Purchase of food distribution vehicles and vessels.
- Expansion of 50 bed to 100 bed hospital
- Financial assistance to the association of parents of mentally retarded children
- Financial assistance for setting up well-furnished classrooms for mentally challenged children
- Providing school van for mentally retarded children
- Setting up of a computer lab in a LP School
- Grant for "Shelter Home for orphans and street children"
- Grant to Cancer Aids Society.

Union Bank donates School Bus to ADAPT

The Bank donated a 36-seater School Bus to Spastic Society of India (now ADAPT) to commemorate 40th anniversary of ADAPT.

The Chairman & Managing Director, Shri D. Sarkar handed over the keys of the bus to Mrs. Mithu Alur, Founder Chairperson of ADAPT.

SECTION C: OTHER DETAILS

The Bank has two subsidiaries (Union KBC Asset Management Company Private Ltd and Union KBC Trustee Company Private Ltd), one joint venture (Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd) and one associate (Kashi Gomti Samyukt Gramin Bank).

The Bank's subsidiaries conduct their business in a responsible manner and the same is expected from the Bank's business partners. The Bank is committed to provide the necessary knowledge and support to its subsidiaries and business partners regarding business responsibility.

SECTION D: BR INFORMATION

Governance related to Business Responsibility

Director responsible for implementation of the BR policy/policies:

DIN Number	05103064
Name	S.K.Jain
Designation	Executive Director

Details of the BR head

DIN Number	Not Applicable
Name	Debajyoti Gupta
Designation	General Manager, Personal Banking & Operations Department, Central Office
Telephone number	022-22896600
e-mail id	dgupta@unionbankofindia.com

About Business Responsibility Report

Union Bank is publishing its first BR report in 2012-13, and will be reporting on its BR initiatives on an annual basis henceforth. The Sustainable Development and CSR Committee of the Bank is supposed to meet on a quarterly basis to assess the BR performance of the bank and take necessary actions.

The BR report of the Bank can be accessed in our website at the following link –

Main Page > About Us > Sustainable Development

Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N)

<table>
<tr><th></th><th></th><th colspan="9">Principles of National Voluntary Guidelines (NVG)</th></tr>
<tr><th>S No</th><th>Questions</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Do you have a policy/policies for the Principle/s</td><td colspan="9">YES</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?</td><td colspan="9">YES</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Does the policy conform to any national /international standards? If yes, specify? (50 words)</td><td colspan="9">YES
The Bank's Sustainable Development and Corporate Social Responsibility Policy is based on National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business as released by Ministry of Corporate Affairs, Government of India.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Has the policy being approved by the Board? If yes, has it been signed by the MD/owner/CEO/appropriate director</td><td colspan="9">YES
The Sustainable Development and Corporate Social Responsibility policy has been approved by the Board and signed by the Managing Director</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Does the company have a specified committee of the Board/ Director/Official to oversee the implementation of the policy?</td><td colspan="9">YES</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Indicate the link for the policy to be viewed online?</td><td colspan="9">Main Page > About Us > Sustainable Development</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?</td><td colspan="9" rowspan="3">YES</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Does the company have in-house structure to implement the policy/policies?</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Does the Company have a grievance Redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Has the company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?</td><td colspan="9">The Bank has recently formulated its Sustainable Development and Corporate Social Responsibility Policy and the implementation of the same would be monitored by the Sustainable Development and Corporate Social Responsibility Committee.</td></tr>
</table>

SECTION E: PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE

PRINCIPLE 1 - SOUND CORPORATE GOVERNANCE

The Bank has adopted a responsible and value-driven approach towards corporate governance. The Bank has always laid emphasis on the cardinal values of fairness, transparency and accountability for performance at all levels, thereby enhancing the stakeholders' value and protecting the interest of the stakeholders. The Bank is in its centenary decade and aims at being the best bank in customer experience that would also set the stage for a higher and profitable growth in the years to come. The Bank expects its employees to demonstrate honesty, integrity and fairness in all aspects of their business dealings and exercise appropriate standards of professionalism and ethical conduct in all their activities. The Bank also expects the same approach to doing business from its business partners and suppliers. The Bank does not tolerate bribery or corruption in any form and has a 'zero tolerance' approach to any breach of this policy.

In line with this, following policies are applicable to all the officers/ employees of the Bank:

- The Union Bank of India Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976
- The Union Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976.
- The Bipartite Settlement/ Joint Note signed between the Management of various Banks represented by the Indian Banks' Association and the Bank Employees represented by various Employees' Associations/ Officers' Federation.
- Sustainable Development and Corporate Social Responsibility policy

The Bank's institution of good corporate practices has won it several laurels and recognition in the past years. The bank was awarded with "Certificate of Recognition" for excellence in Corporate Governance by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) at the National Award Function for the years 2010-11 and 2011-12. The Bank had also been selected as one of the Top 25 companies in India for Excellence in Corporate Governance practices by ICSI partnering with Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India for the year 2008-2009.

PRINCIPLE 2 – SUSTAINABLE PRODUCTS AND SERVICES

The Bank has been playing a proactive role in the economic growth of India and it extends credit for the requirements of different sectors of economy. Industries, exports, trading, agriculture, infrastructure and the individual segments are sectors in which the bank has deployed credit to spur economic growth and to earn from a well diversified portfolio of assets.

Under its Financial Inclusion Plan, the Bank has delivered a lot of products and services which have a high social impact, as all such products and services directly cater to the needs of the under-privileged sections. The details of the Bank's products and services, projects and schemes under Financial Inclusion can be found on the Bank's corporate website.

Mobile Banking – U Mobile

Union Bank of India is the first Public Sector Bank to offer Mobile Banking which provides the customer the convenience of transferring funds even while on the move without having to physically visit any of the delivery channels.

It also provides the customer a saving in time and charges when compared to other modes of transfer.

Some of the other notable products having intrinsic benefit for the society/environment are as follows:

1. ATMs for Visually Challenged: The Bank has completed installation of 100 such ATMs and some of them are made available for physically challenged persons using wheel chair.

Talking ATMs for Visually Challenged

"Unveiling of Bank's Talking ATM"

The Bank has pioneered the concept of 'Talking ATMs' in India for persons with disabilities. This ATM enables visually challenged persons to do transactions on voice guidance and hence called 'Talking ATM'. The ATM site is so designed that physically challenged persons even on wheel chair can go inside and do transactions.

2. Loans to farmers for purchase of renewable energy equipments for agriculture and allied activities: Scheme to provide loans to farmers to install solar water pumping systems to harness solar energy for pumping water by water pump, solar water heating systems with necessary accessories for usage in Agro Processing Units and solar lighting systems for operating LED lights and small DC loads.

3. Bio-Metric ATMs for the rural population in Punjab.
4. All products and services catering to the needs of Micro, Small and Medium (MSMEs).
5. All products, services and schemes falling under Rural and Agri banking.

Sampurna ATMs
The Bank is making effort to convert its ATMs into a "one stop shop" for many banking services; it offers, among other services, National Electronic Funds Transfers (NEFT), Interbank Mobile Payment Service (IMPS), Union eCash, and facility of investments into its own mutual fund Union KBC AMC, at the ATMs.   The launch of multiple facilities through ATM is a part of bank's current initiative aimed at Customer Service Excellence and superior customer experience across all its channels.

In order to run its business operations, the Bank also consumes natural resources such as energy, water and thus, has an impact on the environment, but the impact is relatively very small when compared to other industries. Nevertheless, the Bank ensures to keep the impact of its operations as less harming as possible. The Bank strives to procure most of its consumables through locally based suppliers. The Bank also has lending schemes in place for upliftment of the capacity and capability of local and small venders. The rate of interest charged is relatively low and the repayment is fixed according to the cash generation capacity of the unit.

There is no significant generation of emissions/ wastes in carrying out of the Bank's operations. There is, nevertheless, a laid down policy of the Bank for the disposal of the old records after perforation and subsequently selling the same to paper industry for re-cycling. The percentage of recycling of product and waste falls in category above 10%.

PRINCIPLE 3 – EMPLOYEE PRACTICES

The Bank believes that its employees are the most critical factor for its success. A Bank can only be as good as its employees, hence, the Bank realizes the need for attracting and retaining highly dedicated and qualified people. The Bank has an attractive Promotion Policy including Fast Track Promotion to take care of the meritorious employees. The object of the policy is to provide wide exposure and motivation through the promotion system and ensure career movement for employees in the Bank.

The Bank strives hard to provide a lot of facilities, benefits and welfare measures to its employees so that they are able to maintain a good work-life balance. For example, the Bank is having a hospitalization scheme for the benefit of the employees and has a tie-up arrangement with many hospitals across the country. Employees can get admission and treatment in these hospitals and the bills are directly settled by the Bank. Excess amount over and above the eligible amount is recovered from the employee in due course. Employees can also apply for ex-gratia amount in respect of such excess amount. Likewise Bank is running about 24 welfare schemes grouped under five major categories viz. canteen subsidy, education, medical & hospitalization, retired employees and other welfare measures.

Some of the other measures include Health Camps, celebrations on account of Bank's Foundation Day, Hindi Divas, Independence Day, Republic Day, etc., Silver Jubilee Awards and Recognition to employees and their wards on account of excellence in Education, Sports, Cultural activities etc.

The Bank had initiated a Human Resource (HR) Transformation project couple of years back with an objective to align its HR strategy with the Business strategy, by benchmarking and adopting industry best practices. The HR transformation project having a three stage approach (Diagnostic, Design and Implementation) has yielded some notable results including streamlining of policies, processes and systems, implementation of objective Performance Management System (PMS), informed planning for manpower requirement, competency modeling and mapping etc.

As on 31st March 2013, the Bank had a total of 31,798 employees, out of which there were 6,136 women employees and 342 employees with disabilities.

The Bank also engaged 128 Customer Relationship Executives on contractual basis during the reporting year.

Respect for Human Rights

The Bank is committed to respecting and upholding human rights in all areas of its operations and within its sphere of influence. The Bank has never indulged in child labour, forced labour and involuntary labour and no stakeholder had any complaints regarding the same in the reporting year. The Bank has established the "Sexual Harassment Redressal Committee at work places" and has put in place adequate grievance redressal mechanism to address any related concerns. The Bank also respects the right of its employees to form groups/ associations and collectively voice their concerns. There are several employee associations out of which the Bank recognizes the ones which have the majority membership of the total strength. As on 31st March, 2013, 28549 employees accounting for 92.65% of the total employees including Officers were members of various employee / officer associations including the recognized associations.

Welfare of SC/ST Employees

Bank has appointed a senior executive of the rank of General Manager as Liaison Officer for SC/ST welfare.

Regular quarterly meetings are held by the Liaison Officer with representatives of the SC/ST Employees Union for resolving issues concerning their welfare.

Industry Level Wage Settlement

Wage negotiations take place between Indian Banks' Association representing the Banks and the recognized Unions /Associations through a process of collective bargaining and negotiated settlement of demands. This wage revision is valid for a period of 5 years.

Training and Employees' Skill Development

Training in Union Bank is a bank-wide responsibility managed with a sense of total commitment by the top management to meet the needs of its multi-channel service outlets and the employees owning it. As a learning organization, the Bank focuses on acquiring contemporary knowledge, continuous re-skilling and up skilling activities and attitudinal improvements. The Training Mission Statement of the Bank is "To promote a culture of continuous learning for the development of the individual and the Bank".

Providing need-based training to the staff members and to match it with the organizational needs is one of the strong features of Bank's training system. The Bank is committed to ensure that the staff members are competent in basic work skills and knowledge of their individual responsibilities. The training needs in the entire organizational life cycle of an employee – from entry to exit – is catered by the training system with its Apex college at Bangalore and 7 training Centres located across the country at Aluva, Ahmedabad, Bhopal, Bhubaneshwar, Gurgaon, Lucknow and Powai (Mumbai). To meet the emerging demands, locational programs are conducted at various regional locations depending on the organizational need.

With a view to provide up to date training to the staff, judicious mix of internal and external faculty is engaged. In deserving cases, staff members are deputed to overseas training also. The training needs are assessed and catered for all employee cadres right from a house keeping staff to a Top Executive.

In the year 1997, The Bank carried out a revamping exercise with the help of some reputed overseas consultants which led to introduction of latest training techniques. These have now been standardized and the innovative practices followed by the training system have resulted in receiving of recognitions and awards by various reputed institutions across the country including Golden Peacock Training National Award for the best training system in India in 1998, 2005, 2007, 2011 and 2012.

The Bank's endeavor is to "train to excel and excel to train".

DETAILS OF TRAINING PROVIDED DURING 2012-13

Cadre	No. Trained
Skilled	16367
Unskilled	799
TOTAL	**17166**

Channels	Male	Female	Disabled	Total
College/Centre Programs	9384	2018	58	11460
Workshops	3560	440	-	4000
Locational Programs	1399	307	-	1706
TOTAL	**14343**	**2765**	**58**	**17166**

PRINCIPLE 4 – STAKEHOLDER ENGAGEMENT

Union Bank believes that effective and ongoing engagement with stakeholders is the key factor for an organization's long-term success and sustainability. The Bank identifies a stakeholder as somebody who is influenced by the Bank's operations or who influences the Bank's operations.

The Bank has identified its stakeholders and categorized them as internal and external so as to plan its engagement better. Internal stakeholders of the Bank include, but are not limited to, employees, shareholders and promoters while the external stakeholders include, but are not limited to, Customers, Local Communities, Suppliers, NGOs, Industry Associations, Regulatory bodies etc. Right from the commencement of its operations, Union Bank has been formally or informally engaging with almost all of its stakeholders using a host of communication channels.

The Bank has identified some of its stakeholders as disadvantaged, vulnerable or marginalized and strives to provide special products/ schemes to them. Some of these stakeholder groups include, but are not limited to, Agri customers, MSME customers, Self-help Groups (SHGs), minority groups, urban labour and hawkers, villagers living in backward villages etc. For all such stakeholders, the Bank offers special products, services and schemes, the details of which can be found on the Bank's corporate website.

Customers

The focus of the bank is to provide excellent customer service at all touch points of the Bank, whether it be a branch, ATM, Internet Banking, mobile banking, Call center etc.

Oversees Footprint

The bank marked its footprint on overseas territories through setting up its first branch in Hong Kong in 2008 and five representative offices in Abu Dhabi (UAE), Beijing and Shanghai (China), Sydney (Australia) and London (UK). The Hong Kong branch, opened in 2008 has been catering to the Indian Diaspora in Hong Kong and Singapore, as well as to Indian Corporates for their FOREX requirements.

The second Oversees branch was opened at DIFC, Dubai in March 2013.

Overseas branch at Dubai International Financial Centre (DIFC)

Shri Namo Narain Meena, Hon'ble Minister of State for Finance, Government of India, inaugurated the second overseas branch of the Bank at Dubai International Financial Centre (DIFC) in the presence of Shri D.Sarkar, Chairman & Managing Director.

DIFC is a strategically located financial hub. Supportive infrastructure and the friendly regime make it a perfect base to take advantage of the region's rapid growth. The beginning of Union Bank's DIFC branch will cater to the banking needs and will contribute to UAE and India's growth.

Customer communication is looked at in a holistic manner across the various stages of engagement – providing product/services information, engaging in a business transaction and receiving feedback.

To achieve the objective of excellent customer service, the bank is undertaking following measures to engage/communicate with the customers.

- The Bank has also appointed Customer Relationship Officers, who have the mandate to be in constant touch with customers in order to enhance relationship value.
- The Bank is undertaking various training programs for its staff members to convert the complainants to campaigners.
- The Bank also undertakes marketing through various media channels to educate customers about various new products and services. The theme selected last year was technological innovations. The Bank has previously received ABCI (Association of Business Communication of India) award for Marketing and Branch Communication.
- The Bank has set up its own 24x7 call center to address any queries of the customers.
- The Bank holds quarterly customer meets at the branch, regional and corporate levels. The Bank uses this forum to communicate to its customers, information on the latest developments on product and service offerings as well as on important aspects like 'know your customer' (KYC) compliance, safeguards while using Internet banking and other such areas of importance to customers to ensure safe and secure banking. In such meetings, the bank's quarterly performance is also communicated to the customers.
- The Bank has set a dedicated customer care unit which undertakes replies to all customer communication and also undertakes study and root cause analysis of feedback received for systemic improvements. The complaints on non-receipt of PIN generation for Internet Banking, ATM etc. have come down drastically over the past years. The Customer Care Unit also tracks the satisfaction level of the customer with regard to the resolution of his complaint.
- **"UnionXperience"**

  The 3,500 plus branches of the bank are the primary point of interaction with the customers. With a view to provide a delightful customer experience, the Bank is undergoing a transformation journey and the various branches of the Bank are in the process of implementing a model titled "UnionXperience".

  In this new branch model, 65% of the staff are directly accessible to the customers as against the earlier percentage of 35%. The staff at these branches have been trained to interact proactively with the customers and provide financial solutions as per the customer specific requirements.

The 200th Union Xperience branch of the Bank – Mahalaxmi is a milestone in its journey of transformation for extending enhanced level of customer service. This branch comes with a state of the art Self Service Lobby with facilities including a Self Service Passbook Printer, a Cheque Deposit Machine which accepts cheque and provides image receipts to customers and a Phone Banking facility aptly named "Union Reach" which fulfills various Banking needs of customers in nine different languages.

200th UnionXperience Branch at Mahalaxmi, Mumbai

Shri D. Sarkar Chairman and Managing Director Union Bank of India and Executive Directors Shri S S Mundra and Shri S.K Jain inaugurated the Union Xperience branch at Mahalaxmi Mumbai

Employees

- The Bank's in-house magazine *Union Dhara* has been used to effectively build a greater understanding of the organization's culture, commitment to customers and key areas of development like financial inclusion and rural development. *Union Dhara* has been consistently winning awards from Association of Business Communicators of India (ABCI). Recently, Union Dhara bagged 7 awards along with prestigious "Magazine of the year Award" at 50th Award Ceremony of ABCI.

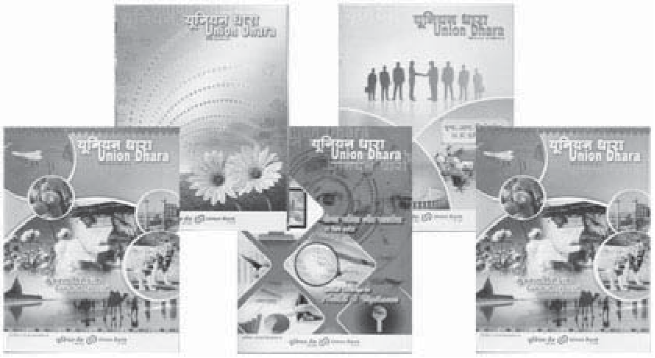

- The employees of the Bank are sent communications through the dedicated Intranet portal which hosts all internal policies, guidelines, codes, Communication from Chairman and Managing Director.
- Periodic visits of CMD/ED/General Managers from Central Office to the field/branches.
- The Bank has a dedicated online system for obtaining feedback from staff members across the country under the title innovation@unionbankofindia.com. The suggestion of employees for development/modification in product, process and services are collected, analyzed and taken into account during implementation.

Investors

- The Bank publishes abridged balance sheet along with highlights of performance every quarter in prominent newspapers.
- The Bank also apprises through a half-yearly communication to the shareholders about the performance of the Bank.

  The Bank also holds analysts and investors meet on a quarterly basis.

Society

- The Bank maintains continuous liaison with the Govt. and other peer banks and proactively participates in various policy formulations and industry level issues to improve the functioning of banking industry in India.
- The Bank has adopted 150 Villages to convert them as Adarsh Villages. The Chairman, Managing Director and Executive Directors visit these villages on a periodic basis to interact with the villagers and enhance the effectiveness of the program.

Union Bank of India was awarded the prestigious Indira Gandhi Rajbhasha Shield for the year 2010-11.

The effective use of Hindi has resulted in reach of benefits to the large community of Hindi-speaking farmers and other stakeholders.

Indira Gandhi Rajbhasha Shield

Shri D. Sarkar, Chairman & Managing Director, Union Bank of India received the award from Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble President of India

Union Bank of India won the prestigious IT Innovation Award from Computer Society of India. The Award along with a Cash reward of ₹ 1,00,000 was given by Hon'ble Minister for Civil Aviation Shri Ajit Singh.

Union Bank of India was given this award for launching truly accessible Talking ATMs for the visually challenged. The solution works on normal debit cards for all bank customers.

Prestigious IT Innovation Award

Shri R.K. Choudhary, DGM, Kolkata and Shri D.K. Kanvaria, AGM, Alternate Channels receiving the award from the Hon'ble Minister for Civil Aviation Shri Ajit Singh

The Bank's website has also been developed in keeping with the aspect of enabling effective communication with all the stakeholders.

PRINCIPLE 5 – RESPECT FOR HUMAN RIGHTS

Being a Public Sector Bank under the Government of India and as a responsible Corporate entity, the Bank respects all the guidelines, instructions, directives issued / notified by the Central / State / Local Government/s or other Statutory Authorities regarding Human Rights, and adheres to them in the true letter and spirit.

The policies of the Bank address the issue of human rights with respect to its employees as well as those of the Bank's stakeholders within the sphere of influence. The Bank expects its business partners including suppliers, business correspondents etc to respect human rights of their employees and avoid any violation regarding the same. The Bank did not receive any complaints regarding violation of human rights in this reporting year.

PRINCIPLE 6 – IMPACT ON ENVIRONMENT

Banking, due to the nature of its operations, is a relatively pollution-free sector and the environmental burden of its operations, and the products and services that it offers, which are primarily related to financial and insurance activities, are not comparable to most other sectors in the economy.

Nevertheless, the Bank has taken steps to reduce its environmental impact in whatever way possible. The Bank has already adopted core banking model for anytime-anywhere banking facility including remotest parts of country through its vast network of branches and ATMs and also through business correspondence model. The state of the art technology of the bank provides fast communication of data in paperless environment. Further, the Bank has already mandated to release all payment through electronic mode and also encourage the customer to adopt the e-payment route.

The Bank has laid down guidelines for the conservation of electricity and is putting measures in place to support and simplify paperless Banking. Emphasis is given to use electronic/electric equipment which are star-rated and consume less power. Some more initiatives undertaken by the Bank to reduce the impact of its operations are:

- All the cars in the corporate office have been fitted with CNG to reduce dependency on petrol and diesel, which are much more polluting.
- The bank has installed motion sensors in its corporate office for electric installations and air conditioners; in case the cabins are empty for more than two minutes, the electric supply is cut off, and is restored only when anyone enters the cabin.

The Bank does not lend to industries that produce Ozone depleting substances. The Bank in its lending practice takes a negative view of polluting industries and does not lend financial support to industries that do not have environmental clearances.

The Bank encourages projects that are approved under Clean Development Mechanism under United Nations Framework Convention on Climate Change.

Since banking operations have low potential for causing environmental damage, the Bank has not carried out any formal environmental risk assessment. The Bank, due to the very nature of its operations, does not cause any significant emissions/wastes and hence the emissions/wastes generated are well within the permissible limits given by the pollution control boards (PCBs). No violations have been recorded by the Bank.

Principle 7 – Advocacy for Public Good

Union Bank is a member of various financial and industry-related trade chambers and associations. Major among these bodies include:

a. Indian Banks' Association (IBA)

b. Indian Institute of Banking & Finance (IIBF)

c. The Associated Chambers of Commerce and Industry (ASSOCHAM)

d. Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)

e. Confederation of Indian Industry (CII)

The Bank strives to use collective platforms, such as trade chambers and industry associations it is a part of, for advocating any public policy and ensures that it does so with the highest degree of responsible and ethical behavior. The Bank communicates appropriately with lawmakers and other public officials to help shape public policy on laws and regulations that affect its business and its employees. The focus areas of the Bank primarily include inclusive growth, financial inclusion and financial literacy.

In addition, senior executives of the bank are nominated to various committees of Reserve Bank of India (RBI), IBA and other bodies on improvement in customer service.

PRINCIPLE 8 – INCLUSIVE GROWTH

About 41% of the 1.2 billion Indian population which is spread in every nook and corner of the country, not only in the six lacs plus villages but also in the slums of metro-cities and towns, are still unreached/ unbanked i.e. they do not have access to financial services from formal financial institutions. To make the country's growth real and inclusive, the role of banking institutions is to make banking services accessible to every citizen of the country. Union Bank of India believes that providing banking services to the poor is a viable business opportunity if the cost of serving the poor is reduced through a mix of innovative delivery models. The Bank considers Financial Inclusion (FI) as the primary objective of its business and is one of the few banks where the FI Plan has been integrated with the normal Business Plan of the bank for the past 5-6 years.

Bank has drawn up a three year FI Plan for 2010-13 which has been approved by the Board. In order to maintain a focused approach to reach the goals envisaged in the FI Plan the Bank has set up a separate Financial Inclusion Vertical at Corporate Office under General Manager which regularly monitors the progress of FI initiatives undertaken by the Bank and its impact with the aim to achieve 100% meaningful financial inclusion and extend reach to hitherto unbanked villages.

The Bank has made significant progress covering 12.50 million customers under the Bio-Metric Smart Card technology just within 3 years of the start of its FI drive which signifies that the FI vision of the bank can be turned into a reality. The FI Projects of the Bank are undertaken through the Branch network as well as Branchless banking mode. The target segment is defined as:

- Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme (MGNREGA)/ Social Security Pension (SSP) beneficiaries.
- Milk Pourers
- General FI Customers
- Urban Poor

The Bank has engaged nine Technology Service Providers (TSPs) for providing end-to-end FI solution for branchless banking activities through Business Correspondent Model. The Bank has a tie-up with Sri Kshetra Dharmasthala Rural Development Project (SKDRDP) a well-known NGO working in Karnataka for financing of Self Help Groups (SHGs). These SHGs are primarily engaged in agriculture & various allied activities which generate gainful employment & income for villagers.

The Bank has also devised a loan product specifically for Joint Liability Groups (JLGs) formed by Women. The credit deployment is made through Business Correspondent Model using bio-metric technology. The Bank has mandated Technology Service Provider (TSP) for implementing this loan product through Business Correspondents.

The Bank's notable progress in Financial Inclusion is as given below:

- Currently the Bank is providing banking services to 12.50 million FI customers and has covered 29497 unbanked villages across the country through Business Correspondent Model.
- Increased use of technology for branchless banking is adopted viz; Bio-metric smart Card Technology, Pre-paid Mobile Platform, Mobile Van Banking. The Bank is the frontrunner in the usage of biometric smart card and Janadhar Rupay card.

  The Bank's pioneering initiatives include:

- Pioneer in introducing Bio-Metric Smart Card based Branchless Banking;
- First Bank to start Bio-Metric Smart Card based banking for Urban Poor;
- First Bank to launch Micro-credit product with weekly equated installments;
- First Bank to extend Micro-Insurance as an in-built product with Micro-Credit;
- First Bank to start Bio-Metric Card Based Remittance product in identified corridors;
- Leader in G2P payments through Branchless Banking.

Apart from Financial Inclusion initiatives, Union Bank also contributes directly and indirectly to numerous community development projects. The details of the CSR initiatives of the Bank have been covered in Section B of this report.

Some other initiatives of the Bank and focus areas include:

- Adoption of backward villages under "Union Adarsh Gram",

- Setting up Rural Self Employment Training Institute (RSETIs) to provide intensive short-term residential self-employment training programmes with free food and accommodation to rural youth for taking up self employment initiatives and skill up-gradation for running their micro-enterprises successfully,
- Creating linkages with self help groups (SHGS), focusing on participation, capacity building and empowerment of members and clients.
- Adoption of poor girl children to support school education

CMD receiving the "Banker of the Year" award

Mr. D. Sarkar, Chairman & Managing Director Union Bank of India was awarded "Banker of the Year" award by Skoch Consultancy Services as a part of their Financial Inclusion Awards 2013. Bank also received the Best Bank Award 2012 recently for Financial Inclusion from Indian Bank Associations.

The Bank's efforts in self-employment, micro-credit, rural self-employment training and self-help groups are tracked meticulously. The progress made in implementing the projects under various Schemes is reviewed by the Board of Trustees of 'Union Bank Social Foundation Trust' periodically.

Towards implementation of social objectives, Union Bank is proudly fulfilling lead bank responsibilities in following 14 districts of the country.

- Varanasi, Chandauli, Sant Ravidas Nagar (Bhadohi), Jaunpur, Azamgarh, Mau and Ghazipur in Uttar Pradesh,
- Rewa, Sidhi and Singrauli in Madhya Pradesh,
- Ernakulam, Idukki in Kerala, and
- Samastipur and Khagaria in Bihar.

In the role of Lead Bank, Union Bank is ensuring the following activities in its lead districts-

- Branch expansion. mobilization of deposits and lending to priority sector,
- Preparation and implementation of District Credit Plan / Annual Credit Plan,
- Monitoring overall progress in physical and financial terms in the implementation of ACP & Government sponsored schemes,
- Overseeing and ensuring smooth release of subsidies / transfer of benefits to identified beneficiaries,
- Financial inclusion,
- Financial literacy, credit counseling & credit plus activities,
- Enabling Banks and Government work together to achieve inclusive growth.

The Bank's contribution under Total Priority sector advance and agriculture advance in lead districts is 62.87% and 30.54% respectively to the total advance made in those districts.

Ernakulum district, one of our lead districts was declared as the first district in the country to achieve 'Meaningful Financial Inclusion', by the RBI Governor, in the presence of Chief Minister and Finance Minister of Kerala at a function, held on 22nd November 2012.

Ernakulam First District to achieve 'Meaningful Financial Inclusion'

Shri D.Sarkar, Chairman & Managing Director, Shri K.M.Mani, Finance Minister of Kerala, Shri Ommen Chandy, Chief Minister of Kerala, Shri Nandan Nilekeni, Chairman, UIDAI, and Dr. D. Subbarao, Governor, Reserve Bank of India at the inaugural function.

The Bank is providing services of 14 FLCC (Financial Literacy Credit Counseling Centre) in lead districts towards greater financial literacy and credit counseling. 14 RSETIs are doing capacity building of Youth in lead districts towards their employability and self employment as well.

PRINCIPLE 9 – CUSTOMER FOCUS

Union Bank is committed to providing excellent customer service and maintaining healthy customer relationships

Project Nav Nirman
This visionary project aims at transforming the Bank into a customer centric financial services organization. The transformation initiative was designed to take the Bank to a higher growth orbit and enable achieving the vision of emerging as the number one public sector bank in the country and the pre-eminent bank in terms of customer experience.   The Bank is currently working on the second phase of the project, which includes redesigning and enhancing in-branch experience for customer relationships, a seamless integration of alternate channels into the customer experience, enhancing call centre capabilities as a major service point and an empowered grievance redressal mechanism.

250th Union Xperience Branch

Shri D. Sarkar Chairman & Managing Director inaugurated the 250th Union Xperience Branch at Nariman Point Mumbai in the presence of Executive Directors Shri S. K. Jain and Shri K. Subrahmanyam.

The Bank ensures that all customer grievances and complaints are handled as efficiently and effectively as possible. The Bank has recently implemented a rigorous mechanism to ensure that customers can easily make both verbal and written complaints, which will then be tracked and followed up. Of the complaints received through the various channels during the reporting year, 98% have been resolved.

The Bank ensures that all relevant information pertaining to the products it offers is made readily available to the customers through various general channels as well as direct communications. In addition to direct product information being provided as booklets and leaflets, it is also exhibited inside the branches on the notice boards as also through the leaflets, Application booklets, Pass Book etc. Any change in the product or service that they use is also appropriately communicated to the customer.

The Bank has adopted a 'Fair Practices Lending Code' in order to ensure that its dealing with customers is consistently fair and ethical. Under this code, the Bank has declared to be fair and honest in advertisement and marketing of products and services and providing accurate and timely disclosure of terms, costs, rights and liabilities. This code can be accessed for further details on the Bank's corporate website.

The Bank does not indulge in unfair or deceptive acts towards customers or competitors, and has always ensured that its advertising is truthful, fair and accurate; no case has been filed by any stakeholder against the bank in this regard during the last five years.

The Bank undertakes continuous efforts to understand its customers' expectations and satisfaction levels. During the reporting year, the Bank conducted one Customer Satisfaction Survey through an outsourced agency. The survey was conducted in 12 cities across India.

खाते में सीधे जमा / एनईसीएस का मैन्डेट फार्म

भविष्य में शीघ्र, सुरक्षित एवं सही लाभांश का भुगतान प्राप्त करने के लिए कृपया निम्नलिखित मैन्डेट फार्म, यदि अब तक न प्रस्तुत किया गया हो, तो प्रस्तुत करें. (यदि शेयर भौतिक रुप में है, तो रजिस्ट्रार को और यदि डीमैट / इलेक्ट्रानिक फार्म है, तो डिपॉज़िटरी सहभागी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए).

प्रिय महोदय

विषय: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इक्विटी शेयर्स- खाते में सीधे जमा / एनईसीएस के जरिये लाभांश प्राप्त करने का विकल्प**

मेरे / हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इक्विटी शेयर्स हैं.

मैं / हम आपसे अनुरोध करता हूँ / करती हूँ / करते हैं कि मेरे / हमारे लाभांश का भुगतान सीधे जमा/ एनईसीएस** के जरिये करें तथा मेरे / हमारे खाते में जमा करें, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

प्रथम/एकल शेयरधारक का नाम : ____

फोलियो क्र. (यदि शेयर्स डिमैटिरियलाइज़ नही हैं) : ____

डीपीआईडी/क्लाइंट आइडी (यदि शेयर्स डिमैटिरियलाइज़ हैं) : ____

क. सीधे जमा (केवल यूनियन बैंक खाताधारकों के लिए) : ____

1. पूर्ण खाता संख्या (15 अंकों की) : ____
2. खाते का नाम (जैसाकि पास बुक में दर्शाया गया है) : ____
3. शहर के पिन कोड सहित शाखा का नाम एवं पता : ____

या

ख. राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस)

1. बैंक का नाम : ____
2. बैंक का नाम एवं पता - शहर के पिन कोड सहित : ____
3. बैंक शाखा का दूरभाष क्रमांक : ____
4. बैंक / शाखा का 9 अंकों का कोड, जैसाकि बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक पर दर्शाया गया हो : | | | | | | | | | |
5. खाते का प्रकार (बचत खाता/चालू खाता / कैश क्रेडिट खाता - कोड सहित 10/11/13) : ____
6. खाता संख्या (जैसीकि चेक बुक में दर्शायी गई हो) : ____

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि ऊपर दिये गये ब्यौरे सही तथा पूर्ण हैं. यदि अधूरी अथवा गलत जानकारी के कारण लेनदेन में विलंब हुआ अथवा न हो सका, तो मैं जारीकर्ता संस्थान को जिम्मेदार नहीं मानूंगा/मानूंगी. मैं समझता हूँ / समझती हूँ कि सीधे जमा / एनईसीएस के जरिये लाभांश भुगतान को प्रभावित करने वाली कोई अप्रत्याशित स्थिति, जो बैंक के नियंत्रण के बाहर हो, के कारण बैंक मुझे देय लाभांश को लाभांश वारंट के रुप में भेजने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

भवदीय,

दिनांक::

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

(कृपया केवल एक विकल्प चुनें. कृपया उक्त ब्यौरों के सत्यापन के लिए अपने बैंक द्वारा जारी चेक की फोटोप्रति अथवा कोरा रद्द किया चेक संलग्न करें.**

रजिस्ट्रार का पता : डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि.,
प्लॉट क्र. बी - 5, पार्ट बी, एमआईडीसी, क्रॉस लेन, मरोल,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093
टेली : 022-66712151-60
फैक्स : 022-28213404
ईमेल : ubiinvestors@dfssl.com

Direct Credit/NECS Mandate Form

To facilitate prompt, safe and correct payment of the future dividend please submit the mandate form, if not submitted earlier. **{To be submitted to Registrar if shares are in physical form and to the *Depository Participant (DP)* if shares are in *demat/ electronic form*}.**

Dear Sirs,

Sub: Equity Shares of Union Bank of India – Option to receive dividend through Direct Credit/NECS**

I/We hold equity shares of Union Bank of India.

I/We request you to arrange for payment of my/our dividend through Direct Credit/NECS** and credit the same to my/our account as per particulars given below: -

First/Sole Shareholder's Name	
Folio No.(If shares are not dematerialized)	
DPID / Client ID (If shares are dematerialized)	
E-mail ID	

A. DIRECT CREDIT (ONLY FOR UNION BANK ACCOUNT HOLDERS)	
1. Full Account No. (15 Digits)	
2. Account Name (as appearing on Pass Book)	
3. Branch Name and Address with city PIN Code	

OR

B. NECS	
1. Bank Name	
2. Branch Name and Address with City PIN code	
3. Telephone No. of the Bank Branch	
4. 9 Digit Code No. of Bank/Branch as appearing on MICR cheque issued by the Bank	
5. Account Type (SB/CD/CC with code 10/11/13)	
6. Account No. (as appearing on Cheque book)	

I, hereby, declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold the user institution responsible. I understand that the bank also reserves the right to send the dividend payable to me by a physical warrant on account of any unforeseen circumstances beyond the control of the Bank, that may affect the payment of dividend through Direct Credit/NECS.

Yours Faithfully,

( )

Date: Signature of the First/Sole Shareholder

(Please select one option only. Please attach a blank cancelled cheque or photocopy of a cheque issued by your bank for verification of the bank account details.)**

Address of the Registrar: Datamatics Financial Services Ltd.
Plot No.B-5, Part B, MIDC, Crosslane, Marol,
Andheri (East), Mumbai-400 093.
Tel. No.: 022-66712151-60
Fax No.: 022-28213404
E-mail Id: ubiinvestors@dfssl.com

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाये)

पंजीकृत फोलियो सं. (यदि डिमैटिरियलाइज न किया गया हो)
डी.पी.आई.डी एवं ग्राहक आईडी क्र. (यदि डिमैटिरियलाइज किया गया हो)

मैं/हम ______________________________ निवासी ______________________________

जिला ______________ राज्य ______________ शेयरधारक/यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के शेयरधारक एतद्द्वारा

श्री/श्रीमती ______________________________ निवासी ______________________________

जिला ______________________ राज्य ______________________ अथवा उनके न होने पर

श्री/श्रीमती ______________________________ निवासी ______________________________

जिला ______________________ राज्य ______________________ को **बुधवार, दिनांक 26 जून 2013** को शाम 3.30 बजे या उसके स्थगित होने पर किसी अन्य तारीख को **रामा वाटुमल ऑडिटोरियम,** के.सी.कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की **11 वीं वार्षिक साधारण सभा** में मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं.

दिनांक ______________, 2013 को हस्ताक्षरित

कुपया
रसीदी
टिकट
लगाएं

____
परोक्षी का हस्ताक्षर

____
प्रथम शेयरधारक/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम : ______________________________

पता : ______________________________

परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और जमा करने संबंधी अनुदेश

1. परोक्षी लिखत तभी वैध माना जाएगा जब कि वह,
   ए) एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में यह उसके द्वारा/उसके विधिवत लिखित रुप में प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित.
   बी) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक या उसके विधिवत लिखित रुप में प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित.
   सी) निगमित निकाय के मामले में इसके विधिवत लिखित रुप में प्राधिकृत अधिकारी या अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित.
2. परोक्षी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए किंतु किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ हो और यदि उसके अंगूठे का निशान लगा हो तो यह न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित होना चाहिए.
3. परोक्षी निम्नलिखित के साथ
   ए) पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य प्राधिकारी (यदि कोई है) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित है, अथवा
   बी) उस पावर ऑफ अटॉर्नी या प्राधिकार की प्रति जिसे नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रमाणित किया गया हो, वार्षिक साधारण बैठक के **चार दिन** पूर्व अर्थात **शुक्रवार 21 जून, 2013** को कार्य समाप्ति पर अर्थात् सायं 5.00 बजे तक कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 में जमा कर देनी चाहिए.
4. परोक्षी का कोई भी लिखत विधिवत् स्टैम्प के बिना वैध नहीं होगा.
5. बैंक के पास जमा किया गया परोक्षी का लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा.
6. यदि परोक्षी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हो तो एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा.
7. परोक्षी के पक्ष में लिखत निष्पादित करनेवाला शेयरधारक उक्त लिखत से संबंधित वार्षिक साधारण सभा में स्वयं मतदान करने का हकदार नहीं होगा.
8. किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो.

UNION BANK OF INDIA

Head Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

PROXY FORM (FORM 'B')

(to be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio (If not dematerialised)	
DP ID & Client ID (If dematerialised)	

I/We____resident(s) of ______________________in the district of____________________in the state of____________________ being a shareholder(s) of Union Bank of India, Mumbai hereby appoint Shri/Smt.__________________________resident of __________________in the district of __________________ in the state of _________________or failing him / her, Shri/ Smt. ____________________________resident of_____________ in the district of _______________ in the state of_________________ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the 11th Annual General Meeting of the shareholders of Union Bank of India to be held on Wednesday, 26th June, 2013 at 3.30 p.m. at **Rama Watumull Auditorium**, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020 and at any adjournment thereof.

Signed this _______________ day of ________________ 2013.

Please Affix Revenue Stamp

____
Signature of Proxy

____
Signature of First named/Sole Shareholder

Name : ______________________________________

Address : ______________________________________

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Union Bank of India.
3. The proxy together with
   a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Union Bank of India with the Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. on Friday, 21st June, 2013.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Union Bank of India.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

उपस्थिति पर्ची

(नियत स्थान पर प्रवेश करते समय सौंपी जाए)

दिनांक : बुधवार, 26 जून 2013

समय : अपराह्न 3.30 बजे

स्थान : **रामा वाटुमल ऑडिरोरियम**, के.सी. कालेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई 400-020.

मैं एतदद्वारा बैंक की 11 वीं वार्षिक साधारण सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता / करती हूँ.

उपस्थित शेयरधारक / परोक्षी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

पंजीकृत फोलियो	**डीपी आईडी**	
	क्लायंट आईडी	
(यदि डिमैटिरियलाइज न किया गया हो)	(यदि डिमैटिरियलाइज किया गया हो)	
शेयरधारक का नाम		
शेयरों की संख्या		

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रवेश पत्र

(बैठक के दौरान साथ रखा जाए)

उपस्थित शेयरधारक / परोक्षी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

पंजीकृत फोलियो	**डीपी आईडी**	
	क्लायंट आईडी	
(यदि डिमैटिरियलाइज न किया गया हो)	(यदि डिमैटिरियलाइज किया गया हो)	
शेयरधारक का नाम		
शेयरों की संख्या		

शेयरधारक / परोक्षी अथवा शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि बैठक के स्थान पर प्रवेश हेतु बैंक के पास दर्ज उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुरुप विधिवत हस्ताक्षरित उक्त उपस्थिति पर्ची, प्रवेश पत्र के साथ प्रस्तुत करें. तथापि, प्रवेश आवश्यकतानुसार सत्यापन / जांच के अध्यधीन होगा. किसी भी परिस्थिति में बैठक के प्रवेश द्वार पर डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी.

UNION BANK OF INDIA

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Date: Wednesday, 26th June, 2013.

Time: 3.30 p.m.

Place: **RAMA WATUMULL AUDITORIUM,** K. C. COLLEGE, DINSHAW WACHA ROAD, CHURCHGATE, MUMBAI – 400 020.

I hereby record my presence at the 11th Annual General Meeting of the Bank.

Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present	

Regd. Folio	**DP ID**	
	Client ID	
(If not dematerialised)	(If dematerialised)	
Name of the Shareholder		
Number of Shares		

UNION BANK OF INDIA

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present	

Regd. Folio	**DP ID**	
	Client ID	
(If not dematerialised)	(If dematerialised)	
Name of the Shareholder		
Number of Shares		

Shareholders / proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting.

Hurry! Make the most of low Interest Rate now.

The wait to own your dream home is now over. Union Bank of India has reduced its rate of interest on home loan to 10.25%# p.a. And not just this, our home loan brings a host of other benefits to you.

• Sanction in 5 days • Maximum tenure up to 30 years • No prepayment penalty • Interest charged on daily reducing balance • Online application facility • Top up loan facility

Floating rate linked to Bank's Base Rate for loans up to ₹ 75 lac

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

Helpline Nos.: 1800 22 2244 (Toll free no.) | 022 2575 1500 (chargeable)
022 2571 9600 (for NRIs) | www.unionbankofindia.co.in

Union Bank of India

Download " PointART " mobile app Visit: pointart.mobi

Open App & Capture this Image

Available on all App stores & on all leading Mobile platforms

Enjoy a hassle free retired life

Union Pension Account

- Timely credit of Pension
- Monthly Pension Slips are provided along with an SMS for credits
- International ATM card, Cheque Book, Passbook and other conveniences
- Pension can be withdrawn from any Branch or any Bank ATM
- Internet and Mobile Banking facility available on request
- Account can be jointly held with spouse and Nomination facility is available
- Additional rate of Interest for Senior Citizens (60 years +)
- Overdraft / Loan available against Pension

यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank
of India
Good people to bank with

Printed by : www.westernpress.in

Call 1800-2222-44 or log on to www.unionbankofindia.co.in

Your dreams are not yours alone